दश माला, खंड 15, अंक 17

सोमवार, 19 मार्च, 2001
28 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)



(खण्ड 15 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डॉ. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)]

अंक 17, सोमवार, 19 मार्च, 2001/28 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	261 से 280 (15 मार्च, 2001)	2-20
	281 से 300 (16 मार्च, 2001)	20-39
	301 से 320 (19 मार्च, 2001)	39-74
अतारांकित प्रश्न संख्या	2705 से 2924 (15 मार्च, 2001)	75-282
	2925 से 3108 (16 मार्च, 2001)	282-459
	3109 से 3338 (19 मार्च, 2001)	459-705
सभा पटल पर रखे गए पत्र		705-718
राज्य सभा से संदेश		718-719
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
चौथा प्रतिवेदन		719
कृषि संबंधी स्थायी समिति		
बारहवाँ से सत्रहवाँ प्रतिवेदन		719-720
अनुपूरक अनुदानों की माँगें (रेल), 2000-2001		720
अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य) 2000-2001		720
नियम 377 के अधीन मामले		721-728
(एक) मध्य प्रदेश में शाजापुर में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता		
श्री थावरचंद गेहलोत		721
(दो) रायपुर-बिलासपुर-रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता		
श्री पुन्नूलाल मोहले		721
(तीन) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कन्हर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता		
श्री रामशकल		721-722
(चार) मध्य प्रदेश के जबलपुर डिवीजन में मैहर में रेल उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता		
श्री रामानंद सिंह		722
(पांच) झारखंड में लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त शीतागार सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता		
प्रो. दुखा भगत		722

विषय कॉलम

(छह) गुजरात में मांडवी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में परमाणु विद्युत संयंत्र के आसपास रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मान सिंह पटेल..... 723

(सात) पाम उत्पादकों, विशेष रूप से कर्नाटक के पाम उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एस. बसवराज..... 723

(आठ) केरल के कोल्लम जिले में बार-बार आ रहे भूकंपों के कारणों के बारे में अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ भेजे जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश..... 723-724

(नौ) कर्नाटक में उदुपी क्षेत्र को एक आदर्श 'बीच रिसॉर्ट' के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके..... 724

(दस) कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एक हवाई अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी..... 724-725

(ग्यारह) पोन्नानी और थलाई में नए मत्स्य बंदरगाह बनाए जाने की केरल सरकार की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.के. प्रेमाजम..... 725

(बारह) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों को भरने के लिए पद आधारित रोस्टर के स्थान पर रिक्ति आधारित रोस्टर बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री राजैया मल्याला..... 725-726

(तेरह) देश में ऐतिहासिक स्मारकों में विदेशियों के लिए प्रवेश शुल्क में वृद्धि करने के आदेश को वापस किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन..... 726

(चौदह) बिहार के भोजपुर जिले में आरा में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह 726-727

(पन्द्रह) महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले..... 727-728

लोक सभा

सोमवार, 19 मार्च, 2001/28 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

*[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]*

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया, कुँवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीटों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया कैमरे बंद कर दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे एक बार फिर अपने-अपने स्थानों पर वापस जाने का अनुरोध करता हूँ। कृपया शोर मत मचाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है, आप अपनी सीटों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीटों पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चालू बहुउद्देशीय बर्थों को निजी क्षेत्र को सौंपा जाना

*261. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख पत्तनों की चालू बहुउद्देशीय बर्थों को निजी पार्टियों को सौंप दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसा किए जाने के परिणामस्वरूप कितनी अनुमानित आय होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इन पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रभावी कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी संबंधी नीतिगत दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ महापत्तनों की विद्यमान परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने और अतिरिक्त परिसंपत्तियों के निर्माण/सृजन की व्यवस्था है। पत्तनों के विस्तार के लिए अपेक्षित पर्याप्त संसाधन जुटाने और कार्य कुशलता, उत्पादकता एवं सेवा गुणता में सुधार तथा पत्तन सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धा लाने की आवश्यकता के कारण पत्तन क्षेत्र की परियोजनाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया। सरकार द्वारा बहुउद्देशीय बर्थों से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं और पक्षकारों की सौप दी गई हैं–

1. मै. ए.बी.जी. गोवा पोर्ट लि. द्वारा निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन एवं हस्तांतरण (बी.ओ.ओ.टी.) आधार पर मुरगाँव पत्तन में दो बहुउद्देशीय कार्गो बर्थों (5 ए. एवं 6 ए.) का निर्माण और प्रचालन। पत्तन ने इस प्रयोजन के लिए विद्यमान बर्थ 5 और 6 मै. ए.बी.जी. गोवा पोर्ट लि. को सौंप दी हैं। यह लाइसेंस 30 वर्ष के लिए है और लगभग 250 करोड़ रु. के निवेश की संभावना है। अर्जित/अर्जित होने वाली आय इस प्रकार है–

(i) प्रथम वर्ष के लिए 1,54,09,246.00 रु. का लाइसेंस शुल्क।

(ii) दूसरे वर्ष के लिए 1,61,70,708.00 रु. का लाइसेंस शुल्क (30 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष अदा किए जाने वाला लाइसेंस शुल्क पिछले वर्ष अदा की राशि के 5% तक बढ़ाया जाना है)।

(iii) 12.02 करोड़ रु. प्रतिवर्ष की न्यूनतम गारंटीशुदा राशि के अध्यधीन प्रति वर्ष 5 मिलियन टन के न्यूनतम गारंटीशुदा उत्पादन के लिए 18% रायल्टी।

(iv) करार पर हस्ताक्षर से पहले 1,54,09,246.00 रु. के प्रीमियम का एकदम भुगतान।

(v) 1,54,09,246.00 रु. की प्रतिभूति जमा जो लाइसेंस अवधि के अंत में वापसी की जाएगी।

2. चेन्नई पत्तन की जवाहर गोदी में दो बर्थें अर्थात् जे.डी.-I और जे.डी.-V प्रतिवर्ष 9 लाख टन और 8.2 लाख टन के गारंटीशुदा यातायात के साथ 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा आधार पर क्रमशः मै. टी. अरुमैदुरै एंड कंपनी और साउथ इंडिया कारपोरेशन एजेंसी लि. को सौंपी गई थीं।

बढ़े हुए घाट शुल्क प्रभार वसूली (हैंडलिंग प्रभार) के तौर पर पत्तन राजस्व दो गुणा हुआ है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस धारक को एक वर्ष के लिए अग्रिम रूप से बर्थ किराया प्रभारों, बर्थ आरक्षण प्रभारों, लाइसेंस शुल्क, अनुरक्षण निकर्षण प्रभार का भुगतान करना है।

(घ) और (ङ) महापत्तनों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय इस प्रयोजन के लिए शुरू किए जा रहे कार्यक्रम निम्नलिखित पहलुओं पर बल देते हैं जिनसे भारतीय महापत्तनों के स्तर और उनकी उत्पादकता में वृद्धि की उम्मीद है :

- नई बर्थों का निर्माण और उन्हें सु-सज्जित करना
- उभरते कार्गो मिश्रण के लिए अत्याधुनिक उपस्करों की खरीद
- इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ई.डी.आई.) की स्थापना
- जलयान यातायात प्रबंधन व्यवस्था (वी.टी.एम.एस.) की स्थापना
- श्रमिक प्रशिक्षण और कल्याण।

इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी क्षेत्र की बढ़ी हुई भूमिका से पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रतियोगी बनाकर उनके अधिक आधुनिकीकरण की संभावना है।

बौद्ध संस्कृति तथा विरासत से जुड़े स्थलों के पर्यटन का विकास

*262. श्री जी. गंगा रेड्डी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने बौद्ध संस्कृति तथा विरासत से जुड़े स्थलों के पर्यटन को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों में ऐसे पर्यटन का विकास किया जाएगा;

(ग) क्या ऐसी विशिष्टीकृत पर्यटन गतिविधि का विकास करने के लिए महानिदेशक, पर्यटन के अधीन एक विशेष कृतिक-बल बनाया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस कृतिक-बल द्वारा इस संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पर क्या निर्णय लिया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हाँ।

(ख) जबकि बौद्ध संस्कृति तथा विरासत से जुड़े पर्यटन स्थलों को उन सभी राज्यों में प्रोत्साहन दिया जाता है, जहाँ बौद्ध स्मारक हैं, पहले जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में बौद्ध महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया था। ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार में पहले से ही मनाए जा रहे बौद्ध महोत्सव के अतिरिक्त होंगे।

(ग) अरूणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, मनाली तथा लेह (लद्दाख) में बौद्ध महोत्सव मनाने के लिए संकल्पना तैयार करने तथा रूपात्मकता सुझाने के लिए पर्यटन महानिदेशक के संयोजन में एक कार्य-बल स्थापित किया गया है।

(घ) कार्य-बल ने बौद्ध महोत्सवों के लिए नीचे लिखे स्थानों तथा तारीखों की सिफारिश की :

(i) जम्मू एवं कश्मीर (डेसकिट : जुलाई 24-25, 2001)

(ii) हिमाचल प्रदेश (कल्पा-अगस्त 11-12, 2001)

(iii) अरूणाचल प्रदेश (तवाँग-अक्तूबर 6-7, 2001)

(iv) पश्चिम बंगाल (जयगाँव-नवंबर, 24-25, 2001)

इस कार्य-बल ने आयोजनों के प्रस्तावित कार्यक्रम की सिफारिश भी की है।

(ङ) कार्य-बल की सिफारिशें संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से की गई हैं और कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर ली गई हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य को केंद्रीय सहायता के रूप में 5.00 लाख रुपयों की राशि दी जानी है।

हस्त-निर्मित कालीन का निर्यात

*263. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान हस्तनिर्मित कालीन के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कच्चे माल के लागत मूल्य में वृद्धि और विश्व बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हस्तनिर्मित कालीन उद्योग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हाँ। सिल्क कालीनों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाले स्पन सिल्क यार्न की कीमत में अचानक वृद्धि और शुल्कों में केवल आंशिक कमी होने के कारण सिल्क कालीन उप-क्षेत्र समस्याओं का सामना कर रहा है। समस्याओं को समझते हुए सरकार ने उपायों की एक शृंखला शुरू की है जिसमें विशेष आयात लाइसेंस के अंतर्गत सिल्क का आयात, स्पन सिल्क यार्न के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सिल्क के अवशिष्ट पर सीमा शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करना, 1 जून, 2000 से ड्यूटी ड्रा बैक की सीमा बढ़ाना, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु सहायता देना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, प्रचार प्रौद्योगिकी उन्नयन और डिजाइन विकास, वर्कशाप और सेमीनार आयोजित करने के लिए सहायता, प्रतिवर्ष कालीन एक्सपो आयोजित करना शामिल हैं।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी और निजी निवेश

*264. **श्री पी.आर. खुँटे :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में किस सीमा तक विदेशी/निजी निवेश को सुनिश्चित करने का है और इस क्षेत्र में विदेशी और निजी निवेशकों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी निवेशक उपभोक्ताओं को बिजली ऊँची दरों पर उपलब्ध कराते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र में अधिकाधिक निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अक्तूबर, 1991 में घोषित नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र यूनिटें किसी भी आकार की कोयला/लिग्नाइट अथवा गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं, जल-विद्युत परियोजनाओं तथा पवन/सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना कर सकती हैं। नीति के अनुसार, विदेशी निवेशकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत (100%) तक की विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृत तथा विदेशी/निजी निवेश के जरिए क्रियान्वित की जाने वाली निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) सामान्यतः निजी विद्युत परियोजनाएँ घरेलू/कृषि और/अथवा अन्य लघु उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत की बिक्री नहीं करती हैं तथा वे इसे राज्य विद्युत पारेषण निगमों/राज्य विद्युत बोर्डों को बेचती हैं। निजी परियोजनाओं से आपूर्ति की गई विद्युत का टैरिफ दिनांक 30 मार्च, 1992 के द्वि-स्तरीय टैरिफ अधिसूचनाओं तथा रा.वि.बोर्डों के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करारों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर प्रदान की गई ताप विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ को टैरिफ अधिसूचना में दिनांक 23 मई, 1997 के संशोधन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विद्युत संयंत्र का टैरिफ विभिन्न घटकों जैसे अंतःराज्यीय परियोजनाओं की अवस्थिति, ईंधन के प्रकार एवं इसके स्रोत, वित्त पोषण के स्रोत, उपस्कर के स्रोत इत्यादि पर भी निर्भर करते हैं। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत अंतःराज्यीय परियोजनाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोगों तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	लागत (रु. करोड़)
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	जेगरूपाडु सी.सी.जी.टी. (मै. जी.वी.के. इंडस्ट्रीज)	216	816
2.	गोदावरी सी.सी.जी.टी. (मै. स्पैक्ट्रम टेक्नोलॉजी)	208	748.43
3.	विजांग टी.पी.एस. (मै. एच.एन.पी.सी.एल.)	1040	4628.11
4.	रामागुंदम विस्तार (मै. बी.पी.एल. ग्रुप)	520	2384.57
5.	कोंडापल्ली सी.सी.जी.टी. (लेनको इंडस्ट्रीज लि.)	350	1035.471
6.	कृष्णापट्टनम 'बी' टी.पी.पी. (बी.बी.आई. पावर कृष्णापट्टनम कं.)	520	2221.329
7.	वेमागिरि सी.सी.जी.टी. (इस्पात पावर लि.)	492	1679.907
	बिहार		
8.	जोजोबेरा टी.पी.पी. (मै. जमशेदपुर पावर कं.)	240	1025.19
	गुजरात		
9.	पगुथन सी.सी.जी.टी. (मै. गुजरात टोरेंट)	654.7	2298.14
10.	हजीरा सी.सी.जी.टी. (मै. एस्सार पावर लि.)	515.0	1666.56
11.	बड़ौदा सी.सी.जी.टी. (मै. जी.आई.पी.सी.एल.)	167.0	368.22
12.	सूरत लिग्नाइट टी.पी.पी. (मै.जी.आई.पी.सी.एल.)	250.0	1167.189
13.	जामनगर टी.पी.पी. (मै. रिलायंस पावर लि.)	500	2550.741
	हिमाचल प्रदेश		
14.	वास्पा स्टेज-2 एच.ई.पी. (मै. जे.पी.आई.एल.)	300	949.23
15.	लाना एच.ई.पी. (मै. राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल लि.)	86	341.911
	कनार्टक		
16.	तोरंगुल्लु टी.पी.एस. (मै. जिंदल ट्रैक्टबेल)	260	1093.86
17.	मंगलौर टी.पी.एस. (मै. कोजेंट्रिक्स)	1013.2	4253.399
18.	नागार्जुन टी.पी.पी. (मै. नागार्जुन पावर कारपोरेशन लि.)	1015	5495.99

1	2	3	4
19.	बंगलौर सी.सी.पी.पी. (मै. पिन्या पावर)	107.6	390.593
	केरल		
20.	वेईपीन सी.सी.जी.टी. (मै. सियासीन एनर्जी प्रा.लि.)	679.2	1964.3
21.	कन्नौर सी.सी.जी.टी. (मै. कन्नूर पावर प्रोजेक्ट लि.)	513	1470
	मध्य प्रदेश		
22.	महेश्वर एच.ई.पी. (मै. एस. कुमार लि.)	400	1500
23.	कोरबा (ईस्ट) टी.पी.पी. (मै. देवू पावर)	1070	4690.00
24.	बीना टी.पी.पी. (मै. बीना पावर सप्लाई कं. लि.)	578	2443
25.	नरसिंगपुर सी.सी.पी.पी. (मै. जी.बी.एल. पावर)	166	531.24
26.	कोरबा (वेस्ट) एक्स (मै. आई.टी.पी.एल.)	420	1766.78
27.	गुना सी.सी.जी.टी. (मै. एस.टी.आई. पावर इंडिया लि.)	330	1079.39
28.	पैंच टी.पी.पी.. (मै. पैंच पावर लि.)	500	2183.53
29.	भिलाई टी.पी.पी. (मै. भिलाई पावर सप्लाई कं.)	574	2489.71
30.	रायगढ़ टी.पी.पी. (मै. जिंदल पावर लि.)	550	2411.80
31.	भांडेर सी.सी.जी.टी. (मै. भांडेर पावर लि.)	342	1048.072
32.	पिथमपुर डी.जी.पी.पी. (मै. शपूरजी पलोंजी पावर कं. लि.)	119.7	442.096
33.	रतलाम डी.जी.पी.पी. (मै. जी.वी.के. पावर रतलाम लि.)	118.63	451.294
34.	खांडवा सी.सी.जी.टी. (मै. मध्य भारत एनर्जी कारपोरेशन लि.)	171.17	550.667
	महाराष्ट्र		
35.	डाभोल सी.सी.जी.टी. (मै. डाभोल पावर कं.)	2015	9051.27
36.	भद्रावती टी.पी.एस. (मै. सेंट्रल इंडिया पावर)	1072	4630.90
37.	पातालगंगा सी.सी.जी.टी. (मै. रिलायंस पातालगंगा पावर)	447.1	1379.181
	उड़ीसा		
38.	इब वैली टी.पी.एस. (यूनिट 5 एवं 6) (ए.ई.एस. आई.बी. वैली कारपोरेशन)	500	2369.48
39.	डूबूरी टी.पी.पी. यूनिट 1 एवं 2 (कलिंगा पावर का.)	500	2191.534

1	2	3	4
	राजस्थान		
40.	धौलपुर सी.सी.जी.टी. (मै. आर.पी.जी. धौलपुर पावर कं. लि.)	702.7	2294.078
41.	बरसिंगसर टी.पी.पी. (मै. हिंदुस्तान विद्युत कारपोरेशन लि.)	500	2106.635
	तमिलनाडु		
42.	नैवेली टी.पी.एस.-जीरा यूनिट (मै. एस.टी.-सी. एम.एस.)	250	1200
43.	पिल्लईपेरूमल्लनूर सी.सी.जी.टी. (मै. पी.पी.एन. पावर)	330.5	1121.70
44.	नार्थ मद्रास टी.पी.एस.-2 (मै. वीडियोकोन पावर)	1050	4423.80
45.	बासिन ब्रिज डी.जी.पी.पी. (मै. जी.एम.आर. बसावी)	200	756.77
46.	तूतीकोरिन टी.पी.पी. स्टै. 4 (मै. एस.पी.आई.सी.)	525	2324.10
47.	समथानाल्लुर डी.जी.पी.पी. (मै. बालाजी पावर कारपोरेशन लि.)	106	304.221
48.	समालपट्टी डी.जी.पी.पी. (मै. समालपट्टी पावर कं.)	106	391.863
49.	नार्थ मद्रास टी.पी.पी. (मै. त्रि-सक्थी एनर्जी प्रा. लि.)	525	2246.77
50.	कुड्डालोर टी.पी.पी. (मै. कुड्डालोर पावर कं.)	1320	6379.157
51.	वैम्बार सी.सी.जी.टी. (मै. इंडियन पावर प्रोजेक्ट लि.)	1873	5060.165
	उत्तर प्रदेश		
52.	विष्णुप्रयाग एच.ई.पी. (मै. जे.पी.आई.एल.)	400	1614.6
53.	रोसा टी.पी.पी. (मै. इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर)	567	2432.10
54.	श्रीनगर एच.ई.पी. (मै. डनकैन नार्थ हाइड्रो पावर कं. लि.)	330	1699.12
	वेस्ट बंगाल		
55.	बालागढ़ टी.पी.एस. (मै. बालागढ़ पावर कं.)	500	2234.69
56.	बकरेश्वर टी.पी.पी. (बकरेश्वर पावर जन. कं. लि.)	420	1621.588
57.	गोरीपोर टी.पी.पी. (गोरीपोर पावर कंपनी)	150	659.442

राष्ट्रीय नेताओं के आवासों को राष्ट्रीय स्मारकों/संग्रहालयों में बदलना

*265. श्री रतनलाल कटारिया :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं के आवासों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है/संग्रहालयों में बदला गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कटक स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस के जन्म स्थान तथा भारत रत्न बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर के पुराने आवास को राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलने की घोषणा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) पोरबंदर स्थित महात्मा गाँधी के जन्म-गृह का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक संरक्षित स्मारक के रूप में अधिग्रहण कर लिया गया था। यूँ तो यह गृह संरक्षित है, लेकिन इसमें कोई संग्रहालय नहीं है। इसके ठीक बगल में एक निजी न्यास द्वारा संचालित एक स्मारक है। इलाहाबाद स्थित आनंद भवन और स्वराज भवन का रख-रखाव निजी न्यासों द्वारा किया जाता है। तीन मूर्ति भवन, जो भारत के प्रधान मंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का लंबे अरसे तक निवास स्थल था, में इस समय नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, जो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के विभिन्न चरणों के जीवन व काल को चित्रित करने वाले व्यक्तिगत संग्रहालय का अनुरक्षण करता है। सरदार पटेल के पैतृक-गृह का रख-रखाव सरदार पटेल न्यास द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) जानकीनाथ भवन, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, को वर्ष 1991 में उड़ीसा सरकार द्वारा एक राज्य स्मारक घोषित किया गया। इस भवन के प्रबंधन के लिए उड़ीसा के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय न्यास है। सरकार इस न्यास की सहायता करने के लिए उत्सुक है और उड़ीसा सरकार इस स्थान को उपयुक्त स्मारक संस्था के रूप में विकसित कर रही है। उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव प्रतीक्षित है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित उस भूमि व संपत्ति के अधिग्रहण के लिए दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को 7.12 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की है, जहाँ पर डा. अंबेडकर ने अपनी अंतिम साँस ली थी।

रेल यातायात में वृद्धि

*266. श्री सुबोध राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1951 से रेल यातायात में छह गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आने वाले दशक में यातायात की संभावित वृद्धि की मात्रा का कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे यातायात की मात्रा का प्रबंध करने के लिए यदि कोई ठोस योजना तैयार की जा रही है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी हाँ। राजस्व उपार्जक माल यातायात 1950-51 के 73.2 मिलियन टन से बढ़कर 1999-2000 में 456.4 मिलियन टन हो गया है जो 6.23 गुणा वृद्धि का द्योतक है।

(ग) और (घ) भारतीय रेल की निगमित योजना; उपयोगकर्ता मंत्रालयों, ग्राहक इंटरफेस के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तथा अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के पूरा होने की प्रत्याशा एवं अर्थव्यवस्था के प्रत्याशित विकास को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि रेल परिवहन संबंधी माँग एक व्युत्पन्न माँग है। प्रमुख उपयोगकर्ता एजेंसियों/मंत्रालयों ने आगामी दशकों में संभावित यातायात के बारे में प्रारंभिक संकेत दिए हैं। रेलों द्वारा अपनी योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए आगे और विचार-विमर्श करना अपेक्षित होगा, जिनका निष्पादन अनिवार्य रूप से इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध निधियों पर निर्भर करेगा।

गैस आधारित विद्युत परियोजना द्वारा विद्युत का उत्पादन

*267. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी गैस आधारित विद्युत परियोजनाएँ हैं और उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यह लक्ष्य किस सीमा तक हासिल कर लिया गया है;

(घ) गैस आधारित बिजली घरों द्वारा विद्युत के उत्पादन के संबंध में कितने प्रतिशत की कमी आई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) देश में गैस आधारित 37 विद्युत परियोजनाएँ हैं जिनकी मानीटर की गई कुल क्षमता 10497.2 मेगावाट है।

(ख) और (ग) गत दो वर्षों के लिए गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन संबंधी लक्ष्य की तुलना में विद्युत का वास्तविक उत्पादन निम्नवत् है–

विद्युत उत्पादन (मि.यू. में)

वर्ष	लक्ष्य (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	लक्ष्य का %
1998-99	42,580	43,480	102.1
1999-2000	47,930	49,773	103.8

(घ) और (ङ) गत दो वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कमी नहीं हुई है।

केंद्रीय रेशम बोर्ड का पुनर्गठन

*268. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर.एस. पाटिल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के साथ हिस्सेदारी में सहभागितात्मक कार्यान्वयन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रेशम बोर्ड का पुनर्गठन कर रही है/पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) के गैर-योजना व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनावश्यक गैर-योजना व्यय में कटौती हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) कुछ समय से केंद्रीय रेशम बोर्ड की पुनर्संरचना पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के कार्य संरचना तथा स्टाफ का, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान (एन.आई.एस. टी.ए.डी.एस.) द्वारा अध्ययन किया गया है। मंत्रालय द्वारा इस संगठन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की आगे जाँच की गई है।

राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 में राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में सक्रियात्मक कार्यान्वयन के उद्देश्यों के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड की भूमिका की पुनर्संरचना पर भी विचार किया गया है।

(ग) से (ङ) जैसा कि, पिछले तीन वर्षों के संबंध में दिए गए निम्न आँकड़ों से देखा जा सकता है, सरकार केंद्रीय रेशम बोर्ड के गैर-योजनागत व्यय के आबंटन को कम करने के संबंध में कार्य कर रही है :

वर्ष	रुपए करोड़ों में
1998-99	16.00
1999-2000	17.00
2000-2001	15.30

[हिन्दी]

सिले-सिलाए वस्त्रों का आयात कोटा

*269. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने ऐसा संकेत दिया है कि भारत से सिले-सिलाए वस्त्रों का आयात कोटा केवल तभी बढ़ाया जाएगा, जब अमरीकी वस्त्र उद्योग को पारस्परिक आधार पर भारत में विपणन सुविधा दी जाएगी;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन

*270. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के ऊर्जा विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया हे कि सन् 2020 तक भारत की आयातित ऊर्जा पर निर्भरता का स्तर इतना अधिक होने जा रहा है जितना कि अमरीका का स्तर खाड़ी संकट के समय था और हमारा भविष्य में विद्युत उत्पादन आयातित गैस/तेल पर अधिक निर्भर करेगा;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को डाभोल की विद्युत आपूर्ति की ऊँची दरें, आयातित सामग्री की अधिक लागत के कारण हैं;

(ग) क्या यह एक निर्विवाद तथ्य है कि देश में दो शताब्दियों तक चलने वाला पर्याप्त मात्रा में कोयला भंडार है और हमारी जल विद्युत क्षमता लगभग 1,50,000 मे.वा. है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या भारत को भविष्य में आयातित सामग्री पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का परित्याग करना होगा और कोयले के हमारे अपने भंडारों तथा जल विद्युत क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना होगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेफ्था की उच्च लागत डाभोल विद्युत परियोजना द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को आपूर्ति की गई विद्युत की टैरिफ अधिक होने के कारणों में से एक है। दूसरा मुख्य कारण डालर के विनिमय दर में वृद्धि का होना रहा है। इसके अतिरिक्त एम.एस.ई.बी. को महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशों पर मेरिट आदेश डिस्पैच के अनुसार विद्युत प्राप्त करनी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप डाभोल परियोजना से विद्युत की खरीद अनुबंधित माँग अर्थात् 90% पी.एल.एफ. से कम रही है। तथापि, एम.एस.ई.बी. को स्थायी क्षमता प्रभार का भुगतान करना होता है।

(ग) 1.1.2000 की स्थितिनुसार देश का कुल संचय 211.59 बिलियन टन है जिसमें से 38.94% 'प्रमाणित' श्रेणी के अंतर्गत है, 42.30% 'इंगित' श्रेणी के अंतर्गत है और 18.76% 'अनुमानित' श्रेणी के अंतर्गत है। वर्ष 2006-07 के दौरान कोयला उत्पादन की दर 350 मिलियन टन मानते हुए 1.1.96 की स्थितिनुसार प्राप्तियोग्य प्रमाणित संचय का 85 वर्ष से अधिक

समय तक उपयोग किए जाने की प्रत्याशा है। तथापि वार्षिक आधार पर (विस्तृत पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप) प्रमाणित संचय में लगभग 3 से 4 बिलियन टन की वृद्धि की जा रही है, जिससे प्राप्ति योग्य संचय बढ़ जाएगा और इसका इस्तेमाल और अधिक समय तक किया जा सकेगा।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1978-87 तक देश में जल विद्युत शक्यता के पुनःमूल्यांकन के संबंध में कराए गए अध्ययन कार्यों के अनुसार देश की जल विद्युत शक्यता कुल 845 स्कीमों से 60% भार घटक पर 84084 मे.वा. मूल्यांकित की गई है। इस शक्यता के पूर्णतः विकसित हो जाने के परिणामस्वरूप संभाव्य औसत भार घटक के आधार पर लगभग 150000 मे.वा. अधिष्ठापित क्षमता प्राप्त होने की संभावना है।

(घ) 11वीं योजना की समाप्ति (2011-12) के लिए हाल ही में कराए गए इष्टतम क्षमता संबंधी अध्ययन कार्यों से यह इंगित हुआ है कि जल विद्युत के अतिरिक्त स्वदेशी कोयला और लिग्नाइट देश में विद्युत उत्पादन हेतु अधिकतम वरीय ईंधन है। तथापि, विद्युत परियोजनाओं के लिए ईंधन का चयन करना परियोजना स्थल, भार केंद्रों, ईंधन स्रोतों का दूर होना तथा संभावित पर्यावरणीय प्रभाव जैसे घटकों के संयोजन पर निर्भर करता है। आयातित कोयले को तटीय क्षेत्रों के समीपस्थ परियोजना स्थल पर स्वदेशी कोयले के साथ प्रतिस्पर्धात्मक पाया गया है। यद्यपि आयातित ईंधन (पेट्रोलियम पदार्थ) विदेशी विनिमय परिवर्तनों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के लिए संवदेनशील है, फिर भी पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके न्यून प्रभाव को छोड़कर इसका उपयोग देश के कुछ क्षेत्रों में मितव्ययी है। स्वदेशी विकसित क्षमता तथा ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से नाभिकीय ऊर्जा की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

कपड़ा मिलों में मजदूर संघ

*271. **डा. मंदा जगन्नाथ** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रमिकों की संख्या में एक प्रतिशत तक कमी करने की अनुमति हेतु कपड़ा मिलों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मिलों ने मजदूर संघों के गठन हेतु न्यूनतम संख्या से संबंधित मजदूर संघ कानून में संशोधन किए जाने हेतु भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) वस्त्र मिल और परिधान निर्यातक श्रम सुधारों के सामान्य मसले उठाते रहे हैं। हाल में परिधान निर्यातकों द्वारा दिए गए सुझावों में से एक सुझाव यह है कि 2 प्रतिशत श्रम बल को प्रत्येक वर्ष बदल दिए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ग) और (घ) जी, हाँ। उन्होंने यह भी कहा है कि मजदूर संघों को बनाने के लिए कामगारों की न्यूनतम संख्या कुल कार्यबल का 25 प्रतिशत हो। इस संदर्भ में, केंद्रीय सरकार मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक, 2000 में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव कर रही है।

'बशर्ते कामगारों का कोई भी मजदूर संघ तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक स्थापना अथवा उद्योग, जिसके साथ यह जुड़ा है, में लगे अथवा नियोजित कामगारों का कम से कम 10 प्रतिशत अथवा एक सौ, जो भी कम हो, पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख में ऐसे मजदूर संघों का सदस्य है तथा किसी भी स्थिति में एक यूनियन सात सदस्यों की न्यूनतम शक्ति के बिना पंजीकृत नहीं की जाएगी।'

हिन्द महासागर को खतरा

*272. **श्री जी.एस. बसवराज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ हिन्द महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे खतरों का ब्यौरा क्या है और इनका मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) हिन्द महासागर के सामरिक महत्त्व को देखते हुए कुछ अन्य क्षेत्रीय व्यक्तियों का हमेशा ही इस पर ध्यान केंद्रित रहा है। भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण और विकास की योजनाएँ बनाते समय मौजूदा बाहरी सामरिक/सुरक्षा संबंधी परिवेश और खतरे की उभरती हुई संभावनाओं को ध्यान में रखा जाता है ताकि देश की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

एल.एन.जी. का आयात

*273. **श्रीमती श्यामा सिंह** :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16 फरवरी, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी पेट्रोनेट एल.एन.जी. की कतर स्थित रासगैस से एल.एन.जी. को आयात करने की योजनाओं में और अधिक विलंब हुआ है क्योंकि उक्त कंपनी अपने विशेष उद्देश्यीय वाहनों के लिए वित्तीय समापन प्राप्त करने में असमर्थ रही है;

(ख) क्या एल.एन.जी. के आयात में विलंब के कारण इसकी प्रयोक्ता कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आयात में विलंब होने की स्थिति में सरकार द्वारा एल.एन.जी. की माँग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) वित्तीय समापन की तारीख का परियोजना के कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि रास गैस के प्रवर्तकों अर्थात् मैसर्स कतार जनरल पेट्रोलियम कारपोरेशन और मैसर्स मोबिल क्यू.एम. गैस इंक ने दहेज (गुजरात) में पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड के टर्मिनल को दिसंबर, 2003 तक एल.एन.जी. की आपूर्ति के लिए कतार में तरलीकरण सुविधा के निर्माण के लिए अलग से इक्विटी और ऋण वित्तपोषण प्रदान करने का वचन दिया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्त्र क्षेत्र में आधुनिक प्रसंस्करण एकक

*274. **डा. अशोक पटेल :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र में आधुनिक प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थल-वार इसके लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या नई वस्त्र नीति में इस संबंध में प्रावधान किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी विचार किया गया है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता तथा पर्यावरण संबंधी मानदंडों को पूरा करने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण एककों की स्थापना को बढ़ावा देगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

*275. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री शिवाजी माने :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'टू पाक एयरक्राफ्ट वायोलेट इंडियन एयर स्पेस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या घुसपैठ करने वाले विमानों का पता वायुसेना की बजाय थलसेना ने लगाया था;

(ग) यदि हाँ, तो भारतीय वायुसेना द्वारा विमानों का पता लगाने में चूक के क्या कारण हैं;

(घ) त्रुटियों को सुधारने और सीमावर्ती चौकियों पर सतर्कता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या पाकिस्तानी विमान जम्मू और कश्मीर में भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करते रहे हैं;

(च) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान रिकार्ड किए गए ऐसे उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने भारतीय वायुसीमा के ऐसे उल्लंघन से निपटने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (छ) सरकार को 20 फरवरी, 2001 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'पाक वायलेट्स इंडियन एयरस्पेस थ्राइस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है।

19 फरवरी, 2001 को पाकिस्तानी सेना के 2 टोही विमानों ने छंब क्षेत्र में भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था जिन्हें सेना द्वारा देख लिया गया।

घुसपैठ करने वाले विमानों को देखकर या रेडारों द्वारा पता लगाए जाने की निर्धारित प्रक्रिया है। देखकर पता लगाने का कार्य या तो रक्षा सेनाओं या अर्द्ध सैनिक संगठनों के प्रेक्षकों द्वारा किया जा सकता है। इन दो घुसपैठिए विमानों ने भारतीय हवाई क्षेत्र में अत्यंत नीचे रहकर उड़ान भरी थी ताकि वे रेडारों की पकड़ में न आ सकें। तथापि, इस क्षेत्र में सेना द्वारा तैनात किए गए प्रेक्षक सतर्क थे और उन्होंने इन घुसपैठिए विमानों को देख लिया।

सीमा क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के निगरानी उपस्कर शामिल किए जा रहे हैं।

वर्ष 2000 और 2001 के दौरान जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों ने क्रमशः 13 और 2 हवाई उल्लंघन किए हैं।

पश्चिमी यूरोप से विदेशी पर्यटकों का आगमन

*276. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27 जनवरी, 2001 को 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार, साफ्टवेयर उद्योग के बाद विदेशी मुद्रा अर्जित करने के मामले में पर्यटन उद्योग का दर्जा गिरकर तीसरे स्थान पर आ गया है;

(ख) क्या वर्ष 2000 के दौरान पश्चिमी यूरोप से पर्यटकों के आगमन में कमी आई है जिससे छोटे पर्यटक स्थलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में विशेषकर पश्चिमी यूरोप से और अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक आकर्षित करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) वर्ष 1999-2000 में साफ्टवेयर के निर्यात में अर्जित विदेशी मुद्रा, पर्यटन से

अर्जित विदेशी मुद्रा से ज्यादा हो गई है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है–

विदेशी मुद्रा आय (मिलियन अमेरिकी डालर में)	1997-98	1998-99	1999-2000
पर्यटन	2914	2993	3096
साफ्टवेयर निर्यात	1760	2626	4015

(ख) और (ग) वर्ष 2000 के लिए देशवार पर्यटक आगमन आँकड़े केवल सितम्बर तक उपलब्ध हैं। वर्ष 2000 (जनवरी से सितम्बर) के दौरान पश्चिमी यूरोप से पर्यटक आगमन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.1% कमी आई है। तथापि, वर्ष 2000 में देश में विदेशी पर्यटक आगमन में वर्ष 1999 की तुलना में 6.4% की समग्र वृद्धि हुई है। इस कमी के कारणों का ठीक-ठीक पता नहीं लग सकता, लेकिन गम्यता में सुगमता, अन्य प्रतियोगी गंतव्यों का आकर्षण आदि जैसे विविध तथ्य पर्यटकों के निर्णय को प्रभावित करते हैं।

(घ) पर्यटन का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिए आकर्षित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में, पर्यटक सुविधाओं का विकास एवं सुधार, विदेशी स्थित पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से विदेशों में प्रचार एवं विपणन प्रयास, मानव संसाधन विकास के संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा होटलों सहित पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना, सम्मिलित हैं।

पश्चिमी यूरोप में भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, भारत में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई संवर्धनात्मक कार्यकलापों में लगे हैं, जिनमें प्रिंट मीडिया तथा इंटरनेट में विज्ञापन देना, ब्रोशर तैयार करना, संयुक्त संवर्धन करना, प्रत्यक्ष विपणन करना, यात्रा मेलों में भाग लेना आदि सम्मिलित हैं।

रक्षा बजट

*277. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 से 2000-2001 तक रक्षा बजट की हिस्सेदारी में कितनी आनुपातिक वृद्धि हुई;

(ख) उसमें नौसेना, तटरक्षक बल तथा वायुसेना की हिस्सेदारी में अलग-अलग कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) भविष्य में खतरों की संभावनाओं से निपटने के लिए थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना को आधुनिक बनाने और उनकी युद्धक क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक वास्तविक रक्षा व्यय (निवल राजस्व और पूँजीगत) तथा वर्ष 2000-2001 के लिए संशोधित प्राक्कलनों में रक्षा व्यय के वास्ते किया गया प्रावधान इस प्रकार है :–

वर्ष	रक्षा व्यय (करोड़ रुपए में)	पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि की प्रतिशतता
1996-97	29505.08	9.86
1997-98	35277.99	19.57
1998-99	39897.58	13.10
1999-2000	47070.63	17.98
2000-2001 (संशोधित प्राक्कलन)	54460.91	15.70

ऊपर उल्लिखित रक्षा व्यय में नौसेना और वायुसेना का हिस्सा इस प्रकार है :–

वर्ष	नौसेना पर व्यय	समग्र रक्षा व्यय की प्रतिशतता	वायुसेना पर व्यय	समग्र रक्षा व्यय की प्रतिशतता
1996-97	3976.23	13.5	7492.30	25.4
1997-98	4764.56	13.5	9126.83	25.9
1998-99	6015.54	15.0	9046.16	22.7
1999-2000	6836.77	14.5	10243.04	21.8
2000-2001 (संशोधित प्राक्कलन)	8214.19	15.0	11333.98	20.8

तटरक्षक का व्यय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुदान से पूरा किया जाता है न कि रक्षा बजट से। तटरक्षक पर वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक का वास्तविक व्यय तथा संशोधित प्राक्कलन 2000-2001 में किया गया प्रावधान निम्न प्रकार है :–

वर्ष	तटरक्षक पर व्यय (करोड़ रुपए में)
1996-97	220.24
1997-98	248.55
1998-99	265.90
1999-2000	343.60
2000-2001 (संशोधित प्राक्कलन)	415.00

सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता का आधुनिकीकरण और उसमें वृद्धि एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नए प्लेटफार्मों तथा हथियार प्रणालियों का अर्जन, विद्यमान प्रणालियों का उन्नयन और बल प्रवर्द्धकों को शामिल करना सम्मिलित है। इन प्रयासों को जारी रखने के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं ताकि भविष्य में खतरे की संभावनाओं का मुकाबला किया जा सके।

[हिन्दी]

लड़ाकू विमान का उत्पादन

*278. **श्री थावरचंद गेहलोत** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ही विकसित लड़ाकू विमान की सफल परीक्षण उड़ान के बाद इसका देश में ही उत्पादन आरंभ कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी लड़ाकू विमान की तुलना में देश में विकसित लड़ाकू विमान की लागत कम होने के बावजूद इसकी मारक क्षमता बेहतर होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान का विकास किया जा रहा है। विकास कार्यक्रम के तहत पूर्ण स्तरीय इंजीनियरी विकास चरण-I और अंतरिम चरण-II के अंतर्गत कुल सात विमानों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें एक प्रशिक्षण विमान सहित दो प्रौद्योगिकी प्रदर्शक और पाँच आदिरूप विमान शामिल हैं। जनवरी, 2001 में, हल्के लड़ाकू विमान की प्रथम सफल उड़ान के पश्चात् पूर्ण स्तरीय इंजीनियरी विकास के चरण-II, जिसमें सीमित शृंखलाबद्ध उत्पादन के तहत आठ विमानों का विनिर्माण शामिल है, का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। लड़ाकू विमान के रूप में हल्के लड़ाकू विमान की कार्रवाई का दायरा और उसकी शस्त्रसज्जा, विश्व में विकासाधीन इसी तरह के एकल इंजन वाले लड़ाकू विमान से यदि बेहतर नहीं तो उसके समकक्ष अवश्य होगी। इसके अतिरिक्त, इस विमान की संघर्ष में बने रहने की क्षमता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रानिक युद्धपद्धति सूट एक अत्याधुनिक प्रणाली होगी।

[अनुवाद]

सैन्य बलों के लिए सांविधिक न्यायाधिकरण

*279. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1999 में सैन्य बलों के लिए सांविधिक न्यायाधिकरणों को गठित करने की माँग स्वीकार कर ली थी जिससे कि सेवारत अधिकारियों को सेवा से संबंधित मामलों में जल्दी न्याय मिल सके और उन्हें इसके लिए दीवानी न्यायालयों पर निर्भर न रहना पड़े;

(ख) यदि हाँ, तो इन न्यायाधिकरणों के गठन में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावित न्यायाधिकरणों के गठन और कार्यपद्धति संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार ने कोर्ट मार्शलों के मामलों में आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने और सशस्त्र सेना कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों के न्याय-निर्णयन हेतु सशस्त्र सेनाओं के लिए एक सांविधिक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्णय सिद्धांततः ले लिया है। इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके वैधानिक प्रस्ताव तैयार किया गया है और यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान

*280. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विषैले अपशिष्ट उत्पाद पेट्रोलियम अवमल (स्लज) का क्षय करने वाले बैक्टीरिया समूह के पृथक्करण के संबंध में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में हाल ही में कराए गए अनुसंधान पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गड्ढों पर आने वाली भारी लागत से बचने तथा भूमिगत जल में विषैले अपशिष्ट पदार्थों के रिसाव को भी रोकने के लिए देश के सभी तेल शोधक कारखानों में यथासंभव शीघ्र यह तकनीक उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) फिलहाल रिफाइनरियों में स्लज से तेल की निकासी सामान्यतः सेंट्रीफ्यूजिज और मेल्टिंग पिट्स का इस्तेमाल करते हुए की जाती है। तेल की निकासी के बाद स्लज लाइंड डिस्पोजल पिट्स में इकट्ठी करके रखी जाती है जिसके बाद इसका निपटान कर दिया जाता है। निपटान स्थलों के आसपास नियमित भूजल निगरानी की जा रही है और भूजल के किसी प्रदूषण की रिपोर्ट नहीं मिली है। तेल उद्योग को टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी), नई दिल्ली द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का ज्ञान है। यह प्रौद्योगिकी योगिकों के तेल स्लज डीग्रेडिंग बेक्टीरियल ग्रुप के विकास पर विचार करती है। इस प्रौद्योगिकी का और विकास करने और इस प्रौद्योगिकी के अंगीकरण हेतु विभिन्न रिफाइनरियों में किए जा रहे प्रयासों को सम्पन्न करने के लिए तेल उद्योग ने टेरी के साथ सहयोग किया है।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन योजनाएँ

*281. **श्री रामपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय क्रियान्वित की जा रही विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यात व्यापार में भारी वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अपनायी जा रही रणनीति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) इस समय कार्यान्वित की जा रही निर्यात सवंर्धन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती उत्पादों, संघटकों तथा पूँजीगत माल की शुल्क मुक्त पहुँच की व्यवस्था करना है। शुल्क छूट योजना के तहत अग्रिम लाइसेंसों के तंत्र के जरिए निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है। जो निर्यातक अपनी कच्ची सामग्री स्वदेशी बाजार से प्राप्त करते हैं उन्हें या तो नकद रूप में शुल्क वापसी की सुविधा प्रदान की जाती है या फिर उन्हें शुल्क हकदारी पास बुक योजना तथा शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति योजना के तहत आयातों के जरिए इन निविष्टियों की पुनः पूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के तहत निर्यात उत्पादन हेतु 5% के रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति है। इसके अलावा, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएँ हैं, जिनके तहत शून्य शुल्क पर निविष्टियों के आयात और उनकी पुनःपूर्ति की अनुमति दी जाती है। निर्यातोन्मुख एकक, निर्यात संसाधन क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र निविष्टियों, कच्ची सामग्री, पूँजीगत माल और अन्य सभी जरूरतों के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा के साथ सीमाशुल्क बांडेड क्षेत्र हैं और उन्हें आयकर से प्राप्त लाभों की भी छूट प्राप्त है। ये सभी योजनाएँ आयातों पर प्रतिबंध तथा देश में ब्याज दरों तथा सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क के अपेक्षाकृत उच्च भार की वजह से आवश्यक हैं। इन योजनाओं से निर्यात संवर्धन में पर्याप्त योगदान मिला है। लगभग 80% निर्यात शुल्क मुक्त योजनाओं के जरिए किए जाते हैं जिनसे आयातित कच्ची सामग्रियों पर सीमाशुल्क का संतुलन सुविधाजनक बन जाता है। इ.ओ.यू., ई.पी.जेड. का हिस्सा कुल निर्यातों का लगभग 12% बनता है। निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल योजना के तहत 1990-91 से 1999-2000 की अवधि के दौरान 2,44,582 करोड़ रुपए का निर्यात दायित्व सृजित हुआ है।

एग्जिम नीति की घोषणा के समय प्रत्येक वर्ष निर्यात संवर्धन उपायों की समीक्षा की जाती है और स्थिति की अपेक्षानुसार उनमें आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। वर्तमान नीति का समग्र जोर प्रक्रियागत सरलीकरण के जरिए सौदों के समय और उनकी लागत को कम करने तथा डी.जी.एफ.टी. और सीमाशुल्क कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण तथा निर्यातकों के आवेदनों की आन लाइन फाइलिंग और प्रोसेसिंग के जरिए पारदर्शिता लाने पर रहा है।

[अनुवाद]

मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने संबंधी विचार गोष्ठी

*282. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता में फिक्की द्वारा 'मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना–चुनौतियों का सामना कैसे करें' विषय पर हाल ही में कोई विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विचार गोष्ठी में शामिल लोगों द्वारा की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विचार गोष्ठी में की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) ने 20 फरवरी, 2001 को कोलकाता में 'मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना : चुनौतियों का सामना कैसे करें' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया था।

सेमिनार का प्रमुख उद्देश्य आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों की आसन्न समाप्ति के बारे में सूचना का प्रसार करना था। सेमिनार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के बाद के परिदृश्य में सरकार के विचारार्थ कुछेक रक्षोपायों की सिफारिश भी की गई थी। इन उपायों में शामिल हैं–भारतीय उद्योग की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को तेज करना, सौदों की लागत में कमी करना, विनियमों का सरलीरकण, श्रम कानूनों में सुधार, घरेलू उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आयात शुल्क ढाँचे में परिवर्तन और भारतीय निर्यातों के लिए बाजार पहुँच को बढ़ाने के उपाय करना।

सेगिनार में दिए गए सुझावों को सरकार की जानकारी में लाया गया है। वर्ष 1991 से अपनाई जा रही आर्थिक उदारीकरण की मौजूदा नीति का उद्देश्य भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। उदारीकरण की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2000-2001 के बजट में कुछेक संवेदनशील उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी दल घरेलू उत्पादकों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के संभावित प्रभाव की जाँच कर रहा है, ताकि सरकार द्वारा किए जाने वाले समुचित उपायों का सुझाव दिया जा सके। इस दल ने उपभोक्ता उत्पादों के आयात पर राष्ट्रीय अनिवार्य गुणवत्ता मानकों और लेबलिंग अपेक्षाओं को लागू करने जैसी कुछ अंतरिम सिफारिशें की हैं और इन्हें नवंबर, 2000 में कार्यान्वित किया जा चुका है।

छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की कमी

*283. **श्री अनंत गुटे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में छोटे मूल्यवर्ग के नोटों और न्यायालय के स्टांप पत्रों की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन राज्यों में जहाँ अभी करेंसी नोटों और न्यायालय स्टाम्प पत्रों की कमी है, वहाँ इनकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) एक रुपया, दो रुपए और पाँच रुपए मूल्यवर्ग के करेंसी नोट अब नहीं छापे जाते हैं और जो नोट पहले से चलन में हैं, उनके स्थान पर सिक्के चलाए जाएँगे। महाराष्ट्र राज्य सहित देश में स्टाम्प पेपरों की कोई कमी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात पर पाटन रोधी शुल्क

*284. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात के निर्यात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने के मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने भारत से निर्यातित सी.टी.एल. प्लेटों पर पाटनरोधी तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने के अमरीकी निर्णय के खिलाफ यह मामला डब्ल्यू.टी.ओ. के पास भेज दिया है क्योंकि इस निर्णय से कुछेक डब्ल्यू.टी.ओ. वचनबद्धताओं का उल्लंघन हुआ है। इस प्रक्रिया के पहले कदम के रूप में 21 नवंबर, 2000 को जिनेवा में अमरीकी प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। भारत सरकार द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद निपटान तंत्र के तहत इस विवाद की सक्रियतापूर्वक पहल की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को बंद किया जाना

*285. **श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों की कितनी शाखाएँ बंद कर दी गई हैं;

(ग) उनके बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंक शाखाओं के बंद होने से किसानों एवं ग्रामीण जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बंद/समामेलित/परिवर्तित की गई शाखाओं की संख्या निम्नानुसार है :–

1 अप्रैल से 31 मार्च	बंद की गई शाखाओं की संख्या
1997-98	11
1998-99	10
1999-2000	37

(ग) उदारीकृत नीति के अंतर्गत, जिन केंद्रों में वाणिज्यिक बैंकों की दो या इससे अधिक शाखाएँ कार्यरत हैं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), उन केंद्रों में बैंकों को आपस में परामर्श करके अपनी हानि उठाने वाली ग्रामीण शाखाओं को बंद करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके अलावा, बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपनी ग्रामीण शाखाओं को स्थानान्तरित करने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

(i) स्थानांतरित की जाने वाली शाखाएँ पाँच वर्ष या इससे अधिक समय से अस्तित्व में हैं और उन्हें पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि हो रही है।

(ii) उन केंद्रों पर स्थित शाखाएँ, जिन्हें बैंक के नियंत्रण से परे कतिपय प्राकृतिक जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि वे शाखाएँ जिन्हें बाढ़, भूस्खलन या बाँध के निर्माण के कारण जलमग्न होने की संभावना या प्राकृतिक आपदाओं आदि से प्रभावित होने का खतरा है।

(iii) उन स्थानों पर कार्यरत शाखाएँ, जहाँ कानून एवं व्यवस्था की समस्या या आतंकवादी गतिविधियों से बैंक के कार्मिकों और सम्पत्ति को खतरा है।

(iv) वे शाखाएँ, जहाँ बैंक द्वारा अधिग्रहीत परिसर जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है या जल गया है/नष्ट हो गया है और उस केंद्र/खंड/सेवा क्षेत्र में उपयुक्त परिसर उपलब्ध नहीं है।

हाल ही में, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कमजोर बैंकों की पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत, इन बैंकों को भी उपर्युक्त नीति के अंदर अपनी हानि उठाने वाली कुछ ग्रामीण शाखाओं को बंद करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

(घ) और (ङ) शाखा लाइसेंसिंग से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान नीति के अनुसार, यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र में किसी बैंक की एकल शाखा को बन्द करने की अनुमति नहीं दी जाती है, किन्तु उन्हें शाखा को अनुषंगी कार्यालय में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाती है, जो सप्ताह में 2/3 दिन कार्य करते हैं, ताकि उस केंद्र पर ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। साथ ही, कुछ ग्रामीण केंद्रों पर नई शाखाएँ खोली जा रही हैं। इस प्रकार, यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच बनी रहे। विभिन्न योजनाओं के परिचालन और पहलों के माध्यम से, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और

सहकारी बैंकों द्वारा ग्रामीण बैंकों और कृषि की ऋण संबंधी आवश्यकताएँ पूरी की जा रही हैं।

सिगरेट उद्योग से प्राप्त उत्पाद शुल्क

*286. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सिगरेट कंपनियों और 'डिस्टिलरियों' से कितने उत्पाद शुल्क का संग्रहण किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क की चोरी करने या वास्तविक उत्पादन के गलत लेखे देने के कारण किसी कंपनी को दोषी पाया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचंद्रन) : (क) सिगरेट कंपनियों तथा डिस्टिलरियों से गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वसूल की गई उत्पाद शुल्क की राशि निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01 (नवम्बर-00 तक)
तंबाकू अथवा तंबाकू विकल्पों के सिगरेट और सिगार	4492	4592	4863	3393

* डिस्टिलिरियों में निर्मित उत्पादों में से केवल डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पर ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पर राजस्व आँकड़ा अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	सिगरेट कंपनियों द्वारा अपवंचन के मामले	अपवंचित शुल्क की राशि (लाख रुपए में)	डिस्टिलरियों द्वारा अपवंचन के मामलों की संख्या	अपवंचित शुल्क की राशि (लाख रुपए में)
1997-98	4	4108.14	9	64.75
1998-99	4	801.26	1	0.50
1999-2000	3	211	1	20.82
2000-2001 (दिसम्बर तक)	7	596.38	1	28.00

(घ) कानून सम्मत न्यायनिर्णयन तथा वसूली की कार्रवाई करने के लिए इन इकाइयों को कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का पुनर्गठन

*287. **श्री अधीर चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व संग्रह का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्व संग्रहण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) को पुनर्गठित किया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पुनर्गठन से किस सीमा तक अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी; और

(ङ) राजस्व की कमी को दूर करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचंद्रन) : (क) जी, हाँ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व की वसूली में कमी आने के मुख्य कारणों में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, औद्योगिक क्षेत्र में धीमी प्रगति, अवसंरचना विकास, औद्योगिकीकरण, पूँजी बाजार तथा आवास क्षेत्र हेतु इन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए नए प्रोत्साहन तथा आयातों की पद्धति में परिवर्तन करना हैं।

(ग) आयकर तथा सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभागों को पुनर्गठित किया जा रहा है।

(घ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का पुनर्गठन इनकी कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शिता और दक्षता प्रदान करेगा तथा इससे कर आधार को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त राजस्व बढ़ेगा।

(ङ) राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में दर संरचना को युक्तिसंगत बनाना, कर अनुपालन को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण, रियायतों को समाप्त करना, कर संजाल में और अधिक वस्तुओं को लाना तथा कर आधार को व्यापक बनाना शामिल है।

फिल्म उद्योग और अपराध जगत के बीच सांठ-गांठ

*288. **श्री गुथा सुकेंदर रेड्डी** :
श्री विजय गोयल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि फिल्म उद्योग और अपराध जगत के बीच सांठ-गांठ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस अपवित्र गठबंधन को समाप्त करने एवं फिल्म उद्योग का वित्त पोषण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या फिल्म उद्योग को माफिया गिरोहों से धमकियाँ मिल रही हैं और वह अन्य संकटों से भी जूझ रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' तथा 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए अपराध दर्ज करना, इसकी जाँच करना, पता लगाना तथा इनकी रोकथाम, मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

फिल्म उद्योग को और अधिक मात्रा में सांस्थानिक वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय ने दिनांक 16.10.2000 को अधिसूचना जारी की है जिसके अंतर्गत 'फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग' को आई.डी.बी.आई. अधिनियम की धारा 2(ग) (17) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 'औद्योगिक संस्था' के अंतर्गत एक अनुमोदित कार्यकलाप के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने आई.डी.बी.आई. से मान्य और स्वीकार्य मानक तैयार करने को कहा है ताकि वित्तीय संस्थान फिल्म उद्योग से संबंधित कार्यकलापों को वित्तपोषित कर सकें। आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने आई.डी.बी.आई. सहित भारतीय रिजर्व बैंक से भी इस संबंध में बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश परिचालित करने को कहा है।

मंत्रालय को फिल्म उद्योग से संबंधित नीति एवं अन्य मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार ग्रुप का गठन किया गया है जिसमें फिल्म क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा, फिल्मों सहित मनोरंजन क्षेत्र के विकास के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और इसमें नौ राज्यों के सूचना तथा जनसम्पर्क मंत्री शामिल हैं।

अप्रयुक्त विदेशी सहायता

***289. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज की तारीख के अनुसार विदेशी सहायता की बड़ी राशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी राज्यवार और संस्थानवार कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी सहायता का उचित एवं शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) विदेशी सहायता मुख्यतः परियोजना से सम्बद्ध है और इसलिए किसी परियोजना के लिए स्वीकृत सहायता का उपयोग परियोजना की कार्यान्वयन अवधि के अनुसार किया जाता है। परिणामस्वरूप, किसी समय विशेष में प्रक्रियाधीन सहायता को प्रदर्शित करते हुए कोई ऐसी उपयोग में न लाई गई राशि हो सकती है जिसे परियोजना का कार्यान्वयन होने पर उपयोग में लाया जाएगा।

राज्य-वार तथा स्रोतवार ब्यौरे विवरण-I तथा II में दिए गए हैं।

विदेशी सहायता के उपयोग की गति कभी-कभी क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निधियों की पर्याप्त व्यवस्था न करने, खरीद तथा संविदा संबंधी विलंबों, भूमि अधिग्रहण में विलंब होने और अन्य परियोजना संबंधी विशिष्ट मुद्दों के कारण प्रभावित होती है।

(ग) सरकार द्वारा सहायता राशि के उपयोग हेतु कुछ कदम उठाए गए हैं जो राज्य तथा केंद्र सरकार के बजटों में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने, खरीददारी प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सीधे विदेशी सहायता जुटाने, कार्यकारी एजेंसियों के साथ तिमाही समीक्षा करने, आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंध एकक की स्थापना करने, परियोजना प्रबंध एककों/परियोजना मॉनीटरिंग प्रकोष्ठों को सुदृढ़ करने, राज्यों के लिए केंद्रक अधिकारियों की नियुक्ति और प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्ता के संबंध में परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने से संबंधित हैं। महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापों के संबंध में तिमाही उपलब्धियों के प्रगतिस्तर के आधार पर परियोजनाओं का मॉनीटरिंग करने की व्यवस्था का भी अनुसरण किया जा रहा है।

विवरण-I

दिनांक 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यवार उपयोग में न लाई गई शेष राशि

क्र.सं.	राज्य	अप्रयुक्त शेष (करोड़ रुपए)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9194.53
2.	असम	301.81
3.	बिहार	79.23
4.	केंद्रीय	38960.74
5.	गुजरात	3725.16
6.	हरियाणा	1078.36
7.	हिमाचल प्रदेश	42.92
8.	कर्नाटक	3457.96
9.	केरल	1769.30
10.	मध्य प्रदेश	1493.90
11.	महाराष्ट्र	1292.88
12.	मणिपुर	147.69
13.	मेघालय	61.64
14.	बहुराज्य	2327.48

1	2	3
15.	उड़ीसा	2484.93
16.	पंजाब	140.38
17.	पांडिचेरी	28.68
18.	राजस्थान	2032.05
19.	तमिलनाडु	2023.12
20.	उत्तर प्रदेश	5996.38
21.	पश्चिम बंगाल	2875.56
	जोड़	79513.87

विवरण-II

दिनांक 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत स्रोतवार अप्रयुक्त शेष राशि

क्र.सं.	स्रोत	अप्रयुक्त शेष (करोड़ रुपए)
1.	ए.डी.बी.	7063.73
2.	आई.डी.ए.	17789.44
3.	आई.बी.आर.डी.	15224.13
4.	आई.डी.एफ. (विश्व बैंक)	56.12
5.	आई.एफ.ए.डी.	325.23
6.	ओपेक	94.87
7.	बेल्जियम	22.14
8.	कनाडा	17.65
9.	डेनमार्क	427.42
10.	ई.ई.सी.	1558.46
11.	फ्रांस	137.93
12.	जर्मनी	1606.35
13.	जापान	13774.20
14.	नीदरलैंड	6058.09
15.	नार्वे	56.75
16.	रशिया संघ	11961.60
17.	सऊदी अरब	35.99
18.	स्वीडन	24.87
19.	स्विट्जरलैंड	38.69
20.	यू.एन.डी.पी.	148.55
21.	यू.एन.आई.सी.ई.एफ.	0.00
22.	यू.एन.एफ.पी.ए.	7.19
23.	यूनाइटिड किंगडम	2749.00
24.	संयुक्त राज्य अमेरिका	335.47
	जोड़	79513.87

[हिन्दी]

भारतीय उत्पादों का पेटेंटीकरण

***290. प्रो. रासा सिंह रावत :**
श्री मोइनुल हसन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में भारत सरकार द्वारा पेटेंट सूची तैयार की गई है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों के विरुद्ध दर्ज पेटेंट मामले एवं उन देशों द्वारा भारत सरकार के खिलाफ दर्ज पेटेंट मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले की अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में परंपरागत रूप से तैयार अनेक भारतीय उत्पादों के पेटेंटीकरण के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय उत्पादों का पेटेंट कराए जाने से बचाने के लिए सरकार की क्या नीति है;

(च) क्या सरकार ने उन भारतीय उत्पादों की पहचान की है, जिन्हें अन्य देशों द्वारा पेटेंट कराया जा रहा है;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) आविष्कारक, अपने आविष्कार का अन्य लोगों द्वारा अनाधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए पेटेंट लेते हैं। सरकार पेटेंट कानून के अनुसार उन आविष्कारों के लिए पेटेंटों की मंजूरी देकर सहायता प्रदान करती है, जो कि पेटेंट योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं। भारत में, पेटेंटों की मंजूरी पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के तहत दी जाती है। उक्त अधिनियम की धारा 5 में खाद्य पदार्थों, दवाओं अथवा औषधों एवं रसायन प्रक्रियाओं से उत्पादित पदार्थों के क्षेत्र में आविष्कार करने के लिए पेटेंट परिष्करण की व्यवस्था है। अन्य क्षेत्रों में परिष्कृत और उत्पाद संबंधी दोनों तरह के पेटेंट अनुमत्त हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मंजूर किए गए पेटेंटों के विवरणों का रख-रखाव पेटेंट कार्यालय द्वारा किया जाता है और आँकड़े संबंधी सूचना इसकी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की जाती है, जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी जाती है।

(ख) और (ग) पेटेंटों की मंजूरी संबंधित देश के पेटेंट कानून के अनुसार उसके विशेषाधिकार के तहत दी जाती है और ये प्रादेशिक प्रभाव से युक्त होते हैं अर्थात् ये मंजूरी देने वाले देश के लिए ही प्रभावी होते हैं। सामान्यतया वह (वे) व्यक्ति पेटेंट को चुनौती देते हैं, जिसके (जिनके) हित उससे प्रभावित/खतरे में पड़ जाते हैं। चुनौती संबंधित देश के कानूनों के तहत दी जानी होती है। भारतीय पेटेंट कानून में मंजूरी देने से पहले विरोध करने की व्यवस्था है, जबकि कई अन्य देशों के कानूनों में केवल मंजूरी प्रदान करने के बाद ही विरोध करने की व्यवस्था है। ऐसी कुछ मदें, जिनके

संबंध में पेटेंट प्राप्त करने की सूचना जैसे ही प्राप्त होती है, जो पेटेंट योग्य नहीं समझी जाती हैं और जो भारतीय हितों को नुकसान पहुँचाते हैं, उक्त सूचना के तत्काल बाद संबद्ध देश के पेटेंट कानून के तहत ऐसे पेटेंटों की मंजूरी को चुनौती दिए जाने के बारे में पता लगाने के उपाय किए जाते हैं।

कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में घाव भरने के लिए हल्दी के उपयोग पर पेटेंट की मंजूरी को चुनौती दी गई थी। यह पेटेंट भी रद्द कर दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बासमती चावल और अनाजों के लिए मंजूर किये गये पेटेंटों से संबंधित कुछ दावों को भी चुनौती दी गयी थी, क्योंकि वे भारत के वाणिज्यिक हितों को प्रभावित करने में सक्षम थे। इस चुनौती के फलस्वरूप, पेटेंटकर्ता ने इन दावों के साथ-साथ एक अन्य दावे को भी वापस ले लिया है।

(घ) पेटेंटों के लिए मंजूरी नवीनता के मूल सिद्धांतों को अपनाने, आविष्कारिकता और औद्योगिक उपयोगिता के आधार पर दी जाती है। पहले से मौजूदा उत्पाद, जिनमें परंपरागत उपज भी शामिल है, उक्त उत्पाद पेटेंट दिए जाने संबंधी विषय नहीं हो सकते हैं।

(ङ) से (ज) जैव-संसाधनों को संरक्षण देने के लिए पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 में भारत में पेटेंट हेतु आवेदन करते समय आविष्कार में प्रयुक्त जैव-सामग्री की भौगोलिक उत्पत्ति एवं स्रोत का खुलासा अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान निहित है। उक्त विधेयक में ऐसे उपबंध भी शामिल हैं जिनके तहत खुलासा न देने अथवा वह खुलासा गलत पाए जाने की स्थिति में उसका विरोध करने और यदि पेटेंट को मंजूरी मिल चुकी हो तो उसे रद्द करने की व्यवस्था है। इसके बारे में उपबंध उक्त विधेयक के खंड 8, 17 और 28 में दिए गए हैं।

पेटेंट प्रदान किए जाने संबंधी परंपरागत ज्ञान का संरक्षण किए जाने हेतु, पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 में मौखिक ज्ञान सहित उपलब्ध स्थानीय ज्ञान से आविष्कार की प्रत्याशा को शामिल करने के लिए आवश्यक उपबंधों का समावेश कर दिया गया है, जो कि पेटेंट का विरोध करने और उसे रद्द करने के आधार होंगे। इस बारे में उपबंध उक्त विधेयक के खंड 17 व 28 में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने औषधि वनस्पति के क्षेत्र में परंपरागत ज्ञान के अंकीय आँकड़ा आधार विकसित करने के लिए भी अनुमति दे दी है जिससे उक्त ज्ञान के आधार पर उत्पादों के पेटेंटीकरण को रोका जा सकेगा।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का प्रतिशत

*291. **श्री जी.एस. बसवराज :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में 8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि संभव नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आयोग द्वारा किए जा रहे अध्ययन से उन कारणों का पता चला है जिससे सकल घरेलू उत्पाद की ऊँची विकास दर प्राप्त नहीं की जा सकती;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आर्थिक विकास की संभावनाओं पर योजना पैनेलों की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) तैयार करने की कार्रवाई अभी-अभी शुरू की है। इन कार्रवाइयों के एक भाग के रूप में वैकल्पिक विकास परिदृश्यों की जाँच की जा रही है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा निजी निर्माताओं को लगाया जाना

*292. **श्री नवल किशोर राय :**
डा. सुशील कुमार इंदौरा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए कार्यक्रमों के निर्माण में निजी निर्माताओं को तैनात करने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निजी निर्माताओं को दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए कार्यक्रमों के निर्माण की अनुमति दी जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन निजी निर्माताओं द्वारा निर्माण किए जा रहे कार्यक्रमों की प्रतिशतता क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) प्रसार भारती के अनुसार दूरदर्शन निम्नलिखित परिस्थितियों में निजी निमार्ताओं को अनुबंधित करता है :

(1) चैनल के लिए साफ्टवेयर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

(2) अभिलेखीय महत्त्व की साहित्यिक तथा अन्य रचनात्मक कला कृतियों के संरक्षण के उद्देश्य से और विभिन्न चैनलों की कार्यक्रम विषय वस्तुओं के सवंर्धन के लिए भी।

(3) जनहित के विषयों पर कार्यक्रमों के लिए, जो अन्यथा दूरदर्शन को उपलब्ध नहीं हो पाएँगे।

(4) अंतर्राष्ट्रीय विपणन परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भी कार्यक्रम तैयार करवाए जाते हैं।

जहाँ तक आकाशवाणी का संबंध है, इसके अधिकांश कार्यक्रम स्वयं बनाए जाते हैं। तथापि, बाहर की प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए कुछ कार्यक्रम निजी निर्माताओं को सौंपे जाते हैं।

निजी निर्माताओं द्वारा निर्मित कार्यक्रमों की प्रतिशत मात्रा चैनलों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए चैनल-चैनल के अनुसार बदलता रहता है।

[अनुवाद]

टायरों के लिए जाँच संबंधी मानक

*293. **श्री चंद्र भूषण सिंह** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय टायर विक्रेता संघ (आल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन) ने सरकार से अन्य देशों के मानदंडों के अनुसार कठोर और भरोसेमंद टायर जाँच मानक बनाने एवं उन्हें लागू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई.एस.आई. चिह्न (मार्क) वाले टायर अंतर्राष्ट्रीय मानकों से काफी कम मानक के हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टायरों के लिए भारतीय मानक अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पाँचवाँ वेतन आयोग

*294. **श्री रतन लाल कटारिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार द्वारा पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण राज्यों के वित्तीय बोझ में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय पैकेज प्रदान करने वाले किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि पाँचवें वेतन आयोग के प्रभाव ने राज्यों के बजटीय संतुलन को बदतर बना दिया है।

(ग) और (घ) अधिनिर्णय अवधि के दौरान केंद्र और राज्य की आवश्यकताओं और संसाधनों के समग्र आकलन के पश्चात् ही ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) ने राज्यों को अन्तरणों की सिफारिश की थी। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा इसके विचारार्थ विषयों में पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप राज्य के सरकारी कर्मचारियों के परिलब्धियों और अन्तस्थ (टर्मिनल) लाभों इत्यादि के कारण उत्पन्न अतिरिक्त देनदारियों को भी ध्यान में रखा गया था। ई.एफ.सी. ने राज्यों के राजस्व और व्यय जरूरतों का आकलन किया है और 2000-05 की अवधि के दौरान राज्यों को 434905.40 करोड़ रुपयों के अंतरण की सिफारिश की है। यह दसवें वित्त आयोग द्वारा 1995-2000 की अवधि के लिए संस्तुत अंतरणों की तुलना में 91.89 प्रतिशत ज्यादा है।

ग्यारहवें वित्त आयोग के अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में राज्यों को उनके राजकोषीय निष्पादन पर आधारित अनुदानों के अंतरण के लिए एक प्रोत्साहन निधि गठित किए जाने की सिफारिश की है। अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुक्रम में राज्यों के लिए एक 'राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा (2000-01 से 2004-05)' परिचालित कर दी गई है।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा जारी किया जाना

*295. **डा. रामचंद्र डोम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक कार्य के लिए किसी व्यक्ति के ठहरने की अवधि को नजरअंदाज कर 25,000 अमरीकी डालर से अनधिक विदेशी मुद्रा जारी करने की योजना 1 जून, 2000 से प्रभावी हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने नई योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की निकासी का आकलन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो पिछले वर्ष के लिए तुलनात्मक आँकड़ों की तुलना में पुनरीक्षित आदेश के अंतर्गत दिसम्बर, 2000 तक विदेशी मुद्रा की निकासी के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(घ) क्या नई योजना से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में ह्रास होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) चूँकि किसी व्यक्ति को व्यावसायिक दौरे के लिए उसके ठहरने की अवधि पर ध्यान दिए बिना 25,000 अमरीकी डालर की अनुमति देने का उदार दृष्टिकोण केवल 9 महीने से थोड़ा अधिक ही प्रचालन में रहा है इसलिए अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत बहिर्गमित राशि के संबंध में परिकलन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय रिजर्व बैंक की नई ऋण नीति

*296. **श्री जयभान सिंह पवैया**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक नई ऋण नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी उद्देश्य क्या है और पिछली नीति के मुकाबले इसमें किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई नीति का आर्थिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) वर्तमान पद्धति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी वार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति अप्रैल में और नीति की मध्यावधिक संवीक्षा अक्तूबर में घोषित करता है। वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा 27 अप्रैल, 2000 को की गई जबकि नीति की मध्यावधिक संवीक्षा की घोषणा 10 अक्तूबर, 2000 को की गई। इसलिए प्रश्न में संदर्भित नई ऋण नीति वर्ष 2001-2002 से संबंधित है जिसके अप्रैल, 2001 में घोषित किए जाने की संभावना है। लेकिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर उपयुक्त मौद्रिक एवं ऋण नीति उपाय करता है। इस प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की हाल ही की घटनाक्रम की संवीक्षा करने के पश्चात् 16 फरवरी और 1 मार्च, 2001 को निम्नलिखित उपाय किए हैं।

16 फरवरी, 2001

(i) 17 फरवरी, 2001 से बैंक दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करना।

(ii) 24 फरवरी, 2001 से प्रारम्भ हुए पखवाड़े से नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सी.आर.आर.) को 8.50 प्रतिशत से घटाकर 8.25 प्रतिशत और 10 मार्च, 2001 से प्रारंभ पखवाड़े से 8 प्रतिशत करना।

1 मार्च, 2001

2 मार्च, 2001 से बैंक दर को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 7.0 प्रतिशत करना।

(ग) बैंक दर में हुई कमी की प्रतिक्रिया में कई बैंकों ने अपनी प्रधान ऋण दरों (पी.एल.आर.) में कमी की घोषणा की है। सी.आर.आर. 8.5 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत हो जाने से बैंकों के ऋण-देने योग्य संसाधनों में लगभग 4100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। निधियों की लागत में कमी और नकदी निधि में वृद्धि होने के साथ-साथ ब्याज दरें कम हो जाने से उत्पादन की लागत में कमी होने और इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास में योगदान मिलने की आशा है।

फैशन टी.वी. चैनल पर रोक लगाना

*297. **मोहम्मद अनवारूल हक :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फैशन टी.वी. चैनल पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन की आवश्यकता पर कार्यक्रम निर्माताओं से बात की है। कार्यक्रम निर्माताओं ने इनके अनुपालन का आश्वासन दिया है।

खाद्यान्नों की कमी वाले राज्य

*298. **श्री वी.एम. सुधीरन** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपनी वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली नीति के कारण केरल जैसे खाद्यान्न की कमी वाले राज्यों की कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में केरल और अन्य राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) केरल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए दिनांक 7.3.2000 को केरल सरकार ने खाद्य, पर्यटन और कानून मंत्री, भारत सरकार को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखा था कि राशन की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करने के बारे में बजट 2000-01 में किए गए प्रस्तावों पर पुनर्विचार करें। बाद में केरल सरकार ने खाद्य, पर्यटन और कानून मंत्री, ने दिनांक 17.4.2000 को एक कार्यालय ज्ञापन भी भेजा था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया कि गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी को आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों के लिए आर्थिक लागत लेने, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के मूल्य आर्थिक लागत के 50% तक बढ़ाने और चीनी की आपूर्ति को गैर-आयकरदाताओं तक सीमित करने के भारत सरकार के हाल के निर्णय से राज्य में राशनिंग प्रणाली को बड़ा धक्का लगा है। जनवरी, 2001 में केरल के मुख्य मंत्री, ने भी प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था कि गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए चीनी का वितरण समाप्त करने संबंधी संघ सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए।

राज्य सरकार को 14.6.2000 को सूचित किया गया था कि चावल और गेहूँ के केंद्रीय निर्गम मूल्यों को समय-समय पर बढ़ाना आवश्यक है ताकि धान और गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि को निष्प्रभावी किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी को उपभोक्ता राजसहायता के रूप में सहायता की आवश्यकता नहीं है, 1.4.2000 से गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए खाद्यान्नों का आवंटन आर्थिक लागत पर बनाए रखा गया है और यह कि गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के 100% पर निर्धारित करने से सरकार गरीबी रेखा से नीचे के

परिवारों के लिए आपूर्ति को अधिक सार्थक ढंग से लक्षित कर सकती है। केरल सरकार को यह भी सूचित किया गया था कि केरल के लिए चावल और गेहूँ का मासिक आवंटन (गरीबी रेखा से नीचे गरीबी रेखा से ऊपर) क्रमशः 1,45,320 टन और 37,720 टन पर मार्च, 2000 के स्तर पर बहाल किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि जहाँ तक चीनी की आपूर्ति का संबंध है, 1.1.2000 से घरेलू चीनी उत्पादकों का लेवी दायित्व घटाकर 30% करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की आपूर्ति को बेहतर रूप से लक्षित करने के लिए सरकार ने 1.7.2000 से आयकर निर्धारितियों और उनके परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर कर दिया है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए घरेलू चीनी उत्पादकों के लेवी दायित्व को 1.2.2001 और कम करके 15% कर देने के परिणामस्वरूप सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों/पहाड़ी राज्यों/द्वीप समूहों को छोड़कर शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी की आपूर्ति को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सीमित कर दिया है। उत्तर पूर्वी राज्यों/पहाड़ी राज्यों/द्वीप समूहों में मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। तथापि, सरकार ने 1.2.2001 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र व्यक्तियों के लिए चीनी की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आपूर्ति 425 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम प्रति माह कर दी है। फिलहाल, केरल के लिए लेवी चीनी का आवंटन 4103 टन प्रति माह है। केंद्र सरकार समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आवंटन कर रही है।

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ

*299. **श्री प्रभात सामंतराय :**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों से बड़ी मात्रा में राजस्व का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्व नुकसान के लिए उत्तरदायी कारक कौन-से हैं;

(घ) क्या राजस्व नुकसान को रोकने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्द्धन प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत किए गए आयात पर कोई रोक लगाई गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचंद्रन) : (क) और (ख) इ.ओ.यू. योजना में निर्यात उत्पादन हेतु मूलतः स्थापित इकाइयों द्वारा वांछित निविष्टियों/पूँजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात/देश में प्राप्ति की व्यवस्था है। निर्यातों को बढ़ावा देने की सरकार की सजग नीति स्वरूप निर्यात उत्पादन हेतु प्रयुक्त निविष्टियों/पूँजीगत वस्तुओं पर उठाए गए शुल्क नुकसान को प्रभावहीन करने के लिए ये लाभ दिए जाते हैं और इनके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि इनसे राजस्व का नुकसान होता है। उक्त योजना के उपबंधों को लागू करने तथा इसके दुरुपयोग, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए नियंत्रण उपाय तथा जाँच की व्यवस्था की गई है। विभिन्न शत-प्रतिशत निर्यातमूलक इकाइयों द्वारा इस योजना के उपबंधों के दुरुपयोग तथा उल्लंघन के कुछ मामलों का पता चला है।

(ग) इस योजना के दुरुपयोग अथवा उल्लंघन वाले मामलों की जाँचों से विभिन्न कार्य-प्रणालियों तथा इसके लिए उत्तरदायी कारणों का पता चलता है जिसमें इकाइयों द्वारा निर्धारित विभिन्न कागजातों और अभिलेखों में धोखाधड़ी और शरारतपूर्ण फेरबदल करना, विश्वास को तोड़ना तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कागजातीय नियंत्रण प्रणाली पर बल देते हुए वास्तविक नियंत्रण पर दी जाने वाली रियायती सुविधा का दुरुपयोग करना शामिल है।

(घ) क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष निर्देश जारी करके समय-समय पर विशेष जाँच की गई है ताकि शत प्रतिशत निर्यातमूलक इकाइयों द्वारा किए गए आयातों के सम्यक उपयोग की जाँच की जा सके। जाँच संबंधी अद्यतन आदेश दिसंबर, 2000 में जारी किए गए थे। निर्यात संबंधी अन्य योजनाओं के अधीन लाभ का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए आयातों और निर्यातों के लिए भी सीमाशुल्क गृहों द्वारा आयातों/निर्यातों के समय समीक्षात्मक जाँच की जाती है ताकि दुरुपयोग की संभावनाओं/राजस्व के नुकसान को रोका जा सके। राजस्व विभाग की आसूचना एजेंसियाँ इसके लिए भी चौकस रहती हैं कि निर्यात संबंधी विभिन्न योजनाओं के उल्लंघनों और किसी तरह के दुरुपयोग का भंडाफोड़ किया जा सके और राजस्व के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए कानून में यथाउपबंधित आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके।

(ङ) शत प्रतिशत निर्यातमूलक इकाई योजना के संबंध में विभिन्न जाँच के परिणामस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 208 मामलों का पता लगाया गया है जिसमें 326 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है। निर्यात संबंधी विभिन्न दूसरी योजनाओं के तहत की गई जाँच-पड़ताल के परिणामस्वरूप दुरुपयोग के कई अन्य मामलों का भी पता चला है। ये मामले जाँच/न्यायनिर्णयन के विभिन्न चरणों में हैं। उन सभी मामलों में कार्रवाई की जाती है जिनमें दुरुपयोग का पता चलता है।

अनुप्रयोज्य आस्तियाँ

*300. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकिंग उद्योग की अनुप्रयोज्य आस्तियों का आकलन करने के लिए सरकारी बैंकों के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर बैठक में चर्चा हुई; और

(ग) अनुप्रयोज्य आस्तियों की शीघ्र वसूली के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने अन्य बातों के साथ-साथ जुलाई, 2000 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए संशोधित मार्गनिर्देशों के अधीन अनुप्रयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) की वसूली की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 14 फरवरी, 2001 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ एक बैठक की थी।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को परामर्श दिया गया था कि वे शेष अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2001 तक, जिस तारीख तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित मार्गनिर्देश लागू हैं, अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली पर अपना व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित करें। इसके अतिरिक्त, बैंक अनुप्रयोज्य आस्तियों की शीघ्र वसूली के लिए वसूली नीति के सख्ती से कार्यान्वयन, ऋण वसूली अधिकरणों के साथ मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई, बैंक के विभिन्न स्तरों पर निष्क्रिय उपाय भी कर रहे हैं।

राष्ट्रीय मजदूरी नीति

*301. **श्री जी. गंगा रेड्डी :**
श्री के. येरननायडू :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख मजदूर संघों ने एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाए जाने की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार रुग्ण इकाइयों को पुनः अर्थक्षम बनाने और देश में बढ़ रही बेरोजगारी को रोकने के लिए एक त्रिपक्षीय प्रकोष्ठ गठित करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मजदूरी नीति से संबंधित मुद्दों पर विगत वर्षों में विभिन्न मंचों पर श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श होता रहा है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, सामयिक भुगतान, पुरुषों और महिलाओं के बीच मजूदरी की दरों में भेदभाव न किए जाने जैसे राष्ट्रीय मजदूरी नीति के ढाँचे के प्रमुख तत्वों का संचालन क्रमशः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 जैसे कानूनों द्वारा होता है।

(ग) और (घ) उल्लेखित मामलों के संदर्भ में त्रिपक्षीय विचार-विमर्श की प्रक्रिया मंत्रालय के कार्यकरण में उपलब्ध है। अतः त्रिपक्षीय प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

विमानपत्तन सुरक्षा प्रबंध

*302. **श्री गंता श्रीनिवास राव :**
श्री बी.के. पार्थसारथी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कन्धार विमान अपहरण घटना के एक वर्ष बाद भी अभी तक नेपाल सरकार के साथ विमानपत्तन सुरक्षा प्रबंधों के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस संबंध में 27 दिसंबर, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) और (ख) काठमांडू से उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइंस के विमानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में इंडियन एयरलाइंस ने नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण के साथ एक समझौता किया है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) विमान अपहरण की घटना के पश्चात् त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने तथा भविष्य में किसी प्रकार की चूक की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक दल को काठमांडू भेजा था। इस दल की सिफारिशों को महामहिम नेपाल सरकार के ध्यान में लाया गया, जो पहले ही दल द्वारा संस्तुत बहुत से उपाय कर चुके हैं। इंडियन एयरलाइंस ने भी काठमांडू हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए दल द्वारा सुझाए गए कई मानकों को कार्यान्वित किया जिसमें भूमि पर विमानों की पहुँच नियंत्रण को कड़ा करना, यात्रियों की शत प्रतिशत जाँच और विमान में चढ़ने से पूर्व सीढ़ी में उनके द्वारा हाथ में लिए हुए सामान की जाँच किया जाना शामिल है।

देश में विद्यमान एक्सप्रेस मार्ग परियोजनाएँ

*303. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान एक्सप्रेस मार्ग परियोजनाओं का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय निर्माणाधीन एक्सप्रेस मार्ग परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा और उनकी लागत कितनी-कितनी है तथा उन पर अब तक कितना व्यय हुआ है?

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ और राजमार्गों का विकास एक्सप्रेस मार्गों के रूप में करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए

जिम्मेदार है। एक्सप्रेस मार्ग सीमित पहुँच वाले उच्च गति के विभाजित राजमार्ग हैं और विभिन्न स्थानों पर पार करने के लिए चौराहा बनाने वाली सभी सड़कें बनाई जाती हैं। केंद्र सरकार ने गुजरात में अहमदाबाद से बड़ोदरा तक एक एक्सप्रेस मार्ग परियोजना ही शुरू की है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा स्वयं भी कुछ एक्सप्रेस मार्ग परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।

(ग) 93 कि.मी. लंबे अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग की कुल अनुमानित लागत 680 करोड़ रु है। इस परियोजना पर अब तक 261 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं और इसे दिसंबर, 2003 पूरा किया जाना है।

(घ) और (ङ) दिल्ली और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के दिल्ली-गुड़गाँव खंड और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के पाल्सित-धनकुनी खंड को एक्सप्रेस मार्ग मानक में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

खेतिहर मजूदरों संबंधी केंद्रीय विधान

*304. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री लक्ष्मण सेठ :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में खेतिहर मजदूरों के लिए एक केंद्रीय विधान लाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खेतिहर मजदूरों की मजदूरी और रोजगार की सुरक्षा समेत उनके कल्याण हेतु देश भर में आरंभ किए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों और क्रिया-कलापों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) खेतिहर मजदूरों के रोजगार का विनियमन, मजदूरी, विवाद निपटान और कल्याण उपाय इत्यादि के लिए एक केंद्रीय विधान अधिनियमित किए जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन रहा है। इस संबंध में राज्य के श्रम मंत्रियों की बैठकों तथा अन्य विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इस संबंध में निश्चित अभिमत नहीं होने की स्थिति में अब खेतिहर मजदूरों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

दुर्घटना में मारे गए श्रमिकों को मुआवजा

*305. **श्री निखिल कुमार चौधरी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाघडिगी कोयला खान में हुई दुर्घटना खान सुरक्षा महानिदेशालय की लापरवाही के कारण हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त दुर्घटना में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों के लिए सरकार द्वारा क्या कल्याणकारी उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सुरक्षा में हुई चूकों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) श्रम मंत्रालय में खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 2.2.2001 की वाघडिगी कोयला खान दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जाँच करने तथा दुर्घटना के कारणों की जिम्मेदारी तय करने के लिए न्यायमूर्ति श्री गुरुशरण शर्मा, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में 1.3.2001 को जाँच न्यायालय गठित किया है। जाँच न्यायालय को अपना कार्य पूरा करने के लिए तीन माह का समय दिया गया है। जाँच कार्य पूरा होने के बाद ही दुर्घटना के कारणों और सुरक्षा खामियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना संभव हो सकेगा।

जहाँ तक उक्त दुर्घटना में मृत श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजे का संबंध है स्थिति यह है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक क्षतिपूर्ति के अलावा मृत कर्मकारों के आश्रितों को निम्नलिखित भुगतान/लाभ प्रदान करने के निर्णय लिए गए हैं :

- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में एक आश्रित को नौकरी।
- प्रत्येक को 1.25 लाख रुपए के हिसाब से अनुग्रह राशि।
- 4.0 से 5.5 लाख रुपए तक अनुदान एवं भविष्य निधि।
- देय परिवार पेंशन।
- अंत्येष्टि व्यय, तदर्थ भुगतान और देह हितकारी निधि।

[अनुवाद]

हिन्द महासागर के ऊपरी वातावरण में प्रदूषण

*306. **श्री सईदुज्जमा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर के ऊपरी वातावरण में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारत और विदेश में किए गए अध्ययनों के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या ऐसे वायु प्रदूषण में और अधिक वृद्धि हाल ही में इंडोनेशिया/मलेशिया में मनुष्यों द्वारा वन में लगाई गई आग के कारण हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से 'इंडियन ओशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट' (इंडोएक्स) पर किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि हिन्द महासागर में काली धुंध छाई हुई है जो वर्ष दर वर्ष अलग-अलग तरह की हो सकती है। इस बात

के निर्णायक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे संकेत मिलता हो कि हिन्द महासागर में इंडोनेशिया/मलेशिया के वनों में लगी आग से वायु प्रदूषण पर प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

"गंगा कार्य योजना संबंधी समितियाँ"

*307. **श्री तूफानी सरोज** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें गंगा कार्य योजना के क्रियान्वयन के प्रति उदासीन रवैया अपनाती रही हैं और अभी तक नागरिक निगरानी समितियाँ भी गठित नहीं की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन राज्यों ने अभी तक ऐसी समितियाँ गठित नहीं की हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) गंगा कार्य योजना जो कि पाँच राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली तथा हरियाणा में कार्यान्वित की जा रही है, के अंतर्गत गंगा तथा इसकी सहायक नदियों नामतः यमुना, गोमती तथा दामोदर के संबंध में प्रदूषण उपशमन कार्य शामिल हैं। गंगा कार्य योजना जिन शहरों में कार्यान्वित की जा रही है तथा जिन शहरों में नागरिक निगरानी समितियों का गठन किया गया है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	राज्य	उन शहरों की संख्या जहाँ गंगा कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है	उन शहरों की संख्या जहाँ नागरिक निगरानी समितियों का गठन किया गया है
1.	उत्तर प्रदेश	33	33
2.	पश्चिम बंगाल	42	14
3.	बिहार	22	0
4.	दिल्ली	1	0
5.	हरियाणा	12	6
	कुल	110	53

कुछ शहरों में नागरिक निगरानी समितियाँ गठित न किए जाने के कारण ये हैं : (1) कई शहरों में कार्य शुरू किए जाने हैं, (2) उन स्थानीय निकायों के चुनाव काफी समय से नहीं हुए हैं जिनके अंतर्गत ऐसी समितियाँ गठित की जानी हैं, तथा (3) कुछ विद्यमान नागरिक निगरानी समितियों में एक से अधिक शहर शामिल हैं। सरकार ने समय-समय पर इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया है। दिनांक 13.3.2001 को आयोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की बैठक में भी इस मामले की पुनरीक्षा की गई थी जिसमें नदी की अधिक प्रभावी तरीके से सफाई करने के लिए कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

बाल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी

*308. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार बाल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु कोई विधेयक लाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना हेतु स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन विशेष विद्यालयों में राज्यवार कितने बाल श्रमिकों का नाम दर्ज किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) देश में बाल श्रम पर तथ्यात्मक जानकारी दसवार्षिक जनगणना के द्वारा एकत्र की जाती है। 1981 की जनगणना के अनुसार, कामकाजी बच्चों की अनुमानित संख्या 13.6 मिलियन थी जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार देश में कामकाजी बच्चों की संख्या अनुमानतः 11.28 मिलियन है।

(ख) जी, नहीं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कुछ व्यवसायों के लिए कामकाजी बच्चों के लिए न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान पहले ही विद्यमान हैं।

(ग) और (घ) समस्त बच्चों के लिए सर्वव्यापी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए दिनांक 28 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में सरकार ने एक विधेयक पुनःस्थापित किया है।

(ङ) और (च) विगत दो वर्षों के दौरान बाल श्रमिकों के लिए विशेष विद्यालय तथा क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम	जिलों का नाम (जिनके लिए पिछले दो वर्षों के दौरान बाल श्रम परियोजनाएँ मंजूर की गईं)	शामिल किए जाने वाले बच्चों की संख्या
1	2	3
मध्य प्रदेश	रायगढ़	1000
	ग्वालियर	2000
	उज्जैन	2000
आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद	2000
	महबूब नगर	2000

1	2	3
कर्नाटक	बंगलौर ग्रामीण जिला	2000
उड़ीसा	बालासोर	2000
	कटक	2000
पंजाब	अमृतसर	2000
	जालंधर	1350
	लुधियाना	2000
राजस्थान	टोंक	1000
	जोधपुर	1000
	अजमेर	1000
	अलवर	2000
तमिलनाडु	तिरूनेलवेली	2500
उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर (खुर्जा)	2000
	इलाहाबाद	2000
	सहारनपुर	2000
	आजमगढ़	2000
	कानपुर नगर	2000
पश्चिम बंगाल	मुर्शीदाबाद	2000
	कोलकाता	2000

[अनुवाद]

विमानों द्वारा भेजे जाने वाला सामान (एयर कारगो)

*309. **श्री चंद्र भूषण सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री माल भाड़ा और एक्सप्रेस उद्योग एयर कारगो के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा एयर कारगो को अधिक आकर्षक और कार्यकुशल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में आगामी दशक में एयर कारगो यातायात में कितनी वार्षिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान है; और

(घ) सरकार द्वारा एयर कारगो सेवाओं में और वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) एयर कारगो को और अधिक आकर्षक और दक्ष बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित बड़े कदम उठाए हैं :

1. एयर कारगो सेक्टर में मुक्त गगन नीति को आरंभ करना।
2. चार महानगरीय हवाई अड्डों पर एकीकृत कारगो प्रबंध प्रणाली (आई.सी.एम.एस.) आरंभ करना।
3. अन्य एजेंसियों के कंप्यूटरों के एकीकृत होने की दृष्टि से इलेक्ट्रानिक डाटा आदान-प्रदान की व्यवस्था करना।
4. चार महानगरीय हवाई अड्डों पर एक एकीकृत सामान्य उपयोगकर्ता टर्मिनल का निर्माण करना।
5. दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई हवाई अड्डों पर शीघ्र खराब होने वाले कारगो के लिए केंद्रों की स्थापना करना।
6. (डिमुरेज फ्री पीरियड) विलंब शुल्क की अवधि को 2 दिन से बढ़ाकर 5 दिन करना।
7. निर्यात और आयात कार्यकलापों के लिए शहर की ओर से प्रचालनों के लिए कार्यशील घंटों में वृद्धि तथा इन्हें मिलाना।

(ग) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के चार महानगरीय हवाई अड्डे के लिए, जहाँ से 90 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय विमान कारगो यातायात वहन किया जाता है, एयर कारगो के अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर आने वाली दशाब्दी में लगाया गया अनुमान 7.3 प्रतिशत है।

(घ) एयर कारगो सेवाओं में और आगे वृद्धि करने की दृष्टि से, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए जाने की योजनाएँ बनाई हैं :–

1. महानगरीय हवाई अड्डों को दीर्घावधिक पट्टे के आधार पर देना जिससे सेवाओं के स्तर में और प्रबंधकीय दक्षता में सुधार करके कारगो प्रचालनों को शामिल करना होगा।
2. निजी एयरलाइनों द्वारा कारगो मालगोदाम।

नए विमानों की खरीद

*310. **श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री अनंत नायक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया ने निकट भविष्य में अधिक विमानों/एयरबसों को शामिल कर अपने बेड़े का और विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शामिल किए जाने वाले विमानों/एयरबसों की संख्या कितनी है तथा इन्हें शामिल किए जाने से कौन से उड़ान क्षेत्र लाभान्वित होंगे;

(ग) इन विमानों के अधिग्रहण में कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(घ) नए विमानों की खरीद के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या छोटे विमानों को खरीदने एवं पुराने बोइंग विमानों को बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (च) अभी तक एअर इंडिया की किसी नए विमान को खरीदने की कोई निश्चित योजना नहीं है। इसके बदले इसने अपने मार्गों तथा यात्री वहन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से ड्राइलीज आधार पर 4ए 310-300 विमान लेने का निर्णय किया है।

जहाँ तक इंडियन एयरलाइंस की बात है, बोइंग 737 और ए-300 विमान बेड़े को बदलने के लिए विमान की किस्म और संख्या की पहचान करने के लिए मूल्याँकन अध्ययन जारी है और किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा गया है इंडियन एयरलाइंस अपने बोइंग विमान बेड़े को बदलने के लिए भी उपयुक्त विमान की किस्म के बारे में विचार कर रही है।

नए विमानों की खरीद के लिए अपनाई गई क्रिया विधि निम्नानुसार है :–

1. सीट और क्षमता धारिता के मामले में विमानों की क्षमता अपेक्षा की पहचान की गई है;
2. खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या और उन्हें लगाए जाने का क्षेत्र निर्धारित हो चुका है;
3. मूल्याँकन का तकनीकी मानदंड मानकीकृत है;
4. तत्पश्चात् वित्तीय बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं और सर्वाधिक उपयुक्त विमान का निर्धारण करने के लिए तकनीकी-आर्थिक मूल्याँकन किया जाता है;
5. विभागीय समिति की सिफारिश, संबंधित बोर्ड की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती है और उसके बाद सरकार की स्वीकृति ली जाती है; और
6. निविदा के बाद विचार-विमर्श के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन वैमानिक मूल्याँकन करते समय किया जाता है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा

*311. **श्री मानसिंह पटेल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा देने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन विमानपत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिया गया था;

(ग) क्या सरकार का कुछ और विमानपत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा देने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस प्रकार घोषित सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में ऐसे विमानपत्तनों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ विद्यमान हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी सुविधाओं से वंचित विमानपत्तनों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए पर्याप्त माँग, सीमा-शुल्क, आव्रजन और स्वास्थ्य सुविधाएँ और उपयुक्त टर्मिनल सुविधाओं सहित हवाई पट्टी का न्यूनतम 9000 फुट तक होना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने के लिए खास-खास मानदंड हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में बंगलौर, गोवा, हैदराबाद, गुवाहाटी, अमृतसर, अहमदाबाद और नेदुम्बसेरी में नए कोचीन हवाई अड्डे को पिछले तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित किए गए हैं।

(ग) और अधिक हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) गुवाहाटी हवाई अड्डे को छोड़कर सभी (अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुविधाएँ मौजूद हैं। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क और आव्रजन सुविधाएँ नहीं हैं और जैसे ही एयरलाइनें अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन आंरभ करेंगे तब उसी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

पशु और पक्षियों की मृत्यु

*312. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** :
श्री पी.डी. एलानगोवन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक पक्षियों सहित बड़ी संख्या में वन्य पशु जैसे बाघ, बाघिन, भालू, गैंडा मारे गए हैं या मर गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और श्रेणीवार और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान/अभयारण्य-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि कोई जाँच करवाई गई है तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा प्रत्येक घटना में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) नौवीं योजना हेतु बाघ परियोजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(ङ) इन पशुओं एवं पक्षियों के उद्यानों और अभयारण्यों में संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) वैज्ञानिक प्रबंधन के अभाव के कारण अब तक कितने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान बंद किए जा चुके हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इन पशु-पक्षियों के उपचार एवं देखभाल के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित चिकित्सक उपलब्ध कराने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में बाघों और गैंडों के अवैध शिकार के संबंध में पता लगाए गए मामले विवरण-I में दिए गए हैं। भालू के अवैध शिकार संबंधी मामलों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। भालू के संबंध में राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में पक्षियों के अवैध शिकार संबंधी घटनाओं की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पक्षियों के अवैध शिकार/जहर से मारने संबंधी अधिकतर मामले सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर से प्रकाश में आए हैं :–

बाघ, गैंडा, भालू तथा पक्षियों की मृत्यु संबंधी चिड़ियाघर-वार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। जबकि बाघों, गैंडों तथा भालुओं की प्राकृतिक मौत संबंधी आँकड़ा एकत्र किया जा रहा है तथा सदन के पटल पर रख दिया जाएगा, पक्षियों के संबंध में आंकड़ा संकलित नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिकतर मृत पक्षी परभक्षण तथा अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रकृति में मिल जाते हैं।

(ग) जब भी किसी अवैध शिकार संबंधी मामले का पता चलता है, इसमें जाँच करने तथा अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी विभिन्न राज्यों के वन विभाग की होती है। भारत सरकार ने पूछताछ के लिए निम्नलिखित मामले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे हैं :–

i. 18.12.1999 को उत्तर प्रदेश सीमा स्थित साहिबाबाद में बाघ की 3 खालें, तेंदुए की 50 खालें तथा ओट्टर की 5 खालें जब्त किया जाना।

ii. 12.1.2000 को खागा में बाघ की 4 खालें, तेंदुए की 70 खालें, तेंदुए के 18000 पंजे, बाघ के 132 पंजे तथा काले हिरण की 221 खालें जब्त किया जाना।

iii. 6.5.2000 को हल्दवानी में तेंदुए की 50 खालें जब्त किया जाना।

iv. 21.5.2000 को हल्दवानी में तेंदुए की 30 खालें जब्त किया जाना।

v. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 2.2.2001 को दिल्ली में 70 खालें जब्त कीं इनमें से 26 शुद्ध शहतूत की खालें हैं तथा 44 की आशंका है। इस संबंध में सी.बी.आई. द्वारा जाँच की जा रही है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित 6 बाघ रिजर्व क्षेत्रों में से 4 बाघ रिजर्वों को केंद्र सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। ये निम्नलिखित हैं :–

i. कर्नाटक में भादरा बाघ रिजर्व

ii. महाराष्ट्र में पेंच बाघ रिजर्व

iii. अरूणाचल प्रदेश-असम में पाखुई-नामेरी बाघ रिजर्व

iv. मध्य प्रदेश में बोरी-सतपुड़ा-पंचमढ़ी बाघ रिजर्व

शेष 2 बाघ रिजर्वों को शीघ्र ही अनुमोदित किया जाएगा।

(ङ) उद्यानों और अभयारण्यों में पशुओं और पक्षियों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

(च) वैज्ञानिक प्रबंधन के अभाव के कारण 37 चिड़ियाघरों/हिरण उद्यानों को पहले ही बंद किया जा चुका है। सूची विवरण-V में दी गई है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अन्य 64 हिरण उद्यानों/छोटे चिड़ियाघरों को बंद कराएँ जिन्हें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता देने से इंकार किया गया है।

(छ) जानवरों और पक्षियों के इलाज के लिए प्रशिक्षित डाक्टर उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

i. आई.वी.आर.आई., ईटानगर में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा और रोग विषय पर नौ माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है।

ii. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर पशु स्वास्थ्य सुरक्षा और पशु प्रबंधन विषय पर दो कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।

iii. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों के छः पशु चिकित्सकों को ब्रिटेन में विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु प्रायोजित किया है।

iv. 'बेसिक्स ऑफ जू एनीमल मैनेजमेंट' विषय पर एक कार्यशालाा नई दिल्ली में अप्रैल, 2001 में आयोजित की जा रही है।

v. जहाँ कहीं व्यावहारिक समझा गया वहाँ ठेका आधार पर भी पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है।

विवरण-I

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में बाघों/गैंडों के अनधिकृत शिकार के मामलों का ब्यौरा

वर्ष	उद्यानों एवं अभयारण्यों का नाम	राज्य	अनधिकृत शिकार किए गए बाघों की संख्या
1	2	3	4
1999	बाँधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश	2
	अँधेरी बाघ रिजर्व	महाराष्ट्र	1
	मेलघाट बाघ रिजर्व	महाराष्ट्र	2
	सुंदरबन बाघ रिजर्व	पश्चिम बंगाल	2
	राजाजी राष्ट्रीय उद्यान	उत्तर प्रदेश	1
		कुल	**8**
2000	राजाजी राष्ट्रीय उद्यान	उत्तर प्रदेश	1
	कवल अभयारण्य	आंध्र प्रदेश	1
	सुंदरबन बाघ रिजर्व	पश्चिम बंगाल	4
	ओरंग अभयारण्य	असम	1
	कतरनियाँ घाट अभयारण्य	उत्तर प्रदेश	2

1	2	3	4
	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	उत्तर प्रदेश	1
	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश	1
	बाँधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश	1
		कुल	**13**
2001	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश	1
	टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान	महाराष्ट्र	2
	नागार्जुन सागर श्रीसायलम बाघ रिजर्व	आंध्र प्रदेश	1
	कतरनियाँ घाट अभयारण्य	उत्तर प्रदेश	1
	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	उत्तर प्रदेश	6
		कुल	**6**
		कुल योग	**27**

वर्ष	उद्यानों एवं अभयारण्यों का नाम	राज्य	अनधिकृत शिकार किए गए गैंडों की संख्या
1999	काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम	4
	ओरंग राष्ट्रीय उद्यान	असम	7
	पोबितोरा अभयारण्य	असम	6
	जलदापाड़ा अभयारण्य	पश्चिम बंगाल	1
		कुल	**18**
2000	जलदापाड़ा अभयारण्य	पश्चिम बंगाल	1
	काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम	4
	ओरंग अभयारण्य	असम	8
	पोबितोरा अभयारण्य	असम	2
		कुल	**15**
		कुल योग	**33**

2001 शून्य 28.2.2001 तक

विवरण-II

भालुओं की मृत्यु के संबंध में ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	मृत्यु की संख्या	राज्य
1.	1998	1	आंध्र प्रदेश
2.	1998	11	मध्य प्रदेश
3.	1999	6	मध्य प्रदेश
4.	1999	1	आंध्र प्रदेश
5.	2000	2	आंध्र प्रदेश
6.	2000	1	मिजोरम

विवरण-III

प्रमुख भारतीय चिड़ियाघरों में बाघों, भालुओं, गैंडों और पक्षियों की मृत्यु (अप्रैल 1998–मार्च 1999)

राज्य	चिड़ियाघर का नाम	भालू		बीयर	गैंडा	बाघ	पक्षी	महायोग
		हिमालयन	काला	स्लोथ	इंडियन एक सिंगी	बंगाल		
1	2	3		4	5	6	7	8
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	हड्डू चिड़ियाघर					0	3	3
आंध्र प्रदेश	इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान	0		1		1	12	14
	नेहरू प्राणी उद्यान	0		0	0	1	28	29
	श्री वेंकटेश्वर चिड़ियाघर			0		0	178	178
अरूणाचल प्रदेश	इटानगर प्राणी उद्यान	1				3	2	6
असम	असम राज्य चिड़ियाघर तथा वनस्पति उद्यान	0		0	0	1	57	58
बिहार	संजय गाँधी जैव उद्यान	0		0	1	0	1	2
छत्तीसगढ़	मैत्रिबाग चिड़ियाघर	0		1		3	4	8
दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	0		0	1	0	36	37
गोवा	बोंडला चिड़ियाघर			0		0	4	4
गुजरात	कमला नेहरू प्राणी उद्यान	0		0		0	130	130

1	2	3	4	5	6	7	8
	राजकोट नगरपालिका चिड़ियाघर	0			1	0	1
	सक्करबाग चिड़ियाघर	0	0		3	10	13
	सायाजीबाग चिड़ियाघर	1			2	79	82
	प्रकृति उद्यान, सूरत				0	7	7
	इंदरोडा प्रकृति उद्यान, गाँधी नगर				0	14	14
हरियाणा	रोहतक चिड़ियाघर	0			0	23	23
हिमाचल प्रदेश	हिमालयी प्रकृति उद्यान (कुफरी)	2			0	13	15
झारखंड	भगवान बिरसा जैव उद्यान	0	0	0	0	0	0
	जवाहर लाल नेहरू जैव उद्यान	0			1	3	4
	टाटा स्टील प्राणी उद्यान		0		0	22	22
कर्नाटक	बेल्लारी बाल उद्यान एवं चिड़ियाघर		0		0	8	8
	राष्ट्रीय उद्यान बनीरघाटा प्राणी उद्यान		0		7	15	22
	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान	0	0	0	0	48	48
	शेर और बाघ सफारी थईयारेकुप्पा				0	0	0
केरल	राज्य संग्रहालय और चिड़ियाघर	0	0		0	0	0
	तिरूवनंतपुरम चिड़ियाघर	0	0	0	0	11	11
मध्य प्रदेश	गाँधी प्राणी उद्यान	0			0	25	25
	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	0			1	4	5
	वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान		1		0	0	1
महाराष्ट्र	औरंगाबाद नगरपालिका चिड़ियाघर				3	0	3
	महाराजबाग चिड़ियाघर		0		1	19	20
	पेशवेपार्क प्राणी उद्यान	2			2	1	5
	संजय गाँधी राष्ट्रीय उद्यान	0			1	1	2
	वीर माता जीजाबाई भौंसले उद्यान और चिड़ियाघर	0	1	0	0	45	46
मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान	1			0	30	31
मेघालय	लेडी हाइडारी उद्यान एनीमललैंड	0			0	7	7
मिजोरम	आइजवाल चिड़ियाघर		1		0	1	2
उड़ीसा	नंनदकानन जैव उद्यान	2	0	0	12	66	80
पंजाब	महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान	3	1	0	2	64	70
राजस्थान	बीकानेर चिड़ियाघर		0		0	6	6
	जयपुर चिड़ियाघर	1	1	0	1	25	28
	जोधपुर चिड़ियाघर	0			0	8	8
	उदयपुर चिड़ियाघर	0			0	4	4
सिक्किम	हिमालयी प्राणी उद्यान बुलबुले	0			0	0	0
तमिलनाडु	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान	1	1		2	14	18
	चिल्डर्नस कार्नर		1		0	40	41

1	2	3	4	5	6	7	8
	वी.ओ.सी. पार्क लघु चिड़ियाघर	0			0	1	1
त्रिपुरा	सिपाहीजाला चिड़ियाघर	0		0	0	1	1
उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणी उद्यान	0	1	0	0	8	9
	प्रिंस आफ वेल्स प्राणी उद्यान	0	0	0	1	17	18
पश्चिम बंगाल	अलीपुर प्राणी उद्यान	0	1	0	0	70	71
	पदमजा नायडू हिमालयी चिड़ियाघर	0			0	0	0
कुल योग		**14**	**11**	**2**	**49**	**1165**	**1241**

प्रमुख भारतीय चिड़ियाघरों में बाघों, भालुओं, गैंडों और पक्षियों की मृत्यु (अप्रैल, 1999-मार्च 2000)

राज्य	चिड़ियाघर का नाम	भालू हिमालयन काला	बीयर स्लोथ	गैंडा इंडियन एक सिंगी	बाघ बंगाल	पक्षी	महायोग
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान	1	0		1	16	18
	नेहरू प्राणी उद्यान	0	0	0	3	9	12
	श्री वेंकटेश्वर चिड़ियाघर		0		0	8	8
अरूणाचल प्रदेश	इटानगर प्राणी उद्यान	0			0	1	1
असम	असम राज्य चिड़ियाघर तथा वनस्पति उद्यान	1	1	1	1	11	15
बिहार	संजय गाँधी जैव उद्यान	0	0	0	3	3	6
छत्तीसगढ़	मैत्रिबाग चिड़ियाघर	0			2	0	2
दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	1	1	0	0	36	38
गोवा	बोंडला चिड़ियाघर		0		0	3	3
गुजरात	कमला नेहरू प्राणी उद्यान	0	0		3	126	129
	राजकोट नगरपालिका चिड़ियाघर	0			1	0	1
	सक्करबाग चिड़ियाघर	0	0		0	2	2
	सायाजीबाग चिड़ियाघर	0			0	53	53
	प्रकृति उद्यान, सूरत				0	12	12
	इंदरोडा प्रकृति उद्यान				0	9	9
हरियाणा	रोहतक चिड़ियाघर	0			0	11	11
हिमाचल प्रदेश	हिमालयी प्रकृति उद्यान (कुफरी)	0			0	4	4
झारखंड	भगवान बिरसा जैव उद्यान	0	0	0	0	1	1
	जवाहर लाल नेहरू जैव उद्यान	0			0	3	3
	टाटा स्टील प्राणी उद्यान		0		0	29	29
कर्नाटक	बेल्लारी बाल उद्यान एवं चिड़ियाघर		0		0	2	2
	राष्ट्रीय उद्यान बनीरघाटा प्राणी उद्यान		0		5	81	86
	श्री चामराजेंद्रा प्राणी उद्यान	0	0	0	1	8	9
	शेर और बाघ सफारी थईयारेकुप्पा		0		3	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8
केरल	राज्य संग्रहालय और चिड़ियाघर	0	0		0	0	0
	तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर	0	0	0	0	9	9
मध्य प्रदेश	गाँधी प्राणी उद्यान	0			0	12	12
	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	0			1	4	5
	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान		0		1	0	1
महाराष्ट्र	औरंगाबाद नगरपालिका चिड़ियाघर				0	1	1
	महाराजबाग चिड़ियाघर		0		0	32	32
	पेशवेपार्क प्राणी उद्यान				0	4	4
	संजय गाँधी राष्ट्रीय उद्यान	0			0	22	22
	वीरमाता जीजाबाई भौंसले उद्यान और चिड़ियाघर	0		0	1	26	27
मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान	0			0	4	4
मेघालय	लेडी हाइडारी उद्यान	1			0	6	7
मिजोरम	आइजवाल चिड़ियाघर	0	0		0	1	1
उड़ीसा	नंनदकानन जैव उद्यान	0	1	0	11	129	141
पंजाब	महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान	0	1	0	0	82	83
राजस्थान	बीकानेर चिड़ियाघर		0		1	9	10
	जयपुर चिड़ियाघर	0	1		1	21	23
	जोधपुर चिड़ियाघर	2			1	44	47
	उदयपुर चिड़ियाघर	0			0	7	7
सिक्किम	हिमालयी प्राणी उद्यान बुलबुले	0			0	0	0
तमिलनाडु	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान	0	1		0	31	32
	चिल्डर्नस कार्नर		1		0	0	1
	यी.ओ.सी. पार्क लघु चिड़ियाघर	0			0	20	20
त्रिपुरा	सिपाहीजाला चिड़ियाघर	1		0	0	0	1
उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणी उद्यान	1	0	0	0	13	14
	प्रिंस आफ वेल्स प्राणी उद्यान	0	0	0	0	7	7
उत्तरांचल	पंडित गोविंद बल्लभ पंत हाई आल्टिट्यूड चिड़ियाघर	0			0	2	2
पश्चिम बंगाल	अलीपुर प्राणी उद्यान	1	0	0	0	56	57
	पदमजा नायडू हिमालयी चिड़ियाघर	0				11	11
कुल योग		**9**	**7**	**1**	**40**	**981**	**1038**

प्रमुख भारतीय चिड़ियाघरों में बाघों, भालू, गैंडों और पक्षियों की मृत्यु (अप्रैल, 2000 से अब तक)

राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	भालू हिमालयन काला	बीयर स्लोथ	गैंडा इंडियन एक सिंगी	बाघ	पक्षी	महायोग
दिल्ली	दिल्ली चिड़ियाघर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	7	उपलब्ध नहीं	7
कर्नाटक	शक्करबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं	1
कर्नाटक	मैसूर चिड़ियाघर, मैसूर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं	1
कर्नाटक	बाघ और शेर सफारी शिमोगा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं	1
केरल	त्रिवेंद्रम चिड़ियाघर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2	उपलब्ध नहीं	2
महाराष्ट्र	संजय गाँधी चिड़ियाघर (बोरीवली)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	6	उपलब्ध नहीं	6
महाराष्ट्र	महाराजबाग चिड़ियाघर, नागपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं	1
नागालैंड	कोहिमा चिड़ियाघर, नागालैंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं	1
उड़ीसा	नन्दनकानन चिड़ियाघर, भुवनेश्वर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	13	उपलब्ध नहीं	13
पंजाब	लुधियाना चिड़ियाघर, लुधियाना	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं	1
तमिलनाडु	हैदराबाद चिड़ियाघर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं	1
त्रिपुरा	सेपाहीजाला चिड़ियाघर, सेपाहीजाला	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं	1
उत्तर प्रदेश	कानपुर चिड़ियाघर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं	1
पश्चिम बंगाल	अलीपुर चिड़ियाघर, कलकत्ता	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1	1	उपलब्ध नहीं	2
	जोड़			1	38		39

विवरण-IV

उद्यानों और अभयारण्यों में जानवरों और पक्षियों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. राज्य स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) वन्यप्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियाँ स्थापित की गई हैं।

2. राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केंद्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) केंद्रीय जाँच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(iii) विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास

और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढाँचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(iv) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

(v) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(vi) राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यवहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

(vii) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशंस की मदद करें।

. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज़ आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(ii) सीमापार से अवैध आवागमन को रोकने के लिए भारत द्वारा एक संयुक्त कार्य बल स्थापित करने के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) इंडो चीन प्रोटोकोल इन टाइगर कंजर्वेशन आर्टिकल ऑफ द प्रोटोकोल में अन्य बातों के साथ-साथ बाघों के अवैध शिकार, बाघों की हड्डियों और अन्य अंगों तथा व्युत्पन्नों की तस्करी और बिक्री से संबंधित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने का अनुबंध किया गया है।

(iv) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

विवरण-V

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	राज्य
1	2	3	4
1.	अमर पर्यटक चिड़ियाघर	पटना	बिहार
2.	डायमंड पर्यटक चिड़ियाघर	पटना	बिहार
3.	अजंता पर्यटक चिड़ियाघर, मिर्शीकार टोली	पटना	बिहार
4.	रेमंड पर्यटक चिड़ियाघर, मिर्शीकार टोली	पटना	बिहार
5.	बजरंग चिड़ियाघर	दरभंगा	बिहार
6.	भारत चिड़ियाघर, गुलजारबाग	पटना	बिहार
7.	न्यू रेमंड टूरिस्ट	पटना	बिहार
8.	पर्यटक जनता चिड़ियाघर	पटना	बिहार
9.	न्यू जनता ट्रेवलिंग चिड़ियाघर, मिर्शीकार टोली	पटना	बिहार
10.	जेमिनी पर्यटक चिड़ियाघर	पटना	बिहार
11.	श्री प्रमोद (टूरिंग चिड़ियाघर)	मुजफ्फरपुर	बिहार
12.	हिरण उद्यान, एन.एफ.एल.	पानीपत	हरियाणा
13.	लाल बाग हिरण उद्यान	बंगलौर	कर्नाटक
14.	एस.एफ.आर.आई. चिड़ियाघर	जबलपुर	मध्य प्रदेश
15.	रोज गार्डन स्थित छोटा चिड़ियाघर	लुधियाना	पंजाब
16.	छोटा चिड़ियाघर, सेक्टर-6, राजभवन	चंडीगढ़	पंजाब
17.	छोटा चिड़ियाघर, आराम बाग	अमृतसर	पंजाब
18.	मंजुनाथ छोटा चिड़ियाघर (मोबाइल) नेसापक्कम	मद्रास	तमिलनाडु
19.	भारत छोटा चिड़ियाघर, चिल्काना	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
20.	न्यू परदेशी टूरिंग जू	हरदोई	उत्तर प्रदेश
21.	बजरंग टूरिंग जू	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
22.	परदेशी चिड़ियाघर, सीतापुर, अवध	हरदोई	उत्तर प्रदेश
23.	बीना कमल गोल्डन चिड़ियाघर	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश
24.	आजाद चिड़ियाघर (टूरिंग)	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
25.	भारतीय टूरिंग चिड़ियाघर	लालबाग	उत्तर प्रदेश
26.	चेतना केंद्र, रीधानी रेंज	मेरठ	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
27.	मृग विहार वन चेतना केंद्र, मोठ	झाँसी	उत्तर प्रदेश
28.	संजय गाँधी मृग वाटिका, मंगलोर	हरिद्वार	उत्तर प्रवेश
29.	शुक्राताल चिरतल पार्क	मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश
30.	वन चेतना केंद्र, ब्रॉक लैंड स्टेट	मंसूरी	उत्तर प्रदेश
31.	वन चेतना केंद्र, नरोरा	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश
32.	जया मोबाइल जू	हावड़ा	पश्चिम बंगाल
33.	अनिता मोबाइल जू, बरूई पुर	परगना साउथ	प. बंगाल
34.	चित्रा टूरिंग, जे.एन.सरकार स्ट्रीट	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
35.	फेमश मोबाइल जून	हावड़ा	पश्चिम बंगाल
36.	विरला इंडस्ट्रियल और टैक्नोलॉजिकल म्यूजियम, एनिमलोरियम	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
37.	कृष्णा सयार सर्प उद्यान	बर्दमान	पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

पत्थरों के खनन संबंधी नीति

*313. **श्री रामशकल** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्थरों के खनन के बारे में कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने पत्थरों के खनन के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में विशेषकर उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

खान मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) से (ङ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एम.एम.आर.डी.) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ) के अंतर्गत मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य सजावटी और आयामी पत्थर सहित निर्माण पत्थर ऐसे गौण खनिज हैं जिनके लिए खनिज रियायतें, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने गौण खनिज रियायत नियमों (एम.एम.सी.आर.) के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती हैं। गौण खनिज रियायत नियमावली को राज्य सरकारें एम.एम.डी.आर. एक्ट की धारा-15 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत् अधिसूचित करती हैं। राज्य सरकारें अपनी-अपनी गौण खनिज रियायत नियमावली के अंतर्गत स्टोन खनन के संबंध में अपनी नीतियाँ बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकार की नीति बनाते समय न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखेंगी।

ग्रेनाइट जो कि अपनी निर्यात संभाव्यता के कारण अब महत्त्वपूर्ण हो गया है, के संबंध में केंद्र सरकार ने एम.एम.डी.आर. की धारा 18 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्रेनाइट संरक्षण और विकास नियम, 1999 को अधिसूचित किया है ताकि ग्रेनाइट संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए इनका संरक्षण, व्यवस्थित विकास और वैज्ञानिक खनन किया जा सके और पूरे देश में ग्रेनाइट के व्यवस्थित और वैज्ञानिक विदोहन के संबंध में एक, एक-समान फ्रेमवर्क निर्धारित किया जा सके।

केंद्र सरकार एम.एम.डी.आर. एक्ट के साथ पढ़े जाने वाले एम.एम. सी.आर. के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में कोई सूचना/आँकड़े नहीं रखती है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्टोन खनन के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। राज्य सरकारों के एम.एम.सी.आर. के प्रावधानों के अनुसार अवैध खनन, यदि कोई हो तो उसे रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और केंद्र सरकार इस प्रकार की सूचना की मानीटरिंग नहीं करती है।

राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना

*314. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के अंतर्गत वनाच्छादन क्षेत्र का विस्तार राष्ट्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत तक करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार योजना परिव्यय के अंतर्गत वनरोपण के लिए आवंटन को दुगुना करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हाँ। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश के वानिकी क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप ध्यान केंद्रित करने के प्रयोजन से अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए एक व्यापक एवं दीर्घावधिक कार्य योजना, अर्थात् राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की है। इस राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य वर्ष 2020 तक देश के एक-तिहाई भौगोलिक क्षेत्र को वन/वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने तथा वनों के सतत् विकास के लिए वनों की कटाई को रोकना है। इसका अर्थ है कि देश के 328 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में वन/वृक्ष आवरण को 76.5 मिलियन हैक्टेयर से बढ़ाकर 109 मिलियन हैक्टेयर करना होगा।

(ख) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के पाँच मुख्य घटक ये हैं :

1. **मौजूदा वन संसाधनों की सुरक्षा** : इसके तीन मुख्य उप कार्यक्रम हैं : i. वन सुरक्षा, ii. मृदा और जल संरक्षण और iii. संरक्षित क्षेत्र और जैव विविधता संरक्षण।

2. **वन उत्पादकता में सुधार करना** : इसके चार मुख्य उप कार्यक्रम है : i. अवक्रमित वनों का सुधार, ii. अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास, iii. गैर लकड़ी वनोत्पादों का विकास और iv. निजी स्तर पर होने वाली पहलों को सामुदायिक सहभागिता द्वारा सहायता प्रदान करना।

3. कुल माँग में कमी करना : i. ईंधन लकड़ी और चारा, ii. इमारती लकड़ी, iii. गैर लकड़ी वनोत्पाद के कुशल उपयोग के लिए इसके अंतर्गत तीन मुख्य उप कार्यक्रम हैं।

4. नीतिगत और संस्थागत ढाँचे को मजबूत बनाना : इसके अंतर्गत तीन मुख्य उप कार्यक्रम हैं : i. केंद्रीय वानिकी प्रशासन, ii. केंद्रीय वानिकी संस्थाएँ और iii. राज्य वानिकी प्रशासन और संस्थाएँ।

5. वन क्षेत्र का विस्तार : इसके अंतर्गत दो मुख्य उप कार्यक्रम हैं : i. वनों और वनेत्तर भूमियों पर वृक्ष लगाना और ii. वृक्षारोपण और उसकी सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में लोगों की सहभागिता।

राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगले 20 वर्षों में देश के एक-तिहाई क्षेत्र को वृक्ष/वनावरण के अंतर्गत लाने के लिए 133903 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2002-2007 के लिए वानिकी संबंधी विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए एक वानिकी कार्यदल पहले ही गठित किया जा चुका है। इस बीच 29-30 जनवरी, 2001 को कोयम्बटूर में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वन मंत्रियों की हुई बैठक में एक संकल्प, जिसे 'द कोयम्बटूर चार्टर ऑन एफोरयरनमेंट एंड फारेस्ट' के नाम से जाना जाता है, पारित किया और इस बैठक में की गई प्रमुख सिफारिशों में एक सिफारिश यह की गई है कि वनीकरण के क्षेत्र में निवेश औसत स्तर पर हुआ है और यह निवेश विभिन्न योजना अवधियों के कुल योजना परिव्ययों के एक प्रतिशत से भी कम है, इसलिए इसे कुल परिव्यय के कम से कम दो प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

वर्षा जल का उपयोग

*315. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्षा जल के दोहन पर जोर दे रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में यदि कोई योजना बनाई गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने वर्षा जल के उपयोग के लिए छत के ऊपर वर्षा जल संचयन हेतु निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार को कोई सहायता राशि जारी की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (घ) भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन द्वारा वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा दे रही है। जल संसाधन मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमिगत बोर्ड, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में 25.00 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। वर्षा जल का संचयन इस स्कीम का एक अभिन्न भाग है। छत के वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से जल संसाधन मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय को संबंधित संगठनों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य शहरों में स्थित भवनों के वास्ते छत के वर्षा जल के संचयन के प्रावधान के लिए उपयुक्त कानून के अधिनियमन पर विचार करने का प्रस्ताव किया है। तद्नुसार, मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण (एम.एम.डी.ए.) ने छत के वर्षा जल के संरक्षण के लिए विनियम जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने 500 वर्ग मीटर से अधिक के सभी नए आवासीय भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और भूखंडीय आवासीय क्षेत्रों में जल संचयन को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। नगर निगम, लुधियाना ने निर्देश जारी किए हैं कि जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को शामिल किए बिना जायदाद के मालिकों को औद्योगिक संयंत्रों, वैवाहिक स्थानों, व्यावसायिक परिसरों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सरकार, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के तहत पेय जल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को पूरा करने के लिए उनको निधियाँ मुहैया कराती है और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों का 20 प्रतिशत तक का भाग जल संचयन संरचनाओं सहित पेय जल स्रोतों की निरंतरता के लिए निर्धारित और प्रयुक्त किया जा सकता है। ग्रामीण पेय जल संबंधी प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस घटक के लिए कुल आवंटन का न्यूनतम 25% भाग डी.डी.पी./डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों, अति दोहित डार्क/ग्रे ब्लाकों तथा जल की कमी वाले/सूखा प्रभावित अन्य क्षेत्रों से संबंधित जल संरक्षण वाली परियोजनाओं/स्कीमों, जल संचयन, जल पुनर्भरण और पेय जल स्रोतों की निरंतरता पर प्रयुक्त किया जाना है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ जल स्तर अधिक है और वर्षा अधिक होती है और भूजल की निकासी कम होती है वहाँ पर जल की दीर्घकालिक उपलब्धता के लिए कुल आबंटन के 25% भाग के आबंटन पर जोर नहीं दिया जाएगा।

केंद्रीय भूजल बोर्ड ने विश्वविद्यालय परिसर क्षेत्र में जल उपलब्धता में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण संबंधी कार्य करने के वास्ते बंगलौर विश्वविद्यालय, कर्नाटक से एक प्रस्ताव प्राप्त किया है।

विभिन्न पुनर्भरण संबंधी कार्यों को प्रारंभ करने के लिए बंगलौर विश्वविद्यालय के 13.75 लाख रुपए की लागत वाले प्रस्ताव को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

इंडियन एयरलाइंस में विमान चालकों की कमी

*316. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में विमान चालकों (पायलटों) की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस की विस्तार योजना की प्रगति प्रभावित हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इस समय इंडियन एयरलाइंस में उपलब्ध विमानचालक केवल वर्तमान अनुसूची की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ग) से (ङ) इंडियन एयरलाइंस अपने विस्तार योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है :–

- 19 प्रशिक्षु विमानचालकों की पहले ही भर्ती कर ली गई है और वे इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- 55 और अन्य वरिष्ठ प्रशिक्षु विमानचालकों/प्रशिक्षु विमानचालकों की नियुक्ति का कार्य भी प्रगति पर है।
- सेवानिवृत्त विमानचालकों को ठेके के आधार पर लेने की कार्रवाई भी आरंभ हो चुकी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय

*317. **श्री पी.सी. थामस** : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस राजमार्गों और अन्य आधुनिक राजमार्गों के लिए आबंटित की गई अथवा उन पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्यों में किए गए व्यय के बारे में कोई असंगति है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी असंगति को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) गत तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु आबंटन के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I से-III के रूप में संलग्न हैं।

(ख) जी हाँ, कुछ राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटित समग्र धनराशि खर्च नहीं कर सके हैं।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मुख्यतः साख पत्र जारी करने में हुए विलंब के कारण कुछ राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा धनराशि का उपयोग नहीं किया गया। इस समस्या के निराकरण के लिए इस मंत्रालय में कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया (डी.पी.पी.) शुरू की है।

विवरण-I

1997-98 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एनएच (ओ)	एम. एंडआर.	ई.ए.पी.	पी.वी.एफ.एफ.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2949.83	3898.00	2420.00	587.36
2.	असम	1821.00	1162.55	0.00	39.80
3.	बिहार	1900.00	3410.77	52.00	0.00
4.	चंडीगढ़	30.00	71.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	800.00	330.20	0.00	0.00
6.	गोवा	900.00	450.39	0.00	71.56
7.	गुजरात	3675.00	3756.96	0.00	647.42
8.	हरियाणा	1100.00	772.34	8940.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1700.00	2034.32	0.00	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	150.00	87.40	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	2900.00	3002.90	1200.00	136.76
12.	केरल	3600.00	2268.11	4160.00	282.48
13.	मध्य प्रदेश	1700.00	3313.78	2300.00	657.06
14.	महाराष्ट्र	2900.00	5157.68	4350.00	812.43
15.	मणिपुर	700.00	277.03	0.00	2.19
16.	मेघालय	920.00	584.54	0.00	59.50
17.	नागालैंड	100.00	37.11	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	2600.00	2522.00	3650.00	225.20
19.	पांडिचेरी	70.00	29.96	0.00	0.00
20.	पंजाब	1300.00	1357.75	3900.00	178.88
21.	राजस्थान	2550.00	3641.71	1270.00	495.83
22.	तमिलनाडु	2500.00	2981.37	0.00	67.92
23.	उत्तर प्रदेश	4608.00	4949.19	7330.00	597.27
24.	पश्चिम बंगाल	5375.00	3264.94	1960.00	0.00
25.	जोगीघोपा पुल	1244.00	0.00	0.00	0.00
26.	मंत्रालय	0.17	0.00	7298.00	0.00
27.	वी.आर.डी.वी.	7031.00	0.00	0.00	0.00
28.	एन.एच.ए.आई.	0.00	375.00	20000.00	0.00
29.	अन्य संस्थान	0.00	13.00	0.00	0.00
	जोड़	55124.00	49750.00	68830.00	4861.68

एन.एच. (ओ)–राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य

एम.एंडआर.–अनुरक्षण और मरम्मत

ई.ए.पी.–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना

पी.वी.एफ.एफ.–स्थायी पुल शुल्क निधि

नोट : उपर्युक्त के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उन्हें 29000 लाख रु. प्रदान किए गए।

विवरण-II

1998-99 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन (लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एन.एच.(ओ.)	एम. एंड आर.	ई.ए.पी.पी.	वी.एफ.एफ.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4500.00	4568.40	24.00	355.82
2.	असम	2600.00	2815.51	0.00	61.10
3.	बिहार	3405.31	3336.97	0.00	12.04
4.	चंडीगढ़	82.00	48.04	0.00	0.00
5.	दिल्ली	1400.00	210.00	0.00	0.00
6.	गोवा	1100.00	617.08	0.00	0.00
7.	गुजरात	5346.96	3296.94	0.00	1281.58
8.	हरियाणा	2613.50	1239.42	4975.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2500.00	2256.01	0.00	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	100.00	129.65	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	3500.00	3111.75	0.00	209.01
12.	केरल	6744.46	2090.63	0.00	335.70
13.	मध्य प्रदेश	2200.00	3945.04	5423.00	624.73
14.	महाराष्ट्र	4811.63	4957.67	6000.00	571.00
15.	मणिपुर	700.00	365.59	0.00	0.30
16.	मेघालय	1000.00	625.80	0.00	60.50
17.	नागालैंड	200.00	382.90	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	4000.00	2761.15	5500.00	226.82
19.	पांडिचेरी	100.81	64.18	0.00	0.00
20.	पंजाब	2500.65	1538.81	4569.00	79.23
21.	राजस्थान	3450.00	3718.49	550.00	605.81
22.	तमिलनाडु	3624.75	3740.00	0.00	296.62
23.	उत्तर प्रदेश	7078.14	6128.44	4850.00	721.21
24.	पश्चिम बंगाल	7150.94	2757.83	3000.00	0.00
25.	मंत्रालय	3.86	0.00	880.00	0.00
26.	वी.आर.डी.वी.	8500.00	0.00	0.00	0.00
27.	एन.एच.ए.आई.	0.00	274.00	16317.00	0.00
	जोड़	79213.01	54980.00	52088.00	5441.47

एन.एच.(ओ)–राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य

एम. एंड आर.–अनुरक्षण और मरम्मत

ई.ए.पी.–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना

पी.वी.एफ.एफ.–स्थायी पुल शुल्क निधि

नोट : उपर्युक्त के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उन्हें 10100 लाख रु. प्रदान किए गए।

विवरण-III

1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एन.एच. (ओ.)	एम. एंड आर.	एस.आर.पी.	ई.ए.पी.	पी.वी.एफ.एफ.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	5045.00	3440.26	3457.00	50.00	612.87
2.	असम	4186.83	3420.00	2000.00	0.00	52.49
3.	बिहार	6000.00	5807.64	6100.00	0.00	117.52
4.	चंडीगढ़	100.00	91.50	50.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	700.00	139.84	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	1700.02	826.69	600.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	7307.17	2318.17	1502.00	0.00	1544.73
8.	हरियाणा	4200.00	1611.70	400.00	5800.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4000.00	2326.24	400.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
10.	जम्मू एवं कश्मीर	100.00	302.36	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	4600.08	3921.04	4524.00	1224.00	289.76
12.	केरल	10468.12	4059.00	1250.00	2100.00	268.95
13.	मध्य प्रदेश	3226.75	5573.14	1000.00	8810.00	298.05
14.	महाराष्ट्र	10354.31	4654.63	3994.00	7000.00	453.77
15.	मणिपुर	1010.75	876.08	0.00	0.00	3.40
16.	मेघालय	1730.28	905.89	400.00	0.00	55.00
17.	मिजोरम	300.00	380.00	400.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	800.00	501.63	423.00	0.00	0.00
19.	उड़ीसा	3850.00	3622.24	2016.00	5200.00	178.02
20.	पांडिचेरी	319.46	105.00	164.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	1819.56	1235.80	400.00	3300.00	180.54
22.	राजस्थान	4550.30	3320.00	4500.00	200.00	463.72
23.	तमिलनाडु	6500.00	5479.66	8000.00	0.00	254.08
24.	त्रिपुरा	50.00	24.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	9155.35	6105.49	4074.00	2865.00	627.10
26.	पश्चिम बंगाल	5138.02	3700.00	2560.00	3680.00	0.00
27.	मंत्रालय	20.00	0.00	0.00	561.00	0.00
28.	वी.आर.डी.बी.	11230.00	0.00	93.72	0.00	0.00
29.	एन.एम.ए.आई.	0.00	4000.00	0.00	49160.00	0.00
30.	अन्य संस्थान	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	108462.00	68758.00	48307.72	89950.00	5400.00

एन.एच.(ओ.)–राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य

एम. एंड आर.–अनुरक्षण और मरम्मत

ई.ए.पी.–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना

एस. आर. पी. –विशेष मरम्मत कार्यक्रम

पी.वी.एफ.एफ.–स्थायी पुल शुल्क निधि

नोट : उपर्युक्त के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उन्हें 119200 लाख रु. प्रदान किए गए।

[हिन्दी]

"जलवायु में परिवर्तन"

*318. **श्री ताराचंद भगोरा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हेडल सेंटर ब्रिटेन' नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने विकसित और विकासशील देशों को आने वाले वर्षों में आसन्न प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत को भी संस्थान द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इन निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस संबंध में 20 फरवरी, 2001 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो भारत द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) सरकार को 'हेडले केंद्र' की तरह इस तरह की चेतावनी की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) देश में विद्यमान नीति एवं कानूनी दस्तावेज तथा इस संबंध में की गई अनेक शुरूआतें पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को पर्याप्त रूप से हल कर सकती हैं।

[अनुवाद]

कुहरे वाली स्थिति से निपटने के लिए रणनीति

*319. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गाँधी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 2000 और जनवरी, 2001 में घने कुहरे के दौरान कुहरे वाली स्थिति में विमानपत्तनों पर विमान उतरने की सुविधा के लिए लगाई गई कैट-III-ए प्रणाली निष्प्रभावी साबित हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी प्रणाली लगाने में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान घने कुहरे के कारण रद्द की गई विलंब से परिचालित उड़ानों की संख्या कितनी है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (च) इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली पर श्रेणी-3ए प्रचालन में सक्षम उपकरण अवतरण प्रणाली उपस्कर, संबद्ध सुविधाओं सहित, फरवरी, 1999 में संस्थापित किया गया है। तथापि इसे श्रेणी-2 के रूप में प्रचालन में लाया गया क्योंकि अतिरिक्त स्थलीय सुविधा तथा रनवे सेंटर लाइन लाइट्स वायु-संपर्क प्रकाश सुविधा इत्यादि की व्यवस्था की जानी थी जिसे अब अंशांकन के पश्चात् उपलब्ध कराया गया। अप्रैल, 2001 तक श्रेणी-3 उपकरण अवतरण प्रणाली के चालू होने की संभावना है। इस परियोजना पर लगभग 50.00 करोड़ रु. का कुल व्यय किया गया है जिसमें रनवे का पुर्नसतहलेपन भी शामिल है।

दिसंबर, 2000 और जनवरी, 2001 के घने कोहरे के समय, कुल 1265 उड़ानों में देरी हुई; 128 उड़ानें निरस्त की गईं और 82 उड़ानों की दिशा परिवर्तित की गई थी। यद्यपि, श्रेणी-3 उपकरण अवतरण प्रणाली को लगाने से कम दिखाई पड़ने की स्थिति में सिर्फ 200 मीटर तक वैमानिक प्रचालन किया जा सकता है। कभी-कभी दृश्यता स्थिति 200 मीटर से कम हो जाती है और उस समय में विमानों का प्रचालन बंद करना पड़ता है। सिर्फ श्रेणी-3 उपकरण अवतरण प्रणाली का संस्थापन नहीं होना ही वैमानिक प्रचालन बंद होने का कारण नहीं है। इसलिए इसकी वजह से वाणिज्यिक उड़ानों में विघ्न होने से हुई समय और धन की बर्बादी का लेखा-जोखा करना कठिन है।

इंटरनेट टेलीफोनी

*320. **डा. जसवंत सिंह यादव :**
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट टेलीफोनी को कानूनी रूप देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दूरसंचार विभाग (डॉट) ने इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु रणनीति तैयार करने के लिए एक विशेष दल का गठन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) हालांकि नई दूरसंचार नीति (एन.टी.पी.-99) के अनुसार, इस समय इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति नहीं है, परंतु इस नीति के तहत सरकार को प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों और राष्ट्रीय विकास पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को मानीटर करके उपयुक्त समय पर इस मुद्दे की समीक्षा भी करनी होगी। तद्नुसार, सरकार ने मामले की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया है। इस दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

जनजातीय/ग्रामीण कला और संस्कृति को प्रोत्साहन

2705. श्री रामदास आठवले : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में जनजातीय ग्रामीण कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु स्वैच्छिक संगठनों से अनुदान प्राप्त करने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है तथा उनके द्वारा आज की तारीख के अनुसार संगठनवार प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु आबंटित अनुदान का इन संगठनों द्वारा उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इसका मूल्यांकन करने अथवा इसकी जाँच कराने का है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विश्व धरोहरों की सूची में नए स्मारकों को शामिल करना

2706. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व धरोहरों की सूची में शामिल करने के लिए स्थानवार किन-किन स्मारकों के नाम प्रस्तावित हैं एवं यूनेस्को को प्रस्तुत किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विश्व धरोहरों की सूची में उन्हें अंतिम रूप से शामिल करने में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) इस बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, स्मारकों, वास्तुशिल्पीय निर्माणों, स्मारकीय मूर्ति तथा चित्र संबंधी कृत्यों, पुरातत्वीय प्रकृति के तत्वों अथवा संरचनाओं, प्रकीर्ण लेखों, गुफाआवासों और ऐसी वस्तुओं को, जो इतिहास, कला अथवा विज्ञान की दृष्टि से अद्वितीय सार्वभौम मूल्य की हैं, एक विश्वदाय स्थल के रूप में शामिल किए जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

(ग) इस संबंध में आगे कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन द्वारा की जाती है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्वदाय सूची में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित ग्यारह प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, अर्थात् :–

1. दुर्ग परिसर, मांडु, म.प्र.
2. प्राचीन बौद्ध स्थल, सारनाथ, उ.प्र.
3. रानी की वाव, पाटन, गुजरात
4. गोलकोंडा किला, आंध्र प्रदेश
5. मत्तनचेरी महल, केरल
6. धोलावीरा, गुजरात
7. अलची मठ, लद्दाख
8. शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम, बिहार
9. विष्णुपुर के मंदिर, पश्चिम बंगाल
10. प्रागैतिहासिक शैल शरणास्थल तथा चित्र, भीमबेटका, म.प्र.
11. हेमिस स्थित मठ, जम्मू तथा कश्मीर

निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश

2707. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विद्युत विनियमन आयोग ने पारेषण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों को वापस लेने हेतु सरकार से निवेदन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विद्युत कानून का 1998 में संशोधन किया गया था ताकि केंद्रीय/रा.वि. पारेषण यूटिलिटियों तथा निजी पारेषण कंपनियों द्वारा केंद्रीय/राज्य पारेषण यूटिलिटियों के साथ या केंद्रीय/राज्य विद्युत विनियामक आयोग से पारेषण लाइसेंस प्राप्त कर स्वतंत्र रूप से संयुक्त आधार पर पारेषण परियोजनाओं का इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पारेषण लाइन/संबद्ध उपकेंद्र अंतःराज्यीय है या राज्य के बाहर है, क्रियान्वयन कर सके।

31 जनवरी, 2000 को विद्युत मंत्रालय द्वारा पारेषण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि भावी निवेशक एवं यूटिलिटी निजी भागीदारी की प्रक्रिया को समझ सके तथा केंद्रीय एवं राज्य क्षेत्रों के लिए एक आधारभूत समान मार्ग तैयार किए जा सके।

फरवरी, 2000 में सी.ई.आर.सी. से प्राप्त 1 पत्र जिसमें सरकार को 31 जनवरी, 2000 को जारी दिशा-निर्देशों पर पुनः विचार करने का निर्देश हुआ था के उत्तर में सी.ई.आर.सी. ने जुलाई, 2000 में स्पष्टीकरण भेजा जिसमें इंगित किया था कि ये दिशा-निर्देश एक विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जारी किए गए थे जो दल पारेषण क्षेत्र में लाइसेंस प्रारूप तथा विद्युत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1998 में निहित प्रावधानों के अनुरूप निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया पर सरकार को सलाह देने हेतु गठित की गई थी।

यात्री निवास का निर्माण

2708. श्री पुष्प जैन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के लिए देश में विशेषकर राजस्थान में यात्री निवास के निर्माण हेतु कोई व्यापक कार्ययोजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदान की गई परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता आबंटित की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) पर्यटक अवसंरचना का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार, प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से यात्री निवासों के निर्माण सहित, प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उस वर्ष के लिए, परियोजनाओं की प्राथमिकता का कार्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में प्रारंभ होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ओ.एन.जी.सी. द्वारा निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस की आपूर्ति

2709. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में निजी विद्युत परियोजनाएँ कितनी हैं जिन्हें तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की है;

(ख) क्या इन निजी विद्युत परियोजनाओं को प्राकृतिक गैस का आबंटन प्लांट लोड फैक्टर का 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इन विद्युत परियोजनाओं ने प्लांट लोड का 85 प्रतिशत प्राकृतिक गैस आबंटित करने हेतु निवेदन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार से उनकी सिफारिश के बिना किसी को प्राकृतिक गैस आबंटित न करने का निवेदन किया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) आंध्र प्रदेश में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) विद्युत क्षेत्र सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को ओ.एन.जी.सी./संयुक्त उद्यम क्षेत्रों में उत्पादित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है। आंध्र प्रदेश में कुल 12 निजी विद्युत परियोजनाओं को गैस का आबंटन किया गया है।

(ख) अधिकांश निजी विद्युत परियोजनाओं को उनकी आवश्यकता से कम गैस का आबंटन हुआ है।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा अनुरोध किया है।

(घ) आंध्र प्रदेश में विद्युत संयंत्रों को, परियोजना क्षमताओं सहित, गैस आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं को, उनकी परियोजनागत क्षमता समेत, गैस आबंटन के ब्यौरे

विद्युत परियोजना	परियोजनागत क्षमता (मेगावाट में)	गैस आबंटन, मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस. सी.एम.डी.)
जी.वी.के. इंडस्ट्रीज (फेज-1)	235	0.75
जी.वी.के. इंडस्ट्रीज (फेज-2)	360	1.10
लानको कोंडापल्ली पावर लि.	348	1.12
कोनासीमा इ.पी.एस. ओकवैल पावर लि.	458	2.00
स्पैक्ट्रम पावर जेनेरेशन लि. (फेज-1)	208	0.75
स्पैक्ट्रम पावर जेनेरेशन लि. (फेज-2)	359	0.75
आंध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन लि. (फेज-1)	100	0.50
आंध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन लि. (फेज-2)	172	0.82
गौतमी पावर लि.	359	1.22
एन.सी.सी. पावर लि.	227	0.74
वेमागिरी पावर जेनेरेशन लि.	458	1.64
वशसासा पावर प्रोजेक्ट लि.	16	0.065

[हिन्दी]

राइट्स में कार्यरत कर्मचारी

2710. श्री अशोक अर्गल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राइट्स लिमिटेड में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उनमें से कितने स्थायी, अस्थायी और ठेके के कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं और उन कर्मचारियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का वर्तमान प्रतिशत क्या है;

(ग) आरक्षित पदों में से प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक का प्रतिशत क्या है;

(घ) प्रत्येक संवर्ग और विभाग में कितने आरक्षित पद हैं;

(ङ) यदि प्रतिनिधित्व का वर्तमान प्रतिशत आरक्षण के प्रतिशत से कम है तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और वास्तविक रूप में कितने पद भरे गए हैं; और

(च) शेष रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उन पदों को भरने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(क) और (ख) 13.3.2001 को कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :–

कर्मचारियों का ब्यौरा	संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.%	अ.ज.जा.%
कर्मचारियों की कुल संख्या	2127	200	26	9.4	1.2
स्थायी कर्मचारी	1820	199	25	10.9	1.4
अस्थायी/प्रतिनियुक्ति/पुनः रोजगार प्राप्त/ठेके के कर्मचारी	307	1	1	0.3	0.3

मध्य प्रदेश में पर्यटक सुविधाएँ

***2711. श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार के लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या धनराशि के उपयोग के लिए पर्यटन विकास हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ग) वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास की गतिविधियों को कब तक शुरू किए जाने एवं उसे पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) प्रस्तावित पर्यटन की विकास परक गतिविधियों की निगरानी करने वाले प्राधिकारी का नाम क्या है;

(ङ) क्या विकास परक गतिविधियों में विलंब के कारण बढ़ी हुई लागत का भी आबंटन किया जाएगा;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में अन्य राज्यों में चलाई जा रही गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) ग्यारवें वित्त आयोग ने, पर्यटक सुविधाओं के प्रयोजन के लिए अपने से, किसी भी राज्य को किसी अनुदान के लिए सिफारिश नहीं की है। तथापि, 'उन्नयन एवं विशेष समस्या अनुदान' अध्याय में मध्य प्रदेश के पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास हेतु 45 करोड़ रुपयों के अनुदान की सिफारिश करके विशेष महत्त्व दर्शाया गया है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पर्यटन हेतु अवसंरचना के विकास के लिए वित्त मंत्रालय को एक कार्य-योजना प्रस्तुत की है।

(ग) राज्य-स्तर आधिकारिक (एम्पावर्ड) समिति द्वारा एक बार परियोजना के स्वीकृत हो जाने के बाद, परियोजना के विभिन्न चरणों के लिए समय अनुसूची तथा निधियों की अपेक्षा दर्शाते हुए, इसकी एक प्रति भारत सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(घ) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता वाली अंतर्मंत्रालयी आधिकारिक (एम्पावर्ड) समिति, प्रस्तावित पर्यटन परियोजनाओं की विकासीय गतिविधियों की निगरानी (मानिटरिंग) करने के लिए प्राधिकृत है।

(ङ) और (च) वैयक्तिक योजनाओं को स्वीकृत करना तथा ईकाई लागत का निर्धारण करने के प्राधिकार, राज्य स्तर आधिकारिक (एम्पावर्ड) समिति में निहित है।

(छ) ग्यारहवाँ वित्त आयोग पर्यटक सुविधाओं के प्रयोजन के लिए अपने से किसी राज्य को कोई अनुदान प्रदान नहीं करता, हालांकि 'उन्नयन एवं विशेष समस्या अनुदान' पर अध्याय में पर्यटन संबंधित कुछ कार्यकलापों का जिक्र किया है।

तेल भंडारों की स्थापना

2712. श्री जय प्रकाश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में पिछले वर्ष की तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और जर्मनी जैसें देशों की तर्ज पर महत्त्वपूर्ण तेल भंडार की स्थापना का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार कुल 45 दिनों की जरूरत पूरी कर सकने के ध्येय से धीरे-धीरे विभिन्न चरणों में कच्चे तेल के लिए कार्यनीतिक भंडार उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग) मंत्रालय में कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत कंकरीट से बने भंडारण टैंकों और भूमिगत चट्टानी कंदराओं के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

कोंकण रेल निगम को ऋण

***2713. श्री किरीट सोमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने दीर्घकालीन समाधान हेतु कोंकण रेल निगम को वित्तीय पैकेज प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं में निवेश

2714. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत परियोजनाओं में राज्यवार कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निवेश का लक्ष्य क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विद्युत परियोजनाओं में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितना निवेश किया गया; और

(घ) योजना-वार किस हद तक लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र के संबंध में 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए कुल परिव्यय और खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(रु. करोड़ में)

योजना	परिव्यय	व्यय	
6वीं योजना	19265.44	18298.68	
7वीं योजना	34273.46	3895.30	
8वीं योजना	79589.3	76677.38	
9वीं योजना	124526	40802.36	(1998-99 तक)

7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिव्यय और खर्च का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। 6वीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय और खर्च के राज्यवार ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और ये सभा पटल पर रख दिए जाएँगे।

वर्ष 1991 से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने निजी विद्युत उत्पादन की 57 विद्युत परियोजनाएं जिनमें कुल लगभग 119000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश राज्य के लिए विद्युत क्षेत्र संबंधी परिव्यय और खर्च का ब्यौरा प्रतिशत उपलब्धि समेत नीचे दिया गया है।

(रु. करोड़ में)

योजना	परिव्यय	व्यय	उपलब्धियां
7वीं योजना	2646	2091	79%
8वीं योजना	3563.36	3701.01	103.86%
9वीं योजना	3463.81	1439.84 (1997-98 एवं 1998-99 के लिए)	41.57%

मध्य प्रदेश के संबंध में 6वीं योजना हेतु परिव्यय और खर्च के ब्यौरों को एकत्र किया जा रहा है और इन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

(रु. करोड़ में)

राज्य	7वीं योजना		8वीं योजना	
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1104.9	1117.4	3040.62	3546.56
असम	485.0	610.2	1192.46	677.76
बिहार	1065.0	1057.1	2120.83	586.21
दिल्ली	364.3	832.2	1212.00	1504.54
गुजरात	1437.0	1437.8	2635.00	2502.62
हरियाणा	1010.3	645.4	1701.99	1197.68
हि.प्र.	260.1	347.5	500.00	628.78
ज. एवं कश्मीर	278.2	422.1	1175.18	1240.23
कर्नाटक	800.0	873.6	3024.86	2957.61
केरल	396.8	373.2	1226.20	1616.57
म.प्र.	2646.0	2091.0	3563.36	3701.01
महाराष्ट्र	3048.9	2621.2	4572.64	5493.53
मेघालय	70.0	122.0	166.48	52.90
उड़ीसा	780.0	537.3	2638.30	1254.68
पंजाब	1638.0	1991.1	2417.50	3947.00
राजस्थान	874.2	917.4	3200.00	3078.72
तमिलनाडु	2000.00	1768.2	3000.00	3103.46
उ.प्र.	3395.0	2763.1	6974.76	5423.42

1	2	3	4	5
प. बंगाल	1248.0	1244.9	3016.00	2865.49
अरूणाचल प्रदेश	35.9	54.3	148.28	332.46
गोवा	35.5	33.0	52.50	65.33
मणिपुर	36.0	50.2	185.35	184.70
मिजोरम	27.8	62.2	101.05	152.27
नागालैंड	33.5	28.6	59.00	93.71
पांडिचेरी	12.0	24.0	102.22	160.09
सिक्किम	33.9	58.7	133.00	131.78
त्रिपुरा	46.0	79.7	116.50	159.58
अ. एवं नि. द्वीप	—	--	57.97	68.93
चंडीगढ़	—	—	55.00	45.87
दमन एवं दीव	—	—	7.37	15.50
दा. एवं न. हवेली	—	—	5.11	15.50
लक्षद्वीप	—	—	6.21	6.63

[हिन्दी]

बिहार में उपरि पुलों का निर्माण

2715. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा उपरि पुलों के निर्माण के लिए भेजे गए प्रस्तावों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) बिहार में निर्माणाधीन सड़क उपरि पुलों की स्थानवार अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए परियोजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) ऐसे पुलों का निर्माण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क), (ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार ऐसे ठोस प्रस्ताव, जो अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी करते हैं, स्वीकृत किए गए हैं और इन्हें विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण रेलवे एवं राज्य सरकार दोनों का एक संयुक्त कार्य है। रेलवे रेलपथ के ऊपर पुल का निर्माण कराती है जबकि जबकि राज्य सरकार पहुँच मार्गों का निर्माण कराती है। रेलवे द्वारा पुल का निर्माण राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले संपर्क मार्गों के निर्माण से पहले या उनके साथ ही पूरा करने की योजना बनाई जाती है।

विवरण

कार्य का नाम	निम्न के दौरान परिव्यय			मौजूदा स्थिति
	1999-2000	2000-2001	2001-2002	
1. आरा के निकट मुगलसराय-पटना खंड पर कि.मी. 593/9 पर समपार सं. 49 के स्थान ऊपरी सड़क पुल	1000	5000	1000	रेलवे पुल खास का 100% कार्य पूरा कर लिया है। राज्य, सरकार ने अभी पहुंच मार्गों का कार्य आरंभ किया है।
2. दीदारगंज के निकट पटना साहिब-बांका घाट पर कि.मी. 530/16-17 पर समपार सं. 70 'ए' स्पेशल के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	8250	94	12000	आंशिक अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है। सामान्य व्यवस्था आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है। भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। रेलवे कार्य प्रगति पर है।
3. फतुआ के निकट कि.मी. 522/295 पर समपार सं. 70 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	6000	6500	10000	अनुमान स्वीकृत है। राज्य सरकार से एक दिशा में पहुंच मार्गों के लिए सरकारी भूमि सौंपने का अनुरोध किया गया है। पुल खास का कार्य पूरा होने के निकट है। पहुंच मार्गों का कार्य मैसर्स इरकॉन को दिया गया है।
4. भागलपुर के निकट ऊपरी सड़क पुल 153 का बदलाव	0	0	10000	सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित है। राज्य सरकार से पहुंच मार्ग के अनुमान की प्रतीक्षा की जा रही है।
5. सहरसा-पांचगछिया समपार सं. 31/स्पेशल के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	5	10040	15000	राज्य सरकार 30 में से 1 का ग्रेड संशोधित नक्शा अपनाने को सहमत हो गई है। राज्य सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
6. महेश खूट और मानसी के बीच (किमी 113/5-6) समपार सं. 28/स्पेशल के स्थान पर छुकाती ऊपरी सड़क पुल	0	10101	15000	सामान व्यवस्था आरेखण अनुमोदन के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय के पास भेजा गया है जिसकी प्रतीक्षा है।
7. पटना (चेरियांटांड)-मौजूदा ऊपरी सड़क पुल के स्थान पर नया केबल-स्टेड ऊपरी सड़क पुल		100	10000	राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों की लम्बाई में परिवर्तन के कारण संशोधित सामान्य व्यवस्था आरेखण तैयार किया जा रहा है।
8. मीठापुर के निकट पटना-गया खंड में कि.मी. 543/14-15 पर समपार सं. 193 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	5	18000	15000	रेलवे हिस्से के लिए सामान्य आरेखण अनुमोदित कर दिए गए हैं। अनुमान पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

ताजमहल का रख-रखाव

2716. श्री के. येरननायडू : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल का खस्ता हाल है, पीला दिखने लगा है और फव्वारे काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्मारक को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए फ्लड लाइटें लगाने एवं प्रवेश द्वार पर पीतल के झाड़-फानुस पर पालिश लगाने सहित इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्मारक के प्रवेश द्वार पर पीतल का झाड़-फानुस भली-भाँति अनुरक्षित है। स्मारक पर फ्लड लाइट के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रक्षा कर्मियों के मानक रैंक

2717. प्रो. रासासिंह रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में सैनिकों/अधिकारियों को मानद रैंक प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) सेवानिवृत्त होने के बाद मानद रैंक धारक व्यक्तियों को पेंशन लाभ प्रदान करने का ब्यौरा क्या है;

(ग) नियमित नायब सूबेदारों की तर्ज पर नायब सूबेदारों के मानद रैंक धारण करने वाले हवलदारों को पेंशन लाभ न प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के पूर्व ऐसी सुविधा पहले से ही उपलब्ध थी; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे बंद करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) रक्षा सेवा विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित सेना में आनरेरी कैप्टन (सक्रिय सूची) आनरेरी लेफ्टिनेंट (सक्रिय सूची), आनरेरी लेफ्टिनेंट, आनरेरी सूबेदार मेजर, आनरेरी सूबेदार, आनरेरी नायब सूबेदार के रैंक में हवलदार तथा नायक (सेवानिवृत्ति के पश्चात्) के आनरेरी रैंक में, आनरेरी रैंक मंजूर किए जाते हैं।

आनरेरी रैंक मंजूर किए जाने के लिए मानदंड : सेना विनियमों में विभिन्न आनरेरी रैंक दिए जाने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं :–

1. सक्रिय सूची में आनरेरी कैप्टन तथा लेफ्टिनेंट–सेना के लिए विनियमों के पैरा 177 के अनुसार ऐसे जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों को जिन्होंने विशेष रूप से उत्कृष्ट सेवा की है तथा जो नियमित सेना में सेवा कर रहे हैं उन्हें कैप्टन/लेफ्टिनेंट के रैंक में आनरेरी अफसरों के रूप में आनरेरी कमीशन मंजूर किया जा सकता है। सेनाध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त नामांकन हर वर्ष गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दो बार किया जाएगा। प्रत्येक अवसर के लिए अनुपात नीचे दिए गए अनुसार होगा :–

(क) आनरेरी कैप्टन–प्रत्येक 4 आनरेरी लेफ्टिनेंटों के लिए 1

(ख) आनरेरी लेफ्टिनेंट–प्रत्येक 1000 जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों के लिए 12

2. सेवानिवृत्ति के पश्चात् कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार मेजर तथा सूबेदार का आनरेरी रैंक : सेना विनियम, 1987 के पैरा 179 के प्रावधानों के तहत सभी अर्हक जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों को, उनके अप्रभावी होने के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा धारित रैंक से एक रैंक ऊपर मंजूर किया जाता है। इन सम्मानों के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है। तद्नुसार, सभी अर्हक जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों को सेवानिवृत्ति के समय उन्हें उनके द्वारा धारित रैंक से एक रैंक ऊपर मंजूर किया जाता है।

3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् हवलदारों को नायब सूबेदारों का आनरेरी रैंक : सेना विनियम, 1987 के पैरा 180 के प्रावधानों के तहत उन हवलदारों को, जिन्होंने वीरता या सराहनीय सम्मान (एम.एस.एम.) प्राप्त किया है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उनके अप्रभावी होने के एक वर्ष के भीतर गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर साल दो बार नायब सूबेदार का आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है। वीरता अथवा सराहनीय सम्मान पाने वालों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इन सम्मानों के अतिरिक्त, सेना, जिन्होंने दीर्घ सेवा तथा अच्छा आचरण मेडल प्राप्त किया है तथा सराहनीय सेवा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो उनके लिए गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस पर आनरेरी नायब सूबेदार की 500 रिक्तियों के लिए प्राधिकृत है। ये रैंक वरिष्ठता क्रम में तथा वास्तविक पद पर हवलदार के रूप में उनकी सेवा के आधार पर परिगणित, गैर-कमीशन प्राप्त अफसरों की नफरी के आधार पर सेना तथा सेवाओं को आबंटित किए गए हैं।

4. हवलदार तथा नायकों का आनरेरी रैंक : पैरा 181 तथा 182 के प्रावधानों के तहत, हवलदार/नायकों को आनरेरी रैंक प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले 20% नायकों/सिपाहियों को उनकी कलर सेवा के अंतिम वर्ष में प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान अभिलेख कार्यालयों द्वारा वरिष्ठता तथा मेरिट के आधार पर दिया जा रहा है।

पेंशन संबंधी लाभ :

(1) अफसर–जिन अफसरों को सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात् आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है उन्हें कोई बढ़े हुए/अतिरिक्त पेंशन संबंधी लाभ मंजूर नहीं किए जाते हैं।

(2) जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर—जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों को सक्रिय सेवा के दौरान यह सेवानिवृत्ति के बाद लेफ्टिनेंट/कैप्टन का आनरेरी रैंक प्रदान किया जा सकता है। यदि उन्हें उपर्युक्त के अनुसार सक्रिय सेवा के दौरान आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय धारित रैंक के लिए उनके नियत वेतन के आधार पर पेंशन संबंधी लाभ मंजूर किए जाते हैं। इस समय, आनरेरी लेफ्टिनेंटों का निर्धारित वेतन 10500/- रुपए और आनरेरी कैप्टन का वेतन 10850/- रुपए है। यदि आनरेरी रैंक सेवानिवृत्ति के बाद प्रदान किया जाता है तो उनके लिए कोई पेंशन संबंधी अतिरिक्त लाभ स्वीकार्य नहीं है अर्थात् उन्हें सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा धारित मूल रैंक की पेंशन दी जाएगी।

(3) हवलदार, नायक और सिपाही :

- जिन सिपाहियों को सेवा के अंतिम वर्ष के दौरान आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है उन्हें नायक या समतुल्य सेवा के मूल रैंक के लिए मंजूर पेंशन एक रुपया कम कर की जाती है।
- जिन नायकों को सेवा के अंतिम वर्ष के दौरान हवलदार का आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है उन्हें हवलदार के मूल पद या समतुल्य सेवा के लिए यथास्वीकार्य पेंशन में एक रुपया प्रतिमाह कम करके पेंशन मंजूर की जाती है।
- जिन हवलदारों को सेवानिवृत्ति के समय नायब सूबेदार का आनरेरी रैंक प्रदान किया गया हो वे हवलदार के रैंक के लिए अपनी पेंशन के अतिरिक्त 1 अक्तूबर, 1991 से 100/- रुपए प्रतिमाह की दर पर एक अतिरिक्त पेंशन के लिए हकदार होते हैं।
- जिन जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंक को सेवानिवृत्ति के बाद आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है वे अपनी पेंशन में किसी प्रकार की वृद्धि के हकदार नहीं होते हैं। रक्षा मंत्रालय में इस पहलू पर विचार किया गया है और यह मामला 5वें केंद्रीय वेतन आयोग को भी भेजा गया था जिसने इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है।
- जिन हवलदारों को सेवानिवृत्ति के समय नायब सूबेदार का आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है वे 1 अक्तूबर, 1991 से हवलदार के रैंक में अपनी पेंशन के अतिरिक्त 100/- रुपए प्रतिमाह की दर पर अतिरिक्त पेंशन पाने के हकदार हैं।
- जिन हवलदारों को नायब सूबेदार का आनरेरी रैंक प्रदान किया गया है उन्हें 1 अक्तूबर, 1991 से 100/- रुपए अतिरिक्त पेंशन मंजूर की गई है और उसे 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद वापस नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएँ

2718. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र की 33 मेगावाट वाली दो गैस टरबाइनों में से आंध्र प्रदेश के विज्येश्वरम में स्थित गैस आधारित विद्युत संयंत्र को 1 नवंबर, 2000 से तकनीकी समस्या के कारण बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके बंद होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन दो विद्युत परियोजनाओं को राज्य ग्रिड से जोड़ने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या संयंत्र के 100 मेगावाट वाले प्रथम चरण को बंद कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन 14 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन कम हो गया था ताकि आगे और क्षति से बचा जा सके; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस इकाई को शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश जनरेशन कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र तथा विज्वेश्वरम में निजी उद्यमियों की साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित गैस टर्बा पावर स्टेशन (जी.टी.पी.एस.) की 33 मेगावाट क्षमता को गैस टरबाइन-2 का लोड गियर बाक्स में अधिक कंपन आ जाने के कारण दिनांक 29.10.2000 से 20.11.2000 तक बंद कर दिया गया था। सुधार कार्य किए जाने के पश्चात् दिनांक 21.11.2001 को यूनिट में उत्पादन कार्य आरंभ हो गया था।

(ग) जी.टी.पी.एस. की चरण-1 व चरण-2 दोनों यूनिटों को उनके चालू होने की तिथि से ग्रिड से जोड़ा गया है।

(घ) और (ङ) लोड गियर बाक्स में कंपन को कम करने के लिए 33 मेवा जी.टी. यूनिट का भार कम किया गया था। कंपन संबंधी समस्या को अब ठीक कर लिया गया है और यूनिट पूर्ण भार उत्पादन कार्य कर रही है।

पंजाब के सड़क उपरि पुलों का निर्माण

2719. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के महत्त्वपूर्ण और व्यस्त रेलवे फाटकों पर सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो वे स्थान कौन-कौन से हैं जहाँ अगले वर्ष के दौरान ऐसे उपरि पुलों का निर्माण किया जाना है;

(ग) निर्माणाधीन उपरि पुलों का स्थानवार ब्यौरा और मौजूदा स्थिति क्या है; और

(घ) इन उपरि पुलों का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। जहाँ एक लाख या इससे अधिक गाड़ी वाहन इकाइयां (गाड़ी वाहन इकाइयाँ-24 घंटों में समपार से गुजरने वाली सड़क वाहनों और रेलगाड़ियों की संख्या से गुणा करके प्राप्त संख्या) का यातायात घनत्व होता है। रेलवे ऐसे व्यस्त समपारों का परिवर्तन लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के निर्माण के जरिए कराती है। बशर्ते कि इसे राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाए। पंजाब राज्य सरकार के प्रस्ताव जो पूर्वापेक्षाएँ पूरी करते हैं, को रेलों ने मंजूरी दे दी है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण रेलवे एवं राज्य सरकार का एक संयुक्त कार्य है। रेलवे रेलपथ के ऊपर पुल का निर्माण करवाती है जबकि राज्य सरकार पहुँच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले संपर्क मार्गों के निर्माण से पहले या उसके साथ ही पूरा करने की योजना बनाई जाती है।

विवरण

(ग) रेलवे ने पंजाब में लागत में भागीदारी के आधार पर निम्नलिखित ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण करने की योजना बनाई है :

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	मौजूदा स्थिति
1.	लुधियाना-लुधियाना-धुरी खंड पर समपार सं. ए-2 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	96-97	नक्शे और अनुमान पर अनुमोदन की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे निर्माण, परिचालन एवं हस्तांतरण संकल्पना पर इसके निष्पादन पर विचार कर रही है।
2.	जालंधर-दो-मोरिया पुल के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	97-98	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। राज्य सरकार को अभी पहुँच मार्गों के नक्शे तैयार करने हैं। उनके द्वारा प्रोफाइल रूपरेखा का संशोधन किया जा रहा है। पहुँच मार्गों पर कार्य आरंभ होने के पश्चात् रेलवे के हिस्से में कार्य आरंभ किया जाएगा।
3.	सरहिंद-समपार सं. 144-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	98-99	कार्य प्रगति पर है। सभी पाये ढाल दिए गए हैं, पायों की कैप और 12 अदद कॉलम ढाल लिए गए हैं।
4.	सुनाम-समपार सं. ए-76 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	99-2000	संशोधित प्रोफाइल रूपरेखा अनुमोदित कर दी गई है। विस्तृत अनुमान पर कार्रवाई की जा रही है। रेलवे हिस्से के लिए निविदा खोल दी गई है। मृदा जाँच की जा रही है।
5.	राजपुरा—समपार सं. 135-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	99-2000	संशोधित प्रोफाइल रूपरेखा अनुमादित कर दी गई है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। जी.ए. नक्शों पर अनुमोदन के लिए कार्रवाई की जा रही है और निविदाएँ आमंत्रित कर दी गई हैं।
6.	भटिंडा यार्ड—कि.मी. 297/7-8 पर समपार सं. 245 ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2000-01	संशोधित प्रोफाइल रूपरेखा अनुमोदित कर दी गई है। मृदा जाँच पूरी हो गई है। राज्य सरकार से अनुमान की प्रतीक्षा है।

विमानवाहक पोत की खरीद

2720. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार देश की तात्कालिक सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय नौसेना के लिए एक दूसरा विमानवाहक पोत खरीदन का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) इस समय भारतीय नौसेना की सेवा में भारतीय नौसेना पोत विराट नामक एक ही विमान वाहक है जबकि इसे दो संक्रियात्मक विमान वाहकों की आवश्यकता है। सरकार ने वर्ष 1999 में भारतीय नौसेना के लिए एक वायु रक्षा पोत का स्वदेशी निर्माण करने की मंजूरी दे दी है।

रूसी संघ सरकार ने भारत को एक विमान वाहक 'एडमिरल गोर्शकॉव' उपहार स्वरूप देने की पेशकश की है। तथापि, इसे भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल किए जाने से पहले इसकी मरम्मत, संशोधन तथा आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। भारत तथा रूसी पक्षों के बीच 4 अक्तूबर, 2000 को इस संबंध में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

केलों की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की उपलब्धता

2721. श्री वाई.जी. महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केलों की ढुलाई के लिए मध्य रेलवे के भुसावल मंडल में स्थित सावदा, निंभोरा और रावेर रेलवे स्टेशनों पर माल डिब्बों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) माल डिब्बों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) विगत छः माह के दौरान भुसावल मंडल के सावदा, निंभोरा और रावेर स्टेशनों पर कच्चे केलों के लदान के लिए मालडिब्बों की कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भुसावल मंडल के उपर्युक्त स्टेशनों से कच्चे केले के संचलन के लिए मालडिब्बों की कोई कमी नहीं है और कच्चे केले की ढुलाई की सभी माँगें पूरी की जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सावरा, निंभोरा और रावेर से केले के लदान का स्टेशन-वार ब्यौरा इस प्रकार है :–

स्टेशन	1998-99	1999-2000	2000-2001 (फरवरी 2001 तक)
सावदा	4150 मालडिब्बा +110 पार्सल यान	10049 मालडिब्बा (9509 मालडिब्बे फरवरी, 2000 तक)	6506 मालडिब्बा +212 पार्सल यान
निंभोरा	2270 मालडिब्बा +49 पार्सल यान	4382 मालडिब्बा (4082 मालडिब्बे फरवरी, 2000 तक)	3106 मालडिब्बा +104 पार्सल यान
रावेर	1548 मालडिब्बा +47 पार्सल यान	4510 मालडिब्बा (4300 मालडिब्बे फरवरी, 2000 तक)	6234 मालडिब्बा +313 पार्सल यान
जोड़ भुसावल मंडल	8986 मालडिब्बा +385 पार्सल यान	21421 मालडिब्बा (20227 मालडिब्बे फरवरी, 2000 तक)	16690 मालडिब्बा +629 पार्सल यान

2000-2001 में 1999-2000 की तद्नुरूपी अवधि की तुलना में लदान में कमी चालू वर्ष में फसल कम होने और तद्नुसार केलों की कम माँग प्रस्तुत किए जाने के कारण हुई।

[अनुवाद]

दिल्ली स्टेशन पर दलाल

2722. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री दिनांक 24.08.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4838 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) क्षेत्रीय रेलों से सूचना की अभी प्रतीक्षा है और संसदीय कार्य मंत्रालय से तीन महीनों के लिए अर्थात् 23.5.2001 तक समयावधि बढ़वा ली गई है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान में आतंकवादी शिविर

2723. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में आई.एस.आई. की मदद से भारत के विरुद्ध चलाए जा रहे आतंकवादी शिविरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उन शिविरों से भारत को भेजे जाने वाले आतंकवादियों की संख्या की जानकारी है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कारगर उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार को, पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कुछ कैंपों के अस्तित्व के बारे में जानकारी है, जहाँ आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

सरकार निरंतर समुचित सतर्कता बरत रही है और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए आवश्यक कदम उठाती है।

[अनुवाद]

राजधानी एक्सप्रेस में गाड़ी अधीक्षक

2724. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री राजधानी एक्सप्रेस में गाड़ी अधीक्षक के बारे में 14.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4126 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना की अभी प्रतीक्षा है और अतिरिक्त 3 महीने अर्थात् 13.6.2001 तक के लिए समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

रत्नागिरी तेल क्षेत्र में ओ.एन.जी.सी. की हिस्सेदारी

2725. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने रत्नागिरी तेल क्षेत्र में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी का प्रस्ताव एक निजी फर्म को दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो रत्नागिरी तेल क्षेत्र में इस संयुक्त उद्यम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम पहले ही रत्नागिरी में 30 तेल कुओं की खुदाई कर चुका है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या रत्नागिरी में कमीशन पर आधारित उत्पादन शुरू हो चुका है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ग) जी नहीं।

(ख), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल परियोजनाओं में निवेश

2726. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चस्तरीय रेल सुरक्षा समिति ने सिफारिश की है कि रेल विभाग को उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए जिसमें न्यूनतम 20% से अधिक लाभांश सुनिश्चित हो;

(ख) यदि हाँ, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने उन रेल परियोजनाओं का पता लगाया है जिनमें नकारात्मक विकास दर पहले से ही अंतर्निहित है;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेल विभाग ऐसी परियोजनाओं की पुनरीक्षा कर रहा है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की अध्यक्षता में गठित रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट का दूसरा खंड पेश किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई है कि किसी निवेशीय प्रस्ताव को वरीयता देने एवं उनको मंजूरी देते समय केवल वित्तीय औचित्य को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा अब केवल उन्हीं परियोजनाओं को शुरू किया जाना चाहिए जिनका न्यूनतम प्रतिफल मौजूदा बाजार ब्याज दर से थोड़ा ज्यादा अर्थात् 20% हो। भारतीय रेलवे की मौजूदा वित्तीय तंगियों के मद्देनजर यह जरूरी होगा कि सामरिक लाइनों को छोड़कर अन्य मामलों में किसी भी व्यक्ति को ऐसी परियोजनाओं को मंजूर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिससे न्यूनतम प्रतिफल की दर प्राप्ति न होती है; संबंधित संहिताओं को तद्नुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

(ग) जी नहीं। समिति ने ऋणात्मक प्रतिफल की दर वाली परियोजनाओं को सूचीबद्ध नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा सिफारिशों की जाँच की जा रही है। सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय वायुसेना में वित्तीय अनियमितताएँ

2727. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली स्थित भारतीय वायुसेना के कार्यालय में वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) 7 बेस मरम्मत डिपो में पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय दर संविदा के माध्यम से सिविल फर्मों से सामान की अधिप्राप्ति वित्तीय अनियमितताएँ पाई गई थीं। प्राधिकार के बिना ही बड़ी मात्रा में डुप्लीकेटिंग पेपर, फोटोकापिंग पेपर तथा माइल्ड स्टील वेल्डिंग इलैक्ट्रॉड्स खरीदे गए थे और हालांकि उपर्युक्त मदों की अत्यल्प मात्रा की आपूर्ति की गई थी/चार्ज में ली गई थी तथापि वेतन एवं लेखा अधिकारी, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, पूर्ति विभाग द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया था। इस असंगत सामान का मूल्य 26.60 लाख रुपए है।

इस मामले में वायुसेना द्वारा बिठाई गई जाँच अदालत ने प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं का मामला पाया है। तथापि, वायुसेना जाँच अदालत आपूर्तिकर्ताओं, वेतन तथा लेखा कार्यालय, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, निरीक्षण अधिकारी, गुणता आश्वासन निदेशालय (रक्षा मंत्रालय) तथा रक्षा लेखा नियंत्रक, वायुसेना से निर्णायक साक्ष्य नहीं जुटा पाई है। अतः आगे जाँच के लिए यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादन पूर्व लिया जाने वाला समय

2728. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पादन पूर्व कम समय लेने वाली विद्युत परियोजनाओं को अपना ईंधन नाफ्था से बदलकर गैस अथवा डीजल करने के लिए प्राधिकृत करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या एक ईंधन से दूसरे ईंधन में परिवर्तन की अनुमति दी जा चुकी है;

(ग) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं से परिसमापन क्षति के दावे संबंधी अधिकार क्या हैं;

(घ) क्या नाफ्था से गैस में परिवर्तन से पूँजी लागत के संदर्भ में 100 से 200 करोड़ रुपए की बचत होती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की लागत में क्या अंतर है और इस अंतर का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) वर्तमान नीति ईंधन की आवश्यकता को नैफ्था से गैस या नैफ्था से डीजल में परिवर्तित करने की अनुमति इसकी व्यवहार्यता की शर्त पर प्रदान करती है। ईंधन संबंधी आवश्यकता को एक ईंधन से दूसरे ईंधन में परिवर्तित करने की अनुमति ईंधन की उपलब्धता और इस प्रकार के परिवर्तन की व्यवहार्यता पर विचार करने के पश्चात् संबंधित राज्य सरकार/परियोजना विकासकर्ता के अनुरोध पर कुछ मामलों में प्रदान किया गया है। परिसमापित क्षतियों का दावा करने से संबंधित प्रावधानों को ईंधन आपूर्तिकर्ताओं और परियोजना विकासकर्ता के बीच निष्पन्न हुए ईंधन आपूर्ति समझौते के अंतर्गत शामिल किया गया है और मामला-दर-मामला भिन्न-भिन्न होता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन

2729. श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारवाही पशु शक्ति कार्यक्रमों को भारवाही पशु शक्ति कार्यक्रम केंद्रों की स्थापना के माध्यम से संगठित और समन्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे कार्यक्रमों को संगठित और समन्वित किए जाने के लिए पशु ऊर्जा केंद्रों की स्थापना हेतु आवश्यक शुरूआती कार्य कर लिए गए हैं;

(ग) ऐसे केंद्रों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के लिए कितनी वित्तीय आवश्यकता और आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) जी नहीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पशु ऊर्जा केंद्रों के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली और आगामी आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल नहीं किया गया।

(घ) वर्ष 2001-02 के लिए पशु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए 10.00 लाख रु. के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा 'फ्लाई एश' का उत्पादन

2730. श्रीमती जया बहन बी. ठक्कर :
श्री अनंत गुढे :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समूचे देश में अनेक ताप विद्युत संयंत्रों से प्रतिवर्ष 60 मिलियन टन 'फ्लाई एश' निकलती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेष रूप से महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) भट्ठे की ईंटों की बजाय 'फ्लाई एश' और 'लाइम' प्रौद्योगिकी के लाभकारी प्रयोग हेतु तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में 80 ताप विद्युत स्टेशनों में से 74 ताप विद्युत स्टेशनों में चूर्ण उड़न राख का उत्पादन 76.894 मिलियन टन वार्षिक था। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य समेत ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) उड़न राख के समुपयोजन और इसके सुरक्षित प्रबंधन पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। उड़न राख समुपयोजन करने के अन्य तरीकों के साथ-साथ उड़न राख बालू चूना के ईंटों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। सरकार द्वारा आरंभ की गई कार्रवाई में निम्न शामिल हैं :–

1. भारत सरकार के उड़न राख मिशन जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत टेक्नोलॉजी इनफोरमेशन फोरकास्टिम एवं ऐससमेंट काउंसिल द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाला विद्युत मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा विज्ञान एवं तकनीकी विभाग का एक संयुक्त कार्य है के अंतर्गत उड़न राख समुपयोजन/उड़न राख के सुरक्षित निपटान के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी निदर्शन परियोजना आरंभ की गई है और यह मिशन उड़न राख बालू चूना ईंटों के साथ-साथ सारे देश में इस प्रकार की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है।

2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 14 सितंबर, 1999 को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत देश में प्रत्येक ताप विद्युत स्टेशन से 50 कि.मी. की दूरी के बीच मिट्टी की ईंटें निर्मित करने के लिए मिट्टी के उपयोग को हतोत्साहित किया गया है।

3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के द्वारा देश में विविध ईंटों का इस्तेमाल करने वाली विभिन्न एजेंसियों को उड़न राख के ईंटों का उपयोग करने में तेजी लाने को कहा गया है।

4. देश में उड़न राख के पूर्व समुपयोजन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सभी ताप विद्युत स्टेशनों कोयला/लिग्नाइट द्वारा समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जानी अपेक्षित है और इस योजना को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण को और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

विवरण

देश भर में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उड़न राख उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	चूर्ण उड़न राख उत्पादन मिलियन टन प्रतिवर्ष
1.	आंध्र प्रदेश	8.975
2.	असम	0.029
3.	बिहार (झारखंड समेत)	1.679
4.	छत्तीसगढ़	4.943
5.	दिल्ली	1.668
6.	गुजरात	5.597
7.	हरियाणा	1.161
8.	कर्नाटक	2.200
9.	मध्य प्रदेश	7.622
10.	महाराष्ट्र	10.741
11.	उड़ीसा	3.309
12.	पंजाब	3.596
13.	राजस्थान	1.391
14.	तमिलनाडु	6.508
15.	उत्तर प्रदेश	10.714
16.	पश्चिम बंगाल	6.673
	कुल	76.894

* बरौनी, मुजफ्फरपुर और पतरातू ताप विद्युत ताप विद्युत केंद्र से संबंधित आँकड़े शामिल नहीं हैं।

** कच्छ टी.पी.एस. से संबंधित ता.वि.के. से संबंधित आँकड़े शामिल नहीं हैं।

*** आंबरा और टाडा टी.पी.एस. से संबंधित आँकड़े शामिल नहीं हैं।

टिहरी पनविद्युत परियोजना भूकंप प्रवण क्षेत्र में

2731. श्री रामजीवन सिंह :
श्री रामचंद्र पासवान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी पनविद्युत परियोजना विश्व के सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्रों में से एक में स्थित है; और

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ किसी अनहोनी से निपटने के लिए सरकार द्वारा किस रणनीति पर विचार किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो के कोड 1893-1984 के अनुसार भारत को 5 भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बाँटा गया है, जिसमें क्षेत्र-5 सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। टिहरी बाँध भूकंप प्रभावित क्षेत्र-4 में अव्यवस्थित है।

टिहरी बाँध को भूकंप प्रभाव से सुरक्षा हेतु उसी के अनुरूप बनाया गया है और इसके डिजाइन में विभिन्न वैसी विशेषताएँ हैं जो इसे एक दोष रहित संरचना प्रदान करती है। बाँध के डिजाइन की सरकार द्वारा समय-समय पर गठित विभिन्न समितियों/विशेषज्ञ समूहों द्वारा जाँच-परीक्षण कर ली गई है और इसे सर्वाधिक झटके वाले भूकंप को झेलने की क्षमता रखने वाला पाया गया है।

टिहरी बाँध की भूकंप से सुरक्षा के संबंध में लगातार बनी हुई चिंता के मद्देनजर इसकी सुरक्षा की पुनः जाँच करने हेतु जून, 1996 में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया। विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाँध की डिजाइन भूकंप के महत्तम झटकों को भी झेलने में सक्षम है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, सीपत द्वारा कोयले की खरीद

2732. डा. चरणदास महंत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीपत (छत्तीसगढ़) स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाई में केवल 0.24 प्रतिशत सल्फर वाले कोयले के प्रयोग की ही अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इस प्रकार का कोयला किस स्रोत से खरीदता है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) भारत में ताप विद्युत परियोजनाओं से सल्फर हेतु कोई निःसरण सीमा नहीं है। तथापि, ताप विद्युत यूटिलिटियों को विनियामक मानदंडों के अनुरूप ऊँची चिमनियाँ प्रदान की जानी होती हैं। तद्नुसार, विनियामक मानदंडों के अनुरूप, सीपत ताप विद्युत परियोजना के लिए चिमनी की ऊँचाई 275 मीटर होने की परिकल्पना की गई है।

कोयला मंत्रालय ने मार्च, 1996 में संकेत दिया था कि सीपत एस.टी.पी.पी. को कोरबा कोयला खदानों से कोयले की आपूर्ति की जा सकती है जो स्थायी लिंकेज समिति (एस.एल.सी.) द्वारा पुष्टि किए जाने के वहन होगी जिसने अक्तूबर, 1996 में सीपत एस.टी.पी.पी. को कोयला लिंकेज प्रदान किए जाने का निर्णय लिया था। तथापि, उस समय सीपत एस.टी.पी.पी. को कोयला प्रदान करने हेतु विशिष्ट खदान को अभिज्ञात नहीं किया जा सका था। एक विशिष्ट खान ब्लॉक के अभाव में कोरबा एस.टी.पी.एस. से उपलब्ध कोयला संबंधी मानदंडों को (0.24% सल्फर के साथ) जो कोरबा कोयला खानों से भी कोयला प्राप्त करते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु ले लिया गया।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इस परियोजना का अनुमोदन करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक शर्त निर्धारित की कि 0.24% तक के सल्फर अंश वाले कोयले का ही प्रयोग किया जाए।

तदुपरांत जून, 1999 में साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड लि. ने सीपत एस.टी.पी.पी. के जुड़े हुए स्रोत दीपका विस्तार परियोजना से कोयले में सल्फर का अंश 0.4% से 0.6% होगा।

एन.टी.पी.सी. ने 0.4% से 0.6% के मध्य के सल्फर अंश वाले कोयले को जलाते समय उनके द्वारा प्रस्तुत वायु गुणवत्ता पर संबोधित प्रभाव (जो विनियामक एजेंसियों द्वारा विनिर्दिष्ट परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंडों के भीतर है) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति के निर्धारण में आवश्यक संशोधनों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संपर्क स्थापित किया है।

दिल्ली के जिला न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग

2733. श्री ताराचंद भगोरा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'क' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दिल्ली की जिला सैशन और दूसरी अधीनस्थ अदालतों में राजकीय कार्य हिंदी भाषा में किए जाने के लिए क्या व्यवस्था है;

(ख) दिल्ली स्थित सैशन अदालतों और दूसरी अधीनस्थ अदालतों में हिन्दी टंककों, हिन्दी आशुलिपिकों और देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या कितनी है;

(ग) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले जजों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) राजभाषा नियमों के अनुपालन में अपेक्षित स्तर तक सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति

2734. श्री अशोक प्रधान : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकांश व्यक्तियों को सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त/सांविधिक निकायों और मंत्रालय के निगमों के प्रबंध बोर्ड/शासी परिषदों के प्रमुखों/अध्यक्ष सह प्रबंध-निदेशकों/सरकारी/गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त/सांविधिक निकायों और मंत्रालय के निगमों के प्रबंध बोर्ड/शासी परिषदों के प्रमुखों/अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के कितने पद हैं तथा इन पदों पर 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 को इन वर्गों के कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त/सांविधिक निकायों, अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों के प्रबंध बोर्ड/शासी परिषदों के प्रमुखों/अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों तथा सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के पदों पर नियुक्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित सभी उम्मीदवारों के गुण-दोष, वरिष्ठता तथा पात्रता के आधार पर की जाती है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

महाराष्ट्र को अनुदान

2735. श्री मोहन रावले :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से 2003-2004 में नासिक और ट्रांबाकेश्वर में सिमहस्ता कुंभ मेला के लिए अनुदान सहायता की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विभाग द्वारा, वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए संपन्न प्राथमिकता प्रदत्तीकरण बैठक में नासिक तथा त्रयंबकेश्वर में 2003-2004 के दौरान आयोजित होने वाले सिमहस्थ कुंभ मेले के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति

2736. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी कार्य विभाग ने लाभ न कमाने या पर्याप्त लाभ न कमाने वाली कंपनियों में प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति को युक्तिसंगत बनाने और प्रबंधकों के पारिश्रमिक के भुगतान संबंधी आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्तियों और पारिश्रमिक के संबंध में निर्धारित सीमा से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी कंपनियों के आवेदन मंजूर/रद्द किए गए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जी, हाँ। कंपनी कार्य विभाग ने इस संबंध में आत्मपरकता कम करने के उद्देश्य से तथा आवेदनों के प्रस्तुतीकरण में अधिक पारदर्शिता एवं संक्षिप्तता लाने के लिए दिनांक 27.12.2000 को एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में आवेदन प्रस्तुत करते समय विचार किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। आवेदनों में साधारणतया पाई जाने वाली कमियों पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है तथा एक निरीक्षण सूची पर भी रोशनी डाली गई है ताकि आवेदन प्रस्तुत करते समय उल्लिखित फार्म पूर्ण रूप से तथा सही ढंग से भरा जाना सुनिश्चित किया जा सके जिससे कि निपटान शीघ्रतर एवं तीव्रतर किया जाए।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों (1998-2000) के दौरान प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 269/309, के अंतर्गत 1462 आवेदन प्राप्त हुए। इन 1462 आवेदनों में से, 1350 आवेदन मंजूर किए गए। 20 आवेदनों में कंपनी अधिनियम की अनुसूची XIII के अंतर्गत पारिश्रमिक सीमा से अधिक उल्लिखित किया गया इसलिए उन्हें मंजूर नहीं किया गया। 29 आवेदन कर्मियों/अपर्याप्त सूचना के मद्देनजर बंद किए गए।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश से सेना में भर्ती

2737. श्री महेश्वर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या के आधार पर सेना में भर्ती संबंधी मानदंडों को लागू किए जाने के बाद से सेना में हिमाचल प्रदेश से भर्ती किए जाने वाले जवानों के प्रतिशत में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री की ओर से दिनांक 9 दिसंबर, 1999 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य में नियुक्ति योग्य पुरुषों की जनसंख्या को देखते हुए इस प्रतिशत में वृद्धि किए जाने की माँग की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो अभी तक इस पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) मुख्य मंत्री के 9 दिसंबर, 1999 के पत्र का उत्तर उन्हें 01 अप्रैल, 2000 को भेज दिया गया था।

एल.पी.जी. कनेक्शन

2738. प्रो. दुखा भगत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस तारीख तक के पंजीकृत आवेदनों को राज्यवार गैस के कनेक्शन दे दिए गए हैं;

(ख) लंबित आवेदनों को कब तक उक्त कनेक्शन दिए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त जिले में कितनी गैस एजेंसियाँ कार्यरत हैं और उनमें प्रत्येक को कितने गैस कनेक्शन दिए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ भावी ग्राहकों के पंजीकरण की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद पूरे देश में विद्यमान बाजारों में माँग पर नए एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करती है।

(ग) 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों की कुल संख्या 6376 थी और इन डिस्ट्रीब्यूटरों के पास कुल ग्राहक संख्या लगभग 5.63 करोड़ थी।

[अनुवाद]

रेल की पटरियाँ हटाना

2739. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 2001 में दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत कतिपय स्थानों पर काफी लंबाई की रेल पटरियाँ हटाई गई थीं;

(ख) इस अवैध और खतरनाक गतिविधि वाले सही-सही स्थान कौन-कौन-से हैं;

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेलवे को इस खंड की संवेदनशीलता के संबंध में अग्रिम सूचना मिल गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो क्या ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) दक्षिण मध्य रेल के हैदराबाद मंडल के सिकंदराबाद-मुदखेड खंड में 416/5-7 कि.मी. पर 28.2.2001 को 36 मीटर लंबी पटरियाँ हटा दी गई थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) घटना के बाद सिकंदराबाद-मुदखेड खंड पर मुदखेड-बसार स्टेशनों के बीच सुरक्षा गश्त लगा दी गई है।

[हिन्दी]

सहस्राब्दी कार्ड योजना

2740. श्री पदमसेन चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सहस्राब्दी कार्ड योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यात्रियों को ये कार्ड जारी किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कार्डों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सहस्राब्दी कार्डों को जारी करने की योजना की विस्तृत जाँच की जा रही है।

[अनुवाद]

बागडोगरा हवाई अड्डे की हवाई पट्टी पर फिर से सतह बिछाया जाना

2741. श्री अमर राय प्रधान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागडोगरा हवाई अड्डे की हवाई पट्टी पर फिर से सतह बिछाए जाने का कार्य किस तारीख से शुरू किया गया था;

(ख) इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या तारीख तय की गई;

(ग) क्या यह कार्य पूरा हो गया है और हवाई अड्डे का प्रयोग उड़ानों के लिए किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्य को पूरा किए जाने और हवाई अड्डे के बंद पड़े रहने के संबंध में संसद सदस्यों से दिनांक 1.4.2000 से 28.2.2001 तक की अवधि में प्राप्त अनुरोधों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) वायु सेना द्वारा बागडोगरा हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के पुनर्सतहीकरण का कार्य 10 नवंबर, 1999 को शुरू किया गया था। इस कार्य को 31 जनवरी, 2001 तक पूरा किए जाने की योजना थी परंतु सिविल एयरलाइनों की प्रचालनात्मक जरूरतों तथा अत्यधिक वर्षा आदि सहित कुछ अन्य कारणों से अब यह कार्य 31 मार्च, 2001 तक पूरा होने की आशा है। तथापि, भारतीय वायुसेना ने निर्धारित सिविल उड़ानों के प्रचालन को जारी रखने में सिविल एयरलाइनों की सहायता के लिए विशेष प्रयास किए हैं तथा रनवे संख्या 01 पर प्रिसीजन एप्रोच पाथ इंडिकेटर लग जाने के बाद 4 जनवरी, 2001 से ये एयरलाइनें नियमित रूप से संचालित हो रही हैं।

(ङ) माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा विदेश मंत्री, सिक्किम के मुख्य मंत्री तथा एक माननीय संसद सदस्य से अनुरोध प्राप्त हुए थे जिन्हें पहले ही स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता

2742. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ में पाँचवीं इकाई के शिलान्यास समारोह के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उनके द्वारा राजस्थान में विद्युत उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपने विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता की माँग की है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) विद्युत मंत्री ने सूरतगढ़ ताप विद्युत केंद्र (यूनिट-5) की आधारशिला रखते समय राजस्थान राज्य को इसके वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु सहायता देने की घोषणा की। इसके अनुसरण में राज्य द्वारा तीन वितरण क्षेत्र नामतः जोधपुर, अलवर एवं झुंझुनु क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं एवं त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमों एवं उनकी कुल लागत एवं निधि को अनुमोदित किया गया है :–

राजस्थान

क्र.सं.	राज्य यूटिलिटी	स्कीम का नाम	परियोजना लागत	अनुदान	ऋण	ए.पी.डी.पी. के अंतर्गत कुल राशि (अनुदान+ऋण)
जोधपुर वी.वी.एन.एल.	ओधपुर सर्किल	वितरण ट्रांसफर्मर	27.89	6.97	6.97	13.95
जोधपुर वी.वी.एन.एल.	जोधपुर सर्किल	मीटर	15.62	3.91	3.91	7.81
आर.आर.वी.पी. एन.एल.	अलवर सर्किल	ट्रांसमिशन	7.12	1.78	3.56	
अलवर	मीटर		9.00	2.25	2.25	4.50
झुंझुनु	मीटर		8.15	2.04	2.04	4.08
जोधपुर	मीटर		10.85	2.71	2.71	5.43
अलवर	कैप.		3.20	0.80	0.80	1.60
झुंझुनु	कैप.		3.70	0.93	0.93	1.85
जोधपुर	कैप.		4.45	1.11	1.11	2.23
			89.98	22.50	22.50	45.01

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने विद्युत केंद्र के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु ए.पी.डी.पी. के अंतर्गत वित्तीय सहायता माँगी है। इस उद्देश्य से उन्होंने भी तीन वितरण क्षेत्र अभिज्ञात किए हैं। ए.पी.डी.पी. के अंतर्गत मंजूर परियोजना समेत इसके अंतर्गत जारी निधि निम्नानुसार है :–

मध्य प्रदेश

क्र.सं.	राज्य यूटिलिटी	स्कीम का नाम	परियोजना लागत	अनुदान	ऋण	ए.पी.डी.पी. के अंतर्गत कुल राशि (अनुदान+ऋण)
एम.पी.ई.बी.	आर एंड एम ऑफ 1142.5 मे.वा. सतपुड़ा टी.पी.एस. (5×625+1×200+3 ×210 मे.वा.)	आर एंड एम	22.34	5.59	5.59	11.17
एम.पी.ई.बी.	ग्वालियर	मीटर	12.41	3.10	3.10	6.21
एम.पी.ई.बी.	इंदौर	मीटर	19.35	4.84	4.84	9.68
एम.पी.ई.बी.	उज्जैन	मीटर	21.36	5.34	5.34	10.68
एम.पी.ई.बी.	ग्वालियर	कैप.	0.42	0.11	0.11	0.21
एम.पी.ई.बी.	इंदौर	कैप.	2.99	0.75	0.75	1.50
एम.पी.ई.बी.	उज्जैन	कैप.	1.70	0.43	0.43	0.85
			80.57	20.16	20.16	40.3

[अनुवाद]

स्काई बस व्यवस्था

2743. श्री अनंत गुढे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई में भीड़-भाड़ वाले रूटों पर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम के रूप में स्काई बसें चलाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना की तकनीकी उपयुक्तता, लागत प्रभाविता और परियोजना की कुल लागत वित्त पोषण व्यवस्था आदि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित किए जाने की समय सारणी सहित प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कोंकण रेल निगम ने केवल सुझाव दिया है कि कुछ प्रमुख शहरों के सामने मौजूद शहरी परिवहन समस्याओं के लिए स्काई बस मेट्रो प्रणाली संभावित हलों में से एक हो सकती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव में रुचि दर्शायी है और कोंकण रेल निगम से उनकी वार्ता चल रही है।

(ख) और (ग) यह प्रस्ताव अभी भी संकल्पना के चरण में है।

अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बेड़ों का निरीक्षण

2744. श्री ए. नरेन्द्र :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने हाल ही में मुंबई में किसी अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बेड़े के निरीक्षण का आयोजन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आयोजन में शामिल और वास्तव में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं और देशवार इस अभ्यास में कितने पोतों ने भाग लिया;

(घ) इस संबंध में कुल कितना व्यय हुआ;

(ङ) क्या नौसेना अधिकारियों ने पूर्वाभ्यास के दिनों में मुंबई के आस-पास की औद्योगिक इकाइयों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी थी;

(च) यदि हाँ, तो इन उद्योगों को बंद किए जाने के कारण कितना उत्पादन घाटा होने का अनुमान है; और

(छ) इस संबंध में सभी पक्षों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बेड़े का निरीक्षण (रिव्यु) 17 फरवरी, 2001 को आयोजित किया गया था जिसमें 19 विदेशी राष्ट्रों से आए युद्धपोतों ने भाग लिया था। विदेशी भागीदारों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) इस आयोजन के लिए सरकार द्वारा 2.87 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी।

(ङ) नौसैनिक प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से विभिन्न उद्योगों की अनुरक्षण अवधियों के पुनः निर्धारण संबंधी व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए अनुरोध किया था ताकि उसे नौसैनिक बेड़े की निरीक्षण अवधि के अनुरूप बनाया जा सके। इसे स्वच्छ वायु अभियान ने एक भाग के रूप में किया गया था। तथापि, यदि औद्योगिक इकाइयों के लिए ऐसा करना व्यवहार्य नहीं पाया जाए तो वे पूर्वाभ्यास के दिनों में और नौसैनिक बेड़े के निरीक्षण के दौरान कार्य करने के लिए स्वतंत्र थीं।

(च) और (छ) महाराष्ट्र राज्य सरकार को सूचना प्राप्त की जा रही है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा निरीक्षण 2001 में भागीदारी संबंधी विवरण

क्र.सं.	भाग लेने वाले देश	पोत की किस्म/नाम	प्रतिनिधि मंडल
1	2	3	4
1.	बांग्लादेश	बी.एन.एस. अली हैदर	कमोडोर ए.के.एम. आजाद
2.	फ्रांस	एफ.एन.एस. दुप्ले एफ.एन.एस. पेरले	वाइस एडमिरल जीन लुईस बटेट, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड रियर एडमिरल हरवे गिराँड, अलिनडियन
3.	मलेशिया	केडी जेबत केडी लक्षमण तान पुस्माह	वाइस एडमिरल दातो सेरी अबू बकर बिन अब्दुल जमाल, सी.एन.एस.
4.	श्रीलंका	एस.एल.एन.एस. सयूरा	वाइस एडमिरल दया सांदागिरी
5.	ब्रिटेन	एच.एम.एस. कंबरलैंड	एडमिरल सर, नाइजल इसनेहाई, सी.एन.एस.
6.	सिंगापुर	आर.एस.एस. एंड्यूरेंस	रियर एडमिरल लुई टक यू, सी.एन.एस.
7.	पोलैंड	ओ.आर.पी. वोडनिक	कैप्टन ज़ज़ीसलों ज़मुदा
8.	थाइलैंड	एच.टी.एन.एस. बंगपकोंग	एडमिरल नावी सातिकनाविन
9.	आस्ट्रेलिया	एच.एम.ए.एस. डार्विन	वाइस एडमिरल डीजे शेकलेटन, सी.एन.एस.

1	2	3	4
10.	ओमान	आर.एन.ओ.वी. काहिर अल अमवाज आर.एन.ओ.वी. अल नजाह	एच.एच. रियर एडमिरल सईद सिहाब बिन तारिक् अल-सैद, कमांडर ऑफ रॉयल नेवी ऑफ ओमान
11.	दक्षिण अफ्रीका	एस.ए.एस. ड्रेकन्सबर्ग	वाइस एडमिरल जे. रेटिफ, सी.एन.एस.
12.	जापान	जे.डी.एस. अमागिरी	वाइस एडमिरल नोबुचिका माकिमोटो, प्रेसीडेंट जे.एम.एस.डी.एफ.
13.	अमरीका	यू.एस.एस. कॉवपेंस	वाइस एडमिरल जेम्स मेत्जर, सेवंथ फ्लीट कमांडर
14.	रूस	एडमिरल विनोग्रादोव एडमिरल पेंटेलीव	एडमिरल वी.आई. कुरोइदोव, सी.एन.एस.
15.	इंडोनेशिया	के.आर.आई. तोडक	रियर एडमिरल एस.आई. पुतोअरदाना
16.	ईरान	आई.आर.आई.एस. अलवांद	कैप्टन याहया दलवांद (एस.ओ.पी.ए.)
17.	केन्या	के.एन.एस. शुजा के.एन.एस. न्यायो	मेजर जनरल ए.ए. रफरऊफ, सी.एन.एस.
18.	मॉरिशस	सी.जी.एस. विजिलैंट	-
19.	मोरक्को	लै. कर्नल अर्रहमानी	मेजर मोहम्मद त्रीकी, सी.एन.एस.
20.	न्यूज़ीलैंड	-	रियर एडमिरल पीटर मैकहाफी, सी.एन.एस.
21.	इजराइल	-	वाइस एडमिरल यदीदिया याआरी, सी.एन.एस.
22.	टर्की	-	कमोडोर ऑज़र कराबुलुत, कमांडर ऑफ अक्साज़ नेवल बेस
23.	नाइजीरिया	-	रियर एडमिरल एफ.ई. अगबीती
24.	वियतनाम	-	सीनियर कर्नल त्रान क्वांग खुइ, वाइस कमांडर
25.	दक्षिणी कोरिया	-	लै. जनरल चांग जुंग-किल, वाइस चीफ ऑफ नेवी
26.	क़तर	-	ब्रिगेडियर (नेवी) नासेर अल नुएमी, सी.एन.एस.
27.	मालदीव	-	लै. कर्नल अहमद ज़हीर, डी.जी. एन.एस.एस., कोस्ट गॉर्ड
28.	इराक	-	मेजर जनरल याहया ताहा ख्वेश, सी.एन.एस.
29.	वेनेजुएला	-	वाइस एडमिरल जॉर्ज मिगुएल सिएराल्टा ज़ावर्स, सी.एन.एस.

बागडिगी रेल लाइन को आग से खतरा

2745. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धनबाद पठारडिह मार्ग पर 10.5 लंबी बागडिगी रेल लाइन को भूमिगत भाग से खतरे के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विश्व बैंक के दल के अनुसार इससे सामान और मानव जीवन को गंभीर खतरा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) मै. भारत कुकिंग कोल लि. ने जो खाई पहले खोदी थी, उनको मिट्टी और रेत से भरना आरंभ कर दिया है और आग का फ़ैलाव रोकने के लिए पानी का प्रयोग किया जा रहा है। अतिरिक्त एहतियाती उपाय के रूप में रेलवे ने लोधना और पाथरडीह स्टेशन के बीच रेलगाड़ी चालन की गतिसीमा को 20 कि.मी. प्रति घंटा कर दिया है। क्षेत्र में रेलपथ की गश्त की जा रही है।

गुजरात में पेट्रोल और गैस के भंडार

2746. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कच्छ के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेट्रोल और गैस के नए स्रोतों और भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले और किन-किन स्थानों पर तेल और गैस के भंडार पाए गए हैं और तत्संबंधी प्रमात्रा कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एन.जी.आर.आई.) ने आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत कच्छ क्षेत्र में एकीकृत भूभौतिकीय सर्वेक्षण किए हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा अर्जित आँकड़ों का संसाधन एवं निर्वचन उनके द्वारा पूरा कर लिया गया है तथा उनकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, गुजरात के कच्छ रेगिस्तान के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय तेल कंपनियों अथवा निजी पक्षकारों के द्वारा हाइड्रोकार्बनों के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

माल डिब्बों की संख्या में वृद्धि

2747. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत किन-किन रेलवे स्टेशनों को प्रत्येक स्टेशन की माँग के अनुसार माल डिब्बों की आपूर्ति की गई है;

(ख) क्या रेल विभाग पूर्णिया, पटना और कटिहार स्टेशनों द्वारा माल डिब्बों की माँग को पूरा करने में असफल रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में माल डिब्बों की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। 1999-2000 के दौरान रेलवे पूर्णिया, पटना और कटिहार स्टेशनों में माल डिब्बों की माँग पूरा करने में समर्थ थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) पिछले साल के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों के नाम जहाँ माँग के अंतर्गत मालडिब्बों की आपूर्ति की गई है।

बड़ी लाइन

लालकुँआ, रुद्रपुर, बिलासपुर, काशीपुर, गौशाला, हल्द्वानी, बभनान, गोंडा, बिसवां, महमूदाबाद, नकहा-जंगल गोरखपुर, बस्ती, कलनेल गंज, सरयू, मैजापुर, जरवाल-रोड, गोंडा-कचहरी, लखनऊ-सिटी, इलाहाबाद-सिटी, वाराणसी सिटी, बलिया, चौरी-चौरा, कप्तानगंज, छिपरा, देवरिया-सदर, मउ, मैरवा, सिवान।

बेगूसराय, बरौनी, दिघवारा, गढ़हरा, हाजीपुर, खगड़िया, कर्पूरीग्राम, कांती, कुरसेला, कापड़पुरा, नौगछिया, मानसी, नारायणपुर-अनंत, सोनपुर, सीमापुर, थाना-बिहपुर, बेतिया, बुगहा, हरीनगर, लहरियासराय, मोतीहारी, मुक्तापुर, रक्सौल, समस्तीपुर।

मीटर लाइन

बरेली सिटी, पीलीभीत, पूरनपुर, बिसालपुर, बहेड़ी, किच्छा, शाहजहाँपुर, टनकपुर, बदायूँ, बनवासा, बाजपुर, फरुखाबाद, काशीपुर, लालकुंआ, शेहरामउ, उज्हानी।

बलरामपुर, बरहनी, गोंडा, गनश्री, गोला, गोकरननाथ, हरगाँव, लखीमपुर, मिहिनपुरवा, मैलानी, नानपारा, नैतनवा, नौगढ़, देवकली, प्रधान, पाली-कलाँ, खेरी-टाउन, पचपेरवा, शोहरतगढ़, सीतापुर, तुलसीपुर, तिकुनिया।

छपरा-कचेहरी, दुघई, दित्रवा-दुबौली, गोपालगंज, जलालपुर, मरहौरा, मसराख, पदरौना, रामकोला, राजपत्ती, सिधोलिया, सासा-मूसा, तरया सुजान।

अदापुर, अंगारघाट, बैरागनिया, बदलाघाट, भिकनाथोरी, बलबल, चौरादानो, बनमंखी, दरभंगा, दौराह-माधेपुर, गौनहा, गोखुला, घोरसहां, हसनपुर, इमली, खगड़िया, कुंडवा, चेनपुर, मानसी, ललितग्राम, खजौली, मुरलीगंज, नेकरडी, निर्मली, नरकटियागंज, ओलापुर, पूर्णियाकोर्ट, रिगा, राघोपुर, रुसेराघाट, रक्सौल, सोनबरसा, कचेहरी, सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा, सलोना सुपौल, समस्तीपुर, नरहन, नयानगर, सिक्ता, बगहा।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए 'इरेडा' से ऋण

2748. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गाँधी : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इरेडा' द्वारा दिसंबर, 2000 तक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की परियोजनाओं के विकास हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र के लिए उक्त परियोजनाओं हेतु कितना ऋण मंजूर किया गया है; और

(ग) चालू वर्ष में महाराष्ट्र में इन परियोजनाओं से अनुमानतः कितनी अतिरिक्त विद्युत प्राप्त होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) जी हाँ। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) ने महाराष्ट्र में 429.88 करोड़ रु. के ऋण के साथ 203 परियोजनाओं सहित देश में दिसंबर, 2000 तक 4256.89 करोड़ रू. के ऋण के साथ अपारंपरिक ऊर्जा के विकास के लिए कुल 1402 परियोजनाएं स्वीकृत की है। परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे तथा महाराष्ट्र सहित देश में स्वीकृत किए गए ऋण विवरण में दिए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में, चालू वित्तीय वर्ष में शुरू की गई (दिसंबर, 2000 तक) 47.5 मेवा. की समग्र क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाओं से 748 लाख यूनिट और 392 कि.वा. पीक की समग्र क्षमता की सौर प्रकाशवोल्टीय (एस.पी.वी.) परियोजनाओं से 5.29 लाख यूनिट उत्पादित करने का प्रस्ताव है (महाराष्ट्र संबंधी विस्तृत सूचना बहुत अधिक होने के कारण माननीय सदस्य के पास अलग से भेजी जा रही है)।

विवरण

31.12.2000 तक इरेडा द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	222	1109.00
2.	असम	3	9.40
3.	बिहार	8	3.27

1	2	3	4
4.	दिल्ली	42	40.59
5.	गुजरात	74	123.19
6.	गोवा	4	0.26
7.	हरियाणा	19	17.43
8.	हिमाचल प्रदेश	14	60.34
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1	0.62
10.	कर्नाटक	163	776.26
11.	केरल	27	99.39
12.	मध्य प्रदेश	65	153.91
13.	महाराष्ट्र	203	429.88
14.	मणिपुर	2	0.37
15.	मिजोरम	1	0.16
16.	उड़ीसा	7	33.65
17.	पंजाब	23	37.61
18.	राजस्थान	34	17.13
19.	तमिलनाडु	366	991.46
20.	उत्तर प्रदेश	73	252.64
21.	पश्चिम बंगाल	45	90.50
22.	अंडमान व निकोबार	1	0.11
23.	दमन	2	8.13
24.	पांडिचेरी	3	0.59
	कुल	1402	4256.89

दुर्घटना के दावे

2749. श्री चंद्रनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्घटना संबंधी कितने मामले एक से तीन वर्ष से अधिक समय से दावा न्यायाधिकरणों में लंबित पड़े हैं;

(ख) इन मामलों के निपटान में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 1.2.2001 को रेल दावा अधिकरण की विभिन्न पीठों में एक वर्ष से तीन वर्ष तक के 2329 दुर्घटना के मामले लंबित पड़े हैं।

(ख) (i) आवेदक या उसके वकीलों का उपस्थित न होना

(ii) अपनी गवाही अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदक/उनके वकील द्वारा स्थगन आदेश माँगा जाना

(iii) दावेदारों के पास उत्तराधिकार से संबंधित दस्तावेज न होना

(iv) दावेदारों द्वारा दावों के मामलों का एक पीठ से दूसरी में स्थानांतरण की माँग करना।

(ग) (i) सभी क्षेत्रीय रेलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी पैसेंजर गाड़ी दुर्घटना अथवा किसी अप्रिय घटना के होने पर यथाशीघ्र घटना में घायल और मारे गए व्यक्तियों के सभी विवरण प्राप्त किए जाएँ। दावेदारों को दावे के आवेदन पत्र भेज दिए जाएँ और रेल दावा अधिकरण की संबंधित खंडपीठ को रिकार्ड उपलब्ध कराए जाएँ।

(ii) जब दावे दायर किए जाते हैं और सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तब रेलवे को उनके शीघ्र निपटान के लिए अधिकरण को हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(iii) रेल दावा अधिकरण से नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर ऐसे मामलों में रेलों द्वारा लिखित बयान भी दर्ज किए जाते हैं।

(iv) संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए वित्त की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है और क्षेत्रीय रेलों के मुख्य दावा अधिकारियों को दावेदारों को निर्णीत राशि की स्वीकृति और भुगतान की व्यवस्था करने के अधिकार दिए गए हैं।

(v) किसी दावे की निर्णीत राशि की स्वीकृति के बाद रेलवे को यह सुनिश्चित करना होता है कि 15 दिन के भीतर चेक जारी कर दिए जाते हैं और उसे भेज दिया जाता है।

(vi) रेल दावा अधिकरण में सरकार से निम्नलिखित उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया है :–

(1) दुर्घटना के दावों के मामले की सुनवाई और निपटान को प्राथमिकता दी जाए।

(2) दुर्घटना दावा मामलों के शीघ्र निपटान के वास्ते सुनवाई और निपटान करने के लिए अन्य पीठों से उन पीठों में जहाँ पद रिक्त हों, में सदस्यों को भेजा जाए।

उड़ीसा में रेल लाइनों के नीचे सिंचाई नहर बनाने की अनुमति

2750. श्री के.पी. सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुउद्देशीय रेंगाली सिंचाई नहर परियोजना की मुख्य नहर दक्षिण-पूर्व रेलवे के हिंडल और तालचेर/अंगुल के बीच की रेल लाइन के आर-पार होकर गुजरेगी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उड़ीसा सरकार ने उक्त नहर को रेल लाइन के आर-पार बनाने की अनुमति माँगी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने हेरगुंडी-तलचेर-अंगुल खंड के विभिन्न स्थलों पर 3 अदद नहर क्रासिंग बनाने का अनुरोध किया था जिसके लिए अनुमति दे दी गई है। इन स्थलों पर कार्यों की प्रगति दक्षिण पूर्व रेल द्वारा 'निक्षेप शर्तों' पर विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी पूरी धनराशि नहीं जमा की है जिसकी वजह से कार्य की प्रगति मंद पड़ गई है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य सरकार ने मौजूदा रेल की पुलिया (छोटा पुल सं. 86) के जरिए एक छोटी नहर क्रासिंग (खरगाप्रसाद शाखा नहर) बनाने का भी अनुरोध किया है जो कि व्यावहारिक नहीं पाई गई है क्योंकि मौजूदा रेल पुल की बनावट में नहर के अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार को रेलवे तटबंध से होकर एक नई नहर क्रासिंग बनाने का प्रस्ताव करने की सलाह दी गई है।

गैस पर आधारित विद्युत परियोजना

2751. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं योजना के दौरान गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु देश में पहचान किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत बोर्ड प्रगति कम्बाइंड साइकिल गैस आधारित विद्युत परियोजना (330 मे.वा.) स्थापित कर रही है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित है।

(ग) नौवीं योजना के दौरान देश में स्थापना हेतु अभिज्ञात गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

9वीं योजना के दौरान देश में स्थापित किए जाने के लिए अभिज्ञात की गई गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम, क्षमता राज्य/क्रियान्वयन एजेंसी एवं स्वीकृति/टी.ई.सी., तिथि/ईंधन	यूनिट सं.	क्षमता (मे.वा.)	तुल्यकालन की वास्तविक तारीख	समस्याएँ
1	2	3	4	5	6
क. राज्य क्षेत्र					
I. दक्षिणी क्षेत्र					
1.	कराईकल सी.सी.जी.टी. (32.5 मे.वा.)	जी.टी.	22.9	5.3.99(ए)	
	पांडिचेरी/पी.पी.सी.एल.	एस.टी.	9.6	15.10.99	
	2/91				
	ईंधन : गैस और नैफ्था				
2.	कोविलकलप्पल सी.सी.जी.टी. (107 मे.वा.)	जी.टी.	69	5.2.2001	
	टी.एन/टी.एन.ई.बी.	एस.टी.	38	3/2001	
	राज्य स्वीकृति				
	ईंधन : प्राकृतिक गैस				
3.	नरीमनम सी.सी.जी.टी. (5 मे.वा.)	जी.टी.	5	9वीं योजना से	
	टी.एन./टी.एन.ई.बी.	एस.टी.		पिछड़ रही है	
	ईंधन : गैस				
II. पश्चिमी क्षेत्र					
1.	धुव्रण सी.सी.जी.टी. (100 मे.वा.)	जी.टी. +	110	9वीं योजना से	
	गुजरात/जी.एस.ई.सी.एल.			पिछड़ रही है	
	ईंधन : प्राकृतिक गैस/				
	एच.एस.डी./एल.एस.एच.एस.				

1	2	3	4	5	6
III. नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र					
1.	रोखा जी.टी. चरण-II (8 मे.वा.) त्रिपुरा/त्रिपुरा सरकार 8/94 ईंधन : गैस	यू-6	8	5.8.97(क)	
2.	रोखिया जी.टी. आर.एक्स.टी.एन. चरण-II (21 मे.वा.) त्रिपुरा/त्रिपुरा सरकार राज्य से स्वीकृत ईंधन : गैस	यू-7	21	3/2001	
3.	लखवा डब्ल्यू.एच. (38 मे.वा.) असम ईंधन : गैस	डब्ल्यू.एच.	47.5 38 X	9वीं योजना से पिछड़ रही है	स्थाई केंद्रीय पूल संसाधन से निधियों की व्यवस्था
क.	**निजी क्षेत्र**				
I.	**उत्तरी क्षेत्र**				
1.	चम्बल सी.सी.जी.टी. 166 मे.वा. राज./ग्लोबल बोर्ड ईंधन : एल.एन.जी.	जी.टी. + एस.टी.	130 166X	9वीं योजना से पिछड़ रही है	वित्तीय समापन
II. पश्चिमी क्षेत्र					
1.	पेगुथन सी.सी.जी.टी. 655 मे.वा. गुज./गुजरात टोरिंट एनर्जी कारपोरेशन लि. 25.11.93 ईंधन : गैस/नाथपा	जी.टी.-1 जी.टी.-2 जी.टी.-3 एस.टी.	135 135 135 250	22.10.97 क 24.12.97 क 14.2.98 क 13.10.98 क	
2.	हजीरा डब्ल्यू.एच.आर.यू. 185 मे.वा. गुजरात/एसार पावर लि. 8/95 ईंधन : एल.एन.जी.	एस.टी.	185	26.5.97 क	
3.	डाभोल सी.जी.जी.टी. चरण-1 740 मे.वा. महा./डाभोल पावर कं. 17.4.96 ईंधन : नाथपा/एल.एन.जी.	जी.टी.-1 जी.टी.-2 एस.टी.	240 240 260	31.10.98 क 31.10.98 क 11.12.98 क	
4.	डाभोल सी.सी.जी.टी. चरण-II 1444 मे.वा. महाराष्ट्र डाभोल पावर कं. 17.4.96 ईंधन : नाथपा/एल.एन.जी.	ब्लाक -1(2 जी.टी. + 1 एस.टी. एवं ब्लाक -11 (2 जी.टी. +1 एस.टी.)	1444	6/2001 10/2001	
III. दक्षिणी क्षेत्र					
1.	गोदावरी सी.सी.जी.टी. 208 मे.वा. ए.पी./स्पीक्ट्रम पावर जनरेशन लि. 14.12.93 ईंधन : गैस/नाथपा	जी.टी. + एस.टी.	47 67	21.6.97 क 31.3.98 क	

1	2	3	4	5	6
2.	वीमागिरि सी.सी.जी.टी. 492 मे.वा. ए.पी./वीमागिरि पावर जन.लि. 14.1.99 ईंधन : नाथपा/प्राकृतिक गैस	जी.टी. +	468	9वीं योजना से पिछड़ रही है	वित्तीय समापन
3.	गोमती सी.सी.जी.टी. 358.9 मे.वा. ए.पी./गोमती पावर लि. ईंधन : नाथपा/एन.जी.	जी.टी.-1 जी.टी.-2 एस.टी.	358.9 464	9वीं योजना से पिछड़ रही है	वित्तीय समापन
4.	पदमपुरम सी.सी.जी.टी. 200 मे.वा. ए.पी./बी.एस.ई.एस. आंध्रा पावर लि. ईंधन : प्राकृतिक गैस	जी.टी. एस.टी.	200 220	6/2001 11/2001	वित्तीय समापन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वैकल्पिक ईंधन के रूप में गैस का आबंटन
5.	कोंडापल्ली सी.सी.जी.टी. 2×112-1×126 मे.वा. ए.पी./एल.के.पी.एल. 22.1.98 ईंधन : नाथपा/प्राकृतिक गैस	जी.टी.-1 नया जी.टी.-2 एस.टी.	112 112 126	19.9.2000 क 22.6.2000 क 18.10.2000 क	
6.	जगरुपाडू सी.सी.जी.टी.-II 330.5 मे.वा. ए.पी/जी.वी.के. इंडिया लि. 12.11.93 ईंधन : गैस/नाथपा	एस.टी.	77	20.6.97 क	
7.	पी.पी.एन. सी.सी.जी.टी. 330.5 मे.वा. टी.एन./पी.पी.एन. पावर जन.कं. लि. 24.11.95 ईंधन : प्राकृतिक गैस/नाथपा	जी.टी. एस.टी.	225 105.5	1/2001 2/2001	
8.	बदादी सी.सी.जी.टी. 200 मे.वा. कर्ना./के.पी.सी. बदादी पावर कार्पोरेशन लि. ईंधन : नाथपा/एल.एन.जी.	जी.टी. एस.टी.	200	9वीं योजना से पिछड़ रही है	वित्तीय समापन
IV.	**उत्तरी पूर्वी क्षेत्र**				
1.	बानसखंडी सी.सी.जी.टी. 3×3.5-1×5 मे.वा. असम/डी.एल.एफ. पावर लि. ईंधन : गैस	जी.टी.-1 जी.टी.-2 जी.टी.-3 एस.टी.	3.5 3.5 5.5 5.0	1.10.97 क 1.10.97 क 21.11.97 क 23.6.98 क	
2.	आधमटीला सी.सी.जी.टी. 3×3 मे.वा. असम/डी.एल.एफ. पावर लि. ईंधन : गैस	जी.टी.-1 जी.टी.-2 जी.टी.-3	3.0 3.0 3.0	1.8.97 क 1.8.97 क 23.3.98 क	

1	2	3	4	5	6
ग.	**केंद्रीय क्षेत्र**				
I.	**उत्तरी क्षेत्र**				
1.	फरीदाबाद सी.सी.जी.टी.	जी.टी.-1	143	26.6.99 क	
	430 मे.वा.				
	हरि./एन.टी.पी.सी.	जी.टी.-2	143	18.10.99 क	
	8.7.97	एस.टी.	144	31.7.2000 क	
	ईंधन : प्राकृतिक गैस/नाथपा				
2.	औरया सी.सी.जी.टी.-II 650 मे.वा.	जी.टी.	650	एन.टी.पी.सी. बोर्ड द्वारा	
	यू.पी./एन.टी.पी.सी.			निवेश अनुमोदित	
	23.11.98 टी.ई.सी.	एस.टी.			
	ईंधन : प्राकृतिक गैस/नाथपा				
3.	अंता सी.सी.जी.टी.-II	जी.टी.	650	एन.टी.पी.सी. बोर्ड	
	650 मे.वा.	एस.टी.		द्वारा निवेश अनुमोदित	
	राज./एन.टी.पी.सी.				
	19.8.98 टी.ई.सी.				
	ईंधन : प्राकृतिक गैस/नाथपा				
II.	**पश्चिमी क्षेत्र**				
1.	कवास सी.सी.जी.टी.-II 650 मे.वा.	जी.टी.	650	एन.टी.पी.सी. बोर्ड	
	गुज./एन.टी.पी.सी.	एस.टी.		द्वारा निवेश	
	19.8.98 टी.ई.सी.			अनुमोदित	
	ईंधन : गैस/नाथपा				
2.	गांधार सी.सी.जी.टी.-II	जी.टी.	650	-वही-	
	650 मे.वा.	एस.टी.			
	गुज./एन.टी.पी.सी.				
	12.11.98 टी.ई.सी.				
	ईंधन : गैस/नाथपा				
III.	**उत्तरी पूर्वी क्षेत्र**				
1.	कैथलगुडी सी.सी.जी.टी. 3×30	एस.टी.-1	30	1.3.98 क	
	मे.वा.	एस.टी.-2	30	28.3.98 क	
	असम/नीपको	एस.टी.-3	30	5.7.98 क	
	11/87				
	ईंधन : गैस				
2.	अगरतला जी.टी. 4×21 मे.वा.	जी.टी.-1	21	5.2.98 क	
	त्रिपुरा/नीपको	जी.टी.-2	21	25.2.98 क	
	12/94	जी.डी.-3	21	29.3.98 क	
	ईंधन : गैस	जी.टी.-4	21	26.6.98 क	

निजाम शासन द्वारा सिकंदराबाद छावनी को भूमि प्रदान किया जाना

2752. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजाम शासन द्वारा आंध्र प्रदेश में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सिकंदराबाद छावनी क्षेत्र को कितनी भूमि प्रदान की गई है;

(ख) क्या छावनी परिषद् के पास पूर्ववर्ती निजाम शासन द्वारा प्रदान की गई रक्षा मंत्रालय की भूमि के संबंध में सही और पूरा रिकार्ड है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कतिपय निजी व्यक्तियों द्वारा हड़पी गई भूमि को वापस लेने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) निजाम शासन द्वारा दी गई और रक्षा मंत्रालय में निहित भूमि क्षेत्र निम्नलिखित है :–

(i) सिकंदराबाद छावनी - 6584.7483 एकड़
(ii) गोलकोंडा/हैदराबाद - 1500.60 एकड़
(iii) सिकंदराबाद से लगा हुआ क्षेत्र - 3848.6050 एकड़

(ख) से (घ) रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा रक्षा भूमि रिकार्ड का रख-रखाव एक सांविधिक आवश्यकता है। रिकार्डों के रख-रखाव में कोई विसंगति अथवा त्रुटि जानकारी में नहीं आई है।

उड़ीसा में चालू रेल परियोजनाएँ

2753. श्रीमती हेमा गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में चालू रेल परियोजनाओं की निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों के संदर्भ में समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं तथा वर्ष 2001-2002 के लिए सामान्य रूप से विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों/जिलों के लिए जोनवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या नई परियोजनाओं को शुरू करने हेतु संसद सदस्यों/राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इस हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सभी रेल परियोजनाओं के लक्ष्य जहाँ कहीं निर्धारित किए गए हैं, की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। उड़ीसा राज्य को शामिल करते हुए दक्षिण रेलवे पर 2001-02 के लिए प्रस्तावित आबंटन सहित सभी परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

रेलों पर निवेश की योजना प्रणाली की आवश्यकताओं के स्वीकृत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दी जाती है। रेलों पर निवेश निर्णय लेने का मानदंड राज्य की भौगोलिक सीमाएँ नहीं होती हैं। इसके अलावा बहुत सी रेल परियोजनाएँ बहुत से राज्यों से गुजरती हैं। अतः परियोजनाओं का वित्तीय ब्यौरा राज्यवार नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) उड़ीसा सरकार ने तालचेर और गोपालपुर तथा तालचेर और बिमलगढ़ के बीच गई लाइनों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। इन लाइनों के लिए सर्वेक्षण किए गए हैं। इन प्रस्तावों और तत्पश्चात् धन आबंटन, यदि कोई हो, पर निर्णय सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	नवीनतम प्रत्याशित लागत	मार्च, 2000-01 तक अनुमानित परिव्यय (करोड़ रुपए में)	2001-02 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	स्थिति
	उड़ीसा में चालू रेल परियोजनाएँ					
	नई लाइनें					
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोरापुट-रायगढ़	द.पू.रे.	485.00	483.00	1.00	कार्य पूरा हो गया है और लाइन यातायात के लिए खोल दी गई है। दो लंबी सुरंगों में सुरंग संवाहन संबंधी कार्य प्रगति पर है।
2.	तालचेर-सम्बलपुर	दु.पू.रे.	464.38	450.46	1.00	परियोजना पूरी हो गई है और लाइन यातायात के लिए खोल दी गई है। सम्बलपुर बाईपास का कार्य प्रगति पर है।
3.	दैंतारी-बांसपानी	द.पू.रे.	585.12	251.27	50.0	बांसपानी से जोरूरी (11 कि.मी.) लाइन 20.10.2000 को पूरी कर ली गई है और लाइन यातायात के लिए खोल दी गई है। कि.मी. 140-142.2 और कि.मी. 147-147.47 को छोड़कर समग्र खंड पर भूमि उपलब्ध है। बांसपानी छोर से कि.मी. 0 से 147 तक

1	2	3	4	5	6	7
						मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस भाग पर लगभग 109.5 कि.मी. में कहीं-कहीं तल्प तैयार है। 361 छोटे पुलों में 207 पूरे कर लिए गए हैं और 24 बड़े पुलों पर कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष दोनों बड़े पुलों के लिए निविदाएँ आमंत्रित कर दी गई हैं। कि.मी. 0-58 तक अपेक्षित 1.81 लाख घन मीटर में से 1.48 लाख घन मीटर गिट्टियाँ एकत्रित कर ली गई हैं। कि.मी. 25-123 शेष लंबाई के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। लाइन दिसंबर, 2003 तक पूरी कर लिए जाने का लक्ष्य है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
4.	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़	द.पू.रे.	105.08	15.22	2.00	वन भूमि जिसके चरण-1 के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है को छोड़कर भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा कर लिया गया है। लांजीगढ़ से भवानीपटना और भवानीपटना यार्ड में पहले ब्लाक खंड में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति करेगा।
5.	खोरधा-रोड-बोलंगीर	द.पू.रे.	700.00	22.05	15.00	अंतिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। 23 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं। रेलवे भूमि पर पहले 2 कि.मी. के लिए मिट्टी और पुल संबंधी कार्यों के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
6.	हरिदासपुर-पारादीप	द.पू.रे.	301.64	14.54	20.00	अंतिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शों एवं दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया गया है और राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं। हरिदासपुर छोर से 10 कि.मी. संरेखण के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को 5 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है। भूमि उपलब्ध होते कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
7.	अंगुल-सुकिंटा रोड	द.पू.रे.	245.58	1.18	23.00	अंतिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। सभी 17 बड़े पुलों के लिए मिट्टी जाँच संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है।
	आमान परिवर्तन					
8.	रूपसा-बांगरीपोसी	द.पू.रे.	80.00	9.64	5.00	संपूर्ण लंबाई में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। कि.मी. 0 से 50 तक सैस स्तर तक कार्य पूरा कर लिया गया है। बारीपाड़ा से बांगरीपोसी (37 कि.मी.) तक छोटे पुलों के लिए प्रीकास्ट बाक्स सेगमेंट्स पर कार्य प्रगति पर है।
9.	नौपाड़ा-गुनूपुर	द.पू.रे.	66.35	5.14	0.00	आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त होने के पश्चात् कार्य शुरू कर दिया जाएगा। स्वीकृतियाँ प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
	दोहरीकरण					
10.	रघुनाथपुर-रहामा	द.पू.रे.	70.64	70.14	0.50	परियोजना पूरी हो गई है और यातायात के लिए खोल दी गई है। मौजूदा लाइन के पुनर्स्थापन का कार्य प्रगति पर है और जून, 2001 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
11.	रजतगढ़-नरगुंडी	द.पू.रे.	71.85	69.85	2.00	रजतगढ़ से सलेगाँव तक का खंड पूरा हो गया है। शेष 6 कि.मी. के खंड पर एक फ्लाई ओवर है और इसे दिसंबर, 2001 तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है।
12.	तालचेर-कटक-पारादीप (महानदी और विरूपा पर दूसरा पुल)	द.पू.रे.	104.26	14.09	10.00	विरूपा पुल पर मिट्टी जाँच और विस्तृत अभिकल्प पूरा हो गया है। अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। पुल के लिए पुनः निविदा जारी की जा रही है।
13.	नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर	द.पू.रे.	117.24	55.78	30.00	योजना और अनुमान की तैयारी शुरू कर दी गई है। नेरगुंडी ज्कटक खंड के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। केंद्रपाड़ा रोड यार्ड में पुल और मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7
14.	रहामा-पारादीप	द.पू.रे.	40.96	15.91	24.00	नक्शे और अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पारादीप छोर पर अंतिम 3 कि.मी. को छोड़कर भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा कर लिया गया है। बड़े पुल सं. 242, मिट्टी संबंधी कार्य और 9 छोटे पुल में से 7 पर कार्य प्रगति पर है।
15.	टिटलागढ़-लांजीगढ़	द.पू.रे.	100.11	21.40	15.00	भूमि अधिग्रहण के नक्शों से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है। 4 खंडों में मिट्टी संबंधी कार्य और एक बड़े पुल के कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। कोंडल रोड-नरेला रोड खंड शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य है।
16.	रजतगढ़-वारांग	द.पू.रे.	166.16	0.11	1.00	आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के पश्चात् कर्य शुरू किया जाएगा। स्वीकृतियाँ प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
17.	खोरधा रोड-पुरी चरण-I (खोरदा रोड-देलांग)	द.पू.रे.	48.00	5.00	5.00	बजट 2000-01 में शामिल कार्य अंतिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण और विस्तृत योजना बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
	रेल विद्युतीकरण					
18.	बोकारो स्टील सिटी-मुरी हटिया-बोंडामुंडा-विमलगढ़-किरीबरू-बरसुआं, पुरुलिया-कोट शिला सहित	द.पू.रे	269.63	236.81	15.00	बोंडामुंडा-मुरी खंड जिसे मार्च 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है, को छोड़कर सभी खंडों पर कार्य पूरा कर लिया गया है।
19.	खड़गपुर-भुवनेश्वर, तालचेर-पारादीप सहित	द.पू.रे.	310.19	142.51	15.01	कार्य प्रगति पर है और पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2003 है।
20.	भुवनेश्वर-कोटवसासा	द.पू.रे.	292.59	239.78	25.30	कार्य प्रगति पर है और पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2003 है।

भारतीय कंटेनर निगम में कार्यरत ठेके के मजदूर

2754. श्री अरुण कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय कंटेनर निगम में स्थायी प्रकृति के कार्य और प्रतिबंधित श्रेणी के कार्य में ठेके के मजदूरों को कार्य में लगाया गया है और श्रम कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) मुख्य नियोजन कानकोर की पंजिका में प्रतिबंधित श्रेणी के कार्यों में कार्यरत ठेके के मजदूरों को नियमित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस संबंध में सरकार को किसी पुख्ता शिकायत की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) इस संबंध में श्रम मंत्रालय से एक चिट्ठी प्राप्त हुई थी और मामले की जाँच की गई थी किंतु शिकायत साबित नहीं हुई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजना हेतु अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता

2755. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं के लिए अमेरिकी फर्म के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत के वितरण और इसके विपणन की नियम और शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या इस परियोजना से उत्पादित बिजली को अन्य राज्यों को अंतरित किया जाता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) सितंबर, 2000 में भारत के प्रधान मंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान निजी क्षेत्र में तीन विद्युत परियोजनाओं के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों का ब्यौरा निम्नवत है :–

(i) उत्तरांचल में मै. डंकन्स नार्थ-हाइड्रो पावर कंपनी की 330 मे.वा. श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के वित्त पोषण हेतु

14 सितम्बर, 2000 को अमरीका के मै. सिनर्जिक एनर्जी डेवलपमेंट इनकार्पोरेटेड और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन (आई.एफ.डी.सी.) के मध्य समझौता ज्ञापन/वित्तीय आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 95.054 मिलियन अमरीकी डॉलर+1299.89 करोड़ रु. (अमरीकी डालर=42/- रु. विनिमय दर) की अनुमानित संपूर्ण लागत पर उत्तर प्रदेश में मै. डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कंपनी लि. द्वारा क्रियान्वित की जा रही 330 मे.वा. की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना को सितंबर, 2005 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ii) उड़ीसा राज्य में 3960 (6×660 मे.वा.) हिरमा ताप विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से विकास करने, निर्माण करने, स्वामित्व ग्रहण करने, प्रचालन करने और अनुरक्षण करने के लिए 14 सितंबर, 2000 को यू.एस.ए. की मै. सदर्न एनर्जी एशिया पैसेफिक लि. और रिलायंस पावर लि. एवं पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के बीच एक विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना से उत्पादित होने वाली विद्युत का प्रति यूनिट समस्तरीय निर्धारित प्रभार केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा सुपर क्रिटिकल बॉयलरों के साथ 85% गारंटित उपलब्धता पर तथा 74% फ्रंट लोडिंग पर 1.3398 रु. प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। प्रथम यूनिट के वित्तीय समापन की तिथि से 39 माह के भीतर चालू होने की प्रत्याशा है। इसके पश्चात् शेष यूनिटों को एक-एक करके तीन महीनों के अंतराल पर चालू किया जाएगा। विद्युत का पाँच राज्यों में निर्यात किया जाएगा। समर्पित ए.सी. पारेषण लाइन द्वारा पश्चिम में गुजरात और मध्य प्रदेश को तथा उत्तरी भारत में राजस्थान को समर्पित डी.सी पारेषण लाइन द्वारा उत्तरी भारत में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को। एक ए.सी. पारेषण लाइन राजस्थान से हरियाणा होती हुई विद्युत का अंतरण करेगी जो पंजाब में समाप्त होगी। दोनों पारेषण लाइनों को पावरग्रिड द्वारा विकसित और चालू किया जाएगा। विद्युत व्यापार निगम (पी.टी.सी.) द्वारा विद्युत की खरीद की जाएगी जिसे आगे ऑफ टेकरों को बेचा जाएगा।

(iii) तमिलनाडु में 1884.645 मे.वा. की एन्नौर एल.एन.जी. आधारित विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से विकास करने के लिए 14 सितंबर, 2000 को मै. तमिलनाडु एल.एन.जी. और पावर कंपनी प्रा.लि. तथा पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के बीच एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की लागत 6500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और इसके वित्तीय समापन से 36 माह के भीतर पूरा करने का कार्यक्रम है। इस परियोजना से उत्पादित विद्युत को विद्युत व्यापार निगम (पी.टी.सी.) द्वारा खरीदे जाने का प्रस्ताव है जिसे आगे ऑफ-टेकरों यथा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को बेचा जाएगा। यद्यपि, 750 मे.वा. विद्युत की कुल खरीद के लिए तमिलनाडु के साथ पी.टी.सी. द्वारा पहले ही एक समझौते-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, परंतु अन्य राज्यों की वचनबद्धता को अभी औपचारिक रूप दिया जाना है।

पवन ऊर्जा का उत्पादन

2756. श्री रामजी मांझी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन की संभावना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक उत्पादित पवन ऊर्जा की मात्रा कितनी है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) देश की सकल पवन विद्युत संभाव्यता 45,000 मेवा. पर पुनर्मूल्यांकित की गई है। संभाव्यता वाले राज्यों में उपलब्ध ग्रिड क्षमता पर तकनीकी संभाव्यता निर्भर करती है और इस समय लगभग 10,000 मेवा. है।

(ख) देश में अब तक 1270 मेवा. की समग्र पवन विद्युत संभाव्यता स्थापित की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षमता संयोजन नीचे दिया गया है :–

वर्ष	क्षमता (मेवा)
1998-99	56
1999-2000	143
2000-2001 (जनवरी, 01 तक)	103

पवन विद्युत परियोजनाओं से राज्य ग्रिडों को लगभग 6.7 बिलियन यूनिट विद्युत दी गई।

त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस

2757. श्री सुनील खाँ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में प्राकृतिक गैस का पता लगाने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हाँ। 1 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड ने त्रिपुरा राज्य में 4491 ग्राउंड लाइन किलोमीटर द्विआयामी भूकंपीय आँकड़े का अर्जन किया है तथा 92 अन्वेषी कूपों का वेधन किया है। वर्तमान में दो भूकंपीय पक्षकार तथा तीन वेधन रिगें इस राज्य के अंतर्गत प्रचालन में हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई.ई. जेड में विदेशी घुसपैठ

2758. श्री तूफानी सरोज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के समीप भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ की घटनाएँ बढ़ी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में विदेशी नावों और घुसपैठियों से अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद जब्द किए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों और उनसे जब्त किए गए अस्त्र-शस्त्रों और गोला-बारूद का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीपों में समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है; और

(छ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों से सटे भारतीय समुद्री क्षेत्रों में घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हुई है जैसा कि विदेशी जहाजों के पकड़े जाने से संबंधित निम्नवत् आँकड़ों से स्पष्ट है :–

वर्ष	नौसेना	तटरक्षक बल
1999	40	43
2000	28	83
2001 (8.3.2001 तक)	0	32

(ग) और (घ) नौसेना तथा तटरक्षक बल द्वारा पकड़े गए जहाजों/ विदेशियों से किसी भी प्रकार के हथियार तथा गोला-बारूद बरामद नहीं हुए हैं।

(ङ) नौसेना तथा तटरक्षक बल द्वारा विगत एक वर्ष के दौरान पकड़े गए घुसपैठियों की संख्या निम्नवत् है :–

नौसेना	342
तटरक्षक	696

(च) और (छ) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि निर्जन द्वीपों में असामाजिक तत्वों की किसी भी प्रकार की हरकतें नहीं देखी गई हैं।

शुल्क संतुलित करना

2759. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरी राजसहायता की दर को कम करने के लिए भारतीय रेल के शुल्कों को पुनः संतुलित किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) आज जनता पर बोझ डाले बिना सरकार का किस तरह से दोहरी राजसहायता की दर को कम करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) अधिकांश उद्योगों में कुछ न कुछ क्रास-सब्सिडाइजेशन मौजूद रहता ही है और भारतीय रेलें इसका अपवाद नहीं हैं। जहाँ तक भारतीय रेलों का संबंध है, उन्हें अपने वाणिज्यिक परिचालनों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भी करना पड़ता है। वर्ष 1999-2000 में सामाजिक दायित्वों के निर्वाह की कुल लागत 4739 करोड़ रुपए आकलित की गई थी जिसमें कर्मचारी कल्याण और कानून और व्यवस्था पर होने वाले 1790 करोड़ रुपए शामिल हैं। इन लागतों का सकल 2949 करोड़ रुपए आंका गया था। परिसंपत्तियों की उत्पादकता में सुधार करने और अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करने का निरंतर प्रयास रहता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सड़क उपरि पुलों का निर्माण

2760. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान स्थानवार व्यस्त समपारों पर सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक परियोजना पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) निर्माणाधीन सड़क उपरि पुलों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इसके लिए कितना धन आबंटित किया गया है और 2001-2002 के लिए कितनी धनराशि का प्रस्ताव किया गया है; और

(ङ) इन पुलों के कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क), (ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार ऐसे ठोस प्रस्ताव, जो अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी करते हैं, स्वीकृत किए गए हैं और इन्हें विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण रेलवे एवं राज्य सरकार दोनों का एक संयुक्त कार्य है। रेलवे रेलपथ के ऊपर पुल का निर्माण कराती है जबकि राज्य सरकार पहुँच मार्गों का निर्माण कराती है। रेलवे द्वारा पुल का निर्माण राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले संपर्क मार्गों के निर्माण से पहले या उनके साथ ही पूरा करने की योजना बनाई जाती है।

विवरण

(क), (ग) और (घ) 1998 से 2001 तक उत्तर प्रदेश सरकार से, ऊपरी सड़क पुलों के क्रम सं. 1 से 14 तक के निम्नलिखित 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें प्रारंभिक अपेक्षाओं को पूरा किया गया था और जिन्हें लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया था।

(हजार रुपयों में)

क्र.सं.	प्राप्त हुए प्रस्ताव	स्वीकृति का वर्ष	उपलब्ध कराया गया परिव्यय 1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02 के दौरान	मौजूदा स्थिति प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	समपार सं. 279-बी/3 के बदले बिलराया-पनवाड़ी ऊपरी सड़क पुल	98-99	3164	18206	988		सभी पहलुओं पर रेलवे के भाग का कार्य पूरा हो गया है। संपर्क मार्ग का कार्य पूरा होने वाला है।
2.	डालीगंज और बादशाह नगर के बीच समपार सं. 7 एम.एल. के बदले लखनऊ सिटी में ऊपरी सड़क पुल	98-99	100	17001	10000	2500	जी.ए.डी. को अंतिम रूप दे दिया गया है। अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने पहुँच मार्गों पर कार्य शुरू कर दिया है। रेलवे के हिस्से के कार्य के लिए एजेंसी निर्धारित की जा रही है।
3.	समपार सं. 430/ए के बदले इरादतगंज में ऊपरी सड़क पुल	98-99	10	-	15000	5000	जी.ए.डी. को अंतिम रूप दे दिया गया है। विस्तृत अनुमानों की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया जा रहा है।
4.	कानपुर के निकट समपार सं. 79-डी.जी.टी. रोड के बदले ऊपरी सड़क पुल	98-99	1	2001	25000	15000	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। प्रोफाइल स्कैच अनुमोदित कर दिए गए हैं। जब राज्य सरकार पहुँच मार्गों पर कार्य शुरू कर देगी तो संपर्क मार्गों के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी।
5.	देवरिया सदर-नुनखर के बीच समपार सं. 129 के बदले ऊपरी सड़क पुल	98-99		1000	10000	2500	ऊपरी सड़क पुल के स्थान के बारे में राज्य सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।
6.	डालीगंज और महीबुल्लापुर के बीच समपार सं. 6 के बदले लखनऊ सिटी में ऊपरी सड़क पुल	98-99		10005	15000	2500	स्थान के बारे में राज्य सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।
7.	महीबुल्लापुर रेलवे स्टेशन यार्ड पर समपार सं. 10 के बदले लखनऊ में ऊपरी सड़क पुल	98-99	100	600	10000	13000	भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जी.ए.डी. अनुमोदित कर दिए गए हैं। लागत में भागीदार सहित अनुमान अनुमोदित कर दिए गए हैं। संपर्क मार्गों पर कार्य शुरू हो गया है तथा रेलवे के हिस्से का कार्य भी प्रगति पर है।
8.	मेजारोड के निकट मुगलसराय-इलाहाबाद खंड पर कि.मी. 788/11-13 पर समपार सं. 25-बी/3-टी के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	98-99	1000	100	10000	20000	प्रोफाइल स्कैच अनुमोदित कर दिए गए हैं। अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। मिट्टी संबंधी जाँच कर ली गई है।
9.	समपार सं. 356-स्पे. और 250/ए के बदले चौपाला सहित ऊपरी सड़क पुल	99-00	-	100	20000	5000	राज्य सरकार ने रेलवे को सूचित किया है कि ऊपरी सड़क पुल के स्थान के बारे में पुनर्विचार किया जा रहा है। संपर्क मार्गों के लिए राज्य सरकार से अनुमान प्राप्त किए जाने हैं।
10.	समपार सं. 50 के बदले फतेलपुर में भूमिगत पारपथ सहित ऊपरी सड़क पुल	99-00		100	30000	15000	संशोधित स्कैच अनुमोदित कर दिए गए हैं। अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने संपर्क मार्गों की सीमा में परिवर्तन किया है। मिट्टी संबंधी जाँच पूरी हो गई है।
11.	रामपुर के निकट समपार सं. 403-ए के बदले रामपुर में ऊपरी सड़क पुल	99-00		100	10000	20000	प्रोफाइल स्कैच अनुमोदित कर दिए गए हैं। अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	समपार सं. 180-ए के बदले बाराबंकी में ऊपरी सड़क पुल	99-00		100	10000	10000	प्रोफाइल स्कैच अनुमोदित कर दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के हिस्से का अनुमान अप्रैल, 2000 में प्राप्त हुआ है और संयुक्त अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
13.	औंड़िहार-छपरा खंड पर गाजीपुर सिटी और गाजीपुर घाट स्टेशन के बीच कि.मी. 129/4-5 पर समपार सं. 24-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	00-01		-	10000	2500	कार्य योजना स्तर पर है क्योंकि भूतल परिवहन मंत्रालय ने ऊपरी सड़क पुल के बदले बाईपास सड़क के निर्माण की सलाह दी है। राज्य सरकार के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।
14.	दिल्ली-झांसी खंड पर जजाऊ कि.मी. 1321/2-4 पर समपार सं. 478/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	00-01	-	-	10000	7500	कार्य योजना स्तर पर है।
15.	समपार सं. 29 के बदले इटावा में निचला सड़क पुल	94-95	2327	2329	-	-	रेलवे के हिस्से का कार्य पूरा हो गया है और पहुँच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
16.	समपार सं. 21-ए के बदले परतापुल में ऊपरी सड़क पुल	95-96	5000	1952	3500	1000	कार्य प्रगति पर है। भूमिगत पारपथ पूरा हो गया है।
17.	समपार सं. 10-बी.(सिकोटी) के बदले दिल्ली-सहारनपुर पर ऊपरी सड़क पुल	96-97	5000	1614	10000	4161	टेस्ट पायों का भार परीक्षण किया गया है और 10 पाए ढाल दिए गए हैं और पायों को ढालने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी भूमि उपलब्ध कराई जानी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुरोध के अनुसार जे.ए.डी. में संशोधन किए जा रहे हैं।
18.	समपार सं. 95-ए के बदले हाथरस में ऊपरी सड़क पुल	96-97	5	100	20000	20000	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। प्रोफाइल स्कैच अनुमोदित कर दिए गए हैं। रेलों के हिस्से के लिए आमंत्रित की गई निविदाएँ डिस्चार्ज कर दी गई हैं क्योंकि राज्य सरकार ने संपर्क मार्गों पर कार्य शुरू नहीं किया था।
19.	कानपुर-अनवरगंज-रावतपुर खंड पर कानपुर में नेत्र अस्पताल के निकट कि.मी. 4/6-7 पर समपार सं. 6 के बदले ऊपरी सड़क पुल	94-95	5	5	15000	15000	राज्य सरकार द्वारा संपर्क मार्गों पर कार्य प्रगति पर है और पी-1 और पी-2 पर पायर कैप लेवल तक पी-8 और पी-15 पूरे हो गए हैं और अबटमेंट का कार्य भी प्रगति पर है। रेलवे के हिस्से के कार्य के लिए खुली निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य शुरू कर दिया गया है।
20.	रामपुर में समपार सं. 1 स्पे. के बदले ऊपरी सड़क पुल	95-96	50000	10000	10000	1000	एस.ई./पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा तैयार किए गए संशोधित जी.ए.डी. 30.11.2000 को प्राप्त हुए हैं और इन्हें शुद्धियों के साथ राज्य/लोक निर्माण विभाग के जरिए 22.1.2001 को भूतल परिवहन मंत्रालय को भेजा गया है।

नोट : क्रम सं. 15 से 20 पर दिखाए गए कार्य 1998-99 से पूर्व स्वीकृत किए गए थे परंतु ये अभी भी प्रगति पर हैं।

[अनुवाद]

विमान के कलपुर्जों का आयात

2761. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या रक्षा मंत्री विमान के कलपुर्जों के आयात के बारे में 10 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2893 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना के लिए कलपुर्जों की आवश्यकता पर विचार करने और देश में ही उनके विकास की क्षमता का पता लगाने के लिए समिति का गठन किस तारीख को किया गया था;

(ख) क्या भारतीय वायुसेना ने स्वदेश में विकास, उत्पादन और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के उद्योगों को शामिल करने हेतु भारतीय उद्योग एसोसिएशन के साथ भागीदारी हेतु पहल की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 19 जनवरी, 2000, महोदय।

(ख) से (घ) भारतीय वायु सेना ने अपेक्षित मदों के देश में ही विकास, उत्पादन तथा आपूर्ति के लिए निजी क्षेत्र के उद्योगों को शामिल करने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्वदेशी उत्पाद सेमिनारों के संचालन करने में भारतीय उद्योग संघ, भारतीय एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी तथा उद्योग सोसाइटी तथा लघु उद्योगों के साथ सहयोग करने की पहल की है। इसके परिणामस्वरूप पिछले 4 वर्षों में भारतीय वायुसेना को आपूर्ति किए जाने वाली स्वदेशी मदों के विक्रेता 151 से बढ़कर 1250 हो गए हैं। भारतीय वायु सेना ने निम्न मूल्य/निम्न प्रमात्रा मदों के लिए बाज़ार बना लिया था और अब उसका ध्यान मध्यम/उच्च तकनीक तथा बड़े आकार की मदों की ओर आकृष्ट हो रहा है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। जैसे-जैसे नए हथियार/प्रणालियाँ शामिल होंगी इनके साथ-साथ स्वदेशीकरण के लिए भी कदम उठाए जाएँगे।

तमिलनाडु में चालू परियोजनाएँ

2762. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में चालू और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी लागत लगी है;

(ख) प्रत्येक परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है और प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य में फैली हुई दक्षिण रेलवे में चालू परियोजनाओं का ब्यौरा उनके प्रत्याशित लागत, 2000-01 के अंत तक अनुमानित परिव्यय और उनकी प्रगति विवरण में दी गई है। इन परियोजनाओं को पूरा होने की संभावित तिथि, जहाँ कहीं निर्धारित है, भी विवरण में उल्लिखित है।

तमिलनाडु राज्य में फैले हुए दक्षिण रेलवे में चालू सर्वेक्षणों की एक सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन प्रत्याशित लागत	2000-01 के अंत तक अनुमानित परिव्यय	मौजूदा स्थिति
		(करोड़ रुपयों में)		
1	2	3	4	5
	तमिलनाडु में पड़ने वाली दक्षिण रेलवे की चालू परियोजनाओं की सूची			
	नई लाइनें			
1.	कारूर-सेलम	229.88	113.42	30% भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और 45 किमी. में कार्य प्रगति पर है। 10 पहुँच मार्गों में मिट्टी और छोटे पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है तथा कावेरी नदी के ऊपर पुल का कार्य भी प्रगति पर है। कालागरी और माल्लूर में स्टेशन इमारतों का कार्य आरंभ किया गया है तथा नाम्मकल एवं रासीपुरम स्टेशनों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
2.	बेंगलूर-सत्यमंगलम	225.00	0.09	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के बाद भूमि अधिग्रहण के नक्शे तैयार किए जाएँगे और सरेखण की पुष्टि हो चुकी है।
	आमान परिवर्तन			
3.	चेन्नई बीच-तिरुचिरापल्ली और अराकोण्णम-चेंगलपट्टू	696.83	409.53	मुख्य कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है। बहरहाल, 10 क्रासिंग स्टेशनों की व्यवस्था किया जाना शेष है जिसमें से 5, 2000-01 के दौरान पूरे हो जाएँगे।
4.	दिंडीगुल -त्रिची	131.07	95.84	यह कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है।
5.	तिरुचिरापल्ली-नागौर-कैराकल	146.11	81.213	त्रिची से तंजावूर (50 किमी) तक खंड पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। नागपट्टीनम-वाल्लनकानी को इस कार्य के वस्तुपरक आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया है लेकिन सरेखण पर राज्य सरकार के परामर्श से संशोधन किया जा रहा है।

1	2	3	4	5
6.	यशवंतपुर-सेलम	176.29	175.34	कार्य पूरा हो गया है। बन्यापन्नाहल्ली से सेलम तक खंड खोल दिया गया है। बहरहाल, बन्यापन्नाहल्ली-यशवंतपुर, हेब्बल और लिंग्रापुरम में ऊपरी सड़क पुल के लिए जनता के आंदोलन के कारण खोला नहीं जा सकता है। ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत कर दिया गया है। इसको शीघ्र चालू किए जाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया जा रहा है।
7.	मदुरै-रामेश्वरम	240.00	5.39	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य आरंभ किया गया है। अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
8.	कोल्लम-तिरुनेलवेल्ली त्रिचांदूर और तेनकासी-विरुदनगर	327.61	21.97	विरुदनगर-तेनकासी और तिरुनेलवेल्ली-त्रिचांदूर में पुल और मिट्टी संबंधी कार्य आरंभ किया गया है। ब.ला. के अनुरूप ढाल और मोड़ों को कम करने के लिए पुनलूर और तेनकासी के बीच घाट खंड में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आरंभ किया गया है। इस कार्य की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है।
9.	विषुपुरम-पांडिचेरी	30.00	0.90	कार्य आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है।
10.	तंजावूर-विषुपुरम मुख्य लाइन	231.00	6.03	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जाने के पश्चात् आरंभ किया जाएगा। अपेक्षित स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
11.	कुड्डालूर-सेलम बरास्ता वृधाचेलम	196.68	1.00	कार्य आरंभ करने के लिए व्यवस्था की जा रही है।
12.	त्रिची-मनमदुरै	175.00	4.00	कार्य 2000-01 के बजट में शामिल है। विस्तृत योजना का कार्य आरंभ किया गया है।
13.	विषुपुरम-कटपाडि	175.00	2.23	कार्य 2000-01 के बजट में शामिल है। विस्तृत योजना का कार्य आरंभ किया गया है।
	दोहरीकरण			
14.	ईरुगुर-कोयम्बतूर	25.11	2.29	परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण आरंभ किया गया है। मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं के विस्तृत योजना भी हाथ में है। यथा अपेक्षित कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आरंभ और पूरा किया जाएगा।
15.	अट्टीपट्टू-कोरूक्कूपेट्टई	40.00	5.09	नक्शे और अनुमानों की तैयारी प्रगति पर है। एण्णौर क्रीक पर एक महत्त्वपूर्ण पुल के निर्माण के लिए निविदा आरंभ की गई है।
	महानगर परिवहन परियोजनाएँ			
16.	चेन्नई बीच-लुज (अब तिरुमलाई) चरण-I द्रुत परिवहन प्रणाली	268.87	263.53	19.10.97 को लाइन यातायात के लिए खोल दी गई थी। अतिरिक्त स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है।
17.	तिरुमलई से वेलाचेरी तक एम.आर.टी.एस. चरण-II	684.32	128.49	परियोजना की 2/3 लागत तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। तिरुमलई से तारामाणी तक समग्र उत्थापित खंड का उपसंरचना का कार्य पूरा हो गया है। केवल एक स्थल को छोड़कर उत्थापित खंड में अधिसंरचना का कार्य और 7 स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है।
18.	चेन्नई बीच-ताबंरम-चेंगलपट्टू-आमान परिवर्तन	455.24	37.85	कार्य प्रगति पर है। मी.ला. टर्मिनल पहले ही तांबरम में स्थानांतरित कर दिया गया है। चेन्नई एग्मौर से तांबरम तक मी.ला. मुख्य लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है।
	रेलवे विद्युतीकरण			
19.	ईरोड-पालघाट-एर्णाकुलम	220.10	207.27	यह कार्य पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
20.	तांबरम-चेंगलपट्टू विषुपुरम और चेंगलपट्टू अरकोण्णम	38.44	10.00	अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। प्रारंभिक कार्य आरंभ किए गए हैं। पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2003 है।

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना-शीर्ष	मौजूदा स्थिति
	तमिलनाडु राज्य में दक्षिण रेलवे के चालू सर्वेक्षण		
1.	मदुरै-कोयम्बटूर	आमान परिवर्तन	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.05.2001 है।
2.	विरुदनगर से मनमदुरै	आमान परिवर्तन	पूरा हो गया है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
3.	जोलारपेट्टै से होसूर बरास्ता कृष्णागिरि	नई लाइन	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.05.2001 है।
4.	कुम्बाकोणम से नामाकल	नई लाइन	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 30.04.2001 है।
5.	मदुरै-कोट्टायम	नई लाइन	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.05.2001 है।
6.	मदुरै-तूतीकोरीन	नई लाइन	आरंभ किया जा रहा है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 30.06.2001 है।
7.	वायकम-वायकम रोड	नई लाइन	आरंभ किया जाना है।

[हिन्दी]

विदेशों का दौरा करने वाले शिष्टमंडल

2763. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :
श्री उत्तमराव पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके नेतृत्व में किसी शिष्टमंडल ने हाल में विदेश का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त शिष्टमंडल ने रूस के अलावा किन-किन देशों की यात्रा की थी;

(ग) शिष्टमंडल में किन-किन व्यक्तियों ने सरकारी खर्च पर विदेश का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान सरकारी कार्यों के निर्वहन में उनमें से प्रत्येक के द्वारा क्या भूमिका निभाई गई; और

(घ) इस दौरे की अवधि क्या रही और इस पर कुल कितना व्यय हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के दूसरे दौर के तहत तेल और गैस के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने 25 अन्वेषण ब्लाकों का प्रस्ताव किया है। एन.ई.एल.पी. के दूसरे दौर को कारगर ढंग से बढ़ावा देने के लिए एन.ई.एल.पी.-2 के लिए विपणन परामर्शक नामतः मैसर्स आई.एच.एस. एनर्जी ग्रुप, यू. के द्वारा प्रदान की गई सलाह और हाइड्रोकार्बन महानिदेशक के साथ परामर्श के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि उच्चतम स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले शिष्टमंडल को संभाव्यतापूर्ण देशों का दौरा करना चाहिए। तद्नुसार मंत्री (पे. और प्रा.गै.) के नेतृत्व में और राज्य मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, हाइड्रोकार्बन महानिदेशक को शामिल करके बने एक शिष्टमंडल ने प्रोत्साहक पथप्रदर्शों के लिए जनवरी-फरवरी, 2001 के दौरान लंदन (यू.के.), ह्यूस्टन (यू.एस.ए.), टोक्यो (जापान) और सिंगापुर का दौरा किया। एन.ई.एल.पी.-2 के लिए शिष्टमंडल ने रूस का दौरा नहीं किया।

शिष्टमंडल का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शिष्टमंडल के प्रत्येक सदस्य के संयुक्त और व्यक्तिगत कर्त्तव्य थे। मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव/अपर सचिव सरकार की प्रतिबद्धता दिखाने और प्रस्तुति और एक के साथ एक की बैठकों के दौरान समग्र खंडीय नीतियों को स्पष्ट करने के लिए उपस्थित थे।

पथ प्रदर्शों के लिए शिष्टमंडल के दौरे पर कुल व्यय लगभग 36 लाख रुपए हुआ है। जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के लिए व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया गया, वहीं शिष्टमंडल के शेष सदस्यों के लिए व्यय अपने संबद्ध बजट शीर्ष के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा वहन किया गया।

विवरण

एन.ई.एल.पी.-2 पथ प्रदर्शों के लिए शिष्टमंडल का ब्यौरा

देश	अवधि	प्रतिनिधि
लंदन (यू.के.)	जनवरी, 18-19, 2001	1. श्री राम नाईक, मंत्री (पे. और प्रा.गै.)
		2. श्री अपूर्वा चंद्रा, मंत्री जी के निजी सचिव
		3. श्री संतोष कुमार गंगवार, राज्य मंत्री (पे. और प्रा.गै.)
		4. श्री पी. शंकर, सचिव (पे. और प्रा.गै.)
ह्यूस्टन (यू.एस.ए.)	जनवरी 22-23, 2001	5. श्री जे.एम. माऊसकर, संयुक्त सचिव (ई.)
		6. डा. अविनाश चंद्रा, डी.जी., डी.जी.एच.
		7. श्री वी. भराली, सलाहकार (ई.)
		8. डा. ए.आर. सिहाग, निदेशक (ई.सी.)
टोक्यो (जापान)	फरवरी 5-6, 2001	1. श्री राम नाईक, मंत्री (पे. और प्रा.गै.)
		2. श्री अपूर्वा चंद्रा, मंत्री जी के निजी सचिव
		3. श्री नरेश नारद, अपर सचिव
सिंगापुर	फरवरी 8-9, 2001	4. श्री. जे.एम. माऊसकर, संयुक्त सचिव (ई.)
		5. डा. अविनाश चंद्रा, डी.जी., डी.जी.एच.
		6. श्री. वी. भराली, सलाहकार (ई.)
		7. डा. ए.आर. सिहाग, निदेशक (ई.सी.)

[अनुवाद]

आंतरिक सुरक्षा के लिए नौसेना का प्रयोग

2764. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना आंतरिक सुरक्षा से दूर रहना चाहती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंतरिक सुरक्षा से नौसेना और अन्य सैन्य बलों को दूर रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) नौसेना सहित रक्षा बल मुख्यतः देश की सुरक्षा के प्रति बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, भारतीय नौसेना और अन्य रक्षा बलों को अपरिहार्य स्थितियों में आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अभिकरणों की सहायता करने लगाया जाता है।

सैन्य उपस्करों की खरीद पर व्यय

2765. श्री चंद्र विजय सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए यू.ए. वीज़, यू.जी.एस. और हैंड हेल्ड थर्मल इमेज़ सेंसरों की खरीद के लिए कितना व्यय किया गया;

(ख) इन महँगे उपस्करों के प्रयोग से कितने घुसपैठिए पकड़े गए; और

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को पकड़ने में ऐसे महँगे उच्च प्रौद्योगिकी युक्त उपस्करों की असफलता के क्या कारण हैं और उनकी खरीद का औचित्य क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) की गई संविदाओं का मूल्य इस प्रकार है :–

(i) अनआर्मड एरियल व्हीकल्स (यू.ए.वी.)

129.02 करोड़ रुपए

(ii) हैंड हैल्ड थर्मल इमेज़र सेंसर्स (एच.एच.टी.आई.)

83.78 करोड़ रुपए

(iii) अनअटैंडिड ग्राउंड सेंसर्स (यू.जी.एस.)

71.23 करोड़ रुपए

(ख) और (ग) अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कोयला की मालभाड़ा दर में कमी

2766. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कोयले के मालभाड़ा को कम करने का विचार कर रही है क्योंकि यह कोयले के मूल्य की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुलियों की स्थिति

2767. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लाइसेंसधारक रेलवे कुलियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेलवे कुलियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की स्थिति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या रेलवे कुलियों के लिए सभी छोटे और बड़े स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की जा रही है;

(घ) क्या उनके लिए चिकित्सा सुविधाएँ और रेलवे स्कूलों में उनके बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएँ प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है;

(ङ) क्या रेलवे कुलियों को पायजामा के स्थान पर यूनिफार्म के लिए केवल कुर्ता दिया जाता रहा है; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा रेलवे कुलियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने और उन्हें प्रतीक्षालय, चिकित्सा, शिक्षा और वर्दी आदि की सुविधाएँ प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रेलों पर लाइसेंसधारी कुलियों की कुल संख्या 39,103 है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (च) मुख्य स्टेशनों पर लाइसेंसधारी कुलियों के लिए आराम करने की सुविधाएँ/शेड मुहैया करा दिए गए हैं और उन स्टेशनों पर जहाँ ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, स्टेशनों पर उपलब्ध लाइसेंसधारी कुलियों का प्रतीक्षालयों, शौचालयों और स्नान की सुविधाओं के उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। लाइसेंसधारी कुली, अपने पति-पत्नियों और आश्रित बच्चों के लिए रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों में बाह्य चिकित्सा

सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। लाइसेंसधारी कुलियों के बच्चों को रेलवे स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि रेलवे कर्मचारियों के बच्चों/आश्रितों को प्रवेश देने के बाद सीटें उपलब्ध हों। लाइसेंसधारी कुलियों को वर्दी के रूप में प्रतिवर्ष 2 लाल कमीजें सप्लाई की जाती हैं और उन्हें दो वर्ष में एक लाल कमीज के बदले में एक ऊनी कमीज भी दी जाती है।

[अनुवाद]

असम में ओ.एन.जी.सी. का उत्पादन

2768. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1.7 एम.एम.टी. कच्चे तेल के उत्पादन हेतु असम में नियुक्त ओ.एन.जी.सी. अधिकारियों की संख्या जरूरत से अधिक है और इस क्षेत्र में विश्वभर के अन्य तेल क्षेत्रों के मुकाबले प्रति कर्मचारी तेल उत्पादन की मात्रा न्यूनतम है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ओ.एन.जी.सी. को असम में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी पर तीन गुना अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है;

(ग) क्या पिछले कई वर्षों से असम में ओ.एन.जी.सी. के आधे से अधिक रिंग काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) असम में पदस्थ आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) के अधिकारियों की वर्तमान संख्या उक्त क्षेत्र में ओ.एन.जी.सी. की प्रचालनात्मक जरूरतों और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ओ.एन.जी.सी. की रिंग कार्य के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इसके विभिन्न कार्य केंद्रों में लगाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कल्याण स्टेशन पर आर.टी.ए. की नियुक्ति

2769. डा. बलिराम : क्या रेल मंत्री कल्याण स्टेशन पर आर.टी.ए. की नियुक्ति के बारे में 7 दिसंबर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3024 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) इस समय कल्याण में 6 रेल यात्री सेवा एजेंट (आर.टी.ए.) कार्यरत हैं। नियमों में व्यवस्था है कि रेल परिसरों और रेल आरक्षण कार्यालय से 100 मीटर के भीतर एजेंट द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा बुकिंग और आरक्षण के लिए कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। ऐसा वाणिज्यिक और रेल सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) द्वारा बार-बार जाँच करके सुनिश्चित किया जा रहा है। जहाँ तक रेल यात्री एजेंट और रेल कर्मचारियों के बीच सांठ-गांठ का संबंध है, कल्याण स्टेशन के मुख्य पूछताछ एवं आरक्षण पर्यवेक्षक (सी.ई.आर.एस.) और रे.सु.ब. के स्टाफ के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी। सी.ई.आर.एस., कल्याण का स्थानांतरण कर दिया गया है, जबकि जाँच के दौरान रे.सु.ब. के स्टाफ के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो पाया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विभिन्न परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता

2770. श्री जोरा सिंह मान :
डा. सुशील कुमार इंदौरा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के अंतर्गत चल रही विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो देश के प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्डों के अंतर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं की वास्तविक उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि विद्युत की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है क्योंकि उन परियोजनाओं द्वारा इनकी संस्थापित क्षमता के अनुरूप विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) अप्रैल, 2000–फरवरी, 2001 की अवधि के लिए रा.वि. बोर्ड/राज्य विद्युत यूटिलिटियों के ताप विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार घटक (/) क्षमता समुपयोजन के रूप में 65.2% रहा है।

(ख) विभिन्न रा.वि. बोर्डों/रा.वि. यूटिलिटियों के अंतर्गत ताप विद्युत संयंत्रों की मानीटर की गई क्षमता के साथ-साथ वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) देश में विभिन्न विद्युत केंद्रों की विद्युत उत्पादन लागत विभिन्न घटकों जैसे संयंत्र का प्रकार, संयंत्र स्थल की स्थलाकृति/भू-वैज्ञानिक स्थिति तथा प्रयुक्त ईंधन के प्रकार के आधार पर बदलती रहती है। 15 राज्यों की सूचना के आधार पर जो वर्ष 1998-99 के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त हुए हैं, जल विद्युत केंद्रों की विद्युत उत्पादन की औसत लागत 23.16 प्रति कि.वाट से लेकर 153.97 प्रति कि. वाट तक होती है तथा ताप विद्युत केंद्रों के लिए यह 121.75 प्रति कि. वाट से लेकर 297.57 प्रति कि. वाट होती है। 1999-2000 में ताप विद्युत

संयंत्रों का अखिल भारतीय औसत पी.एल.एफ. बढ़कर 67.3% हो गया, जो 1991-92 में 55.3% था। राज्य क्षेत्र के लिए पी.एल.एफ. 1999-2000 में 50.6% से बढ़कर 63.7% हो गया।

विवरण

विभिन्न रा.वि. बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों के थर्मल पावर संयंत्रों की विद्युत उत्पादन व क्षमता के ब्यौरे

क्र.सं.	रा.वि. बोर्डों के नाम	मानीटर की गई क्षमता (मे.वा.)	वास्तविक उत्पादन अप्रैल, 2000-फरवरी, 2001
1.	डी.वी.बी.	678.5	2562
2.	ज. एवं. क.	175.0	2
3.	एच.पी.जी.सी.	815.0	3166
4.	आर.एस.ई.बी.	1388.5	8859
5.	पी.एस.ई.बी.	2120.0	13261
6.	यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.	4009.0	17720
7.	जी.ई.बी.	3996.0	20957
8.	जी.एस.ई.सी.एल.	420.0	2598
9.	एम.एस.ई.बी.	7308.0	38355
10.	एम.पी.ई.बी.	3512.5	18580
11.	अपजेनको	2942.5	19908
12.	ए.पी.जी.पी.सी.एल.	272.3	1806
13.	टी.एन.ई.बी.	3169.0	17668
14.	पांडिचेरी	32.5	213
15.	के.पी.सी.एल.	1260.0	8252
16.	वी.वी.एन.एल. के.ई.बी.	120.0	579
17.	के.एस.ई.बी.	248.0	726
18.	बी.एस.ई.बी.	1300.0	1897
19.	तेनुघाट (टी.वी.एन.एल.)	420.0	1225
20.	ओ.पी.जी.पी.सी.	420.0	2722
21.	डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी.	1010.0	2947
22.	डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.	1680.0	6658
23.	डी.पी.एल.	390.0	523
24.	ए.एस.ई.बी.	574.5	843
25.	त्रिपुरा	64.5	220
	कुल (रा.वि.बो.)	38425.8	1922.47

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए परिव्यय

2771. श्री हरिभाई चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का परिव्यय कितना है;

(ख) क्या पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इसे कम किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है;

(घ) क्या कमी के कारण गुजरात राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सूखा प्रवण राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) सरकार द्वारा वर्ष 1998 और 1999 के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन हेतु अनुमोदित बजट परिव्यय नीचे दिया गया है :–

वर्ष	सामान्य	न्यूनतम कार्यक्रम आवश्यकता (करोड़ रुपए में)
1998-99	450	175
1999-2000	430	175

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1999-2000 में आर.ई.सी. के वित्तीय परिव्यय में पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में किया गया परिवर्तन सीमांत है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त स्थिति के बावजूद भी आर.ई.सी. ने गुजरात को 1998 में 313 करोड़ रुपए के संवितरण की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान 362 करोड़ का संवितरण किया है। गुजरात में वर्ष 1998-99 में 26262 पम्पसेटों के ऊर्जीकरण की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान 26665 पम्पसेटों का उर्जीकरण किया गया है।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

2772. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;

(ख) देश में यह कार्यक्रम किस तरीके से लागू किया जा रहा है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम से अनुमानित परिणाम हासिल किए जा रहते हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) केंद्रीय प्रायोजित योजना–एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) की मुख्य विशेषता ब्लाक स्तरीय एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं की तैयारी करने और कार्यान्वयन के माध्यम से जीवन निर्वाह और उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा स्रोतों का इष्टतम मिश्रण उपलब्ध कराना है।

(ख) राज्य नोडल विभाग और एजेंसियाँ इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं। इसके दो घटक हैं :–(i) केंद्रीय क्षेत्र घटक जिसमें राज्य और संघ शासित प्रदेशों में ऊर्जा योजनाएँ और परियोजनाएँ तैयार करने के लिए क्षमताओं का विकास करने के लिए सहायता शामिल है और (ii) राज्य क्षेत्र घटक जिसमें विभिन्न ऊर्जा उपकरणों, विस्तार और अन्य संबंधित क्रिया-कलापों के लिए प्रदर्शन परियोजनाओं, वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए निधियन शामिल है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें, कुछ राज्यों में संतोषजनक उपलब्धियों सहित स्वीकृत 860 ब्लॉकों के कवरेज की तुलना में वर्तमान में 724 ब्लॉकों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही हैं। शामिल ब्लॉकों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी हाँ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से वर्ष 1999-2000 में 'आई.आर.ई.पी. का विश्लेषण और क्षमता निर्माण नीति का विकास' नामक एक परियोजना बारह राज्यों में आरंभ की गई। परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित आई.आर.ई.पी. के राज्यवार स्थिति का सार विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आई.आर.ई.पी. के अंतर्गत शामिल किए गए ब्लॉकों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल ब्लॉकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	30
अरूणाचल प्रदेश	10
असम	19
बिहार	16
गोवा	5
गुजरात	19
हरियाणा	30
हिमाचल प्रदेश	45
जम्मू एवं कश्मीर	8
कर्नाटक	42
केरल	28
मध्य प्रदेश	85
महाराष्ट्र	37
मणिपुर	19
मेघालय	15
मिजोरम	11
नागालैंड	6
उड़ीसा	45
पंजाब	40
राजस्थान	18
सिक्किम	4
तमिलनाडु	21
त्रिपुरा	6
उत्तर प्रदेश	115
पश्चिम बंगाल	30
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5
चंडीगढ़	1
दादर व नागर हवेली	1
दमन व दीव	1
दिल्ली	5
लक्षद्वीप	1
पांडिचेरी	6
कुल	**724**

विवरण-II

आई.आर.ई.पी. के विश्लेषण और क्षमता निर्माण नीति पर परियोजना रिपोर्ट में दर्शाई गई आई.आर.ई.पी. की राज्यवार स्थिति

1. उत्तर प्रदेश

44 ब्लॉकों के लिए आई.आर.ई.पी. योजनाएँ तैयार कर ली गई हैं। 90 ब्लॉकों का सर्वेक्षण किया गया है। 25 ब्लॉकों में सर्वेक्षण किया जाना शेष है। 60 ब्लॉकों के लिए ऊर्जा खपत आँकड़ा संग्रहित किया गया है और 55 ब्लॉकों में किया जाना शेष है। उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लि. (यू.पी.डी.ई.एस.सी.ओ.) एक राज्य उपक्रम द्वारा सात ब्लॉकों के लिए मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। आई.आर.ई.पी. के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सिर्फ 5.6% ऊर्जा अंतर को भरा गया है। इस दर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा अंतर संबंधी खाई को भरने की कोई संभावना नहीं हो सकती।

2. मध्य प्रदेश

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन 85 ब्लॉकों में किया जा रहा है। इंदौर विश्वविद्यालय में एक राज्य स्तरीय तकनीकी बैकअप इकाई स्थित है। उन्नत चूल्हों, सौर प्रकाशवोल्टीय लाइटों और पंपों और बायोगैस संयंत्रों पर

केंद्रीय सब्सिडी के अलावा सौर और प्रेशर कुकरों, मिट्टी के तेल के चूल्हों, लालटेनों, फूट वेल्वो, काम्पैक्ट फ्लोरासेंट लाइटों, गैसीफायर पंपों और ऊर्जा प्लांटेशन पर सब्सिडी है। आई.आर.ई.पी. के लिए स्वीकृत पदों के लिए राज्य स्टाफ भर्ती करने के प्रति अनिच्छुक हैं क्योंकि स्टाफ के लिए धन की कोई लंबी अवधि का आश्वासन नहीं है।

3. गुजरात

राज्य स्तरीय सैल होने के बावजूद ब्लॉक विकास अधिकारी ही सिर्फ एक क्लर्क की मदद से ब्लॉक में आई.आर.ई.पी. कार्यक्रम का अतिरिक्त भार संभालता है। इसी कारण से, इस राज्य को अपनी हकदारी की अपेक्षा बहुत कम केंद्रीय अनुदान प्राप्त हुआ है।

4. हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ कार्यक्रम का कार्यान्वयन गंभीरता से किया जा रहा है। हिमऊर्जा का सृजन आई.आर.ई.पी. के लिए किया गया था लेकिन ये संपूर्ण अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम की देखरेख करता है। इस राज्य में 72 विकास ब्लॉक हैं और इनमें से 45 में आई.आर.ई.पी. को विस्तारित किया गया है। तद्नुसार 45 आई.आर.ई.पी. ब्लॉक स्तरीय परियोजना सैल हैं। 16 ब्लॉकों में, योजनाएँ तैयार की गई हैं। अन्य 4 ब्लॉकों में सर्वेक्षण पूर्ण किए गए हैं और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बचे हुए 25 ब्लॉकों में आँकड़े संग्रहित किए गए और सर्वेक्षण कार्य आंरभ किए गए। राज्य स्तरीय तकनीकी बैकअप इकाई क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, हमीरपुर में स्थित है। चूँकि केंद्रीय अनुदान स्टाफ पर होने वाले खर्चे को पूरी तरह शामिल नहीं करता, राज्य व्यय का एक भाग स्थापना पर भी खर्च किया जाता है। आई.आर.ई.पी. के लिए कार्य कर रहे हिमऊर्जा के कर्मचारी हाईड्रेम और हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी पर ध्यान दे रहे हैं। आई.आर.ई. पी. की वास्तविक रूप में जिस प्रकार कल्पना की गई थी यह उस रूप में नियोजित और कार्यान्वित नहीं किया जा रहा। आई.आर.ई.पी. ब्लॉकों के लिए ऊर्जा सर्वेक्षण और ऊर्जा योजना की तैयारी सिर्फ प्रारंभिक वर्षों में की गई और कुछ वर्षों बाद बंद कर दी गई। इसका मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि जारी की गई निधियाँ, आवश्यक निधियों का लघु भाग थीं और इस प्रकार योजना तैयार करना कार्मिकों के लिए असंगत जान पड़ता है।

5. आंध्र प्रदेश

राज्य में आई.आर.ई.पी. 30 ब्लॉक में शुरू किया। इस राज्य में यह कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आरंभ किया गया लेकिन धीरे-धीरे और लगातार इसने अपना बल खो दिया। बायोगैस संयंत्रों जैसे कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसियों की नियुक्ति के फलस्वरूप आई.आर.ई.पी. को इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा नहीं मिला। स्टाफ परिकल्पना से बहुत कम था और कार्यक्रम को नुकसान उठाना पड़ा। वित्तीय आबंटन बहुत कम थे। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ एकीकरण अपर्याप्त था।

6. हरियाणा

हरियाणा उन राज्यों में से एक है जहाँ जागरूकता का स्तर अच्छा है। दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है और आई.आर.ई.पी. योजनाएँ तैयार की जाती हैं। आई.आर.ई.पी. के भागीदारी के लिए कृषि, महिला एवं बाल विकास आदि जैसे विभिन्न विभागों के प्रयासों को गतिशील बनाया गया। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आई.आर.ई.पी. सैल नीति मामले, जागरूकता उत्पन्न, प्रशिक्षण, लाभभोगियों की पहचान करना आदि जैसे मामले भी संभालता है। राज्य स्तर पर अंतर विभागीय समन्वयन के लिए सलाहकार समिति भी है। आई.आर.ई.पी. में भाग लेने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु ब्लॉक स्तर, जिला और राज्य स्तरों पर कार्यनिष्पादन के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं।

7. राजस्थान

राज्य स्तरीय आई.आर.ई.पी. सैल राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी में स्थित है। जिला कलैक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति शामिल विभिन्न एजेंसियों के क्रिया-कलापों का समन्वयन करती है। राज्य ने आई.आर.ई.पी. का पुनर्गठन करने और कम ब्लॉकों का चयन करने से रोकने का निर्णय लिया है। राज्य महसूस करता है कि आई.आर.ई.पी. की संकल्पना अपने आप में पूर्ण नहीं है।

8. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और मेघालय

कर्नाटक, तमिलनाडु और मेघालय में बायोगैस संयंत्रों के कई उपयोगकर्त्ता खुश पाए गए। निवारक रख-रखाव शामिल करने के लिए आई.आर.ई.पी. अपने कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करेगा। महाराष्ट्र के पास पवन जनरेटरों का एक सफल कार्यक्रम है और साथ ही तमिलनाडु के पास भी। लेकिन इन प्रणालियों का संचालन आई.आर.ई.पी. के अंतर्गत नहीं किया जाता है।

9. दिल्ली

आई.आर.ई.पी. को वर्ष 1983-84 में अलीपुर ब्लॉक में शुरू किया गया और बाद में सभी पाँच ब्लॉकों में इसका विस्तार कि[illegible] । राज्य स्तरीय सैल दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी में स्थित है। संस्थ[illegible] वित्त पोषण एजेंसियाँ इस कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण नहीं कर रही हैं। कुछ स्वैच्छिक संगठन इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आई.आर.ई.पी. के लिए भर्ती किए गए स्टाफ अन्य कार्य कर रहे थे। आई.आर.ई.पी. के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग विविध कार्यों के लिए किया गया।

पावरग्रिड कारपोरेशन में बड़े स्तर पर निवेश

2773. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ने अपने यथा प्रस्तावित 14,000 कि.मी. लंबे आप्टिकल फाइबर संजाल के बिछाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या देशभर में बिछाए जाने वाले इस आप्टिकल फाइबर संजाल पर 1,400 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है;

(ग) किन-किन शहरों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा; और

(घ) इसे कब तक लागू कर दिए जाने का अनुमान है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) पावरग्रिड अगले 2-3 वर्षों में 1100 करोड़ की अनुमानित लागत पर लगभग 14,000 कि.मी. का फाइबर ऑप्टिक दूरसंचार बैकबोन नेटवर्क विकसित करने की योजना बना रहा है। यह नेटवर्क देश में सभी महानगरों एवं बड़े शहरों को जोड़ेगा, जिसकी सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
3.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
4.	असम	गुवाहाटी
5.	असम	तेजपुर
6.	बिहार	जमशेदपुर
7.	बिहार	पटना
8.	दिल्ली	दिल्ली
9.	गुजरात	अहमदाबाद
10.	गुजरात	वड़ोदरा
11.	हरियाणा	पानीपत
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
13.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
14.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर
15.	कर्नाटक	बंगलौर
16.	कर्नाटक	मैसूर
17.	केरल	एर्नाकुलम
18.	केरल	कोझीकोड
19.	केरल	त्रिवेंद्रम
20.	मध्य प्रदेश	भोपाल
21.	मध्य प्रदेश	इंदौर
22.	मध्य प्रदेश	रायपुर
23.	मध्य प्रदेश	भिलाई
24.	मध्य प्रदेश	इटारसी
25.	मध्य प्रदेश	जबलपुर
26.	महाराष्ट्र	मुंबई
27.	महाराष्ट्र	नागपुर
28.	महाराष्ट्र	नासिक
29.	महाराष्ट्र	पुणे
30.	गुजरात	सूरत
31.	मणिपुर	इम्फाल
32.	मेघालय	शिलांग
33.	नागालैंड	कोहिमा
34.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
35.	उड़ीसा	राउरकेला
36.	पंजाब	अंबाला
37.	पंजाब	जालंधर
38.	पंजाब	लुधियाना
39.	पंजाब	मोगा
40.	पंजाब	पंचकुला
41.	राजस्थान	जयपुर
42.	तमिलनाडु	चेन्नई
43.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
44.	तमिलनाडु	मदुरई
45.	तमिलनाडु	त्रिची
46.	त्रिपुरा	अगरतला
47.	उत्तर प्रदेश	आगरा
48.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
49.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
50.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
51.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
52.	उत्तर प्रदेश	मुरादनगर
53.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
54.	संघ शासित क्षेत्र	चंडीगढ़
55.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
56.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर

व्यावसायिक कार्यक्रमों के जरिए आय

2774. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक-स्थलों पर व्यावसायिक फिल्म शूटिंग, दृश्य-माध्यमों वाले कार्यक्रमों

और सजीव सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति देने के द्वारा अब तक अर्जित की गई आय का स्मारक स्थल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संदर्भ में तमिलनाडु की फिल्म यूनिटों के प्रस्ताव जान-बूझकर ठुकरा दिए गए;

(ग) यदि हाँ, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्मारक स्थलों पर फिल्म की शूटिंग इत्यादि की अनुमति देने हेतु मानक मानदंड निर्धारित करने के उद्देश्य से सरकार ने किसी समिति की नियुक्ति की है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या शूटिंग इत्यादि के दौरान इन संरक्षित स्मारक स्थलों की सुरक्षा की देखभाल के लिए कोई उच्चस्तरीय समिति है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में फिल्मांकन हेतु लाइसेंस शुल्क के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व निम्न प्रकार है :–

1998	15,25,000/- रु.
1999	19,60,000/- रु.
2000	30,85,000/- रु.

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) सावधानी संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत लाइसेंस में ही निर्धारित होते हैं और उनको ड्यूटी पर फील्ड स्टाफ द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

एन.टी.पी.सी. गैस आधारित परियोजनाओं की स्थापना

2775. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) चार गैस आधरित परियोजनाओं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 650 मेगावाट है की स्थापना करने के अपने निर्णय पर पुनः विचार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की स्थिति में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों पर एन.टी.पी.सी. की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम ने राजस्थान में अंता, उत्तर प्रदेश में औरैया तथा गुजरात में कवास और गंधार में अपनी प्रत्येक संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना में 650 मे.वा. के विस्तार (चरण-II) को प्रस्तावित किया है। इन परियोजनाओं को मूल रूप से कुछ समय के लिए नाफ्था के साथ तथा दीर्घकालीन ईंधन के रूप में तरल प्राकृतिक गैस के साथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था। तथापि, हाल ही में नाफ्था की कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए, एन.टी.पी.सी. ने इन परियोजनाओं को चालू करने के कार्यक्रम को उचित मूल्य पर आयातित पुनः गैसीकृत एल.एन.जी. की उपलब्धता के अनुसार किए जाने का निर्णय लिया है।

पुनः गैसीकृत एल.एन.जी. की संघालित लागत के आधार पर, उत्पादन की लागत 4.30 रु. प्रति कि.वा. घंटे से अधिक होने की संभावना है। एन.टी.पी.सी. ने इस सांकेतिक कीमत पर इन विस्तार परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त करने के लिए लाभभोगी राज्यों से पुनः स्वीकृति माँगी है ताकि एन.टी.पी.सी. इन परियोजनाओं का निर्माण आंरभ कर सके। कई लाभभोगी राज्यों ने उत्पादन की इस उच्च लागत पर विद्युत खरीदने पर अनिच्छा प्रकट की है। एन.टी.पी.सी. उपयुक्त सुनिश्चित कीमत पर एल.एन.जी. की उपलब्धता की पुष्टि तथा लाभभोगी राज्यों द्वारा एल.एन.जी. कीमत पर आधारित उत्पादन की लागत की स्वीकृति के पश्चात् ही निवेश अनुमोदन हेतु इन विस्तार परियोजनाओं पर आगे कार्रवाई करेगा।

(ग) एन.टी.सी.सी. को देय बकाया राशियों का राज्यवार ब्यौरा 31.1.2001 की स्थितिनुसार विवरण में दिया गया है।

(घ) एन.टी.पी.सी. की बकाया राशि की वसूली के लिए एन.टी.पी.सी. एवं सरकार विभिन्न उपाय कर रही है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :–

(i) एन.टी.पी.सी. प्रबंधन संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य सरकार से बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई कर रहा है।

(ii) एन.टी.पी.सी. ने सितंबर, 1994 से उन राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है जो चालू मासिक बिल की पूरी राशि प्राप्त करने के लिए साख-पत्र संस्थापित करे। अपेक्षित स्तर तक साख-पत्र में वृद्धि कर रा.वि.बो. चार बराबर साप्ताहिक किश्तों के भुगतान पर 2.5% की छूट ले सकेंगे तथा साख-पत्र प्रचालन में लगे खर्च की प्रतिपूर्ति भी पा सकेंगे।

(iii) कभी-कभी एन.टी.पी.सी. कानून के अनुसार आवश्यक नोटिस देने के पश्चात् चूककर्ता राज्यों की विद्युत का नियंत्रण भी करता है।

(iv) अपनी एकत्रित बकाया राशियों की वसूली के लिए पी.एस.यू. की सहायता करने के लिए भारत सरकार समय-समय पर चूककर्ता राज्यों की केंद्रीय योजना सहायता से विनियोजन करती रही है ताकि पी.एस.यू. को सीधे भुगतान किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31.12.1996 की स्थितिनुसार

3894.42 करोड़ रु. की बकाया राशि की वसूली को अनुमोदित कर दिया है। इस तरह से कि किसी भी राज्य के लिए किसी भी वर्ष में यह कटौती उस वर्ष में उसके सी.पी.ए. के 15% से अधिक नहीं हो, अभी तक 1614.56 करोड़ रु. की राशि प्राप्त की गई है।

(v) विद्युत बोर्डों की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए, एन.टी.पी.सी. ने इच्छुक रा.वि.बो. से बकाया राशियों के लिए बॉंड के रूप में भुगतान स्वीकार किया है जिनकी विमोचन अवधि 7-10 वर्ष है। इससे रा.वि.बो. को एन.टी.पी.सी. की तरह अपनी देयता का निर्वाह करने में सहायता मिली है।

(vi) सरकार ने विद्युत मंत्रालय और कोयला विभाग के केंद्रीय सी.एस.यू. की रा.वि.बो. की और बकाया राशियों के प्रतिभूतिकरण की एक स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। यह स्कीम निम्नवत् प्रावधान करती है :–

(क) 31.12.1999 अथवा किसी अन्य सम्मत तिथि तक की बकाया मूल राशि को शामिल करने के लिए रा.वि.बो. द्वारा विद्युत मंत्रालय तथा कोयला विभाग के सी.पी.एस.यू. को बॉंड जारी करना।

(ख) इन बॉंडों को राज्य सरकार की गारंटी प्रदान की जाएगी जिसमें रा.वि.बो. द्वारा बॉंडों का भुगतान न किए जाने की स्थिति में इन बॉंडों के भुगतान के लिए राज्य सरकार के बजट में विशेष आबंटन किए जाएँगे।

(ग) यदि राज्य सरकार बॉंडों के विमोचन के लिए गारंटी देयता की पूर्ति नहीं कर पाती है तो संबंधित राज्य हेतु सी.पी.ए. आबंटनों की 15% तक की कटौती करके बॉंड धारकों को अतिरिक्त राहत प्रदान की जाएगी।

(घ) यह बॉंड कर-मुक्त होंगे।

(vii) हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करारों में भुगतान-सुरक्षा उपायों को शामिल कर रहा है। इसमें राज्य सरकार गारंटी के द्वारा सहायता, साख-पत्र भुगतान, एस्क्रो अथवा इसके समान सुविधा हेतु प्रावधान शामिल हैं।

(viii) तत्संबंधी स्थिति की विद्युत मंत्रालय द्वारा भी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और इस मामले पर मुख्य सचिव/मुख्य मंत्री के स्तर पर वार्ता की जाती है।

विवरण

31.1.2001 की स्थितिनुसार एन.टी.पी.सी. के बकाया देय

एस.टी.पी.एस./एस.ई.बी.	वर्तमान तिथि में बकाया देय	अधिभार बिल	कुल बकाया
बिहार	180722	118437	299159
उत्तर प्रदेश	193850	94104	287954
दिल्ली	145756	140370	286126
पश्चिम बंगाल	81940	56996	138936
मध्य प्रदेश	82950	33973	116923
उड़ीसा	82060	10189	92249
महाराष्ट्र	41446	21444	62890
दामोदर वैली कार्पोरेशन	26193	350	61207
हरियाणा	26987	26403	53390
गुजरात	28317	21190	49507
जम्मू और कश्मीर	25759	22336	48095
तमिलनाडु	30527	13364	43891
आंध्र प्रदेश	34257	9414	43671
केरल	35204	6229	41433
राजस्थान	28929	9800	38729
कर्नाटक	17932	8228	26160
पंजाब	8343	1836	10179
असम	3437	1753	5190
पांडिचेरी	2510	1218	3728
हिमाचल प्रदेश	2063	1330	3393
सिक्किम	2321	1073	3364
अन्य	-76	400	324
कुल	1081427	635071	1716498

संकेताक्षर :–

एस.टी.पी.एस.–सुपर थर्मल पावर स्टेशन

एस.ई.बी.–राज्य बिजली बोर्ड।

रंगिया में मंडल कार्यालय-भवनों का निर्माण

2776. श्री माधव राजवंशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग इस बात से अवगत है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने रंगिया में नए रेल मंडल कार्यालय की स्थापना हेतु अपेक्षित विभिन्न कार्यालय-भवनों के निर्माणार्थ, 19.02 करोड़ रुपए का एक विस्तृत प्राक्कलन भेजा था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेलवे बोर्ड ने प्रारंभिक कार्य और वास्तुकार की सेवाएँ लेने इत्यादि के लिए केवल 1,16,22,272 रु. के आंशिक प्राक्कलन को ही मंजूरी प्रदान की है; और

(ग) यदि हाँ, तो 2001-2002 के दौरान प्रश्न के भाग 'क' में उल्लिखित बजट प्राक्कलन की शेष राशि अथवा इसकी अंशराशि को मंजूर करने के लिए, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) रेलें इस समय संसाधनों की अत्यधिक तंगी का सामना कर रही हैं जिससे निवेश संबंधी योजना की समीक्षा करना अनिवार्य हो गया है। प्रस्तावित नए जोन/मंडल, जिनमें रंगिया भी शामिल है, धीरे-धीरे कार्य करना शुरू करेंगे जो समीक्षा के परिणामों तथा रेलों द्वारा इस प्रयोजन के लिए निवेश किए जाने वाले संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इन प्रक्रियाओं में आने वाली जटिलताओं को देखते हुए इसके लिए कोई समय सीमा बताना कठिन है।

केरल में सड़क-उपरिपुलों का निर्माण

2777. श्री पी.सी. थामस :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में निर्माणाधीन सड़क-उपरिपुलों के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक सड़क-उपरिपुलों के निर्माण कार्य के लिए अब तक जो धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा 2001-2002 के दौरान जितनी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है, उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान केरल सरकार द्वारा सड़क-उपरिपुलों के निर्माण हेतु जो प्रस्ताव भेजे गए, उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऊपरी सड़क पुल का निर्माण रेलवे और राज्य सरकार का एक संयुक्त कार्य है। रेलवे रेलपथ पर पुल खास का निर्माण करती है और राज्य सरकार पहुँच मार्गों का निर्माण करती है। रेलवे की पुल खास का निर्माण राज्य सरकार द्वारा पहुँच मार्गों का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले या साथ-साथ करने की योजना होती है।

(घ) और (ङ) सभी प्रस्ताव, जिनके संबंध में विधिवत् अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी करने की ठोस वचनबद्धता की गई थी, स्वीकृत कर दिए गए हैं। 1998-99 में संलग्न विवरण के क्रम सं. 2 पर दिया गया एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उसी वर्ष में स्वीकृत कर दिया गया था। 1999-2000 में क्रम सं. 3 से क्रम. सं. 16 तक 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए और स्वीकृत किए गए। वर्ष 2000-2001 में क्रम सं. 17 से क्रम सं. 31 तक 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए और स्वीकृत किए गए।

विवरण

(क), (ख), (घ) और (ङ) केरल राज्य से वर्षवार प्राप्त हुए सभी निश्चित प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं और ये प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। इस समय केरल राज्य में आने वाले ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के निर्माण से संबंधित कार्य निम्नलिखित स्थानों पर चल रहे हैं। अब तक उपलब्ध कराई गई धनराशि, 2001-2002 के दौरान प्रस्तावित राशि तथा कार्य की मौजूदा स्थिति नीचे साथ-साथ दर्शाई गई है :–

क्र. सं.	प्राप्त हुए प्रस्ताव	स्वीकृति का वर्ष	अब तक उपलब्ध कराई गई धनराशि	2001-02 के दौरान प्रस्तावित परिव्यय	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	बरकाला में किलोमीटर 179/13-14 पर समपार सं. 561 के बदले निचला सड़क पुल	1996-97	18307	600	पुल संबंधी कार्य पूरा हो गया है। संपर्क मार्गों पर कार्य प्रगति पर है।
2.	तिरुपूरीतुरा के निकट कथिराकाडावू पर किलोमीटर 1/11-12 पर समपार सं. 1 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1998-99	13033	13000	रेलवे के भाग पर 35% तथा संपर्क मार्गों पर 70% कार्य प्रगति पर है।
3.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड (कोचिंग हार्बरयार्ड) में चेरावत्तूर तथा नीलेश्वर स्टेशन के बीच कि.मी. 805/5-6 पर समपार सं. 209 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	5905	5000	सामान्य प्रबंध आरेखण अनुमोदित कर दिए गए हैं। अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
4.	शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड में @ इरिनजालकुडा समपार सं. 43 @ कि.मी. 56/9-10 पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	12000	20000	सामान्य प्रबंध आरेखण तैयार किए जा रहे हैं।

1	2	3	4	5	6
5.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड में कान्हागढ़ी और निलेश्वर स्टेशनों (पदनक्कड़) के बीच कि.मी. 810/1-2 पर समपार सं. 272 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	5905	10000	सामान्य प्रबंध आरेखणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
6.	चिरोड़-शोरूवण्णूर खंड-समपार सं. 215 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	5000	10000	सामान्य प्रबंध आरेखणों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
7.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड में एट्टोकोट-कण्णौर स्टेशनों के बीच कि.मी. 749/2-3 पर समपार सं. 239 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	11985	5000	सामान्य प्रबंध आरेखण 12.1.2000 को सी.ई./एन. एच./टी.वी.सी. को स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं।
8.	शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड में चलाकुडी पर कि.मी. 62/9-8 पर समपार सं. 48 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	12000	20000	सामान्य प्रबंध आरेखण तैयार किए जा रहे हैं। अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
9.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड में एल्लाटूर और कुलंडी बेंगालम स्टेशनों के बीच कि.मी. 679/1-2 पर समपार सं. 196 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	10905	20000	सामान्य प्रबंध आरेखण सी.ई./एन.एच. द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं। बी.आर.डी.सी.आर. कोचीन द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं।
10.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड में वेस्ट हिल और एल्लाटूर स्टेशनों के बीच कि.मी. 673/8-9 पर समपार सं. 192 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	10905	20000	सामान्य प्रबंध आरेखण अनुमोदित कर दिए गए हैं।
11.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड में समपार सं. 186 के बदले कालीकट और वेस्ट हिल के बीच कि.मी. 666/11-12 पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	12105	20000	सी.ई./सड़क एवं पुल लेहंगानाथपुरम द्वारा सामान्य प्रबंध आरेखण अनुमोदित कर दिए गए हैं।
12.	इडापल्ली और एर्णाकुलम स्टेशनों के बीच समपार सं. 71 के बदले कि.मी. 102/13-14 पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	12015	10000	राज्य सरकार से मँगाए गए देशांतरीय खंड तथा क्रास खंड जैसे ब्यौरों के प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। योजना तैयार की जा रही है।
13.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर एट्टोकोट तथा कण्णोर स्टेशनों के बीच कि.मी. 743/3-4 पर समपार सं. 238 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	10905	5000	सामान्य प्रबंध आरेख 19.1.2000 को सी.ई./एन. एच./टी.वी.सी. को स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं।
14.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर एट्टोकोट तथा कण्णोर स्टेशनों के बीच कि.मी. 695/12-13 पर समपार सं. 206 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	1010	155000	सामान्य प्रबंध आरेख अनुमोदित कर दिए गए हैं। अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
15.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर एल्लाटूर तथा कुलंडी स्टेशनों के बीच कि.मी. 686/1-2 पर समपार सं. 199 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	9000	20000	सामान्य प्रबंध आरेख अनुमोदित कर दिए गए हैं। अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
16.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर धर्मादम तथा एट्टोकोट और एट्टोकोट स्टेशनों (मुजूपल्याणगढ़ी) के बीच कि.मी. 738/7-8 पर समपार सं. 232 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	1010	10000	सी.ई./एन.एच. द्वारा सामान्य प्रबंध आरेख अनुमोदित कर दिए गए हैं।
17	पालघाट-पोल्लाची खंड पर पालघाट-पालघाट टाउन स्टेशनों के बीच कि.मी. 54/12-13 पर समपार सं. 50 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	5000	कार्य योजना स्तर पर है।

1	2	3	4	5	6
18.	शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर अंगामाली और अलूआ स्टेशनों के बीच कि.मी. 80/12-13 पर समपार सं. 64 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	10000	कार्य योजना स्तर पर है।
19.	शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर कि.मी. 28/10-11 पर समपार सं. 17 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	7000	कार्य योजना स्तर पर है।
20.	एर्णाकुलम-कोल्लम खंड पर कि.मी. ईक्यू 3/19-20 पर समपार सं. 2 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	7500	कार्य योजना स्तर पर है।
21.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर कि.मी. 732/9-10 पर समपार सं. 229 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	2500	5000	कार्य योजना स्तर पर है।
22.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड के फिरोक और कल्लाई स्टेशनों के बीच कि.मी. 660/4-5 पर समपार सं. 177 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	5000	कार्य योजना स्तर पर है।
23.	शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर कि.मी. 39/14-15 (ओल्लूरयार्ड) पर समपार सं. 26 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	5000	कार्य योजना स्तर पर है।
24.	शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर कि.मी. 67/13-14 पर समपार सं. 54 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	7000	कार्य योजना स्तर पर है।
25.	एर्णाकुलम टाउन-एर्णाकुलम जं. खंड पर पुल्लापड़ी-थम्मानम रोड पर कि.मी. 105/5-6 पर समपार सं. 73 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	10000	कार्य योजना स्तर पर है।
26.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर कि.मी. 626/10-11 पर समपार सं. 171 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	5000	कार्य योजना स्तर पर है।
27.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर समपार सं. 271 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	5000	कार्य योजना स्तर पर है।
28.	शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर कि.मी. 639/14-15 पर समपार सं. 174 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	5000	कार्य योजना स्तर पर है।
29.	एर्णाकुलम-तिरूनेत्तूर स्टेशनों के बीच कि.मी. 1/9-10 पर समपार सं. 76 टी के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	4000	कार्य योजना स्तर पर है।
30.	एर्णाकुलम-कोल्लम खंड पर कि.मी. 8/15-16 (इरुमनम) पर सी.आर.एल. यार्ड में समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	7000	कार्य योजना स्तर पर है।
31.	शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर कि.मी. 95/7-8 पर समपार सं. 67 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	1000	7000	कार्य योजना स्तर पर है।

इसके अलावा निक्षेप शर्तों अर्थात् राज्य सरकार की लागत पर 6 और ऊपरी/निचले सड़क पुलों का भी निर्माण किया जा रहा है जिनसे संबंधित कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों पर है।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिए योजना

2778. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन और दीव में, विशेषकर वहाँ के ग्रामीण इलाकों में, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएँ बनाई गई हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) मंत्रालय दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र सहित देश भर में बायोगैस, उन्नत चूल्हों, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों, सौर जल तापन प्रणालियों, बायोमास गैसीफायरों आदि के माध्यम से खाना पकाने, तापन, रोशनी और विद्युत के लिए ग्रामीण एवं शहरी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संवर्द्धन और लोकप्रिय बनाने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र को कुल 4,66,000 रुपए की राशि आबंटित की गई है।

भोजन पकाने के प्रयोजन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

2779. श्रीमती मिनाती सेन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त उद्यम क्षेत्र की एक कंपनी, भोजन पकाने के प्रयोजन से दिल्ली में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो अभी तक किन-किन क्षेत्रों में ऐसा किया गया है; और

(ग) महानगर के शेष भागों में भी इसकी आपूर्ति कब तक शुरू होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उद्यम कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में काका नगर, बापा नगर, पंडारा पार्क/रोड, सुजान सिंह पार्क, गोल्फ लिंक, सुंदर नगर, निजामुद्दीन, महारानी बाग, कालिंदी कालोनी, फ्रेंडस कालोनी, न्यू फ्रेंडस कालोनी, सुखदेव विहार, ईश्वर नगर, जाकिर बाग, सरिता बिहार और जंगपुरा क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से गैस की आपूर्ति कर रही है।

(ग) परियोजना चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित की जा रही है और इसके 2018 तक चरणों में पूरा होने की संभावना है।

नाँगल बाँध-तलवाड़ा रेलमार्ग कार्य पूरा करने के लिए धनराशि का आबंटन

2780. श्री सुरेश चन्देल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सही है कि धनराशि आबंटन के जारी होने की यदि यही स्थिति रही तो नाँगल बाँध-तलवाड़ा रेलमार्ग के अगले पच्चीस सालों में भी पूरे होने के आसार नहीं दिखते;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री और राज्य के संसद सदस्यों ने नाँगल बाँध-तलवाड़ा तथा थामली-परवाणू रेलमार्गों के कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु केंद्र सरकार से अधिक धनराशि का आबंटन करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) संसाधनों की तंगी की वजह से कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है। परियोजना को पूरा करने की कोई लक्ष्यतिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) नाँगल बाँध-तलवाड़ा रेल लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए ज्यादा धनराशि के आबंटन का अनुरोध प्राप्त हुआ है। थामली-परवाणू रेल लाइन के लिए ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान आबंटित 8 करोड़ रुपए को 2001-02 के दौरान 10 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव है।.

[अनुवाद]

स्वायत्तशासी निकायों में अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों की नियुक्ति/तैनाती

2781. श्री बूटा सिंह :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री अशोक प्रधान :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या वस्त्र मंत्री स्वायत्तशासी निकायों में अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों की नियुक्ति/तैनाती के बारे में 10 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3080 और 30 नवंबर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1934 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संगत सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे सभा पटल पर कब तक रख दिया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (घ) सदन को दिनांक 10.8.2000 के अ.ता. प्रश्न सं. 3080 के उत्तर में

दिए गए आश्वासन की पूर्ति में, अपेक्षित ब्यौरा दिया गया था जिसे सदन के पटल पर रखने के लिए 8.2.2001 को लोक सभा सचिवालय को प्रस्तुत किया गया था।

एकत्रित की गई सूचना के अनुसार, 01.01.96 और 01.01.2000 की स्थिति के अनुसार वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों में, प्रबंधन बोर्ड/शासी परिषद् के प्रमुख/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य रैंक के 160 और 150 पदों की संख्या में से, अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय के व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 8 और 11 थी।

मैनागुड़ी–जोगीघोपा रेलमार्ग का निर्माण

2782. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेल क्षेत्र स्थित न्यू मैनागुड़ी को जोगीघोपा से जोड़ने के लिए सरकार ने एक नया रेल मार्ग बनाने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजनागत निर्माण कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए 6 करोड़ रुपए राशि का आबंटन किया गया है और बजट 2001-02 में 20 करोड़ रुपए की राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) मै. राइट्स से अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के लिए निविदा प्राप्त हो गई है और प्रक्रियाधीन है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

(ङ) निर्माण कार्य के शुरू करने के लिए पूर्वापेक्षित यथा अंतिम निर्धारण सर्वेक्षण, तकनीकी स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण आदि संपूर्ण हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत पारेषण परियोजनाएँ

2783. श्री प्रभात सामंतराय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में देश में कुछ विद्युत पारेषण परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा स्थापित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें निजी क्षेत्र द्वारा कार्यपालित किया जा रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) पारेषण परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी तथा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है। पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की एक सूची विवरण में दी गई है।

विद्युत कानूनों को 1998 में संशोधित किया गया था। पारेषण परियोजनाओं को अब निजी पारेषण कंपनियों द्वारा भी केंद्रीय/राज्य पारेषण यूटिलिटियों के साथ सहयोग करके एक संयुक्त उद्यम आधार पर अथवा केंद्रीय/राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से पारेषण लाइसेंस प्रदान करके स्वतंत्र रूप से आरंभ किया जा सकता है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि पारेषण लाइन/संबंधित उपकेंद्र अंतःराज्यीय हैं अथवा राज्य के बाहर हैं।

उपरोक्त की अनुपालना में, पी.जी.सी.आई.एल. ने पहले से ही संयुक्त उपक्रम समस्या के अंतर्गत निजी निवेश के जरिए क्रियान्वयन हेतु, भूटान में ताला जल विद्युत परियोजना (1020 में.वा.) से विद्युत की निकासी के लिए ताला पारेषण प्रणाली की अंतर्गत तथा उत्तर-पूर्वी/पूर्वी क्षेत्रों में अन्य नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के अंतर्गत पारेषण लाइनों को अभिज्ञात कर लिया है। पी.जी.सी.आई.एल. ने स्वतंत्र विद्युत पारेषण निगम (आई.टी.पी.सी.) माध्यम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में हिरमा ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत 400 के.वी. डी./सी. बीना-नागदा पारेषण लाइन तथा सीपत ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत 400 के.वी. डी./सी. नागदा (मध्य प्रदेश)–देहगाम (गुजरात) पारेषण लाइन का क्रियान्वयन करने का भी निर्णय लिया है।

विवरण

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
निर्माणाधीन परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम/स्कीम	अनुमानित लागत	चालू होने का वित्त वर्ष
1	2	3	4
1.	नैवेली बहूर टी.एल.	1356	2001
2.	फिरोजगाँधी ऊंचाहार टी.एल.-2	13515	2000
3.	नाथपा-झाँकड़ी टी.एल.	1561663	2002
4.	रंगा नदी टी.एल.	17248	2002
5.	टिहरी टी.एल.	66271	2002
6.	दुलहस्ती कंबाइंड टी.एल.	63480	2004
7.	आर.ए.पी.पी.बी.	11632	1999
8.	किशनपुर मोगा टी.एल.	93848	2001
9.	अगरतला गैस टी.एल.	2217	2001
10.	यू.एल.डी.सी. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	16793	2003
11.	यू.एल.डी.सी. उत्तरी क्षेत्र	59692	2002

1	2	3	4
12.	यू.एल.डी.सी. दक्षिणी क्षेत्र	56794	2002
13.	जालंधर-हमीरपुर	4105	2000
14.	हाथीदाह	1169	2001
15.	उ.पू. एच.वी.डी.सी. बी./बी. सासाराम एच.वी.डी.सी.	67156	2003
16.	यू.एल.डी.सी. पूर्वी क्षेत्र	29001	2004
17.	इलाहाबाद एवं सिंगरौली-कानपुर का लीलो	8980	2001
18.	भिवाड़ी एवं बल्लभगढ़-जयपुर का लीलो	8675	2003
19.	पूर्णिया में बोंगईगाँव-मालदा का लीलो	8020	2002
20.	कन्वर्टर एक्सआर रिहंद-दादरी	1687	2001
21.	ऊर्जा मीटर्स	500	2001
22.	तालचेर-2 टी.एल.	262700	2004
23.	नैवेली में नैवेली-त्रिची का लीलो	1540	2003
24.	कैगा विस्तार (कैगा-नरेंद्रा)	7599	2003
25.	सिलीगुड़ी में बोंगईगाँव-मालदा का लीलो	6319	2002
26.	पूर्णिया-डलखोला का लीलो	940	2002
27.	मालदा में आई.सी.टी.	945	2001
28.	कोल्हापुर-मपुसा	17960	2003
29.	आई.सी.टी. जैपोर	876	2001
30.	बल्लभगढ़-आई.सी.टी.	1100	2002
31.	जमशेदपुर-राउरकेला	7540	2003
32.	तालचेर-मेहरामुंडली	4686	2003
33.	कानपुर-बल्लभगढ़ हेंतुसी रिज कैपेसिटर्स	1500	2002

रेलयात्री सेवा अभिकर्त्ताओं द्वारा टिकटों का दुरुपयोग

2784. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलयात्री सेवा अभिकर्त्ताओं द्वारा रेल टिकटों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले एक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टिकटों का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) फर्जी नामों से आरक्षण के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए वाणिज्यिक एवं सतर्कता विभागों द्वारा दलालों एवं अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध नियमित जाँच की जाती है। प्राधिकृत रेल यात्री सेवा एजेंटों के परिसरों पर भी जाँच की जाती है जिससे कि यह पता चल सके कि यदि वे किसी अनियमितताओं में लिप्त हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। अप्राधिकृत व्यक्तियों से टिकट न खरीदने के लिए आम जनता को विभिन्न मीडिया के माध्यम से शिक्षित कराने के लिए समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं।

दस्तावेजों का पंजीयन

2785. श्री विजय गोयल : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और हरियाणा के कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेजों के ऑन-लाइन पंजीयन की प्रणाली बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जुलाई, 2000 से दिसंबर, 2000 की अवधि के दौरान दिल्ली के कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में कितने दस्तावेज फाइल किए गए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया गया तथा संबंधित कंपनी की दस्तावेज पंजी में रखा गया?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 01.07.2000 से 31.12.2000 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में 3,29,831 दस्तावेज दायर किए गए हैं।

(घ) 1.07.2000 से 31.12.2000 तक की अवधि के दौरान 98,315 दस्तावेजों को रिकार्ड में दर्ज किया गया तथा दस्तावेज फाइल में रखा गया।

घटिया दर्जे की लेखन सामग्री का उपयोग

2786. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सरकारी दस्तावेजों के लिए प्रयुक्त लेखन सामग्री के घटिया दर्जे के होने की ओर ध्यान आकर्षित किया है जैसा कि 16 फरवरी, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले कागज, स्याही तथा अन्य लेखन सामग्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा क्या मानक/मानदंड स्वीकृत किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के विभाग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों/मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में त्रुटिकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हाँ। भारत सरकार के विभिन्न संगठनों से भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाला कागज और स्याही का इस्तेमाल करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि स्थायी सार्वजनिक अभिलेखों का दीर्घकाल तक अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के कागज और स्याही को मद्देनजर रखते हुए किया गया है जो ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने जुलाई, 1961, जून, 1971 और मई, 1972 के अपने मूल्य-अंकित प्रकाशनों में स्थायी अभिलेख तैयार करने हेतु अच्छी गुणवत्ता के कागज व स्याही के संबंध में मापदंड निर्धारित किए हैं।

(ग) और (घ) सरकारी विभाग अधिकांशतः भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों/मापदंडों का अनुसरण कर रहे हैं। तथापि, स्थायी अभिलेखों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/विभागों से इस प्रयोजनार्थ भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) अंकित कागज व स्याही का इस्तेमाल करने के लिए अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों का भ्रमण

2787. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) अधिक से अधिक संख्या में घरेलू/विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) सरकार का उद्देश्य देश में पर्यटन का संवर्धन करना तथा पर्यटन आगमन में वृद्धि करना है। वर्ष-वार ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, वर्ष 2000 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटक आगमन में 6.4% की वृद्धि दर रही है।

(ख) पर्यटन विकास एक सतत् प्रक्रिया है और अधिक स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें पर्यटक सुविधाओं का विकास तथा सुधार, विदेश में पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से प्रचार, विपणन के प्रयास करना, मानव संसाधन विकास संस्थानों को सुदृढ़ करना, सूचना तकनीक का उपयोग, होटलों सहित पर्यटन सेक्टर निजी निवेश को उत्साहित करना, भारत को पर्यटन मैत्रीय देश बनाने में विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के प्रयास समन्वित करना तथा बजटीय पर्यटकों के लिए मार्गस्थ सुविधाओं और अन्य सुविधाओं को प्रोत्साहित करके स्वदेशी पर्यटन को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना

2788. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में ताप विद्युत उत्पादन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित ऐसी कितनी कंपनियाँ हैं जिन्होंने ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आवेदन किया है;

(ग) उन आवेदनों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उड़ीसा विद्युत उत्पादन निगम की आई.बी. घाटी में 210 मेगावाट की क्षमता वाली दो ताप विद्युत इकाइयों को स्थापित करने की योजना है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) उड़ीसा में ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के संबंध में विभिन्न प्रस्ताव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं।

तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृत ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ क्रियान्वयक एजेंसी	क्षमता (मे.वा.)	टी.ई.सी. पत्र की तिथि	चालू होने का कार्यक्रम
केंद्रीय क्षेत्र		4×500	23.10.97	यूनिट-3 11/2003
1.	तालचेर एस.टी.पी.पी. चरण-2			यूनिट-4 8/2004
2.	एन.टी.पी.सी. (यू. 3,4,5 व 6)			यूनिट-5 5/2005 यूनिट-6 2/2006
निजी क्षेत्र				
1.	इब वैली टी.पी.पी. चरण-2 इब वैली कार्पोरेशन (यू 5 व 6)	2×250	26.2.99	यूनिट-5 33 माह वित्तीय समापन से यूनिट-6 33 वही
2.	टुबुरी टी.पी.एस., कलिंग पावर कार्पोरेशन (यूनिट-1 और 2)	2×250	29.4.99	यूनिट-1 वित्तीय समापन से 33 माह यूनिट-2 36 वही

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वापस कर दी गई/कार्रवाई नहीं की गई स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) इब वैली टी.पी.पी. जिसमें राज्य क्षेत्र में चरण-1 के यूनिट-1 और 2 (2×210 मे.वा.) तथा चरण-2 के यूनिट-3 और 4 (2×210 मे.वा.) शामिल हैं, को योजना आयोग ने अप्रैल, 1987 में मंजूरी दी। अब तक परियोजना का चरण-1 पूरा कर लिया गया है और यूनिट-1 और 2 को क्रमशः 21.12.94 तथा 20.6.96 से वाणिज्यिक घोषित कर दिया गया।

यूनिट-3 और 4 के संबंध में नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसमें संपूर्ण स्कीम के लिए संशोधित लागत अनुमान शामिल है, को उड़ीसा पावर जेनरेशन कार्पोरेशन द्वारा तैयार कर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना शेष है। मूलभूत सुविधाओं की वर्तमान उपलब्धता यूनिटों के आकार आदि के मद्देनजर स्कीम का तकनीकी-आर्थिक रूप से पुनः जाँच किया जाना आवश्यक है।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम/क्षमता/क्रियान्वयक एजेंसी	स्थापना लागत आई.डी.सी. सहित	प्राप्ति की तिथि	अभ्युक्तियाँ
		(करोड़ रु.)		
1.	लपांगा टी.पी.एस. 2×250 मे.वा. मै. लापांगा सोनलई पावर कं., भुवनेश्वर	1900.00	3/97	ईंधन लिंकेज, जल (सी. एंड एस.) एम.ओ.ई.एफ. जैसी आवश्यक शर्तों को पूरा करने की वजह से सी.ई.ए. द्वारा स्कीम को लौटा दिया गया।
2.	दुर्गापुर टी.पी.एस.-2×250 मे.वा. अंगुल, मै. जे.के. कार्पोरेशन लि.		3/97	ईंधन लिंकेज, जल (सी. एंड एस. (पर्यावरण) सी. एंड एस.) भूमि आदि जैसे आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने की वजह से सी.ई.ए. ने 6.6.97 को स्कीम को वापस किया।
3.	इंडेक बोमलई टी.पी.एस.-2×250 मे.वा. मै. इंडेक बोमलई एनर्जी सेंटर लि., संभलपुर	2361.87	4/79	ईंधन लिंकेज, जल (सी. एंड एस.) पर्यावरण (सी. एंड एस.) भूमि आदि जैसी आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने की वजह से सी.ई.ए. ने 19.6.97 को स्कीम वापस की।
4.	नराज टी.पी.एस.-2×250 मे.वा. मै. उड़ीसा पावर पार्टनर्स लि.		4/97	ईंधन लिंकेज, जल (वी. एंड एस. (पर्यावरण) सी. एंड एस.) भूमि आदि जैसी आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने की वजह से 3.3.97 को वापिस।
5.	सी.ई.पी.ए. टी.पी.एस, हिरमा-6×660 मे.वा., मै. कंसोलीडेट इलेक्ट्रिक पावर एशिया लि.	3579.5 मिलियन यू.एस. डालर	9/97	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया कि प्रस्तावित परियोजना को समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निजी क्षेत्र परियोजनाओं की सूची से हटाया जा रहा है।

मंत्री का दौरा

2789. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान उनके द्वारा किन-किन देशों के दौरे किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक दौरे पर वर्ष-वार कितना खर्च किया गया; और

(ग) उन दौरों की देशवार क्या उपलब्धि रही?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यू.एन.डी.पी. द्वारा सहायता

2790. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूनाइटेड नेशन्ज डेवलपमेंट प्रोग्राम) का विचार ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सहायता कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार/यू.एन.डी.पी. के देशीय सहयोग फ्रेमवर्क-1 के अंतर्गत सहायता के लिए एक क्षेत्र के रूप में ग्रामीण ऊर्जा की पहचान की गई है। तीन उप-कार्यक्रम, कौंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (कापार्ट) के माध्यम से दो और उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ओरेडा) के माध्यम से एक का कार्यान्वयन 2.8 मिलियन अमेरिकी डालर की कुल यू.एन.डी.पी. सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उप-कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन जनवरी, 2000 में आरंभ हुआ और कार्यक्रम तीन वर्षों की अवधि के लिए है।

(ग) उप-कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए यू.एन.डी.पी. ने पहले ही 3.28 करोड़ रु. जारी कर दिए हैं।

अंडमान और निकोबार प्रशासन को रक्षा भूमि का स्थानांतरण

2791. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उनके कब्जे वाली 200 एकड़ भूमि का अंडमान और निकोबार प्रशासन को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त भूमि का स्थानांतरण कर दिया गया है;

(ग) उक्त भूमि का किस प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार ने हटबे स्थित (410 एकड़ रक्षा भूमि में से) 200 एकड़ भूमि अंडमान और निकोबार प्रशासन को अंतरित करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। इस भूमि का उपयोग का निकोबार द्वीप समूह से निकोबार आदिवासियों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा।

(घ) अंडमान और निकोबार प्रशासन को 200 एकड़ रक्षा भूमि के अंतरण की सहमति इस शर्त पर हुई है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन भूमि अर्जन अधिनियम के तहत 'न लाभ न हानि' के आधार पर रक्षा उपयोग के लिए पोर्ट ब्लेयर वायु क्षेत्र के साथ अवस्थित 70 एकड़ प्राइवेट भूमि का अर्जन करेगा।

कंपनी कानून समाधान योजना

2792. श्री कीर्ति झा आजाद : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनी कानून समाधान योजना, 2000 के अंतर्गत कंपनी कार्य से संबंधित विभाग द्वारा कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ख) इस राशि का प्रयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कंपनियों के पंजीयक ने उन सभी कंपनियों को जिन्होंने कंपनी कानून समाधान योजना, 2000 के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिए थे उन्हें उनके विरुद्ध कार्रवाई न करने संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कंपनियों को कब तक उनके विरुद्ध कार्रवाई न करने संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) सरकार ने कंपनी कानून समाधान योजना, 2000 के तहत 136.85 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं और राशि को भारतीय पब्लिक लेखों में जमा करा दिया गया है।

(ख) वित्त मंत्रालय से निगमित शासन संस्थान का गठन करने तथा कंपनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण व नवीनीकरण के दूसरे चरण को जारी रखने के लिए उक्त राशि में से 125 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। उन आवेदकों/कंपनियों जिन्होंने देय प्रक्रिया के अनुकरण का आवेदन किया है, को उनके विरुद्ध कार्रवाई न करने का प्रमाणपत्र जारी करना प्रगति पर है।

रिफाइनरियों में एल.पी.जी. की उत्पादन लागत

2793. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रिफाइनरियों में 14 कि.ग्रा. वाले एल.पी.जी. सिलिंडर की उत्पादन लागत और बोटलिंग संयंत्र में 14 कि.ग्रा. वाले सिलिंडर की भराई लागत कितनी है;

(ख) क्या एल.पी.जी. के उत्पादन की प्रचालन लागत को कम करने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रिफाइनरियों की उत्पादन लागत और रिलायंस की रिफाइनरी की लागत में उनके मूल प्रस्ताव में दिए गए अनुमान के अनुसार कितना अंतर है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तेल शोधन बहु-उत्पादन के साथ एक सतत् संसाधन उद्योग है इसलिए उत्पादन की उत्पादवार लागत बताना संभव नहीं है। अधिकांश एल.पी.जी. भरण संयंत्रों पर तेल विपणन कंपनियों का स्वामित्व है और उनके द्वारा ही ये चलाई जाती हैं। एल.पी.जी. भराई प्रभारों के प्रति तेल विपणन कंपनियों को प्रतिपूर्त औसत लागत 1996-97 की लागतों के आधार पर 14.98 रुपए प्रति सिलेंडर रही है।

(ख) और (ग) घरेलू एल.पी.जी. की लागत में कमी करने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं :

1. 1.4.1998 से लागत जमा क्षतिपूर्ति प्रणाली रिफाइनरियों के लिए समाप्त कर दी गई है और तब से रिफाइनरियों को आयात समता मूल्य दिया जा रहा है।

2. तेल कंपनियों ने एल.पी.जी. भरण संयंत्रों के क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए उपाय किए हैं।

3. परिवहन लागत में कमी करने के लिए नए भरण संयंत्र अलग-अलग स्थानों पर स्थापित किए गए हैं।

4. एल.पी.जी. की परिवहन लागत में कमी करने के लिए विजाग से सिकंदराबाद तक एक अन्य प्रस्तावित पाइपलाइन के अलावा जनवरी, 2001 में जामनगर से लोनी (दिल्ली के पास) तक एक एल.पी.जी. पाइपलाइन चालू की गई है।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर में राष्ट्रीय आर्ट गैलरी

2794. श्री एच.जी. रामुलू : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर में राष्ट्रीय आर्ट गैलरी खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने मनिक्यावेलु मैनसन, पैलेस रोड, बंगलौर को तीस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर भारत सरकार के सुपुर्द किया है। इस भवन को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की बंगलौर शाखा की स्थापना करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ष 2000-2001 के दौरान, सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उक्त भवन के पुनरुद्धार के लिए पूँजीगत कार्यों के अंतर्गत 100.00 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा, बजट में संशोधित अनुमान चरण पर, इस शाखा के कार्यालय संबंधी खर्चों के लिए भी 3.50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

असम में तेल की खोज

2795. श्री के.ए. सांगतम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम-नागालैंड सीमा पर चंपाँग में तेल की खोज बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में तेल की खोज फिर से शुरू करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो इसे कब तक पुनः शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) व्याप्त परिस्थितियों के कारण नागालैंड में हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण और उत्पादन क्रमशः 1993 और 1994 से निलंबित कर दिया गया है जबकि अन्वेषण और उत्पादन कार्य दोबारा आरंभ करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए निश्चित समयावधि बता पाना संभव नहीं है।

भूमि का अधिग्रहण

2796. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री तिरुनावकरसू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में रेल लाइनों का निर्माण कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि का अधिग्रहण न किए जाने के कारण बाधित हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भूमि-अधिग्रहण के लिए ऐसे राज्यों को विशेष सहायता मुहैया कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण

2797. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक कल्याण बोर्ड का विचार भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और शहीदों के पुत्रों के लिए बंगलौर में 12 सप्ताह का निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) प्रतिवर्ष कुल कितने लोगों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम द्वारा पुरातात्विक स्मारकों का रख-रखाव

2798. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में स्थानवार भारतीय तेल निगम द्वारा संरक्षित स्मारक कौन-कौन से हैं;

(ख) इन पर स्मारकवार कुल कितना खर्च आता है;

(ग) क्या मुगल काल के कुछ स्मारकों के रख-रखाव के लिए भारतीय निगम ने इन्हें अपना लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) आंध्र प्रदेश में भारतीय तेल निगम द्वारा संरक्षित कोई केंद्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

धनियाखलि में हाल्टिंग स्टेशन का बनाया जाना

2799. श्री सुबोध राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पूर्व रेलवे के हावड़ा रेल मंडल में बर्दवान-हावड़ा कार्ड लाइन पर धनियाखलि में एक हाल्टिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्माण कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) 30.6.2002 तक।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के उपगमन मार्ग

2800. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जे.एन.पी.टी.) और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एम.पी.टी.) के संयुक्त उपगमन मार्ग की गहराई बड़े जलपोतों के आवागमन के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने बड़े जलपोतों हेतु 18 कि.मी. लंबे इस जलमार्ग को गहरा करने करने के लिए एक परियोजना तैयार करने की अनुमति माँगी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) अप्रोच चैनल की वर्तमान गहराई के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पत्तन में 12 मीटर तक के ड्राबाव के कंटेनर पोतों को हैंडल किया जा सकता है।

(ख) और (ग) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने 'मुख्य बंदरगाह और ज.ने. पत्तन चैनल को गहरा करने और चौड़ा करने' के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने हेतु पोत परिवहन मंत्रालय से अनुमति माँगी थी जो प्रदान कर दी गई है। प्रस्तावित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ कार्य-स्थल और गणितीय अध्ययन, तकनीकी रूप से व्यावहारिक विकल्प, मुख्य और अनुरक्षण निकर्षण के लिए निकर्षण की मात्रा, पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन और पर्यावरण प्रबंधन योजना, परियोजना की आर्थिक और वित्तीय कार्यक्षमता शामिल हैं।

(घ) इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फरवरी, 2001 में परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। अध्ययन (डी.पी.आर.) को पूरा करने में लगभग 6-8 महीने का समय लगेगा।

नेरल रेलवे स्टेशन पर सड़क उपरि पुल का निर्माण

2801. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत नेरल रेलवे स्टेशन पर सड़क उपरि पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की लागत क्या है; और

(ग) सड़क उपरि पुल के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रेनों का आपसी संपर्क

2802. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के पठानकोट रेलवे स्टेशन पर एन.जी. लाइनों और बी.जी. लाइनों के ट्रेनों के बीच कोई आपसी संपर्क है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हाँ। जोगिंदर नगर की ओर यात्रा करने के इच्छुक दिल्ली के यात्रियों के लिए पठानकोट में बड़ी लाइन की गाड़ियों (दिल्ली-पठानकोट) और छोटी लाइन की गाड़ियों (पठानकोट-जोगिंदर नगर) के निम्नलिखित संपर्क विद्यमान हैं :

1. 3 पी.वी.जे. पैसेंजर सहित झेलम एक्सप्रेस (जोगिंदर नगर की ओर)
2. (शालीमार एक्सप्रेस) सहित 4 पी.वी.जे. पैसेंजर (दिल्ली की ओर)।

[हिन्दी]

हौजरी उत्पादों का उत्पादन

2803. श्री रामदास आठवले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में हौजरी उत्पादों का राज्यवार और उत्पादवार कितना उत्पादन किया गया; और

(ख) इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) ऐसे आँकड़ों को केंद्रीय रूप में नहीं रखा जाता है।

(ख) सरकार देश में होजियारी उत्पाद सहित वस्त्र मदों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक कदम समय-समय पर उठाती रही है। कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :–

1. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू. एफ.) को प्रभावी बनाया गया है।
2. ट्रिमिंग्ज और परिष्करण की कुछ श्रेणियों का शून्य शुल्क आयात।
3. सरकार ने हाल ही में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। मिशन का एक महत्त्वपूर्ण अंग मौजूदा जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों को उन्नत/आधुनिक बनाकर कपास प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार लाना है।
4. कुछ अपवाद के साथ वस्त्र क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता की मंजूरी देना।
5. पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा सुविधाएँ प्रदान कर आयातक देशों की पारि-आवश्यकताओं के समनुरूप अपने वस्त्र व परिधान उद्योग को तैयार करना तथा सुसाध्य बनाना।
6. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), उसकी 6 शाखाएँ और अपैरल प्रशिक्षण और डिजाइन के (ए.टी.डी.सी.) डिजाइन, व्यापारीकरण और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कौशल मानव शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।
7. नई निर्यातक पात्रता (कोटा) नीति, वस्त्र निर्यात में स्थायित्व तथा निरंतरता प्रदान करने तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए 2000-2004 अवधि के लिए घोषित की गई।
8. सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले सिलाए परिधान के वूवन भाग को अनारक्षित कर दिया है।
9. वस्त्र उद्योग के सुव्यवस्थित और निरंतर विकास व उन्नति को सुव्यवस्थित ढंग से नीतिगत दिशा-निर्देश देने और वस्त्र निर्यात को थ्रस्ट देने के लिए हाल ही में नई वस्त्र नीति की घोषणा की गई है।

कुर्ला-हावड़ा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना की जाँच रिपोर्ट

2804. श्री वाई.जी. महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुसावल मंडल में कुर्ला-हावड़ा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारणों का पता लगाने के लिए गठित की गई जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 3 दिसंबर, 1998 को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी हाँ। इस दुर्घटना के कारण की जाँच रेल संरक्षा आयुक्त/मध्य सर्कल, मुंबई द्वारा की गई थी। उसके निष्कर्षों के अनुसार दुर्घटना जीर्ण-शीर्ण एल्युमिनोंथर्मिक (एटी) की लगातार जली हुई पटरी (सी.डब्ल्यू.आर.) की झलाई के अचानक विफल हो जाने के कारण हुई।

पटरियों अथवा झलाई में दरारों का पता पराश्रव्य अल्ट्रासॉनिक दरार संसूचक प्रणाली द्वारा लगाया जाता है, जिनकी क्षमता का अध्ययन इंदिरा गाँधी सेंटर फोर ऑटामिक रिसर्च, कालपक्कम के डा. बलदेवराज तथा अन्य अधिकारियों का एक तकनीकी विकास दल कर रहा है। कमियों का पता लगाने और उसके बाद पहियों को हटाने जो इस विफलता के कारणों के लिए पटरी पर संघात में वृद्धि करते हैं, जुगत के विकास के लिए कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है। अत्यधिक तापमान की स्थितियों के दौरान रेलपथों की निगरानी करके झलाई दोष और पटरी दरारों का पता लगाने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

भोपाल-रामगंज मंडी रेल लाइन का विकास

2805. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल-रामगंज मंडी रेल लाइन को बिछाने का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रेल लाइन को कब तक बिछा दिए जाने की संभावना है;

(घ) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान कितना धन आबंटित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।

(ग) पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) इस परियोजना की प्रत्याशित लागत 425 करोड़ रुपए है।

(ङ) 2001-2002 के दौरान 5 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सी.एन.जी. सिलिंडरों वाले वाहनों में विस्फोट

2806. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गैल) द्वारा सप्लाई की गई सी.एन.जी. से मुंबई में कुछ कारों में विस्फोट हुआ है;

(ख) दिनांक 1 मार्च, 2001 को चेंबूर, पूर्वोत्तर मुंबई में सी.एन.जी. के उपयोग से हुए कार विस्फोटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गैल) के सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस मामले की जाँच की है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या जनता को वाहनों में उपयोग में लाई जा रही सी.एन.जी. के संभावित खतरों से अवगत करा दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी नहीं। विस्फोट आपूर्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस के कारण नहीं हुआ। तीन टैक्सियाँ ईंधन भरवाने के समय सी.एन.जी. डिस्पेंसर पर एक-दूसरे के पास खड़ी थीं। बीच वाली टैक्सी में इंजन से सिलेंडर तक मानक अनुमोदित परिवर्तन किट लगी थी। पर लगाया गया दबाव सिलेंडर सीम वेल्डेड किनारों के साथ स्टील पाइप से बना होने के कारण अनुमोदित किस्म का नहीं था। ईंधन भरने के समय दबाव सिलेंडर में विस्फोट हो गया जिससे चार लोगों की मौत हो गई। (तीन की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक की बाद में) और अन्य छः घायल हो गए।

(ग) और (घ) जाँच एम.जी.एल. द्वारा की गई थी। उसने यह पुष्टि की कि विस्फोट आपूर्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस की वजह से नहीं हुआ बल्कि टैक्सी के स्वामी द्वारा लगाए गए घटिया गुणवत्ता के सिलेंडर के कारण हुआ।

(ङ) और (च) जैसा कि ऊपर (क) में पहले ही बताया गया है कि विस्फोट संपीड़ित गैस की वजह से नहीं हुआ। तथापि एम.जी.एल. ने मुंबई से निकलने वाले विभिन्न समाचारपत्रों में सुरक्षा और जागरूकता नोटिस जारी किए हैं। उसने वाहनों की जाँच करने के लिए एक लागिंग प्रणाली भी आरंभ की है और वाहनों में लगाई गई सी.एन.जी. किट के निरीक्षण के लिए परिवहन प्राधिकरण के साथ समन्वय करने के उपाय किए हैं।

उद्योग पुनरुद्धार कोष

2807. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों ने घाटे में चल रही कंपनियों का पुनर्वास करने के उद्देश्य से रुग्ण उद्योग पुनरुद्धार कोष स्थापित करने की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन मजदूर संघों ने केंद्र सरकार से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और भूमंडलीकरण को ध्यान में रखते हुए रोजगार नीति पर पुनःविचार करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) कंपनी कार्य विभाग की व्यापार संघों से ऐसी कोई माँग प्राप्त नहीं हुई है। 22.10.1999 को सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री वी. बालकृष्ण इराडी, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है तथा रुग्णता, दिवालियापन संबंधी मामले और निगमित कानून एवं शासन में नवीनतम विकास एवं खोजों के साथ तालमेल बनाने के लिए इसकी पुनःसंरचना के उद्देश्य से कंपनियों की परिसमापन संबंधी प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतन कानून का निरीक्षण करने के लिए तथा इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के साथ चलने में होने वाले अनावश्यक विलंबों से बचने के लिए कंपनियों के परिसमापन/दिवालियापन संबंधी कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया में सुधारों के लिए सुझाव देने हेतु उक्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि सरकार के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन कंपनियों के पुनर्जीवन, पुनर्वास परिरक्षण और संरक्षण के लिए एक निधि का सृजन किया जाए। निधि का रख-रखाव और संचालन सरकार द्वारा अपनी तरफ से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। समिति ने, लाभों पर आधारित अंशदान की तुलना में निधि के लिए व्यापारावर्त के निर्धारित प्रतिशत के अंशदान का पक्ष लिया है। प्रस्तावित ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद रचित और पंजीकृत कंपनियाँ कार्य शुरू करने के तुरंत बाद प्रतिवर्ष अपने व्यापारावर्त का निर्धारित प्रतिशत (अर्थात् 0.1%) अंशदान करेंगी। पहले से कार्यरत कंपनियाँ प्रस्तावित राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल की स्थापना वाले वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष से प्रतिवर्ष अंशदान करेंगी। समिति की सिफारिश और मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) के विचारों पर विचार करने के बाद के आधार पर, विधेयक की पुनःस्थापना प्रगति स्तर पर है।

अपर कृष्णा जल-विद्युत परियोजना

2808. श्री आर.एस. पाटिल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड (के.पी.सी.एल.) को अलमट्टी बाँध के निकट 297 मेगावाट का एक विद्युत गृह का निर्माण करने और नारायणपुर जलाशय पर 810 मेगावाट सोपानी जलप्रपात योजना आरंभ करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना को वर्ष 1993 में एक निजी संगठन (सी.पी.सी.एल.) को सौंपा गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने दिनांक 10 नवंबर, 1993 के अपने आदेश के तहत प्रथम चरण में 600 मे.वा. के तथा द्वितीय चरण में 360 मे.वा. के विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए एशिया पावर कं. (मै. टैपको) को मंजूरी दी थी। बाद में मै. टैपको ने अलमत्ती बाँध एवं नारायणपुरा जलाशय के नीचे स्थापित हाइडल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने हेतु एक भारतीय कंपनी नामशः मैसर्स चामुंडी पावर कारपोरेशन लि. के साथ साझेदारी की। बाद में कर्नाटक सरकार ने सी.पी.सी.एल. को 960 मे.वा. की कुल क्षमता की हाइडल परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने की अनुमति दी। हालांकि इस तथ्य के कारण कि कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. ने अलमत्ती बाँध पावर हाउस को सी.पी.सी.एल. कम लागत पर क्रियान्वित करने का प्रस्ताव दिया है तथा अन्य संबंधित कारकों की वजह से भी जी.ओ.के. ने दिनांक 2 जनवरी, 2001 के अपने आदेश के तहत सी.पी.सी.एल. को आबंटित अपर कृष्णा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को वापस ले लिया है और उक्त कार्य, जिसमें 297 मे.वा. अलमत्ती बाँध पावर हाउस तथा 810 मे.वा. कैसकेड पावर स्कीम विलों नारायणपुरा रिजर्वायर शामिल है, को के.पी.सी.एल. को सौंप दिया है।

बंदरगाहों पर जलपोतों के खड़े रहने का समय

2809. श्री चंद्रक्रांत खैरे : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की तुलना में भारत में कुछ बंदरगाहों पर जलपोत बहुत अधिक समय तक खड़े रहते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक जलपोत के खड़े रहने के समय के उच्च प्रतिशत को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से पत्तनों की विशेषताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। भारतीय महापत्तनों में सामान्यतः वैसी ही सुविधाएँ हैं जैसी कि विश्व के दूसरे भागों में स्थित पत्तनों में हैं किंतु उनमें से प्रत्येक पत्तन की कार्य-निष्पादन पोत आवागमन समय थ्रूपुट और उत्पादकता जैसे मापदंडों पर विश्व के सर्वाधिक कुशल पत्तनों के अनुरूप नहीं होता है। फिलहाल किए जा रहे पत्तन विकास और विकास कार्यक्रमों में महापत्तनों का स्तर और नई बर्थों के निर्माण और उन्हें सुसज्जित करके उनकी उत्पादकता में वृद्धि, उभरते कार्गो मिश्रण के अनुरूप अत्याधुनिक उपस्करों की खरीद, इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज की स्थापना, जलयान यातायात प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना, गैर-सरकारी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी पर बल दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के गाँव का विद्युतीकरण

2810. श्री पी.आर. खूँटे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नव-सृजित राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर सूखा प्रभावित छत्तीसगढ़ के विद्युतीकरण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2001-02 के संबंध में अपने बजट भाषण में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली का सुधार करने के लिए सरकार द्वारा पहल संबंधी पैकेज की शुरूआत की जा रही है। इसमें निम्न शामिल हैं :–

- अगले 6 वर्षों में शेष गाँवों का विद्युतीकरण पूरा किया जाना
- प्रधान मंत्री ग्रामोद्योग योजना, जिससे वित्त पोषण की सीमा में विस्तार किया जा रहा है, के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान किया जाना
- दलित बस्तियों के शीघ्र विद्युतीकरण के लिए रा.वि.बो. को आर.ई.सी. से प्रदान की जाने वाली ऋण सहायता में वृद्धि किया जाना
- अनुसूचित जाति के परिवारों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के घरों का प्राथमिकता आधार पर विद्युतीकरण
- गाँवों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जाना, त्वरित विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत आर.ई.सी. द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण नेटवर्कों की अभिवृद्धि किया जाना
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास निधि से न्यूनतम 750 करोड़ रुपए उद्दिष्ट किया जाना
- आर.ई.सी. को आयकर अधिनियम की धारा-54 ई.सी. के अंतर्गत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलेपमेंट (नाबार्ड) और नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया (एन.एच.ए.आई.) के साथ पूँजीगत लाभ वाले कर छूट प्राप्त बांड निर्गत करने की अनुमति प्रदान करके उसके संसाधनों में वृद्धि करना

- छत्तीसगढ़ समेत नए सृजित राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को भी पहल संबंधी इस पैकेज के तहत अन्य राज्यों के साथ विद्युतीकृत किया जाएगा।

भारत को रूसी मिग-29 की बिक्री

2811. श्री चंद्र भूषण सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने एडमिरल गोरास्कोव लड़ाकू विमानवाहक में जोड़े जाने के लिए 25 से 28 मिग-29 (के) विमानों की बिक्री का संविदा दस्तावेज तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारत रूसी सरकार के साथ पिछले सौदों के आधार पर भारतीय विमान कंपनियों में मिग-29 (के) का निर्माण करने में सक्षम हो सकेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) 04 अक्तूबर, 2000 को हस्ताक्षरित अंतर-सरकारी करार में अन्य बातों के साथ-साथ रूस से एक विमान वाहक पोत 'एडमिरल गोर्शकोव' का अर्जन करने और इसकी दुरुस्ती तथा आधुनिकीकरण की व्यवस्था है। रूस ने इस विमान वाहक पोत के लिए संभावित डेक आधारित स्थिर विंग विमान के रूप में मिग-29-के को निर्दिष्ट किया है। रूसी पक्ष ने एक विस्तृत परियोजना दस्तावेज तैयार कर लिया है। 'एडमिरल गोर्शकोव' के अर्जन पर निवेश करने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) चूँकि 'एडमिरल गोर्शकोव' के लिए डेक आधारित विमान के विकल्प पर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है इसलिए इस स्थिति में इसके स्वदेशी विनिर्माण पर विचार करना असामयिक है।

राज्य विद्युत बोर्डों को हुए घाटे तथा पारेषण और वितरण

2812. श्री रतन लाल कटारिया :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री मानसिंह पटेल :
श्री पी.सी. थामस :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत के पारेषण और वितरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड क्या है;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में भारत में कितना घाटा हुआ;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों को पारेषण और वितरण में वर्तमान में कितना घाटा हुआ; और

(घ) पारेषण और वितरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) विश्व के प्रगतिशील देशों में पारेषण एवं वितरण हानियाँ 6-11% के बीच है। तथापि, भारत में पारेषण एवं वितरण हानियों की प्रगतिशील देशों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि यहाँ की प्रणाली प्रचालन परिस्थितियाँ हमारे देश की परिस्थितियों से भिन्न हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में 10-15% के मध्य के पारेषण एवं वितरण हानियों के आँकड़े का लक्ष्य निर्धारित करना उचित होगा।

वर्ष 1992-93 से लेकर 1997-98 तक संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा आकलित की जा रही? प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियों, जिसमें तकनीकी कारणों की वजह से हुई हानियाँ और गणना में न ली गई हानियाँ भी शामिल हैं, विवरण में दी गई हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने फरवरी, 2001 में सभी रा.वि.बो. से पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने हेतु अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों को पुनः दोहराया है। राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों को सभी स्तरों पर मीटरों की अधिष्ठापना के लिए रिहायती दरों पर विद्युत वित्त निगम द्वारा निधियाँ प्रदान की जा रही हैं।

3.3.2001 को आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि राज्य सरकारें/राज्य विद्युत यूटिलिटियां तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएँगे :–

1. सभी 11 के.वी. फीडरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा 6 माह के भीतर प्रभावी कर दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी नियत की जाएगी।
2. इस प्रयोजनार्थ एक प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) का प्रचालन किया जाएगा।
3. उपरोक्त के आधार पर अगले दो वर्षों में विद्युत की चोरी का पता लगाने और उसका उन्मूलन करने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।
4. दिसंबर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की पूर्ण मीटरिंग पूरी कर दी जाएगी।
5. विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की गुणवत्ता में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) के जरिए सुधार किया जाएगा।

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) के अंतर्गत वितरण प्रणाली के सशक्तीकरण हेतु प्रथम चरण में पचास वितरण सर्किलों को अभिज्ञात किया गया है। सभी वितरण सर्किलों में मानीटरिंग/मूल्यांकन और परियोजना तैयारी, क्रियान्वयन के क्षेत्रों में राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों की सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप वितरण अवस्था में हानि में पर्याप्त कमी प्राप्त होगी और राज्य विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में भी सहायता मिलेगी।

विवरण

रा.वि.बो./विद्युत विभागों में प्रतिशत रूपांतरण, पारेषण एवं वितरण हानियाँ (वाणिज्यिक हानियों जैसे चोरी इत्यादि सहित)

क्षेत्र/रा.वि.बो./बिजली वि.	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
हरियाणा	26.78	25.00	30.80	32.39	32.77	34.04
हिमाचल प्रदेश	19.51	18.31	18.21	16.09	18.02	20.13
जम्मू एवं कश्मीर	48.28	45.69	48.74	47.52	48.27	49.95
पंजाब	19.24	19.37	16.70	18.49	19.10	18.94
राजस्थान	22.74	25.00	24.78	29.27	26.28	26.41
उत्तर प्रदेश	24.43	24.08	21.69	21.84	24.84	26.18
चंडीगढ़	26.21	27.27	28.44	33.72	21.88	22.38
डी.वी.बी. (दिल्ली)	23.56	31.79	34.56	48.57	49.08	47.91
पश्चिमी क्षेत्र						
गुजरात	22.03	20.34	20.02	20.08	17.14	21.57
मध्य प्रदेश	21.35	20.26	19.61	17.84	19.24	19.58
महाराष्ट्र	17.83	16.22	16.33	16.95	16.55	18.75
दादर एवं नगर हवेली	17.98	12.64	11.35	09.31	08.80	12.90
गोवा	21.85	24.50	26.87	26.06	23.50	31.02
दमन एवं दीव	15.67	22.34	16.30	12.80	08.15	14.69
दक्षिणी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	19.88	19.91	17.95	19.34	33.19	32.14
कर्नाटक	19.55	19.55	19.41	19.06	18.73	19.31
केरल	21.95	20.00	20.05	21.12	20.59	18.73
तमिलनाडु	17.50	17.18	17.11	16.19	17.65	17.29
लक्षद्वीप	18.72	16.99	17.84	17.23	15.11	15.70
पांडिचेरी	15.31	15.80	15.00	16.54	17.38	13.56
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	22.00	20.35	19.76	15.91	25.31	16.26
उड़ीसा (ग्रिडको)	25.25	22.43	23.03	24.17	50.15	50.10
सिक्किम	22.55	22.60	21.22	16.47	29.24	22.87
पश्चिम बंगाल	24.87	20.82	21.51	19.26	18.01	19.67
अ. एवं. निकोबार द्वीप	23.62	23.71	22.38	19.25	19.15	20.59
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र						
असम	21.41	22.44	24.18	26.91	25.97	27.32
मणिपुर	22.35	23.92	25.30	24.85	22.95	21.09
मेघालय	11.79	18.03	18.47	12.55	19.75	12.28
नागालैंड	27.26	33.45	36.12	35.17	26.81	29.79
त्रिपुरा	30.64	30.53	31.96	30.86	30.11	31.11
अरूणाचल प्रदेश	32.32	42.04	45.30	37.12	32.62	34.10
मिजोरम	29.04	31.89	29.76	25.18	34.35	46.84
अखिल भारतीय यूटिलिटीज	**21.80**	**21.41**	**21.13**	**22.27**	**24.53**	**24.79**

भारत-अमरीका रक्षा सहयोग

2813. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका के वर्तमान प्रशासन के साथ रक्षा सहयोग पर पुनः वार्ता करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की वर्तमान सरकार ने भी भारत के साथ रक्षा सहयोग के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) रक्षा सचिव की अध्यक्षता में भारत-अमरीकी रक्षा नीति समूह द्वारा भारत के रक्षा मंत्रालय तथा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के बीच बातचीत को अधिकारिक स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है। तथापि, मई, 1998 में परमाणु परीक्षण किए जाने से अब तक रक्षा नीति समूह की कोई बैठक नहीं हुई है। रक्षा नीति समूह की अंतिम बैठक अक्तूबर, 1996 में हुई थी। यद्यपि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटा लिया गया है फिर भी कुल मिलाकर ये प्रतिबंध अभी लागू हैं। तथापि, निम्न स्तर पर सेना से सेना स्तर पर सीमित सहयोग उसी तरह पुनः शुरू हो गया है जैसे कि मंत्रालय स्तर पर संपर्क है।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएँ

2814. श्री राजो सिंह :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आज की तिथि तक नई रेल लाइनें बिछाने, रेल लाइनों के दोहरीकरण और रेलमार्गों के विद्युतीकरण के लिए राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निजी निवेशक

2815. श्री विनय कुमार सोराके : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विद्युत क्षेत्र में निजी विदेशी निवेशकों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वतंत्र विद्युत संघ ने लाभांश वितरण कर और न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाए जाने संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय के संबंध में चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आई.पी.पी. सदस्यों द्वारा वित्त पोषित 18 विद्युत परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(घ) क्या ऐसे करों को लगाए जाने से परियोजनाओं के कार्यक्रम अव्यवस्थित हो जाएँगे;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या भारतीय विद्युत परियोजनाओं में विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए व्यापक सुधार आधारित व्यापक पैकेज लागू किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सरकार ने न्यूनतम वैकल्पिक कर तथा लाभांश वितरण कर से मुक्त करने के संबंध में विभिन्न चैंबर ऑफ कामर्स, ट्रेड निकायों तथा अन्य संगठनों समेत स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इस प्रस्तावों पर विचार किया है एवं वित्त विधेयक, 2001 में निम्नलिखित का प्रस्ताव किया है :–

1. घरेलू कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर पर अधिभार घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित है। विदेशी कंपनियों पर बोर्ड अधिभार नहीं पाया जाता है।

2. लाभांश वितरण कर को घटाकर 10% करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) वर्तमान तारीख में 16 निजी विद्युत परियोजनाएँ निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। आरंभिक 15 वर्ष के कर अवकाश अवधि में से 10 वर्ष की अवधि उन विद्युत परियोजनाओं को दे दी गई है जो 31.3.2006 या इसके पूर्व विद्युत उत्पादन शुरू कर देती हैं।

(ङ) और (च) एस्क्रो समस्या के समाधान एवं वैकल्पिक सुरक्षा तंत्र के लिए 30 मार्च, 2000 को विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित संकट समाधान दल की आठवीं बैठक में एस्क्रो मामले का हल करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आई.ई.पी. के वित्त पोषण को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सुधार की प्रगति से जोड़ दिया जाए। आई.पी.पी. विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय समापन प्राप्त करने में सुगमता लाने हेतु विद्युत मंत्रालय ने एस्क्रो के विकल्प के रूप में एक सुधार आधारित सुरक्षा तंत्र पर विचार करने का प्रस्ताव किया है ताकि ऋणदाताओं एवं आई.पी.पी. प्रवर्तकों में वित्तीय विश्वसनीयता पैदा की जा सके। वित्तीय संस्थानों ने भी आई.पी.पी. को कानूनी रूप से आयकर समझौते के आधार पर, जो राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय समापन के समय एस्क्रो की विद्यमान प्रणाली के बदले वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व एस्क्रो देने हेतु वित्त उपलब्ध कराएँगे।

भारतीय पोत निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

2816. डा. मंदा जगन्नाथ : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 17 दिसंबर, 1996 और 1 सितंबर, 1997 और 23 जुलाई, 1998 को प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन में 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसदविदों' ने भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सरकारी क्षेत्र के संगठनों में और निगमों में प्रधान/मुख्य कार्यपालक/अध्यक्ष-प्रबंध निदेशकों और निदेशकों, प्रबंधन बोर्डों के सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पोत परिवहन के प्रबंधन बोर्ड/प्रशासकीय/कार्यकारी परिषद् में उपरोक्त श्रेणियों के पदों पर कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए;

(घ) नियुक्त किए गए व्यक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत क्या है; और

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसदविदों की उपरोक्त माँग को संतोषजनक रूप से पूरा न करने के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत वित्त निगम (पी.एफ.सी.) द्वारा विदेशी ऋण

2817. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से विदेशी ऋण जुटा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितना ऋण प्राप्त हुआ है;

(ग) इससे देश में विद्युत उत्पादन में कितनी सहायता मिलेगी, और

(घ) विद्युत वित्त निगम कौन-कौन-से देशों से धन प्राप्त करने में सफल रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पावर फाइनेंस कारपोरेशन वर्ष 1990 से बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और वाणिज्यिक स्रोतों से विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का उपयोग कर रहा है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा अभी तक जुटाए गए विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्यौरा निम्नवत है :–

क्रम सं.	ऋण का नाम	हस्ताक्षर वर्ष	विदेशी मुद्रा की राशि	मिलियन रुपए में समकक्ष धनराशि
1.	ए.डी.बी. को–फाइनेंस ऋण	1990	यू.एस.एस. 60 मिलियन एंड जापानी येन 7500 मिलियन	2724.90
2.	फ्रेंच बाई–लेटरल क्रेडिट	1990	एफ.एफ. 304.74 मिलि.	1402.25
3.	डी.एफ.आई.डी./ओ.डी.ए. ग्रांट	1993	यू.के. पाउंड 25.1 मिलि.	652.00
4.	के.एफ.डब्ल्यू. मिक्स्ड क्रेडिट	1995	डी.एम. 46.5 मिलियन	543.94
5.	सिंडीकेट बैंक लोन	1997	यू.एस.एस. 75 मिलियन	2690.53
6.	यूरो बॉंड इश्यू	1997	यू.एस.एस. 100 मिलियन	3780.00
7.	सिंडीकेट लोन–2	1998	यू.एस.एस. 100 मिलियन	4369.50
8.	फ्लाटिंग रेट नोट्स	1999	यू.एस.एस. 100 मिलियन	4284.00

* यू.के. पाउंड 9 मिलियन + रु. 166.4 मिलियन अभी तक उपयोगित किया जा चुका है।

** डी.एम. 23.31 मिलियन अभी तक उपयोगित किया जा चुका है।

उपरोक्त धनराशि में बजट के माध्यम से प्राप्त विश्व बैंक और ए.डी.बी. ऋण की 390 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि शामिल नहीं है।

(ग) पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा जुटाई गई निधियों को भारत में ताप/जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पी.एफ.सी. के सामान्य ऋण संवितरण कार्यों हेतु प्रयुक्त किया गया है।

(घ) पावर फाइनेंस कारपोरेशन विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के अतिरिक्त फ्रांस, यू.के. और जर्मनी से द्विपक्षीय निधियों तथा विभिन्न अन्य देशों में स्थित अन्य निवेशकों और बैंकों से वाणिज्यिक निधियाँ प्राप्त करने में सक्षम रही हैं।

संतुष्टि कॉम्पलेक्स के दुकान मालिकों को बेदखली का नोटिस

2818. श्रीमती श्यामा सिंह :
डॉ. रमेश चंद तोमर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा संपदा अधिकारी ने विवादास्पद संतुष्टि कॉम्लेक्स के बहुत से दुकान मालिकों को बेदखली के नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अनधिकृत रूप से निजी संगठनों को कॉम्लेक्स विकसित करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों पर जिम्मेवारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) संतुष्टि परिसर में 44 दुकानें हैं जिनमें से 6 दुकानें दुकानदारों ने खाली कर दी थीं। 37 दुकानदारों को खाली करने के आदेश दिए गए थे। शेष एक दुकान को खाली कराए जाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। 36 मामलों में खाली कराए जाने के आदेशों को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम की धारा 9 के तहत नई दिल्ली में तीस हजारी स्थित अपर जिला जज की अदालत में चुनौती दी गई है। अदालत ने संपदा अधिकारी को निदेश दिया है कि अगले आदेश होने तक कोई कार्रवाई न करें।

(ग) और (घ) मामला विचाराधीन है।

टेलीफोन बूथों का आबंटन

2819. श्री किरीट सोमैया :
श्री राम सजीवन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन बूथों के आबंटन के संबंध में नई नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न श्रेणियों के लिए कितना-कितना आरक्षण किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न जोनों में टेलीफोन बूथों के आबंटन हेतु निविदाएँ आमंत्रित की हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन बूथों का आवंटन कब तक हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) नई नीति में पात्रता की शर्तें, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, आबंटन की शर्तें, मानीटरिंग प्रणाली आदि निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त संशोधित नीति में आबंटन का 75% खुली निविदा के आधार पर उच्चतम बोलीदाता के लिए, शेष 25% नेत्रहीनों सहित शारीरिक रूप से विकलाँग व्यक्तियों, समाज के विभिन्न कोटियों यथा महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) से (ङ) कुछ क्षेत्रीय रेलों ने विभिन्न स्टेशनों पर एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ./फैक्स/इंटरनेट बूथों को स्थापित करने के लिए स्थान आबंटित करने के लिए ठेके आमंत्रित किए हैं जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और यह कार्य विभिन्न चरणों में है।

आयुध भंडारों का कंप्यूटरीकरण

2820. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने अपनी इनफेंट्री के कंप्यूटरीकरण के प्रयास किए हैं परंतु पसनल कंप्यूटरों का उपयोग आंतरिक रिपोर्टें तैयार करने के लिए किया गया है और सभी भंडारों के प्रमुख कार्यकलाप अर्थात् व्यवस्था कार्य हाथ से ही किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पसनल कंप्यूटरों की खरीद जिन निर्धारित कार्यों के लिए की गई थी उनमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किए जाने के मामले की जाँच कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इनवेंटरी के सार्थक नियंत्रण और कम पाए गए सामान के लिए आयुध भडारों के कंप्यूटरीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) वैयक्तिक कंप्यूटरों का उपयोग सभी आयुध डिपुओं में सामान-सूची प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। इन कार्यो के लिए, सेना आयुध कोर ने डिवीजनल आयुध यूनिट पैकेज/क्षेत्रीय आयुध डिपो पैकेज/गोला-बारूद सूची सेंट्रल पैकेज/सिविलियन वैयक्तिक प्रबंधन पैकेज आदि जैसे सॉफ्टवेयर पैकेजों का विकास किया है।

1. उक्त कंप्यूटर द्वारा ऐसी कोई आंतरिक रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है जो सामान-सूची प्रबंधन से संबंधित न हो, जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है।

2. सभी आयुध डिपुओं में कंप्यूटरों का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए कारगर ढंग से किया जा रहा है, जिनके लिए अर्थात् सामान-सूची प्रबंधन के लिए इन्हें लगाया गया है। कंप्यूटर एक बहु-भूमिका वाला तथा कारगर यंत्र है, जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

3. सामान-सूची के सार्थक नियंत्रण के लिए आयुध डिपुओं को कंप्यूटरीकृत किए जाने के संबंध में किए गए कार्यों में केंद्रीय आयुध डिपो, दिल्ली छावनी के सामान-सूची प्रबंधन संबंधी कार्यों तथा सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय में आयुध निदेशालय की प्रबंधन सूचना सेवा/निर्णय सहयोग प्रणाली संबंधी आवश्यकताओं के यंत्रीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कंप्यूटरीकृत सामान-सूची नियंत्रण परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें सभी आयुध यूनिटों को सेना मुख्यालय से जोड़ने के लिए व्यापक क्षेत्र नेटवर्क की स्थापना किया जाना भी शामिल है। इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और इसके चरण-I को 31 दिसंबर, 2001 तक पूरा किया जाना है। इसके बाद, इस प्रणाली को सभी अन्य केंद्रीय क्षेत्रीय डिपुओं और आयुध यूनिटों में स्थापित किया जाएगा।

एन.टी.पी.सी. द्वारा शुल्क प्रभार

2821. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.टी.पी.सी. और अन्य केंद्रीय विद्युत इकाइयों द्वारा राज्यों से वसूल किए जाने वाले विद्युत शुल्क का ब्यौरा क्या है और यह किस तारीख से प्रभावी है;

(ख) क्या राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों से वसूल किए जाने वाले शुल्क को संशोधित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों पर राज्य-वार केंद्रीय विद्युत इकाइयों की बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विद्युत शुल्क में संशोधन और राज्यों/राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया धनराशि की वसूली हेतु अंतिम रूप दिए गए प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) एन.टी.पी.सी. तथा अन्य केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा राज्यों पर प्रभारित टैरिफ के ब्यौरे विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग सी.ई.आर.सी. ने ग्रिड अनुशासन विकसित करने के लिए 4.1.2000 को एक उपलब्धता आधारित टैरिफ आदेश जारी किया जिसके तहत नियत प्रभार की वसूली को उपलब्धता से जोड़ दिया गया तथा एक अनिर्धारित अंतः परिवर्तन शुरू किया गया। सी.ई.आर.सी. ने केंद्रीय क्षेत्र यूटिलिटियों द्वारा इस आदेश के विरुद्ध समीक्षा याचिका दायर किए जाने की वजह से दिनांक 15.12.2000 एवं 21.12.2000 के आदेशों के तहत समीक्षा की। इन आदेशों को एन.टी.पी.सी. ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने अपने 7.3.2001 के अंतरिम आदेश के तहत अन्य बातों के साथ-साथ एन.टी.पी.सी. को अपने पुराने मानदंडों के आधार पर टैरिफ प्रभारण जारी रखने की अनुमति दी। सी.ई.आर.ई.सी. ने 21 दिसंबर, 2000 को केंद्रीय यूटिलिटियों के लिए टैरिफ संबंधी नियम एवं शर्तें निर्धारित करते हुए आदेश जारी किया। केंद्रीय यूटिलिटियों–सी.ई.आर.सी. के दिनांक 21.12.2000 के आदेश की समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया है। सी.ई.आर.सी. समीक्षा याचिका पर विचार कर रहा है और आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत इस मामले का निपटान करेगा।

राज्य सरकारों/रा.वि. बोर्डों के नाम केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों की बकाया राशि का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

जुलाई 2000 में भारत सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया राशि के प्रतिभूतिकरण के लिए एक स्कीम को मंजूरी दी। दिनांक 3.3.2001 के मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ एक विशेषज्ञ समूह गठित करने का निर्णय किया गया जो विद्युत क्षेत्र की बकाया राशियों समेत राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि का एक कालिक भुगतान करने हेतु सिफारिश करेगी। विद्युत मंत्रालय ने 5.3.2001 को विशेषज्ञ समूह गठित कर लिया है।

विवरण-I

एन.टी.पी.सी. के विद्युत केंद्रों को विद्युत बिक्री के लिए टैरिफ (14.05.99 की स्थिति अनुसार)

विद्युत स्टेशन का नाम		क्षमता (मे.वा.)	राज्य	भिन्नता प्रभार* (पैसे/कि.वा.घं.)	वार्षिक स्थिर प्रभार (करोड़ रु. में) @16% ब्याज की दर से 1.1.98 से प्रभारी	टैरिफ(पैसे/कि.वा.घं.)** सामान्य स्तर पर पी.एल.एफ. का 68.5%	अभ्युक्तियाँ/टैरिफ वैधता
सिंगरौली	एस.टी.पी.एस.	2000	उ.प्र.	37.05	325.90	66.65	टैरिफ 1.11.97 से संशोधन हेतु देय।
रिहंद	एस.टी.पी.एस.	1000	उ.प्र.	34.83	478.74	122.51	टैरिफ 1.11.97 से संशोधन हेतु देय।
एन.सी.टी.पी.पी. (दादरी)		840	उ.प्र.	90.56	447.58	196.87	1.12.95 से 31.3.98
एफ.यू.जी.टी.पी.एस.	चरण-1	420	उ.प्र.	55.83	221.71	153.03	अग्रिम संशोधन 1.4.97 से देय है।
दादरी	जी.पी.एस.	829.78	उ.प्र.	69.39	240.14	119.40	1.4.97 से 31.3.99
औरैया	जी.पी.एस.	663.36	उ.प्र.	61.92	160.20	103.41	टैरिफ 1.4.97 से संशोधन हेतु देय।
अंता	जी.पी.एस.	419.33	राजस्थान	61.27	92.92	99.34	टैरिफ 1.4.97 से संशोधन हेतु देय।
फरक्का	एस.टी.पी.एस.	1600	पं. बंगाल	4.16	668.33	124.89	1.7.96 से 31.3.2000
कहलगाँव	एस.टी.पी.एस.	840	बिहार	50.86	477.88	163.05	1.8.96 से 31.3.2000
तलचेर	एस.टी.पी.एस.	1000	उड़ीसा	32.72	644.39	155.89	1.7.97 से 31.3.2002
विंध्याचल	एस.टी.पी.एस. चरण-1	1260	म.प्र.	34.74	390.33	92.13	टैरिफ 1.11.97 से संशोधन हेतु देय।
कोरबा	एस.टी.पी.एस.	2100	म.प्र.	20.42	380.04	53.36	टैरिफ 1.11.97 से संशोधन हेतु देय।
गंधार	जी.पी.एस.	657.39	गुजरात	49.38	646.49	219.18	1.11.95 से 31.3.2000
कवास	जी.पी.एस.	656.20	गुजरात	61.84	294.63	138.99	टैरिफ 1.4.98 से संशोधन हेतु देय।
रामागुंडम	एस.टी.पी.एस.	2100	आं.प्र.	37.68	463.40	77.82	टैरिफ 1.11.97 से संशोधन हेतु देय।
टी.टी.पी.एस.		460	उड़ीसा	61.57**	144.67	120.45**	
टांडा		440	उ.प्र.	149.38**	294.93	276.60**	
विंध्याचल-II		1000	म.प्र.	59.62	535.95	156.74	
ऊंचाहार-II		210	उ.प्र.	98.30	188.49	244.31	
कायमकुलम		350.58	केरल	275.33**	259.83	398.49**	
फरीदाबाद		281.854	हरियाणा	140.43	194.82	256.78	

* परिवर्तनीय प्रभारों में ईंधन मूल्य समायोजन शामिल नहीं है।

** एन.टी.पी.सी. द्वारा किए गए अतिरिक्त पूँजीकरण पर टैरिफ के प्रभाव तथा 1992-93 से 1996-97 के दौरान एफई परिवर्तन के प्रभाव को छोड़कर विद्युत मंत्रालय द्वारा हाल ही में अधिसूचित।

विवरण-II

एन.एच.पी.सी. की जल विद्युत परियोजनाओं के वर्षवार टैरिफ का ब्यौरा (14.05.99 की स्थिति अनुसार)

एसीसी एवं एएफसी आँकड़े करोड़ रुपए में

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	1997-98		1998-99		1999-00		2000-01		2001-02	
		(मे.वा.)	एसीसी	एएफसी	एसीसी	एएफसी	एसीसी	एएफसी	एसीसी	एएफसी	एसीसी	एएफसी
1.	सलाल चरण-1 व 2	690	63.09	103.64	67.64	106.30	50.55	108.72	40.59	111.59	32.30	114.80
	(पैसे/कि.वा.घं.)			38.60		39.59		40.49		41.56		42.75
2.	चमेरा चरण-1	540	251.90	144.83	217.56	147.94	184.92	151.61	150.74	155.53	91.15	159.37
	(पैसे/कि.वा.घं.)			99.87		102.02		104.54		107.25		109.90
3.	टनकपुर	94.2	49.28	24.21	40.27	24.85	32.43	25.53	21.15	26.21	13.65	27.08
	(पैसे/कि.वा.घं.)			61.33		63.07		64.80		66.53		68.75
4.	उड़ी	480			344.78	219.16	356.50	224.53	335.98	229.70	293.82	234.95
	(पैसे/कि.वा.घं.)					97.23		99.61		101.90		104.23
5.	बैरास्यूल	180		27.44		27.44		27.44		27.44		
	(पैसे/कि.वा.घं.)			42.00		42.00		42.00		42.00		
6.	लोकटक	105		22.35		22.35		22.35		22.35		
	(पैसे/कि.वा.घं.)			57.00		57.00		57.00		57.00		

नोट : 1. बैरसूल एवं लोकटक जीओ प्वाइंट एस प्वांइट के लिए टैरिफ अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब तक उपर्युक्त ऊर्जा दरों/ऊर्जा प्रभारों के अनुसार बिलिंग की जा रही है। यह बिलिंग दर अनंतिम रूप से सी.ई.आर.सी. द्वारा मंजूर कर दी गई है।

2. 1.4.2001 से उपर्युक्त दरें लागू नहीं रहेंगी एवं सी.ई.आर.सी. द्वारा यथा आदेशित 'एबीटी' मान्य होगा।

एसीसी—वार्षिक क्षमता प्रभार

एएफसी—वार्षिक ऊर्जा प्रभार

विवरण-III

केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों को राज्य सरकारों/रा.वि.बो. की बकाया देयताएँ

(करोड़ रु में)

क्र.सं.	राज्य/	1997-98				1998-99			
	रा.वि.बो.	एनटीपीसी	एनएचपीसी	पीजीसीआईएल	नीपको	एनटीपीसी	एनएचपीसी	पीजीसीआईएल	नीपको
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	158.16	0.00	34.03	0.00	273.50	0.00	65.31	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	1.08	0.48	5.75	0.00	0.41	2.66	6.34
3.	असम	10.87	0.33	21.67	175.70	36.68	-0.74	58.50	384.30
4.	बिहार	1030.92	0.24	13.16	0.00	1793.95	33.08	102.56	0.00
5.	गुजरात	221.45	0.00	3.52	0.00	371.64	0.00	26.50	0.00
6.	गोवा	8.84	0.00	0.08	0.00	5.27	0.00	-0.50	0.00
7.	हरियाणा	253.80	397.84	13.04	0.00	234.27	689.46	9.91	0.00
8.	हि.प्र.	23.87	22.06	-0.94	0.00	9.26	54.91	1.57	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	435.71	126.58	29.61	0.00	485.35	387.60	75.64	0.00
10.	कर्नाटक	82.09	0.00	9.24	0.00	106.35	0.00	30.53	0.00
11.	केरल	54.98	0.00	6.19	0.00	69.60	0.00	9.38	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मध्य प्रदेश	368.48	0.00	4.07	0.00	513.11	0.00	26.43	0.00
13.	महाराष्ट्र	196.85	0.00	3.87	0.00	322.05	0.00	9.11	0.00
14.	मणिपुर	0.00	3.41	4.19	30.87	0.00	3.34	16.01	60.07
15.	मेघालय	0.00	1.06	0.45	1.40	0.00	2.32	1.76	1.97
16.	मिजोरम	0.00	0.69	1.51	6.43	0.00	2.68	2.34	12.87
17.	नागालैंड	0.00	2.99	2.31	17.56	0.00	4.40	7.51	28.81
18.	उड़ीसा	353.39	0.87	3.67	0.00	461.35	12.38	10.30	0.00
19.	पंजाब	32.30	83.24	5.72	0.00	9.81	200.66	7.44	0.00
20.	राजस्थान	99.76	44.73	20.91	0.00	83.51	76.23	62.05	0.00
21.	सिक्किम	7.61	-0.09	2.20	0.00	18.95	0.17	6.04	0.00
22.	तमिलनाडु	63.03	0.00	13.82	0.00	140.94	0.00	31.54	0.00
23.	त्रिपुरा	0.00	0.55	0.07	4.24	0.00	3.72	4.30	17.12
24.	उत्तर प्रदेश	1356.63	477.03	238.51	0.00	2036.05	833.04	369.34	0.00
25.	प. बंगाल	467.01	0.00	20.31	0.00	944.32	14.70	52.41	0.00
26.	डीवीबी(डेसू)	1363.78	159.65	34.62	0.00	2024.54	353.11	116.46	0.00

क्र.सं.	राज्य/	1999-2000				2000-01			
	रा.वि.बो.	एनटीपीसी	एनएचपीसी	पीजीसीआईएल	नीपको	एनटीपीसी	एनएचपीसी	पीजीसीआईएल	नीपको
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	113.05	0.00	5.25	0.00	436.71	0.00	19.23	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	1.70	4.04	12.54	0.00	2.62	9.02	15.05
3.	असम	36.32	-1.02	99.48	578.83	51.90	0.22	190.10	692.86
4.	बिहार	2118.55	29.14	185.71	0.00	2991.59	35.83	199.64	0.00
5.	गुजरात	428.78	0.00	37.25	0.00	495.07	0.00	43.52	0.00
6.	गोवा	4.61	0.00	-0.45	0.00	3.05	0.00	-0.20	0.00
7.	हरियाणा	251.38	831.86	20.51	0.00	533.90	972.68	18.69	0.00
8.	हि.प्र.	22.26	68.10	1.23	0.00	33.93	70.61	1.04	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	497.18	644.82	133.34	0.00	480.95	822.62	159.87	0.00
10.	कर्नाटक	215.51	0.00	40.25	0.00	261.60	0.00	41.51	0.00
11.	केरल	182.25	0.00	9.48	0.00	414.33	0.00	14.59	0.00
12.	मध्य प्रदेश	784.47	0.00	34.83	0.00	1169.23	0.00	58.09	0.00
13.	महाराष्ट्र	481.00	0.00	22.03	0.00	628.90	0.00	5.49	0.00
14.	मणिपुर	0.00	12.95	26.18	109.15	0.00	19.34	45.31	116.61
15.	मेघालय	0.00	3.33	3.72	11.44	0.00	2.22	5.91	11.91
16.	मिजोरम	0.00	2.46	6.58	28.65	0.00	4.59	8.67	38.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	नागालैंड	0.00	6.77	12.83	53.41	0.00	4.59	8.67	63.51
18.	उड़ीसा	66.71	12.64	7.00	0.00	922.49	18.48	31.42	0.00
19.	पंजाब	26.99	254.94	3.28	0.00	101.79	310.79	7.48	0.00
20.	राजस्थान	305.29	135.86	90.31	0.00	387.29	98.02	41.89	0.00
21.	सिक्किम	28.60	0.17	10.34	0.00	33.64	2.33	12.61	0.00
22.	तमिलनाडु	309.46	0.00	26.19	0.00	438.91	0.00	-5.07	0.00
23.	त्रिपुरा	0.00	4.53	6.35	37.02	0.00	4.44	15.57	42.28
24.	उत्तर प्रदेश	2121.29	796.16	493.47	0.00	2879.54	874.31	215.34	0.00
25.	प. बंगाल	1206.28	11.64	63.91	0.00	1389.36	18.17	76.09	0.00
26.	डीवीबी(डेसू)	2458.74	434.79	150.09	0.00	2861.26	502.93	167.30	0.00

गैस आधारित विद्युत केंद्रों से विद्युत आबंटन

2822. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विद्युत की भारी कमी को कम करने के लिए 1993 से राज्य को एन.टी.पी.सी. के गैस आधारित विद्युत केंद्र से विशेष आबंटन के रूप में इसकी कुल क्षमता का एक-तिहाई दिया गया;

(ख) यदि हाँ, तो अक्तूबर, 1999 के दौरान इस विशेष आबंटन को बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से इस मनमाने कट पर रोक लगाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो राज्य में विद्युत की भारी कमी के मद्देनजर विशेष आबंटन को कब तक बहाल किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) राजस्थान को एक विशेष मामले के रूप में राज्य में व्याप्त गंभीर विद्युत अभाव की वजह से अक्तूबर, 1993 में अंता जीपीएस की एक इकाई के पूरे उत्पादन को आबंटित किया गया। क्रमशः फरवरी, 1994 तथा अगस्त, 1994 से राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र की यूनिट-1 और 2 के बहुत समय तक बंद रहने की वजह से यह आबंटन जारी रखा गया।

(ख) अंता जी.पी.एस. (419 मे.वा.) एक क्षेत्रीय विद्युत केंद्र है और उत्तरी क्षेत्र के सभी घटक राज्य/संघीय क्षेत्र का हिस्सेदारी फार्मूला के अनुसार विद्युत केंद्र में सुनिर्धारित शेयर है। आर.ए.पी.एस. की यूनिट-1 अप्रैल, 1997 में तथा यूनिट-2 को जून, 1998 में पुनः चालू किया गया। रैप्स के यूनिट-1 एवं यूनिट-2 के पुनः आरंभ होने एवं उत्तरी क्षेत्र के अन्य घटक राज्यों द्वारा अंता जी.पी.एस. में उनके सुनिर्धारित शेयर को पुनः आरंभ करने हेतु लगातार दबाव दिए जाने के फलस्वरूप अंता जी.पी.एस. से राजस्थान को विशेष आबंटन को अक्तूबर, 1999 में वापिस ले लिया गया।

(ग) और (घ) अंता जी.पी.एस. की कुल उत्पादन की एक तिहाई के विशेष आबंटन को पुनः शुरू करने हेतु राजस्थान सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है। हालांकि राजस्थान को विशेष आबंटन होने से उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्यों को अंता जी.पी.एस. से अपना सुनिर्धारित शेयर नहीं मिल सकेगा और अन्य लाभार्थी राज्य इसका कड़ा विरोध भी करेंगे।

नौसेना/सेना प्रमुखों के पदों का उन्नयन

2823. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वायुसेना और नौसेना के आसूचना प्रमुखों के पदों का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इन पदों के उन्नयन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल स्थापनाओं की सेफ्टी आडिट

2824. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूकंप संभावित क्षेत्रों का सभी तेल स्थापनाओं की 'सेफ्टी आडिट' का आदेश दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रभावित भूकंप संभावित क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में अभी तक कोई सेफ्टी आडिट नहीं किया जाता;

(घ) क्या हमारी सभी तेल स्थापनाओं पर सुरक्षा और तैयारी का पूर्ण अभाव है;

(ङ) क्या कुछ वर्ष पूर्व गोदावरी बेसिन के तेल कुओं में लगी आग से हुई क्षति से सरकार ने कोई सबक लिया है; और

(च) यदि हाँ, तो उस भयंकर आग के बाद किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सुरक्षा और तैयारी योजनाएँ तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ.आई.एस.डी.) मानकों और लागू अन्य सांविधिक विनियमों के अनुसार सारी तेल संस्थापनाओं पर तैयार की जाती हैं और आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की तेल संस्थापनाओं, जिनमें भूकंप संभावित क्षेत्र सम्मिलित हैं, की सुरक्षा जाँच ओ.आई.एस.डी. द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार की नियमित रूप से की जाती है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों ने गुजरात में अपनी कुछ संस्थापनाओं में मामूली नुकसान के बारे में सूचित किया है।

(ङ) और (च) 1997 में कूप माँडापेटा–पश्चिम में आग लगने की घटना की जाँच की गई और जाँच के निष्कर्षों/सिफारिशों के आधार पर आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने अनेक कार्रवाइयाँ की हैं।

[हिन्दी]

समपार पर रेलगाड़ी-ट्रक दुर्घटना

2825. श्री ताराचंद भगोरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 15 फरवरी, 2001 के 'दैनिक जागरण' में यथा प्रकाशित 14 फरवरी, 2001 को हरियाणा, सांपला में इस्माइल पुल के निकटवर्ती समपार पर इंटरसिटी एक्सप्रेस की एक ट्रक के साथ हुई दुर्घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान इस समपार पर हुई यह पाँचवीं दुर्घटना है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जाँच की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ। 14.02.2001 को उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के शकूरबस्ती–रोहतक खंड पर सांपला-खरवाड़ स्टेशनों के बीच बिना चौकीदार वाले समपार पर एक ट्रक 4721 अप इंटर-सिटी एक्सप्रेस के इंजन से टकरा गया था।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस समपार पर केवल एक दुर्घटना 01.02.1999 को हुई थी।

(घ) इस दुर्घटना की अधिकारियों की एक समिति द्वारा जाँच की गई थी जो इस नतीजे पर पहुँची कि यह दुर्घटना बिना चौकीदार वाले समपार को पार करते समय सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही के कारण हुई थी।

(ङ) इस दुर्घटना में कोई रेलकर्मी जिम्मेवार नहीं था। अतः कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल गाड़ियों का दर्जा बढ़ाया जाना

2826. श्री नरेश पुगलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई-हावड़ा मेल, सिकंदराबाद-वाराणसी एक्सप्रेस और पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस का दर्जा बढ़ाकर इन्हें सुपरफास्ट गाड़ियों का दर्जा देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रेलगाड़ियों की प्रत्येक श्रेणी में कितना किराया बढ़ाए जाने की संभावना है;

(घ) इससे गंतव्य स्थल तक यात्रा के समय में कितनी कमी होने की संभावना है; और

(ङ) इन रेलगाड़ियों में कितनी अतिरिक्त यात्री सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) 1.4.2001 से 8001/8002 मुंबई-हावड़ा मेल और 1029/1030 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस का सुपरफास्ट गाड़ी के रूप में वर्गीकृत करने और इनको क्रमशः 2809/2810 तथा 2129/2130 नंबर दिए जाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। गाड़ी सं. 7091/7092 सिकंदराबाद-वाराणसी एक्सप्रेस को सुपरफास्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा रहा है।

(ग)

1.	वातानुकूल प्रथम श्रेणी	50.00 रु.
2.	वातानुकूल-2 टियर	30.00 रु.
3.	प्रथम श्रेणी	30.00 रु.
4.	वातानुकूल-3 टियर	30.00 रु.
5.	वातानुकूल कुर्सीयान	30.00 रु.
6.	स्लीपर श्रेणी	20.00 रु.
7.	द्वितीय श्रेणी	10.00 रु.

(घ) अप और डाउन, दोनों दिशा में प्रारंभिक से टर्मिनेटिंग स्टेशन तक औसत गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी।

(ङ) 8001/8002 मुंबई-हावड़ा मेल, जिसे अपग्रेड किया गया है, में यात्रियों की सुविधा तथा बेहतर खान-पान की व्यवस्था के लिए गाड़ी अधीक्षक तथा अन्य सहायक कर्मचारी तैनात कर, बेहतर सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाएँ

2827. श्री जय प्रकाश : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता के बावजूद निर्धारित समय से पूरे न होने वाली विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और क्या इन्हें 31 मार्च, 2000 तक पूरा नहीं कर पाने के कारण सरकार को वचनबद्धता प्रभार अदा करना पड़ेगा;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और बचनबद्धता प्रभार के रूप में अब तक कितनी राशि अदा की गई है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं को निर्धारित समय से पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान सरकार कुछ बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों के संबंध में करती है, चाहे परियोजना को निर्धारित समय पर चालू किया जाए या नहीं। साथ ही, इन प्रभारों का ऋण मंजूरी के तुरंत बाद भुगतान करना होता है। हालांकि ऐसी परियोजनाएँ जिन्हें विदेशी सहायता प्राप्त हैं तथा जिनके क्रियान्वयन में अधिक समय लगा है, निम्नवत हैं :–

क्र.सं.	परियोजना का नाम तथा क्षमता (मे.वा.)	क्रियान्वयक एजेंसी का नाम
	ताप विद्युत परियोजनाएँ	
1.	चंद्रपुर (500)	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड
2.	ब्रह्मपुरम डी.जी. सेट (5×20)	केरल राज्य बिजली बोर्ड
3.	अगरतला जी.टी. (4×21)	नीपको
4.	कैथालगुड़ी सी.सी.जी.टी. (6×33.5+3×30)	नीपको
5.	बज-बज (2×250)	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन
6.	बक्रेश्वर (3×210)	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम
7.	नैवेली (2×210)	नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन
	जल विद्युत परियोजनाएँ	
1.	नाथपा-झाकरी (6×250)	नाथपा-झाकरी पावर कारपोरेशन
2.	घाटघर पी.एस.एस. (2×125)	महाराष्ट्र सरकार
3.	श्रीसेलम एल.बी.पी.एच. (6×150)	आंध्र प्रदेश जेनरेशन कारपोरेशन
4.	पुरुलिया पी.एस.एस. (4×225)	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड
5.	धौलीगंगा चरण-1 (4×70)	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
6.	तुरियल (2×30)	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
7.	दुलहस्ती (3×130)	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
8.	टिहरी चरण-1 (4×250)	टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन

भुगतान किए गए प्रतिबद्धता प्रभार संबंधी ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और इन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) सरकार सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं समेत उन सभी परियोजनाओं की नियमित रूप से मानीटरिंग करती है जिन्हें विभिन्न मानीटरिंग समितियों समेत अधिकार प्राप्त समिति तथा सैक्टोरल टास्क फोर्स के जरिए विदेशी सहायता प्राप्त होती है।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल सीमा पर सेना के स्थायी शिविर

2828. श्री तूफानी सरोज : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-नेपाल सीमा पर सेना के स्थायी शिविर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पीछे क्या इरादा है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में नेपाल सरकार से बातें की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर नेपाल की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) नेपाल के साथ हमारी सीमा पर सेना के कोई नए स्थाई शिविर स्थापित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

हाई डेंसिटी कारीडोर्स की क्षमता

2829. श्री सुबोध मोहिते : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाई डेंसिटी कारीडोर्स की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) सरकार ने हाई डेंसिटी कासिटी कारीडोर्स की क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्य पर कुल परिव्यय का कितना प्रतिशत व्यय किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) उच्च घनत्व वाले गलियारों के अधिकांश खंडों की लाइन क्षमता संतृप्त स्तर पर पहुँच गई है।

(ख) उच्च घनत्व वाले गलियारों सहित रेल प्रणाली में वृद्धि करने के लिए प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार और धन की उपलब्धता के अनुसार निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं :–

(i) लंबे ब्लाक खंडों का विभाजन।

(ii) अंतर्पाशन और सिंगनलिंग मानकों का उन्नयन।

(iii) स्वचालित सिगनलिंग की संस्थापना।

(iv) दोहरीकरण/अतिरिक्त लाइनें बिछाना।

(v) उच्च क्षमता के मालडिब्बों का उपयोग।

(vi) प्रति गाड़ी अधिक मालडिब्बे/सवारी डिब्बे लगाना।

(vii) एअर ब्रेक लगाना।

(viii) उच्च अश्वशक्ति के रेल इंजनों का उपयोग।

(ग) रेल परिव्यय का एक बड़ा भाग चल स्टाक पर खर्च किया जाता है जिससे उच्च घनत्व वाले और अन्य रेल मार्गों की क्षमता बढ़ती है। अतः उच्च घनत्व वाले गलियारों की क्षमता में वृद्धि पर निवेश को ठीक-ठीक अलग करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

आर.पी.एफ. की तैनाती

2830. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुंदर लाल तिवारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है और कभी-कभी ये स्वयं भी यात्रियों को लूटे जाने में शामिल होते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेल सुरक्षा संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशनों और रेल गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिक तैनात करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हाँ, तो रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में आर.पी.एफ. कार्मिक तैनात करने के लिए सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

2831. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार और राज्य विद्युत बोर्डों के स्वामित्व वाले संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विद्युत बोर्डों के स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित कुल वास्तविक वार्षिक औसत विद्युत का ब्यौरा क्या है और दोनों क्षेत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग में भारी अंतर के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) केंद्र क्षेत्र एवं राज्य क्षेत्र में 28 फरवरी, 2001 की स्थितिनुसार विद्युत संयंत्रों की संस्थापित उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है :–

श्रेणी	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)		
	केंद्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	जोड़
थर्मल	24896.50	39190.39	64086.89
न्यूक्लियर	2900.00	0.00	2900.00
हाइड्रो	2644.01	27103.60	24347.61
कुल	30440.51	60893.99	91334.50

(ख) रा.वि. बोर्डों के विद्युत संयंत्रों का वास्तविक विद्युत उत्पादन अप्रैल, 2000-फरवरी, 2001 के दौरान निम्नानुसार है :–

श्रेणी	विद्युत उत्पादन (मि.यू.)
थर्मल	192247
हाइड्रो	48683
जोड़	240930

क्षमता समुपयोजन में अंतराल का कारण है : केंद्रीय परियोजनाओं की तुलना में रा.वि. बोर्डों के संयंत्रों में अपेक्षाकृत बंदी एवं अल्प पी.एल.एफ./ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

	रा.वि.बो. संयंत्र	केंद्रीय संयंत्र
जबरनबंदी (एफ.ओ.%)	14.1%	10.8%
सुनियोजितबंदी	8.7%	5.7%
संयंत्र भार घटक	65.2%	73.6%

पर्यटक सर्किट

2832. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार स्थापित किए गए/स्थापित किए जाने वाले पर्यटक सर्किट कौन-कौन से हैं;

(ख) इन सर्किटों के विकास के लिए सर्किट-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) इन पर्यटक सर्किटों के लिए कौन से अन्य कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों के परामर्श से आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 21 यात्रा-परिपथों की पहचान की है।

(ख) और (ग) यात्रा परिपथों सहित पर्यटक रुचि के स्थापनों में पर्यटक अवसंरचना के विकास में राज्यों की मुख्य भूमिका होती है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों को प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से अभिनिर्धारित विशिष्ट प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। परिपथ में सम्मिलित स्थानों सहित इन राज्यों के लिए प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं/योजनाओं हेतु स्वीकृत वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है :–

(लाख रुपयों में)

1997-98	2932.92
1998-99	5522.55
1999-2000	6824.51

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. और आई.ओ.सी. द्वारा सम्मेलनों का आयोजन

2833. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्मेलन आदि आयोजित करने में अत्यधिक संयम बरतने के निर्देश दिए हैं;

(ख) क्या ओ.एन.जी.सी. और आई.ओ.सी. ने नवंबर, 2000 और जनवरी, 2001 को सम्मेलन आयोजित किए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इन पर कितना खर्च हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की अत्यधिक धन की बर्बादी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) ओ.एन.जी.सी. ने नई दिल्ली में 99.11 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 25-27 नवंबर, 2000 तक ए.ए.ए.पी.जी. (एफ्रो-एशियन एसोसिएशन आफ पेट्रोलियम जियोकेमिस्ट्स) प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित की। भारतीय हाइड्रोकार्बन उद्योग ने मेजबान कंपनी के रूप में आई.ओ.सी. के साथ नई दिल्ली में 510 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 9-12 जनवरी, 2001 से पेट्रोटेक-2001 का आयोजन किया। ऐसे सम्मेलनों के आयोजन के समय सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

अदालत से बाहर विवाद निपटान मंच

2834. श्री रघुनाथ झा : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने काफी पहले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों के विवाद निपटान हेतु वहीं पर एक विवाद निपटान मंच गठित करने के सरकार को निर्देश दिए थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में आंतरिक मंच गठित कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि आए दिन के मामले की तरह अपील दायर न हों और मुकदमेंबाजी के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारी जब मुकदमा हार जाए तो उसे अदालत के समक्ष लाए जाए; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी मामले को समिति द्वारा पहले छानबीन किए बिना किसी न्यायालय या अधिकरण में न ले जाया जाए, एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है जिसमें मंत्रिमंडल सचिव, सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, सचिव, लोक उद्यम विभाग, वित्त सचिव और संबंधित विभागों के सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पब्लिक सेक्टर उद्यमों के बीच पारस्परिक और पब्लिक सेक्टर उद्यमों और सरकार के लिए विभाग के बीच सभी वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए लोक उद्यम विभाग में स्थायी माध्यस्थम् तंत्र का भी गठन किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकारी विभागों द्वारा, विधि कार्य विभाग से विधिक राय प्राप्त करने के पश्चात् ही अपीलें फाइल की जाती हैं। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत याचिकाएँ, केवल विधि अधिकारियों अर्थात् महान्यायवादी (अटार्नी जनरल), महा-सालिसिटर, अपर महा-सालिसिटर से राय प्राप्त करने के पश्चात् ही फाइल की जाती है।

पेट्रोलियम के क्षेत्र में निवेश

2835. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को 100 प्रतिशत निवेश करने की अनुमति देने का फैसला लिया है;

(ख) क्या विदेशी निवेशकों को तेल क्षेत्र में 10 वर्ष के लिए करों में छूट भी दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि आगामी 25 वर्षों के दौरान भारत को पेट्रोलियम के क्षेत्र में 100 बिलियन डालर के निवेश की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने में भारत कहाँ तक सफल रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 51 प्रतिशत से शत प्रतिशत तक के दायरे में विदेशी सीधे निवेश की अनुमति दी गई है।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 80-1बी के तहत सात वर्ष के करावकाश की अनुमति है।

(ग) वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक दल ने 'हाइड्रोकार्बन झलक 2025' तैयार की थी। यह रिफाइनरी तथा विपणन क्षेत्रों के अंतर्गत आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 2025 तक क्रमशः 2,50,000 करोड़ रुपए (59.52 बिलियन अमरीकी डालर) तथा 1,35,000 करोड़ रुपए (32.14 बिलियन अमरीकी डालर) के निवेश के विषय में विचार करती है।

(घ) अगस्त, 1991 से दिसंबर, 2000 तक की अवधि के दौरान विदेशी सीधे निवेश का कुल अंतर्वाह 89,286.53 करोड़ रुपए है, जिसमें हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए निवेश शामिल है।

अव्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान

2836. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने अव्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान कर उन्हें छोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक ऐसी परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या रेल विभाग ने पाँचवें वेतन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी लाने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलों पर एक प्रणाली है जो कर्मचारियों की संख्या की निरंतर समीक्षा करती है ताकि सही संख्या सुनिश्चित की जा सके। पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने सरकारी कार्यबल में भी 30 प्रतिशत कटौती करने के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं। बहरहाल, सरकार द्वारा सिफारिश स्वीकार नहीं की गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दमन और दीव में उच्च और निम्न पारेषण लाइनें

2837. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दमन और दीव के ग्रामीण क्षेत्रों में बिछाई गई उच्च और निम्न पारेषण लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पर कितना खर्चा आया?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान दमन और दीव के ग्रामीण क्षेत्रों में बिछाए गए एस.टी. एवं एल.टी. लाइनों तथा इन पर किए गए खर्चों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

एच.टी. लाइन की लंबाई	किया गया खर्च
49 सर्किट कि.मी.	रु. 122 लाख
एल.टी. लाइन की लंबाई	किया गया खर्च
12.5 सर्किट मि.मी.	रु. 33.87 लाख

दमन एवं दीव संघीय क्षेत्र में सभी गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में एल.पी.जी. एजेंसियाँ

2838. श्री सुरेश चंदेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 64 नई रसोई गैस एजेंसियाँ खोलने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच 11 अगस्त, 1999 को राज्य की राजधानी शिमला में एक बैठक हुई थी जिसमें राज्य में तत्काल 11 रसोई गैस एजेंसियाँ खोलने और काँगड़ा जिले के डमताल में रसोई गैस के भराइं संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए प्रस्तावित 64 (चौसठ) स्थानों में से 13 स्थान सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों द्वारा व्यवहार्य स्थानों के रूप में पाए गए हैं। 1 फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार तेल विपणन कंपनियों ने ओपरेशन विजय विशेष योजना (ओ.वी.एस.एस.) के तहत 10 स्थानों के लिए आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं तथा 3 स्थान एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए विपणन योजनाओं में शामिल किए गए हैं। तथापि, एक स्थान पर ओपरेशन विजय विशेष योजना के तहत आर्बटिती ने आशय पत्र स्वीकार नहीं किया है।

9वीं योजना के तहत इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा डमताल में एल.पी.जी. भरण संयंत्र की स्थापना करने के बारे में पहले विचार किया गया था। तथापि, संभारतंत्रीय मान्यता एवं उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण अब इसे ऊना में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

आई.टी.डी.सी. में वी.आर.एस.

2839. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई.टी.डी.सी. में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर पुनः 58 वर्ष करने के अलावा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी लागू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो 2001-2002 के दौरान इस संगठन से आई.टी.डी.सी. के कितने कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी हाँ।

(ख) योजना के लिए विकल्प देने और संगठन से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या यथासमय पता चलेगी।

[हिन्दी]

रेल विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

2840. श्री अरुण कुमार : क्या **रेल** मंत्री रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी के बारे में 23.11.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 865 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जानकारी कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) क्षेत्रीय रेलों से सूचना एकत्रित कर ली गई है और 19.2.2001 को संसदीय कार्य मंत्रालय से कार्यान्वयन रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का अनुरोध किया है। सूचना का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(i) क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड में अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत पदाधिकारियों की संख्या निम्नलिखित है :–

समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ
23	13	33	1

(ii) क्षेत्रीय रेलों से रेलवे बोर्ड में और क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों के भीतर अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती को प्रतिनियुक्ति नहीं माना जाता है क्योंकि ये तैनातियाँ रेलवे संगठन के भीतर हैं।

[अनुवाद]

रेल उत्पादन इकाई का कार्यनिष्पादन

2841. श्री प्रभात सामंतराय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल विभाग की प्रत्येक उत्पादन इकाई का कार्यनिष्पादन कैसा रहा;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव रेल विभाग के अंतर्गत घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो देश की प्रत्येक रेल उत्पादन इकाई के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आउट टर्न के हिसाब से छः उत्पादन इकाइयों के उत्पादन का निम्न इस प्रकार रहा है :–

उत्पादन इकाई	उत्पादन का वर्ष		
	1997-98	1998-99	1999-2000
1. चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन–बिजली रेल इंजन	165	165	120
2. डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी–डीज़ल रेल इंजन	164	161	137
3. सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई सवारी डिब्बे	1010	1057	1006
4. रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला सवारी डिब्बे	1031	1087	1182
5. पहिया और धुरा संयंत्र, बंगलौर पहिए	92015	99688	88161
धुरे	52249	51055	44024
6. डीज़ल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला–रेल इंजन-पुनर्निर्माण	74	78	70

(ख) रेल मंत्रालय के अधीन उत्पादन इकाइयाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नहीं हैं अपितु रेलवे की अपनी उत्पादन इकाइयाँ हैं। व्यावहारिक तौर पर उत्पादन इकाइयों की संपूर्ण क्षमता की निर्यात थोड़ी मात्रा गैर-रेल गाहकों को चल स्टाक की आपूर्ति को छोड़कर, का उपयोग भारतीय रेल की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। चल स्टाक आपूर्ति की गई सामग्रियों के लिए क्षेत्रीय रेलों पर वसूले डेबिट न लाभ/न हानि की सोच पर आधारित है और इसलिए हानि होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(ग) रेल उत्पादन इकाइयाँ रेलों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर रही हैं। गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। सभी इकाइयाँ आई.एस.ओ. 9000 गुणवत्ता प्रमाणन

प्राप्त हैं। 5वें वेतन आयोग के परिणामस्वरूप उत्पादन इकाइयों में प्रोत्साहन दरों को संशोधित करते समय मान्यताप्राप्त श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके उनकी ड्यूटी के समय में यथोचित संशोधन कर दिया गया था।

इलेक्ट्रानिक गतिक भार-तोलन सेतु स्थापित करना

2842. श्री चंद्रनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग इलेक्ट्रानिक गतिक भार-तोलन सेतु स्थापित कर रहा है और यांत्रिकी चालित भार-तोलन सेतुओं के स्थान पर भी इलेक्ट्रानिक भार-तोलन सेतु स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में किन-किन स्थानों पर कार्य शुरू हो चुका है; और

(घ) इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ। बहरहाल, यांत्रिक तुला चौकियों का बदलाव केवल हालत के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) 39 इलेक्ट्रानिक चालित तुला चौकियों के आदेश दिए गए हैं। 14 स्थानों पर ये चालू कर दी गई हैं और शेष मामलों में कार्रवाई चल रही है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) आदेशित 39 तुला चौकियों के लिए अपेक्षित धनराशि लगभग 3.5 करोड़ रुपए है।

विवरण

(i) पहले से चालू तुला चौकियाँ

क्र.सं.	रेलवे	स्थान
1.	मध्य	झांसी*
2.		होटगी
3.	पूर्व	अंडाल
4.		अंडाल
5.	उत्तर	चनहेटी
6.	पू.सी.	जोगीघोपा
7.		रंगापानी
8.	दक्षिण	पैरम्बूर*
9.		रोयापुरम
10.	दक्षिण मध्य	गंतकल
11.	गुंटापल्ली*	
12.	दक्षिण पूर्व	खड़गपुर
13.	चंपा	
14.	पश्चिम	विरमग्राम

(ii) वे स्थान जहाँ कार्य प्रगति पर है

क्र.सं.	रेलवे	स्थान
1.	मध्य	झांसी
2.		नागपुर
3.	पूर्व	जमालपुर*
4.		धनबाद
5.	उत्तर	जगाधरी*
6.		जूही
7.		मेहता रोड
8.		भटिंडा
9.	पू.सी.	रंगिया
10.	दक्षिण	एर्णाकुलम
11.		अट्टीपट्टू
12.		चंगेनपट्टू
13.		मेलापक्कम
14.	दक्षिण मध्य	भानापुर
15.	दक्षिण पूर्व	रायपुर*
16.		बिमलगढ़
17.		हिंडोल रोड
18.		अमलई
19.		वाल्टायर
20.		मुरी
21.		मारौडा
22.		डांगोपोसी
23.	पश्चिम	उधना
24.		जामनगर
25.		सवाई माधोपुर

नोट– *कारखानों में

[हिन्दी]

नरखेड़-अमरावती रेल लाइन का कार्य पूरा होना

2843. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरखेड़ और अमरावती के बीच संपर्क रेल लाइन के कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) उक्त रेल लाइन के निर्माण कार्य पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस रेल लाइन को पूरा करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) अपेक्षित धनराशि जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) वित्त वर्ष 1999-2000 तक 34.27 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और चालू वित्त वर्ष के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(ग) परियोजना की प्रत्याशित लागत 175.30 करोड़ रुपए है।

(घ) वर्ष 2001-2002 के बजट में इस परियोजना के लिए परिव्यय को बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु सहायता

2844. श्री भर्तृहरि महताब : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा से सार्वजनिक शौचालयों के साथ बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितना अनुदान उपलब्ध कराया गया; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, नई दिल्ली नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने वर्ष 2000-2001 के दौरान पुलिस लाइंस, भुवनेश्वर में लगभग 5.52 लाख रु. की केंद्रीय वित्तीय सहायता से सार्वजनिक टॉयलेट कांप्लेक्स से जुड़े एक विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना का कार्य आरंभ किया है।

(ग) केंद्रीय क्षेत्र की योजना—सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम, जिसमें सार्वजनिक टॉयलेटों से जुड़े संयंत्रों की स्थापना की भी परिकल्पना है, के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी, नामतः उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को अग्रिम रूप से निधियाँ दी गई थीं, जैसा कि नीचे दिया गया है :—

वर्ष	जारी की गई राशि
1997-98	शून्य
1998-99	1.50 लाख रु.
1999-2000	7.00 लाख रु.

(घ) राज्य नोडल एजेंसी ने वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान किसी सामुदायिक, संस्थागत अथवा सार्वजनिक टॉयलेट से जुड़े विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना नहीं की है और वर्ष 2000-2001 के दौरान मुख्य रूप से पशु गोबर पर आधारित पाँच संस्थागत संयंत्रों को आरंभ करने की रिपोर्ट दी है।

व्हील सैट का उत्पादन

2845. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री तिरुनावकरसू :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान व्हील्स एंड एक्सल प्लांट्स, बंगलौर द्वारा वर्षवार कुल कितने व्हील सैटों का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कुल कितने व्हील सैटों का आयात किया गया;

(ग) सरकार द्वारा देश में व्हील और एक्सल का उत्पादन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस दिशा में क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान पहिया एवं धुरा संयंत्र, बंगलौर द्वारा पहिया सेट एसेंबली का वर्ष-वार किया गया कुल उत्पादन इस प्रकार है :—

1997-98 = 38,500

1998-99 = 38,604

1999-2000 = 30,258

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलों ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए इस प्रकार के पहिया सेटों (व्हील डिस्क और एक्सल एसेंबली) का आयात नहीं किया है।

(ग) रेलें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से स्वदेशी आपूर्ति प्राप्त करने के अलावा वर्तमान में पहिया और धुरा संयंत्र, बंगलौर में पहिया और धुरों का भी निर्माण कर रही हैं। पहिया और धुरा संयंत्र, बंगलौर की संस्थापित वार्षिक क्षमता पहले 76,000 पहियों से बढ़ाकर 95,000 पहिए कर दी गइ थी और अब इसे 1,15,000 पहिए प्रतिवर्ष करने की कार्रवाई चल रही है। इसी प्रकार धुरा निर्माण क्षमता 35,000 से बढ़ाकर 50,000 धुरे कर दी गई है।

1999-2000 तक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र मुख्यतः ब.ला. कोचिंग पहिए, ब.ला. कोचिंग पहियासेट और धुरों की आपूर्ति कर रहा था। 1995-96 के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा ब.ला. रेल इंजन पहिए विकसित किए गए थे, बहरहाल, आपूर्ति 1999-2000 तक बहुत कम थी और अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति आयात से की जा रही थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने अपने धुरा संयंत्र को आधुनिक बना दिया है और अपनी क्षमता बढ़ा दी है और यह अब ब.ला. लोको पहियों (लगभग 25,000) की थोक आवश्यकता पूरी करने की स्थिति में है।

(घ) पहिया और धुरा संयंत्र 1993 तक मुख्यतः मालडिब्बा पहियों का निर्माण कर रहा था। 1993 में पहिया एवं धुरा संयंत्र ने ब.ला. कोचिंग पहियों के विनिर्माण की क्षमता विकसित की। अब पहिया एवं धुरा संयंत्र ने मी.ला. सवारी डिब्बों और ब.ला. रेल इंजनों (माल परिचालन के लिए)

के लिए ढलवां पहियों के विनिर्माण की क्षमता विकसित कर ली है। मी.ला. ढलवां रेल इंजन पहियों का विकास भी किया जा रहा है जिससे आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अब व.ला. रेल इंजन परियों (लगभग 25,000) की थोक आवश्यकता पूरी करने की स्थिति में है। इसलिए 2000-2001 के दौरान ब.ला. रेल इंजन पहियों के आयात का कोई आदेश नहीं दिया गया है और पूरी आवश्यकता की पूर्ति दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा की जा रही है।

पारादीप और विशाखापट्टनम के बीच पत्तन की स्थापना

2846. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का पारादीप और विशाखापट्टनम के बीच एक प्रमुख पत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि उड़ीसा से दक्षिण भारत ताप परियोजना के लिए कोयले और पड़ोसी राज्यों को अयस्क का परिवहन सुचारू रूप से हो सके;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ए.ई.एल. लिमिटेड के साथ उड़ीसा सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के लिए आवश्यक सुविधाएँ और सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या केंद्र सरकार का उड़ीसा में समुद्र पर गोपालपुर नामक स्थान पर एक प्रमुख पत्तन स्थापित करने का कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

युर्दुलंका-यानम परियोजना हेतु ओ.एन.जी.सी. का भुगतान

2847. श्री राम मोहन गाइडे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस युर्दुलंका-यानम सेतु के लिए ओ.एन.जी.सी. ने 10 करोड़ रुपए का योगदान करने पर सहमति व्यक्त की थी और पहली किश्त के रूप में 2.5 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए थे और उसके बकाया 7.5 करोड़ रुपए की भुगतान राशि जारी कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन युर्दुलंका-यानम पुल की निर्माण लागत की दिशा में 10 करोड़ रुपए की धनराशि 4 समान किश्तों में भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है जिसमें से अब तक 2.50 करोड़ रुपए की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है। द्वितीय, तृतीय तथा अंतिम किश्त आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से इस संबंध में एक प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर कि निर्माण कार्य क्रमशः 40 प्रतिशत, 70 प्रतिशत तथा शत प्रतिशत पूरा हो चुका है, जारी की जाएगी।

ऊर्जा का उत्पादन

2848. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करने में आने वाली रुकावटों को दूर करने हेतु एकसमान नीति का प्रारूप तैयार किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह देश के लिए किस प्रकार लाभदायक होगा; और

(ङ) इस नीति के कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) सरकार, आने वाले दशकों में ऊर्जा क्षेत्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए एक महत्त्वपूर्ण भूमिका पर विचार करती है। इसके लिए, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एक मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण तैयार किया है। नीति विवरण का प्रमुख उद्देश्य सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली जैसे अपारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाना है।

(ग) जी हाँ।

(घ) न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, वाणिज्यिक तथा घरेलू क्षेत्रों के लिए विकेंद्रित/ऑफ-ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध कराने और ग्रिड किस्म की बिजली का उत्पादन तथा आपूर्ति करने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के योगदान को बढ़ाने का प्रस्ताव है। मसौदा विवरण में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 10,000 मेगावाट बिजली अथवा वर्ष 2012 तक की अवधि के लिए अनुमानित नई विद्युत क्षमता संयोजन के 10% तक के उत्पादन के लक्ष्य की परिकल्पना है।

(ङ) नीति विवरण के मसौदे को आगे के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

शिलालेखों की खोज

2849. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राज्यवार और भाषावार कितने शिलालेखों का पता लगाया और प्रतिलिपियाँ तैयार की हैं;

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों के संग्रह के प्रकाशन की भाँति तमिलनाडु और केरल में पाए गए ब्राह्मी शिलालेखों के संग्रह के प्रकाशन हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पिछले 20 वर्षों के दौरान संग्रह किए गए प्राचीन दक्षिण भारतीय सिक्कों की कोई सूची प्रकाशित की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने निजी स्वामित्व वाले इन सिक्कों का दस्तावेज और तालिका तैयार करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) प्राचीन दक्षिण भारतीय सिक्कों के अध्ययन हेतु और तालिका तैयार करन के लिए पृथक् अधिकारी (द्रविड़ भाषा) की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ज) इन शिलालेखों के समुचित रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों में खोजे गए तथा प्रतिकृत अभिलेखों की संख्या कृपया संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तमिलनाडु तथा केरल में पाए गए ब्राह्मी अभिलेखों को प्रकाशित करने की योजना बना रहा है।

(ग) से (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन दक्षिण भारतीय सिक्कों पर कोई सूची प्रकाशित नहीं की है। हालाँकि, पुरालेख शाखा ने पुरालेख निदेशालय में परिरक्षित लगभग 640 सिक्कों की एक सूची तैयार की है। इन सिक्कों की एक सूची तैयार की जा रही है।

(छ) एक उप अधीक्षण पुरालेखविद् (मुद्राशास्त्र) पहले ही तैनात किया गया है।

(ज) इन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

विवरण

अभिलेख (संस्कृत तथा द्रविड़)

वर्ष 1997-98

	राज्यवार	*प्रतिकृत अभिलेखों की संख्या*
1.	आंध्र प्रदेश	15
2.	कर्नाटक	02
3.	केरल	04
4.	मध्य प्रदेश	19
5.	महाराष्ट्र	09
6.	उड़ीसा	11
7.	राजस्थान	01
8.	तमिलनाडु	68
	कुल	129

भाषावार

1.	प्राकृत	01
2.	संस्कृत	25
3.	संस्कृत तथा तेलुगू	01
4.	कन्नड़	24
5.	तमिल	68
6.	तेलुगू	02
7.	स्थानीय बोली	08
	कुल	129

वर्ष 1998-99

	राज्यवार	*प्रतिकृत अभिलेखों की संख्या*
1.	आंध्र प्रदेश	26
2.	कर्नाटक	01
3.	मध्य प्रदेश	50
4.	उड़ीसा	11
5.	राजस्थान	71
6.	तमिलनाडु	248
7.	उत्तर प्रदेश	23
	कुल	430

भाषावार		*प्रतिकृत अभिलेखों की संख्या*
1.	प्राकृत	45
2.	संस्कृत	83
3.	कन्नड़	31
4.	स्थानीय बोली	13
5.	तमिल	243
6.	तेलुगू	15
	कुल	430

वर्ष 1999-2000

	राज्यवार	*प्रतिकृत अभिलेखों की संख्या*
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	असम	15
3.	कर्नाटक	40
4.	केरल	01
5.	मणिपुर	30
6.	मध्य प्रदेश	10
7.	महाराष्ट्र	11
8.	उड़ीसा	87
9.	राजस्थान	18
10.	तमिलनाडु	244
11.	उत्तर प्रदेश	04
	कुल	470

भाषावार अभिलेखों का लिप्यांतरण तथा अध्ययन किया जा रहा है।

अभिलेख (अरबी तथा फारसी)

वर्ष 1997-98

	राज्यवार	*प्रतिकृत अभिलेखों की संख्या*
1.	आंध्र प्रदेश	95
2.	दिल्ली	21
3.	महाराष्ट्र	11
4.	तमिलनाडु	01
5.	उत्तर प्रदेश	22
	कुल	140

भाषावार

1.	अरबी	43
2.	फारसी	55
3.	उर्दू	27
4.	अन्य/द्विभाषी/त्रिभाषी	15
	कुल	140

वर्ष 1998-99

	राज्यवार	*प्रतिकृत अभिलेखों की संख्या*
1.	आंध्र प्रदेश	42
2.	दिल्ली	15
3.	महाराष्ट्र	31
4.	कर्नाटक	01
5.	केरल	08
6.	उत्तर प्रदेश	27
	कुल	124

भाषावार

1.	अरबी	32
2.	फारसी	37
3.	उर्दू	27
4.	अन्य/द्विभाषी/त्रिभाषी	28
	कुल	124

वर्ष 1999-2000

	राज्यवार	*प्रतिकृत अभिलेखों की संख्या*
1.	दिल्ली	38
2.	मध्य प्रदेश	03
3.	महाराष्ट्र	51
4.	तमिलनाडु	02
5.	उत्तर प्रदेश	45
6.	पश्चिम बंगाल	12
	कुल	151

भाषावार

1.	अरबी	33
2.	फारसी	61
3.	उर्दू	23
4.	अन्य/द्विभाषी/त्रिभाषी	34
	कुल	151

बंगलौर में इंदिरा गांधी कला केंद्र की क्षेत्रीय शाखा

2850. श्री एच.जी. रामुलू : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंदिरा गांधी कला केंद्रों की क्षेत्रीय शाखाओं की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलौर में इंदिरा गांधी कला केंद्र की क्षेत्रीय शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) 2000-2001 के दौरान उक्त शाखाओं हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हाँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी में है। वाराणसी स्थित एक अन्य केन्द्र भारतीय कला की मूलभूत अवधारणाओं का एक शब्दकोष तैयार करने संबंधी परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की कार्यकारिणी समिति ने सिद्धांत रूप में बंगलौर में एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। कार्यकारिणी समिति ने भूमि, भवन आदि की उपलब्धता के संबंध में ब्यौरे देने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक उप-समिति भी गठित की है।

(ङ) वाराणसी केंद्र के लिए लगभग 20.50 लाख रुपए और गुवाहाटी केंद्र के लिए 3.00 लाख रुपए का बजट आबंटित किया गया है।

विद्युतीकरण पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

2851. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष की 2000 (रेलवे) की अपनी रिपोर्ट संख्या 9 में रेल पटरियों/मार्गों के विद्युतीकरण पर पृष्ठ 42 से 45 तक एक परिच्छेद रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो इन टिप्पणियों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली-अंबाला-लुधियाना खंड पर 290 करोड़ रु. की लागत वाली चालू विद्युतीकरण परियोजना की लेखा परीक्षा जाँच से पता चला है कि लेखा परीक्षा द्वारा 11.52 करोड़ रु. की बचत की तुलना में आंतरिक आयदर को 14.48 प्रतिशत दर्शाया गया था जिससे बचत 22.17 करोड़ रु. हो गई;

(घ) यदि हाँ, तो परियोजना लागत और होने वाली बचत आदि की गणना ठीक से न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा उल्लिखित अन्य विषमताओं का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) लेखा परीक्षा की तथाकथित रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 42 से 45 पर 'रेलपथ की पसंद' पर एक पैराग्राफ है।

(ख) से (ङ) दस्तावेज जो विभिन्न निष्कर्षों पर पहुँचने का आधार है, उपलब्ध नहीं था और यह लेखा परीक्षा से हाल ही में प्राप्त हुआ है। निर्धारित मानदंडों के आधार पर अभी टिप्पणियों की जाँच की जानी है।

तेल की आपूर्ति और उत्पादन में व्यवधान

2852. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री तिरुनावकरसू :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आंदोलनों और अन्य विप्लवकारी गतिविधियों के कारण तेल के उत्पादन और आपूर्ति में व्यवधान के परिणामस्वरूप राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ख) देश में तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंदोलनों और उग्रवादी गतिविधियों के कारण आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) और आयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में झेली गई अनुमानित क्षति निम्नानुसार है :–

(मिलियन मीट्रिक टन)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
आंध्र प्रदेश	-	-	0.0003
असम	0.0365	0.0502	0.0515
गुजरात	-	-	0.0130
तमिलनाडु	-	-	0.0005
त्रिपुरा	-	-	-
महाराष्ट्र अपतट	-	-	0.0460

निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के संबंध में अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) तेल और गैस का निर्बाध उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. खतरे की अवधारणा का पुनरीक्षण करने और उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित अपतट और तटीय सुरक्षा समन्वय समितियों की पद्धति के माध्यम से संबंधित राज्य/जिला प्रशासन, पुलिस प्राधिकारियों और अन्य सतर्कता एजेंसियों के साथ आवधिक बैठकें।

2. संबंधित तेल कंपनियों के सुरक्षा कार्मिक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस और होम गार्डों द्वारा महत्त्वपूर्ण संस्थापनों की नियमित गश्त।

3. संवदेनशील संस्थापनाओं और स्थानों पर अतिरिक्त व्यक्ति लगाना।

सोलापुर में स्टेडियम का निर्माण

2853. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रेल मंत्री सोलापुर में स्टेडियम के निर्माण के बारे में 16 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3301 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) कार्य के लिए निविदाएँ जारी की गई हैं। कार्य की अनुमानित लागत 45 लाख रुपए है।

(ग) और (घ) रेलों पर संसाधनों की तंगी के कारण, कार्य को पूरा करने के बारे में विशिष्ट लक्ष्य बता पाना संभव नहीं है। आने वाले वर्षों में इनकी उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति होगी।

अंतर्देशीय जल परिवहन नीति

2854. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्देशीय जल परिवहन नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नीति कब तक तैयार कर ली जाएगी?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हाँ। यह तैयार हो चुकी है।

(ख) इस नीति में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में की गई व्यवस्था के अनुसार बाजार से ऋण लेने के लिए कर मुक्त बांड जारी करने की शक्ति देने, सरकार की वित्तीय भागीदारी को इक्विटी सहभागिता तक सीमित रखते हुए इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु भा.अं.ज.प्रा. को वाणिज्यिक/संयुक्त उद्यमों में शामिल होने के लिए उसकी भूमिका का विस्तार करने, अलग-अलग मामलों के आधार पर परिकलित की जाने वाली बी.ओ.टी. परियोजना के लिए अधिकतम 40% वास्तविक पूँजीगत सब्सिडी की शर्त के अध्यधीन निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए नीति विषयक दिशा-निर्देश, पाँच वर्ष के लिए निवेशकों को दी जाने वाली कर की 100% और अगले पाँच वर्ष के लिए 30% छूट जिसे राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले की तरह 20 वर्ष की अवधि में प्रयोग किया जाएगा, अंतर्देशीय जलमार्गों पर सामान्य रूप से प्रचालन करने वाले सभी जलयानों के लिए मूल्य ह्रास की दर को 20% नियत करना ताकि उन्हें समुद्रगामी जलयानों के स्तर पर लाया जा सके। भारतीय शिपयार्डों में निर्मित अंतर्देशीय जलयानों के लिए 30% जलयान निर्माण सब्सिडी शुरू करना और वर्तमान ऋण ब्याज सब्सिडी स्कीम को समाप्त करने तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए उपकरणों और मशीनों के आयात पर न्यूनतम सीमा शुल्क लगाना शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकास कोष और पूँजीगत कोष

2855. श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल में विकास कोष और पूँजीगत कोष पर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो धनराशि जुटाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप दोनों ही निधियों की स्थिति प्रभावित हुई है। रेलें, खर्च को नियंत्रित करने और राजस्व को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। कर्मचारी उत्पादकता परिसंपत्ति उपयोगिता वस्तु सूची प्रबंधन, ईंधन खपत में सुधार करके और यात्रा, प्रचार, आतिथ्य आदि क्षेत्रों में मितव्ययिता सुनिश्चित करके खर्च को नियंत्रित करने के उपाय किए गए हैं। इसी के साथ जोरदार विपणन और उन्नत सेवाओं और बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से आमदनी में सुधार होने की भी आशा है। राजस्व के गैर-परंपरागत स्रोत जैसे कि आप्टिकल फाइबर केबल संचार के लिए रेलों के मार्गाधिकार को पट्टे पर

देना, रेलवे भूमि और आकाशी क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग, स्टेशनों और चल स्टाक आदि पर विज्ञापन अधिकार देने आदि का उपयोग करने की योजना है। इसके अतिरिक्त राजस्व के रिसाव और उठाईगिरी को खोलने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भारतीय सूती वस्त्रों को शुल्क मुक्त माना जाना

2856. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने सितंबर, 2000 में भारत के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार भारतीय सूती वस्त्रों को शुल्क मुक्त मानने के स्थगन को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या स्थगन समाप्त किए जाने से भारत को लाभ हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का पूर्ण कार्यान्वयन किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय सूती वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (घ) सितंबर, 2000 में हुए विचार-विमर्श के दौरान अमरीका के साथ हुए समझौते के अनुसरण में, भारत ने डब्ल्यू.टी.ओ. को संशोधित सम्मिलित शुल्क प्रतिबंध अधिसूचित किया है। दूसरी ओर, अमरीका ने शुल्क प्रतिबंध अधिसूचना पर अपनी आपत्तियों को समाप्त कर दिया है तथा 9 भारतीय हथकरघा फैब्रिक्स पर जी.एस.पी. लाभ को फिर से बहाल करने से अमरीकी बाजार में इन मदों की, लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।

(ङ) सरकार अमरीकी बाजार को सूती फैब्रिक्स निर्यात सहित वस्त्र निर्यात को बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। कुछ महत्त्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :–

1. इस क्षेत्र के आधुनिकी करण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.) को प्रभावी बनाया गया है ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

2. निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) योजना के अंतर्गत 5% की रियायती शुल्क दर पर पूँजीगत माल के आयात की सुविधा देना।

3. सरकार ने हाल ही में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। मिशन का एक महत्त्वपूर्ण अंग मौजूदा जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों को उन्नत/आधुनिक बनाकर कपास प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार लाना है।

4. कुछ अपवाद के साथ वस्त्र क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता की मंजूरी देना।

5. पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा सुविधाएँ प्रदान कर आयातक देशों की पारि-आवश्यकताओं के समानुरूप अपने वस्त्र व परिधान उद्योग को तैयार करना तथा सुसाध्य बनाना।

6. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), उसकी 6 शाखाएँ और अपैरल प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र (ए.टी.डी.सी.) डिजाइन, व्यापारीकरण और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कौशल मानव शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

7. वस्त्र निर्यात में स्थायित्व तथा निरंतरता प्रदान करने तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए 2000-2001 अवधि के लिए नई निर्यात पात्रता (कोटा) नीति की घोषणा की गई।

8. वस्त्र उद्योग के सुव्यवस्थित और निरंतर विकास व उन्नति को सुव्यवस्थित ढंग से नीतिगत दिशा निर्देश देने और वस्त्र निर्यात को थ्रस्ट देने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 की घोषणा की गई है।

हिजबुल मुजाहिद्दीन की धमकी

2857. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में सक्रिय हिजबुल मुजाहिद्दीन ने भारतीय विमानों को स्वचालित विमान प्रक्षेपास्त्रों से मार गिराने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी धमकियों से निपटने और इस आतंकवादी गुट की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) ऐसी रिपोर्टें उपलब्ध हैं कि जम्मू और कश्मीर में सक्रिय कुछ आतंकवादियों ने कम ऊँचाई पर उड़ने वाले विमानों को लक्ष्य बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है।

आतंकवादी समूहों की चालों को विफल करने के समुचित उपाय किए जा रहे हैं।

प्रमुख पत्तनों द्वारा सँभाले गए यातायात की मात्रा

2858. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1999-2000 के दौरान और 2000-2001 में अब तक प्रमुख पत्तनों द्वारा सम्हाले गए यातायात के कुल परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पत्तनों का वर्तमान बुनियादी ढाँचा पत्तन यातायात की सम्हलाई के योग्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो आवश्यकता की पूर्ति हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 (फरवरी, 2001 तक) के दौरान महापत्तनों द्वारा हैंडल किए गए कुल ट्रैफिक की मात्रा का विवरण इस प्रकार है :–

	(मिलियन टन)
1999-2000	271.92
2000-2001 (फरवरी, 2001 तक)	256.65

(ख) जी हाँ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लंबित योजनाओं के लिए विशेष कार्य योजना

2859. श्री पी.आर. खूँटे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नव सृजित राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ के लिए विद्युत क्षेत्र में लंबित योजनाओं को पूरा करने हेतु कोई विशेष कार्य योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) सरकार देश में लंबित विद्युत क्षेत्र स्कीमों समेत नव-निर्मित राज्य छत्तीसगढ़ की स्कीमों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :–

(i) सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति तथा गठित किए गए विभिन्न कार्यबलों द्वारा आवधिक समीक्षा।

(ii) निर्माणाधीन हाइड्रो परियोजनाओं का पूर्ण वित्त पोषण सुनिश्चित करना।

(iii) पावर फाइनेंस कारपोरेशन के त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम नामक स्कीम के अंतर्गत विद्युत परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध कराना।

(iv) विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में संकट समाधान दल के माध्यम से निजी क्षेत्र परियोजनाओं की अंतिम समस्याओं का समाधान।

(v) रा.वि.बो. की न्यून एस्क्रो क्षमता के मद्देनजर एक वैकल्पिक भुगतान सुरक्षा पैकेज का निर्माण।

(vi) शेष गैर-विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण हेतु निधियों में वृद्धि।

(vii) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सुधारकारी राज्यों को पुराने हाइडल/थर्मल संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उप-पारेषण वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराना।

[अनुवाद]

'ट्रांस एशियन रेलवे प्रोजेक्ट'

2860. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'ट्रांस एशियन रेलवे लिंक प्रोजेक्ट' की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रस्तावित रेल लिंक किन-किन देशों से गुजरेगा; और

(ग) भूमंडलीकरण हेतु रेलवे ने क्या प्रयास किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) ट्रांस-एशियन रेलवे (टी.ए.आर.) परियोजना, जो एस्कैप के एशियाई भूतल परिवहन अवसंरचना विकास परियोजना के घटक के रूप में संयुक्त राष्ट्र-एस्कैप द्वारा तैयार की गई है, अभी भी संकल्पना चरण में है। टी.ए.आर. परियोजना में, जैसा कि संकल्पना की गई है, यूरोप से चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया को जोड़ने वाले तीन रेल-भूमि पुल शामिल हैं। भारत दक्षिणी गलियारे का भाग बनेगा जो बुल्गेरिया, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यामार, चीन/थाइलैंड, कंबोडिया/मलेशिया और सिंगापुर से गुजरता है।

एस्कैप द्वारा 1999 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें टी.ए.आर. से संबंधित संरेखण और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों का विशेष उल्लेख किया गया है।

इसमें अंतर्निहित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, जो इस प्रयोजन के लिए नोडल मंत्रालय है द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा रही है।

रसोई गैस पाइपलाइनें

2861. श्री जी.एस. बसवराज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व की सबसे लंबी रसोई गैस पाइपलाइन को 25 दिसंबर, 2000 को चालू किया गया;

(ख) यदि हाँ, तो इससे डीजल की कीमतें कितनी कम हो जाएंगी;

(ग) उक्त पाइपलाइन किन-किन राज्यों से गुजरेगी;

(घ) क्या निकट भविष्य में ऐसी नई गैस पाइपलाइनों की योजना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) गुजरात में जामनगर से उत्तर प्रदेश में लोनी तक अधिक मात्रा में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) परिवहन के लिए गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा बिछाई गई 1264 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 31 जनवरी, 2001 को चालू की गई है।

(ख) इस पाइपलाइन का डीजल मूल्यों से कोई संबंध नहीं है।

(ग) यह पाइपलाइन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से होकर गुजरती है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का 492 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद तक 600 किलोमीटर लंबी एल.पी.जी. पाइपलाइन स्थापित करने का प्रस्ताय है और इस पाइपलाइन को सितंबर, 2003 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

दिल्ली विद्युत बोर्ड को त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

2862. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत बोर्ड ने इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने के लिए केंद्र सरकार से सहायता माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली विद्युत बोर्ड को त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) डीवीबी ने फरवरी, 2001 में 51.0 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि ए.पी.डी.पी. के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए इलेक्ट्रानिक मीटरों सहित मौजूदा इलेक्ट्रो मैकेनिकल पोली फेज (11 कि.वा.-16 कि.वा.) तथा एल.टी.सी.टी. प्रचालित मीटरों (11 कि.वा.–100 कि.वा.) को विस्थापित किया जा सके।

ए.पी.डी.पी. के अंतर्गत स्कीम को अभी अनुमोदित नहीं किया गया है क्योंकि स्कीम, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22.2.2001 के दिशा-निर्देश के अनुसार अभिज्ञात वितरण सर्किलों के लिए नहीं है।

बहरहाल, पी.एफ.सी. द्वारा कार्यान्वित भारत सरकार के ए.जी. एंड एस.पी. (त्वरित उत्पादन तथा आपूर्ति कार्यक्रम) के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव का पी.एफ.सी. में मूल्यांकन किया जा रहा है।

एल.पी.जी. तथा कैरोसीन का आयात

2863. श्री किरीट सोमैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एल.पी.जी. तथा कैरोसीन के आयात में वृद्धि करने जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने कैरोसीन खरीदने हेतु कोई टेंडर जारी किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कैरोसीन की कमी है; और

(च) यदि हाँ, तो माँग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैत्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 2001-02 के दौरान घरेलू माँग में वृद्धि, घरेलू उपलब्धता में वृद्धि से अधिक होने के कारण एल.पी.जी. का आयात वर्तमान स्तर से अधिक होने की संभावना है। अगले वर्ष मिट्टी तेल का आयात वर्तमान स्तर से कम होने की संभावना है।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2001 के दौरान मिट्टी तेल के आयात के लिए एक निविदा जारी की है।

(ङ) और (च) सरकार को इस वर्ष देश में मिट्टी तेल की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

इंडोनेशिया के साथ रक्षा समझौता

2864. श्री. के.पी. सिंह देव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडोनेशिया के साथ किसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसकी निर्धारित नियम व शर्तें क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) रक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने पर इंडोनेशिया गणराज्य और भारत की सरकारों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस करार में रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आपसी सहयोग, प्रशिक्षण, दौरे और कार्मिकों की अदला-बदली सहित रक्षा उपस्करों और उत्पाद सहायता तथा सेवाओं से संबंधित द्विपक्षीय परियोजनाएँ शामिल हैं। इस करार में निर्धारित लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त रक्षा सहकारी समिति गठित की जा रही है।

[हिन्दी]

आप्टिकल फाइबर केबल से आय

2865. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने चालू वर्ष में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर तथा उसे लीज पर देकर 500 करोड़ रुपए अर्जित करने का लक्ष्य तय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि आज तक आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के माध्यम से मात्र 50 करोड़ रुपए ही अर्जित किए जा सके हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आप्टिकल फाइवर केबल से लक्षित राशि अर्जित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) भारतीय रेलवे ने आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और टेलकॉम क्षमता के वाणिज्यिक दोहन द्वारा राजस्व उपार्जन के लिए भारतीय रेल-टेल निगम लिमिटेड नामक एक पृथक् निगम बनाया है। चूँकि भारतीय रेल-टेल निगम (आर.सी.आई.एल.) की स्थापना मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान ही हुई है और अभी पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा है, 2000-2001 के मौजूदा वित्तीय वर्ष में किसी वाणिज्यिक अर्जन की संभावना नहीं है। आर.सी.आई.एल. के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए नियुक्त सलाहकार ने हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसे लागू करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

एच.ए.एल. द्वारा क्रायोजेनिक इंजन का विकास

2866. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसो : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच.ए.एल. ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जिओ-स्टेशनरी लांच वेहिकल प्रोजेक्ट के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इंजन के कब तक परीक्षण के लिए तैयार हो जाने की संभावना है;

(ग) इस इंजन के विकास पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या किसी देश से तकनीकी जानकारी ली गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिओ-स्टेशनरी लांच वेहिकल परियोजना में लगाने के लिए क्रेयो इंजन सहित उन्नत चरण के क्रायोजेनिक इंजन का विकास कर रहा है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड केवल चरण संरचनाओं और प्रणोदक टैंकों के विनिर्माण में भागीदारी कर रहा है जोकि जुलाई, 2001 तक तैयार हो जाएँगे।

(ग) इस परियोजना पर मार्च, 2000 के अंत तक 250.07 करोड़ रुपए व्यय हो गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

जल विद्युत परियोजनाओं में जापान का सहयोग

2867. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने 5000 मेगावाट तक की जल-विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को विकसित करने में कोई रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने इस संबंध में जापान के साथ बातचीत की है;

(ग) यदि हाँ, तो भविष्य के जल-विद्युत उत्पादन में जापान की क्या संभावित भूमिका है;

(घ) क्या जल संसाधनों का उपयोग करते हुए टर्न-की आधार पर कोई विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा; और

(ङ) यदि हाँ, तो जापान तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) पावर वित्त निगम (पी.एफ.सी.) ने हाल ही में कई जापानी कंपनियों की भागीदारी से जापान सरकार द्वारा जुलाई 1996 में गठित जापानी अध्ययन दल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन से पी.एफ.सी. तथा अध्ययन दल के बीच पार्टनरशिप संभावना का पता चलता है। समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ एक वित्तीय तकनीकी सहायता स्कीम स्थापना की परिरचना की गई है ताकि जापानी विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत संयंत्र जो लगभग 20 वर्ष से प्रचालन में है, का नवीकरण, आधुनिकीकरण कर दर वृद्धि की जा सके। अध्ययन दल और पी.एफ.सी. उपयुक्त हाइडल परियोजनाओं के आर.एम.डी.यू. कार्यों के लिए व्यवहार्य जापानी वित्तीय सहायता का समन्वयन और उपयोग करेंगे।

समझौता ज्ञापन में यह व्यवस्था है कि पी.एफ.सी. तथा जापानी अध्ययन दल 5000 मे.वा. वाली नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विराम में इच्छुक परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों तथा पावर यूटिलिटियों के साथ समन्वयन स्थापित करेंगे। अध्ययन दल उपयुक्त वैयक्तिक हाइड्रो परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयारी में पी.एफ.सी. का सहयोग करेगा।

पावर परियोजनाओं और वित्त पोषण पद्धतियों का चयन दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित परियोजना अधिराशियों के साथ परामर्श से किया जाता है।

पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री का स्थिर होना

2868. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अप्रैल-दिसंबर, 2000 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में पूर्व वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो बढ़ोत्तरी न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में तेजी लाने के लिए कोई ठोस कदम तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) अप्रैल से दिसंबर, 2000 की अवधि में पेट्रोलियम उत्पादों की समग्र माँग में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

समुद्रीय पत्तन कार्गो यातायात हेतु रेल पटरियाँ बिछाना

2869. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे समुद्री-पत्तन कार्गो यातायात के लिए अलग से रेल पटरियाँ बिछाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राइट्स ने ऐसी परियोजनाओं की वित्तीय अर्थक्षमता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव रेलवे के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ा है; और

(च) यदि हाँ, तो इस परियोजना को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) देश के सभी मुख्य बंदरगाह रेल से पहले ही भली-भाँति जुड़े हैं। भीतरी प्रवेश से बंदरगाह तक तथा विलोमतः यातायात को और आकर्षित करने के लिए बनाए जा रहे नए बंदरगाहों को जोड़ने की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। कुछेक नए बंदरगाहों यथा पीपावाव बंदरगाह और मुंदरा बंदरगाहों ने रेलवे अवसंरचना में निवेश करने में रुचि दिखाई है।

(ग) से (च) जी हाँ, राइट्स ने निम्नलिखित तीन समुद्री बंदरगाहों से संबंधित तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए हैं :–

1. मौजूदा रेल मार्ग का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन करके भरुच और दहेज बंदरगाह के बीच एक बड़ी लाइन रेल संपर्क की व्यवस्था (ग्राहक : गुजरात मैरी टाइम बोर्ड)

2. मी.ला. से ब.ला. में सुरेंद्र नगर-राजूला का आमान परिवर्तन और राजूला से पीपावाव के बंदरगाह तक एक नई लाइन के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन (ग्राहक : गुजरात पीपावाव पोर्ट लि.)

3. गांधीधाम और पालनपुर के बीच मी.ला. से ब.ला. में आमान परिवर्तन के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन (ग्राहकः रेल मंत्रालय, कांडला पोर्ट ट्रस्ट और गुजरात अदानी पोर्ट लि.)

चूँकि उपरोक्त परियोजनाओं के वित्तपोषण में कई पार्टियाँ शामिल हैं और परियोजनाओं के स्वीकृत करने के लिए समयसीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। बहरहाल, इन दो परियोजनाओं अर्थात् गांधीधाम-पालनपुर का आमान परिवर्तन और सुरेंद्रनगर-पीपावाव परियोजनाएं सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृत कर दी गई हैं। एस.पी.वी. मार्ग के माध्यम से सुरेंद्रनगर-पीपावाव परियोजना के लिए धन की व्यवस्था करने को भी अंतिम रूप दे दिया गया है और इसके लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

रेलवे नेटवर्क का विस्तार

2870. श्री प्रभात सामंतराय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वी क्षेत्र में खनिज की प्रचुरता वाले भीतरी प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) पूर्वी क्षेत्र के भीतरी क्षेत्र में नेटवर्क के विस्तार के लिए शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे जिससे उनकी लागत, 2000-01 के अंत तक प्रत्याशित परिव्यय, 2001-02 के लिए प्रस्तावित परिव्यय और उनकी मौजूदा स्थिति शामिल है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। परियोजनाओं को पूरा करने की लक्ष्य तिथि जहाँ कहीं निर्धारित की गई है, उन्हें उनकी स्थिति में दर्शाया गया है। प्रत्येक परियोजना पर की गई कार्रवाई को भी विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	अद्यतन प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपए में)	2000-01 के अंत तक प्रत्याशित परिव्यय	2001-02 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	गिरडीह-कोडरमा (चरण-I)	पू.रे.	145.00	0.13	6.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है। भूमि उपलब्ध हो जाने पर कार्य शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
2.	कोडरमा-रांची	पू.रे.	491.20	0.10	20.00	हजारीबाग (63.5 कि.मी. तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है) 37.5 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात प्रस्तुत किए जा चुके हैं। भूमि उपलब्ध हो जाने पर कार्य शुरू किया जाएगा।
3.	कोरापुट-रायगडा	द.पू.रे.	485.00	483.00	1.00	कार्य पूरा हो चुका है तथा इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। लंबी सुरंगों में रोशनदान संबंधी कार्य प्रगति पर है।
4.	तालचेर-संभलपुर	द.पू.रे.	464.38	450.06	1.00	परियोजना पूरी हो चुकी है और चालू कर दी गई है।
5.	वैतारी-बांसपानी	द.पू.रे.	585.12	251.27	50.00	बांसपानी से जोरुरी (11 कि.मी.) तक लाइन 20.12.2000 को पूरी हो चुकी है और माल यातायात के लिए खोली जा चुकी है। 140-142.2 किमी. तथा 147-147.47 कि.मी. को छोड़कर पूरे खंड में भूमि उपलब्ध है। बांसपानी छोर से 0.0147 कि.मी. तक मिट्टी एवं पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस भाग में लगभग 109.5 किमी. तल्य टुकड़ों में तैयार हो चुका है। 361 छोटे पुलों में से 207 पूरे हो चुके हैं तथा 24 प्रमुख पुलों पर कार्य शुरू किया गया है। 0 से 58 कि.मी. के लिए आवश्यक 1.81 लाख घन मीटर गिट्टी में से अभी तक 1.48 लाख घन मीटर गिट्टी एकत्रित कर ली गई है। शेष 58.123 कि.मी. की लंबाई के लिए निविदाओं को आमंत्रित किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर इस लाइन को दिसंबर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
6.	हरिदासपुर-पारादीप	द.पू.रे.	301.64	14.54	20.00	अंतिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे एवं कागजातों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और राज्य सरकार के पास महफूज है। हरिदासपुर छोर से 10 कि.मी. संरेखण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान राज्य सरकार को कर दिया गया है। जैसे ही भूमि उपलब्ध हो जाती है कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
7.	अंगुल-सुकिंदा रोड	द.पू.रे.	245.58	1.18	23.00	अंतिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी 17 बड़े पुलों के लिए मिट्टी की जाँच संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। इस लाइन द्वारा सेवित प्रस्तावित स्टील संयंत्र के विस्तृत स्थिति की जाँच के लिए रेलवे से अनुरोध किया गया है।

पारादीप में तेल रिफाइनरी

2871. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार उड़ीसा में स्थित पारादीप में तेल रिफाइनरी से 7 वर्षों तक बिक्री कर स्थगित करने पर सहमत नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड परियोजना को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने दिसंबर, 1998/अगस्त, 1999 में उड़ीसा राज्य के अंतर्गत पारादीप में प्रस्तावित रिफाइनरी से उत्पादों के विक्रय पर देय बिक्री कर के विषय में 11 वर्ष की अवधि के लिए छूट/आस्थगन को अनुमोदित कर दिया था। बाद में फरवरी, 2000 में उड़ीसा सरकार ने बिक्री कर प्रोत्साहन केवल उन औद्योगिक इकाइयों तक सीमित कर दिया था जो 1 जनवरी, 2002 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करेंगी। चूँकि पारादीप रिफाइनरी के वर्ष 2002 में पूरा होने का कार्यक्रम है, इसलिए इस परियोजना की प्रतिस्पर्द्धात्मकता एवं व्यवहार्यता हेतु उड़ीसा सरकार से प्रस्तावित पारादीप रिफाइनरी को बिक्री कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवार्य जूट पैकेजिंग

2872. श्री ताराचंद भगोरा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैकेजिंग के लिए जूट बैगों की कमी के संबंध में 20% की छूट की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने मूल्य, गुणवत्ता, उद्गम इत्यादि के संबंध में कमियों के निर्धारण एवं छूट देने हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (ग) पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 में कच्चे पटसन और पटसन पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और उत्पादन के कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के हित में तथा उनसे संबंधित मामलों में कुछ वस्तुओं की पूर्ति और वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री का अनिवार्य प्रयोग करने की व्यवस्था है।

उपयुक्त पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा 1 में केंद्रीय सरकार को पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक की जाने वाली वस्तुओं की पैकेजिंग का प्रतिशत निर्धारित करने की भी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक की जाने वाली वस्तुओं के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए दिनांक 25.10.2000 को अधिसूचना जारी करते समय अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित किया गया था कि पटसन पैकेजिंग सामग्री की पूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान आने की स्थिति में वस्त्र मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से इन उपबंधों में खाद्यान्नों और चीनी के लिए अधिकतम 20% की छूट दे सकता है।

रक्षा में इलेक्ट्रानिक्स तथा मैकेनिकल कोर का आधुनिकीकरण

2873. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रानिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकता पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय सेना में अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियों और उपस्करों को शामिल किए जाने के साथ विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स कोर में सुविधाओं और मानव संसाधन को भी उन्नत किए जाने की आवश्यकता है। इसी के अनुरूप इलेक्ट्रानिक और यांत्रिक इंजीनियरी कर्मशालाओं के आधुनिकीकरण के कार्य को चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया गया है और इस प्रयोजनार्थ नौवीं योजना में 57 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई है। दसवीं योजना के दौरान, इस प्रयोजन हेतु 85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। जहाँ तक मानव संसाधन विकास का संबंध है, इस कोर के सभी अफसरों और अन्य कार्मिकों को नए उपस्करों के संबंध में या तो आंतरिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अथवा आयातित उपस्करों के मामले में विदेश में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

रेलों में स्वच्छता और साफ-सफाई

2874. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल-टिकट परीक्षकों को रेलगाड़ी के डिब्बों में स्वच्छता/साफ-सफाई की जाँच का कार्य भी सौंपा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा रेलगाड़ियों में साफ सफाई न बनाए रखने हेतु चल टिकट परीक्षकों और गाड़ी अधीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) रेलगाड़ियों के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी क्या मानक निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या इन मानकों का रेलवे द्वारा अनुपालन किया जा रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) चल टिकट परीक्षक चलती हुई गाड़ी में सफाई/स्वास्थ्यकर स्थितियों की जाँच करते हैं और उसको संबंधित अनुरक्षण कर्मचारियों के नोटिस में लाते हैं। बहरहाल, गाड़ी में सफाई संबंधी स्थितियों की जाँच की मुख्य जिम्मेदारी कोचिंग डिपुओं की है। चल टिकट परीक्षक और गाड़ी पर्यवेक्षक स्वास्थ्यकर स्थितियों के रख-रखाव के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हैं।

(ग) डिब्बों में सफाई/स्वच्छता के लिए मानदंड नीचे दिए गए हैं :–

(i) चुनिंदा छोटी दूरी की गाड़ियों को छोड़कर जो कि एक छोर से निर्जल साफ और शौचालय स्वच्छ होकर वापस आती हैं, सभी गाड़ियों की प्रत्येक यात्रा समाप्त होने पर संपूर्ण धुलाई और सफाई करना।

(ii) माहवार, प्रत्येक डिब्बे की गहन सफाई और कीड़ों की रोकथाम के लिए दवा छिड़कना।

(iii) नामित स्टेशनों पर मार्ग में ही उच्च दबाव वाली जेट सफाई करने वाली मशीनों का इस्तेमाल करके शौचालयों की सफाई करना।

(घ) इन मानदंडों का पालन किया जाता है और पूर्णतया विशेष ध्यान रखा जाता है।

(ङ) और (च) गाड़ियों में सफाई उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए मुख्य कठिनाइयाँ अत्यधिक भीड़, सवारी डिब्बों का गहन प्रयोग और प्रयोगकर्त्ताओं और सफाई कार्मिकों में जनता-स्वास्थ्यकर की अपर्याप्त जानकारी है। रेलवे इन कठिनाइयों के बावजूद उच्च दबाव वाली जेट क्लीनिंग मशीन शुरू करके, उम्दा किस्म के सफाई के कारक, उपकरण और कीड़ों की रोकथाम जैसे कार्य में विशिष्ट एजेंसी का प्रयोग करके समय-समय पर रेलवे कार्मिकों और यात्रियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्यकर संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं।

परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब

2875. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशस्तंभ तथा प्रकाशपोत विभाग के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा भूमि के कानूनी स्वामित्व को प्राप्त करने में असफल रहने के कारण 24.53 लाख रु. लागत की परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) कब तक इस परियोजना को पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रश्न पुरी दीपघर से संबंधित है। परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब पुरी प्रशासन से भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने में हुई देरी के कारण हुआ न कि क्षेत्रीय निदेशक, दीपघर और दीपपोत की असफलता के कारण। भूमि के स्वामित्व के बारे में पुरी प्रशासन और पुरी नगरपालिका के बीच विवाद हो जाने के कारण भूमि को समय पर कब्जे में नहीं लिया जा सका।

(ग) भूमि को अपने कब्जे में ले लिया गया है और निर्माण कार्य चल रहा है।

(घ) यह परियोजना 31 मार्च, 2002 तक पूरी होने की संभावना है।

सरकारी प्रेस, चेन्नई में कंप्यूटर शाखा

2876. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने दक्षिण भारतीय इंस्क्रिप्शन वाल्यूम प्रकाशित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकारी प्रेस, चेन्नई में अलग से कंप्यूटर शाखा स्थापित की है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक वर्षवार प्रकाशित एस.आई.आई. खंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रकाशन कार्य की देखरेख के लिए किसी प्रकाशन अधिकारी की तैनाती की गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ए.एस.आई. द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारत सरकार ने राज्य सरकार मुद्रणालय, चेन्नई में दक्षिण भारतीय अभिलेख खंडों की छपाई हेतु व्यवस्था की है।

(ख) दक्षिण भारतीय अभिलेख (एस.आई.आई.) खंड 22 भाग-3 (1999) के एक खंड की छपाई हो गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसी किसी व्यवस्था की कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है।

बंगलौर तथा मंगलौर के बीच पाइपलाइन परियोजना

2877. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कन्नड़ में बेल्यागडी तालुक में ग्राम पंचायतों ने एच.पी.सी.एल. की पाइपलाइन परियोजना का विरोध किया है;

(ख) क्या यह पाइपलाइन पेट्रोलियम उत्पाद लाने ले जाने के लिए बंगलौर और मंगलौर के बीच बिछाई जानी है;

(ग) यदि हाँ, तो पंचायतों की प्रमुख आपत्तियाँ क्या हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ग्राम पंचायतों की आशंकाओं के निराकरण में मददगार रही है; और

(ङ) परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए मंगलौर से हसन होती हुई बंगलौर तक एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है।

बेल्थानागडी तालुक के अंतर्गत नेरिया ग्राम पंचायत ने यह कहते हुए कि पाइपलाइन बिछाने के कार्य के विषय में ग्राम पंचायत से कोई अनुमति नहीं माँगी गई है, इसलिए उन्होंने उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मेनलाइन पाइप बिछाने के कार्य से संबंधित सभी निर्माण क्रियाकलाप रोकने को कहा है।

(घ) कर्नाटक सरकार ने 23 जनवरी, 1999 को यह कहते हुए एक आदेश जारी किया है कि पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने के लिए ग्राम पंचायतों से किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। तथापि, इस आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक लोक हित मुकदमा दायर किया गया है।

(ङ) इस परियोजना के क्रियाविधि रूप से फरवरी, 2002 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

विदेशों में रेलवे अवसंरचना का विकास

2878. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल का विदेशों में रेल अवसंरचना विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इरकॉन तथा राइट्स ने विदेशों में कोई परियोजना अपने हाथ में ली है;

(घ) यदि हाँ, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे कितना राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हाँ।

(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(घ) और (ङ) विदेशों में इरकॉन इंटरनेशनल लि. और राइट्स लि. द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(मूल्य अमेरिकी डालर मिलियन में)

क्र.सं.	देश	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत
1	2	3	4
(i)	**इरकॉन इंटरनेशनल लि.**		
1.	बांग्लादेश	सेलहेट-ताम्बील-जफलोंग सड़क सुधार परियोजना (संविदा सं. 1)	8.37
2.	बांग्लादेश	बंगाबंधु (जमुना) पुल रेलवे लिंक परियोजना (संविदा सं. 2)	54.00
3.	मलेशिया	प्रस्तावित कुआलालामपुर सेंट्रल स्टेशन और संबंधित अवसंरचना कार्यों के लिए परीक्षण, चालू करने तथा अनुरक्षण सहित रेलपथ की संस्थापना और रेलपथ सामग्री की संबद्ध सहायक आपूर्ति	3.34
4.	मलेशिया	के.टी.एम.बी. (मलेशिया) के लिए किराया और अनुरक्षण के आधार पर इंजनों की आपूर्ति	माह-दर-माह के आधार पर परिवर्तित होती है।
5.	मलेशिया	तांजुंग पेलेपास पत्तन के लिए रेल संपर्क	121
6.	ईरान	सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, ईरान इस्लाम गणतंत्र के लिए सिगनल प्रणाली परियोजना	25
7.	सिरिया	5 अदद 66/20 केवी और 66/6.3 केवी परंपरागत बाह्य उप-स्टेशनों का अभिकल्प और आपूर्ति	9.01
(ii)	**राइट्स लि.**		
1.	बांग्लादेश	श्रीकारपुरा डोरिका पुल और पहुंच मार्गों का निर्माण पर्यवेक्षक—अग्रणी परामर्शदाता—राघटन इंटनेशनल	0.200 मिलियन अमेरिकी डालर
2.	बांग्लादेश	रेल इंजनों का अनुरक्षण	1800.00 लाख रुपए
3.	बांग्लादेश	गैर-वातानुकूल सवारी डिब्बों का वातानुकूल सवारीडिब्बों में परिवर्तन	250.00 लाख रुपए
4.	बांग्लादेश	2 विशेषज्ञों और प्रशिक्षुओं आदि की व्यवस्था सहित 10 ब.ला. रेल इंजनों की आपूर्ति	8677.31 लाख रुपए
5.	सीएफएम मोज्मबीक	वित्तीय विशेषज्ञों की पेशेवर सेवाएँ	0.170 मिलियन अमेरिकी डालर
6.	बोत्सवाना	रेलवे प्रबंधन लेखाकारों की पेशेवर सेवाएं	0.256 मिलियन अमेरिकी डालर
7.	भूटान	डी.पी.आर. और निविदा प्रलेखों की तैयारी तथा भूटान में 3 पुलों का निर्माण पर्यवेक्षक	80.00 लाख रुपए
8.	भूटान	थीम्फू और बाबेशा के बीच एक्सप्रेवे का अभिकल्प	23.50 लाख रुपए
9.	नेपाल	टनकपुर से महेंद्रा राजमार्ग की व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी	38.00 लाख रुपए
10.	नेपाल	बीरगंज, बिरातनगर और भैराहवा में 3 अंतर्देशीय कंटेनर टर्मिनलों का निर्माण पर्यवेक्षक	348.00 लाख रुपए
11.	नेपाल	बहु-उद्देशीय परियोजना के लिए सड़क परिवहन के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन	35.00 लाख रुपए
12.	मलेशिया	रेलपथ अभिकल्प विशेषज्ञों की तैनाती	0.115 मिलियन अमेरिकी डालर
13.	मलेशिया	2 पुल विशेषज्ञों की तैनाती	0.099 मिलियन अमेरिकी डालर
14.	मलेशिया	रनहिल के साथ एम.ओ.एस.एस./एम.एक्स. रेल विशेषज्ञों की तैनाती	0.087 मिलियन अमेरिकी डालर

1	2	3	4
15.	मलेशिया	मिनकन्सल्ट के साथ रेलपथ इंजीनियर की तैनाती	0.069 मिलियन अमेरिकी डालर
16.	मलेशिया	के.टी.एम.बी. यात्री सवारीडिब्बों और माल डिब्बों का प्रबंधन और अनुरक्षण	42.58 लाख रुपए
17.	मलेशिया	के.टी.एम.बी. के लिए चल स्टॉक अनुरक्षण सेवाओं के लिए परामर्श सेवाएँ	14.62 लाख रुपए
18.	यू.के.	पश्चिमी तट मुख्य लाइन यू.के., ओ.एल.ई. अभिकल्प सहायता–डब्ल्यू.एस.ए.–बी.बी. अभिकल्प संयुक्त उद्यम, रगबी, वार्किशायर, इंग्लैंड	0.873 मिलियन अमेरिकी डालर
19.	यू.के.	सिगनल डिजायन और आरेखण कार्य के लिए सिगनल प्रणाली विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति	माह-दर-माह आधार पर परिवर्तित होती है
20.	यू.के.	राइट्स और सीमैंस के बीच सहयोग के भाग रूप में उनके एन.एस.एस. डॉटा निष्कर्षण परियोजना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति	0.018 मिलियन अमेरिकी डालर
21.	मारीशस	मारीशस के चारों ओर दर्रो को बड़ा बनाने और निकासी पर अध्ययन, मारीशस के चारों ओर समुद्र का हाइड्रोनोमिक अध्ययन	492.00 लाख रुपए
22.	कोलम्बिया	कर्मशाला प्रबंधन एवं अनुरक्षण और चल स्टॉक के पुनर्स्थापन के लिए तकनीकी सहायता–अटलांटिक नेटवर्क ऑफ कोलम्बिया	0.648 मिलियन अमेरिकी डालर
23.	ईरान	करडज कारखाने के लिए इंजीनियरी पर्यवेक्षक सेवाएँ	0.456 मिलियन अमेरिकी डालर
24.	घाना	समुद्र दीवार के निर्माण के पर्यवेक्षण के लिए घाना के मैसर्स कोन्टेरा के लिए विशेषज्ञ की सहायता	0.158 मिलियन अमेरिकी डालर
25.	तन्जानिया	रेल इंजनों का अनुरक्षण	1800.00 लाख रुपए
26.	श्रीलंका	बिजली इंजन शेड में अनुरक्षण कार्यविधियों तथा सुविधाओं का ग्रेडोन्नयन	54.00 लाख रुपए
27.	श्रीलंका	एम-8 श्रेणी इंजन के अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति	448.32 लाख रुपए
28.	श्रीलंका	2 ब.ला. रेल इंजनों की आपूर्ति	1339.80 लाख रुपए
29.	श्रीलंका	ई.एल.एस. के लिए मशीन एवं संयंत्र की आपूर्ति	514.62 लाख रुपए
30.	श्रीलंका	तीन पुलों का पुनर्स्थापन	791.70 लाख रुपए
31.	श्रीलंका	सवारी डिब्बों के अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति	0.16 लाख रुपए
32.	श्रीलंका	रेल इंजन के अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति	98.04 लाख रुपए
33.	श्रीलंका	2 अदद ब.ला. रेल इंजनों की आपूर्ति	1170.00 लाख रुपए
34.	वियतनाम	पहिया सेटों के साथ 72 इकाई मी.ला. 1000 एम.डब्ल्यू. कोच बोगियों की आपूर्ति	388.08 लाख रुपए
35.	वियतनाम	700 इकाई दोहरे स्वचल ब्रेक स्लैक समायोजकों की आपूर्ति	49.55 लाख रुपए
36.	वियतनाम	कोच बोगियों के लिए 500 इकाई हाइड्रोलिक शॉक एब्जोर्बर की आपूर्ति	22.00 लाख रुपए
37.	म्यांमार	10 मी.ला. सेवारत इंजनों, वारंटी पुर्जों, एसेम्बलीज और अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति	2085.50 लाख रुपए
38.	म्यांमार	30 सेट एच.एफ. (एस.एस.बी.), वी.एच.एफ. वायरलैस के 20 सेट की वारंटी और एंटीना व वारंटी सहित संपूर्ण रेडियो ट्रेसीवरों की आपूर्ति	91.85 लाख रुपए
39.	म्यांमार	इंडो म्यांमार सीमा से सीवा पत्तन तक कालादन नदी के साथ-साथ हाइवे के लिए तकनीकी-आर्थिक	76.40 लाख रुपए

नोट : रुपए अथवा अमेरिकी डालर में इंगित लागत भारतीय रुपए अथवा अमेरिकी डालर में प्रदान की गई संविदा पर आधारित है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की इक्विटी

2879. श्री जी.एस. बसवराज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के 17 लाख इक्विटी शेयरों को पुनः खरीदने के अपने निर्णय को वापस लेने का है;

(ख) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में मंत्रियों के दल ने वर्तमान विद्युत मंत्री द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हाँ, तो मंत्रियों के दल द्वारा इस संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं; और

(घ) इस निर्णय को वापस लेने के मुख्य कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 23.3.2000 को आयोजित अपनी बैठक में जनजातीय गाँवों, दलित बस्तियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्रों के विद्युतीकरण से संबंधित मौजूदा स्कीमों की समीक्षा करने तथा विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने के लिए सुधार सुझाने हेतु एक मंत्रिदल गठित किया। इसके अलावा सी.सी.ई.ए. ने 13 मई, 2000 को आयोजित अपनी बैठक में भी यह निदेश दिया कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के शेयरों की पुनः खरीद पर विचार समेत निगम की भावी भूमिका एवं इसके कार्य करने के प्रकार तथा इसके वित्त पोषण स्रोत की मंत्रिदल द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) क्रमशः 8 जनवरी और 9 फरवरी, 2001 को मंत्रिदल की दो बैठकें आयोजित की गई। मंत्रिदल की सिफारिशों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

चल रही विद्युत परियोजनाओं संबंधी कार्यक्रम

2880. श्री रामदास आठवले : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार लंबित परियोजनाओं का परियोजना-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में चल रही विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार के पास महाराष्ट्र में नई परियोजनाएँ शुरू करने के कितने प्रस्ताव मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी निवेशकों/गैर-सरकारी विद्युत उत्पादकों द्वारा विशेष रूप से जनजातीय और पददलित क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना में कोई रुचि दिखाई गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 28.2.2001 की स्थितिनुसार तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में विचाराधीन निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) महाराष्ट्र में जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :

परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	
खापरखेड़ा विस्तार चरण-2 यू-3 व 4	2×210	यूनिट-3 को 31.5.2000 को समकालित किया गया था। यूनिट-4 को 7.1.2001 को समकालित किया गया है।
डाभोल सी.सी.जी.टी. चरण-2	1444 मे.वा.	कमबस्टन टर्बो जेनरेटर (सी.जी.टी.) : सी.टी.जी. ए2 और 2 बी को क्रमशः 21.1.2001 और 11.2.2001 को समकालित किया गया था। सी.टी.जी. 3ए अथवा 3बी दोनों का उत्थापन 5/2000 में आरंभ किया गया। सी.टी.जी. 3ए अथवा 3बी के तेल को साफ करने का कार्य क्रमशः 17.11.2000 और फरवरी, 2001 में पूरा कर लिया गया था। एस.टी. यूनिट : एच.आर.एस.जी. 2ए, 2बी, 3ए और 3बी के हाइड्रोलिक परीक्षण को क्रमशः 9/2000, 10/2000, 12/2000 और 1/2001 को पूरा किया गया। एच.आर.एस.जी.-2ए की स्टीम ब्लोइंग 29.1.2001 को पूरी की गई। एस.टी. यूनिट बी. और सी. के लिए टी.जी. उत्थापन क्रमशः 4/2000 और 6/2000 को आरंभ किया गया।
परली टी.पी.एस. विस्तार चरण-I	250 मे.वा.	योजना आयोग द्वारा 9.2.2001 को निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया।
घाटघर टी.पी.एस.	2×125 मे.वा.	सभी प्रमुख सिविल कार्य, बाँध के कार्य को छोड़कर, प्रदान कर दिए गए हैं और प्रगति पर हैं। टी.जी. सेटों का आर्डर दे दिया गया है और पंप-टरबाइन पर मॉडल परीक्षण कर लिया गया है।
भिवपुरी पी.एस.एस.	90 मे.वा.	टाटा द्वारा क्रियान्वित किए जा रही परियोजना में कृष्णा नदी के पानी का समुपयोजन शामिल है जो कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल अवार्ड द्वारा नियंत्रित है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य के विवाद का अभी समाधान नहीं हुआ है और कार्य अभी आरंभ नहीं हुए हैं।

(ग) 28.2.2001 की स्थितिनुसार महाराष्ट्र की कोई भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु के.वि.प्रा. में लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा आरंभ की गई निजी विद्युत नीति की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है और इस समय लगभग 29500 मे.वा. क्षमता की 57 परियोजनाओं (जिसमें विदेश कंपनियों द्वारा स्थापित की जा रही परियोजनाएं भी शामिल हैं) को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जून, 2000 तक स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा किया गया कुल विदेशी निवेश लगभग 13585 करोड़ रुपए है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम/राज्य	क्षमता (मे.वा.)
1.	धामवाड़ी सुंडा एच.ई.पी. (हि.प्र.)	2×35
2.	जवाहरपुर टी.पी.पी. (उ.प्र.)	2×400
3.	राजगढ़ सी.सी.पी.पी. (म.प्र.)	343.48
4.	झाबुआ सी.सी.जी.टी. (म.प्र.)	360
5.	हासन सी.सी.पी.पी. (कर्नाटक)	189
6.	नंजनगुड सी.सी.पी.पी. (कर्नाटक)	96.7
7.	तेलगी (बीजापुर) टी.पी.पी. (कर्नाटक)	350
8.	कोनासीमा सी.सी.पी.पी. (आं.प्र.)	445
9.	मीन शिवपुर कोन्ननूर एल.एन.जी. आधारित सी.सी.पी.पी. (कर्नाटक)	483
10.	तोरांगल्लू टी.पी.पी. (कर्नाटक)	2×250
11.	उहल एच.ई.पी. (म.प्र.)	2×50
12.	मतनार एच.ई.पी. चरण-3 (हि.प्र.)	3×20
13.	कोलोडीन एच.ई.पी. चरण-1 (मिजोरम)	120
14.	तिपाईमुख बहुउद्देशीय (मणिपुर)	1500
15.	सूरतगढ़ टी.पी.पी. चरण-3 (राजस्थान)	250
16.	धुव्रण गैस पी.पी. (गुजरात)	107.238
17.	संजय गांधी टी.पी.एस. विस्तार (म.प्र.)	500
18.	कहलगाँव एस.टी.पी.पी. चरण-2 (बिहार)	2×660
19.	बाढ़ एस.टी.पी.पी. (बिहार)	3×660
20.	मेजिया टी.पी.एस. विस्तार (बिहार)	210

[अनुवाद]

पोलैंड रक्षा उद्योग से डी.आर.डी.ओ. को प्राप्त क्रयादेश

2881. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक एंड रडार डेवलेपमेंट एस्टेबलिशमेंट (एल. आर.डी.ई.) डी.आर.डी.ओ. प्रयोगशाला को पोलैंड रक्षा उद्योग से 'स्लेटेड एरे एंटिना' के लिए क्रयादेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त क्रयादेश को पूरा करने से कुल कितनी धनराशि अर्जित होने की संभावना है;

(घ) इस क्रयादेश को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित है;

(ङ) क्या सरकार अन्य देशों से भी इस प्रकार का क्रयादेश प्राप्त करने की आशा कर रही है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को कुल कितने अमरीकी डालर लागत के रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) स्लोटेड वैवगाईड एंटेना की आपूर्ति के लिए दिनांक 28 फरवरी, 2000 को निदेशक, एल.आर.डी.ई. और निदेशक, मैसर्स प्रजेमिस ओवाइ इंस्टीट्यूट टेलिकमुनिकाओजि, संचार अनुसंधान संस्थान, वाजावा, पोलैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ग) इससे कुल 55,000 अमरीकी डालर की धनराशि अर्जित होने की संभावना है।

(घ) इसे पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा 12 महीने है।

(ङ) और (च) पोलैंड की उसी कंपनी ने इसी तरह के दो और एंटिनाओं की माँग बताई है।

(छ) विगत तीन वर्षों में किया गया निर्यात लगभग 8.70 करोड़ अमरीकी डालर का है।

जल विद्युत परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

2882. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने जल विद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण हेतु जापान के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन जल विद्युत परियोजनाओं का अध्ययन हेतु चयन किया गया है; और

(घ) इस सहयोग के लिए धन देने के तरीके का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पी.एफ.सी.) ने जापान की सरकार द्वारा जुलाई, 1996 में गठित जापानी अध्ययन दल, जिसमें विभिन्न जापानी कंपनियों की भागेदारी शामिल है, के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। यह समझौता ज्ञापन पी.एफ.सी. और अध्ययन दल के बीच शक्यता साझेदारी के संबंध में एक आशय विवरण है। समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ उन जल विद्युत संयंत्रों की नवीकरण, आधुनिकीकरण और उच्चीकरण (आर.एम.एंड यू.) के संबंध में एक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता स्कीम तैयार करने की परिकल्पना की गई है जिनकी जापानी निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की गई है और जो 20 वर्ष से अधिक समय से प्रचालन कर रहे हैं। अध्ययन दल और पी.एफ.सी. साथ-साथ समन्वय कार्य करेंगे और जापान से उतनी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे जितनी की उपयुक्त जल विद्युत परियोजनाओं के आर.एम.एंड यू. कार्यों को करने के लिए व्यवहार्य है। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संबंधित परियोजना प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके विद्युत परियोजनाओं का चयन किया जाना है और वित्त पोषण हेतु रूपात्मकताओं को तैयार किया जाना है।

विद्युत लागत हेतु समिति का गठन

2883. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं पर विद्युत लागत से हो रहे प्रभावों के कारणों की जाँच करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इस रिपोर्ट की क्या-क्या मुख्य विशेषताएँ हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) सरकार ने अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही विद्युत की लागत में कमी करने तथा विद्युत परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के जरूरत के मद्देनजर विशेष सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक अंतः मंत्रालयीन अनुशासनिक दल का गठन किया है। इस समूह ने विद्युत संबंधी विभिन्न मामलों पर विचार किया है एवं विशेषज्ञों से परामर्श किया है और शीघ्र ही ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

दो सीट वाले विमान का विकास

2884. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दो सीट वाले लड़ाकू विमान विकसित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके विकास कार्य को कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जी, हाँ। सरकार ने हल्के लड़ाकू विमान के दो सीटों वाले एक प्रशिक्षण विमान रूपांतर को विकसित किए जाने के लिए फरवरी, 2000 में अंतरिम स्वीकृति प्रदान की है। यह एक एकत्र इंजन वाला सुपरसॉनिक, हल्के वजन का, सभी मौसमों में कारगर, बहु-भूमिका वाला विमान है जो उन्नत वैमानिकी तथा चौहरी डिजीटल उड़ान नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित है।

जूट उत्पादकों संबंधी एन.सी.ए.ई.आर. रिपोर्ट

2885. श्री ताराचंद भगोरा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.ए.ई.आर. ने अपने अध्ययन में यह अनुमान लगाया है कि पटसन उत्पादकों की संख्या 4 मिलियन है;

(ख) यदि हाँ, तो सही आँकड़ों के अनुमान का स्रोत क्या है;

(ग) क्या एन.सी.ए.ई.आर. ने 1994 की अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि पटसन उत्पादक इसके उत्पादन के लिए बिचौलियों और मिल मालिकों के शोषण के कारण हानि उठा रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो पटसन कृषकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी हाँ। राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ई.ए.आर.), नई दिल्ली ने पटसन रैटिंग प्रक्रियाओं के उसकी गुणवत्ता और मूल्य पर आर्थिक प्रभाव शीर्षक से अप्रैल, 1994 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि पटसन पूर्वी क्षेत्र में रह रहे लगभग 4 मिलियन कृषक परिवारों को जीविका प्रदान करता है। उनका अध्ययन क्षेत्रीय सर्वेक्षण और क्षेत्रीय एककों से आँकड़ों के संग्रहण के आधार पर था।

(ग) और (घ) जी हाँ। तथापि पटसन उपजकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय पटसन निगम (जी.सी.आई.) राज्य की सहकारी समितियों की सहायता से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) अभियान चला रहा है। जे.सी.आई. द्वारा एम.एस.पी. अभियान चलाने के लिए पटसन उपजाने वाले क्षेत्रों में अधिकाधिक राज्य स्तरीय सहकारी समितियों का सहयोग लेने के प्रयास किए जाते हैं।

एम.आर.वी.सी. को विश्व बैंक का ऋण

2886. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.आर.वी.सी. से संबंधित विश्व बैंक ऋण हेतु अंतिम रूप दिए जाने वाली मदसूची, इनके विस्तृत विनिर्देश और खरीद अनुसूची को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई वार्ता की गई और इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के दल ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में अनापत्ति प्राप्त करने के लिए एम.आर.वी.सी. का दौरा किया था;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या वित्त मंत्रालय और उनके मंत्रालय के बीच के मतभेदों को दूर कर लिया गया है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) विश्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार और भारतीय रेलवे की आवश्यकता के आधार पर इस समय केवल विश्व बैंक ऋण द्वारा वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित चलस्टाक और उपस्करों की खरीद के लिए विस्तृत विशिष्टियों और बोली प्रलेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच विश्व बैंक ऋण की ऋण व्यवस्था पर फिलहाल विचार-विमर्श चल रहा है।

भारतीय मछुआरों की दुर्दशा

2887. श्री पी.डी. एलानगोवन :
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मछुआरों को सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भारी संख्या में भारतीय मछुआरे गहरे समुद्र में पड़ौसी देशों विशेषकर श्रीलंका और पाकिस्तान के गश्ती अधिकारियों द्वारा पकड़ लिए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान श्रीलंका और पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा कितने भारतीय मछुआरे अलग-अलग मारे गए तथा गिरफ्तार किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्ति रिहा किए गए हैं तथा कितने व्यक्ति अभी भी श्रीलंका और पाकिस्तान के कारागारों में बंद पड़े हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इनकी रिहाई हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) नौसेना और तटरक्षक भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र रेखा के साथ-साथ नियमित रूप से निगरानी रखते हैं। खतरे में पड़े देखे गए भारतीय मछुआरों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के आधार पर ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) भारत सरकार, भारतीय मछुआरों को निर्मुक्त करवाने और उनके प्रत्यावर्तन हेतु श्रीलंका और पाकिस्तान की सरकारों के साथ राजनयिक माध्यमों से नियमित रूप से संपर्क रखती है।

विवरण

(1) पाकिस्तान और श्रीलंका के प्राधिकारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में गिरफ्तार किए गए भारतीय मछुआरों का ब्यौरा :–

	1998	1999	2000
पाकिस्तान	187	159	44*
श्रीलंका	55	26	25

* इनमें से पाकिस्तान सरकार ने केवल 29 व्यक्तियों के निरुद्ध होने की अभिपुष्टि की है।

(2) ऐसे भारतीय मछुआरों का ब्यौरा जो पिछले तीन वर्षों के दौरान कथित गोलीबारी में मारे गए :–

	1988	1999	2000
श्रीलंका	07	02	05

पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा किसी भारतीय मछुआरे को मारे जाने का पता नहीं चला है।

(3) पाकिस्तानी और श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त किए गए भारतीय मछुआरों का ब्यौरा :–

	1998	1999	2000
पाकिस्तान	195	122	22
श्रीलंका	55	26	25**

** बंदी-स्थिति के दौरान एक मछुआरा मर गया।

रिकार्ड के अनुसार, इस समय 130 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत में हैं। इनमें से 15 की बंदी-स्थिति की पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा अभी आगे पुष्टि की जानी है। इस समय श्रीलंकाई सरकार की हिरासत में कोई मछुआरा नहीं है।

स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों को नाफ्था का आबंटन

2888. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक के स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों (आई.पी.पी.) को 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आबंटित नाफ्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक से स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों को पर्याप्त मात्रा में नाफ्था आबंटित करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 1.4.99 से 31.3.2001 की अवधि के दौरान कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.) को नैफ्था का आबंटन प्रदान किया गया था :–

क्र.सं.	परियोजना का नाम/परियोजना विकासक	क्षमता (मे.वा.)	नेफ्था आबंटन की तिथि
आंध्र प्रदेश			
1.	जेगरूपाडु सी.सी.जी.टी. चरण-2, जी.वी.के. इंडस्ट्रीज	360	6.8.1999
2.	गोदावरी सी.सी.जी.टी., मै. स्पैक्ट्रम	208	28.4.1999 (बढ़ाया गया आबंटन)
गुजरात			
3.	पिपावाव सी.सी.पी.पी., कृभको	615	15.7.1999
4.	मीटा, पैरेंशल हैल्थकेयर (कैप्टिव संयंत्र) चरण-2	84.2	22.6.2000
5.	इंडियन पेट्रोकेमिकल कार्पोरेशन लि. (आई.पी.सी.एल.) चरण-2	80	5.12.2000
तमिलनाडु			
6.	त्रिची पावर लिमिटेड (थुवाकुडी)	102.66	18.8.1999
पश्चिम बंगाल			
7.	कैप्टिव/सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र, मै. हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स	75	1.2.2000
राजस्थान			
8.	इडो कैल. पावर वेंचर (प्रा.) लि.	166	22.6.2000 (बढ़ाया गया आबंटन)
9.	चंबल पावर लि.	166	7.7.2000 (बढ़ाया गया आबंटन)
10.	पीगज इंटरनेशनल	166	22.6.2000 (बढ़ाया गया आबंटन)

(ख) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेफ्था की उच्च लागत होने के कारण इसे अधिक समय तक विद्युत उत्पादन हेतु व्यवहार्य ईंधन नहीं समझा जा सकता और ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर राज्य नेफ्था आधारित परियोजनाओं पर अधिक समय तक कार्रवाई करने में अभिरुचि नहीं रखते हैं। स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का नेफ्था का कोई अतिरिक्त आबंटन किए जाने से संबंधित कर्नाटक सरकार का कोई अनुरोध हाल ही में प्राप्त नहीं हुआ है।

आई.एस.आई. की गतिविधियाँ

2889. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारगिल सेक्टर में आई.एस.आई. की गतिविधियों में कथित रूप से वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या कथित रूप से यह भी कहा जा रहा है कि कारगिल संघर्ष के बाद भी आई.एस.आई. की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है;

(ग) क्या सरकार को आई.एस.आई. की नेपाल में गतिविधियों की जानकारी है;

(घ) क्या आई.एस.आई. एजेंटों ने भारतीय रक्षा व्यवस्था में घुसपैठ कर ली है; और

(ङ) यदि हाँ, तो देश में तथा अन्यत्र आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने हेतु तैयार की गई ठोस कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) ऐसी कोई ठोस सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे कारगिल सेक्टर में आई.एस.आई. की गतिविधियों के बढ़ने का संकेत मिल सके। किंतु इस क्षेत्र में आई.एस.आई. के कतिपय प्रत्यक्ष कार्यकर्त्ताओं और समर्थकों की गतिविधियों की सूचना है।

रक्षा संगठन में आई.एस.आई. एजेंटों द्वारा घुसपैठ किए जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है। सरकार को सीमा पार से आई.एस.आई. के एजेंटों द्वारा कतिपय भारत विरोधी गतिविधियाँ चलाए जाने की जानकारी है। ऐसे संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने और उन पर नियंत्रण के लिए समुचित कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में वस्त्र उद्योग

2890. श्री रामदास आठवले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र का देश में कौन-सा स्थान है;

(ख) वर्तमान में महाराष्ट्र में हथकरघा, विद्युतकरघा सिंथेटिक यार्न, सिले-सिलाए वस्त्र और हौजरी के उत्पादन में स्थान-वार कितनी इकाइयां लगी हुई हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक सरकार ने महाराष्ट्र में वस्त्र उद्योग के विकास हेतु वर्षवार कुल कितनी धनराशि खर्च की; और

(घ) इन इकाइयों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) महाराष्ट्र का देश में वस्त्र उद्योग में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.30.2000 तक की स्थिति अनुसार महाराष्ट्र में 36,104 करघे थे। कताई मिलों की संख्या 128 थी और 77 मिश्रित मिलें थीं। उक्त तारीख को तकुओं की संख्या 5143 थी।

वर्ष 1987-88 की हथकरघा गणना के अनुसार महाराष्ट्र में हथकरघों की संख्या 68,000 थी और वर्ष 1999-2000 में पंजीकृत विद्युत करघों की संख्या 692603 है। सिले सिलाये परिधान एककों और हौजरी एककों की संख्या से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र में समस्त यार्न के उत्पादन के आँकड़े 362529 हजार किलोग्राम थे।

(ग) वस्त्र एककों के मुख्यतः निजी क्षेत्र में होने के कारण सरकार उन्हें सीधे सहायता नहीं देती है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित राशि जारी की गई है।

(लाख रुपए में)

1997-98	1998-99	1999-2000
265.41	303.92	91.77

(घ) महाराष्ट्र सहित देश में वस्त्रों और क्लोदिंग के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई मुख्य पहलों में से कुछ निम्नलिखित हैं :–

- सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में सिले सिलाये परिधान के वूवन भाग को अनारक्षित कर दिया है।
- सरकार ने घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक वस्त्र मदों के आयात पर जो भी अधिक हो उसके आधार पर सवमूल्य और विशिष्ट शुल्क का मिश्रिण लागू किया है।
- अनुचित व्यापार प्रक्रिया का पता लगाने की स्थिति में यदि आवश्यक होता है तो डब्ल्यू.टी.ओ. के पाटन रोधी, प्रतिकारी उपायों आदि के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।
- आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना प्रभावी बनाई गई है ताकि उद्योग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक प्रतियोगी बन सकें।
- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), उसकी 6 शाखाएँ और अपैरल प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र (ए.टी.डी.सी.) डिजाइन, व्यापारीकरण और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कौशल मानव शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।
- बुनकर सेवा केंद्रों और विद्युत करघा सेवा केंद्रों कंप्यूटर सहायित डिजाइन सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि डिजाइन, रंग मिलान में सुधार लाया जा सके और उत्पाद विकास किया जा सके।
- वस्त्र उद्योग के सुव्यवस्थित और निरंतर विकास व उन्नति को सुव्यवस्थित ढंग से नीतिगत दिशा निर्देश देने और वस्त्र निर्यात को थ्रस्ट देने के लिए हाल ही में नई वस्त्र नीति की घोषणा की गई है।

[अनुवाद]

रूस से उन्नत मिग विमानों की आपूर्ति

2891. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत को मध्य जनवरी, 2001 तक दो उन्नत मिग-21 विमानों की आपूर्ति करने का निर्णय किया था लेकिन इस युद्धक विमान को वहाँ अभी तक आधुनिकीकृत किया ही जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय वायुसेना के शेष 123 मिग विमानों को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र में रूसी प्रौद्योगिकी सहायता से आधुनिकीकृत किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो रूस द्वारा सभी उन्नत मिग विमानों की भारत को कब तक आपूर्ति कर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) दो उन्नत मिग-21 बिस विमान भारत में पहले ही दिसंबर, 2000 में प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) और (घ) शेष 123 मिग-21 बिस विमानों का रूसी विशेषज्ञों की कुछ तकनीकी सहायता से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक में उन्नयन किया जाना है। इन विमानों के उन्नयन का कार्य वित्त वर्ष 2004-05 में पूरा हो जाने की आशा है।

चुनाव सुधार

2892. श्री अनंत गुढे : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चुनाव संबंधी विवादास्पद मुद्दों पर राजनीतिक दलों के परामर्श से नई पहल की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो बैठकों में चर्चा की गई कार्यसूची का ब्यौरा क्या है और क्या-क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) चुनाव सुधारों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) सरकार, निर्वाचन विधियों में सुधार लाने के लिए तरीकों और उपायों की निरंतर खोज कर रही है। इस संबंध में, यह कहा जा सकता है कि सरकार के समक्ष, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, भारत-निर्वाचन आयोग, भारत-विधि आयोग आदि जैसे निकायों/व्यष्टियों द्वारा की गई सिफारिशें हैं और उनकी सिफारिशों पर आधारित विभिन्न प्रस्तावों पर समुचित समय पर राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करना और ठोस कार्रवाई करना अपेक्षित है। इस संबंध में, सरकार ने, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चालू दस वर्षीय जनगणना के आँकड़ों

के प्रकाशन के साथ इस संबंध में लगी विद्यमान सांविधानिक रोक समाप्त होने जा रही है, निर्वाचन-क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन के विषय पर और अन्य संबद्ध मुद्दों पर तारीख 13.5.2000 को राजनैतिक दलों के साथ बैठक भी की थी। उस बैठक में राजनीतिक दलों के बीच हुई आम सहमति के आधार पर, सरकार ने, निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन करने और साथ ही राज्यों के वैधानिक निकायों को आबंटित स्थानों की संख्या में परिवर्तन न करते हुए, निर्वाचन क्षेत्रों का, जिनमें वर्ष 1991 में की गई जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, सुव्यवस्थीकरण करने पर लगी संविधानिक रोक का वर्ष 2026 तक विस्तार करने के लिए तारीख 27.11.2000 को लोक सभा में संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) विधेयक, 2000 पुरःस्थापित किया है। निवाचन विधियों में सुधार एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये सुधार केवल राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से ही किए जा सकते हैं और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। अतः इसके लिए किसी समय-सीमा का सुझाव नहीं दिया जा सकता। तथापि, सरकार का यह आशय है कि निर्वाचन सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों से बातचीत जारी रखी जाए।

मामलों को बंद किया जाना

2893. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री 17 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3782 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) इस समय जानकारी शून्य है और उसे एकत्रित करने के लिए और उपाय किए जा रहे हैं। जानकारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जानी है, अतः इसमें कुछ और समय लग सकता है।

चंडीगढ़ में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस आपूर्ति

2894. श्री पवन कुमार बंसल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को रसोई गैस की सीधी आपूर्ति करने हेतु पाइपलाइन बिछाने के लिए कोई कदम उठाए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है और विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों की चंडीगढ़ के लिए एल.पी.जी. के परिवहन हेतु पाइपलाइन बिछाने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

पंजाब के साथ आरंभ की गई जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा

2895. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के साथ आरंभ की गई जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने राजस्थान को उसके हिस्से के अनुपात में विद्युत आबंटन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केंद्र सरकार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं केंद्र सरकार के बीच हरियाणा एवं राजस्थान के आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियाँ हाइडल प्रोजेक्ट, थीन डैम प्रोजेक्ट, यू.बी.डी.सी. चरण-2 एवं शाहपुर कंडी हाइडल स्कीम द्वारा उत्पादित विद्युत में अपने हिस्से के दावों के संबंध में 10.5.84 को हस्ताक्षरित समझौते में निर्दिष्ट अंतःराज्यीय पहलुओं के संबंध में संबंधित राज्यों के मामले का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

तदनुसार, विद्युत मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों से उत्तरी क्षेत्र परिसर द्वारा श्रीनगर में 1997 से तथा सूरजकुंड (हरियाणा) में फरवरी, 1999 में आयोजित बैठकों में अंगीकृत संकल्प के अनुसार मुख्य मंत्रियों का एक पृथक् सम्मेलन आयोजित करने हेतु एक तारीख तय करने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

कार्गो परिचालन

2896. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सोर क्रेन' में तकनीकी खराबी के कारण कार्गो परिचालन में विलंब होता है जिससे पारादीप पर पोत खड़े रहते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन तकनीकी खराबियों के परिणामस्वरूप हुए भारी नुकसान के कारण का अध्ययन कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या 'सोर क्रेन' की खराबी की कोई जाँच कराई गई है जिससे कि पोत गतिविधियों को सुचारू बनाया जा सके;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान 'सोर क्रेनों' की मरम्मत पर कितना व्यय हुआ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पिछले दो वर्षों के दौरान तटीय क्रेनों की मरम्मत पर किया गया व्यय इस प्रकार है :–

1998-99	21,74,460/- रु.
1999-2000	3,11,389/- रु.

नाप्था की माँग

2897. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत संयंत्रों के लिए नाप्था की माँग बढ़ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चुनाव में वोट बैंक राजनीति

2898. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निष्पक्ष चुनावों तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर विभिन्न कारकों यथा जाति-आधारित वोट बैंक के प्रभाव की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ऐसे संकुचित प्रभावों से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) सही सोच वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान पैटर्न पर जाति-पाति के प्रभाव और संसद या राज्य विधान-मंडलों के सदनों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के प्रति चिंतित होगा। तथापि, बहुत कुछ राजनैतिक दलों द्वारा स्वयं खड़े किए गए अभ्यर्थियों पर निर्भर होगा। यदि प्रत्येक राजनीतिक दल, ऐसे कारकों पर विचार किए बिना, निर्वाचनों के लिए अपने अभ्यर्थियों का विनिश्चय करे तो जाति-पाति की भूमिका नगण्य हो सकती है। तथापि, यह एक ऐसा मामला है जिसे किसी विधि द्वारा या सरकारी हस्तक्षेप के बजाय राजनीतिक दलों द्वारा सर्वोत्तम रूप से विनियमित किया जा सकता है।

जहाँ तक विधि के उपबंधों का संबंध है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 किसी व्यक्ति को संसद या राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषदों के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित करती है, यदि अन्य बातों के साथ उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 153क, जो मूल वंश जैसे आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द्र बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले कार्य के लिए दंडित करती हैं, के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो।

पेट्रोल पंपों की सार्वजनिक नीलामी

2899. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने पिछले समय में पेट्रोल पंप एल.पी.जी. एजेंसियाँ तथा अन्य पेट्रोलियम विक्रय केंद्रों का आबंटन केवल सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से करने के निर्देश दिए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोल पंप तथा एल.पी.जी. की एजेंसियाँ अभी तक चयन बोर्डों द्वारा आबंटित की जाती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने केवल सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिपों (पेट्रोल पंपों), एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस.के.ओ.एल.डी.ओ.–डीलरशिपों के आबंटन के लिए कोई निर्देश नहीं दिए हैं। तथापि विवेकाधीन आबंटनों को चुनौती देने वाली एक पंजीकृत समिति कामन काज द्वारा दायर रिट याचिका मामला (सी) सं. 26/95 का निपटारा करते हुए अपने दिनांक 25.9.96 के आदेश द्वारा इन संबंधित खुदरा बिक्री केंद्रों में से कुछ के आबंटन रद्द कर दिए थे और निर्देश दिया था कि चालू किए गए प्रत्येक खुदरा बिक्री केंद्र का निपटान सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाएगा।

मौजूदा नीति के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के लिए सरकार ने पूरे देश में 59 नए डीलर चयन बोर्डों का गठन किया है।

विदेशों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की तैनाती

2900. श्री रामजी लाल सुमन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ/इससे संबद्ध संगठनों के तहत विदेशों में होने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से संबंधित लोगों की नियुक्ति के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार रेल मंत्रालय और संबंधित संगठनों के कितने व्यक्तियों के संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे संबंधित संगठनों/अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विभिन्न श्रेणियों में प्रतिनियुक्त किया गया;

(घ) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे; और

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और संसद सदस्यों की उपर्युक्त माँग पर कोई संतोषजनक कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तीनों, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, प्रवर ग्रेड और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में एक-एक।

(घ) कुछ नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा उपकरणों का भंडारण

2901. श्री रामजी मांझी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना के सुरक्षा उपकरणों के भंडारण के संबंध में निर्माण कार्य सेवा की अनुमति मिलने में सात वर्ष लगे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मामले की जाँच की गई है और इस प्रकार के विलंबों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) मार्च, 1987 में, वायुसेना स्टेशन अवन्तीपुर में 'सुरक्षा उपस्कर भंडार' का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव था। किंतु अन्य संक्रियात्मक प्राथमिकताओं के कारण, यह प्रस्ताव लंबित रखा गया था और इसे नवंबर, 1998 में मंजूरी दी गई थी। यह कार्य सितंबर, 2001 तक पूरा किए जाने की योजना है।

(ख) और (ग) चूँकि अन्य महत्त्वपूर्ण संक्रियात्मक कार्यों की उच्चतर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को लंबित रखा गया था, इसलिए किसी भी अनुदेश का उल्लंघन नहीं हुआ था। इस प्रकार, इस मामले में किसी प्रकार की जांच किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

प्रयुक्त विमानों का अधिग्रहण

2902. श्री रघुनाथ झा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 के दौरान वायुसेना को विनिर्माताओं से एस.यू.-30 के. विमान और संबंधित उपकरण लेने थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वायुसेना को पुराने, प्रयुक्त और बेकार वस्तुओं की डिलीवरी मिल गई है जिससे समझौतों की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या विनिर्माता से पेशगी किए गए भुगतान को लौटाने अथवा आपूर्ति की गई वस्तुओं को बदलने हेतु अनुरोध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) वायुसेना ने वर्ष 1997 के दौरान संबद्ध उपस्करों सहित 8 एस.यू.-30 के.; वायुयानों की सुपुर्दगी प्राप्त की थी। विनिर्माताओं द्वारा आपूरित सारे उपस्करों में से, केवल दो एयर फील्ड एयर कंडीसनर वाहनों को पुराना और संक्षारित पाया गया था।

(ग) और (घ) इन मदों को बदलवाने के लिए इनका भुगतान रोक दिया गया है।

एस.यू.-30 के. हेतु खरीद आदेश

2903. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.यू.-30 के. विमान की इलेक्ट्रानिक युद्ध प्रणाली भारतीय पर्यावरण के लिए उपयुक्त नहीं है और रेडार का कार्यनिष्पादन अपेक्षा से कम है और फिर भी वायुसेना ने एस.यू.-30 के., विमान की खरीद हेतु आदेश दे दिए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे विमान खरीदने के पीछे क्या तर्क है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ख) इलेक्ट्रानिक युद्ध प्रणालियों तथा एस.यू.-30 के. वायुयान के रेडार का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है। एस.यू-30 के. को एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में शामिल किया गया था तथा इसके स्तरोन्नयित रूपांतरण एस.यू.-30 एम.के.आई. वायुयान को उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक युद्ध प्रणालियों तथा रेडार से संरूपित किया जाएगा। 18 एस.यू.-30 के. जिन्हें शामिल कर लिया गया है, का भी स्तरोन्नयन करके अंततः उन्हें एम.के.-आई मानक में रूपांतरित किया जाएगा।

यात्री निगरानी प्रकोष्ठ

2904. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल और क्षेत्रीय मुख्यालयों पर यात्री सुविधा हेतु विशेष निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ। विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों और मंडल कार्यालयों में निगरानी कक्ष स्थापित किए गए हैं जिसमें वाणिज्यिक कर्मचारी कार्यरत हैं और फोन, फैक्स आदि जैसी सुविधाएँ मुहैया कराई गई हैं। ये कक्ष दिन-प्रतिदिन के आधार पर यात्री सुविधाओं, जन शिकायतों और विभिन्न यात्री सेवाओं के कार्यकलापों की निगरानी करते हैं और उनके निवारण की कार्रवाई करते हैं।

पुराने मिराज विमानों की खरीद

2905. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांस से 10 पुराने मिराज 2000-एच विमान खरीदे जबकि जोर्डन ने ऐसे नए मिराज खरीदे;

(ख) सरकार द्वारा नए विमान के मूल्य पर विमान के 20 वर्ष पुराने माडल का सौदा किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या फ्रांस की सरकार ने विमान के उन्नत माडल हेतु भारत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सरकार ने 10 मिराज-2000 एच./टी.एच. विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ सितंबर, 2000 में एक संविदा की है। ये विमान पुराने विमान नहीं हैं बल्कि नए मिराज 2000 एच./टी.एच. विमान हैं। विमानों के कुछ संघटक पूर्व में निर्मित किए गए थे किंतु ये नए हैं और इनका कभी भी उपयोग नहीं किया गया है। इस समय इन विमानों का फ्रांस में निर्माण चल रहा है और इनकी सुपुर्दगी आज से ढाई वर्ष पश्चात् आरंभ होगी।

(ग) और (घ) सरकार ने मौजूदा बेड़े के साथ समरूपता बनाए रखने के लिए मिराज-2000 एच./टी.एच. के उन्नत रूपांतरण के लिए फ्रांसीसी सरकार के साथ कोई संपर्क नहीं किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दूरसंचार व्यवसाय

2906. डा. संजय पासवान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीन ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है जो दूरसचार व्यवसाय का विविधीकरण कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निवेश से वे उद्देश्य प्रभावित होंगे जिनके लिए संबंधित उपक्रम की स्थापना की गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो विद्युत शुल्क की दृष्टि से उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या मंत्रालय ने दूरसंचार व्यवसाय में विविधीकरण के लिए मार्गदर्शन के उद्देश्य से किसी विदेशी परामर्शदाता की नियुक्ति की है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पद के लिए निर्धारित योग्यता क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पी.जी.सी.आई.एल.) ने एंड टू एंड वेंडविड्थ पट्टे पर उपलब्ध करवाने के लिए संरचनात्मक सर्वोत्तम रूप से दूरसंचार के क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बनाई है। पी.जी.सी.आई.एल. के स्वामित्व वाली विद्युत पारेषण लाइन संपूर्ण देश में सर्वोत्तम रूप से जुड़ी हुई है जो कि अखिल भारतीय आधार पर आप्टिक फाइबर नेटवर्क बनाने में सक्षम होगी। पावरग्रिड ने आगामी 2-3 वर्षों में लगभग 14,000 कि.मी. के टेलीकॉम बैकबोन नेटवर्क विकसित करने की योजना बनाई है जिसके माध्यम से देश के सभी मेट्रो एवं मुख्य शहरों एवं नगरों को जोड़ा जाएगा।

(ग) और (घ) पी.जी.सी.आई.एल. ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने दूरसंचार व्यापार को एक मुख्य ध्येय माना हैं पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा टेलीकॉम व्यापार द्वारा उत्पादित अतिरिक्त स्रोतों का माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाने वाली विद्युत तुलनात्मक रूप से कम लागत पर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है।

(ङ) और (च) इन जटिलताओं को देखते हुए पी.जी.सी.आई.एल. ने मैसर्स आई.वी.ओ. पावर इंजीनियरिंग, फिनलैंड को अपने विविधिकरण योजना में परामर्श हेतु परामर्शदाता नियुक्त किया है।

(छ) परामर्शदाता की पूर्व योग्यताएँ, निर्धारित आवश्यकताएँ संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

पावरग्रिड को इसकी विविधतापूर्ण योजना में परामर्श देने के लिए परामर्शदाता की पूर्व योग्यता के लिए निर्धारित अपेक्षाएँ

1. परामर्शदाता को निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वयं का अनुभव है। उसने वाणिज्यिक आधार पर दूरसंचार उद्देश्य के लिए कम से कम एक विद्युत यूटिलिटी को दूरसंचार व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए और ओवर हैड ई.एच.वी. विद्युत पारेषण लाइनें (नीचे पैरा-2 में परिभाषित मानदंडों सहित) उपयोग में लाते हुए लंबी दूरी के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना की सलाह दी हो :–

(क) वाणिज्यिक व्यवहार्यता विश्लेषण तथा बाजार निर्धारण, टैरिफ प्रतिपादन तथा विपणन रणनीति सहित विनियामक, संविदात्मक तथा वाणिज्यिक पहलू।

(ख) व्यवसाय विकल्पों का मूल्यांकन तथा व्यवसाय योजनाओं और संगठनों की तैयारी।

(ग) योजना, डिजाइन, इंजीनियरिंग विनिर्देशों की तैयारी तथा कार्यान्वयन की देखभाल सहित प्रौद्योगिकी निर्धारण।

2. स्थापित किया गया ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क प्रस्ताव भेजने के समय कम से कम 19 वर्ष से सफलतापूर्वक संचालित हो और उसमें निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता हो :–

(क) ई.एच.वी. विद्युत लाइनों पर ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क की न्यूनतम रूट की लंबाई	500 कि.मी.
(ख) प्रौद्योगिकी	स्वतः ठीक होने की विशेषता सहित सिंक्रोनस डिजिटल हाइआर्ची
(ग) सर्विसेज सपोर्टेड	वॉइस/डाटा/वीडिया

दिल्ली में मिग विमान दुर्घटना

2907. श्री रघुनाथ झा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में दिल्ली में एक मिग विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु होने और दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय वायुसेना के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों की जाँच कराई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या दिल्ली पुलिस ने भारतीय वायुसेना के खिलाफ कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या दिल्ली पुलिस को ऐसी दुर्घटनाओं के संबंध में आपराधिक मामले दर्ज करने का अधिकार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) एक मिग-21 विमान 5 अगस्त, 2000 को पालम हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें उसका पायलट घातक रूप से जख्मी हुआ था। उक्त दुर्घटना की जांच करने के लिए एक जांच अदालत बिठाई गई है। यह पता चला है कि यह विमान दुर्घटना पक्षी टकराने से हुई थी। पक्षी टकराने से होने वाली विमान दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हवाई क्षेत्र के स्तर पर सुनियोजित निकारक उपाय कार्यान्वित करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। जहाँ तक हवाई क्षेत्र से बाहर क्षेत्र का संबंध है बड़ी संख्या में पक्षियों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए 10 कि.मी. की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लापरवाही के कारण मृत्यु के लिए भा. दंड संहिता की धारा 30ए के तहत 5 अगस्त, 2000 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सिविल पुलिस को ऐसी घटनाओं के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार है। इस संबंध में जाँच कार्य जारी है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों द्वारा एल.पी.जी. पर सब्सिडी नीति का विरोध

2908. श्री अनंत गुदे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों ने एल.पी.जी. पर लगातार अत्यधिक सब्सिडी दिए जाने की नीति का विरोध किया है और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान व्यापारिक अवसरों की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार को प्राप्त हुए ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में लिए गए/प्रस्तावित अंतिम निर्णय और मामले की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) भारतीय एल.पी.जी. उद्योग संघ ने निम्नलिखित अनुरोध करते हुए सरकार को अभ्यावेदन किया है :

1. निजी एल.पी.जी. विपणनकर्त्ताओं को भी राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री करने की अनुमति दी जाए;

2. नियंत्रणमुक्ति के अंतिम वर्ष में एल.पी.जी. पर 15 प्रतिशत राजसहायता उत्पादन शुल्क में कटौती के रूप में आम बजट में समाहित कर दी जाए।

(ग) और (घ) प्रशासित मूल्यनिर्धारण पद्धति की चरणबद्ध समाप्ति के ब्यौरे के संबंध में नवंबर, 1997 के सरकारी संकल्प के अनुसार घरेलू एल.पी.जी. के लिए राजसहायता आयात समता मूल्य के 15 प्रतिशत की सीमा तक प्रदान की जाएगी और राजसहायता राजकोषीय बजट से पूरी की जाएगी। निजी पक्षकारों को राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री करने की अनुमति देने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

चुनाव-ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार

2909. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग को चुनाव-ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चुनाव आयोग का यह अधिकार कब से प्रभावी होगा; और

(घ) चुनाव आयोग को ऐसा अधिकार प्रदान किए जाने के पश्चात् चुनाव कितन स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकेंगे?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) निर्वाचन आयोग का यह दृष्टिकोण रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन तंत्र, आयोग के नियंत्रणाधीन अवश्य होना चाहिए और किन्हीं कार्यों के लोप या उन्हें करने के लिए आयोग के प्रति उत्तरदायी अवश्य होना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 आदि के उपबंधों के अधीन निर्वाचन आयोग की अनुशासनिक अधिकारिता का विस्तार रिट याचिका (सिविल) सं. 606/1993-भारत निर्वाचन आयोग बनाम भारत संघ और अन्य में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन था। भारत निर्वाचन आयोग और सरकार ने विवाद्यक के संबंध में व्यवस्थापन के निबंधनों वाला एक संयुक्त आवेदन उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल किया है। व्यवस्थापन के निबंधनानुसार माननीय न्यायालय द्वारा उसके तारीख 21.9.2000 के आदेश के अधीन मामले का निपटारा किया गया था। व्यवस्थापन के निबंधनों वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। व्यवस्थापन के निबंधनों को, सरकार द्वारा 7.11.2000 और 8.11.2000 को सूचना और अनुपालन के लिए संघ सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के समस्त संबद्ध प्राधिकारियों को परिचालित कर दिया गया है।

विवरण

निर्वाचन कर्त्तव्यों के लिए तैनात किए गए सरकारी सेवकों पर निर्वाचन आयोग को आनुशासनिक अधिकारिता प्रदान करने के मुद्दे पर भारत संघ और भारत निर्वाचन आयोग के बीच हुए व्यवस्थापन के निबंधन :

"निर्वाचन कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए तैनात किए गए आफिसरों, कर्मचारिवृंद तथा पुलिस पर निर्वाचन आयोग के आनुशासनिक कृत्यों को निम्नलिखित पर विस्तारित किया जाएगा–

(क) कर्त्तव्यों की अवज्ञा या लापरवाही के लिए किसी आफिसर/पदाधिकारी/पुलिस कार्मिक को निलंबित करना;

(ख) किसी आफिसर/पदाधिकारी/पुलिस कार्मिक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को रखना और ऐसे व्यक्ति को जिसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति रखा गया है, उसके आचरण पर समुचित रिपोर्ट सहित उस कैडर में वापस भेजना, जिससे वह संबंधित है;

(ग) निर्वाचन कर्त्तव्य पर रहने के दौरान किसी कार्य की अवज्ञा करने या कर्त्तव्य में लापरवाही के लिए आनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करना। ऐसी सिफारिश पर आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और की गई कार्रवाई को निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश करने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर, निर्वाचन आयोग को संसूचित किया जाएगा।

(घ) भारत सरकार, राज्य सरकारों को यह सलाह देगी कि वे भी उपर्युक्त सिद्धांतों और विनिश्चयों का अनुपालन करें क्योंकि भारी संख्या में निर्वाचन पदधारी उनके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।"

[अनुवाद]

रेल अधिकारियों द्वारा 'पैलेस ऑन व्हील्स' रेलगाड़ी में यात्रा

2910. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाँधी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी तथा इसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को, उनके विशेष पासों पर 'पैलेस ऑन व्हील्स' रेलगाड़ी में यात्रा करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्तर-वार कितने अधिकारियों ने इस रेलगाड़ी में यात्रा की है तथा इस विषय में कौन-कौन-सी औपचारिकताएँ पूरी की जानी होती हैं;

(घ) क्या अधिकारियों के साथ भेदभाव को दूर करने के लिए, सरकार का 'क' और 'ख' श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को भी ऐसी यात्रा की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सितंबर, 2000 से शुरू चालू मानार्थ आधार पर अब तक पयंल वर्ष/10 अधिकारियों जिनमें वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के छह और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के ऊपर के चार अधिकारी शामिल थे, को 'पैलेस ऑन व्हील्स' में यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। अनुमोदन के पश्चात् राजस्थान पर्यटन विकास निगम को मानार्थ टिकट जारी करने के लिए कहा गया था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

महत्वपूर्ण रक्षा फाइलों का गुम होना

2911. श्री टी. गोविन्दन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा मंत्रालय की महत्त्वपूर्ण फाइलों के गुम होने से संबंधित कोई रिकार्ड रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुम हुई ऐसी फाइलों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी फाइलों को ढूँढ़ लिया गया; और

(घ) इसके उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी फाइल के गुम होने की कोई सूचना नहीं थी। तथापि, चालू वर्ष के दौरान, उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार रक्षा खरीद सौदों से संबंधित चार फाइलें और हथियारों और हथियार प्रणालियों की खरीद में बिचौलियों/एजेंटों/बिचौलिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक फाइल के गुम होने की सूचना थी। तथापि, ये सारी फाइलें बाद में पुनः प्राप्त कर ली गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नाफ्था का मूल्यन-अभितंत्र

2912. श्री ए. नरेंद्र :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से नाफ्था के मूल्यन-अभितंत्र को एक नवीन स्वरूप प्रदान करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और आयात सममूल्यता के आधार पर कीमतें तय करने का संदर्भ लिये बगैर, नाफ्था की कीमतें तय करने के लिए किस प्रकार का वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया गया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नाफ्था की प्रति मीट्रिक टन कीमतें, वर्षवार, कितनी रहीं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में नाफ्था का आयात किया गया और इसका मूल्य कितना था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हाँ। यह सुझाव दिया गया है कि नाफ्था से संबंधित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को एक नया स्वरूप दिया जाए तथा आयात समता मूल्य निर्धारण का संदर्भ लिए बिना नाफ्था का मूल्य तय करने के लिए एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए।

(ग) चूँकि घरेलू रिफाइनरियाँ अपने कच्चे माल कच्चे तेल के लिए शुल्क समायोजित आयात मूल्य का भुगतान करती हैं, इसलिए तेल कंपनियाँ नाफ्था का मूल्यनिर्धारण आयात समता के सिद्धांत पर कर रही हैं। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू नाफ्था के मूल्य को राज्य करों तथा स्थानीय उद्ग्रहणों के पूर्व आयातित नाफ्था के मूल्य के बराबर करने की सलाह दी है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान नाफ्था के भंडार बिंदुगत मूल्य नीचे दिए गए हैं :–

अवधि	मूल्य सीमा	(रु./प्रति एम.टी.)
1998-99	6,250	– 7,475
1999-2000	7,100	– 12,940
अप्रैल, 2000-फरवरी, 2001	10,860	– 15,960

(ङ) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन के द्वारा आयातित नाफ्था की मात्रा एवं औसत मूल्य निम्नवत है :–

अवधि	मात्रा (एम.एम.टी.)*	औसत मूल्य (अमरीकी डालर प्रति एम.टी.)
1998-99	0.168	133.17
1999-2000	0.241	238.64
अप्रैल, 2000-जनवरी, 2001	0.287	279.37

* मिलियन मीट्रिक टन

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2913. डा. जसवन्तसिंह यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कितना धन जुटाए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) (क) जी नहीं, दिल्ली व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली (जिसे साधारणतया दिल्ली मैट्रो के नाम से जाना जाता है) दिल्ली और मैट्रो रेल निगम लि. शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाली एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी द्वारा निष्पादित की जा रही है. दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण में रेल मंत्रालय शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बन्दरगाहों से वस्तुओं का निर्यात/आयात

2914. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की बहुत लम्बी तटरेखा है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बन्दरगाह से किए गए आयात और निर्यात का राज्य-वार, मूल्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बन्दरगाह पर कितने प्रतिशत आयात/निर्यात किया गया;

(घ) क्या भारतीय बन्दरगाहों पर एशियाई क्षेत्र के अन्य बन्दरगाहों की तुलना में कम प्रतिशत आयात और निर्यात होता है;

(ङ) यदि हाँ, तो भविष्य में इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या विदेशों से/विदेशों को होने वाले वस्तुओं के आयात और निर्यात में विलम्ब होता है; और

(छ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कॉंडला पत्तन न्यास से वस्तुओं के समय पर निर्यात/आयात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत की मुख्य तटीय रेखा 5660 कि.मी. लम्बी है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तथा संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी से गुजरती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पत्तन द्वारा हैण्डल किए गए आयात और निर्यात के अविस्थितिवार, राज्यवार, मूल्यवार विवरण इस प्रकार हैं :–

राज्य/महापत्तन	मूल्यवार आयात और निर्यात*		
	1997-98	1998-99	1999-2000
		(करोड़ रु.)	
पश्चिम बंगाल			
कलकत्ता	9194.05	10967.01	11065.62
हल्दिया	1883.84	3083.12	3778.73
उड़ीसा			
पारादीप	1885.44	1939.21	2011.53
आन्ध्र प्रदेश			
विशाखापत्तनम	6660.29	5900.28	5800.94
तमिलनाडु			
चेन्नई	22367.70	24667.02	24502.07
तूतीकोरिन	6352.89	7766.16	10197.16
केरल			
कोचीन	6574.96	8042.32	7558.67
कर्नाटक			
नव मंगलूर	2077.04	2758.75	2941.95
गोवा			
मुरगाँव	1533.27	1715.16	1545.63
महाराष्ट्र			
ज. ला. नेहरू	26982.55	26860.38	40631.94
मुम्बई	49092.97	44402.39	38107.25
गुजरात			
कांडला	10459.11	12863.65	10651.29

*अनन्तिम आँकड़े

(ग) देश में समस्त आयात और निर्यात कार्गो को समुद्री पत्तनों और विमानपत्तनों के जरिए हैण्डल किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान समस्त आयात और निर्यात का लगभग 95% हिस्सा मात्रा के अनुसार समुद्री पत्तनों के जरिए और शेष कार्गो विमान पत्तनों के जरिए हैण्डल किया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में एल.पी.जी. एजेंसियों/पेट्रोल पम्प

2915. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में और पेट्रोल पम्प और एल.पी.जी. बिक्री केन्द्र आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ पहले से गठित रीजनल डीलर्स सेलेक्शन बोर्ड फिर से गठित होने जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा वर्धित मांग को पूरा करने के लिए उड़ीसा के लिए 1999-2000 की विपणन योजनाओं में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए 3 स्थान और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए 19 स्थान सम्मिलित कर लिए गए हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स का आई.ओ.सी. के. साथ समझौता

2916. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जनवरी, 2001 को 'राष्ट्रीय सहारा' में 'इंडियन आयल को सवा करोड़ की चपत लगी' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स द्वारा सरकार को यह घाटा किस तरीके से पहुँचाया गया;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जाँच कराई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या निकला; और

(ङ) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हाँ।

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) द्वारा मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स को बैंक गारंटियों पर 21 दिन के बिक्री मूल्य के बराबर ब्याज रहित ऋण की अनुमति प्रदान की गई थी। अनुमोदित ऋण सीमा से अधिक बकाया राशियों के लिए एयरलाइन्स के साथ हस्ताक्षर किए गए दीर्घावधि ठेके के अनुसार बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज वसूल किया गया। ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स ने भुगतान में व्यतिक्रम किया और उनके द्वारा ब्याज सहित लगभग 2 करोड़ रुपए की बकाया राशि आई.ओ.सी. को दी जानी है।

(ग) से (ङ) आई.ओ.सी. ने बकाया राशि की वसूली के लिए मुम्बई उच्च न्यायालय में 1999 का मुकदमा संख्या 2992 दायर किया। आई.ओ.सी. ने सी.आई.डी. के पास भी एक आपराधिक मामला दर्ज किया जो बाद में सी.बी.आई. को अंतरित कर दिया गया। सी.बी.आई. ने एयरलाइन्स के निदेशकों सहित उसके विभिन्न अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

मुक्ता-पन्ना तेल क्षेत्र का तेल भण्डार

2917. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री 14 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3992 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुक्ता-पन्ना तेल क्षेत्र के तेल भण्डार का मूल अनुमान 31.5 एम.एम.टी. कब और किस एजेन्सी द्वारा किया गया था तथा ओ.एन.जी.सी. ने कब इस तेल क्षेत्र को सौंपे जाने से पहले इसके तेल भण्डार का अनुमान केवल 14 एम.एम.टी. रखा था; और

(ख) इस तेल भण्डार का अनुमान 31.5 एम.एम.टी. से घटकर मात्र 14.5 एम.एम.टी. रह जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1.1.1999 की स्थिति के अनुसार पन्ना और मुक्ता क्षेत्रों के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा तेल और आसुत के अन्तिम भण्डार अनुमान 31.22 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) थे। बोली मूल्यांकन के समय ओ.एन.जी.सी. ने पन्ना-मुक्ता के लिए तेल के भण्डार 14.05 एम.एम.टी. माने थे। भण्डारों में अवरोही संशोधन मुख्यतया त्रिआयामी आँकड़ों के निर्वचन और मुक्ता क्षेत्र में वेधन किए गए 3 अन्वेषक कूपों के परिणाम के कारण थे।

बेनामी डीलरशिप चलाया जाना

2918. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल निगमों को निर्देश दिया था कि वे नीति के अनुसार अपनी डीलरशिप के लिए नया करार करें ताकि बेनामी डीलरशिप से बचा जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो क्या एच.पी.सी.एल. अपने एल.के.ओ. एल.डी.ओ. डीलरों को अपनी डीलरशिप के नए करार की अनुमति नहीं दे रहा है; और

(ग) हाँ, तो ऐसी अनुमति देने में हुई देरी के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने तेल विपणन कम्पनियों को कुछ मानकों की शर्त पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा एस.के.ओ./एल.डी.ओ. डीलरशिपों के पुनर्गठन के लिए शक्तियाँ प्रत्यायोजित की हैं। तथापि, विद्यमान नीति के अनुसार ऐसे सुपात्र मामले, जो इन दिशानिर्देशों के तहत पूरी तरह नहीं आते हैं, निर्णयार्थ तेल कम्पनियों के द्वारा सरकार को भेजे जाते हैं। निर्णय प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर लिया जाता है। सभी तेल विपणन कम्पनियाँ डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुसरण करती हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तेल का पता लगाने के लिए अतिरिक्त संसाधन

2919. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल का पता लगाने के लिए सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का ध्यान बाजार रणनीति बनाने के बजाय अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर केन्द्रित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान नीति क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बड़े तेल उपक्रम तेल का पता लगाने में अपने संसाधनों का योगदान नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस प्रवृत्ति में बदलाव लाने के लिए कदम उठाने का है;

(ङ) क्या सरकार तेल का पता लगाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने में असक्षम है; और

(च) यदि हाँ, तो सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों के व्यय और निवेश पैटर्न की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (च) मुख्य तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात् आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.), इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और गैस अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड (गेल) ऐसी नवरत्न कम्पनियाँ हैं जो अपने दीर्घ और मध्यमकाल की व्यवसाय कार्यनीति के आधार पर निवेश निर्णय लेती हैं। सरकार ने तेल अन्वेषण के लिए निवेश और प्रौद्योगिकी आमंत्रित करने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) आरम्भ की है जिसमें यह व्यवस्था है कि राष्ट्रीय तेल कम्पनियाँ (एन.ओ.सीज) अन्वेषण ब्लाकों

के प्रदान किए जाने के लिए भारतीय और विदेशी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी। एन.ई.एल.पी. के पहले दौर में आयल इन्डिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.), आई.ओ.सी. और गेल या तो अकेले या अन्वेषण ब्लाकों के परिसंघ के तौर पर सफल एवार्डी थे। एन.ई.एल.पी. का दूसरा दौर आरम्भ किया जा चुका है और बोली प्राप्ति की अन्तिम तारीख 31.8.2001 है जिसमें तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भाग लेने के लिए स्वतन्त्र होंगे। कार्यनिष्पादन सहित तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की आय, व्यय और कार्यनीतियों की तिमाही प्रगति समीक्षा आदि के माध्यम से नियमित रूप्प से निगरानी की जाती है।

कच्चे तेल पर उप-कर लगाना

2920. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रामजी माँझी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल क्षेत्र के विकास हेतु निधि सृजित करने के लिए वर्ष 1989 में कच्चे तेल पर उपकर लगाया था;

(ख) यदि हाँ, तो उप-कर लगाने से कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ग) उस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया;

(घ) क्या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने 2000 के अपने प्रतिवेदन संख्या-2--"ट्रॉजेक्शन आडिट आबजर्वेशंस--केन्द्र सरकार (सिविल)" में टिप्पणी की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सरकार वर्ष 1974 से आगे कच्चे तेल पर उपकर उद्ग्रहीत करती रही है तथा मार्च, 2000 तक वसूल किए गए उपकर की कुल धनराशि 36.011 करोड़ रुपए (लगभग) है जिसमें से अब तक 902 करोड़ रुपए वसूली प्रभार काटने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा तेल उद्योग विकास बोर्ड को दिए गए हैं। जैसा कि तेल उद्योग विकास अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्था है, उपकर प्राप्तियों का उपयोग "तेल उद्योग", जिसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, रसायन एवं पेट्रोरसायन तथा उर्वरक क्षेत्र शामिल हैं, के विकासार्थ किया जाता है। वर्ष 1974-75 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायन एवं पेट्रोरसायन तथा उर्वरक मंत्रालयों/विभागों पर उपगत व्यय अब तक वसूली गई कुल उपकर धनराशि से अधिक है। उपर्युक्त के विषय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ लेखा परीक्षा टिप्पणियों से सम्बन्धित वर्ष 2000 की रिपोर्ट सं.-2-केन्द्र सरकार (सिविल)-लेनदेन के अन्तर्गत भी दर्शाई गई है। इन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर एक वृत्त कार्यवाही नोट पहले ही भेज दिया गया है।

मिग-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश

2921. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने मिग-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पैकेजिंग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानदण्ड

2922. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के लिए जी.पी.एम. अधिनियम, 1987 के प्रावधानों का विस्तार करते हुए 18 जुलाई, 2000 को आयोजित सी.सी.ई.ए. की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 50 किलो ग्राम वजन के खाद्यान्नों और चीनी की पैकेजिंग हेतु सीमेन्ट और यूरिया की तरह गैर-पटसन की बोरियों में पैकेजिंग को लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह हमारे मिलियनों कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा और सुरक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानदण्डों को लागू करने के लिए किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू और आयातित वस्तुओं दोनों की पैकेजिंग के लिए पटसन की बोरियों के प्रयोग को कड़ाई से लागू करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पटसन की मिलों द्वारा आदेशों का उल्लंघन किए जाने के क्या कारण हैं क्योंकि विशेषकर चीनी के लिए 50 किलोग्राम की बोरियाँ उपलब्ध नहीं हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) अधिवेशन सं. 127 ने अधिकतम 58 कि.ग्रा. भार उठाने की अनुमति दी है। इसकी अभी पुष्टि की जानी है। तथापि, 50 कि.ग्रा. के बोरों में पैकिंग करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पटसन उद्योग द्वारा माँग आने पर 50 कि.ग्रा. के बोरों की आपूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के बोरों की आपूर्ति गेहूँ की प्राप्ति के लिए की जा रही है।

नीलम तेल क्षेत्रों से ओ.एन.जी.सी. द्वारा अर्जित लाभ

2923. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. को चालू वित्त वर्ष के दौरान नीलम तेल क्षेत्रों से 750 करोड़ रुपए का सकल लाभ प्राप्त होने की आशा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार आधी उपयोगिता अवधि पूरी कर नई मुम्बई के समुद्री तेल क्षेत्रों का कायाकल्प करने में सफल हो गई है जहाँ इस समय प्रतिदिन 32000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है;

(ग) इससे किस हद तक विदेशी मुद्रा की बचत होगी;

(घ) क्या नीलम तेल क्षेत्रों द्वारा 1.5 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2000-01 के दौरान नीलम तेल क्षेत्र से मूल्य ह्रास, रिक्तिकरण परिशोधन, नैगम कर और ब्याज के समायोजन से पहले अनुमानित प्रचालन लाभ 525 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) कच्चे तेल का कोई घरेलू उत्पादन देश को आयात में कमी करने और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करता है। चूँकि तेल के मूल्य संवेदनशील हैं इसलिए विदेशी मुद्रा की बचत कच्चे तेल के विद्यमान मूल्यों पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) ओ.एन.जी.सी. क्षेत्रों से वर्द्धित तेल उत्पादन के लिए सितम्बर 2000 में ओ.एन.जी.सी. द्वारा मध्य अवधि समीक्षा के दौरान नीलम क्षेत्र का लक्ष्य 2000-01 के लिए मूल 1.30 एम.एम.टी. से बढ़ाकर 1.45 एम.एम.टी. कर दिया गया। यह लक्ष्य पार कर लिए जाने की सम्भावना है।

झुग्गी निवासियों का पुनर्वास

2924. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल** मंत्री झुग्गी निवासियों का पुनर्वास के बारे में 14.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3932 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाबर लेन में मुम्बई के सुरक्षा जोन से अतिक्रमण को हटा दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अतिक्रमण को कब तक हटा दिये जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) हाबर लाइन पर बकाया अनधिकृत निर्माणों में से अब तक 1322 झुग्गियाँ हटा दी गई हैं।

(ग) और (घ) चूँकि अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया में अतिक्रमणकारियों का पुनर्वास शामिल है जिसे राज्य सरकार कार्यान्वित किया जा रहा है, इसलिए रेलों द्वारा कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित कर पाना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

सड़कों और पुलों के लिए नाबार्ड ऋण

2925. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड राज्य सरकारों को सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार विशेषकर बिहार को इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि प्रदान की गई;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मेटेलिक लिंक सड़कों के निर्माण हेतु नाबाड से ऋण माँगा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) नाबार्ड की सहायता से राज्य-वार कितनी सड़कों/पुलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया/किया जाना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हाँ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राज्य सरकार को सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए संवितरणों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में मेटेलिक लिंक सड़कों के निर्माण के लिए ऋण की माँग करती रही हैं। ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के तहत वर्ष 1997-98 से ग्रामीण सड़कों के तहत मंजूर परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इन सभी मामलों में या तो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है या सरकार द्वारा उन्हें कार्यान्वयन हेतु लिए जाने की प्रक्रिया चल रही है, निर्माण हेतु ली गई कुछ परियोजनाएँ अब राज्य सरकारों द्वारा पूरी कर दी गई हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण सड़कों और पुलों के लिए नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत संवितरित राज्य-वार निधियाँ

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
		ग्रामीण सड़कें	ग्रामीण पुल	ग्रामीण सड़कें	ग्रामीण पुल	ग्रामीण सड़कें	ग्रामीण पुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.70	5.67	96.70	21.05	66.37	26.40
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	0.00	0.00	0.00	36.81	0.00	43.84
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
6.	गुजरात	5.00	2.70	14.80	0.00	78.64	11.58
7.	हरियाणा	2.69	0.31	2.07	0.47	6.07	1.14
8.	हिमाचल प्रदेश	13.16	0.87	28.14	1.79	33.90	4.56
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	44.36	4.28
10.	कर्नाटक	12.80	10.82	67.38	27.42	90.75	19.65
11.	केरल	0.00	17.05	0.00	18.44	9.57	22.66
12.	मध्य प्रदेश	8.91	3.11	13.88	16.35	21.71	13.89
13.	महाराष्ट्र	25.10	1.02	11.88	0.46	233.46	13.02
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	2.04	0.75	0.43	0.17	6.84	3.69
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.15
18.	उड़ीसा	3.53	32.02	0.00	0.00	4.37	66.39
19.	पंजाब	0.00	0.00	7.71	0.53	24.50	1.66
20.	राजस्थान	36.29	4.62	34.88	6.64	49.78	7.86
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	0.00
22.	तमिलनाडु	83.98	0.00	110.85	0.02	143.93	29.65
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
24.	उत्तर प्रदेश	20.98	16.04	99.20	44.84	154.93	33.64
25.	पश्चिम बंगाल	24.32	4.69	42.74	4.94	88.07	8.10
कुल		283.50	99.67	530.06	179.93	1073.17	319.99

विवरण-II

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त पुलों और सड़कों की राज्य-वार संख्या

		1997-98		1998-99		1999-2000	
क्र.सं.	राज्य	सड़कें	पुल	सड़कें	पुल	सड़कें	पुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	50	191	17	325	56	140
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	5	2
3.	असम	11	-	39	-	43	-
4.	बिहार	-	-	1	1	3	-
5.	गोवा	-	-	1	-	-	-
6.	गुजरात	959	260	-	143	-	7432
7.	हरियाणा	5	37	-	25	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	2	8	14	19	7	22
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	5	51	10	116
10.	कर्नाटक	66	425	59	459	36	326
11.	केरल	33	128	39	37	22	81
12.	मध्य प्रदेश	55	128	34	93	49	84
13.	महाराष्ट्र	68	654	245	654	285	1284
14.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-
15.	मेघालय	11	10	16	-	4	45
16.	मिजोरम	-	-	-	-	-	2
17.	नागालैण्ड	-	-	-	-	2	34
18.	उड़ीसा	26	5	24	2	19	2
19.	पंजाब	9	40	6	21	6	95
20.	राजस्थान	10	195	6	22	-	461
21.	सिक्किम	-	-	25	32	-	-
22.	तमिलनाडु	53	509	92	378	106	463
23.	त्रिपुरा	-	-	24	-	89	-
24.	उत्तर प्रदेश	25	1333	102	2455	39	1081
25.	पश्चिम बंगाल	7	96	10	75	18	45
	कुल	1390	4019	759	4792	799	11715

[अनुवाद]

बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन

2926. डॉ. एस. वेणुगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत देय पेंशन की संशोधनपूर्व वेतनमानों के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) कामगार यूनियनों द्वारा भारतीय बैंक संघ जो (बैंक प्रबन्धन

का प्रतिनिधित्व करता है) के साथ दिनांक 27 मार्च, 2000 को हस्ताक्षरित सातवें द्विपक्षीय समझौते में निहित प्रावधानों और अधिकारी संघों के साथ हुए समझौते के अनुसार, पेंशन के प्रयोजन के लिए वेतन को, 1960=100 की शृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1616 बिन्दुओं पर महंगाई भत्ते के पूर्व-संशोधित वेतनमान में विलय के सन्दर्भ में पुनरीक्षित किया जाना होता है। यह फार्मूला 1.4.1998 को या उसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत या अन्यथा सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू है।

वेल्डिंग और कटिंग उद्योग

2927. श्री किरीट सोमैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अन्तरराष्ट्रीय वेल्डिंग सम्मेलन 2001 हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था;

(ग) क्या भारत तथा विदेश के वेल्डिंग तथा कटिंग प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों द्वारा त्रिविध रणनीतिक कार्ययोजना तैयार की गई है ताकि वेल्डिंग उद्योग में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग से प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता को प्रोत्साहन दिया जा सके;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गुजरात के भूकम्प में कटिंग उपकरणों की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का उन देशों से कटिंग प्रौद्योगिकी आयात करने का प्रस्ताव है जिन्होंने वास्तव में भूकम्प के कार्य में भाग लिया था; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) इन्डिया हैबिटेट सेन्टर नई दिल्ली में दिनांक 15 से 17 फरवरी, 2001 तक अन्तर्राष्ट्रीय वेल्डिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन भारतीय वेल्डिंग संस्थान (आई.आई.डब्ल्यू.), जो वेल्डिंग व्यावसायिकों का एक निकाय है और भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आइ.आइ.) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस सम्मेलन में नौ देशों अर्थात् भारत, रूस, यू.के., स्वीडन, फ्रांस, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, ब्राजील और मिस्र ने भाग लिया था। उद्योग संस्थान और आर. एण्ड डी. केन्द्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों द्वारा वेल्डिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर 85 कागजात प्रस्तुत किए गए थे।

(ग) और (घ) पारस्परिक लाभ के लिए विशेषकर एसियान क्षेत्र, आस्ट्रेलिया और अन्तर्राष्ट्रीय वेल्डिंग संस्थानों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रूस द्वारा विशेष सुविधाएँ वापस लेना

2928. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र सहित रूस भारत की चाय के लिए सबसे बड़ा पारम्परिक बाजार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रूस ने आयातकों पर आयात के समय कर न लगाकर बिक्री के समय मूल्य वर्धित कर के भुगतान की आवश्यकता के द्वारा भारतीय चाय को प्रदान की गई विशेष सुविधा को वापस ले लिया है;

(ग) क्या रूस के इस निर्णय से भारतीय चाय को धक्का लगा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने रूसी प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर रूसी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हाँ। सीमाशुल्क निकासी के समय मूल्यवर्द्धित कर (वैट) में 20% छूट की सुविधा जो कि रुपया ऋण पुनर्भुगतान व्यवस्था के अधीन रूस में भारतीय चाय के आयातकों को उपलब्ध थी, को 1 जनवरी, 2001 से वापस ले लिया गया है। पूर्व में, चाय के ऐसे आयातों पर रूस में मूल्यवर्द्धित कर (वैट) का भुगतान सीमा शुल्क निकासी के एक महीना बाद करना पड़ता था।

(ग) से (ङ) जी, हाँ। रूस के इस निर्णय के बाद रुपया ऋण पुनर्भुगतान व्यवस्था के तहत भारतीय चाय की खरीद करना रुसी आयातकों के लिए कम आकर्षक हो गया है। इस विशेष सुविधा की वापसी रूसी प्राधिकारियों का एक आंतरिक निर्णय है। तथापि, द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग और रूस को चाय के निर्यात में निर्यातकों को हो रही कठिनाइयों समेत अन्य मामलों में प्रगति से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर जनवरी, 2001 में मास्को में आयोजित व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं सांस्कृतिक सहयोग सम्बन्धी भारत-रूसी अन्तर-सरकारी आयोग के तत्यावधान में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-रूसी कार्यदल के सातवें सत्र में चर्चा की गई थी। चाय के लिए मूल्यवर्धित कर (वैट) के प्रश्न पर अभी तक रूसी पक्ष का उत्तर उत्साहवर्धक नहीं है।

सिगरेट उद्योग को उत्पाद शुल्क

2929. श्री विनय कुमार सोराके : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम में सिगरेट उद्योग को दिए जा रहे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाभों को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या असम में अन्य उत्पादों को भी ऐसी उत्पाद शुल्क रियायतें दी गई थीं; और

(घ) यदि हाँ, ता तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हाँ। उत्तर-पूर्व में औद्योगिक इकाइयों पर 22 जनवरी, 2001 से लागू उत्पाद-शुल्क छूट योजना में सिगरेटों को शामिल नहीं किया गया है।

(ख) सिगरेटों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने और छूट का कथित रूप से दुरुपयोग किए जाने के कारण ऐसा किया गया है।

(ग) और (घ) उत्तर-पूर्व में इकाइयों पर उत्पाद-शुल्क रियायत की दो योजनाएँ लागू हैं, अर्थात् (i) आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और मणिपुर राज्यों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उपस्थित उद्योगों से निकासी किए गए सभी शुल्क्य माल (सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों को छोड़कर) को उत्पाद शुल्क से अथवा (ii) उत्तर-पूर्व में किसी भी स्थान पर अवस्थित उद्योगों से निकासी किए गए विनिर्दिष्ट शुल्क्य माल (सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों को छोड़कर) को उत्पाद-शुल्क से छूट। दिनांक 8-7-99 की अधिसूचना सं. 32/99-के.उ.शु. (सा.का.नि. सं. 508 (अ), तारीख 8-7-99) और 33/99-के.उ.शु. (सा.का.नि. सं. 509 (अ), तारीख 8-7-99), जिनके तहत उक्त छूटें दी गई थीं, को पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है।

[हिन्दी]

भारी अभियांत्रिकी निगम, राँची के लिए भूमि का अधिग्रहण

2930. प्रो. दुखा भगत: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राँची स्थित भारी अभियान्त्रिकी निगम के परिसर के निर्माण के लिए और अन्य कार्यों हेतु हजारों एकड़ जनजातीय भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी अभियांत्रिकी निगम ने उक्त भूमि के बड़े हिस्से को अपने स्वयं के आवासीय वाणिज्यिक कार्यों के लिए आवंटित किया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके कार्यों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन आदिवासियों से यह भूमि अधिग्रहीत किए जाने की दरों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए प्रतिपूर्ति के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई;

(च) गैर-आदिवासियों को यह भूमि किस दर पर आवंटित की गई; और

(छ) इन आदिवासियों से उनकी भूमि अधिग्रहीत करने के एवज में प्रदान किए गए अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन (एच.ई.सी.), राँची के लिए वर्ष 1958-63 के दौरान आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों, दोनों की 6590.3 एकड़ भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत की थी।

(ग) से (च) कुल अधिग्रहीत की गई भूमि में से, 1961.3 एकड़ भूमि का उपयोग फैक्ट्री से संबन्धित कार्यों के लिए तथा 4569 एकड़ भूमि का उपयोग टाउनशिप कार्यों के लिए किया गया है।

एच.ई.सी. ने राज्य सरकार को 242.62 लाख रुपए का भुगतान किया है तथा राज्य सरकार ने आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान कर दी।

एच.ई.सी. ने इस भूमि के किसी हिस्से को किसी व्यक्ति (आदिवासी अथवा गैर-आदिवासी) को आवंटित नहीं किया है।

(छ) एच.ई.सी. द्वारा अधिग्रहीत भूमि के बदले में दिए गए अन्य लाभों के ब्यौरे निम्नांकित हैं–

(i) एच.ई.सी. ने एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार के मानक के अनुरूप 2658 परिवारों को रोजगार मुहैया कराया था।

(ii) एच.ई.सी. ने इस वर्ग से सम्बन्धित और व्यक्तियों को भी समय-समय पर यदाकदा विभिन्न पदों पर रोजगार मुहैया कराया है।

(iii) हटिया से विस्थापित/प्रभावित 428 व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार दिलाने में उनकी मदद करने के लिए प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत एच.ई.सी. प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया है।

(iv) विस्थापित/प्रभावित परिवारों की महिला सदस्याओं को सामान्य नर्सिंग एवं प्रसूति प्रशिक्षण दिया गया और इनमें से 21 को एच.ई.सी. के मेडीकल प्रभाग में नौकरी दी गई है; और

(v) टाउनशिप के विभिन्न सेक्टरों में, दुकानों के आवंटन में उन्हें प्राथमिकता दी गई है और टाउनशिप के सेक्टरों में से एक पूर्ण विकसित पुनर्वास बाजार स्थापित किया गया है।

[अनुवाद]

विनिवेश आयोग में एक्जिक्यूटिव पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोग

2931. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित संसद सदस्यों ने 17 दिसम्बर, 1996, 1 सितम्बर, 1997 और 23 जुलाई, 1998 को प्रधान मंत्री को दिए अपने अभ्यावेदनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रबन्धन बोर्डों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की शासी परिषदों, स्वायत्तशासी निकायों, सांविधिक, अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों में प्रमुखों/सी.एम.डी. और सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त करने की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) विनिवेश आयोग ने 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार विनिवेश आयोग के प्रबन्धन बोर्ड/शासी परिषद के सरकारी, गैर-सरकारी सदस्यों, प्रमुखों, सी.एम.डी. के कितने पद हैं और इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबन्धित कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं तथा कुल पदों की तुलना में इनकी प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) इन पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन के केन्द्रीय निर्माण केन्द्र द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का प्रसारण

2932. डा. वी. सरोजा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय निर्माण केन्द्र दूरदर्शन द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं होता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में केन्द्रीय निर्माण केन्द्र द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों को 'प्राइम टाइम' में प्रसारित किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र द्वारा निर्मित कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। तीन प्रमुख दूरदर्शन चैनल अर्थात् डीडी-न्यूज, डीडी-स्पोर्ट्स तथा डीडी-वर्ल्ड केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र से 24 घण्टे कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। के.का.निक.के. से सभी प्रमुख समाचार बुलेटिनों, प्रत्येक घण्टे मुख्य समाचारों, बजटीय चर्चा, चुनाव विश्लेषण, ससद के समक्ष मुद्दे जैसी प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं, मिरर ऑफ दी वर्ल्ड तथा अन्य सामयिक कार्यक्रमों को रिकार्ड किया जाता है और प्रसारित किया जाता है। क्रिकेट मैचों से पहले एवं बाद के कार्यक्रमों तथा सिडनी ओलम्पिक, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन टेनिस जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के माध्यम से रिले किया जाता है।

[हिन्दी]

आयात शुल्क में छूट

2933. श्री महेश्वर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने जापान से आयात किए जाने वाले कृषि-रसायनों का छिड़काव करने हेतु बागानों में काम आने वाली दस हजार हल्की जापानी मशीनों (मारूयामा एम.एस. 160 ई.एम.एस.) की खरीद पर आयात शुल्क से माफी देने का अनुरोध किया है जिससे कि फलदार वृक्षों को कीटों से बचाया जा सके और बागवानी को बढ़ावा दिया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हाँ।

(ख) अनुरोध पर समुचित रूप से विचार किया गया था। तथापि, उक्त अनुरोध को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2) के उन संशोधित उपबन्धों को ध्यान में रख कर स्वीकार नहीं किया जा सका था जिनके कारण विशेष मामलों में छूट सम्बन्धी सरकार की शक्तियाँ सीमित हो गई हैं और यह अनुरोध उक्त धारा के दायरे से बाहर आता है।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों में निवेश

2934. श्री राजीव प्रताप रुडी :
श्री रामदास आठवले :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क में अभी तक कुल कितना निवेश किया गया है तथा उसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का अलग-अलग हिस्सा कितना है;

(ख) अभी तक प्रत्येक ई.पी.टी.पी. द्वारा क्या लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ग) 2001-2002 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक ई.पी.टी.पी. में कितनी राशि का निवेश किए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों (ई.पी.आई.पी.) के लिए 22 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव किया गया है। निधियों का आबंटन ई.पी.आई.पी.-वार नहीं किया जाता है और ई.पी.आई.पी. के विकास हेतु केन्द्रीय अनुदान कार्यान्वयन की प्रगति और निधियों के इस्तेमाल के आधार पर जारी किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	ई.पी.आई.पी. का स्थान	जारी किया गया केन्द्रीय अनुदान (करोड़ रु. में)	राज्य का अंशदान (करोड़ रु. में)	उपलब्धियाँ/कार्यान्वयन की स्थिति
1.	केरल	कक्कानाड, जिला एर्नाकुलम	10.00	29.50	पूर्ण
2.	महाराष्ट्र	अम्बरनाथ, जिला थाणे	10.00	22.44	पूर्ण
3.	कर्नाटक	हुडी, जिला बंगलौर	10.00	26.47	पूर्ण
4.	राजस्थान	सीतापुरा, जिला जयपुर	10.00	29.45	पूर्ण
5.	उ.प्र.	सूरजपुर, जिला गौतमबुद्ध नगर	10.00	10.95	पूर्ण
6.	तमिलनाडु	गुमिन्डीपुण्डी, चैंगलपट्टू जिला	10.00	5.04	पूर्ण
7.	आसाम	अमीन गाँव निकट गुवाहाटी जिला कामरूप	10.00	4.30	पूर्ण
8.	आन्ध्र प्रदेश	पेशामयलरम, जिला मेडक	9.00	1.17	पूर्ण
9.	हरियाणा	कुंडली, जिला सोनीपत	10.00	7.65	कार्यान्वयन के अधीन
10.	पंजाब	ढंढारी कलां, जिला लुधियाना	5.90	1.65	कार्यान्वयन के अधीन
11.	हिमाचल प्रदेश	बाड्डी, जिला सोलन	9.70	1.56	कार्यान्वयन के अधीन
12.	गुजरात	साल्वी, जिला बड़ौदा	8.20	5.81	कार्यान्वयन के अधीन
13.	बिहार	हाजीपुर, जिला वैशाली	5.00	2.95	कार्यान्वयन के अधीन
14.	मेघालय	बरनीहाट, जिला रिभोई	10.00	2.60	कार्यान्वयन के अधीन
15.	मध्य प्रदेश	पीथमपुर, जिला धार	9.00	4.67	कार्यान्वयन के अधीन
16.	प. बंगाल	दुर्गापुर, जिला बुर्दवान	8.35	3.46	कार्यान्वयन के अधीन
17.	उड़ीसा	भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	10.00	3.67	कार्यान्वयन के अधीन
18.	जे. एण्ड के.	साम्बा, जिला जम्मू	10.00	7.02	कार्यान्वयन के अधीन
19.	नागालैण्ड	गणेश नगर, दीमापुर	1.00	0.05	कार्यान्वयन के अधीन
20.	मणिपुर	खुनुता चिंगजीन (थौबल जिला)	-	-	कार्यान्वयन के अधीन
*21.	उ. प्र.	आगरा	1.25	2.35	कार्यान्वयन के अधीन
*22.	कर्नाटक	मंगलौर	-	-	सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान किया गया
*23.	राजस्थान	तापूकारा (जिला अलवर)	-	-	सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान किया गया

*दूसरा ई.पी.आई.पी. स्वीकृत है।

पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक परियोजनाएँ

2935. **श्री समर चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सरकार ने कौन-सी औद्योगिक संवर्धन रणनीति अपनाई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र की कितनी परियोजनाएँ आवंटित और स्थापित की गई और उक्त परियोजनाओं के नाम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) महोदय, 24.12.1997 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अधिसूचित की गई नई औद्योगिक नीति में इस क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित करने एवं निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से इन स्कीमों का विकास करना शामिल है—(i) विकास केन्द्र (ii) एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्र (iii) परिवहन राजसहायता योजना (iv) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना (v) व्यापक बीमा योजना (vi) केंन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना और (vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आय कर छूट। पूर्वोत्तर क्षेत्र की औद्योगिक नीति की इन सभी स्कीमों के लिए निधियाँ अब एक अकेली एजेंसी—पूर्वोत्तर

विकास वित्त निगम लिमिटेड–के माध्यम से वितरित की जाती हैं। इस नीति को सिक्किम के लिए भी लागू करने सम्बन्धी प्रस्ताव इस विभाग में विचाराधीन है।

(ख) शून्य।

[हिन्दी]

शिमला दूरदर्शन केन्द्र से समाचारों का प्रसारण

2936. श्री सुरेश चन्देल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला दूरदर्शन केन्द्र से हिन्दी में दैनिक समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 1 नवम्बर, 2000 से दूरदर्शन केन्द्र, शिमला से प्रतिदिन सायं 7 बजे 15 मिनट की अवधि का हिन्दी में एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

अनुवादक-सह-उद्घोषक के वेतनमान

2937. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में आकाशवाणी में भारतीय और विदेशी भाषाओं के अनुवादक-सह-उद्घोषक के कितने पद हैं;

(ख) इनमें से भाषावार कितने पद रिक्त हैं;

(ग) क्या भारतीय और विदेशी भाषाओं के अनुवादक-सह-उद्घोषकों के वेतनमानों में असमानता है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग में अनुवादक-सह-उद्घोषक के 89 (भारतीय भाषाओं में 7 और विदेशी भाषाओं में 82) स्वीकृत पद हैं। इसके अलावा साफ्टवेयर कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश सेवा प्रभाग में अनुवादक-सह-उद्घोषक की श्रेणी में 6 अस्थाई पद स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) भाषा-वार रिक्ति की स्थिति नीचे दी गई है :–

1. अरबी-1
2. बर्मी-3
3. चीनी-2
4. फ्रेंच-2
5. इंडोनेशियाई-1
6. नेपाली-1
7. पश्तो-3
8. स्वाहिली-3
9. थाई-1
10. तिब्बती-4
11. बलूची-2

(ग) जी, हाँ।

(घ) भारतीय भाषा के अनुवादक-सह-उद्घोषक 6,500-10,500 रुपए के वेतनमान में हैं जबकि विदेशी भाषा के अनुवादक-सह-उद्घोषक (भारतीय नागरिक) 8000-12,500 रुपए के वेतनमान में हैं। चूँकि अनुवादक-सह-उद्घोषक (विदेशी भाषा) का उच्च वेतनमान कार्यात्मक औचित्यता पर आधारित रहा है इसलिए किसी भी उपचारात्मक कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।

दूरस्थ क्षेत्रों में पत्र सूचना कार्यालय

2938. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन उद्देश्यों के लिए पत्र सूचना कार्यालयों की स्थापना की गई थी, वे उन्हें पूरा कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में विशेषकर दूरस्थ, पहाड़ी आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी प्रचार से निपटने हेतु और अधिक पत्र सूचना कार्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पत्र सूचना कार्यालयों को और प्रभावी बनाने हेतु क्या ढाँचागत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (च) पत्र सूचना कार्यालय अपनी विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को सम्प्रेषित करने के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है। यह सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति मीडिया में परिलक्षित की जा रही लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में सरकार को फीडबैक भी मुहैया कराता है। यह प्रेस विज्ञप्तियों, सम्मेलनों, चर्चाओं, साक्षात्कारों, फीचर लेखों, बुलेटिन बोर्ड सेवाओं आदि जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से जानकारी सम्प्रेषित करता है। 9वीं योजना के दौरान अरूणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और नव गठित राज्यों–छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखण्ड की राजधानियों क्रमशः रायपुर, देहरादून और राँची में पत्र सूचना कार्यालय के शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

अग्रिम कर पर ब्याज

2939. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आय कर अधिनियम में करदाता द्वारा अग्रिम कर के रूप में जमा कर की राशि पर ब्याज अदा करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान जमा की गई अतिरिक्त राशि पर कुल कितनी ब्याज राशि देय है और उस पर ब्याज दर कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) धारा 244 (1) (क) में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि जहाँ धन वापसी कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वित्त वर्ष के दौरान अग्रिम कर के रूप में चुकाए गए किसी कर में से है वहाँ कर निर्धारिती उक्त धनराशि के अलावा कर निर्धारण वर्ष के प्रथम अप्रैल से उस तारीख जिसको धन वापसी मंजूर की गई है, तक शामिल प्रत्येक माह अथवा माह के एक भाग के लिए उस पर 1% की दर से परिकलित साधारण ब्याज पाने का हकदार होगा। वित्त विधेयक, 2001 में 1 जून, 2001 से ब्याज की उक्त दर को प्रत्येक माह अथवा माह के भाग के लिए एक प्रतिशत से कम करके प्रत्येक माह अथवा माह के भाग के लिए तीन चौथाई प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव है।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 244 के प्रावधानों के अन्तर्गत चुकाए गए ब्याज की कुल राशि अग्रिम कर की अतिरिक्त अदायगी के कारण अतिरिक्त कर की वापसी से सम्बन्धित है। स्रोत पर तथा किसी अन्य कारण से काटे गए वसूल किए गए कर की राशि वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान 1144.39 करोड़ रुपए बैठती है चूँकि वित्त वर्ष अभी समाप्ति पर है इसलिए वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए ब्याज के सदृश आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण

2940. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाइडे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए गए ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में बैंकों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन बैंकों ने उक्त अवधि हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में और बैंक-वार संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत का लक्ष्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए निर्धारित किया है।

(घ) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने एक समूह के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है जैसा कि संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

ऐसे अलग-अलग बैंकों, जिनकी प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने में कमी रही है, से कहा गया है कि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ स्थापित किए गए ग्रामीण आधारित विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) में अंशदान करें। प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने की स्थिति की आवधिक विवरणियों के आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे बैंक जो लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं, से कहा जाता है कि वे प्राथमिकता क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह को सुदृढ़ बनाएँ ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण : राज्य-वार

(करोड़ रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		मार्च 1997	मार्च 1998	मार्च 1999
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	7205.62	8727.8	9202.44
2.	अरूणाचल प्रदेश	20.27	23.79	29.93
3.	असम	1018.89	963.16	1083.8
4.	बिहार	2993.98	3107.43	3604.2
5.	गोवा	269.47	339.87	421.09
6.	गुजरात	4675.29	5542.48	6228.66
7.	हरियाणा	2487.61	2893.73	3506.5
8.	हिमाचल प्रदेश	487.06	558.05	640.79
9.	जम्मू और कश्मीर	247.54	302.8	342.98
10.	कर्नाटक	5971.12	7017.59	8601.58
11.	केरल	3395.4	3499.6	3918.86

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	4205.57	4909.41	5638.55
13.	महाराष्ट्र	10453.26	12697.68	15457.85
14.	मणिपुर	96.31	102.86	111.1
15.	मेघालय	49.26	62.05	67.02
16.	मिजोरम	19.18	22.72	27.35
17.	नागालैण्ड	66.46	58.92	65.9
18.	राष्ट्रीय रा. क्षेत्र दिल्ली	3743.13	4639.57	5902.95
19.	उड़ीसा	1901.25	2089.2	2105.74
20.	पंजाब	4695.32	5502.57	6583.48
21.	राजस्थान	2808.41	3614.73	4197.77
22.	सिक्किम	17.63	24.67	2782
23.	तमिलनाडु	9049.19	9736.06	10467.29
24.	त्रिपुरा	122.53	132.43	138.73
25.	उत्तर प्रदेश	7435.39	8360.68	9298.93
26.	पश्चिम बंगाल	4639.25	5155.67	5680.61
27.	अण्डमान एवं नि. दीप समूह	15.97	16.9	24.89
28.	चण्डीगढ़	509.34	509.27	576.5
29.	दादर और नागर हवेली	6.36	11.99	17.04
30.	दमन और दीव	6.59	7.5	8.4
31.	लक्षद्वीप	1.76	2.16	2.27
32.	पांडिचेरी	104.73	104.33	113.1

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

(राशि करोड़ रुपए में)

		निवल बैंक ऋण			प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण			निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रा. क्षेत्र ऋण का प्रतिशत		
		मार्च 1998	मार्च 1999	मार्च 2000	मार्च 1998	मार्च 1999	मार्च 2000	मार्च 1998	मार्च 1999	मार्च 2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भारतीय स्टेट बैंक	60127.00	65775.00	79003.04	22523.00	26527.00	32273.67	37.459	40.3299	40.8512
2.	स्टेट बैंक ऑफ बी. एण्ड जय.	3875.60	3956.33	4339.81	1573.77	1767.66	2125.10	40.6071	44.6793	48.9676
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	4903.82	5019.77	5760.00	1843.64	2037.58	2492.50	37.596	40.5911	43.2726
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1907.27	2137.63	2765.65	862.39	975.54	1220.10	45.2159	45.6365	44.1162
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	2559.38	2739.93	3016.68	1070.92	1258.51	1377.34	41.8429	45.9322	45.6575
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	4368	4639	5363	1742	1986	2236.47	39.881	42.811	41.7018
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	2476.04	2708.08	3189.68	1099.64	1326.3	1460.35	44.4112	48.9757	45.7836
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	2372.34	2313.63	2573.51	1375.65	1524.46	1843.34	57.9871	65.8904	71.6275
9.	इलाहाबाद बैंक	5928.63	6934.77	8361	2140.24	2821.09	3572.66	36.1001	40.6804	42.7301
10.	आन्ध्रा बैंक	3373.84	4274.65	5221.86	1395.71	1874.08	2358.06	41.3686	43.8417	45.1575
11.	बैंक आफ बड़ौदा	12927.82	13383.56	15548.61	6058.17	6560.14	7670.55	46.8615	49.0164	49.3327
12.	बैंक आफ इन्डिया	13007.87	14166.1	16733.45	6278.28	6855.93	7567.5	48.2652	48.3967	45.2238
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3947.67	4304.02	5339.83	1619.3	1875.32	2289.06	41.0191	43.5714	42.8677
14.	केनरा बैंक	13586.79	15131.88	17622.35	6598.85	6966.53	7717.38	48.5681	46.0388	43.7931
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया	10840	12885	15350	4396.31	5595.47	6635.26	40.5564	43.4262	43.2264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	कार्पोरेशन बैंक	3098.66	4697.63	6071.65	1321.59	1887.73	2561.14	42.6504	40.1847	42.1819
17.	देना बैंक	5191.11	6243.32	7080.18	2197.14	2772.45	3063.49	42.3251	44.4067	43.2685
18.	इन्डियन बैंक	5709.26	5931.66	6946.25	2465.31	2489.2	3190.78	43.1809	41.9646	45.9353
19.	इन्डियन ओवरसीज बैंक	6179.5	7445.26	7820.54	2756.62	3159.09	3603.81	44.6091	42.4309	46.0813
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	5794.88	8000	9708	2560	3300	4080.4	44.1769	41.25	42.0313
21.	पंजाब नेशनल बैंक	15960.3	18282.49	22035	6489.4	8038.87	9833.91	40.6596	43.9703	44.6286
22.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	3303.35	4136.86	4281.36	1461.3	1750.27	2079.05	44.2369	42.3091	48.5605
23.	सिंडिकेट बैंक	5362	7546.64	8760	2286	3598	4170	42.6333	47.6768	47.6027
24.	यूनियन बैंक आफ इन्डिया	9144.54	9939.79	13467	4220.76	4683.77	5414.04	46.1561	47.1214	40.2023
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया	4182	4696	5634	1754	1891	2459.87	41.9417	40.2683	43.6612
26.	यूको बैंक	5213.37	5305.42	6843	1943.65	2128.03	2550	37.282	40.1105	37.2644
27.	विजया बैंक	2877.85	3609	4107.09	1285	1550	1961.31	44.6514	42.9482	47.7542
	सरकारी क्षेत्र में सभी बैंक	218218.89	246203.42	292942.54	91318.64	107200.02	127807.14	41.8473	43.5412	43.6287

[अनुवाद]

ऑटो उद्योग

2941. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक ऑटोमोबाइल उद्योग लगाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने देश में विशेषतः तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने नए ऑटोमोबाइल उद्योग लगाने हेतु अनुमति और भूमि देने के लिए राज्यों के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में फिलहाल कौन-कौन से ऑटोमोबाइल उद्योग चल रहे हैं और गत तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार और इकाईवार कितना उत्पादन हुआ और बिक्री हुई ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) ऑटोमोबाइल उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और निवेशक ऑटो परियोजनाएँ आरम्भ करने के लिए स्वतन्त्र हैं। सरकारी क्षेत्र में ऐसी इकाई आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

कृमियों के कारण गेहूँ का नुकसान

2942. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष कृमियों और अन्य कीट-पतंगों के कारण सरकारी गोदामों में गेहूँ की बड़ी मात्रा नष्ट हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उद्योग हेतु समान कार्य वातावरण

2943. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग ने विशेषतः भारतीय उद्योग द्वारा अदा किए जाने वाले विद्युत प्रभारों के मामले में समान कार्य वातावरण सुनिश्चित किए जाने की माँग की है;

(ख) क्या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लागत की तुलना में वित्त जुटाने में ऊँची लागत भी चिन्ता का एक अन्य विषय है;

(ग) क्या संगठित श्रम की लागत भी अधिक और उत्पादकता कम है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन माँगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) जी, हाँ। अनेक औद्योगिक संगठनों द्वारा अपने बजट पूर्व ज्ञापनों में, ब्याज और ऊर्जा की उच्च लागत और घरेलू उत्पादों की निर्मित लागत पर कराधान के दुष्प्रभावों का दक्षता और विकास के अवरोधक कारकों के रूप में होने का उल्लेख किया गया था।

(ग) वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के अनुसार संगठित श्रम की लागत, जो कि श्रमिकों को मजदूरी के रूप में अदा की गई है, उक्त मापित लागत कम पाई गई है। प्रति श्रमिक निवल वर्धित मूल्य की दृष्टि से मापी गई श्रमिक उत्पादकता में 1994-95 से गिरावट आई है, जिसमें 1997-98 के दौरान सीमान्तिक वृद्धि हुई है, जिसके नवीनतम आँकड़े उपलब्ध हैं।

(घ) सरकार ने उत्पाद-शुल्क तथा सीमा शुल्क संरचना के युक्तिकरण, नकद आरक्षित अनुपात और बैंक दर में कमी तथा 100% मोडवेट ऋण की पुनः शुरूआत जैसे उपाय आरम्भ करके भारतीय उद्योग पर विभिन्न लागत सम्बन्धी बोझों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा श्रमिक शिक्षा के माध्यम से कौशलता विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ आरम्भ की हैं।

नकली करेंसी नोट

2944. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इस समय प्रचलन में नकली करेंसी नोटों का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में नकली करेंसी नोटों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसा कानून कब तक बनाए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार द्वारा वर्ष 1999 और 2000 के दौरान जब्त/बरामद की गई कुल नकली करेंसी के आधार पर किए गए चलन में नकली करेंसी के फैलाव के अनुमान निम्नलिखित हैं :–

वर्ष	जब्त/बरामद की गई नकली करेंसी
1999	1,83,35,315 रुपए
2000	3,56,57,820 रुपए

जब्त/बरामद किए गए नकली नोटों की कुल मात्रा चलन में कुल नोटों का मात्र एक मामूली अंश है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सी.एन.जी. चालित स्कूटर

2945. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई स्कूटर विनिर्माता कम्पनी सी.एन.जी. चालित स्कूटरों के विनिर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लाक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि स्कूटरों (दुपहिया) में सी.एन.जी. का प्रयोग सी.एन.जी. सिलिन्डर के भारी होने तथा सिलिन्डर के द्वारा जगह घेरने के कारण सम्भव प्रतीत नहीं होता।

क्रिकेटरों द्वारा प्राप्त किए गए उपहारों की घोषणा

2946. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैच फिक्सिंग प्रकरणों के मद्देनजर सरकार का विचार क्रिकेटरों द्वारा देश और विदेश में प्राप्त किए गए उपहारों की घोषणा करने को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

बीमा क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र का प्रवेश

2947. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री 8 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3191 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक सूचना एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सूचना कब तक एकत्र कर लिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सहकारी बैंकों को दिशानिर्देश जारी करने सम्बन्धी मामला उसके जाँच अधीन है।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा संग्रहण

2948. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और शेष गैर-बैंकिंग कम्पनियों ने निवेशकों से दैनिक संग्रहण की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये कम्पनियाँ कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या इन कम्पनियों को बैंकिंग क्षेत्र की इस विशेष योजना को अपनाने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह देखने में आया है कि कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एन.बी.एफ.सी.)/अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियों (आर.एन.बी.सी) ने निवेशकों से दैनिक संग्रहण की योजना के अन्तर्गत जमाराशियाँ एकत्र की थीं। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र की गई उन कम्पनियों की सूची, जिन्होंने दैनिक संग्रहण की योजना के अन्तर्गत जमाराशियाँ एकत्र की थीं, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक जमाराशियाँ जुटाने की अनुमति प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए नियामक और पर्यवेक्षी तन्त्र स्थापित किया है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जमाराशियों पर देय ब्याज की दर, जमाराशियों की न्यूनतम और अधिकतम अवधि, जमाराशियों की मात्रा आदि शामिल है।

विवरण

दैनिक जमाराशियां एकत्र करने वाली कम्पनियों की सूची

क्षेत्रीय कार्यालय	एन.बी.एफ.सी./आर.एन.बी.सी. का नाम	30.9.2000 की स्थिति के अनुसार लाख रु. में जमा राशियाँ
बंगलौर	इनोबल इन्डिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कं. लि.	रु. 103.62 (31.3.2000 के अनुसार)
कलकत्ता	पियरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.	रु. 2355
चेन्नई	सिन्नामणि लिजींग कम्पनी लि.	रु. 41.80 वापस कर दी गई
-तदैव-	सैयद शरियत हायर परचेस कं. (आई) लि.	रु. 84.87
गुवाहाटी	जय सेविंग्स हायर परचेस कं. (आई) लि.	रु. 78.72
-तदैव-	पंचरत्ना फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.	रु. 554.04
हैदराबाद	आसरा इन्डिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.	रु. 38.94 (28.10.2000 के अनुसार)
जयपुर	योगेश्वर सेविंग्स एण्ड हायर परचेस (आई) लि.	रु. 0.65 (31.12.2000 के अनुसार)
-तदैव-	सन्कलेचा कैफिन लि.	रु. 10.30 (31.1.2001 के अनुसार)
कानपुर	सहारा इन्डिया फाइनेंशियल कारपोरेशन लि.	रु. 110223.04
पटना	जनम कुंडली सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लि.	रु. 19.44
-तदैव-	हेलोइंस फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि. (पंजीकरण के प्रमाणपत्र का आवेदन रद्द कर दिया गया)	रु. 3226.00 (31.3.97 के अनुसार)
-तदैव-	स्टैंडर्ड सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कं. लि. (पंजीकरण के प्रमाणपत्र का आवेदन रद्द कर दिया गया)	रु. 500.00 (31.3.1995 के अनुसार)
तिरूपुरम	अस्सलाम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कं. प्रा. लि. ('क' श्रेणी के रूप में पंजीकृत)	रु. 4.95
-तदैव-	बैथुल इस्लाम फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट (इन्डिया) प्रा. लि. ('क' श्रेणी के रूप में पंजीकृत)	रु. 1.65
-तदैव-	बैथुल इस्लाम फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. (पंजीकरण के प्रमाणपत्र का आवेदन रद्द कर दिया गया)	रु. 13.00

[हिन्दी]

देश में उद्योग

2949. श्री मानसिंह पटेल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में देश में राज्य-वार कुल कितने उद्योग काम कर रहे हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य में कितने उद्योग प्राइवेट/सार्वजनिक क्षेत्र के हैं; और

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में उद्योगों के विकास के लिए प्रति वर्ष कितनी-कितनी निधियाँ प्रदान की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) अगस्त, 1991 से जनवरी, 20001 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन तथा जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित किए गए कुल उद्योगों की (सं. संलग्न विवरण-I) में दी गई है।

(ख) अगस्त, 1991 से जनवरी, 2001 तक स्थापित किए गए 5077 एककों में से गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में लगभग 84% निजी स्वामित्व वाली इकाइयाँ हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ''उद्योग तथा खनिज'' क्षेत्र के विकास के लिए संघ सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश को आबंटित योजनागत निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

देश में स्थापित उद्योगों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में (अगस्त, 1991 तथा जनवरी, 2001 के बीच)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	357
असम	18
अरूणाचल प्रदेश	2
बिहार	15
छत्तीसगढ़	39
गोवा	59
गुजरात	888
हरियाणा	343
हिमाचल प्रदेश	22
जम्मू और कश्मीर	9
झारखण्ड	30
कर्नाटक	179
केरल	86
मध्य प्रदेश	271
महाराष्ट्र	835
मणिपुर	0
मेघालय	1
मिजोरम	0
नागालैण्ड	0
उड़ीसा	21
पंजाब	266
राजस्थान	264
सिक्किम	0
त्रिपुरा	0
तमिलनाडु	523
उत्तर प्रदेश	426
उत्तरांचल	24
प. बंगाल	198
अण्डमान तथा निकोबार	0
चण्डीगढ़	4
दादरा एण्ड नागर हवेली	44
दमन तथा दीव	54
दिल्ली	52
लक्षद्वीप	0
पांडिचेरी	30
एक राज्य से अधिक	17
कुल	**5077**

विवरण-II

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक (राज्यवार) ''उद्योग तथा खनिज'' क्षेत्र के लिए अनुमोदित योजनागत परिव्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला अनुबन्ध

राज्य का नाम	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपए में)		
	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	42.44	80.44	60.44
अरूणाचल प्रदेश	10.06	8.68	6.33

1	2	3	4
असम	70.02	70.69	58.62
बिहार	27.78	35.00	52.00
गोवा	3.86	2.42	2.68
गुजरात	141.00	268.32	297.90
हरियाणा	27.77	115.54	71.10
हिमाचल प्रदेश	25.00	27.39	30.24
जम्मू तथा कश्मीर	65.11	70.89	55.49
कर्नाटक	181.93	146.69	155.55
केरल	211.33	225.00	225.20
मध्य प्रदेश	208.38	72.86	74.13
महाराष्ट्र	105.11	112.54	130.44
मणिपुर	19.77	32.48	44.84
मेघालय	13.44	15.00	15.00
मिजोरम	10.87	11.94	14.31
नागालैण्ड	11.72	10.05	10.05
उड़ीसा	36.19	54.92	39.17
पंजाब	51.49	53.01	56.94
राजस्थान	224.22	250.47	195.88
सिक्किम	9.26	6.63	5.37
तमिलनाडु	177.20	104.12	107.38
त्रिपुरा	13.12	11.12	7.12
उत्तर प्रदेश	101.12	151.86	74.76
प. बंगाल	278.86	338.68	377.08
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	9.61	15.54	14.00
चण्डीगढ़	0.56	0.35	0.38
दादर और नागर हवेली	0.38	0.43	0.41
दमन और दीव	0.51	0.67	0.26
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	8.00	21.10	25.00
लक्षद्वीप	1.83	1.79	1.64
पांडिचेरी	31.46	33.68	36.33

[अनुवाद]

उपभोक्ता अदालतें

2950. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 8 जनवरी, 2001 को बागला समिति की रिपोर्ट के क्रम में राज्य सरकारों से उपभोक्ता अदालतों को पुनः प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकारों ने उक्त जानकारी भेज दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो उपलब्ध कराई गई जानकारी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) अपील करने की विशेष इजाजत (सिविल) सं. 6928/1999 पर अपने दिनांक 8.1.2001 के अन्तरिम आदेश में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से बागला समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण देते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने उच्चतम न्यायालय को एक शपथ पत्र के जरिए अपेक्षित सूचना दे दी है जिसमें उन्होंने बागला समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त पदों के सृजन में आ रही कठिनाइयों को स्पष्ट किया है।

[हिन्दी]

सीमेन्ट का उत्पादन/आयात

2951. श्री उत्तमराव पाटील :
श्री आर.एल. जालप्पा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेन्ट का अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या यह मात्रा देश के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सीमेन्ट की कमी का इसके मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हाँ, तो कमी को पूरा करने के लिए और सीमेन्ट के बढ़ते मूल्यों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कर्नाटक सहित राज्य सरकारों ने सरकार से सीमेन्ट के आयात की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हाँ, तो सीमेन्ट का कितनी मात्रा में और किस देश से आयात किए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) चालू वर्ष के पहले 11 महीनों अर्थात् अप्रैल, 2000–फरवरी, 2001 के

दौरान सीमेन्ट का उत्पादन 84.24 मिलियन टन (अनंतिम) था। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान सीमेंट का उत्पादन 84.65 मिलियन टन था। चालू वर्ष के लिए सीमेन्ट का अनुमानित उत्पादन 92 मिलियन टन है।

(ख) सीमेन्ट उद्योग मांग पर निर्भर है और इसके पास अतिरिक्त माँग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

(ग) जी, नहीं। सीमेन्ट की कोई कमी नहीं है और बाजार की शाक्तियाँ सीमेन्ट की कीमतें निर्धारित करती है।

(घ) कीमतों की गहन निगरानी की जा रही है। इस सम्बन्ध में सीमेन्ट विनिर्माताओं के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं और यह बताया गया है कि मूल्य वृद्धि रोक दी गई है और मामूली सी कमी कुछ स्थानों पर देखी गई है। सरकार ने सीमेन्ट पर आयात शुल्क को 35% से घटाकर 25% करने की घोषणा की है और इससे कीमतों के स्थिर होने की सम्भावना है।

(ङ) और (च) जी, हाँ। महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों ने आयात उदारीकरण के लिए सरकार से अनुरोध किया है। चूँकि सीमेन्ट खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आता है उक्त राज्य सरकारें तथा अन्य सीमेन्ट का आयात करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में विनिवेश

2652. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो किस सीमा तक विनिवेश का प्रस्ताव है;

(ग) कितने प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश प्रस्तावित है;

(घ) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) जी, हाँ। सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अनुकूल साझीदार को प्रबन्धन में उपयुक्त भूमिका प्रदान करते हुए अनुकूल बिक्री के माध्यम से 26 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) हिन्दुस्तान जिंक लि. में विनिवेश प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है और "अर्हता प्राप्त इच्छुक पार्टियाँ" अब विधिवत अध्यवसाय की प्रक्रिया में लगे हुई हैं।

अप्रवासी भारतीयों हेतु बैंकिंग प्रक्रिया

2953. श्री के. येरननायडू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रतिभूतियों और शेयरों में निवेश करने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए बैंकिंग प्रक्रिया सरल बनाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हाँ। सरल कार्यविधि के अन्तर्गत अप्रवासी भारतीयों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करना अब आवश्यक नहीं है। अप्रवासी भारतीय प्रत्यावर्तन तथा प्रत्यावर्तन भिन्न दोनों आधारों पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेशों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

प्रोफार्मा लेखा

2954. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय स्तर पर प्रबन्धित वाणिज्य और अर्द्ध-वाणिज्यिक स्वरूप के सरकारी उपक्रमों के लिए अनुषंगी कम्पनियों और प्रोफार्मा लेखाओं को रखना अनिवार्य है जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पिछले कई वर्षों से ये सरकारी उपक्रम उक्त प्रोफार्मा लेखाओं का रख-रखाव नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) विभागीय रूप से प्रबन्धित इन सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा उनके प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन प्रोफार्मा लेखाओं को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली नीति

2955. श्री दिन्शा पटेल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों के लिए किसी नई सार्वजनिक वितरण नीति की घोषणा करने की इच्छुक है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार का

गुजरात के भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों के लिए किसी नई सार्वजनिक वितरण नीति की घोषणा करने का इरादा नहीं है। तथापि, गुजरात सरकार को भूकम्प से प्रभावित परिवारों में वितरण करने के लिए विशेष अतिरिक्त आवंटन के रूप में 80,000 टन गेहूँ और 20,000 टन चावल का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार गुजरात में भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में वितरण के लिए 10,000 टन अग्रिम लेवी चीनी आवंटित की गई है और साथ ही भूकम्प से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सामान्य कोटे के अतिरिक्त 45,000 किलो लिटर मिट्टी के तेल का तदर्थ आवंटन किया गया है।

सीमेन्ट का बाजार मूल्य

2956. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सीमेन्ट का बाजार मूल्य विश्व में सबसे कम है;

(ख) क्या भारत में सीमेन्ट उद्योग 3,500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक राजस्व के रूप में उत्पाद शुल्क देने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है;

(ग) क्या सीमेन्ट के मूल्यों में मंदी के कारण पूरा सीमेन्ट उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा भारत में सीमेन्ट उद्योग में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) इस बारे में केन्द्रीय रूप से निगरानी नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले छः महीनों से सीमेन्ट के मूल्य बढ़े हैं।

(घ) सीमेन्ट उद्योग नियन्त्रणमुक्त तथा लाइसेन्समुक्त है। सरकार सीमेन्ट उत्पादन बनाए रखने के लिए सीमेन्ट उद्योग को कोयला लिंकेज जैसी अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध करा रही है। रेल वैगन भी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

शहरी अवसंरचना विकास और आवास क्षेत्र के लिए कर लाभ के क्षेत्रों में सरकार के हाल ही के उपायों से सीमेन्ट की माँग में बढ़ोत्तरी होने की सम्भावना है।

कंक्रीट की सड़कों के निर्माण पर बल देते हुए प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन से सीमेन्ट क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है।

इलायची का निर्यात

2957. श्री पी.सी. थामस : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलायची के उत्पादन की वर्तमान लागत क्या है;

(क) क्या इलायची का आयात/निर्यात किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इलायची के आयात/निर्यात का रुपए के संदर्भ में मूल्य सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इलायची के लिए समर्थन मूल्य घोषित करने की माँग की गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) नाबार्ड/मसाला बोर्ड द्वारा लगाए गए मोटे अनुमान के अनुसार छोटी इलायची की उत्पादन लागत लगभग 275 रुपए प्रति किग्रा. तथा बड़ी इलायची की उत्पादन लागत लगभग 40 रुपए प्रति किलोग्राम है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। पिछले तीन वर्षों के दौरान इलायची (छोटी और बड़ी) के आयात/निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

इलायची (छोटी)

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु.)
1997-98	370	1266.78	88	151.38
1998-99	476	2525.27	277	838.26
1999-00*	646	3201.84	175	538.92

*अनन्तिम

स्रोत : मसाला बोर्ड

इलायची (बड़ी)

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रु.)
1997-98	1648	1264.46	3048	1342.59
1998-99	1288	1269.46	3860	1431.99
1999-00*	1211	1696.89	3728	1828.36

*अनन्तिम

स्रोत : मसाला बोर्ड

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

लोहा, मैंगनीज और अन्य खनिजों का निर्यात

2958. श्री अनन्त नायक :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा तथा बिहार सहित अनेक राज्यों से लोहा, मैंगनीज और अन्य खनिजों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य से निर्यात किए गए विभिन्न खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खनिजों के निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) वर्तमान में विभिन्न राज्यों से कौन-कौन से देश लौह अयस्क, मैंगनीज और अन्य खनिजों का आयात कर रहे हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इन राज्यों से लोहा, मैंगनीज और अन्य खनिजों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है;

(च) क्या निजी क्षेत्र के कुछ खान मालिक विभिन्न देशों को सीधे खनिजों का निर्यात कर रहे हैं;

(छ) यदि हाँ, तो निजी क्षेत्र के ऐसे खान मालिकों का ब्यौरा क्या है जो कि उड़ीसा तथा अन्य राज्यों से सीधे खनिजों का निर्यात कर रहे हैं; और

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका वार्षिक निर्यात कारोबार क्या रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार समग्र रूप से देश के निर्यात के आँकड़े रखता है और न कि राज्यवार। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को हुए खनिजों एवं अयस्कों के निर्यात से सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न हैं (विवरण-I)। वर्ष 1997-98 की तुलना में 1998-99 में खनिजों के निर्यात में आंशिक गिरावट आई है। इसका कारण पूर्व एशियाई संकट था जो लगभग 1997 में शुरू हुआ था और जिससे जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि जैसे महत्त्वपूर्ण बाजारों में खनिजों की माँग में गम्भीर कमी आई थी। किन्तु एशियाई बाजारों में निवेशकों का विश्वास वापस लौटने के साथ 1999-2000 में निर्यात 1998-99 की संगत अवधि की तुलना में 4.5% (170 करोड़ रुपए) अधिक के हुए।

(ङ) सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष के निर्यात निष्पादन और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में माँग की स्थिति के आधार पर वार्षिक रूप से निर्यात लक्ष्य निर्धारित करती है। सरकार ने लौह अयस्क तथा क्रोम अयस्क जैसे प्रमुख खनिजों की उनकी उपलब्धता के आधार पर निर्यात हेतु पहचान भी की है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाने के उद्देश्य से कुछेक विनिर्देशनों के आधार पर निजी निर्यातकों को उच्च-श्रेणी के लौह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति दी गई है। खनिजों के निर्यात हेतु पारंपरिक बाजारों अर्थात जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, हर्मनी, हाँगकाँग, ताइवान के अलावा हाल ही में चीन, पाकिस्तान तथा मध्य-पूर्व ने भी भारत से खनिजों का आयात करने की अपनी इच्छा दर्शाई है।

(च) से (ज) जी, हाँ। निजी निर्यातक विभिन्न राज्यों से खनिजों का सीधे निर्यात कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए विभिन्न राज्यों से खनिजों का सीधे निर्यात करने वाले प्रमुख खनिज-मालिकों (कैपेक्सिल, जो वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत एक निर्यात संवर्धन परिषद है, के पास पंजीकृत) के कुल वार्षिक निर्यात कारोबार के ब्यौरे संलग्न (विवरण-II) हैं।

विवरण-I

(मात्रा : मिलियन टन : मूल्य करोड़ रु. में)

निर्यातित खनिज	1997-98		1998-99		1999-2000 (अनंतिम)		प्रमुख देय
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
लौह अयस्क	29	1770	22	1616	16	1151	आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चीनताइपेय, चीन जन. गण., फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, जापान, कोरिया, नीदरलैण्ड, पाकिस्तान, रोमानिया, यू.के.
अभ्रक	0.05	40	0.05	43	0.02	42	बेल्जियम, चीन जन. गण., जर्मनी, जापान, कोरिया, नीदरलैण्ड, नार्वे, रूस, यू.के., यू.एस.ए.
कोयला	0.54	88	0.82	141	1.11	111	बंगला देश, इंडोनेशिया, नेपाल
प्रसंस्कृत खनिज	आँकड़े नहीं रखे गए	1251	आँकड़े नहीं रखे गए	1065	आँकड़े नहीं रखे गए	1004	आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चीनताइपेय, चीन जन. गण., डेनमार्क, जर्मनी, हाँगकाँग, इटली, जापान, मलेशिया, नीदरलैण्ड, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, यू.ए.ई., यू.के., यू.एस.ए.
अन्य अयस्क एवं खनिज	आँकड़े नहीं रखे गए	793	आँकड़े नहीं रखे गए	894	आँकड़े नहीं रखे गए	1622	आस्ट्रेलिया, बंगला देश, बेल्जियम, चीनताइपेय, चीन, जन.गण., जर्मनी, हाँगकाँग, इटली, जापान, कोरिया, नीदरलैण्ड, सिंगापुर, स्पेन, यू.ए.ई., यू.के., यू.एस.ए.
कुल जोड़		3942		3759		3929	

(डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. केवल मूल्यवार आँकड़े रखता है) (स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.)

विवरण-II

क्र.सं.	फर्म का नाम (मै.)	निर्यात कारोबार 1997-98	1998-99	1999-2000	निर्यातित उत्पाद
1.	आशापुरा माइन कैम लि., मुम्बई	47.22	36.20	11.5	केल्सिनाइड से भिन्न बाक्साइट
2.	चौगले एण्ड कं. लि., गोवा	165.67	161.88	137.17	लौह अयस्क
3.	डेम्पो माइनिंग कारपोरेशन लि., पणजी	लागू नहीं	13.22	16.42	लौह अयस्क
4.	एसेल माइनिंग एण्ड इंड. लि., कोलकाता	2.14	1.71	2.08	लौह अयस्क
5.	हरि एण्ड कं., थोथूकुडी	1.54	लागू नहीं	7.07	नमक
6.	हिंडालको इंड्र. लि., कोलकाता	111.72	83.33	171.43	अल्युमीनियम
7.	मिस्रीलाल माइन प्रा. लि., कोलकाता	11.31	5.41	11.15	क्रोम अयस्क
8.	एम.एस.पी.एल. लि., बेल्लारी	30.77	45.30	54.34	लौह अयस्क
9.	ओरियंट (गोवा) लि., पणजी	17.29	17.07	7.97	लौह अयस्क
10.	पी.के.एस. लि., कोलकाता	5.58	0.14	3.66	कोयला
11.	आर. डैपमोन पाला, जयंतिया हिल्स, मेघालय	13.72	12.30	5.12	कोयला
12.	रंकार्स साल्ट वर्क्स, कच्छ	शून्य	शून्य	2.98	नमक
13.	रामिन माइनिंग एण्ड इंड्र. प्रा. लि., पोरबन्दर	0.11	1.70	3.09	केल्सिनाइड से भिन्न बाक्साइट
14.	रिसोसिंस इंटरनेशनल, पणजी	28.39	33.20	16.89	लौह अयस्क
15.	सालगाँवकर माइनिंग इन्ड्र. प्रा. लि., मरमुगोवा	57.12	83.49	66.85	लौह अयस्क
16.	संदूर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर लि., बंगलौर	26.29	20.29	18.15	मैंगनीज अयस्क
17.	सौराष्ट्र केल्साइंड बाक्साइट एण्ड एलाइड मैटल्स, पोरबन्दर	शून्य	5.04	7.46	केल्सिनाइड से भिन्न बाक्साइट
18.	टिंबलो लिमि., मरमुगोवा	16.11	17.07	7.04	लौह अयस्क
19.	वी.एम. सल्गावकर एण्ड ब्रदर्स लि., वास्कोडिगामा	113.87	98.41	91.21	लौह अयस्क
20.	वी.एम. सल्गावकर सेल्स इंटर., वास्कोडिगामा	26.69	12.65	9.88	लौह अयस्क
21.	वी.एस. डेम्पो एण्ड कं. लि., गोवा	119.28	98.52	88.47	लौह अयस्क
22.	वास एक्सपोर्टस, तूतीकोरिन	2.20	6.16	15.86	नमक
23.	जैम ग्रेनाइट्स, चेन्नई	142.46	76.19	99.60	ग्रेनाइट
24.	इंडियन अल्यूमिनियम कं. लि., कोलकाता	149.32	130.20	201.10	केल्सिनाइड अल्युमीनियम
25.	माधव मार्बल एण्ड ग्रेनाइट लि., उदयपुर	26.65	33.24	29.40	ग्रेनाइड टाइल्स
26.	जी.टी.पी. ग्रेनाइट लि., सेलम	23.75	24.76	28.71	ग्रेनाइट स्मारक
27.	पी.आर.पी. ग्रेनाइट, मदुरै	9.98	24.10	27.81	ग्रेनाइट डायमेंशनल ब्लॉक
28.	क्रिसटल ग्रेनाइट एण्ड मार्बल लि., मुम्बई	16.89	16.59	25.96	ग्रेनाइट स्लेब्स
29.	पोखरण ग्रेनाइट लि., सिकन्दराबाद	12.98	14.77	25.34	ग्रेनाइट बिल्डिंग
30.	पदमावती बिल्डमैट, उदयपुर	9.49	15.81	20.59	मार्बल स्लेब्स और टाइल्स
31.	एरो ग्रेनाइट इन्ड्र. लि., हौसुर	11.45	15.07	20.40	ग्रेनाइट टाइल्स
32.	अमर ग्रेनाइट, होरुर	12.64	10.66	19.69	ग्रेनाइट स्मारक
33.	अशोक ग्रेनाइट लि., सेलम	13.28	16.06	18.89	ग्रेनाइट स्मारक
34.	शिल्प गाँव (अन्तर्राष्ट्रीय), दिल्ली	6.47	9.25	13.88	अन्य पत्थर एवं उनके उत्पाद

(स्रोत कैपेक्सिल)

वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण

2959. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय संस्थावार कितनी धनराशि का ऋण राज्यवार स्वीकृत किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि का ऋण स्वीकार किया गया;

(ग) क्या इन संस्थाओं ने इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वित्तीय सस्थाओं द्वारा मंजूर की गई ऋण राशि का राज्य-वार और संस्थावार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) संस्थाओं के पास ऋण की मंजूरी के लिए राज्य-वार लंबित मामले कौन से हैं – तदादि, कुल मंजूरियों विभिन्न तथ्यों पर स्थिर करती हैं जिनमें अलग-अलग कम्पनियां और समूहों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक

विवरण

आई.डी.बी.आई, आई.एफ.सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., सिडबी, आई.आई.बी.आई. तथा एक्जिम बैंक द्वारा मंजूर की गई राज्यवार/संस्थावार सहायता

(रुपए करोड़ में)

राज्य	आई.डी.बी.आई.			आई.एफ.सी.आई.			आई.सी.आई.सी.आई.			सिडबी			आई.आई.बी.आई.			एक्जिम बैंक			कुल		
	1998-99	1999-2000	अप्रैल दिसम्बर 2000-01	1998-99	1999-2000	अप्रैल दिसम्बर 2000-01	1998-99	1999-2000	अप्रैल दिसम्बर 2000-01	1998-99	1999-2000	अप्रैल दिसम्बर 2000-01	1998-99	1999-2000	अप्रैल दिसम्बर 2000-01	1998-99	1999-2000	अप्रैल दिसम्बर 2000-01	1998-99	1999-2000	अप्रैल दिसम्बर 2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
आन्ध्र प्रदेश	1865.1	4394.8	151.1	475.5	287.2	27.8	1645.1	3406.9	1118.3	180.9	253.5	102.5	109.7	88.4	173.0	189.8	188.2	19.0	4466.1	8619.0	2957.7
अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.5	1.5	–	–	–	–	–	–	–	1.5	1.5	–
असम	48.1	43.4	24.5	13.6	–	–	27.0	181.7	197.0	82	13.3	1.9	2.4	–	–	–	–	–	99.3	238.4	223.3
बिहार	678.3	241.5	13.0	35.6	23.2	–	292.5	607.6	111.5	95.9	103.0	9.0	12.6	12.9	–	–	–	–	1114.9	988.3	133.5
गोवा	187.1	71.5	16.0	10.0	–	4.1	45.0	136.0	38.0	86.2	54.5	23.5	85.0	20.0	–	–	–	–	413.3	281.9	81.6
गुजरात	2091.4	4538.9	1803.3	318.3	615.6	180.1	4615.0	5677.5	6657.6	457.6	552.4	198.0	278.8	154.9	10.0	94.9	84.5	72.0	7855.9	11623.8	8921.0
हरियाणा	520.2	572.8	656.5	89.6	43.7	–	780.5	959.9	833.2	306.3	247.9	36.9	28.2	51.8	40.0	14.5	2.0	–	1739.3	1878.1	1566.6
हिमाचल प्रदेश	66.7	373.0	28.7	192.5	64.3	30.0	0.0	175.0	79.6	38.7	37.0	17.6	5.0	45.0	–	–	–	–	302.9	694.3	155.9
जम्मू एवं कश्मीर	–	41.5	40.0	–	–	–	15.0	262.5	121.5	20.1	17.3	10.3	–	–	–	–	–	–	35.1	3121.3	171.8
कर्नाटक	2319.7	1262.3	876.3	292.7	206.4	80.5	1427.8	2689.2	2767.9	418.5	353.1	291.3	122.7	190.3	49.8	49.0	28.4	27.3	4630.4	4729.6	4093.0
केरल	367.4	222.0	162.1	55.0	–	5.0	179.1	162.0	112.5	265.6	353.5	33.0	20.0	8.0	–	6.0	–	–	893.1	745.5	312.6
मध्य प्रदेश	700.8	1122.7	464.7	184.5	22.8	35.0	1169.9	631.0	1111.2	243.2	263.2	58.2	51.0	69.9	33.0	5.0	22.0	30.0	2354.4	2131.5	1732.0
महाराष्ट्र	5539.4	4878.5	3371.3	1305.1	317.5	180.4	11678.1	11755.4	15353.8	865.5	738.0	72.9	644.9	456.4	143.7	84.5	213.6	118.7	20117.5	18359.3	19240.7
मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	4.8	–	–	–	–	–	–	–	3.7	4.8	0.0
मेघालय	–	–	12.3	–	–	–	–	–	–	4.8	4.1	5.4	–	–	–	–	–	4.8	4.1	17.7
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	1.1	–	–	–	–	–	–	1.0	1.1	0.0
नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.5	1.5	0.1	–	3.0	–	–	–	1.5	1.5	3.1
उड़ीसा	142.4	46.3	366.8	–	–	40.0	616.4	2275.3	327.3	135.2	141.7	9.6	105.6	300.0	11.0	–	–	–	946.9	2763.3	754.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
पंजाब	546.8	1526.2	1352.5	115.3	84.8	22.0	817.2	443.1	509.5	226.2	270.0	30.5	50.9	5.8	56.4	–	–	–	1766.3	2329.8	1970.9
राजस्थान	1020.5	778.2	547.8	91.9	38.8	5.0	150.1	419.1	1076.0	151.7	243.6	62.1	78.0	100.0	18.0	–	–	3.8	1492.2	1579.7	1712.8
सिक्किम	0.4	–	–	–	–	–	–	–	100.0	6.6	2.5	0.4	–	–	–	–	–	–	7.0	2.5	100.0
तमिलनाडु	2532.0	3368.1	2094.9	510.9	54.6	13.8	3573.2	3801.9	2519.2	509.4	557.1	126.5	228.1	349.6	260.0	55.5	166.7	33.1	7409.1	8298.0	5047.4
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	5.0	2.1	–	–	–	–	–	–	3.9	5.0	2.1
उत्तर प्रदेश	2048.7	810.9	829.8	458.8	178.2	72.0	865.2	2112.8	2016.5	271.7	186.5	58.9	140.5	60.9	25.0	83.0	50.0	–	3867.8	3399.4	3002.2
प. बंगाल	509.4	925.2	1453.5	57.7	75.1	152.5	2145.6	1920.8	1700.2	294.6	218.2	28.8	185.4	319.7	235.0	111.4	78.3	–	3304.1	3537.3	3570.0
राष्ट्रीय राजधानी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0
दिल्ली क्षेत्र	2251.5	1927.2	2998.6	76.0	108.2	115.2	1842.5	5739.4	5073.8	186.5	261.9	27.0	17.5	103.6	20.0	4.7	12.3	114.6	4378.7	8152.7	8349.1
संघ राज्य क्षेत्र	213.7	169.8	88.0	162.4	255.8	28.8	65.2	166.3	209.0	25.6	28.6	4.8	9.5	1.0	2.0	–	–	0.0	476.3	621.5	332.6
अण्डमान एंड निकोबार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.0
दमन और दीव	56.8	56.0	50.0	10.0	–	–	12.0	65.0	51.0	0.2	2.2	1.1	–	–	–	–	–	–	79.0	123.2	102.1
दादर एण्ड नगर हवेली	105.5	66.4	18.0	92.4	255.8	–	37.7	51.3	10.0	15.7	16.2	1.8	9.5	–	2.0	–	–	–	260.8	389.7	31.8
चण्डीगढ़	22.7	42.4	–	55.0	–	–	–	–	75.0	2.4	8.4	1.0	–	1.0	–	–	–	–	80.1	51.7	76.0
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0
पाण्डीचेरी	28.7	5.0	20.0	5.0	–	28.8	15.5	50.0	73.0	7.1	1.9	0.9	–	–	–	–	–	–	56.3	56.9	122.7
विभिन्न राज्य/गैर-विनिर्दिष्ट क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	420.3	955.5	2717.1	–	–	–	–	--	376.2	–	–	–	420.3	955.5	3093.1
कुल	23649.7	27315.0	18717.5	4445.2	2376.2	992.2	32370.6	44478.8	44750.6	4810.3	4914.5	1211.1	2175.2	2338.1	1456.1	698.2	845.9	418.5	68149.1	82268.4	67546.0

अमेरिका से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रभाव

2960. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में किया जाने वाला अमेरिकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वव्यापी अधिक्षमता द्वारा हतोत्साहित होगा और अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट तथा बढ़ते व्यापार घाटे के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में नाटकीय गिरावट आ सकती है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा सम्भावित बदतर स्थिति का मुकाबला करने के लिए किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) विदेशी निवेश, घरेलू आर्थिक परिस्थितियों; विदेशी निवेश को शासित करने वाली नीतिगत व्यवस्था; विश्व आर्थिक प्रवृत्ति तथा वैश्वीय निवेशकों की कार्यनीति जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जहाँ तक भारत में विदेशी निवेश का सम्बन्ध है, अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है।

(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नीति में और सुधार करने तथा निवेश के लक्ष्य के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने एक पारदर्शी, गतिशील और निवेशक अनुकूल एफ.डी.आई. नीति पहले ही लागू कर दी है, जिसमें एक छोटी सूची को छोड़कर, लगभग सभी कार्यकलापों को 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. के लिए स्वतः मार्ग के अधीन रख दिया गया है।

खाद्य नमक की कमी

2961. डॉ. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुज में बछाऊ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 से लगा नमक औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में खाद्य नमक की कमी न होने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/करने की योजना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) जी नहीं, फिर भी, नमक निर्माण क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कुछ दरार दिखाई दिए हैं।

(ख) गुजरात में तथा अन्य नमक उत्पादक राज्यों में खाद्य नमक का काफी भण्डार उपलब्ध है। अतः देश में नमक की कमी की कोई आशंका नहीं है।

खाद्यान्नों की आपूर्ति

2962. श्री रामटहल चौधरी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिन राज्यों में आधी दरों पर प्रति परिवार दस किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करने के लिए योजना लागू की गई है उनके नाम क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं;

(ग) खाद्यान्न राज्यवार किन दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ राशन की दुकानों पर खाद्यान्न आधी दरों पर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 1997 में लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रवतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्नों की मात्रा आवंटित की गई थी। अप्रैल, 2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का आवंटन आर्थिक लागत के 50% पर 10 किलोग्राम से दुगुना करके 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की गई है।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(ग) जिन केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं वे निम्नानुसार हैं :–

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
गेहूँ	415	830
चावल		
(क) साधारण	565	1087$
(ख) ग्रेड "ए"	565	1130

$ हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्व राज्यों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशानिर्देशों के अधीन राज्यों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे उचित दर दुकान स्तर पर अन्तिम खुदरा मूल्य को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50 पैसे अधिक से ऊपर निर्धारित न करें। उचित दर दुकान स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में खाद्यान्नों के अन्तिम खुदरा मूल्य बताने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

1.3.2000 की स्थिति के अनुसार प्रक्षेपित आबादी विशेषज्ञ समूह के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत, कुल घरों की संख्या, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के घरों की संख्या बताने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.3.2000 को कुल आबादी (प्रक्षेपित)	विशेषज्ञ समिति के अनुसार ग.रे.नी. का %	1.3.2000 को परिवारों की कुल संख्या	1.3.2000 को ग.रे.नी. परिवारों की संख्या	1.3.2000 को ग.रे.ऊ. परिवारों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	754.66	25.68	158.21	40.63	117.58
अरूणाचल प्रदेश	11.92	40.86	2.42	0.99	1.43
असम	261.96	40.86	44.93	18.36	26.57
बिहार	999.42	54.96	162.24	89.17	73.07
गोवा	15.95	14.92	3.20	0.48	2.72
गुजरात	482.52	24.21	87.57	21.20	66.37
हरियाणा	198.31	25.05	31.48	7.89	23.59
हिमाचल प्रदेश	67.11	40.86	12.57	5.14	7.43
जम्मू और कश्मीर	99.45	40.86	18.02	7.36	10.66
कर्नाटक	520.91	33.16	94.37	31.29	63.08
केरल	322.62	25.43	61.10	15.54	45.56
मध्य प्रदेश	797.47	42.52	141.15	60.01	81.14
महाराष्ट्र	911.15	36.86	177.27	65.34	111.93
मणिपुर	25.13	40.86	4.07	1.66	2.41
मेघालय	24.34	40.86	4.49	1.83	2.66
मिजोरम	9.52	40.86	1.67	0.63	0.99
नागालैण्ड	16.84	40.86	3.02	1.24	1.78
उड़ीसा	353.57	43.56	67.91	32.98	34.93
पंजाब	235.36	11.77	39.76	4.68	35.08
राजस्थान	535.59	27.41	88.67	24.31	54.36
सिक्किम	5.59	41.43	1.05	0.43	0.62
तमिलनाडु	617.74	35.00	138.82	48.63	90.19
त्रिपुरा	37.82	40.86	7.22	2.95	4.27
उत्तर प्रदेश	1701.88	40.85	273.61	111.77	161.84
पश्चिम बंगाल	790.06	35.66	145.23	51.59	93.44
अण्डमान और निकोबार	3.86	34.47	0.81	0.23	0.53
चण्डीगढ़	8.88	11.36	2.03	0.23	1.80
दा. और ना. हवेली	1.90	50.84	0.36	0.18	0.18
दमन और दीव	1.40	14.69	0.26	0.04	0.22
दिल्ली	139.64	141.69	27.82	4.09	23.73
लक्षद्वीप	0.71	25.04	0.11	0.03	0.08
पांडिचेरी	11.11	37.40	2.24	0.84	1.40
जोड़	9969.44		1803.68	652.04	1151.64

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों में निर्गम मूल्य

क्र.सं.	राज्य	गरीबी रेखा से नीचे		गरीबी रेखा से ऊपर			
		गेहूँ	चावल	गेहूँ	साधारण**	चावल ग्रेड. ए	निम्न तारीख को सूचित
1.	आन्ध्र प्रदेश*	-	5.25	9.00	-	12.00	26.7.2000
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	6.40	9.50	11.85	12.30	1.4.2000
3.	असम #	-	6.54-6.80	9.94-10.20	-	13.00-13.26	1.4.2000
4.	बिहार	5.10	6.48	9.84	-	12.89	1.4.2000
5.	दिल्ली	4.65	-	9.50	-	12.30	25.1.2001
6.	गोवा	-	6.30	9.50	-	12.40	1.4.2000
7.	गुजरात*	2.00	3.00	10.65	-	13.80	1.4.2000
8.	हरियाणा	4.65	-	8.80	-	-	27.7.2000
9.	हिमाचल प्रदेश	5.00	7.20	9.80	-	13.00-13.50	1.4.2000
10.	जम्मू और कश्मीर #	5.10	6.50	9.50	12.00	12.50	1.4.2000
11.	कर्नाटक*	4.65	6.15	9.10	-	12.25	17.8.2000
12.	केरल	-	6.20	8.90	-	11.90	25.7.2000
13.	मध्य प्रदेश #	4.65	6.15	9.04	-	12.15	25.7.2000
14.	महाराष्ट्र #	4.00	5.40	9.80	-	13.50	1.8.2000
15.	मणिपुर	-	4.00	7.60	7.64	9.77	फर. 1999
16.	मेघालय	-	6.40	9.60-10.00	11.85-12.15	12.30-12.60	1.4.2000
17.	मिजोरम	-	4.00	7.90	7.50	9.55	31.3.2000
18.	नागालैण्ड	5.98	6.15	10.34		11.90	1.8.2000
19.	उड़ीसा	4.90	6.30	9.81	-	12.76	14.2.2001
20.	पंजाब	4.58	5.96	9.06	-	11.86	1.4.2000
21.	राजस्थान	4.60	6.15	8.90	-	12.00	25.7.2000
22.	सिक्किम	-	6.40	9.50	-	12.50	1.4.2000
23.	तमिलनाडु	2.00	3.50	9.75	-	उ.न.	1.4.2000
24.	त्रिपुरा	-	6.15	9.05	11.60	12.25	1.9.2000
25.	उत्तर प्रदेश	5.00	6.40	9.50		12.30	1.4.2000
26.	पश्चिम बंगाल	5.00	6.40	9.70	-	12.60	1.4.2000
27.	अं.नि. द्वीप समूह	4.65	6.15	9.40	-	12.35	1.8.2000
28.	चंडीगढ़	4.87	6.28	10.12	-	12.44	1.4.2000
29.	दादर और नागर हवेली	4.65	6.00	9.00	-	11.90	31.8.2000
30.	दमन और दीव	5.00	6.40	9.80	-	12.80	1.4.2000
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
32.	पांडिचेरी	-	4.00	8.00	-	11.80	20.9.2000

लक्षद्वीप में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं शुरू की गई है।

*अतिरिक्त राजसहायता राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया।

**सिक्किम और उत्तर प्रदेश सहित केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू।

उ.न.– उपलब्ध नहीं (राज्य द्वारा सूचित किया जाएगा)

#–क्षेत्र दर क्षेत्र भिन्न होता है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए आय की वापसी की सीमा

2963. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों द्वारा रायल्टी, लाभ आदि के माध्यम से आय की वापसी की कोई सीमा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) संयुक्त उद्यम कम्पनियों/विदेशी कम्पनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों को स्वतः मार्ग के तहत निर्यात पर 8 प्रतिशत और घरेलू बिक्री पर 5 प्रतिशत तक रायल्टी के भुगतान की अनुमति है। प्रौद्योगिक हस्तांतरण के बिना व्यापार चिन्हों के प्रयोग तथा विदेशी सहयोगी के ब्राण्ड नामों के प्रयोग पर भी स्वतः मार्ग के तहत निर्यात पर 2 प्रतिशत तक तथा घरेलू बिक्री पर 1 प्रतिशत तक रायल्टी के भुगतान की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार बुलेटिन को बन्द करना

2964. श्री वाई.जी. महाजन :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली से राष्ट्रीय प्रसारण के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किए जाने वाले समाचार बुलेटिनों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार बुलेटिनों का प्रसारण फिर से आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका प्रसारण पुनः कब से आरम्भ किए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने पहले कुछ भारतीय भाषा एककों को दिल्ली से सम्बन्धित राज्यों की राजधानियों में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रसार भारती ने मामले पर पुनः विचार किया और दिल्ली से ही भारतीय भाषाओं में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण जारी रखने का निर्णय लिया।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों की वसूली

2965. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वितरित किए गए ऋणों की वसूली सन्तोषजनक रूप से नहीं हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्यवार ऐसे ऋणों की कितनी वसूली की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण से वास्तव में कुछ व्यवसाय आरम्भ किया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संवितरित ऋणों की संतोषप्रद वसूली नहीं हो रही है। पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अन्तर्गत वसूली के अखिल भारत औसत से गिरावट के रुख का पता चलता है जो मार्च 1998, मार्च 1999 और मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः 44.2 प्रतिशत, 41.9 प्रतिशत और 37.2 प्रतिशत रहा है। पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत कम वसूली के कारणों में परियोजनाओं का कम वित्त-पोषण, परियोजना प्रबन्धन, अपर्याप्त विपणन सुविधाएँ, उधारकर्त्ताओं को अन्यत्र कार्य का मिलना और परियोजना में उनकी रुचि घटना और साथ ही जानबूझकर की गई चूक शामिल है।

मार्च 1998, 1999 और 2000 को समाप्त छमाही में की गई ऋण की माँग के बदले ऋणों की वसूली का राज्य ब्यौरा और मार्च 1998, 1999 और 2000 (अनन्तिम) को समाप्त पिछले तीन वर्ष के दौरान पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31 मार्च, 1998, 1999 और 2000 को समाप्त वर्ष के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत राज्यवार ऋण के लिए की गई माँग, की गई वसूली और सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	मार्च 1998 को समाप्त छमाही		मार्च 1998 को समाप्त	मार्च 1999 को समाप्त छमाही		मार्च 2000 को समाप्त	मार्च 2000 को समाप्त छमाही		मार्च 2000 को समाप्त
	की गई माँग	वसूली	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	की गई माँग	वसूली	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	की गई माँग	वसूली	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	7405.89	3435.93	20557	11153.19	4578.92	15186	17413.12	6209.81	10633
असम	3105.27	408.66	7437	6234.11	991.21	5525	16684.90	2186.35	4088
बिहार	5963.07	1994.69	12146	8187.35	2621.15	8364	14085.79	4163.23	7009
गुजरात	4237.52	1903.63	7110	4477.03	2874.25	10607	3906.18	2425.69	10028
हरियाणा	2003.43	1141.69	4925	2985.43	1458.82	5742	3407.90	1735.91	5468
हिमाचल प्रदेश	999.07	527.38	2009	1226.96	717.64	1913	1260.04	663.37	1943
जम्मू एवं कश्मीर	241.64	101.24	1969	1228.56	288.34	835	855.32	271.14	868
कर्नाटक	5447.42	2528.57	14021	7020.54	3132.23	13188	11466.08	4889.27	13391
केरल	3742.67	2035.63	11542	7438.40	4104.62	11749	8932.88	4096.37	11907
मध्य प्रदेश	12030.84	4970.58	22271	10972.83	4512.45	19102	15210.12	5717.79	15863
महाराष्ट्र	13553.00	6228.96	30514	15119.63	6709.87	26346	20596.94	8751.92	23985
मणिपुर	1434.73	115.38	658	2681.91	200.70	407	3706.34	80.83	228
मेघालय	244.47	102.93	377	445.26	171.41	202	1076.38	203.97	318
नागालैण्ड	264.90	53.69	335	361.30	128.99	40	1741.59	9.05	72
उड़ीसा	1628.56	605.55	4903	4242.72	1456.66	3106	5809.71	1258.06	1578
पंजाब	3170.20	1942.55	7934	4725.88	2791.99	8075	6038.43	3683.92	8188
राजस्थान	2523.50	1207.28	9681	3635.19	1707.99	10059	4044.76	1981.89	10154
सिक्किम	39.31	17.77	58	66.58	31.12	45	82.37	19.22	44
तमिलनाडु	7125.71	3683.35	12770	9742.21	3939.67	11422	10609.73	4372.16	11140
त्रिपुरा	250.78	71.19	216	663.38	191.82	110	1099.67	205.77	200
उत्तर प्रदेश	9812.49	4712.25	31523	14368.82	6824.71	35023	23578.25	11325.23	34501
प. बंगाल	2551.65	826.26	4021	3957.98	1133.85	2726	6229.08	1570.67	2348
अण्डमान एवं निकोबार	56.13	24.10	61	85.73	37.25	77	53.47	17.93	100
अरूणाचल प्रदेश	120.69	42.95	178	152.75	68.06	166	1033.14	294.00	112
चण्डीगढ़	199.05	77.04	114	181.78	75.56	75	227.45	91.85	49
दादर एवं नगर हवेली	163.23	36.62	67	201.48	45.62	28	125.04	54.32	25
दिल्ली	723.86	306.03	755	913.66	365.00	508	1289.40	378.26	553
गोवा	310.52	195.68	251	270.36	179.41	300	475.44	275.41	404
मिजोरम	105.19	49.54	334	134.01	55.96	37	855.37	193.36	38
पाण्डिचेरी	375.21	147.10	308	283.91	122.27	330	267.13	88.76	238
लक्षद्वीप	10.70	9.90	40	12.00	9.82	31	-	-	33
दमन और दीव	135.00	40.00	23	9.51	1.18	21	6.08	4.62	25
उल्लिखित नहीं	3270.64	1678.38	-	4244.23	1881.59	6	1399.58	638.10	-
कुल	93246.34	41222.5	208103	127624.68	53379.72	191351	182579.68	67858.23	175522

संकेत : आँकड़े अनन्तिम

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की इक्विटी शेयर पूँजी

2966. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) की प्राधिकृत और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी कितनी है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएँ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रमुख शेयरधारक हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में उनकी क्रमशः कितनी हिस्सेदारी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) की प्राधिकृत और प्रदत्त पूँजी निम्नलिखित है :

आई.एफ.सी.आई. की प्राधिकृत शेयर पूँजी	3000.00 करोड़ रुपए
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (दिनांक 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार)	638.68 करोड़ रुपए
प्रदत्त अधिमानी शेयर पूँजी) दिनांक 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार)	457.27 करोड़ रुपए

(ख) और (ग) दिनांक 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की शेयर-धारिता सहित आई.एफ.सी.आई. का शेयरधारिता पैटर्न संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिनांक 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों की शेयरधारिता सहित आई.एफ.सी.आई. का शेयरधारिता पैटर्न निम्नलिखित है :–

(रु. करोड़)

क्रमांक	शेयरधारकों के ब्यौरे/श्रेणी	इक्विटी शेयर		अधिमानी शेयर		कुल	
		राशि	%धारिता	राशि	% धारिता	राशि	% धारिता
1.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	202.50	31.71	शून्य	0.00	202.50	18.48
2.	राष्ट्रीयकृत बैंक	45.63	7.14	175.19	38.31	220.82	20.15
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम	53.61	8.39	शून्य	0.00	53.61	4.89
4.	भारतीय साधारण बीमा निगम और इसके अनुषंगी निगम	58.04	9.09	5.65	1.24	63.69	5.81
5.	भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंक	13.40	2.10	86.00	18.80	99.40	9.07
6.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	28.56	4.47	शून्य	0.00	28.56	2.61
7.	सहकारी बैंक	24.64	3.86	शून्य	0.00	24.64	2.25
8.	गैर-सरकारी बैंक, म्युच्यूअल फण्ड, एफ.आई. आई. आदि सहित अन्य निगमित निकाय	47.42	7.42	189.16	41.37	236.58	21.56
9.	जनता	164.88	25.82	1.27	0.28	166.15	15.16
	कुल	638.63	100.00	457.27	100.00	1095.95	100.00

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की शाखाएँ

2967. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का विचार देश के शेष सभी राज्यों की राजधानियों और अन्य शहरों में और अधिक शाखाएँ खोलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम संसाधनों को सृजित करने के लिए गुवाहाटी, कोच्ची, भुवनेश्वर और पुणे की अपनी शाखाओं के उन्नयन पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय आई.एफ.सी.आई. का अपना कम्पनी कार्यालय नई दिल्ली में तथा 11 क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, चण्डीगढ़, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, बंगलौर, अहमदाबाद तथा नई दिल्ली में स्थित हैं। इसके अलावा आई.एफ.सी.आई. के छः अन्य कार्यालय पुणे, पणजी, कोच्चि, भुवनेश्वर, पटना और गुवाहाटी में हैं। आई.एफ.सी.आई. का इस समय कोई अन्य कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। आई.एफ.सी.आई. का पटना, गुवाहाटी, कोच्चि, भुवनेश्वर तथा पुणे में स्थित अपने शाखा कार्यालयों का क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीनी की कमी

2968. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चीनी की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश को चीनी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) 1999-2000 मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 155.36 लाख टन चीनी की आवश्यकता के प्रति देश में 181.41 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। पिछले मौसम के आगे लाए गए 92.97 लाख टन चीनी के स्टाक के साथ चीनी मौसम 2000-2001 आरम्भ हुआ है। वर्तमान मौसम में लगभग 181 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की प्रत्याशा है जिसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान मौसम के दौरान चीनी की कुल उपलब्धता 273.97 लाख टन होगी जबकि 162.13 लाख टन चीनी की वार्षिक घरेलू आवश्यकता होने की प्रत्याशा है।

स्टीफन हॉकिंग्स का साक्षात्कार

2969. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन 17 जनवरी, 2001 को दिल्ली में प्रो. स्टीफन हॉकिंग्स अलबर्ट आइंस्टीन के व्याख्यान के दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण की घोषणा करने के बावजूद इसका प्रसारण करने में असफल रहा था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले की जाँच की गई है और इसके लिए जवाबदेही तय की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स के व्याख्यान का आयोजन सैन्टर फॉर फिलासाफी एण्ड फाउन्डेशन आफ साइंस द्वारा 17 जनवरी, 2001 को दिल्ली में किया गया था। उक्त आयोजन का प्रसारण अधिकार डिस्कवरी चैनल के पास था। दूरदर्शन ने डिस्कवरी चैनल से सम्पर्क किया तथा प्रसारण की अनुमति प्राप्त की और तत्पश्चात् उक्त व्याख्यान के सीधे प्रसारण के बारे में प्रेस रिलीज जारी की। डिस्कवरी चैनल ने 16 जनवरी, 2001 की शाम को इस आधार पर अनुमति वापस ले ली कि व्यवस्थापक सीधे प्रसारण के लिए सहमत नहीं है तथापि, दूरदर्शन ने उक्त व्याख्यान की रिकार्डिंग प्राप्त करने के लिए डिस्कवरी चैनल के साथ विशेष व्यवस्था की और इसे न्यूज चैनल पर 18 जनवरी, 2001 को रात्रि 10 बजे तथा डीडी-1 पर 21 जनवरी, 2001 को सायं 7 बजे प्रसारित किया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कटे-फटे नोट

2970. श्री चिन्तामन वनगा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, दिल्ली और मुम्बई ने कटे-फटे और पुराने करेंसी नोटों के विनिमय के लिए कतिपय लोगों और फर्मों को नियुक्त किया है;

(ख) क्या इन लोगों और फर्मों को विभिन्न मूल्यों के सिक्कों की एक मुश्त आपूर्ति की अनुमति भी दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कतिपय लोगों तथा फर्मों की नियुक्ति के लिए क्रमशः औपचारिकताएँ व पात्रता क्या है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक आम लोगों की माँग पर उनके पारिवारिक उत्सव हेतु 1, 2 और 5 रुपए मूल्य के करेंसी नोट जारी कर रहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में विशेषकर शादियों के लिए आवश्यक औपचारिकताएँ क्या हैं;

(च) क्या कतिपय सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कटे-फटे और पुराने करेंसी नोटों के विनिमय के लिए प्राधिकृत किया गया है; और

(छ) यदि हाँ, तो दिल्ली और मुम्बई में अलग-अलग इन बैंकों की शाखाएँ कौन-कौन सी हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकारी क्षेत्र बैंकों की करेंसी तिजोरी वाली सभी शाखाओं और कतिपय गैर-सरकारी बैंकों को जिनके पास करेंसी तिजोरियाँ हैं, फटे हुए/कटे-फटे/विकृत नोटों की अदला-बदली के लिए शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। सरकारी क्षेत्र बैंकों की सभी शाखाओं को जनता द्वारा प्रस्तुत मैले नोटों को निर्बाद्ध रूप से बदलने के अनुदेश दिए गए हैं।

(छ) करेंसी तिजोरियों की दिल्ली और मुम्बई स्थित शाखाओं के नाम क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

दिल्ली, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर में स्थित करेंसी तिजोरी के नियन्त्रक कार्यालयों की सूची

क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, 13/34, आर्य समाज रोड, नई दिल्ली-110 005	सहायक महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फ्रंट कार्यालय, 1-बी, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक ऑफ इन्डिया, जीवन भारती बिल्डिंग, टावर-1, लेबल-5, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110 001	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सैंट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, 4, क्वीन रोड, सिविल लाइन, अम्बाला, पंजाब
मुख्य प्रबन्धक, सैंट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, मण्डलीय कार्यालय, लिंक हाऊस, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110 002	क्षेत्रीय प्रबन्धक, केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय 35, अंसल टावर, छठा तल, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110 019
क्षेत्रीय प्रबन्धक, केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, कुंजपुरा, करनाल	महाप्रबन्धक, कार्पोरेशन बैंक, उत्तरी क्षेत्र, मेन आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005
उप-महाप्रबन्धक, देना बैंक, क्षेत्रीय प्राधिकरण कार्यालय, द्वितीय तल, क्लीरन चैम्बर, 18/7-8, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	क्षेत्रीय प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, रचना बिल्डिंग, पूसा रोड, नई दिल्ली-110 005
सहायक महाप्रबन्धक, इंडियन बैंक, विश्व व्यापार केन्द्र, ऊपरी तल, बाबर रोड, नई दिल्ली-110 001	उप-महाप्रबन्धक, जम्मू और कश्मीर बैंक लि. मण्डलीय कार्यालय, पदम सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005
उप-महाप्रबन्धक, जम्मू और कश्मीर बैंक लि., टाउन हाल बिल्डिंग, जम्मू।	उप-महाप्रबन्धक, जम्मू और कश्मीर बैंक लि., श्रीनगर।
सहायक महाप्रबन्धक, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 97 सोनीपत रोड, रोहतक-124 001 (हरियाणा)	सहायक महाप्रबन्धक, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 841, सैक्टर-I, करनाल (हरियाणा)
मुख्य महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तरी दिल्ली क्षेत्र, 22, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, अन्तरिक्ष भवन, नई दिल्ली-110 001	उप नियंत्रण प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
महाप्रबन्धक, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 27 4/65, पदमसिंह रोड, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110 005	उप-महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डलीय कार्यालय, पी.एन.बी. हाउस, सैक्टर-17 बी., चण्डीगढ़।
मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण दिल्ली क्षेत्र, बारहवाँ तल, आत्मा राम हाउस-1, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001	मण्डलीय प्रबन्धक, पंजाब और सिन्ध बैंक, मण्डलीय कार्यालय, नई दिल्ली
सहायक महा प्रबन्धक, पंजाब और सिन्ध बैंक, प्रधान कार्यालय, खाता एवं लेखा कक्ष, डी-38/39 नारायणा फेस-I, नई दिल्ली-110 028	सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मण्डलीय कार्यालय, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मण्डलीय कार्यालय (हरियाणा), सैक्टर 8-सी, चण्डीगढ़	सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मण्डलीय कार्यालय क्षेत्र-II, जम्मू।
सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मण्डलीय कार्यालय क्षेत्र-III, 122-ए/डी, गाँधी नगर, जम्मू।	सहायक महाप्रबन्धक (बी.ओ.डी.), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
उप-महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मण्डलीय कार्यालय, सी-31, कनॉट पैलेस, नई दिल्ली-110 001	उप-महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मण्डलीय कार्यालय, सैक्टर 8सी, चण्डीगढ़।
महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, प्रधान कार्यालय, दी माल, पटियाला।	सहायक महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, दिल्ली मण्डलीय कार्यालय, शंकर रोड, नई दिल्ली।
महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सूर्य किरन बिल्डिंग, 16, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली।	सहायक महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, क्षेत्रीय कार्यालय, 16/15, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग नई दिल्ली।
सहायक महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ए. जी. एम.-II, केन्द्रीय मण्डल, बंगलूर।	सहायक महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ए-क्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद।
क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली।	मुख्य प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह प्लेस, नई दिल्ली।
सहायक प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, 64/65, बैंक स्क्वायर, चण्डीगढ़।	मण्डलीय प्रबन्धक यूको बैंक, मण्डलीय कार्यालय, (नई दिल्ली क्षेत्र), 6 संसद मार्ग, नई दिल्ली।
मण्डलीय प्रबन्धक यूको बैंक, मण्डलीय कार्यालय, एस.सी.ओ., 1092-93, सैक्टर-22 बी., चण्डीगढ़।	उप-महाप्रबन्धक, विजया बैंक, मण्डलीय कार्यालय, विजया, तीसरा तल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

विवरण-II

मुम्बई स्थित करेंसी तिजोरियों के नियंत्रण कार्यालयों की सूची

करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई मुख्य शाखा, मुम्बई समाचार मार्ग, मुम्बई।	करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, साकीनाका, मुम्बई।
करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, इर्लारोड विले पारले (पश्चिम), मुम्बई।	करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, चेम्बर, मुम्बई।
करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, लालबहादुर शास्त्री मार्ग, घटकोपर (पश्चिम), मुम्बई।	करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक एस.बी.रोड, मलाड (पश्चिम), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक लिंकिंग रोड, बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक अन्तर्राज्यीय एयर कार्गो काम्पलैक्स, सैटलाइट भवन, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, शान्ति लाल मोदी मार्ग, कान्दीवाली (पश्चिम), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, भाभा अनुसंधान केन्द्र, ट्रॉम्बे, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, 76 ए, रफी अहमद किदवई रोड, मतुंगा, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, महाकाली केव रोड, अन्धेरी (पूर्वी), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, लालबहादुर शास्त्री मार्ग, बैस्ट डिपो, कुरला, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, फोर्ट, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, बैंकबेरिक्लेमेशन, मैडम कामा रोड, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, लोखन्डवाला कॉम्पलेक्स, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, रानाडे रोड, शिवाजी पार्क, दादर रोड, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, एस. ए. ब्रैल्वी रोड, फोर्ट, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, कल्पतरू, 39 पीदुदर रोड, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सिओन अस्पताल के पीछे, सिओन, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, एम.जी. रोड, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, सेरगाँव, बान्द्रा (पूर्वी), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, संजय बिल्डिंग रोड सं. 1.111 जवाहर नगर, गौरे गाँव (वेस्ट) मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बान्द्रा कुरला कम्पलेक्स "ई" ब्लाक बान्द्रा (पूर्वी), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, बैंक ऑफ इण्डिया, 56 हिल रोड, बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, देना बैंक, 17, होरनीमन सर्कील, फोर्ट, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, बैंक ऑफ इण्डिया 408 ए, वीर सावरकर रोड, प्रभादेवी, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, इण्डियन बैंक, मित्तल टावर नरीमन पोईन्ट, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, बैंक ऑफ इण्डिया, 70/80, एम.जी. रोड, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, देना बैंक, जुहू विले पारले, वी.एम. रोड, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 333, जगन्नाथ शंकर सेठ रोड, ठाकुर वाड़ी, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, इण्डियन बैंक, सागर विला, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, केनरा बैंक, 24, आदिमजांबन स्ट्रीट, बनार्ड एस्टेट, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, पंजाब नेशनल बैंक, वोर्ली, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, केनरा बैंक, मोरनी अपार्टमैंट, सिओन कोलीवाड़ा, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, पंजाब नेशनल बैंक, एन.सी. केलकर रोड, दादर (पश्चिम) मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, केनरा बैंक, बी. कामा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरे गाँव (पूर्वी), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, सिन्डीकेट बैंक, मतुंगा बाजार शाखा, शंकर मत्तम बिल्डिंग, मतुंगा, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, सिन्डीकेट बैंक जॉलीमेकर चेम्बर, नरीमन प्वांयट, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, यूको बैंक, मफ्तलाल सेंटर, प्रथम तल, नरीमन प्वायंट, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, यूको बैंक, जसोदा निवास, विले पार्ले (पूर्वी), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, 239 बेकबे रिक्लेमेशन, नरीमन प्वायंट, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, हिल रोड, बान्द्रा (पूर्वी), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक, बख्तावर, नरीमन प्वायंट, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, विजया बैंक, एमका हाऊस, एस.बी. सिंह रोड, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, कारपोरेशन बैंक, वीना चेम्बर, 21, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, इलाहाबाद बैंक, 18, पीदुदर रोड, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, बैंक ऑफ इण्डिया एम. जी. रोड, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, बैंक ऑफ बड़ौदा मुम्बई मुख्य शाखा, मुम्बई समाचार मार्ग, मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेशन रोड, रामाकृष्णा वाड़ी, भंदुप (पश्चिम), मुम्बई।

करेंसी तिजोरी प्रभारी, एच.डी. एफ.सी. बैंक लि., डा. एनिबेसेंट रोड, वोर्ली, मुम्बई।

बिहार और झारखण्ड में विश्व बैंक पोषित परियोजना

2971. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक और अन्य विदेशी एजेन्सियों की सहायता से बिहार और झारखण्ड में कितनी परियोजनाएँ शुरू की गई हैं;

(ख) क्या उन सभी परियोजनाओं की समुचित निगरानी की जा रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राज्यों की कितनी परियोजनाएँ विश्व बैंक से सहायतार्थ सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) विश्व बैंक और अन्य विदेशी अभिकरणों की सहायता से बिहार और झारखण्ड में आरम्भ की गई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार हैं। परियोजनाओं की मानीटरिंग राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार, दोनों के ही स्तर पर की जाती है।

नए राज्य झारखण्ड का निर्माण होने के कारण परियोजनाओं के कुछ संघटक अब झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत आते हैं। इन संघटकों की पहचान किए जाने के कार्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) विश्व बैंक सहायता के लिए बिहार या झारखण्ड सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	स्रोत	ऋण/ अनुदान	आरम्भन तिथि	करेंसी	राशि (मिलियन)	संचयी आहरण
1.	बिहार पठार विकास	राज्य	आईडीए	ऋण	17.12.1992	एसडीआर	80.70	67.90
2.	अंगारा बिहार में ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए ऊर्जा सेवाएँ	राज्य	यूएनडीपी	अनुदान	13.10.1999	अ.डालर	0.60	0.03
3.	पारिस्थितिकी विकास परियोजना	केन्द्रीय	आईडीए	ऋण	30.09.1996	अ.डालर	28.00	8.60
4.	डीपीईपी-III	केन्द्रीय	आईडीए	ऋण	23.02.1998	अ.डालर	152.00	24.71
5.	एकीकृत बाल विकास परियोजना-II	केन्द्रीय	आईडीए	ऋण	23.03.1993	एसडीआर	141.80	68.56
6.	द्वितीय राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय	आईडीए	ऋण	14.09.1999	एसडीआर	140.80	22.50
7.	क्षय रोग नियन्त्रण	केन्द्रीय	आईडीए	ऋण	14.03.1997	एसडीआर	98.40	15.01
8.	पुनर्प्रजननता और बाल स्वास्थ्य	केन्द्रीय	आईडीए	ऋण	30.07.1997	एसडीआर	179.50	56.92
9.	मलेरिया नियंत्रण	केन्द्रीय	आईडीए	ऋण	30.07.1997	एसडीआर	119.20	24.48
10.	प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण	केन्द्रीय	आईडीए	ऋण	19.05.2000	एसडीआर	106.50	21.67
11.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग	केन्द्रीय	आईबीआरडी	ऋण	11.08.2000	अ.डालर	516.00	30.16
12.	सहकारी ग्रामीण भण्डारण	केन्द्रीय	ईसी	अनुदान	24.02.1988	यूरो	7.62	0.47
13.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी	केन्द्रीय	आईडीए, आईबीआरडी आईडीए,	ऋण ऋण	19.11.1998	अ.डालर	196.80	19.98
14.	ग्रामीण महिला विकास और अधिकरण	बहुराज्यीय	आईएफएडी		26.04.1999	अ.डालर	38.70	2.09

टिप्पणी : केन्द्रीय क्षेत्र/बहुराज्यीय परियोजनाओं के मामले में निर्दिष्ट राशियाँ सम्पूर्ण परियोजना के लिए हैं।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा लिया गया कर्ज

2972. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गत छह वर्षों के दौरान 26000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि कर्ज के रूप में ली है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह कर्ज आजादी के बाद से 1995 तक राज्य के कुल कर्ज के दुगुने से भी अधिक है;

(ग) यदि हाँ, तो इस धनराशि का राज्य सरकार द्वारा किस तरह उपयोग किया गया है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा इस कर्ज को किस प्रकार अदा करने की योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) राज्य सरकार का उधार मुख्यतः योजना सहायता के अन्तर्गत केन्द्र से ऋण, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित खुले बाजार से ऋण उगाही और राज्य की लघु बचत समूह की योजनाओं से लिया गया ऋण होता है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें व्यय के विनियोजनों के लिए अपनी विधायिका के प्रति जवाबदेह होती हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उनके खातों की जाँच की जाती है।

एल.आई.सी. द्वारा ऋण

2973. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न योजनाओं के लिए उनको ऋण मुहैया करा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अभी तक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक से ऋण प्राप्ति हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान एल.आई.सी. द्वारा उन्हें राज्य-वार कितना ऋण मुहैया कराया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) योजना आयोग के आबंटन के आधार पर जीवन बीमा निगम आवास के लिए राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत निगम/विद्युत क्षेत्र में लगी राज्य सरकार, राज्य-स्तरीय जलापूर्ति तथा मल-व्ययन बोर्ड/नगरपालिकाओं/जिला परिषद्/विभिन्न जलापूर्ति तथा मल व्ययन स्कीमों के लिए राज्य सरकारें तथा राज्य सड़क निगमों/सड़क परिवहन के लिए राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करता है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सहित विभिन्न राज्य सरकारों को उपर्युक्त (ख) में बताई गई सामाजिक क्षेत्र स्कीमों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1997 से 2001 के दौरान राज्य आवास में जीवन बीमा निगम के निवेश

क्र.सं.	राज्य	2000-2001		1999-2000		1998-99		1997-98	
		आवंटन	संवितरण	आवंटन	संवितरण	आवंटन	संवितरण	आवंटन	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	103.40		80.96	80.96	80.96	153.25	72.29	
2.	अरूणाचल प्रदेश							1.00	
3.	असम								
4.	बिहार								
5.	गोवा	4.00		4.00	4.00	5.00	5.00	6.00	6.00
6.	गुजरात			51.83	51.83	51.83	51.83	46.07	36.33
7.	हरियाणा					28.40		21.13	
8.	हिमाचल प्रदेश					4.00	4.00		
9.	जम्मू और कश्मीर								
10.	कर्नाटक	159.99	159.99	184.94	184.94	137.83	58.32	41.13	41.13
11.	केरल	299.65	299.65	179.68	179.68	148.71	148.71	110.03	110.03
12.	मध्य प्रदेश			35.00	30.00	30.00		13.18	
13.	महाराष्ट्र	42.53		11.11		11.11			
14.	मणिपुर	7.02		6.00		6.00	6.00	2.00	2.00
15.	मेघालय			2.89			1.98		
16.	मिजोरम	31.48		40.98	40.98	25.98	25.98	8.60	8.60
17.	नागालैण्ड					5.00		4.62	
18.	उड़ीसा	7.28		7.28				6.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	पंजाब							8.60	
20.	राजस्थान	10.00		15.39	15.39	15.39	15.39	13.74	13.74
21.	सिक्किम	8.03	8.03	6.86	6.86	16.86	16.86	1.10	1.10
22.	तमिलनाडु			37.02	37.02	37.02	37.02	46.23	71.22
23.	त्रिपुरा	53.16	53.16	45.44	45.44	21.20	21.20	10.00	10.00
24.	उत्तर प्रदेश							22.30	
25.	पश्चिम बंगाल	28.00				28.00		27.00	
	जोड़	754.54	520.83	709.38	677.10	655.27	543.56	461.52	300.15

विवरण-II

राज्य विद्युत बोर्ड (सेब) में जीवन बीमा निगम के निवेश

क्र.सं.	राज्य	2000-2001		1999-2000		1998-99		1997-98	
		आवंटन	संवितरण	आवंटन	संवितरण	आवंटन	संवितरण	आवंटन	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश					37.26		33.27	
2.	अरूणाचल प्रदेश								
3.	असम			12.12		12.12		12.12	
4.	बिहार			85.59		54.66		48.80	
5.	गोवा								
6.	गुजरात			116.95	116.95	113.69	113.69	107.01	107.01
7.	हरियाणा			60.00		51.60		67.13	101.51
8.	हिमाचल प्रदेश	185.68	185.68	115.00	115.00	65.00	65.00	18.73	18.73
9.	जम्मू और कश्मीर	72.48		60.00	60.00	45.00	45.00	32.00	32.00
10.	कर्नाटक	60.00						122.08	122.08
11.	केरल	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	57.87	57.87
12.	मध्य प्रदेश			123.31	123.31	155.41	246.29	60.88	
13.	महाराष्ट्र	84.00		84.00	84.00	84.00	84.00	75.00	75.00
14.	मणिपुर								
15.	मेघालय			22.20		11.20		6.70	
16.	मिजोरम	5.00	5.00						
17.	नागालैण्ड								
18.	उड़ीसा	47.42		35.00				33.00	
19.	पंजाब	146.25	146.25	125.00	125.00	95.00	95.00	28.93	28.93
20.	राजस्थान	51.94		155.50	155.50	140.50	140.50	148.16	148.16
21.	सिक्किम	51.95				16.86			
22.	तमिलनाडु	73.40		86.75	66.75	136.75	136.75	146.31	146.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	त्रिपुरा								
24.	उत्तर प्रदेश	262.85				420.00	420.00	225.00	
25.	पश्चिम बंगाल	92.51		103.00		75.00	75.00	100.00	100.00
	नेपको			39.60	39.60	33.00	33.00	27.50	27.50
	जोड़	1163.48	366.93	1254.02	916.11	1572.05	1479.23	1350.49	965.10

विवरण-III

जलापूर्ति तथा मल-व्ययन स्कीमों में जीवन बीमा निगम के निवेश

क्र.सं.	राज्य	2000-2001		1999-2000		1989-99		1997-98	
		आवंटन	संवितरण	आबंटन	संवितरण	आबंटन	संवितरण	आबंटन	संवितरण
1.	आँध्र प्रदेश	3.00		3.36	3.36	3.36		3.00	
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.13	1.13	1.13					
3.	असम								
4.	बिहार								
5.	गोवा	15.89		13.00	1.53			6.23	6.23
6.	गुजरात			38.70	2.00	2.00		34.55	
7.	हरियाणा								
8.	हिमाचल प्रदेश					4.23	4.23	19.87	
9.	जम्मू और कश्मीर	13.44		13.44	5.80	15.00	10.00	13.00	
10.	कर्नाटक	80.00		40.50	15.53	15.50	15.50	10.76	10.76
11.	केरल	30.00		30.00	30.00			27.83	27.83
12.	मध्य प्रदेश			15.00	3.27	8.50	5.00	28.51	3.50
13.	महाराष्ट्र	75.00		75.00	75.00	75.00	73.00	68.00	73.12
14.	मणिपुर								
15.	मेघालय			7.09				4.59	
16.	मिजोरम	4.50	1.13						
17.	नागालैण्ड			4.00	3.51	4.00		5.38	0.39
18.	उड़ीसा			30.80		40.80		27.50	
19.	पंजाब							32.10	
20.	राजस्थान	10.00		10.00		10.00	10.00	9.27	17.70
21.	सिक्किम								
22.	तमिलनाडु	413.05	343.05	196.23	196.23	121.23	121.23	83.52	83.52
23.	त्रिपुरा								
24.	उत्तर प्रदेश							2.00	
25.	प. बंगाल								
	जोड़	646.01	345.31	478.25	336.23	289.62	238.96	376.11	223.05

विवरण-IV

राज्य सड़क परिवहन निगम (एसआरटीसी) में जीवन बीमा निगम के निवेश

क्र.सं.	राज्य	2000-2001		1999-2000		1998-99		1997-98	
		आवंटन	संवितरण	आवंटन	संवितरण	आवंटन	संवितरण	आवंटन	संवितरण
1.	आन्ध्र प्रदेश	48.05		47.69	47.69	40.43	40.43	9.31	
2.	अरूणाचल प्रदेश								
3.	असम								
4.	बिहार								
5.	गोवा								
6.	गुजरात							11.93	
7.	हरियाणा								
8.	हिमाचल प्रदेश								
9.	जम्मू और कश्मीर								
10.	कर्नाटक			25.00	17.60	17.60		10.50	
11.	केरल								
12.	मध्य प्रदेश							5.71	
13.	महाराष्ट्र	14.70		14.70		14.70		11.75	11.75
14.	मणिपुर								
15.	मेघालय								
16.	मिजोरम								
17.	नागालैण्ड	7.50				14.00	14.00		
18.	उड़ीसा								
19.	पंजाब								
20.	राजस्थान								
21.	सिक्किम								
22.	तमिलनाडु								
23.	त्रिपुरा								
24.	उत्तर प्रदेश	69.84						26.77	
25.	पश्चिम बंगाल								
	जोड़	140.09	0.00	87.39	65.29	86.73	54.43	75.97	11.75

बंदरगाहों के निकट निर्यात संवर्द्धन जोन

2974. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन्टरप्राइस, व्यवसाय विकास और निर्यात जोनों जैसे कई जोन स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और निर्यात को बढ़ावा देने में ये उपाय किस हद तक सहायक सिद्ध हुए हैं;

(ग) इन निर्यात-व्यवसाय-विकास जोनों पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास इन केन्द्रों को विकसित करने की कई योजनाए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : **(क)** और (ख) सरकार ने निर्यातों को बढ़ाने के लिए कांडला (गुजरात), सांताक्रूज, मुम्बई (महाराष्ट्र), नोएडा (उत्तर प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु), कोचीन (केरल), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) में पत्तनों/इनलैण्ड कटेंनर डिपों के निकट सात निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीजैड)/विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड) स्थापित किए हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान इन ईपीजैड/एसईजैड से हुए निर्यात 1998-99 के दौरान हुए 5252 करोड़ रु. के निर्यात की तुलना में 6708 करोड़ रु. मूल्य के हुए थे जिनमें 28% की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(ग) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार ने ईपीजैड/एसईजैड में भूमि की लागत और अवस्थापना के विकास की तरफ 291 करोड़ रु. का कुल व्यय किया है।

(घ) नीति के अनुसार, एसईजैड/ईपीजैड में एककों की हकदारी में शामिल हैं–पूँजीगत वस्तुओं, कच्चे माल इत्यादि पर सीमाशुल्क से छूट, घरेलू बाजार से पूँजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, उपभोज्य वस्तुओं इत्यादि के प्रापण पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट; केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति; उन्नत अवस्थापना तथा सरल क्रियाविधियाँ।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई नया ईपीजैड/एसईजैड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ईपीजैड/एसईजैड निजी, संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रबन्धक कार्यक्रम

2975. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों के निर्यात के लिए केन्द्र सरकार से काकिनाड़ा डीप वाटर पोर्ट को नामित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हाँ।

(ख) जिन स्थानों पर बल्क खाद्यान्न हैंडलिंग, भण्डारण तथा दुलाई की सुविधाएँ सृजित की जानी हैं, उन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

आई.बी.आर.डी. से ऋण

2976. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कौन-कौन सी परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्गठन और विकास बैंक (इन्टरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट) द्वारा ऋण दिया गया है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने कुछ राज्यों में विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन करने वाली परियोजनाओं के लिए ऋण दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके नियम और शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। विश्व बैंक ने विद्युत क्षेत्र की निम्नलिखित पुरसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए विनिर्दिष्ट राशियों के ऋण अनुमोदित किए हैं :

परियोजना का नाम	राशि मिलियन अमरीकी डालर में
उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	350
हरियाणा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	60
आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	210
उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	150
राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	180

उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए ऋण 'लिबोर' आधारित परिवर्तनीय एकल करेंसी ऋणों पर लागू सामान्य निबंधनों और शर्तों के अनुसार हैं।

विवरण

राज्य	परियोजना का नाम
औंध्र प्रदेश	सिंचाई परियोजना
	राज्य राजमार्ग परियोजना
	आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना
	विद्युत पुनर्संरचना परियोजना
गुजरात	राज्य राजमार्ग परियोजना
हरियाणा	विद्युत पुनर्संरचना परियोजना
कर्नाटक	जलापूर्ति प्रबन्धन और बहुराज्यीय परियोजना
महाराष्ट्र	बम्बई मल व्ययन परियोजना

राज्य	परियोजना का नाम
बहुराज्यीय	नाप्था झाकड़ी विद्युत परियोजना
	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना
	राज्य की सड़क अवसंरचना विकास तकनीकी सहायता परियोजना
	एकीकृत जलसंभर विकास (पहाड़ी II) परियोजना
नागालैण्ड	पूँजी पुनर्संरचना ऋण
उड़ीसा	विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
राजस्थान	विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
तमिलनाडु	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति परियोजना
	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना
उत्तर प्रदेश	ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण
	विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
	राजकोषीय सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्संरचना कार्यक्रम
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता जलापूर्ति, मलव्यवस्था और जल निकास परियोजना

[हिन्दी]

सिक्कों की कमी

2977. श्री जय प्रकाश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक, दो और पाँच रुपए के सिक्कों की कमी से देश में कई समस्याएँ पैदा हो रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार छोटे मूल्यों वाले नोटों को फिर से छापने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) आपूर्ति एवं माँग में अन्तर के कारण देश में सिक्कों की आमतौर पर कमी है। इसका समाधान करने के लिए, एक दीर्घावधिक उपाय के तौर पर कलकत्ता, हैदराबाद और मुम्बई स्थित टकसालों को आधुनिक बनाने की योजना की गई थी जो लगभग समाप्ति पर है। भारतीय रिजर्व बैंक से सिक्कों की माँग और टकसालों द्वारा सिक्कों की आपूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए सिक्कों का आयात भी किया जा रहा है। सरकार न्यूनतर मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों के पुनर्मुद्रण पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न की आवश्यकता

2978. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) और गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) की श्रेणी के लोगों के लिए पश्चिम बंगाल में कुल कितने खाद्यान्न की आवश्यकता थी;

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य को वास्तविक रूप में कितने खाद्यान्न का आवंटन किया गया और इसमें कितनी वृद्धि की गई; और

(ग) उन वर्षों में बी.पी.एल. श्रेणी के लोगों के लिए खाद्यान्न किस मूल्य पर जारी किया गया और इसका वास्तविक खुदरा मूल्य क्या था?

उपभाक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) 1997 में लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल और गेहूँ) का आबंटन योजना आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समूह के गरीबी सम्बन्धी अनुमानों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से किया गया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के समय पिछले 10 वर्षों में औसत वार्षिक उठान और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आवश्यकता के बीच का अन्तर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए अस्थाई आबंटन के रूप में दिया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीब रेखा से नीचे के परिवारों हेतु खाद्यान्नों का आबंटन 1.4.2000 से 10 किलोग्राम से दुगुना करके 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह किया गया था।

1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पश्चिम बंगाल को आबंटित खाद्यान्नों (चावल और गेहूँ) की मात्राएँ निम्नानुसार हैं :–

(हजार टन में)

वर्ष	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ. + अतिरिक्त	जोड़
चावल			
1998-99	288.490	278.760	567.250
1999-2000	264.840	253.760	518.600
2000-2001	537.984	336.840	874.824
वर्ष	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ. + अतिरिक्त	जोड़
गेहूँ			
1998-99	260.150	787.200	1047.350
1999-2000	283.800	777.300	1061.100
2000-2001	576.496	778.400	1354.896

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू चावल और गेहूँ के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार रहे हैं :–

(रुपए/क्विंटल)

निम्न तारीख से लागू	चावल	गेहूँ
1.6.1997	350	250
1.4.2000	590	450
25.7.2000	565	415

1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान पश्चिम बंगाल में गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए चावल और गेहूं के खुदरा मूल्य निम्नानुसार हैं :–

(रुपए/क्विंटल)

वर्ष	चावल	गेहूँ
1998-99	400	300
1999-2000	400	300
2000-2001	640	500

दूरसंचार क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अल्प मूल्य के बीजक

2979. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऐसी भारतीय कम्पनियों जिनमें शत-प्रतिशत इक्विटी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अधिकार में है, द्वारा दूरसंचार उपकरणों के आयात-प्रयोजनों के लिए अधिक मूल्य/कम मूल्य के बीजक तैयार किए जाने के कतिपय मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी वर्षवार और उत्पादनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए, ये लागू नहीं होते।

गैर-निष्पादित आस्तियों की वसूली के लिए बैंकों द्वारा खर्च की गई राशि

2980. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-निष्पादित आस्तियों की वसूली के लिए मुकदमेबाजी में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) बट्टे खाते/बकाया ऋण राशि की वसूली में बेहतर परिणाम के लिए हाल ही में क्या नीतिगत पहल की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2000 में अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) से सम्बन्धित देय राशियों की वसूली के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(i) कारोबार की प्रकृति का ध्यान रखे बिना सभी क्षेत्रों में सभी एनपीए, जो 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार "संदिग्ध" अथवा "हानि वाले" हो गए हैं, साथ ही 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार "अवमानक" जो बाद में निर्दिष्ट तारीख को 5 करोड़ रुपए और उससे कम के शेष बकाया वाले "संदिग्ध" अथवा "हानि" वाली श्रेणी वाले हो गए हैं।

(ii) न्यायालयों/डीआरटी/बीआईएफआर के समक्ष लम्बित मामले।

(iii) जानबूझकर चूक करने वाले, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले कवर नहीं होंगे।

इन मार्गनिर्देशों में समझौता फार्मूला, भुगतान का तरीका आदि भी अन्तर्विष्ट है। जहाँ तक 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक के एनपीए का सम्बन्ध है, मार्गनिर्देशों में ऐसे मामलों में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा व्यक्तिगत पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई है। ये मार्गनिर्देश 31.3.2001 तक कारगर रहेंगे।

बाँग्लादेश से तस्करी

2981. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाँग्लादेश और म्यांमार से भारत में बड़े पैमाने पर मालों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गत एक वर्ष के दौरान तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) चूँकि तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है, अतः बाँग्लादेश और म्यांमार से भारत में की जाने वाली तस्करी की सही मात्रा का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। तथापि, उपलब्ध जब्ती की रिपोर्टों से अवश्य यह पता चलता है कि बाँग्लादेश और म्यांमार से भारत में माल की तस्करी की जा रही है। विगत एक वर्ष अर्थात् 2000-2001 (फरवरी, 2001) के दौरान, राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 34.01 करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य का तस्करी का माल जब्त किया गया है।

(ग) सीमा शुल्क विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रीय कार्यालय बाँग्लादेश तथा म्यांमार से होने वाली तस्करी समेत, तस्करी के किसी भी प्रयास का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए चौकस तथा सतर्क रहते हैं।

कॉफी उत्पादकों के लिए मूल्य स्थिरीकरण योजना

2982. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने वियतनाम के साथ कॉफी-मूल्य स्थिरीकरण योजना पर चर्चा की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण भारतीय कॉफी उत्पादक किस हद तक प्रभावित होंगे;

(ग) क्या वियतनामी कॉफी प्रतिष्ठानों के साथ कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो वर्ष 2001-2002 में भारतीय कॉफी उत्पादकों के लिए स्थिरीकरण योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गेहूँ के विशाल भण्डार की बिक्री

2983. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों ने भारतीय गेहूँ को प्रतिस्पर्धी बना दिया है और विश्व के निविदाकर्त्ताओं ने यहाँ उपलब्ध विशाल भण्डार पर अपनी निगाहें टिका रखी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस समय बिक्री के लिए उपलब्ध गेहूँ की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) उन विदेशी फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गेहूँ की एकमुश्त खरीदारी के लिए सरकार से सम्पर्क किया है; और

(घ) इस समय यह मामला किस स्थिति में है और इसे किस मूल्य पर बेचे जाने की सम्भावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) गेहूँ के निर्यात मूल्य और घरेलू मूल्य की तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि गेहूँ का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों पर निर्भर करेगा।

(ख) गेहूँ का निर्यात वाणिज्य विभाग (डी.जी.एफ.टी.) द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित मात्रात्मक सीमा और कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) द्वारा जारी निबन्धन-सहआवंटन प्रमाण-पत्र की शर्त के अध्यधीन मुक्त रूप से अनुमत है। वर्ष 2000-2001 के लिए 20 लाख टन की मात्रात्मक सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही, सरकार ने अपने पास उपलब्ध अधिशेष स्टाकों से गेहूँ का निर्यात करने का निर्णय लिया है। 2000-2001 के दौरान गेहूँ के निर्यात के लिए 20 लाख टन की सीमा निर्धारित की गई है।

(ग) गेहूँ की भारी मात्रा में खरीद के लिए किसी भी विदेशी फर्म ने सरकार से सम्पर्क नहीं किया है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के लिए गेहूँ उस मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जो अभी 4150/- रुपए प्रति टन है, से कम न हो। 12.3.2001 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के स्टाकों से निर्यात के लिए गेहूँ की 13.70 लाख टन मात्रा का उठान किया गया है।

दूरदर्शन गेम शो

2984. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दूरदर्शन चैनलों ने 1.1.2000 और 28.2.2001 की अवधि के दौरान प्रतिष्ठित अभिनेताओं/अभिनेत्रियों को शामिल करके कई गेम शो आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसे कार्यक्रमों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के ऐसे कार्यक्रमों पर प्रतिबन्ध लगाने का है जिनसे जुए को प्रोत्साहन मिलता है तथा स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि इनका प्रसारण शाम 7.00 बजे और 10.00 के बीच किया जाता है;

(घ) यदि हाँ, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सरकार को पता है कि टीवी चैनल प्रतिष्ठित अभिनेताओं/अभिनेत्रियों द्वारा संचालित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। तथापि, सरकार ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा नहीं रखती है।

(ग) से (ङ) टी.वी. गेम शो पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों से मिलते-जुलते कार्यक्रम हैं और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत प्रथम-दृष्टया कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं बनती है।

आयात-निर्यात बैंक

2985. **श्री किरीट सोमैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात-निर्यात बैंकों के संगठनात्मक ढाँचे का सम्पूर्ण पुनर्गठन करने को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए ढाँचे से बैंकों को उपभोक्ताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने में सहायता मिलेगी तथा विशेष रूप से निर्यात की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए विपणन पर ध्यान रखा जाएगा;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नया संगठनात्मक ढाँचा कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कच्चे चमड़े के लिए व्यापार केन्द्र

2986. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हापुड़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में पशुओं की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए कच्चे चमड़े के मुख्य व्यापार के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

(ग) यदि हाँ, तो कच्चे चमड़े को प्रसंस्करण के लिए चेन्नई भेजा जाता है और तत्पश्चात् जूतों और अन्य चमड़ा वस्तुओं का निर्माण करने के लिए इसे पुनः आगरा, कानपुर, दिल्ली और नौएडा भेजा जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या तथ्य बताए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उत्तरी भारत में चमड़ा प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) जी हाँ।

(ख) पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से गोसदृश जानवरों को माँस के प्रयोजन हेतु हापुड़ लाया जाता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में हापुड़ माँस उत्पादन का एक प्रमुख केन्द्र है। ऐसा अनुमान है कि माँस के लिए प्रत्येक दिन लगभग 2000 गो सदृश पशुओं को प्रसंस्करित किया जाता है और उनकी खालें व चमड़ी उतारी जाती है।

(ग) और (घ) कच्ची खाल तथा चमड़ी को कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, जालंधर आदि स्थानों को प्रसंस्करण के लिए भेजा जाता है। जूतों तथा अन्य चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए इन वस्तुओं के विनिर्माता इन केन्दों से तैयार चमड़ा प्राप्त कर सकते हैं। आगरा, दिल्ली तथा नौएडा स्थित उत्पाद इकाइयाँ जालन्धर तथा कानपुर में चमड़े के उत्पादन पर मुख्य रूप से निर्भर रहती हैं। फिनिशिंग तकनीकी वाला कुछ विशेष किस्म का चमड़ा ही तमिलनाडु की चर्मशोधनशालाओं से दिल्ली-नौएडा क्षेत्र की चमड़ा उत्पादन इकाइयों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(ङ) और (च) सरकार, राज्य सरकारों/एजेंसियों तथा निजी उद्यमियों के जरिए उत्तरी भारत सहित देश के विभिन्न भागों में चमड़ा प्रसंस्करण केन्द्रों/चर्मशोधनशालाओं की स्थापना को विभिन्न नीतिगत पहलों द्वारा प्रोत्साहित कर रही है। पिछले सात वर्षों में कानपुर तथा जालंधर स्थित चमड़ा प्रसंस्करण कार्यकलाप ने अधिक वृद्धि दर दर्ज की है।

[अनुवाद]

उर्वरक इकाइयों में विनिवेश

2987. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों में इक्विटी के विनिवेश के लिए समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हाँ, तो उन इकाइयों के लिए क्रमशः योजनाएँ कौन-कौन सी हैं जिनमें सरकार की विनिवेश करने की योजना है;

(ग) इससे उर्वरक उद्योग के आधुनिकीकरण में कितनी सहायता मिलेगी;

(घ) क्या ऐसी इकाइयों में पूँजी लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ कोई प्रबन्ध किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) सरकार ने पारादीप फॉस्फेट लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. और मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. में विनिवेश करने का अब सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया है। अनुकूल बिक्री के माध्यम से पारादीप फॉस्फेटस लि. की 74 प्रतिशत, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. की 51 प्रतिशत और मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. की 32.74 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने का प्रस्ताव है। विनिवेश प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है और अभी पूरी नहीं हुई है।

(ग) अनुकूल साझेदार को सम्मिलित करने के पश्चात्, प्रबन्धन से ऐसे उपाए अपनाए जाने की उम्मीद की जाती है जो इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक हों।

(घ) और (ङ) इन उपक्रमों में इक्विटी पूँजी लगाने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों को बचाने के लिए नई प्रौद्योगिकी

2988. डा. सुशील कुमार इन्दौरा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के एक वैज्ञानिक ने भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में खराब हो जाने वाले खद्यान्नों को बचाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तकनीक के प्रसार का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) सरकार को केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर द्वारा खोज की गई किसी ऐसी नई प्रौद्योगिकी की जानकारी नहीं है। तथापि, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर खाद्यान्नों के सुरक्षित भण्डारण की तकनीक का विकास करने और उसे लागू करने में सहायता देने के काम से जुड़ा हुआ है। इन तकनीकों में कीट जन्तुबाधा के नियंत्रण के लिए फास्फीन और कार्बन डाइआक्साइड जैसे रासायनिक प्रधूमकों के उपयोग से प्रधूमन करना और अच्छी भण्डारण प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

भारतीय खाद्य निगम भी भण्डारित खाद्यान्नों को कीट जन्तुबाधा से बचाने के लिए अपने गोदामों में प्रधूमन तकनीक का इस्तेमाल करता है।

भूकम्प पीड़ितों को सहायता

2989. श्री विजय गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम (एफ.ई.एम.ए.), 1999 से गुजरात भूकम्प पीड़ितों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने में अड़चन आई;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस अधिनियम को समाप्त करने अथवा इसमें समुचित संशोधन करने का है ताकि भविष्य में ऐसी कोई समस्या न आए; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेलारूस के साथ व्यापार का विस्तार

2990. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवानी माने :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेलारूस के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से बेलारूस के साथ इस दिशा में कई कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत और बेलारूस के बीच निवेश का वर्तमान स्तर क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बेलारूस को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की पहचान कर ली है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ग) जी, हाँ। बेलारूस के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

अन्तर्सरकारी आयोग और कार्य दल की नियमित बैठकों के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा करना; व्यापार सम्बन्धी सूचना का आदान-प्रदान; व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान; और एक-दूसरे के देश में व्यापार मेलों में भाग लेना।

(घ) अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 2000 तक भारत सरकार ने बेलारूस के साथ केवल एक विदेशी सहयोग को अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें रसायन क्षेत्र में 4.90 लाख रुपए की इक्विटी भागीदारी शामिल है।

(ङ) और (च) अन्तर्सरकारी आयोग की बैठक के दौरान दोनों देशों ने व्यापार वस्तु-समूह के विविधीकरण की सम्भावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्ति की। भारत द्वारा बेलारूस को विस्तृत श्रेणी की औद्योगिक, वाणिज्यिक वस्तुओं और कृषि की मदों औषधों और स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी उत्पादों को निर्यात करने का प्रस्ताव किया गया। उपर्युक्त उपायों से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होने की आशा है। तथापि, विदेशी मुद्रा पर इसके ठीक-ठीक प्रभाव की भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती।

समाचार बुलेटिनों का निजीकरण

2991. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी एफ.एम. प्रसारण के निजीकरण के बाद भी समाचार बुलेटिनों और समसामयिक मामलों से संबन्धित कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी करता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने समाचार बुलेटिनों और समसामयिक मामलों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के प्रसारण के निजीकरण के लिए क्या कदम उछाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) निजी एफ.एम. केन्द्रों को संगीत, शिक्षा, मनोरंजन आधारित कार्यक्रमों तथा व्यापार, पूँजी बाजार व स्थानीय बाजार एयरलाइन/रेलवे और बसों की समय-सारणी, यातायात, खेल एवं मौसम आदि जैसे विषयों पर स्थानीय सूचना प्रसारित करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) वर्तमान में, समाचार बुलेटिनों तथा समसामयिकी कार्यक्रमों के प्रसारण का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

निर्यात फर्मों का निरीक्षण

2992. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्यात निरीक्षण परिषद ने कितनी निर्यात फर्मों का निरीक्षण किया है;

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद को कितनी निर्यात फर्मों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनी ऐसी फर्मों को काली सूची में डाल दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार काली सूची में डाल दी गई फर्मों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) निर्यात (गुणवत्ता नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण और लदान-पूर्व निरीक्षण के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) के प्रशासनिक और तकनीकी नियन्त्रणाधीन पाँच निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ईआईए) स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान, निर्यात निरीक्षण अभिकरणों ने गुणवत्ता नियन्त्रण और लदान-पूर्व निरीक्षण के सम्बन्ध में 587 निर्यात फर्मों का निरीक्षण किया है।

(ख) 1999-2000 के दौरान, ऐसी निर्यात फर्मों के विरुद्ध गुणवत्ता के बारे में नौ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से किसी भी फर्म को काली सूची में नहीं डाला गया था। तथापि, ऐसी शिकायतों पर निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

टाइटेनियम डायआक्साइड का आयात शुल्क

2993. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय बाजार में विदेशों में तैयार किए गए टाइटेनियम डायआक्साइड पिगमैन्ट के आने के कारण टाइटेनियम डायआक्साइड पिगमैन्ट तैयार करने वाली भारतीय औद्योगिक इकाइयों को होने वाली कठिनाइयों का ध्यान है;

(ख) भारत सरकार का विचार भारतीय कम्पनियों को बचाने के लिए टाइटेनियम डायआक्साइड पिगमैंट के आयात शुल्क में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) सरकार को टाइटेनियम डायआक्साइड पिगमैंट पर सीमा शुल्क बढ़ाने के लिए बजट-पूर्व कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन पर ऐसे सामान्य प्रस्ताव के रूप में विचार किया गया था जिसे सीमा शुल्क ढाँचे के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया था और जिसका वर्ष 2001-02 के बजट में अनुसरण किया गया था। टाइटेनियम डायआक्साइड पिगमैंट पर सीमा शुल्क बढ़ाना व्यवहार्य नहीं पाया गया था। इस सम्बन्ध में सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार भी नहीं कर रही है।

राजसहायता को वापस लिया जाना

2994. डा. चरणदास महंत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जूट मिलों को मिल रही प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष राजसहायता को पूरी तरह समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान कर ली है जिनमें राजसहायता को समाप्त किया जाना है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जूट मिलों के स्वामियों की माँग पर जे.पी.एम. अधिनियम, 1987 के प्रावधानों में हाल ही में सुधार किया है और उनको दी जाने वाली अप्रत्यक्ष राजसहायता को जारी रखा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार की इन दोहरी नीति के क्या कारण है और ऐसी राजसहायता को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा जूट मिलों को कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं दी जा रही है। तथापि जूट पैकेजिंग सामग्रियाँ (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और उसके उत्पादन में लगे व्यक्तियों और उससे सम्बन्धित मामलों के हित में कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण में जूट पैकेजिंग सामग्रियों के अनिवार्य प्रयोग की व्यवस्था है।

उपर्युक्त जे.पी.एम. अधिनियम, 1987 की धारा (3) की उप-धारा (1) में केन्द्र सरकार को उन वस्तुओं की पैकेजिंग का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है, जिन्हें जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त उपबन्धों के तहत सरकार ने दिनांक 25.10.2000 की अधिसूचना, जो 30.06.01 तक वैध है, के तहत जूट वर्ष 2000-2001 के लिए जूट बैगों में अनिवार्य पैकेजिंग के लिए खाद्यान्नों और चीनी, प्रत्येक के लिए 100 प्रतिशत और यूरिया के लिए 20 प्रतिशत के मानक निर्धारित किए हैं। आपूर्ति में किसी बाधा की स्थिति में प्रयोक्ता मंत्रालय के परामर्श से खाद्यान्नों और चीनी, प्रत्येक के लिए 20 प्रतिशत तक और यूरिया के लिए 5 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान करने का उपबन्ध है।

चूँकि अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह अनिवार्य पैकेजिंग आदेश सम्पूर्ण देश में चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, लागू होता है, अतः इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं कहा जा सकता है। मूल्यों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा होता है।

चाय की नई किस्में

2995. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाँधी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने वर्ष 1999 और 2000 के दौरान देश में चाय की कुछ नई किस्में प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) चाय की इन नई किस्मों के रोपण के लिए कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(घ) क्या सरकार ने चाय बोर्ड से चाय उगाने वाले गैर-परम्परागत क्षेत्रों में उत्पादन के लिए चाय की नई किस्में विकसित करने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) चाय की नई किस्में पैदा करना चाय बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों द्वारा निरन्तर चलाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। असम में चाय अनुसंधान एसोसिएशन और तमिलनाडु में यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया चाय अनुसंधान से सम्बन्धित प्रमुख संस्थान हैं।

(ग) चाय की नई किस्मों के रोपण हेतु किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों को अभिज्ञात नहीं किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निगमित प्रशासन के लिए भूमण्डलीय केन्द्र

2996. श्री वाई.वी. राव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में निगमित प्रशासन के एक भूमण्डलीय केन्द्र की स्थापना पर विचार करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के इस अनुरोध को मान लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद में निगमित प्रशासन के भूमण्डलीय केन्द्र की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

बैंक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

2997. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **वित्त** मंत्री 24.11.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 987 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने से सम्बन्धित समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के विरोध को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष बनाए रखने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) समिति की सिफारिशों की जाँच की जा रही है।

[अनुवाद]

यूनान के साथ समझौता ज्ञापन

2998. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यूनान के साथ हाल ही में "तम्बाकू से सम्बन्धित आर्थिक सहयोग" से सम्बन्धित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार तंबाकू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, नहीं। 5 फरवरी, 2000 को भारत और यूनान द्वारा कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में तम्बाकू को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात नहीं किया गया है।

(ग) सरकार, तम्बाकू बोर्ड के जरिए क्योरिंग खत्तों के लिए बैंकों से ऋण और बीमा सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर तथा कीटनाशकों, उर्वरकों, उच्च पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों जैसी निविष्टियों की आपूर्ति की व्यवस्था कर एफ.सी.बी. तम्बाकू की पैदावार को बढ़ाने तथा गणुवत्ता में सुधार लाने के लिए तम्बाकू कृषकों की सहायता करने के प्रयास कर रही है।

बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी अधिकार

2999. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1999 में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण से सम्बन्धित दो महत्त्वपूर्ण कानूनों को अधिसूचित किया गया था तथा उन्हें लागू करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड का गठन करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बोर्ड का गठन कर लिया गया है और उसने इन कानूनों का अधिनियमन करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है;

(ग) यदि नहीं, तो बोर्ड का गठन किए जाने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विदेशी कम्पनियाँ उक्त कानूनों के लागू न हो पाने का अनुचित लाभ उठा रही हैं और भारतीय ब्रांड-नामों की नकल करके अपने विभिन्न उत्पाद बेच रही हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बोर्ड का गठन कब तक किया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' को संसद के दोनों सदनों द्वारा

अनुमोदित कर देने के पश्चात् 30.12.1999 को अधिसूचित किए गए थे। व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 में क्रमशः व्यापार चिन्ह और भौगोलिक सूचक रजिस्ट्रार के आदेशों के खिलाफ अपील करने हेतु एक अपीलीय मंच के तौर पर एक बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड की स्थापना करने की व्यवस्था है। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड इन अधिनियमों को कार्यान्वित नहीं करेगा, जिन्हें मौजूदा व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री तथा प्रस्तावित भौगोलिक सूचक रजिस्ट्री द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) बोर्ड का अभी गठन नहीं किया गया है।

(ग) बोर्ड के गठन हेतु अन्तर्मन्त्रालयी परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। बोर्ड के कार्य आरम्भ करने हेतु प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं।

(घ) व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 को ध्यान में रखते हुए जिसे निरस्त और प्रतिस्थापित किया जाएगा व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 तथा उसके तहत दण्डात्मक उपबन्धों को व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया है। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम में भारतीय भौगोलिक सूचक वस्तुओं के संरक्षण की व्यवस्था है। इस अधिनियम के बनने से संगत बाजारों में धोखा देने अथवा भ्रांति उत्पन्न करने के लिए ऐसे उत्पादों के दुरुपयोग पर रोक लगने की आशा है जिनके लिए भारत में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के भौगोलिक सूचक उपयोग किए जाते हैं।

(ङ) सरकार का प्रयास बोर्ड को यथाशीघ्र गठित करने का है।

मलेशिया को गेहूँ की आपूर्ति

3000. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मलेशिया को गेहूँ की आपूर्ति करने के लिए मलेशिया सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) मलेशिया को गेहूँ की आपूर्ति किन दरों पर की गई है; और

(घ) भारत ने किन-किन देशों के साथ गेहूँ की आपूर्ति के सम्बन्ध में समझौता किया है और गेहूँ को किस दर पर दिया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) किसी भी देश के साथ गेहूँ की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार के आधार पर कोई सन्धि नहीं हुई है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के लिए गेहूँ उस मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जो अभी 4150/- रुपए प्रति टन है, से कम न हो।

[हिन्दी]

वस्त्र निर्माण-मशीनरी का आयात

3001. डॉ. जसवंतसिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्माण-मशीनरी उद्योग से सम्बन्धित प्रावधानों को वस्त्र नीति में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अधीन विदेशी वस्त्र निर्माण-मशीनरी का आयात कर रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो पिछले एक वर्ष के दौरान आयात की गई वस्त्र निर्माण-मशीनरी के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस आयात का घरेलू वस्त्र निर्माण-मशीनरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) वस्त्र नीति में वस्त्र निर्माण मशीनरी के क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है क्योंकि मशीनरी, वस्त्र और कपड़े की सुनिश्चित मूल्यवर्धन शृंखला में वस्त्र के अर्थ और दायरे के भीतर नहीं आती है। तथापि, 2.11.2000 को घोषित राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 में वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण की जरूरत के बारे में कई स्थानों पर जोर दिया गया है। वस्त्र उद्योग के उन्नयन और आधुनिकीकरण से वस्त्र निर्माण मशीनरी के क्षेत्र और इस उद्योग के अन्य सहायक उपक्षेत्रों में निवेश और क्षमता में सुधार हेतु बढ़े हुए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

(ग) से (ङ) 1996 से पहले और उसके बाद वस्त्र निर्माण मशीनरी मुक्त रूप से आयात योग्य रही है। डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कलकत्ता द्वारा उपलब्ध किए गए आँकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान वस्त्र निर्माण मशीनरी के आयात के आँकड़े निम्नानुसार हैं–

मदों का विवरण	(करोड़ रु. में)
कताई और संबद्ध मशीनरी	335.96
बुनाई और निटिंग मशीनरी	41.02
कताई और बुनाई मशीनरी के पुर्जे और सहायक उपकरण	228.56
प्रसंस्करण मशीनरी और सम्बद्ध मशीनरी	261.25

[अनुवाद]

कॉफी का निर्यात

3002. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले नौ महीनों के दौरान और दिसम्बर, 2000 तक माहवार कितनी मात्रा में कॉफी का निर्यात किया गया;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) कॉफी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) अप्रैल-दिसम्बर, 2000 के दौरान निर्यात की गई कॉफी की मात्रा तथा उससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार रही है :–

माह	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
अप्रैल 2000	34437	18425
मई 2000	36425	18462
जून 2000	26028	13804
जुलाई 2000	19400	13901
अगस्त 2000	13288	8226
सितम्बर 2000	12223	8055
अक्तूबर 2000	8132	5293
नवम्बर 2000	5301	3666
दिसम्बर 2000 (अनन्तिम)	54	18

(ग) कॉफी के निर्यात को बढ़ाने के लिए, कॉफी बोर्ड इटली, यू.एस.ए., जापान, रूस, मध्यपूर्व देशों जैसे लक्ष्यित आयात बाजारों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। बोर्ड विदेश में आयोजित चुनिंदा खाद्य मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेता है, चुनिन्दा विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में भारतीय कॉफी की अद्भुत विशेषताओं पर विज्ञापन जारी करता है, व्यापार शिष्टमण्डल भेजता है, भारत को सभी लक्ष्यित बाजारों से रोस्टर प्रतिनिधि मण्डलों को आमंत्रित करता है, हमारे दूतावासों के जरिए विदेश में भारतीय कॉफी को परोसने की व्यवस्था करता है, विशेष अवसरों और त्यौहारों पर हमारे दूतावासों के जरिए उपहार स्वरूप भारतीय कॉफी के पैकेट वितरित करता है, भारतीय कॉफी से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण करता है।

'सोयाबीन' का निर्यात

3003. श्री प्रभात सामंतराय : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान, देश से कुल कितने सोया-खाद्य (सोयाबीन) का निर्यात किया गया;

(ख) क्या 2000-2001 में, सोया-खाद्य के निर्यात में तेजी से गिरावट आई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(घ) सोया-खाद्य का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा अप्रैल-अक्तूबर, 2000 के दौरान निर्यात किए गए सोयाबीन तेल खाद्य की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1997-98	2880477	2728.53
1998-99	2882714	1136.71
1999-2000	2405696	1587.95
अप्रै.-अक्तू., 2000	1024395	728.98

(स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सोयाबीन और उसके उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कुछेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं–अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन और विदेशों में व्यापार शिष्टमण्डल भेजना।

(ङ) अगले वित्त वर्ष के लिए सोयाबीन और उसके उत्पादों के निर्यात हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। सोयाबीन और उसके उत्पादों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती वर्ष का निष्पादन बैंचमार्क के रूप में कार्य करता है।

कर्नाटक में एच.एम.टी. की इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव

3004. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, कर्नाटक के हासन में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) की एक "असेम्बली यूनिट" (पुर्जे जोड़ने के कार्य वाली इकाई) स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस इकाई को कर्नाटक स्थित हाउस में कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

भारी उद्योग और लोक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अध्ययन दौरे के लिए संसद सदस्यों को विदेशी मुद्रा

3005. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकार द्वारा संसद सदस्यों को अध्ययन दौरे के लिए कितनी विदेशी मुद्रा प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त धनराशि को बढ़ाने का है ताकि संसद सदस्य अध्ययन दौरे का बेहतर उपयोग कर सकें;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) संसद सदस्य को उसके संसद सदस्य बने रहने के दौरान अध्ययन दौरे के लिए 1,00,000 रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, संसद सदस्य "बेसिक ट्रेवल कोटा" (विदेश यात्रा स्कीम) की सुविधा का लाभ भी उठा सकता है जिसे हाल में ही विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत 1 जून, 2000 से एक कैलेन्डर वर्ष में 3,000 अमरीकी डालर को बढ़ाकर 5,000 अमरीकी डालर किया गया है।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि-दर

3006. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने यह उल्लेख किया है कि भारत को अपनी 6 प्रतिशत वृद्धि-दर को और ऊँचा उठाने के क्रम में, विशेषतः विद्युत क्षेत्र में, आर्थिक सुधारों का आमूलीकरण और सशक्तिकरण करना अत्यावश्यक होगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विश्व बैंक ने यह भी उल्लेख किया है कि भारत के लिए 9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि-दर का लक्ष्य प्राप्त करना असम्भव है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र के सुधारों को और अधिक प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने भारत सरकार को ऐसा कोई प्रत्यक्ष सन्दर्भ नहीं भेजा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि केन्द्र सरकार राज्यों में विद्युत क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहन देने के लिए एक त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से ऋण

3007. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के बीच भारत की स्थिति क्या है, जो विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से ऋण लेते हैं;

(ख) भारत ने अब तक विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से कितना ऋण प्राप्त किया है; और

(ग) इन संस्थाओं से लिए गए ऋण की सहायता से देश में क्षेत्र-वार कितनी परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) दि. 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार भारत अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से उधार लेने वाला सबसे बड़ा देश है तथा विश्व बैंक (आई.बी.आर.डी.) से उधार लेने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है।

(ख) जून, 2000 तक भारत ने विश्व बैंक (आई.बी.आर.डी.) से 26.10 बिलियन अमरीकी डालर तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से 26.93 बिलियन अमरीकी डालर अर्थात् 53.03 बिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त किया था।

(ग) 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में क्षेत्र-वार कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है :–

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या
कृषि और ग्रामीण विकास	7
शहरी विकास	4
सामाजिक	24
आधारभूत ढाँचा	8
उद्योग तथा वित्त	4
ऊर्जा	8
जल संसाधन प्रबन्धन	7
पर्यावरण तथा वानिकी	5
अन्य	1
जोड़	68

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की आपूर्ति

3008. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों, यथा तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक को खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ाने पर विचार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन राज्यों के निर्धनतम लोगों का ध्यान रखने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त खाद्यान्न की आपूर्ति प्राप्त करने के क्रम में, इन राज्यों के लिए कोई मानदण्ड तथा निकर्ष निर्धारित किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु को की गई खाद्यान्न-आपूर्ति के बारे में ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित केवल कुछेक राज्यों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनतम की सेवा करने के लिए अन्त्योदय अन्न योजना शुरू की गई है। इस योजना के अधीन 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार प्रक्षेपित आबादी के 5% की पहचान अन्त्योदय परिवारों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाएगी। इन परिवारों की संख्या लगभग 1 करोड़ बैठेगी। अन्त्योदय परिवारों, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का हिस्सा है, को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दर प्रति माह परिवार 25 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न प्रदान किए जाएँगे।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए क्रमशः गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर केन्द्रीय मूल से खाद्यान्नों (चावल और गेहूँ) का आबंटन किया जाता है। राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से ऊपर की दरों अथवा खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन निर्धारित दरों, जो भी कम हों पर उनकी माँग पर अतिरिक्त खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है।

(ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान तमिलनाडु को आबंटित खाद्यान्नों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

(हजार टन में)

वर्ष	चावल			गेहूँ		
	ग.रे.नी	ग.रे.ऊ. + अतिरिक्त	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ + अतिरिक्त	जोड़
1998-99	549.480	761.280	1310.760	0.000	360.000	360.000
1999-2000	549.480	1265.280	1814.780	0.000	360.000	360.000
2000-2001	1121.664	461.280	1582.944	0.000	0.000	0.000

[हिन्दी]

आई.एम.डी. योजना पर किया गया व्यय

3009. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पिछले वर्ष क्रियान्वित की गई आई.एम.डी. योजना पर हुए कुल व्यय के सम्बन्ध में कोई आकलन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) इन्डिया मिलेनियम डिपाजिट्स के संग्रहण पर अब तक 461.96 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

[अनुवाद]

बैंकों को बन्द करना

3010. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :
श्री राममोहन गाड्डे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने तीन बैंकों को बन्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सी.आई.आई. के गैर-निष्पादनकारी आस्तियों सम्बन्धी कृतिक बल के पाँच सदस्यों ने 102.82 करोड़ रु. की अदायगी करने में स्वयं चूक की थी;

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोलिखित व्यक्तियों से गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की बकाया राशि वसूलने के लिए सरकारी बैंकों ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय उद्योग संघ (सी.आई.आई.) ने उसके द्वारा नियुक्त कृतिक बल की सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों को बन्द करने से सम्बन्धित सिफरिशों को वापस ले लिया है।

(ग) से (ङ) बैंकिंग कानूनों के वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ताओं के ब्यौरे प्रकट करने की अनुमति नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उन उधार खातों की सूची प्रकाशित करता है, जिनके खिलाफ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने कुल एक करोड़ रुपए और इससे अधिक की देयराशियों की वसूली के लिए मुकदमें दायर किए हैं। इस प्रकार की अन्तिम सूची 31.03.2000 की स्थिति के अनुसार प्रकाशित की गई है। यह सूची वेबसाइट एच.टी.टी.पी:/डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आरबीआई.ओआरजी इन पर उपलब्ध है।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से बैंक की देयराशियों की वसूली के लिए बैकों द्वारा वसूली नीति तैयार करने और उनके क्रियान्वयन, सिविल न्यायालयों में मुकदमा दायर करने, ऋण वसूली अधिकरणों के पास मामले दायर करने, निपटान सलाहकार समिति के माध्यम से समझौता निपटान करने और बैंक में विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य बातों पर अनुवर्ती कार्रवाई जैसे कई कदम उठाने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 जुलाई, 2000 के अपने परिपत्र के तहत 5 करोड़ रुपए तक की अनुपयोज्य आस्तियों के निपटान के लिए अभेदमूलक और अधियेकाधीन मार्गनिर्देश तैयार किए हैं। 5 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया ऋण के लिए अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत पर्यवेक्षण की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

प्रसारण केन्द्रों पर कर्मचारियों की नियुक्ति

3011. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दरलाल तिवारी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्थानों पर बनाए गए 24 दूरदर्शन केन्द्रों को तकनीकी रूप से सारा कार्य पूरा करने के बावजूद भी, प्रचालनात्मक नहीं बनाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन प्रसारण केन्द्रों का काम किस तिथि को पूरा हो गया था;

(ग) इन स्थानों पर कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन स्थानों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) वर्तमान में दूरदर्शन के उनतीस अल्प शक्ति ट्रांसमीटर चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हैं। इन ट्रान्समीटरों को पिछले दो वर्षों में चरणों में पूरा किया गया था।

(ग) और (घ) प्रसार भारती का प्रयास है कि स्टाफ की पुनर्तैनाती करके जितना भी जल्दी-से-जल्दी हो सके इन ट्रान्समीटरों को चालू किया जाए।

गन्ने का उत्पादन

3012. **श्री रामदास आठवले :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन कुल कितना रहा;

(ख) प्रत्येक राज्य में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, स्थानवार/राज्यवार सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कितनी-कितनी चीनी मिलें हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र में चल रही चीनी मिलों की संख्या, राज्य के कुल गन्ना उत्पादन के समानुपात में है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार महाराष्ट्र में चीनी मिलों को लगाने के लिए और अधिक संख्या में लाइसेंस जारी करने पर विचार कर रही है;

(ङ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार, विशेषकर महाराष्ट्र के सम्बन्ध में, ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) देश में 1999-2000 मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान कुल 299.23 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन हुआ था जिसमें से 53.14 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में हुआ था।

(ख) देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की चीनी मिलों का राज्यवार/स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1999-2000 मौसम के दौरान, 124 चीनी मिलें चल रही थीं। इन चीनी मिलों की संस्थापित क्षमता तथा बीज, चर्वण, आदि के प्रयोजनों के लिए गन्ने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र राज्य में 1999-2000 मौसम के दौरान पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, गन्ने के अधिक उत्पादन वाले वर्षों के दौरान, चीनी फैक्ट्रियों के पास सामान्यतया विस्तारित अवधि होती है ताकि वे अपने प्रचालन क्षेत्रों में उपलब्ध गन्ने की समूची मात्रा की पेराई कर सकें।

(घ) से (च) चीनी उद्योग को 11.9.1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। मौजूदा चीनी मिलों से 15 किलोमीटर की त्रिज्जीय दूरी बनाए रखते हुए उद्यमी अब अपनी परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

विवरण

देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का राज्यवार/स्थलवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण (28.2.2000 की स्थिति)

क्रम सं.	फैक्ट्री का नाम तथा स्थान	क्षेत्र
1	2	3
	हरियाणा	
1.	दी सरस्वती शुगर मिल्स, डाकखाना-यमुनानगर, जिला-अम्बाला	निजी
2.	नारायणगढ़ शुगर मिल्स लि., नारायणगढ़, जिला-अम्बाला	निजी
3.	मै. पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लि., सेक्टर-17-ए, एस.सी.ओ. 40-41, चंण्डीगढ़, स्थान इन्द्री, जिला-करनाल	निजी
	पंजाब	
4.	ओसवाल एग्रो मिल्स लि., फगवाड़ा, जिला-कपूरथला	निजी
5.	भगवानपुरा शुगर मिल्स लि., धुरी, जिला-संगरूर	निजी
6.	राना शुगर मिल्स लि., बटर-सवियान, तहसील-बाबा-बकाला, जिला-अमृतसर	निजी
7.	ओसवाल शुगर्स इंडस्ट्रीज लि., पटरान, तह. समाना, जिला-पटियाला	निजी
8.	नाहर शुगर एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज लि., अमलोह तहसील-नाभा, जिला-पटियाला	निजी
9.	ओसवाल शुगर्स लि., मुकेरियाँ, जिला-होशियारपुर	निजी

1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
10.	दी मोदी इन्डस्ट्रीज लि., मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद	निजी
11.	दी सिंभौली शुगर मिल्स प्रा. लि., सिंभौली, जिला-गाजियाबाद	निजी
12.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-मोहीउद्दीनपुर जिला-मेरठ	सार्व. क्षेत्र
13.	दी उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., मवियाना, जिला-मेरठ	सार्व. क्षेत्र
14.	दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, जिला-मेर	निजी
15.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-सकौती टाँडा, जिला-मेरठ	सार्व. क्षेत्र
16.	मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला-मेरठ	निजी
17.	एस.बी.ई.सी. शुगर लि. मलकपुर तहसील बड़ौत, जिला-बागपत	निजी
18.	दी त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि., शुगर यूनिट दी अपर इंडिया शुगर मिल्स, खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर	निजी
19.	मंसूरपुर शुगर मिल्स लि., मंसूरपुर, जिला-मुजफ्फरनगर	निजी
20.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., रोहाना-कलाँ, डाकखाना-रोहाना कलां, जिला-मुजफ्फरनगर	सार्व. क्षेत्र
21.	दी अपर दोआब शुगर मिल्स लि., शामली, जिला-मुजफ्फरनगर	निजी
22.	मोनेट इंडस्ट्रीज लि., उन, तहसील कैराना, जिला-मुजफ्फरनगर	निजी
23.	सीइल लि., टिटावी, जिला-मुजफ्फरनगर	निजी
24.	तिकौला शुगर मिल्स लि., तिकौला, तहसील जनसाठ, जिला-मुजफ्फरनगर	निजी
25.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., पन्नीनगर, जिला-बुलन्दशहर	सार्व. क्षेत्र
26.	विलार्ड इंडिया लि. शुगर डिवीजन (अगौता शुगर एण्ड केमिकल्स), अगौता, जिला-बुलन्दशहर	निजी
27.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., डोइवाला, जिला-देहरादून सार्वजनिक क्षेत्र	
28.	गंगेश्वर लि., देवबन्द, जिला-सहारनपुर	निजी
29.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-सहारनपुर, जिला-सहारनपुर	सार्व. क्षेत्र
30.	शाकुम्बरी शुगर एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज लि., स्थान टोडर (राघर), जिला-सहारनपुर	निजी
31.	राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स (प्रा.) लि., लक्सर, जिला-हरिद्वार	निजी
32.	दी महालक्ष्मी शुगर मिल्स कं. लि., इकबालपुर, जिला-हरिद्वार	निजी
33.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-बिजनौर, जिला-बिजनौर	सार्व. क्षेत्र
34.	अपर गंगेज शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लि., सिहोरा, जिला-बिजनौर	निजी
35.	दी धामपुर शुगर मिल्स लि., धामपुर, जिला-बिजनौर	निजी
36.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., चाँदपुर, जिला-बिजनौर	सार्व. क्षेत्र
37.	द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि., बुंदकी, जिला-बिजनौर	निजी
38.	दी अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, जिला-मुरादाबाद	निजी
39.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-अमरोहा, जिला-मुरादाबाद	सार्व. क्षेत्र
40.	चड्ढा चीनी मिल्स प्रा. लि., धनौरा, जिला-मुरादाबाद	निजी
41.	वीनस शुगर लि., मझावली (भारतरा), तहसील-सम्भल, जिला-मुरादाबाद	निजी
42.	धामपुर शुगर मिल्स लि., असमोली, तहसील-सम्भल, जिला-मुरादाबाद	निजी
43.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-रामपुर, जिला-रामपुर	सार्व. क्षेत्र
44.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., बरेली, जिला-बरेली	सार्व. क्षेत्र
45.	दी केसर इंटरप्राइजिज लि., बहेरी, जिला-बरेली	निजी
46.	जे.के. इंडस्ट्रीज लि., मीरगंज, जिला-बरेली	निजी
47.	ओसवाल ओवरसीज लि., नवाबगंज, जिला-बरेली	निजी
48.	रोजा शुगर वर्क्स लि., (प्रोप. अवध शुगर मिल्स लि.), रोजा, जिला-शाहजहाँपुर	निजी
49.	एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज लि., पीलीभीत, जिला-पीलीभीत	निजी
50.	डी.एस.एम. एग्रो प्रोडक्टस लि., यूनिट डी.एस.एम. शुगर (काशीपुर), काशीपुर, जिला-नैनीताल	निजी
51.	किच्छा शुगर कं. लि., किच्छा, जिला-नैनीताल	सार्व. क्षेत्र
52.	दी नियोली शुगर फैक्ट्री, मनपूरनैगरिया, नियोली, जिला-एटा	निजी
53.	दी अवध शुगर मिल्स लि., हरगाँव, जिला-सीतापुर	निजी
54.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., महौली, जिला-सीतापुर	सार्व. क्षेत्र

1	2	3
55.	दी सेक्सरिया बिसवाँ शुगर फैक्ट्री लि., बिसवाँ, जिला-सीतापुर	निजी
56.	डालमिया सीमेन्ट (भारत) लि., (यूनिट-रामगढ़ चीनी मिल्स), रामगढ़ निजी तहसील मिसरिख, जिला-सीतापुर	निजी
57.	बजाज हिन्दुस्तान लि., गोलागोकरणनाथ, जिला-खीरी	निजी
58.	दी गोबिन्द शुगर मिल्स लि., डाकखाना-ऐरा एस्टेट, जिला-खीरी	निजी
59.	बजाज हिन्दुस्तान लि., पलियाकलाँ, जिला-खीरी	निजी
60.	घाघरा शुगर लि., अजबापुर, जिला-लखीमपुर खीरी	निजी
61.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., हरदोई, जिला-हरदोई	सार्व. क्षेत्र
62.	किटप्लाइं इंडस्ट्रीज लि., रूपापुर, जिला-हरदोई	निजी
63.	दी यूनाइटेड प्रोविन्सेस शुगर कं. लि., स्योराही, जिला-पडरौना	निजी
64.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-बेतालपुर, जिला-देवरिया	सार्व. क्षेत्र
65.	कानपुर शुगर वर्क्स लि., डाकखाना-गौरीबाजार, जिला-देवरिया	निजी
66.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-देवरिया, जिला-देवरिया	सार्व. क्षेत्र
67.	दी कनोरिया शुगर एण्ड जनरल मैन्युफैक्चरिंग कं. लि., कैप्टनगंज, जिला-पडरौना	निजी
68.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., डाक.-राजाबाजार यूनिट-खड्डा, जिला-पडरौना	सार्व. क्षेत्र
69.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., छितौनी, जिला-पठरौना	सार्व. क्षेत्र
70.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट लक्ष्मीगंज, जिला-देवरिया	सार्व. क्षेत्र
71.	त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि., यूनिट रामकोला, जिला-पडरौना	निजी
72.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट रामकोला, जिला-पडरौना	सार्व. क्षेत्र
73.	कानपुर शुगर वर्क्स लि., पडरौना, जिला-पडरौना	निजी
74.	कानपुर शुगर वर्क्स लि., कठकुंइया, जिला-देवरिया	निजी
75.	दी परतापुर शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लि., परतापुर, जिला-देवरिया	निजी
76.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-भटनी, जिला-देवरिया	सार्व. क्षेत्र
77.	सराया शुगर मिल्स (प्रा.) लि., सरदारनगर, जिला-गोरखपुर	निजी
78.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. पिपराइच, जिला-गोरखपुर	सार्व. क्षेत्र
79.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., घुघली, जिला-महाराजगंज	सार्व. क्षेत्र
80.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., सिसवा बाजार, जिला-महाराजगंज	सार्व. क्षेत्र
81.	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं. लि., आनन्दनगर, जिला-महाराजगंज	निजी
82.	जे.एच.वी. शुगर कारपोरेशन लि., गडौरा, तहसील निचलौल, जिला-महाराजगंज	निजी
83.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., मुंडेरवा, जिला-बस्ती	सार्व. क्षेत्र
84.	दी बस्ती शुगर मिल्स कं. लि., डाकखाना-जिला-बस्ती	निजी
85.	गोविन्दनगर शुगर लि , डाकखाना-वाल्टरगंज, जिला-बस्ती	निजी
86.	खलीलाबाद शुगर मिल्स (प्रा.) लि., खलीलाबाद, जिला-बस्ती	निजी
87.	दी बलरामपुर चीनी मिल्स लि., बभनान, जिला-गोंडा	निजी
88.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., नवाबगंज, जिला-गोंडा	सार्व. क्षेत्र
89.	बलरामपुर चीनी मिल्स लि., बलरामपुर, जिला-गोंडा	निजी
90.	तुलसीपुर शुगर कं. लि., तुलसीपुर, जिला-गोंडा	निजी
91.	इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लि., मैजापुर, जिला-गोंडा	निजी
92.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट जखाल रोड, जिला-बहराइच	सार्व. क्षेत्र
93.	चिलवरिया शुगर एण्ड कैमिकल्स लि., चिलवरिया, जिला-बहराइच	निजी
94.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-बाराबंकी, जिला-बाराबंकी	सार्व. क्षेत्र
95.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-बुढ़वल, बाराबंकी	सार्व. क्षेत्र
96.	धामपुर शुगर मिल्स लि., रोजागाँव, तहसील-राम स्नेही घाट, जिला-बाराबंकी	निजी
97.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-शाहगंज, जिला-जौनपुर	सार्व. क्षेत्र
98.	कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स प्रा. लि., डाकखाना-मोतीनगर, जिला-फैजाबाद	निजी

1	2	3
99.	छाता शुगर कं. लि., डाकखाना-छाता, जिला-मथुरा	सार्व. क्षेत्र
100.	नंदगंज सिहोरी शुगर कं. लि., दरियापुर, जिला-रायबरेली	सार्व. क्षेत्र
101.	नंदगंज सिहोरी शुगर कं. लि., पो.आ. नंदगंज, जिला-गाजीपुर	सार्व. क्षेत्र
102.	घाटमपुर शुगर कं. लि., तहसील-घाटमपुर, जिला-कानपुर	सार्व. क्षेत्र
103.	दया शुगर नयाबाँस, तहसील गागलहेरी, जिला सहारनपुर	निजी
104.	दिवान शुगर्स लि., अगवानपुर, जिला-मुरादाबाद	निजी
105	कमलापुर शुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि., कमलापुर, जिला-सीतापुर	निजी
106.	एसोसिएटेड शुगर मिल लि., गाँव थोई, जिला-हरिद्वार	निजी
	बिहार	
107.	बिहार राज्य चीनी निगम लि., लोहट, जिला मधुबनी	सार्व. क्षेत्र
108.	बिहार राज्य चीनी निगम लि., सकरी, जिला मधुबनी	सार्व. क्षेत्र
109.	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., यूनिट रियाम, जिला दरभंगा	सार्व. क्षेत्र
110.	न्यू इंडिया शुगर मिल्स लि., हसनपुर रोड, पो. हसनपुर शुगर मिल्स, जिला-समस्तीपुर	निजी
111.	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., समस्तीपुर यूनिट, जिला समस्तीपुर	सार्व. क्षेत्र
112.	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर	सार्व. क्षेत्र
113.	रीघा शुगर कं. लि., रीघा, जिला सीतामढ़ी	निजी
114.	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., यूनिट गरौल, जिला वैशाली	सार्व. क्षेत्र
115.	मोतीहारी चीनी उद्योग लि., लीज ऑफ मै. ईस्टर्न शुगर्स इंडस्ट्रीज लि., मोतीहारी, जिला ईस्ट चम्पारण	निजी
116.	मोतीलाल पदमपत उद्योग लि., मझौलिया, जिला वेस्ट चम्पारण	निजी
117.	चम्पारण शुगर कं. लि., चनपतिया, जिला वेस्ट चम्पारण	निजी
118.	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., लौरिया, जिला वेस्ट चम्पारण	सार्व. क्षेत्र
119.	बगहा चीनी मिल्स लि., पो. नरायपुर, जिला वेस्ट चम्पारण	निजी
120.	दि अवध शुगर मिल्स लि., चम्पारण	निजी
121.	हरिनगर शुगर मिल्स लि., हरिनगर, जिला वेस्ट चम्पारण	निजी
122.	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., सुगौली, जिला ईस्ट चम्पारण	सार्व. क्षेत्र
123.	चम्पारण शुगर कं. लि., बाराचकिया, जिला ईस्ट चम्पारण	निजी
124.	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., पो. न्यू सिवान, जिला सिवान	सार्व. क्षेत्र
125.	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., पो. सिवान, जिला सिवान	सार्व. क्षेत्र
126.	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., पोस्ट मीरगंज, जिला गोपालगंज	सार्व. क्षेत्र
127.	भारत शुगर मिल्स लि., सिधवलिया, जिला गोपालगंज	निजी
128.	सासा मूसा शुगर वर्क्स (प्रा.) लि., सासा मूसा, जिला गोपालगंज	निजी
129.	दि विष्णु शुगर मिल्स लि., पो. विष्णु शुगर मिल्स, गोपालगंज, जिला गोपालगंज	निजी
130.	कानपुर शुगर वर्क्स लि., मढ़ौरा, जिला सारण	निजी
131.	बिहार राज्य चीनी निगम लि., यूनिट गरारू, जिला गया	सार्व. क्षेत्र
132.	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., यूनिट वारसलीगंज, जिला नवादा	सार्व. क्षेत्र
133.	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., बनमंखी, जिला पूर्णिया	सार्व. क्षेत्र
134.	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., यूनिट बिहटा, जिला पटना	सार्व. क्षेत्र
	महाराष्ट्र	
135.	दि ससवाडमाली शुगर फैक्ट्री लि., पो. मालीनगर, जिला शोलापुर	निजी
136.	दि रावलगाँव शुगर फार्म लि., रावलगाँव, जिला नासिक	निजी
137.	श्री चाँगदेव शुगर मिल्स लि., चाँगदेव नगर, जिला अहमदनगर	निजी
138.	न्यू फल्टन शुगर्स वर्क्स लि., ता. फलटन, पो. शाखरवाड़ी, जिला सतारा	निजी
139.	मै. नेचुरल शुगर एण्ड एलाएड इंडस्ट्रीज, कालम, जिला ओस्मानाबाद	निजी
140.	लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज लि., ग्राम बीबी दरपाल, ता. नार्थ शोलापुर, जिला नासिक	निजी

1	2	3
141.	गंगामाई शुगर इंडस्ट्रीज लि. घाटनन्द्रा, ता. सिल्लोड, जिला औरंगाबाद	निजी
142.	द्वारिकाधीश साखर कारखाना लि., शेवरे, पी.ओ. तहराबाद ता. बागदन, जिला नासिक	निजी
	प. बंगाल	
143.	खेतान एग्रो इंडस्ट्रीज लि., प्लासे, जिला नादिया	निजी
144.	वेस्ट बंगाल शुगर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पो. लि., अहमदपुर, जिला वीरभूम	सार्व. क्षेत्र
	असम	
145.	अरिहन्त शुगर लि., डाकघर राताबाडी, चारगोला, जिला करीमगंज	निजी
	राजस्थान	
146.	दि मेवाड़ शुगर मिल्स लि., भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़	निजी
147.	दि गंगानगर शुगर मिल्स लि., श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर	सार्व. क्षेत्र
	उड़ीसा	
148.	जैपोर शुगर कं. लि., रायगाडा, जिला कोरापुट	निजी
149.	वेस्टर्न इंडिया शुगर एण्ड केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि., धर्मगढ़ तह. धर्मगढ़, जिला कालाहाँडी	निजी
150.	पोन्नी शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि., बोलंगीर, जिला बोलंगीर	निजी
151.	शक्ति शुगर्स लि., हरिपुर ग्राम, तह. धेनकनाल सदर, जिला धेनकनाल	निजी
	आन्ध्र प्रदेश	
152.	दि किरलामपुडी शुगर मिल्स लि., डाकघर पिथापुरम, जिला ईस्ट गोदावरी	निजी
153.	श्री सर्वराय शुगर्स लि., डाकघर चेल्लूरू, तालुक रामचन्द्रपुरम, जिला ईस्ट गोदावरी	निजी
154.	नवभारत फेरो एलायज लि., समालकोट, जिला ईस्ट गोदावरी	निजी
155.	आन्ध्रा शुगर्स लि., टनुकू, जिला ईस्ट गोदावरी	निजी
156.	वी.वी.एस. शुगर्स (दी जयपोर शुगर कं. लि.) डाकघर चागल्लू, जिला-वेस्ट गोदावरी	निजी
157.	दि आन्ध्रा शुगर्स लि., टुडवाई, जिला वेस्ट गोदावरी	निजी
158.	वरूलक्ष्मी शुगर्स लि., संकीलीन रेजिड अमादावालसा मण्डल, जिला श्रीकाकुलम	निजी
159.	दी के.सी.पी. शुगर्स एण्ड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि., व्यूरू, जिला कृष्णा	निजी
160.	दी के.सी.पी. शुगर्स एण्ड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि., लक्ष्मीपुरम, जिला कृष्णा	निजी
161.	दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि., शाकर नगर, जिला निजामाबाद	सार्व. क्षेत्र
162.	एन.सी.एस. गायत्री शुगर (पी.) लि., एडलूरयेटलारेड्डी, तह. सदाशिव नगर मण्डल, जिला निजामाबाद	निजी
163.	श्री वानी शुगर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि., कुमारअनंथन, जिला चित्तूर	निजी
164.	प्रूडेंशियल मौली शुगर्स लि., स्थान निन्द्रा गाँव, तह. निन्दूमंडल जिला चित्तूर	निजी
165.	सुदुलागुंटा शुगर्स लिमिटेड, बुटचीनायडूकंद्रिगा, जिला चित्तूर	निजी
166.	दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि., डाकघर डिडगी तालूका जहीराबाद, जिला मेढक	सार्व. क्षेत्र
167.	दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि., तालूका और जिला मेढक	सार्व. क्षेत्र
168.	मैसर्स गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि., कुलबगूर सॉगारेड्डी, जिला मेढक	निजी
169.	दि निजाम शुगर फैक्ट्री लि., मिरयालगुडा, जिला नालगोंडा	सार्व. क्षेत्र
170.	गायत्री शुगर कम्पलैक्स लि. प्रभागिरीपटनम, पोडालाकूर मण्डल, जिला नेल्लोर	निजी
171.	एमपी शुगर्स एण्ड कैमिकल्स लि., अयप्पारेड्डी पालेम, नायूडुपेट, मंडलम, जिला नेल्लोर	निजी
172.	निजाम शुगर फैक्ट्री लि., डाकघर मेटपल्ली, जिला करीम नगर	सार्व. क्षेत्र
173.	श्री कैलाश शुगर्स एण्ड कैमिकल्स लि., पेरूवंचा, तह. कल्लूरमण्डल, जिला खम्माम	निजी
174.	मैसर्स निजाम शुगर फैक्ट्री लि., पी.बी. नं. 1, खैरताबाद, हैदराबाद लक्ष्यपेट, जिला विजयानगरम	सार्व. क्षेत्र
	कर्नाटक	
175.	मैसूर शुगर कं. लि., माण्डया, जिला माण्डया	सार्व. क्षेत्र
176.	आई.सी.एल. शुगर्स लि., माकावली, तालु. कृष्णराजपेट, जिला माण्डया	निजी

1	2	3
177.	चामुण्डेश्वरी शुगर्स लि., के.एम. डोड, तालु. मदुर, जिला माण्डया	निजी
178.	दी इंडिया शुगर एण्ड रिफाइनरीज लि., डाकघर चिटवाडगी, होसपेट, जिला बेल्लारी	निजी
179.	दी सिरूगुप्पा शुगर्स एण्ड कैमिकल्स प्रा. लि., सिरूगुप्पा तालूक, जिला बेल्लारी	निजी
180.	सलारजंग शुगर मिल्स लि., मुनीराबाद, जिला रायचुर	निजी
181.	गंगावती शुगर्स लि., प्रगति नगर तालु. गंगावती, जिला रायचुर	सार्व. क्षेत्र
182.	दी उग्र शुगर वर्क्स लि., उग्रखुर्द, जिला बेलगाम	निजी
183.	तुंगभद्रा शुगर वर्क्स प्रा. लि., शिमोगा, जिला शिमोगा	निजी
184.	मैसूर पेपर मिल्स लि., भद्रावती, जिला शिमोगा	सार्व. क्षेत्र
185.	देवनगरे शुगर कं. लि. देवनगरे, कुक्काबाडा, जिला चित्रदुर्ग	निजी
186.	दी गोदावरी शुगर मिल्स लि., समीरवाडी, मुधोल, जिला-बीजापुर	निजी
187.	खोडे डिस्टलरीज लि., कोल्लेगल, जिला-मैसूर	निजी
188.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., अलगाँची गाँव, तालु, नन्जनगुड, जिला-मैसूर	निजी
189.	रेनूका शुगर्स लि., मनोली, ता. स्वादाती, जिला बेलगाम (ए.पी. यूनिट, हिन्दुपुरम से शिफ्ट की गई, कार्यान्वयन)	निजी
190.	सुन्दरी शुगर्स लि., काम्पली, जिला बेलारी	निजी
191.	शामनूर शुगर्स लि., दुर्गावती, तालु. हरपानाहल्ली, जिला-बेलारी	निजी
192.	प्रभुलिंगेश्वर शुगर वर्क्स लि., सिधापुर, तालु. जामखण्डी, जिला-बेगालकोट	निजी
	तमिलनाडु	
193.	ई.आई.डी.पैरी (इंडिया) लि., पी.ओ. पुगलर शुगर फैक्ट्री, जिला तिरुचिरापल्ली	निजी
194.	कावेरी शुगर्स एण्ड कैमीकल्स लि., पेटायववयताली, जिला-तिरुचिरापल्ली	निजी
195.	कोठारी शुगर्स एण्ड कैमीकल्स लि., कट्टूर लालगुडी, जिला-तिरुचिरापल्ली	निजी
196.	पेराम्बलूर शुगर मिल्स लि., इरायूर, तालुका पेराम्बलूर, जिला-तिरुचिरापल्ली	सार्व. क्षेत्र
197.	ई.आई.डी.पैरी (इंडिया) लि., नैल्लीकुप्पम, जिला-साउथ अरकाट	निजी
198.	दी साउथ इंडिया शुगर्स लि., मुंडियापक्कम, जिला-साउथ अरकाट	निजी
199.	श्री अम्बिका शुगर्स एण्ड एन्टरप्राइजिज लि., पेन्नाडम, जिला-साउथ	निजी
200.	तमिलनाडु शुगर कार्पो. लि., पांडियाराजपुरम, जिला-मदुरै	सार्व. क्षेत्र
201.	राजश्री शुगर्स एण्ड कैमीकल्स लि., पेरियाकुलम, जिला-मदुरै	निजी
202.	दी थीरू अरूरन शुगर्स लि., कोल्लुमनगुड्डी गाँव इन पेरालाम/अगाराभिरूमलम फिरका इन मान्नीलम तालुक नगाय कैद-ए-जिला मिलेथ	निजी
203.	अरिगनर अन्ना शुगर मिल्स लि., कुरूनगुलम, जिला-थंजावूर	सार्व. क्षेत्र
204.	थिरू अरूनन शुगर्स लि., पापनासम, जिला थंजाकूर	निजी
205.	श्री अम्बिका शुगर लि., कोटूर तालु. थियूरविडाईमामथूर, जिला थंजावुर	निजी
206.	धरनी शुगर्स एण्ड कैमीकल्स लि., करायपुण्डी, तालु. पलूर, जिला-तिरूवन्नामलाई संभवरायर	निजी
207.	एस.वी. शुगर मिल्स लि., वालजाबाद फरिका, जिला-चेन्गलपट्टू एम.जी.आर.	निजी
208.	दि शक्ति शुगर लि. शक्तिनगर, डाकघर इरोड, जिला-पेरियार	निजी
209.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., गाँव अलाथुकोम्बई, तह. साधुमंगलम, जिला-पेरियार	निजी
210.	पोन्नी शुगर एण्ड कैमीकल्स लि. पल्लीपलयम, ता. तिरूचेंनगोड, जिला सेलम	निजी
211.	धरनी शुगर्स एण्ड कैमीकल्स लि., तालु. शिवगिरी, जिला-तिरुनेलवेल्ली	निजी
212.	शक्ति शुगर्स लि., ता. शिवगंगा, जिला-पासुमपन मूथुरामलिंगन	निजी
213.	मै. ई.आई.डी. पेरी (इंडिया) लि., अरनतंगी, जिला-पुडुकोटई	निजी
	मध्य प्रदेश	
214.	दी ग्वालियर शुगर कं. लि, डाबरा, जिला-ग्वालियर	निजी
215.	जौरा शुगर मिल्स, जौरा, जिला-रतलाम	सार्व. क्षेत्र

1	2	3
216.	दी भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लि., डाकघर और जिला-सिहोर	निजी
217.	दी जिवाजी राव शुगर कं. लि., दालाउदा, जिला-मदसौर	निजी
218.	एम.पी. स्टेट इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि., पी.ओ. मोहिदपुर रोड, जिला उज्जैन	सार्व. क्षेत्र
219.	गिरधारी लाल शुगर एण्ड ऐलाइड इंडस्ट्रीज लि., तह. थिकरी, जिला-खरगौन	निजी
	केरल	
220.	दी त्रावणकोर शुगर एण्ड कैमीकल्स लि., वलानजावतम, डाकघर-तिरूवल्ला, जिला-क्विलोन	निजी
	पांडिचेरी	
221.	न्यू होरीजन शुगर मिल्स प्रा. लि., सगरूर (अरियूर), डाकघर-कांडामंगलम, जिला-पाण्डीचेरी	निजी
	नागालैण्ड	
222.	नागालैण्ड शुगर मिल्स कं. लि., दीमापुर, जिला-कोहिमा	सार्व. क्षेत्र

गन्ने की खरीद

3013. श्री मानसिंह पटेल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं और संख्या कितनी है, जो गन्ने के न्यूनतम खरीद मूल्य का भुगतान करती हैं और उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं जो तुलनात्मक रूप से अधिक खरीद मूल्य का भुगतान करती हैं; और

(ख) भुगतान में इस तरह के असंतुलन के क्या कारण हैं और खरीद मूल्य को सुधारने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक चीनी मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है :–

(i) गन्ने की उत्पादन लागत;

(ii) वैकल्पिक फसलों से किसानों को लाभ;

(iii) कृषि जिन्सों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति;

(iv) उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता जिस मूल्य पर चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी बेची जाती है; और

(v) गन्ने से चीनी की रिकवरी।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन, चीनी मिलें गन्ना उत्पादकों को सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य अदा नहीं कर सकती हैं। अधिकांश चीनी मिलें या तो गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य अथवा सम्मत मूल्य का भुगतान करती हैं, जो सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक होता है।

विभिन्न राज्यों में गन्ने के मूल्य के भुगतान की पद्धति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विभिन्न राज्यों द्वारा गन्ने के भुगतान की पद्धति

उप-उष्णकटिबन्धी क्षेत्र : पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के उप-उष्ण कटिबन्धी राज्यों में, राज्य सरकारें चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय अपेक्षाकृत अधिक गन्ना मूल्यों की घोषणा करती रही हैं।

गुजरात में, गन्ने के मूल्यों का भुगतान किस्तों में किया जाता है। दक्षिण गुजरात जोन में गन्ने के मूल्य का भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है, प्रथम किस्त पेराई के समय, दूसरी किस्त मौसम के अन्त में तथा तीसरी और अन्तिम किस्त का भुगतान चीनी वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित लाभ तथा हानि को ध्यान में रखकर किया जाता है। सौराष्ट्र क्षेत्र में गन्ने के मूल्यों का भुगतान दो किस्तों में किया जाता है, प्रथम किस्त के रूप में धनराशि के एक बड़े भाग का भुगतान पेराई के समय कर दिया जाता है जबकि दूसरी और अन्तिम किस्त का भुगतान चीनी वर्ष की समाप्ति के बाद अनुमानित लाभ तथा हानि पर विचार करने के बाद किया जाता है।

महाराष्ट्र में, गन्ने के मूल्य का भुगतान दो किस्तों में किया जाता है। प्रथम किस्त का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य, गन्ने की कुल उपलब्धता, चीनी के बाजार मूल्यों, आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। अदा की जाने वाली पहली किस्त का निर्धारण मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाता है। दूसरी और अन्तिम किस्त का भुगतान अनुमेय कटौतियों के बाद फैक्ट्री के कार्य परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

कर्नाटक में, सरकार द्वारा फैक्ट्रियों के प्रबन्धन तथा गन्ना उत्पादकों की एसोसिएशनों के साथ बातचीत करके गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है जो 8.5 प्रतिशत की रिकवरी से सम्बद्ध होता है। तथापि, शर्करा निदेशालय के तत्वावधान में फैक्ट्रियाँ गन्ना उत्पादकों से बातचीत कर गन्ने के अन्तिम मूल्य का निर्धारण करती हैं, जो फैक्ट्री की लाभकारिता पर निर्भर करता है।

आन्ध्र प्रदेश में, गन्ने के मूल्य का निर्धारण गन्ने की उत्पादन लागत तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य गन्ने की 8.5% की कुल रिकवरी से सम्बद्ध होते हैं। ये मूल्य सामान्यतः सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक होते हैं। मौसम की समाप्ति पर भार्गव फार्मूले के आधार पर गन्ने के अतिरिक्त मूल्य का हिसाब लगाया जाता है तथा किसानों को उसका भुगतान किया जाता है।

तमिलनाडु में, राज्य सरकार के अनुसार, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य का भुगतान कर रही हैं जबकि राज्य में निजी क्षेत्र की चीनी मिलें ऐसा नहीं कर रही हैं। तथापि, निजी चीनी मिलों द्वारा गन्ने का जो मूल्य अदा किया जाता है वह केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक होता है।

[अनुवाद]

चमड़े का निर्यात

3014. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान चर्म उत्पादों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा चर्म उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) निर्यातकों के साथ परामर्श करके पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात निष्पादन के आधार पर सांकेतिक निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए लक्ष्य अभी निर्धारित किए जाने हैं।

(ग) सरकार की पहल पर चमड़ा निर्यात परिषद ने विशिष्ट देशों में विपणन हेतु विशिष्ट उत्पादों को अभिज्ञात कर चमड़ा उत्पादों के निर्यातों के प्रति और अधिक संकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक योजना तैयार की है।

प्राकृतिक रबड़ पर प्रोत्साहन

3015. श्री पी.सी. थामस : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राकृतिक रबड़ की खपत में सुधार लाने की कोई योजना है;

(ख) क्या प्राकृतिक रबड़ के मूल्य वर्धन के लिए कोई प्रोत्साहन है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य कृषि उत्पादों की तरह प्राकृतिक रबड़ के उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में छूट है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हाँ। रबड़ बोर्ड प्राकृतिक रबड़ मोडीफाइड बिटुमिन का उपयोग करके सड़कों के रबड़ीकृत कार्य को प्रोत्साहन देकर स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों, नगरपालिकाओं और निगमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। बोर्ड प्राकृतिक रबड़ के उपयोग को बढ़ाने के लिए उत्पाद विकास सम्बन्धी अनुसंधान भी कर रहा है।

(ख) और (ग) रबड़ बोर्ड रबड़ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए रबड़ वस्तु विनिर्माताओं को प्रशिक्षण और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है।

(घ) से (च) अधिकांश अन्य कृषि उत्पादों की तरह ही प्राकृतिक रबड़, बलाटा, गट्टा-पर्चा, गुआयुल, चिकल और ऐसे ही प्राकृतिक गम जो प्राथमिक रूप में अथवा प्लेट्स, शीट अथवा स्ट्रिप के रूप में हैं, पर मूल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शून्य दर पर लगता है। तथापि, औद्योगिक उत्पाद जैसे दायर, ट्यूब और फ्लैप, जिनमें प्राकृतिक रबड़ होता है, पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अवश्य लगता है।

चाय उद्योग की समस्याएँ

3016. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चाय उद्योग के सामने आने वाली बड़ी समस्याओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय चाय उद्योग को संकट से बचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) चाय उद्योग के सामने आ रही प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं—नीलामियों में चाय की कीमतों में गिरावट, घरेलू खपत दर में कमी स्थिर निर्यात, चाय की पुरानी पड़ चुकी झाड़ियाँ जिसके कारण उत्पादकता प्रभावित होती है और उत्पादन की ऊँची लागत।

(ग) सरकार और चाय बोर्ड ने चाय के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है जिनके तहत चाय बोर्ड द्वारा विस्तार रोपण, पुनरोपण, नवीकरण, कटाई-छटाई, खाली स्थानों को भरने, सिंचाई सुविधाओं के सृजन और जल निकासी इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विदेशी बाजारों में भारतीय चाय के संवर्धन के लिए चाय बोर्ड ने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं—प्रमुख चाय आयातक देशों में चाय बोर्ड लोगों और विशिष्ट चाय लोगों का पंजीकरण, अलग-अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, विशिष्टता वाले स्टोरों तथा प्रमुख बाजारों में मौके पर जाकर नमूने लेना; विशिष्ट भारतीय चाय के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने और चाय बोर्ड के विपणन चिन्ह को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान चलाना; चाय प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान इत्यादि।

नीलामियों में कम कीमत प्राप्ति की समस्या से चाय उद्योग को उभारने के लिए सरकार/चाय बोर्ड ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं—

- दिनांक 1.5.2000 से चाय बोर्ड के जरिए कीमत इमदाद योजना कार्यान्वित की गई है जिसके तहत चाय के लघु उपजकर्त्ताओं (चाय बागान के 10-12 हैक्टेयर तक स्वामित्व वाले) को नीलामी कीमत और 55 रु. प्रति किग्रा. के बीच के अन्तर के बराबर अधिकतम 8 रु. प्रति किग्रा. तक की एक राशि इमदाद के रूप में दी जाती है।
- सार्वजनिक चाय नीलामियों के जरिए चाय उत्पादन के 75% की अनिवार्य बिक्री की शर्त को हटाने के लिए चाय विपणन नियंत्रण आदेश, 1984 को संशोधित किया गया है।

- तमिलनाडु के नीलगिरि जिला में लघु उपजकर्त्ताओं द्वारा विनिर्मित चाय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम शुरू करना।
- वर्ष 2001-2002 के बजट में चाय पर मूल्य सीमा शुल्क को 35% से बढ़ाकर 70% करना।
- 100% निर्यातोन्मुख एककों (ई.ओ.यू.) और निर्यात प्रसंस्करण जोनों (ई.पी.जेड.) के एककों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में चाय की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना।
- बजट 2001-02 में आयकर अधिनियम की धारा 33 क ख के तहत छूट को बढ़ाकर 20% से 40% करना।

बैंकों में बिना दावों वाला धन

3017. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में 345.39 करोड़ रु. प्राइवेट बैंकों में 291 करोड़ रुपए और विदेशी बैंकों में 251 करोड़ रुपए की भारी राशि **बगैर** दावे के पड़ी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी बैंकों में पड़े बगैर दावे वाले धन को लेने के लिए बैंकिंग कानून में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी बैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार बैंकों के पास पड़ी अदावी जमा राशियाँ निम्नानुसार हैं :–

राष्ट्रीयकृत बैंक	-	401.94 करोड़ रु.
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	-	29.84 करोड़ रु.
विदेशी बैंक	-	31.28 करोड़ रु.

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ये आँकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि कुछ बैंकों से अन्तिम आंकड़ा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

राशि के बैंकवार आँकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जमाकर्ता संरक्षण न्यास निधि के सृजन हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 नई धारा जोड़ने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है जिसमें ऐसी अदावी जमाराशियाँ (विदेशी बैंकों सहित) जमा की जाएँगी। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंक	राशि (हजार रु. में)
1. आन्ध्रा बैंक	137137
2. इलाहाबाद बैंक	53423
3. बैंक आफ बड़ौदा	209897
4. बैंक आफ इन्डिया	208725
5. बैंक आफ महाराष्ट्र	89791
6. केनरा बैंक	624722
7. सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया	208147
8. कारपोरेशन बैंक	33168
9. देना बैंक	66362
10. इन्डियन बैंक	119294
11. इन्डियन ओवरसीज बैंक	130876
12. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	133062
13. पंजाब नेशनल बैंक	808158
14. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	142331
15. सिंडिकेट बैंक	189203
16. यूनियन बैंक आफ इन्डिया	426668
17. युनाइटेड बैंक आफ इन्डिया	132776
18. यूको बैंक	174975
19. विजया बैंक	130681
राष्ट्रीय बैंकों का योग	**4019396**
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	
1. बैंक आफ मदुरा लि.	3193
2. बैंक आफ राजस्थान लि.	41636
3. बनारस स्टेट बैंक लि.	2959
4. भारत ओवरसीज बैंक	10415
5. कैथोलिक सिरियन बैंक	21054
6. सिटी यूनियन बैंक	10443
7. धनलक्ष्मी बैंक	6488
8. फेडरल बैंक	34376
9. जम्मू एवं कश्मीर बैंक	36930
10. कर्नाटक बैंक	21617
11. करूर वैश्य बैंक	8538
12. लक्ष्मी विलास बैंक	9812
13. लार्ड कृष्णा बैंक	339
14. नैनीताल बैंक	6367
15. नेडुंगडी बैंक	8114
16. रत्नाकर बैंक	5607
17. सांगली बैंक	31976

राष्ट्रीयकृत बैंक	राशि (हजार रु. में)
18. साउथ इन्डियन बैंक	981
19. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक	10863
20. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक	2810
21. वैश्य बैंक	23355
22. गणेश बैंक आफ कुरूंडवाड़	514
23. डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योग	**298348**
विदेशी बैंक	
1. अबु धाबी कमर्शियल बैंक	716
2. एबीएन एमरो बैंक	31
3. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	7923
4. स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज बैंक लि.	155021
5. बैंक आफ अमेरिका	4718
6. मशरक बैंक	28
7. बैंक आफ टोक्यो–मितशुबीशी लि.	2017
8. क्रेडिट एग्रिकोल इंडोश्यूज	104
9. बी.एन.पी. परिबास	1995
10. सिटी बैंक	317
11. एच.एस.बी.सी. लि.	26006
12. ओमान इंटरनेशनल बैंक	11
13. दि सकुरा बैंक	310
14. स्टैंर्ड चार्टर्ड बैंक	113585
विदेशी बैंकों का योग	**312782**

[हिन्दी]

लेबलों पर विनिर्माण की तारीख

3018. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाजार में उपलब्ध ऐसे गुटखों और बीड़ियों की जानकारी है जहाँ निर्माणकर्ता अपने पैकेटों पर विनिर्माण की तिथि, भार और संख्या अंकित नहीं करते हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे निर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) बाट तथा माप (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम, 1997 के उपबन्धों के तहत गुटका और बीड़ी सहित पहले से पैक सभी वस्तुओं के लिए अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्माण/पैकिंग के महीने और वर्ष, माप व तोल के रूप में पैकेज में रखे उत्पाद की मात्रा की उनके लेबलों पर घोषणा करना अपेक्षित है। इस प्रकार की घोषणा करने की जिम्मेदारी विनिर्माताओं/पैकरों की है। ऐसी घोषणा न किए जाने पर दाण्डिक उपबन्ध लागू होते हैं। नियमों को राज्य सरकार के कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है। जब किसी उल्लंघन का पता चलता है, तो कानून के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। तथापि, जिन पैकेजों में 10 ग्राम या 10 मिलीलीटर से कम मात्रा होनी है उन पर नियमों के उपबन्ध लागू नहीं होते।

निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3019. प्रो. दुखा भगत : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से 1998 के बाद से निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से प्रत्येक राज्य हेतु अब तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं; और

(ख) उत्पादन शुरू करने के लिए उनमें से कितनी ईकाइयों को दो चार और अन्य सुविधाएँ प्रदान की गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए ऋण

3020. श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अपने कुल ऋण में से 2% ऋण महिलाओं को जारी करने और अगले पाँच वर्षों में इसे बढ़ाकर 5% करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्टेट बैंक समूह के बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बैंकवार महिलाओं हेतु वर्तमान में निवल ऋण की प्रतिशतता क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 2 प्रतिशत महिलाओं के लिए निर्धारित करने तथा पाँच वर्षों में इसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने के लिए कहा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ये अनुदेश भी दिए गए हैं कि वे केन्द्रित एवं समन्वित ढंग से महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए

अपनी नीतियों को पुनर्परिभाषित करें। महिलाओं तक ऋण पहुँचाने के उद्देश्य से उन्हें दीर्घावधि योजनाएँ तैयार करनी चाहिएं। इस उद्देश्य के लिए वे अपेक्षाकृत छोटी परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को दिए गए ऋण, बैंकों की विभिन्न योजनाओं/सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ऋण और उन कम्पनियों को ऋण, जहाँ प्रवर्तकों के अधिकांश शेयर महिलाओं के पास हैं तथा पार्टनरशिप फर्मों जहाँ अधिकांश भागीदार महिलाएँ हैं और स्वामित्व प्रतिष्ठान जहाँ स्वत्वधारी महिलाएँ हैं, को ध्यान में रख सकते हैं। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना है कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार संवर्द्धन सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ निर्धारित अनुपात में महिलाओं को प्राप्त हों।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि महिलाओं को ऋण के प्रवाह के बारे में फिलहाल सभी बैंकों के लिए अलग से आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे व्यष्टि ऋण, के माध्यम से दी गई राशियों/लघु उद्योगों को ऋण, मझोले और बड़े उद्योगों को ऋण, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और बैंकों की अन्य विभिन्न योजनाओं के लिए महिलाओं हेतु अलग से आँकड़ा आधार (डेटा-बेस) तैयार करें और मार्च 2001 को समाप्त तिमाही से प्रारम्भ तिमाही की रिपोर्ट सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें।

चीनी उत्पादन पर उपकर

3021. श्री रघुनाथ झा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों में उत्पादित चीनी और निर्यात की गई चीनी पर उपकर वसूला जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना उपकर वसूला गया; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान उपकर राशि का किस तरीके से उपयोग किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) भारत में किसी भी चीनी कारखाने द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर उपकर लिया और वसूल किया जाता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वसूल किया गया उपकर नीचे दिया गया है :–

	लाख रुपए में
1997-98	20805.82
1998-99	18801.76
1999-2000	18886.60

(ग) उपर्युक्त अवधि में वसूल और निधि में जमा किए गए उपकर का उपयोग चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार चीनी कारखानों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन करने और गन्ने का विकास करने के लिए ऋण देने, चीनी उद्योग के विकास के लिए लक्षित अनुसंधान परियोजनाओं को अनुदान देने, बफर स्टाक रखने के लिए चीनी कारखानों को राजसहायता अदा करने, राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ और प्रत्येक वर्ष के लिए बजट परिव्यय के अनुसार चीनी विकास निधि के प्रशासन का खर्च पूरा करने के लिए किया जाता है।

प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया पर लागू होने वाले कानून

3022. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया पर लागू होने वाले कानून कौन से हैं;

(ख) क्या गलत रिपोर्ट देने हेतु प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा सकती है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया देश के कानूनों द्वारा विनियंत्रित होते हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल है :–

- प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867
- सरकारी गुप्ति अधिनियम, 1923
- संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1977
- प्रेस परिषद अधिनियम, 1978
- महिलाओं का अशोभनीय निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986
- भारतीय बेतार अधिनियम, 1865
- प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990
- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1965

(ख) और (ग) प्रेस अधिनियम, 1978 के तहत प्रेस के स्व-नियामक निकाय के रूप में भारतीय प्रेस परिषद (पी.सी.आई.) की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 14 के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद पत्रकारिता से सम्बन्धित आचार-संहिता के मानकों के उल्लंघन करने या लोक अभिरुचि को आहत करने या व्यावसायिक कदाचार के लिए समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है, भर्त्सना कर सकती है या निन्दा कर सकती है अथवा मामले के अनुरूप सम्पादक या पत्रकार के आचरण की निन्दा कर सकती है।

इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया है। तथापि, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यक्रम, इस प्रयोजनार्थ बनाए गए नीति दिशा-निर्देशों/कार्यक्रम संहिताओं द्वारा विनियंत्रित होते हैं।

केबल नेटवर्क के माध्यम से जब उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है तो इनके द्वारा टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है। नियम 6 (1) (घ) किसी भी ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण को निषेद्ध करता है जिसमें किसी भी प्रकार की अश्लीलता, निन्दा, जानबूझ कर असत्य या अश्लील व्यंगोक्ति और अर्द्धसत्य हो। अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी प्राधिकृत अधिकारियों अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित अन्य अधिकारियों की होती है।

जर्मनी को चाय का निर्यात

3023. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी ने भारत से चाय लेने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय चाय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्याज के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाना

3024. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्याज के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाने का फैसला लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह प्रस्ताव महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में प्याज के रिकार्ड उत्पादन पर आधारित है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) प्याज के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। बंगलौर रोज और कृष्णापुरम् प्याज को छोड़कर सभी किस्म के प्याज का निर्यात सरणीकृत है और इसकी अनुमति उत्पादन, उपलब्ध स्टॉक, फसल की स्थिति, घरेलू आवश्यकता इत्यादि को ध्यान में रखने के पश्चात् निर्धारित की गई वार्षिक मात्रात्मक अधिकतम सीमा के भीतर प्रदान की जाती है। बंगलौर रोज और कृष्णापुरम् प्याज के निर्यात की अनुमति किसी मात्रात्मक सीमा के बिना प्रदान की जाती है। वर्ष 2000-2001 में 3.5 लाख मी. टन की मात्रा निर्यात के लिए जारी की गई है।

निष्पादन न करने वाले राज्यों को सहायता

3025. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों को विदेशी धनराशि की ओर आकृष्ट करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु फैसला लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात राज्य पर बहुपक्षीय सहायता देने पर विचार किया जाएगा; और

(ग) यदि हाँ, तो इस विदेशी सहायता राशि को उन राज्यों को देन जिन्हें अब तक यह सहायता नहीं मिली है, सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) से (ग) सरकार ने एक पारदर्शी, गतिशील और निवेशक अनुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति पहले ही लागू कर दी है, जिसमें एक छोटी सूची को छोड़कर लगभग सभी कार्यकलापों को 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वतः मार्ग के अधीन रख दिया गया है। परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का चयन निवेशकों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है। यह विद्युत, विकसित भूमि, आदि जैसी पर्याप्त व विश्वसनीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में निवेश आकृष्ट करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों और राजसहायताओं पर निर्भर करता है।

एगमार्क प्रमाणन

3026. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में उपलब्ध अधिकांश कृषि खाद्य उत्पाद एगमार्क प्रमाणन के अनुरूप नहीं होते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी खाद्य उत्पादों के लिए एगमार्क प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य बनाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 को संशोधित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हाँ अधिसूचित कृषिजन्य वस्तुओं के लिए एगमार्क प्रमाणन स्वैच्छिक है। ऐसी वस्तुओं के लिए एगमार्क प्रमाणन लेना विनिर्माता का काम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कृषि उत्पाद ग्रेडिंग तथा विपणन अधिनियम, 1937 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आर्थिक सुधार निगरानी आयोग

3027. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 15 जनवरी, 2001 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मीट टू मूट हाऊस पैनल टू मानीटर रिफार्मस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, न्यूयार्क ने यह विचार व्यक्त किया है कि आर्थिक सुधार पैकेज के निरन्तर क्रियान्वयन में सहायता देने हेतु संसद द्वारा नियुक्त आर्थिक सुधार निगरानी आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो संसद के प्रति जिम्मेदार हो;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने दोनों परिषदों के इस सुझाव पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार देश में सुधारों की निगरानी हेतु इस प्रकार के आयोग को गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में आर्थिक सुधारों की निगरानी हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं या इस समय क्या प्रणाली उपलब्ध है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि निवेश

3028. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद में कृषि निवेश का अनुपात पिछले वर्षों से घट गया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) क्या प्रधान मंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद् ने यह सिफारिश की है कि दूसरे दौर के सुधारों को कृषि क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में निवेश अनुपात को बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो किस सीमा तक उक्त अनुपात बढ़ाया जाएगा;

(च) क्या कृषि क्षेत्र के प्रति निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई प्रोत्साहन प्रस्तावित है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 से 1999-2000 तक सात वर्ष की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निवेश 1993-94 से 1995-96 तक के पहले तीन वर्षों में 1.6 प्रतिशत पर स्थिर रहा; 1996-97 में यह घट कर 1.5 प्रतिशत और तत्पश्चात् अगले दो वर्षों के दौरान 1.4 प्रतिशत रह गया। लेकिन 1999-2000 में यह पुनः बढ़कर 1.5 प्रतिशत हो गया।

(ग) प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर किया है जैसे कि चीनी, उर्वरक, दुग्ध प्रसंस्करण, चावल कुटाई, कपास आदि पर विनियमन एवं नियन्त्रण हटाने के अलावा देश भर में कृषि उत्पादों की आवाजाही एवं भण्डारण पर नियन्त्रण हटाना, जो दूसरे चरण के सुधारों के लिए कार्यसूची का रूप ले सकते हैं।

(घ) और (ङ) सिंचाई योजनाओं और आधारढाँचे की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ग्रामीण आधारढाँचा विकास निधि के माध्यम से कृषि निवेश में तीव्र गति से वृद्धि करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। राज्यों को उनकी बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता देने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और देश के विभिन्न भागों में पनधाराओं का विकास करने के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम आदि। अभी-अभी शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में सभी बस्तियों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है जिसके लिए हाई स्पीड डीज़ल (एच.एस.डी.) पर उपकर के 50 प्रतिशत का उपयोग किया जाएगा।

(च) और (छ) कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में विविधता बढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन संसाधित खाद्य उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को हटाना है।

डी.सी.एम.–हुंडोई (कंटेनर डिवीजन) का पुनःस्थापन

3029. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने डी.सी.एम.-हुंडोई से पुनःस्थापन सम्बन्धी नए प्रस्ताव की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा इस सम्बन्ध में एक अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। मैसर्स डी.सी.एम. हुंडोई लि. को दिनांक 28.7.1998 को रुग्ण घोषित किया गया था और आई.एफ.सी.आई. को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत परिचालन एजेन्सी (ओए) नियुक्त किया गया था। दिनांक 17.9.1999 को आई.एफ.सी.आई. के स्थान पर आई.सी.आई.सी.आई. को कम्पनी की अर्थक्षमता की जाँच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परिचालन एजेन्सी (ओए) नियुक्त किया गया था।

परिचालन एजेन्सी ने बोर्ड को सूचित किया कि दिनांक 6.1.2000 को कम्पनी और बैंकों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। बैंकों ने स्पष्ट रूप से बताया कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के पैरामीटरों के बाहर न तो अतिरिक्त निवेश करेंगे और न ही कोई राहत/रियायतें देंगे। कम्पनी की अर्थक्षमता प्रवर्तकों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक अंशदानों पर निर्भर है। पीठ ने दिनांक 29.2.2000 के अपने आदेश में परिचालन एजेन्सी के प्रबन्धन में परिवर्तन के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया था और इंडियन बैंक को कम्पनी से वसूली हेतु कानूनी मुकदमा दायर करने की अनुमति दी गई थी। कम्पनी ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमार्ण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के दिनांक 29.2.2000 के आदेश के विरुद्ध औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (ए.ए.आई.एफ.आर.) में अपील की थी, जिसे ए.ए.आई.एफ.आर. ने दिनांक 13.7.2000 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया था।

(ग) दिनांक 14.2.2001 को हुई पिछली सुनवाई में मौजूदा प्रबन्धकों ने कम्पनी को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। पीठ ने प्रवर्तकों को आखिरी अवसर देने का निर्णय लिया और कम्पनी/प्रवर्तकों को निर्देश दिया कि नई कार्यशील पूँजी जारी करने, इंडियन बैंक द्वारा खरीदे गए बकाया विदेशी बिल, विदेशी मुद्रा उच्चावचन को छोड़ने और कम्पनी को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए प्रवर्तकों के योगदान से सम्बन्धित

मामलों को सुलझाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से विचार-विमर्श करने के बाद दिनांक 31.3.2001 तक परिचालन एजेन्सी को पूरी तरह दुरस्त पुनर्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

परिचालन एजेन्सी प्रस्ताव की जाँच करेगी और दिनांक 15.4.20001 तक संयुक्त बैठक के कार्यवृत्तों सहित अपनी रिपोर्ट बेंच विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

चीनी का निर्यात

3030. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय चीनी की आवक को रोकने हेतु चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाकिस्तान को अब तक कितनी प्रमात्रा में चीनी का निर्यात किया गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि आयात शुल्क को बढ़ाने के पाकिस्तान के इस निर्णय से निर्यात में गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ङ) सरकार के पास पाकिस्तान सरकार द्वारा चीनी पर आयात शुल्क में कोई वृद्धि करने के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है।

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.), कोलकाता के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान (नवम्बर, 2000 तक) कुल 1,40,863 मी. टन चीनी का वास्तव में निर्यात किया गया है जिसमें से 95,746 मी. टन चीनी का निर्यात पाकिस्तान को किया गया है।

तथापि, निर्यातकों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 17.2.2001 तक लगभग 3.72 लाख टन (अनंतिम) चीनी के वास्तव में किए गए कुल निर्यात में से लगभग 1.71 लाख टन (अनंतिम) चीनी का निर्यात पाकिस्तान को किया गया है।

[हिन्दी]

राज्य व्यापार निगम का कार्य-निष्पादन

3031. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष (2000-2001) में भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा कितना और किन-किन वस्तुओं का व्यापार किया गया है;

(ख) अपने बाजार के विस्तार के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम की क्या योजना है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम लगातार घाटे में चल रही है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और बकाया धनराशि की वसूली से सम्बन्धित मुकदमों में अन्तर्ग्रस्त धनराशि कितनी है; और

(ङ) घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने क्या योजनाएँ तैयार की हैं और नकदी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) एस.टी.सी. को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1281 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का कारोबार होने की आशा है जिसमें 743 करोड़ रुपए का निर्यात, 377 करोड़ रुपए का आयात और 161 करोड़ रुपए का घरेलू व्यापार शामिल है तथा इसमें वर्ष के दौरान व्यापार की गई प्रमुख मदें निम्नानुसार हैं :–

निर्यात : गेहूँ, अरंडी बीज/तेल, कॉफी, काजू तथा रसायन एवं औषधियाँ।

आयात : खाद्य तेल, सोना।

घरेलू व्यापार : हाइड्रोकार्बन, दालें/मोटे अनाज और जूट की वस्तुएँ।

(ख) एस.टी.सी. द्वारा पूर्व में सरणीकृत सभी मदों का सरणीयन समाप्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप निगम निर्यात एवं आयात दोनों के लिए गैर-सरणीकृत कारोबार के विकास पर बहुत जोर दे रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। एस.टी.सी. अपने आरम्भ से ही कर पश्चात् नियल लाभ (पैट) अर्जित कर रहा है। तथापि, कारोबार के दौरान निगम को समय-समय पर कई न्यायिक/मध्यस्थ-निर्णय सम्बन्धी मामलों का सामना करना पड़ता है। एस.टी.सी. द्वारा बकाया रकम की वसूली के लिए दायर किए गए सभी प्रमुख न्यायिक/मध्यस्थ-निर्णय सम्बन्धी मामलों में शामिल राशि लगभग 50 करोड़ रुपए है।

(ङ) एस.टी.सी. को जब कभी आवश्यक होता है, नकदी फसलों के उपजकर्त्ता किसानों के हितों की रक्षा के प्रयोजन से घरेलू बाजार में बाजार हस्तक्षेप की कार्रवाई करने के लिए भी कहा जाता है। हाल में निगम द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई तम्बाकू और प्राकृतिक रबड़ के लिए की गई है।

[अनुवाद]

विदेशी पूँजी का आगम

3032. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट ने उजागर किया है कि भारत में विदेशी पूँजी का आगम घट रहा है और यह क्रमशः वर्ष 1998 में 2.6 बिलियन अमेरिकी डालर और वर्ष 1997 में 3.5 बिलियन अमेरिकी डालर से वर्ष 1999 के दौरान 2.1 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुँच गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल ऋण (विदेशी) 97.6 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में वर्ष 1999 में 94.3 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है जो पूँजी आगम में गिरावट की ओर संकेत करता है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) देश में निवेश आमंत्रित करने के लिए सरकार नियमित प्रयास कर रही है। वास्तव में, कुल विदेशी पूँजी अन्तर्प्रवाह वर्ष 1998 में 2.7 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 1999 में 4.04 बिलियन अमेरिकी हो गया।

(ग) और (घ) वैश्विक विकास वित्त रिपोर्ट की अग्रिम विज्ञप्ति के अनुसार भारत का विदेशी ऋण वर्ष 1998 के 98.2 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में वर्ष 1999 में 94.3 बिलियन अमेरिकी डालर था। सरकार का यह प्रस्ताव है कि इक्विटी आधारित पूँजी अन्तर्प्रवाह अधिक हो।

मारुति उद्योग लिमिटेड में इक्विटी धारता

3033. श्री विजय गोयल : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मारुति उद्योग लि. में अपनी इक्विटी धारिता को नए राइट इश्यू जारी कर कम करने का है;

(ख) क्या राइट इश्यू को अब भारतीय वित्तीय संस्थानों को जारी किया जाएगा;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) कितनी धनराशि का इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा और इन शेयरों की खरीद हेतु नियम और शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या वित्तीय संस्थानों को आबंटन के बाद इन शेयरों के निपटान में पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाएगी; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हाँ। सरकार ने मारुति उद्योग लि. में अपने शेयरों के विनिवेश का सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया है। सरकार ने मारुति उद्योग लि. के लिए इस चरण पर सरकार के लिए एक विकल्प परित्याग के साथ मौजूदा शेयरधारकों को उपयुक्त आधार पर शेयरों की पेशकश करने के विकल्प अपनाने का निर्णय लिया है।

(ख) से (च) सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन लि. के साथ बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। अतः राइट्स इश्यू के आकार, ब्यौरे तथा शर्तों का संकेत देना अभी जल्दबाजी होगी।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा छापा

3034. श्री विनय कुमार सोराके : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क दस्तों द्वारा देश भर में चीन द्वारा निर्मित सस्ते सामानों को बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं पर छापा मारा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सीमा शुल्क विभाग ने विदेशों में हवाला आपरेटरों के साथ दिल्ली, कलकत्ता और बिहार में व्यापारियों की साँठ-गाँठ को उजागर किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी पाया गया था कि अधिकांश निषिद्ध वस्तुएँ भारत में नेपाल के बरास्ते आती हैं और वैध आयात नेपाल से कम बीजक दर्शा कर किया जाता है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या हवाला माध्यम से आई धनराशि का उपयोग हांगकांग, सिंगापुर और थाइलैण्ड से नेपाल में भेजी गई वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जहाँ से इनका पुनः निर्यात कर दिया जाता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा हवाला आपरेशन के माध्यम से इन निषिद्ध वस्तुओं के आवागमन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हाँ। नवम्बर, 2000 के दौरान पूरे देश में छापे मारने से संबन्धित एक विशेष तस्करी रोधी अभियान चलाया गया था, जिसमें सीमा शुल्क विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चीन, ताइवान, जापान, मलयेशिया, कोरिया आदि जैसे विभिन्न देशों से उद्भूत निषिद्ध माल जब्त किया गया था, जिसका मूल्य 5.87 करोड़ रुपए आँका गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है।

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने के लिए चौकस तथा सजग रहते हैं।

सेन्टार होटल की बिक्री

3035. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय होटल निगम के पंच सितारा होटलों की सेन्टार शृंखला के लिए वित्तीय बोली आमंत्रित करने तथा उनकी सूची बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर सबसे अधिक बोली देने वालों पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में एक अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. में विनिवेश प्रक्रिया प्रगति पर है।

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा अभी तय नहीं की गई है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

3036. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अपने सरकारी खजाने के कंप्यूटरीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने सरकारी खजाने का कंप्यूटरीकरण केन्द्रीय सहायता से किया है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ शेष राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) विभिन्न राज्य सरकारों ने सरकारी खजानों (राजकोषों) के कम्प्यूटरीकरण हेतु दसवें वित्त आयोग को अपने प्रस्ताव भेजे थे। दसवें वित्त आयोग ने राजस्व घाटे में मूल्यांकित राज्यों में जिला स्तर के राजकोषों के कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदानों की संस्तुति की है। 1996-2000 की अवधि के लिए राज्यों को दसवें वित्त आयोग द्वारा आबंटित तथा 31.3.2000 तक जारी अनुदान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जिला स्तरीय राजकोषों और उनके कम्प्यूटरीकरण की स्थिति के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, एन.आई.सी. और राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर दसवें वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों के राजकोषों के कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदान जारी किए थे।

ऐसे राज्यों, जिनके पास अन्तरण से पूर्ण समग्र गैर-योजनागत राजस्व फालतू होने का आकलन किया गया था, के लिए दसवें वित्त आयोग ने स्तरोन्नयन अनुदान की सिफारिश नहीं की थी।

विवरण

राजकोषों के कम्प्यूटरीकरण के लिए दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान

(लाख रुपए में)

राज्य	राजकोषों का कम्प्यूटरीकरण	
	आंबटन 1996-2000	31.3.2000 तक जारी धनराशि
1	2	3
1. अरूणाचल प्रदेश	60.00	27.00
2. असम	230.00	224.25
3. बिहार	400.00	360.00
4. गोवा	20.00	18.00
5. हिमाचल प्रदेश	20.00	20.00
6. जम्मू और कश्मीर	150.00	135.00
7. मेघालय	50.00	45.00
8. मिजोरम	30.00	27.00
9. नागालैण्ड	90.00	54.50
10. उड़ीसा	180.00	94.50
11. पंजाब	140.00	19.11
12. राजस्थान	340.00	306.00
13. सिक्किम	10.00	9.00
14. त्रिपुरा	20.00	16.00
15. उत्तर प्रदेश	460.00	452.65
16. पश्चिम बंगाल	110.00	82.50
कुल योग	**2310.00**	**1890.51**

फेमा अधिनियम, 1999 में संशोधन

3037. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999 में संशोधन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फेमा अधिनियम, 1999 में संशोधनों के कारण शेयरों, ऋण पत्रों के निवेशक अप्रवासी भारतीय बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान को चाय का निर्यात

3038. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चाय उद्योग के प्रतिनिधि मण्डल ने पाकिस्तान को चाय का निर्यात करने के संबंध में पाकिस्तान टी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के लिए दिसम्बर, 2000-जनवरी, 2001 के मध्य पाकिस्तान का दौरा किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान भारत से चाय के आयात का इच्छुक है;

(ग) यदि हाँ, तो चालू वर्ष में भारत द्वारा पाकिस्तान को कुल कितना चाय निर्यात किया गया है और वर्ष 2001-2002 के लिए कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) पाकिस्तान किस सीमा तक भारतीय चाय का एक प्रमुख आयातक देश बन रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) इंडियन टी एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय चाय उद्योग के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान को चाय के निर्यात का संवर्धन करने हेतु पाकिस्तान टी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए फरवरी, 2001 में पाकिस्तान का दौरा किया।

(ख) पाकिस्तान टी एसोसिएशन तथा इंडियन टी एसोसिएशन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, पाकिस्तान वर्ष 2001 के दौरान भारत से 7 से 10 मिलि. किग्रा. चाय का आयात करेगा और धीरे-धीरे वर्ष में 10%, 15% तक खरीद में वृद्धि करेगा।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान अप्रैल-दिसम्बर की अवधि के लिए भारत द्वारा पाकिस्तान को निर्यात की गई चाय की कुल मात्रा पिछले वित्तीय वर्ष की तदनुरूप अवधि में निर्यात की गई 0.10 मिलि किग्रा. की तुलना में 2.94 मिलि किग्रा. का अनुमान है। पाकिस्तान के साथ चाय के व्यापार में हाल में हुई प्रगति के आधार पर आशा है कि वर्ष 2001-02 के दौरान पाकिस्तान को भारतीय चाय का निर्यात लगभग 7 से 10 मिलि. किग्रा. तक हो सकता है।

(घ) पाकिस्तान विभिन्न चाय उत्पादक देशों से प्रति वर्ष औसतन 110-115 मिली. किग्रा. चाय का आयात कर रहा है। वर्ष 1997, 1998 और 1999 के वर्षों के दौरान भारत से पाकिस्तान को चाय का निर्यात क्रमशः 1.31 मिलि. किग्रा., 2.77 मिलि. किग्रा. और 0.48 मिलि. किग्रा. का हुआ था। बाजार के बड़े आकार को देखते हुए यदि पाकिस्तान टी एसोसिएशन और इंडियन टी एसोसिएशन के बीच हुए करार को पूरा किया जाता है तो पाकिस्तान भारतीय चाय का एक प्रमुख आयातक बन सकता है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अधिग्रहण

3039. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाएँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की अधिग्रहण योजनाओं का वित्त पोषण कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मार्ग-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 1991 से, मौजूदा कम्पनियों की इक्विटी में वृद्धि के लिए सरकार से सम्पर्क करने वाली विदेशी कम्पनियों के 1479 मामले आए हैं। प्रस्तावों को सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की किसी अधिग्रहण योजना का भारत में निगमित वित्तीय संस्थाओं द्वारा निधिपोषण नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकारी दिशानिर्देशों से निर्दिष्ट होता है कि विदेशी स्वामित्व वाली धारक कम्पनियों को विदेशों से निधि जुटानी होगी तथा वे देशीय बाजार से निधियाँ प्राप्त नहीं करेंगी। दिशानिर्देश डाउनस्ट्रीम संचालक कम्पनियों को देशीय बाजार में ऋण जुटाने से बाधित नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

टकसालों का आधुनिकीकरण

3040. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की बढ़ती माँग को सिक्कों की ढलाई क्षमता के बीच अन्तर को दूर करने हेतु टकसालों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो आधुनिकीकरण के कार्य को कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है और इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) प्रत्येक टकसाल में कितने सिक्कों की ढलाई की जा रही है और वे किस मूल्यवर्ग के हैं तथा टकसालों के आधुनिकीकरण के बाद कितने सिक्कों की ढलाई किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सिक्कों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद स्थित टकसालों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आधुनिकीकरण का कार्य लगभग समाप्ति पर है।

(ग) वर्ष 2000-2001 (फरवरी, 2001 तक) के दौरान सिक्कों का टकसाल-वार उत्पादन निम्नलिखित है :–

(आंकड़े मिलियन अदद में)

मूल्य वर्ग	मुम्बई	कलकत्ता	हैदराबाद	नोएडा
5 रुपए	97.61	100.30	55.01	27.41
2 रुपए	102.56	130.94	108.14	248.53
1 रुपया	118.08	177.26	255.31	334.37
50 पैसे	156.86	106.81	121.38	185.39
25 पैसे	120.26	99.00	85.19	115.78

आधुनिकीकरण के पश्चात् टकसालों की क्षमता निम्नलिखित होगी :–

टकसाल	क्षमता मिलियन अदद
मुम्बई	1000
कलकत्ता	1000
हैदराबाद	700
नोएडा	1000*

*दूसरी पाली शुरू होने के बाद नोएडा टकसाल की क्षमता 2000 मिलियन अदद हो जाएगी।

भारतीय रुपए की क्रय शक्ति

3041. श्री मानसिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रुपए की क्रय शक्ति में चिन्ताजनक रूप से गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1980-81 में रुपए के मूल्य के आधार पर वर्ष 1991-1992, 1996-1997 और 2000-2001 में रुपए का औसत मूल्य कितना था;

(ग) क्या देश के विभिन्न शहरों में रुपए की क्रय शक्ति में बहुत अधिक अन्तर है; और

(घ) यदि हाँ, तो वित्त वर्ष 1996-97 और 2000-2001 के दौरान रुपए का न्यूनतम और अधिकतम क्रय शक्ति का शहरवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी. पी.आई.-आई.डब्ल्यू.) के व्युतक्रम द्वारा यथा मापित रुपए की क्रय शक्ति सूचकांक में वृद्धि होने के साथ-साथ घटती जाती है।

1980-81 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 1991-92, 1996-97 और 2001-01 में रुपए का औसत मूल्य नीचे सूचीबद्ध है :

	रुपए का मूल्य (पैसे में)
1991-92	36.99
1996-97	23.68
2000-01 (अपैल-जून)	22.52

(ग) और (घ) रुपए की क्रय शक्ति का आकलन करने हेतु प्रयोग में लाए गए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देश के 70 भिन्न-भिन्न केन्द्रों के लिए आकलित किया गया है चूँकि भिन्न-भिन्न नगरों में मूल्य भिन्न-भिन्न होते हैं वैसे ही इन नगरों में रुपए की क्रय शक्ति भी भिन्न-भिन्न होती है।

देश के प्रमुख नगरों में 1982 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 1996-97 और 2000-2001 में रुपए की क्रय शक्ति नीचे सूचीबद्ध है :–

मुख्य नगरों में रुपए की क्रय शक्ति

आधार वर्ष 1982=100 (पैसे में)

	1996-97			
	दिल्ली	मुम्बई	चेन्नई	कलकत्ता
अप्रैल	29.76	28.01	29.33	30.40
जून	29.33	27.32	27.47	29.50
अक्तूबर	27.40	26.95	27.25	28.09
जनवरी	27.47	26.25	26.46	28.99
मार्च	27.10	26.11	26.67	28.90
	2000-01			
अप्रैल	19.34	19.96	21.14	23.04
जुलाई	19.23	19.49	21.01	22.73
अक्तूबर	19.16	19.49	20.58	20.66
जनवरी	19.49	19.34	20.88	21.03

[अनुवाद]

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश

3042. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे निगमित कम्पनियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनाएँ भारतीय रिजर्व बैंक को भी उपलब्ध कराएँ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इस संबंध में बनाए गए किसी नियम या दिशानिर्देश का पालन नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ बाजार और पूँजी के प्रवाह में किस सीमा तक हेरफेर कर रही हैं;

(ङ) क्या कोई ऐसा कानून है जिसका प्रयोग करके भारतीय रिजर्व बैंक दोषी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नियंत्रित कर सकता है; और

(च) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध प्रवर्तन योग्य कानूनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ 12 जनवरी, 2001 को आयोजित एक अनौपचारिक बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेटिंग एजेंसियों नामतः क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसिज़ ऑफ इंडिया लि., क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लि., आई.सी.आर.ए. लि. तथा फिच रेटिंग इंडिया प्रा. लि. को निम्नलिखित के ब्यौरे प्रस्तुत करने को कहा था :–

(i) उनमें से प्रत्येक द्वारा सामान्यतः कम्पनियों के संदर्भ में किए गए दर निर्धारण का 'दीर्घावधिक दर निर्धारण दायरा'। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के सम्बन्ध में उन्हें कम्पनियों के नाम भी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया;

(ii) उतार-चढ़ाव के विस्तार तथा शामिल अवधि के विशिष्ट संदर्भ में दर निर्धारणों का उन्नयन/अवनयन, तर्काधार सहित।

(घ) से (च) भारत की सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के तहत विनियमित किया जाता है। उक्त विनियमों के उपबन्धों के तहत, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित विनियामक अपेक्षाओं का अनुसरण किया जाना अपेक्षित है:–

(i) प्रत्येक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सी.आर.ए.) क्लायंट द्वारा उसे दी गई सूचना को गोपनीय मानेगी;

(ii) सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ उक्त विनियमों में दी गई आचार संहिता का अनुपालन करेंगी जिसमें उन्हें (1) मिथ्या बाजार के सृजन, (2) किसी पूँजी बाजार मध्यवर्ती को कोई कीमत संवेदी सूचना देने या कोई ऐसी अन्य कार्रवाई करने जो निवेशकों के प्रति अनैतिक या अनुचित हो, का पक्षकार न होने का व्यादेश दिया गया है;

(iii) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की गतिविधियाँ अन्य बातों के साथ खाता बहियों, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण या जाँच करके भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित की जाती हैं।

सेबी अधिनियम, 1992 के उपबन्धों या उनके तहत बनाए गए विनियमों का अनुपालन करने में असफल होने पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर पंजीकरण आस्थगन या पंजीकरण निरसन की शास्ति लगाई जा सकती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को लाभ

3043. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सी-ए संख्या 2218/99, 2219/99 और टी.पी. 403/99 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के समान वेतन और भत्ते दिए जाने का निर्णय दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय को लागू किए जाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के समान सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएँगे;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी.ए.सं. 2218/99 और 2219/99 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान के सम्बन्ध में निर्णय दिया है। विधि मंत्रालय से परामर्श करके इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

(ग) से (ङ) जहाँ तक अधिवर्षिता से सम्बन्धित लाभों का सम्बन्ध है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्यूटी) योजना उनके सम्बन्धित प्रायोजक बैंक के समकक्ष है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारीगण क्रमशः भविष्य निधि और पेंशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अन्तर्गत कवर होते हैं। तथापि, अपनी वित्तीय पराधीनता के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजक बैंकों के समकक्ष अपने कर्मचारियों को पेंशन भुगतान कर पाने की स्थिति में नहीं हैं।

निवेशक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

3044. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक कार्य विभाग ने निवेशकों की सहायता के लिए निवेशक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकोष्ठ के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या निवेशकों की शिकायतों के आसान निपटान के लिए सरकार द्वारा इस प्रकोष्ठ की शाखाएँ देश के अन्य भागों में भी खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समय निवेशकों की शिकायतों के निपटान के लिए और कौन से मंच उपलब्ध हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) दिनांक 15 फरवरी, 2001 से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में एक निवेशक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। निवेशक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, भारतीय निवेश केन्द्र, जीवन विहार भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। निवेशक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के उत्तरदायित्वों में निवेशकों की शिकायतों को प्राप्त करना, सम्बन्धित विनियामक एजेंसी को अग्रेषित करना, समंवयन करना तथा उनकी प्रास्थिति को मॉनिटर करना शामिल है। निवेशक अपनी शिकायतें निवेशक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को डाक द्वारा भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-मेल पते igcell/finance. nic. in पर भी भेजी जा सकती हैं।

(ग) और (घ) चूँकि निवेशकों की शिकायतें प्रकोष्ट को डाक द्वारा तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा सकती हैं, अतः देश के अन्य भागों में निवेशक शिकायत निवारण कक्ष खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) निवेशक शिकायत के विषय के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अथवा कम्पनी कार्य विभाग के साथ अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।

नई चीनी नीति

3045. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने हाल ही में नई चीनी नीति की घोषणा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस नीति की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने चीनी उद्योग से सम्बन्धित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सभी सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है। उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1998

में प्रस्तुत कर दी थी। समिति की प्रमुख सिफारिशें चीनी उद्योग से नियंत्रण हटाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लेवी चीनी की आपूर्ति के सम्बन्ध में हैं। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैं :–

लेवी दायित्व में कमी : सरकार ने चीनी उद्योग से चरणबद्ध ढंग से नियंत्रण समाप्त करने का निर्णय लिया है। लेवी दायित्व जिसे 1.1.2000 से 40% से घटाकर 30% कर दिया गया था उसे 1.2.2001 से और कम करके 15% कर दिया गया है।

लेवी चीनी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन : जहाँ तक लेवी चीनी की आपूर्ति का सम्बन्ध है, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। जुलाई, 2000 से आयकर निर्धारितियों और उनके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लेवी चीनी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों/पहाड़ी राज्यों/द्वीप समूहों, जहाँ पिछली व्यवस्था जारी रहेगी, को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1.1.2001 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी की आपूर्ति को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित कर दिया है। तथापि, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आपूर्ति को 450 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम कर दिया है जिससे गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को लाभ पहुँचेगा।

रबड़ दोहन करने की नई विधि

3046. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने रबड़ के दोहन की कोई नई विधि शुरू की है;

(ख) क्या रबड़ के दोहन की इस गैर-पारंपरिक विधि से रबड़ के उत्पादन में काफी वृद्धि होती है;

(ग) क्या रबड़ के दोहन की इस विधि को "इन्क्लाइंड अपवर्ड टैपिंग" (आई.यू.टी.) कहा जाता है;

(घ) क्या इस विधि को सभी रबड़-बागानों में शुरू किए जाने की योजना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ङ) जी, हाँ। रबड़ बोर्ड ने वर्ष 1991 में कंट्रोल्ड अपवार्ड टेपिंग (सी.यू.टी.) नाम से टेपिंग की एक नई विधि शुरू की है। सी.यू.टी. मूलतः 1976 में मेघालय में शुरू की गई थी। सी.यू.टी. को अपनाने से पैदावार में 40% तक की वृद्धि पाई गई है। लगभग सभी बड़े बागानों और अनेक प्रगतिशील लघु उत्पादकों ने सी.यू.टी. को अपनाया है। रबड़ बोर्ड द्वारा अब लघु उत्पादकों के बीच सी.यू.टी. का जोर-शोर से संवर्धन किया जा रहा है।

आई.डी.बी.आई. द्वारा विदेशी मुद्रा ऋण लिया जाना

3047. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.डी.बी.आई. विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार का उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कुल कितना ऋण प्राप्त किया जा चुका है; और

(ग) आई.डी.बी.आई. किन-किन देशों से ऋण राशि प्राप्त कर सका है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हाँ। आई.डी.बी.आई. विभिन्न स्रोतों से विदेशी मुद्रा निधि जुटाती रही है और वर्ष 1992 में इसने विदेशी मुद्रा परिचालन प्रारम्भ होने से अब तक 5453 मिलियन अमेरिकी डालर उधार लिया है।

(ग) आई.डी.बी.आई. ने जर्मन बाजार में तीन घरेलू इश्यूज, समुराई बाजार में दो इश्यूज, स्वीश बाजार में एक इश्यू तथा 4 यूरो इश्यूज तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त, आई.डी.बी.आई. ने संयुक्त राज्य, जापान, फ्रांस, जर्मनी और इटली की एजेंसियों के साथ ऋण सहायता सम्बन्धी समझौता किया है। इसने अमेरिका, यूरोप, एशिया तथा आस्ट्रेलिया में स्थित बैंकों से भी सम्बद्ध/द्विपक्षीय ऋण जुटाए हैं।

विद्युत आपूर्ति ठप्प होने के कारण उद्योगों को हानि

3048. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिनांक 2 जनवरी, 2001 को पावर ग्रिड के ठप्प होने जाने के कारण औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो किन राज्यों के उद्योग इससे प्रभावित हुए थे;

(ग) इससे उद्योगों का कितना घाटा होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार के घाटे को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ग) जनवरी, 2001 के माह के दौरान जब उत्तरी क्षेत्र में ग्रिड ठप्प हो गई थी, औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है। तथापि, चूँकि औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करने वाले अत्यावश्यक कारकों में बिजली की उपलब्धता एक कारक है, अतः मात्र बिजली की कमी के कारण उद्योगों को होने वाले उत्पादन सम्बन्धी नुकसान की ठीक-ठीक मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

(घ) और (ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु उठाए जा रहे महत्त्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :–

- सभी एच.वी.डी.सी., 400 के.वी. और 220 के.वी. लाइनों और सब-स्टेशनों का आवधिक निवारक तथा नियमित रख-रखाव।
- सभी जनित्रण स्टेशनों पर प्रचालन की स्वतंत्र नियामक पद्धति (फ्री गवर्नर मोड) की शुरूआत।
- राज्य विद्युत बोर्डों की वितरण प्रणालियों में अण्डर फ्रिक्वेंसी लोड शेडिंग रिले का उपयुक्त प्रचालन सुनिश्चित करना।

- वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी (आवृत्ति) में स्थायित्व लाने की दृष्टि से एक युक्तिसंगत वाणिज्यिक पद्धति का कार्यान्वयन, जो राज्य विद्युत बोर्डों को समय-सारणी के अनुसार बिजली लेने तथा उत्पादनकर्ताओं को तद्नुसार बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करें।
- राज्य विद्युत बोर्डों के लोड सेंटरों पर कैपेसिटरों की स्थापना करना।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के बारह कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन चलाया जाना

3049. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारह कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन चलाए जाने की सलाह दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आयोग ने उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 29 कर्मचारियों पर बड़े शास्ति लगाए जाने की भी सलाह दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 22 कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन लगाए जाने की सलाह दी है।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने उपरोक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के 12 कर्मचारियों पर बड़े शास्ति लगाने की सलाह दी है।

(ग) इस सम्बन्ध में विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) 15 कर्मचारियों तथा 9 कर्मचारियों के विरुद्ध क्रमशः अभियोजन तथा बड़े शास्ति लगाने के लिए कार्रवाई की गई है। अभियोजन प्रारम्भ करना तथा बड़े शास्ति लगाना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे सम्बन्धित अधिनियमों तथा नियमों के अनुसार चलाया जाता है तथा यह एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों की सूची, जिनके विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अभियोजन अथवा अत्यधिक दण्ड लगाने की सलाह दी है अथवा इसके लिए कार्रवाई की जा चुकी है

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष	जिन कर्मचारियों के विरुद्ध सलाह दी गई है उनकी संख्या		जिन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनकी संख्या	
			अभियोजन	अत्यधिक दण्ड	अभियोजन	अत्यधिक दण्ड
1.	कोल इण्डिया लि.	1997	1			
2.	नेशनल टेक्सटाइल कारपो.	1997	1		1	1
3.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु. लि.	1997	1		1	
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	1997	4		1	
5.	ब्रिटिश इण्डिया कारपो.	1998	2			
6.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम	1998	7		6	
7.	पावरग्रिड कारपो. ऑफ इण्डिया	1998	3		3	
8.	नेवेली लिग्नाइट कारपो.	1999	1		1	
9.	इलेक्ट्रोनिक्स कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	1999	2		2	
10.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर	1997		1		1
	कारपो.	1998		1		1
11.	भारत एल्युमिनियम कं. लि.	1998		2		1
12.	भारत कोकिंग कोल लि.	1998		1		1
13.	केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्पन संस्थान	1998		1		
14.	हास्पिटल परामर्शदायी सेवाएँ कारपो.	1998		1		1
15.	भारतीय नौवहन निगम	1999		1		1
16.	भारतीय होटल निगम लि.	1999		1		1
17.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम	1999		2		2
18.	न्यूक्लियर पावर कारपो. आफ इण्डिया	1999		1		
	जोड़		22	12	15	9

भूटानी मुद्रा का प्रचलन

3050. श्री सदाशिवराव दादोबा मण्डलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कुछ सीमावर्ती राज्यों में भूटान के करेंसी नोट प्रचलन में हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भूटान के सीमावर्ती उत्तरी बंगाल के कुछ जिलों में भूटानी करेंसी "गल्तरम" के चलन के कुछ मामले सामने आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ मामले को उठाया है और उनसे अनुरोध किया है कि भूटानी करेंसी के चलन को रोकने के लिए कदम उठाएँ।

एक्रिलिक यार्न का आयात

3051. श्री विनय कुमार सोराके : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल से एक्रिलिक यार्न के आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योगों के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो आयातित एक्रिलिक यार्न का मूल्य 156 रु. प्रति किलोग्राम से घटकर 80 रु. प्रति किलो ग्राम हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या घरेलू एक्रिलिक यार्न उत्पादकों की अधिष्ठापित क्षमता और उपयोग क्षमता में कमी आई है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या एक्रिलिक फाइबर मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ इंडिया ने एक्रिलिक यार्न के आयात को नकारात्मक सूची में शामिल किए जाने या उसके आयात पर प्रमात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाए जाने की माँग की है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने भारत-नेपाल संधि का नवीकरण करके रक्षोपाय शुरू किए जाने की माँग की है;

(च) यदि हाँ, तो क्या घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई व्यवहार्य हल खोजने के उद्देश्य से इस मुद्दे पर दूसरे सम्बन्धित उद्योगों के साथ भी चर्चा की गई है;

(छ) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ज) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ज) एक्रिलिक फाइबर मैन्युफैक्चरर्स मंच, लुधियाना बुनकर संघ और अन्यों से नेपाल में विनिर्मित सभी वस्तुओं के लिए मूल सीमाशुल्कों और मात्रात्मक प्रतिबन्धों से मुक्त भारतीय बाजार पहुँच की सुविधा प्रदान करने वाली भारत-नेपाल व्यापार सन्धि द्वारा प्रदत्त अधिमानी व्यापार व्यवहार के अधीन नेपाल से एक्रिलिक यार्न के आयात के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों के द्वारा सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि नेपाल से एक्रिलिक यार्न के बढ़े हुए आयात के फलस्वरूप घरेलू एक्रिलिक यार्न उत्पादकों की स्थापित क्षमता और उपयोगिता क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अन्य बातों के साथ यह भी सुझाव दिया गया है कि नेपाल से एक्रिलिक यार्न के आयात को शुल्क मुक्त प्रवेश की सुविधा समाप्त करने के प्रयोजन से निषेधात्मक सूची में रखा जाये।

नेपाल से वनस्पति तेल, प्लास्टिक तथा उससे बनी वस्तुएँ, तांबा तथा उससे बनी वस्तुएँ, जिंक ऑक्साइड इत्यादि जैसी मदों के आयात के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

अगर उपर्युक्त सुविधा के कारण नेपाल से आयातों में अकस्मात् वृद्धि होती है तो उस स्थिति में सन्धि में भारतीय उद्योग के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाने का प्रावधान है। तद्नुसार कार्रवाई शुरू की गई है और भारत-नेपाल व्यापार सन्धि में सुधार पर विचार दिसम्बर, 2001 में इसके नवीकरण के समय किया जाएगा।

ऑप्टिकल फाइबर पर पाटन-रोधी शुल्क

3052. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण अपीलीय अधिकरण (सी.ई.जी.ए.टी.) ने कोरिया से ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने में सरकार के आदेशों को दरकिनार कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं; और

(ग) इस निर्णय पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हाँ। यह बात सच है कि घरेलू उद्योग को हुए नुकसान का उचित रूप से अनुमान नहीं लगाने के कारण सरकार के आदेश को प्रथमतः एक तरफ रख दिया गया था।

(ग) माननीय सीमैट के निर्णय के प्रति उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा अपील करने का प्रस्ताव है।

मिनी टूल रूम

3053. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सहायता से मिनी टूल रूम स्थापित किए जाने के लिए कई राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मिनी टूल रूमों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने मिनी टूल रूमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मिनी टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्यों/राज्य अभिकरणों को एक बार वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय योजना हाल में अनुमोदित की गई है। दिनांक 1.3.2001 को उक्त योजना के लिए दिशा निर्देश का उल्लेख करते हुए एक अधिसूचना सभी राज्यों को जारी कर दी गई है जिसमें मिनी टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने की इच्छुक राज्य सरकारों से विहित प्रपत्र में एक बार केन्द्रीय सहायता की मंजूरी से सम्बन्धित अपने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अवैध नशीली दवाओं पर यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट

3054. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र अवैध मादक दवाओं के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र हो सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों की वास्तविकता क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत-म्यांमार सीमा पर भारतीय अधिकारियों द्वारा जब्त की गई मादक दवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत-म्यांमार सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2000 की रिपोर्ट में, अन्य बातों के अलावा यह अनुमान लगाया गया है कि भारत-म्यांमार सीमा-क्षेत्र अवैध मादक दवाओं के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बन सकता है। तथापि, प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, भारत-म्यांमार सीमा पर भारत में मादक पदार्थों के विनिर्माण की सुविधा उपलब्ध होने की सूचना नहीं मिली है। यद्यपि म्यांमार से भारत में तस्करी बहुत ही कम पैमाने पर होती है, तथापि इसमें गत तीन वर्षों के दौरान मामूली-सी वृद्धि हुई है।

(ग) मादक पदार्थ कानून के प्रवर्तन से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नागालैण्ड, मिजोरम और मणिपुर राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान जब्त किए गए मादक एवं उत्तेजक पदार्थों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

1998

राज्य	हेरोइन (किलोग्राम में)	एम्फीटैमाइन	एफीड्राइन (किलोग्राम में)
नागालैण्ड	0	0	0
मिजोरम	6.390	0	0
मणिपुर	5.460	0	10.000

1999

राज्य	हेरोइन (किलोग्राम में)	एम्फीटैमाइन	एफीड्राइन (किलोग्राम में)
नागालैण्ड	1.050	0	200.000
मिजोरम	1.800	0	707.000
मणिपुर	6.100	0.078 कि.ग्रा. और 1885 गोलियाँ	303.170

2000

राज्य	हेरोइन (किलोग्राम में)	एम्फीटैमाइन	एफीड्राइन (किलोग्राम में)
नागालैण्ड	0.020	0	100.000
मिजोरम	6.030	0	0
मणिपुर	1.720	1.075 कि.ग्रा. और 2116 गोलियाँ	167.000

(घ) भारत-म्यांमार सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत 'नियंत्रित पदार्थों' के रूप में एम्फीटैमाइन/मैथमफिटैमाइन गोलियों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची रासायनिक सामग्रियों, अर्थात् एफीड्राइन और यूडोएफीड्राइन को अधिसूचित करना, सतत् निगरानी रखना, प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाना, आसूचना-तन्त्र को चुस्त बनाना, सीमा पर मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल को शक्तियाँ प्रदान करना, मादक पदार्थों की माँग को कम करने और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा म्यांमार की सरकार के साथ एक व्यापक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किया जाना, सभी प्रवर्तन एजेंसियों की तिमाही समंवय बैठक आयोजित करना, मादक पदार्थों का पता लगाने वाले खोजी कुत्ते उपलब्ध कराना और म्यांमार के कुत्तों के रखवालों को प्रशिक्षण देना और एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के सिलसिले में गिरफ्तार किए व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

चीनी की बिक्री

3055. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिना आधिकारिक आदेश के चीनी बेचने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस आदेश का उल्लंघन किया है;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि गन्ना उत्पादक अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य प्राप्त करें; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार किस सीमा तक गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) वैध रिलीज आदेश के बिना खुले बाजार में चीनी की बिक्री के सम्बन्ध में विभिन्न सूत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, सरकार ने विभिन्न फैक्ट्रियों द्वारा चीनी की बिक्री तथा प्रेषण से सम्बन्धित स्थिति की जाँच करने के लिए अधिकारी भेजे थे। अभी तक प्रथम दृष्टि में 12 चीनी फैक्ट्रियाँ रिलीज आदेश का उल्लंघन करते हुए पाई गई हैं तथा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार गन्ने की उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसलों से किसानों को लाभ तथा कृषि जिन्सों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति, उचित मूल्य पर उपभोक्ता को चीनी की उपलब्धता, चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी को जिस मूल्य पर बेचा जाता है, गन्ने से चीनी की रिकवरी, आदि को ध्यान में रखते हुए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 के अधीन प्रत्येक चीनी मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। सांविधिक न्यूनतम मूल्य प्रत्येक मौसम में बढ़ाया जाता रहा है। तथापि, अधिकांश मिलें या तो गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य अथवा सम्मत मूल्य का भुगतान करती हैं जो सांविधिक न्यूनतम मूल्य से काफी अधिक होता है।

जर्मनी को चमड़े का निर्यात

3056. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ के देशों में जर्मनी भारत से निर्यात किए जाने वाले चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत द्वारा जर्मनी को निर्यात किए गए चमड़े और चमड़े की वस्तुओं का कुल प्रतिशत क्या है और तत्सम्बन्धी लागत क्या है;

(ग) क्या जर्मनी ने फ्रैंकफर्ट में हाल ही में आयोजित "ऑफेन बैंक इंटरनेशनल लेदर गुड्स स्प्रींग फेयर" में भारत को "भागीदार देश" का दर्जा प्रदान किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जर्मन चमड़ा उद्योग भारतीय उद्योग के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करने हेतु आकर्षित हुआ है;

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्ष 2000-2001 और 2005-2006 तक भारत द्वारा कुल कितना चमड़ा निर्यात करने का लक्ष्य है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हाँ। वर्ष 1999-2000 के दौरान जर्मनी को हुए 296.40 मिलियन अमरीकी डालर के भारत के चमड़े के निर्यातों का हिस्सा भारत से हुए चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के कुल निर्यातों का 18.81% बनता है। अप्रैल-नवम्बर, 2000 के दौरान जर्मनी को 203.91 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के चमड़ा उत्पादों का निर्यात किया गया था जो इस अवधि के दौरान भारत से हुए चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के कुल निर्यातों का 15.21% बनता है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। इस मेले में भारत से 18 कम्पनियों ने भाग लिया था। चमड़ा निर्यात परिषद द्वारा भागीदार देश के दर्जे के अनुरूप विशेष समारोह आयोजित किए गए थे जिनमें सम्वाददाता सम्मेलन, फैशन शो और एक इंडियन ईवनिंग शामिल थे।

(ङ) और (च) भागीदार देश के रूप में भारत की भागीदारी से भारत की छवि को उच्च गुणवत्ता युक्त चमड़े की वस्तुओं और चमड़ा उत्पादों के एक प्रमुख स्रोत के रूप में बढ़ावा मिला था। जर्मनी की अनेक कम्पनियाँ पहले से ही भारत में व्यापार कर रही हैं। मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी से केवल इन संविदाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।

(छ) सांकेतिक निर्यात लक्ष्यों का निर्धारण सामान्यतः पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात निष्पादन और वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद निर्यातकों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर किया जाता है। अतः वर्ष 2005-2006 के लिए सांकेतिक निर्यात लक्ष्य अभी निर्धारित किया जाना है। वर्ष 2000-2001 के लिए यह लक्ष्य 1760 मिलियन अमरीकी डालर का है।

लघु बचतों की ब्याज दर में गिरावट

3057. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्याज दरों में लगातार गिरावट होने से निवेशक विशेषकर लघु निवेशक दुविधा का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई वित्तीय संस्थाओं ने निवेशकों के बाँडों को समयपूर्व पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई. और आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा कितने "डीप डिस्काउंट बाँडों" को पुनः प्राप्त किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा लघु निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए मध्य मार्ग अपनाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारत सरकार की लघु बचत योजनाएँ, ब्याज दरों में संशोधन के बाद भी निवेशकों का विश्वास जीत रही हैं क्योंकि इन योजनाओं का जोखिम-प्रतिफल समीकरण अभी भी अनुकूल है 1.1.1999 और 15.1.2000 से ब्याज-दरों में सशोधन के बाद लोक भविष्य निधि सहित लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत संग्रहणों में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) लघु बचत योजनाएँ सरकारी गारंटी, आकर्षक आय, कर प्रोत्साहन, सुगम नकदी और सुगम्यता की पेशकश करती हैं। लघु बचतों पर ब्याज की दरें बाजार में प्रचलित तुलनीय दरों के समान लाने के लिए समय-समय पर समायोजित की जाती हैं।

चाय उद्योग को ऋण

3058. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों ने चाय बोर्ड से ऋण की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर चाय बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय चाय उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी वित्तीय संस्था से कोई समझौता किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) चाय बोर्ड द्वारा अनेक विकासपरक क्रियाकलापों जिनमें आर एण्ड डी शामिल है, के लिए दीर्घावधि ऋण, इमदाद और सहायता अनुदान के रूप में चाय उद्योग को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके लिए चाय उद्योग चाय बोर्ड को आवेदन करता है। तथापि, दक्षिण भारत में नीलामियों में चाय की कीमतों में गिरावट के कारण चाय के लघु उपजकर्ताओं की ओर से यह माँग की गई थी कि कम कीमतों के लिए क्षतिपूर्ति हेतु इमदाद उपलब्ध कराई जाए। सरकार/चाय बोर्ड ने एक कीमत इमदाद योजना कार्यान्वित की है जिसके तहत चाय के लघु उपजकर्त्ताओं (चाय बागान के 10.12 हैक्टेयर तक स्वामित्व वाले) को नीलामी कीमत और 55 रु. प्रति किग्रा. के बीच के अन्तर के बराबर, अधिकतम 8 रु. प्रति किग्रा. तक, की राशि इमदाद के रूप में दी जाती है। अब तक इस योजना के तहत सरकार पर 17 करोड़ रुपए की देनदारी का भार पड़ा है।

(ग) से (ङ) कोई समझौता व्यवस्था आवश्यक नहीं है क्योंकि ऋण सुविधाएँ वाणिज्यिक बैंकों और साथ ही साथ वित्तीय संस्थाओं जैसे नाबार्ड, आई.डी.बी.आई. इत्यादि से उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, पुनर्रोपण, नवीकरण और चाय फैक्टरियों के आधुनिकीकरण जैसे दीर्घावधि विकासपरक उपाय करने के लिए और अधिक संसाधन उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष 2001-2002 के बजट में आयकर अधिनियम की धारा 33 क, ख के तहत बागानों के कर-पूर्व लाभ पर कर छूट सीमा 20% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है।

चाय बाजार (नियंत्रण) आदेश, 1984

3059. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय बाजार (नियंत्रण) आदेश, 1984 को वापस लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय चाय संघ द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस आदेश को वापस लेने से भारतीय चाय उद्योग को कितनी राहत मिली है; और

(घ) भारतीय चाय उद्योग को इससे किस हद तक बढ़ावा मिलने की सम्भावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश, 1984 को वापस लेने का निर्णय नहीं लिया है। तथापि, चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश के खण्ड 17, जिसके तहत असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के पंजीकृत विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित चाय के 75% की अनिवार्य बिक्री सार्वजनिक चाय नीलामियों के जरिए करने की व्यवस्था है, को अब संशोधित किया गया है। उत्पादक अब सार्वजनिक चाय नीलामियों के लिए एक वर्ष में विनिर्मित चाय के किसी भी प्रतिशत को बेचने के लिए स्वतन्त्र है। यह संशोधन 12.1.2001 से लागू हो गया है। इससे भारतीय चाय उत्पादक किसी भी व्यावहारिक माध्यम के जरिए अपने उत्पाद की बिक्री करने और खासकर दक्षिण भारत में होने वाली नीलामियों में मिलने वाली कम कीमतों से राहत प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। भारतीय चाय एसोसिएशन और यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।

दूरदर्शन कर्मचारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. के मामले

3060. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 12.5.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7216 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) कब तक सूचना प्राप्त कर ली जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) दिनांक 12.5.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7216 के उत्तर में दिया गया आश्वासन 26.2.2001 को पूरा कर दिया गया है। दूरदर्शन कर्मचारियों के विरुद्ध अप्रैल, 97 से मार्च, 2000 तक पंजीकृत किए गए सी.बी.आई. मामलों का ब्यौरा कार्यान्ययन रिपोर्ट में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक घरानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना

3061. श्री सदाशिवराव दादोबा मण्डलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी वित्तीय संस्थानों जैसे आई.सी.आई.सी.आई. और आई.डी.बी.आई. का बड़े निजी औद्योगिक घरानों को उनके उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तपोषण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये उद्योग घाटे में चल रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी उद्योग-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि उत्पादों का निर्यात

3062. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य से कृषि जिंसों के निर्यात के लिए श्रीलंका से एक समझौता किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अन्तिम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो कर्नाटक से निर्यात के लिए चुने गए उत्पाद कौन-कौन से हैं;

(घ) क्या श्रीलंका सरकार ने कृषि जिंसों का आयात करने के लिए भारत के अन्य राज्यों को भी चुना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि क्या श्रीलंका सरकार द्वारा कृषि वस्तुओं के आयात हेतु भारत में किन्हीं राज्यों की पहचान की है अथवा नहीं।

खनन करने वाले देशों से अनगढ़ पत्थरों का आयात

3063. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
डा. (श्रीमती) सुधा यादव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पॉलिश किए गए रत्नों का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए खनन करने वाले देशों से अनगढ़ पत्थरों का सीधे आयात करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद को खनन करने वाले देशों से सीधे कच्चे माल प्राप्त करने की अनुमति देने वाले अनुदेश जारी कर दिए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या अफ्रीका, रूस और कनाडा के खनिकों से भारत को आपूर्ति करने के लिए बातचीत की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन देशों के साथ किस सीमा तक समझौते किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) भारत तराशे हुए और पोलिश किए हुए हीरों का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद को रूस, कनाडा इत्यादि जैसे हीरे का खनन करने वाले देशों से अपरिष्कृत हीरों की सीधे आपूर्ति करने के उनके प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। भारत को रूस से अपरिष्कृत हीरों की सीधी आपूर्ति सहित हीरों के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य सहयोग हेतु भारत सरकारर और रूसी सरकार के बीच एक इराद प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत को अपरिष्कृत हीरों अथवा अन्य रत्नों की सीधे आपूर्ति करने के लिए हीरे का खनन करने वाले किसी अन्य देश के साथ अब तक कोई करार नहीं किया गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश

3064. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता का गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश में विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है, जो इस समय बहुत कम है;

(ख) यदि हाँ, तो चालू वर्ष के दौरान जनता द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने "नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च" से एक अध्ययन करने और गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश में जनता के कम विश्वास होने के कारण पता लगाने को कहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस अध्ययन के परिणाम क्या निकले और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) नीचे सारणी में दिए गए राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों के अनुसार, सकल घरेलू पूँजी निर्माण द्वारा मापित गैर-सरकारी निवेश में कमी नहीं आई है।

सारणी-I

गैर-सरकारी क्षेत्र में सकल घरेलू पूँजी निर्माण*

	वर्तमान कीमतों पर	1993-94 की कीमतों पर
1998-99	259949	200208
1999-2000 (त्व)	306237	230665

*इसमें निजी, कॉरपोरेट और घरेलू क्षेत्र शामिल है।

त्व-त्वरित अनुमान

(ग) जी नहीं, वित्त मंत्रालय ने एन.सी.ए.ई.आर. को निजी क्षेत्र के निवेश में जनता के कम विश्वास के कारणों का पता लगाने हेतु अध्ययन करने के लिए नहीं कहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आर्थिक उदारीकरण

3065. श्रीमती शीला गौतम : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की विकासात्मक और प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता पर सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीति के परिणामस्वरूप विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) आर्थिक उदारीकरण की नीति तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की विकासात्मक एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित कर पाना कठिन होगा। बहरहाल, केन्द्रीय सरकार उपक्रमों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के उपाय करती रही है, जिनमें वाणिज्यिक निर्णय के लिए नवरत्न एवं मिनीरत्न श्रेणी के सरकारी उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता देना, वित्तीय एवं व्यापारिक पुनर्गठन करना, संयुक्त उद्यम स्थापित करना, विपणन रणनीतियों में सुधार करना तथा श्रमशक्ति को तर्कसंगत बनाना शामिल है।

[अनुवाद]

चावल की खरीद

3066. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 31 मार्च, 2001 तक 540 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की स्वर्ण मसूर किस्म की खरीदारी करने और साथ ही साथ ग्रेड ए के चावल में निम्न श्रेणी के चावल की मिलावट करने की छूट की अनुमति प्रदान की थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में मिल मालिकों को धान खरीदने की सुविधा प्रदान करने के लिए रबी फसल के मामले में इस रियायत को निरन्तर बनाए रखने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हाँ। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा लगातार की जा रही माँग पर विचार करते हुए, सरकार ने ग्रेड ए चावल में निम्न श्रेणी के चावल के सम्मिश्रण की सीमा को 10% से बढ़ाकर 13% कर दिया है और साथ ही स्वर्ण मसूरी (एमटीयू 7029) किस्म के धन की 31 मार्च, 2001 तक 540 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर वसूली की अनुमति भी दी है।

(ग) से (च) आन्ध्र प्रदेश ने इन रियायतों को रबी की फसल के लिए भी जारी रखने का अनुरोध किया है। इस मामले में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

म्यूचुअल फंड कंपनियों को निधियां

3067. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कम्पनियों द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल फण्ड कम्पनियों को विभिन्न योजनाओं के लिए 1998 तथा 2000 के दौरान बैंक/कम्पनी-वार कितनी राशि उपलब्ध कराई गई थी;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत किस बैंक अथवा कम्पनी को अधिकतम राशि उपलब्ध कराई गई; और

(ग) इनमें से अब तक वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कम्पनियों द्वारा आरम्भ की गई म्यूचुअल फण्ड सहायक कम्पनियों को उनकी सुनिश्चित आय योजनाओं में कमी की पूर्ति के लिए वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान उपलब्ध कराई गई राशियाँ निम्नांकित हैं :

(करोड़ रुपए)

1.	बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फण्ड	31.58
2.	एस.बी.आई. म्यूचुअल फण्ड	125.96
3.	इंडियन बैंक म्यूचुअल फण्ड	43.71
4.	जी.आई.सी. म्यूचुअल फण्ड	133.00
5.	एल.आई.सी. म्यूचुअल फण्ड*	260.90

* धनवर्षा (5) योजना की शोधन देयताओं के सम्बन्ध में वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए विशेष यूनिट (एल.आई.सी.) योजना को अभिदत्त।

(ख) वर्ष 1998-2000 की अवधि के दौरान एल.आई.सी. म्यूचुअल फण्ड को 260.90 करोड़ रुपए की अधिकतम राशि उपलब्ध कराई गई।

(ग) आज की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक को मैग्नम ग्रोथ फण्ड स्कीम से लाभांश के रूप में 126.61 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। अन्य बैंकों को अपनी म्यूचुअल फण्ड सहायक कम्पनियों से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

रिले केन्द्रों पर खर्च

3068. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक और महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए दूरदर्शन रिले केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में उन पर अलग-अलग कितनी-कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) किसी भी स्थान पर एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुमानतः कितनी राशि खर्च होती है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थापित ट्रांसमीटरों और उन पर अलग-अलग खर्च की गई राशि का स्थलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एक उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर की स्थापना पर लगभग 8.00 करोड़ रुपए की पूँजीगत लागत आती है और अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के मामले में यह राशि लगभग 1.00 करोड़ रुपए बैठती है।

विवरण

महाराष्ट्र और कर्नाटक में मार्च, 1998 और फरवरी, 2001 के बीच चालू किए गए दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा उन पर किया गया व्यय।

क्र.सं.	ट्रांसमीटर का प्रकार	स्थान	अब तक खर्च की गई राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
1.	उ.श.ट्रां.	नागपुर (डीडी-2)	393.14
2.	अ.श.ट्रां.	अकलकोट	68.72
3.		भण्डारा	61.99 *
4.		दर्यापुर	67.27
5.		खानपुर	67.28
6.		मंगलवेडा	65.00
7.		फाल्टन	68.16
8.		पुलगाँव	83.17
9.		अम्बाजोगई (डीडी-2)	24.97
10.		धर्माबाद	42.92
11.		खोपोली	79.70
12.		महाद	67.34
13.		मानगाँव	73.94
14.		पांढ़रकवड़ा	61.43
15.		पाटन	62.79
16.		सतना	68.05
17.		तुमसर	64.83
18.		उमरखेड़	73.65
19.	अ.अ.श.ट्रां.	अर्जुनी	42.06
20.		अस्ती	38.23
21.		चिमूर	40.30
22.		कारंजा	43.64
23.		कोरेगाँव	42.66
24.		कुडखेड़ा	40.27
25.		मालवाँ	46.17
26.		पिंपलनेर-सकरी	46.36
27.		सिंदेवाही	41.49
28.		तिवसा	43.83
29.		वाही	32.26
	कर्नाटक		
1.	उ.श.ट्रां.	गुलबर्गा	449.22
2.		हासन	330.33
3.	अ.श.ट्रां.	हाथीहल	72.77
4.		होल नरलीपुर	60.58
5.		तुमकूर	70.79
6.		दण्डेली	65.14
7.		हरिपुर	63.48
8.		होसदुर्ग	57.75
9.	अ.अ.श.ट्रां.	शूल्या	49.03
10.		बदामी	48.25

*पहले 28.7.99 को डी.डी.-1 सेवा के लिए चालू किया गया। बाद में 7.7.2000 को डी.डी.-2 में परिवर्तित किया गया।

[हिन्दी]

सुरक्षा और वाहनों पर खर्च

3069. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय मत्रियों की सुरक्षा तथा वाहनों पर 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान मंत्री-वार कुल कितना खर्च किया गया;

(ख) 2001-2002 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त खर्च को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

किन्नू का निर्यात

3070. डॉ. जसवंतसिंह यादव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान फलों के कुल निर्यात में "गंगानगरी किन्नू" के निर्यात के प्रतिशत में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में गंगानगरी किन्नू का निर्यात किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा किन्नू के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि राजस्थान के प्रतिकूल रूप से प्रभावित किसानों की सहायता की जा सके?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) "गंगानगरी किन्नू" के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान "गंगानगरी किन्नू" सहित सिट्रस फलों का निर्यात निम्नानुसार रहा है :–

वर्ष	मात्रा (मिलि. टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
1997-98	21103	1705.24
1998-99	12785	1519.36
1999-2000	26914	2824.59

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता और एपीडा, नई दिल्ली

(घ) सरकार ने किन्नू के उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(i) पिछले दो वर्षों में एपीडा द्वारा राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र और पंजाब के अबोहर क्षेत्र में किन्नू के गुणवत्तात्मक उत्पादन हेतु समेकित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किसानों को तकनीकी निविष्टियाँ उपलब्ध कराई गई हैं और प्रत्येक फसल कलण्डर में पाँच प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। समेकित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से किन्नू के गुणवत्तात्मक उत्पादन में किसानों को मदद मिली है।

(ii) एपीडा द्वारा किन्नू के लिए फसल पूर्व और फसलोत्तर प्रबन्धन प्रणालियों के बारे में प्रोतोकोलों का विकसित और प्रलेखित किया गया है जिसे किसानों के उपयोग हेतु हिन्दी और गुरमुखी में प्रकाशित किया गया है।

(iii) उत्पाद के लिए मूल्यवर्धन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ छटाई, ग्रेडिंग और वैक्सिंग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि. (नैफेड) तथा पंजाब कृषि उद्योग निगम द्वारा पैक हाऊसों की स्थापना की गई है।

(iv) एपीडा द्वारा किन्नू सहित भारतीय फलों और सब्जियों का सामान्य तौर पर संवर्धन करने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकों, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी जैसे संवर्धनात्मक अभियान चलाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भारत-ईरान संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक

3071. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी, 2001 को नई दिल्ली में भारत-ईरान संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी हाँ। दिनांक 20 फरवरी, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-ईरान संयुक्त व्यापार परिषद् (जे.बी.सी.) की चौथी बैठक की मेजबानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल परिसंघ (फिक्की) द्वारा की गई थी। भारतीय कम्पनियों द्वारा ईरान की अपनी समनुरूपी कम्पनियों के साथ रत्न, कागज, तेल उद्योग, रसायन एवं एलपीजी, खनिज, निर्माण एवं सेरेमिट टाइलों इत्यादि के क्षेत्रों में आमने-सामने बैठकें की गई थीं।

व्यापार को सुकर बनाने हेतु ईरान को ऋण सुविधा के प्रावधान, एल सी को खोलने में विलम्ब, सीमा शुल्क सम्बन्धी विलम्ब इत्यादि जैसे मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था।

व्यापार हेतु लघु से लेकर दीर्घकालिक वित्त पोषण सम्बन्धी व्यवस्था, परियोजनाओं की स्थापना हेतु उच्च तकनीक वाले उपकरण, अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं में भागीदारी के अभाव से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया था, जिन पर दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने में मदद हेतु ध्यान देने और उन्हें आसान बनाने की आवश्यकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अग्रिम बाजार आयोग

3072. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश तम्बाकू, चावल, कपास, मिर्च, हल्दी इत्यादि जैसी वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने अग्रिम बाजार आयोग के तत्वाधान में शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेन्ज की तर्ज पर राष्ट्रीय वस्तु एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में राष्ट्रीय वस्तु एक्सचेंज स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) देश में वस्तुओं के भावी सौदा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में भारत सरकार को एक आधुनिक राष्ट्रीय वस्तु एक्सचेंज की आवश्यकता महसूस हुई। तथापि, इस प्रकार के एक्सचेंज की स्थापना निजी प्रवर्तकों द्वारा की जानी है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। तदनुसार इस मामले पर सरकार द्वारा गठित कोर ग्रुप की सिफारिशों पर महिन्द्रा ग्रुप द्वारा नेशनल स्टाक एक्सचेंज, आई.सी.आई. सी.आई. तथा पंजाब राज्य भांडागार निगम के साथ बनाए गए परिसंघ को सह-प्रवर्तक के रूप में एक्सचेंज की स्थापना के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) जैसा कि भाग (ग) में उत्तर दिया गया है, अवस्थिति आदि के सम्बन्ध में निर्णय प्रवर्तक समूह द्वारा किया जाएगा।

टेलीकॉम स्विचिंग उपकरणों की डम्पिंग

3073. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, अमरीका आदि की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में अपनी सहायक कम्पनियों के माध्यम से टेलीकॉम स्विचिंग उपकरणों की बड़े पैमाने पर डम्पिंग की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का ऐसे आयातों पर डम्पिंग-रोधी शुल्क लगाने तथा इसकी तत्काल जाँच कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्वदेशी विनिर्माण कम्पनियों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा 1995 में यथा संशोधित 1975 के सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9 क, 9 ख और 9 ग के तहत पूर्ण रूप से प्रलेखित याचिकाओं अथवा स्वतः आधार पर उस स्थिति में जाँच की जाती है यदि वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन नियुक्त सीमाशुल्क समाहर्ता से प्राप्त सूचना अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से इस बात के प्रति सन्तुष्ट हो जाता है कि विदेशी वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति और इन दोनों के बीच कारणात्मक सम्बन्ध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। फ्रांस, जमनी, स्वीडन, यूएसए इत्यादि की बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में टेलीकॉम स्विचिंग उपकरणों के आयात के मामले के बारे में किसी पाटन अथवा घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति का उल्लेख करते हुए कोई विशिष्ट सूचना अथवा घरेलू उद्योग की ओर से पूर्णतः प्रलेखित याचिका प्राप्त नहीं हुई है और इसीलिए आज की तारीख तक कोई जाँच शुरू नहीं की गई है।

(घ) टेलीकॉम उपकरणों के विनिर्माताओं की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं :—

1. टेलीकॉम उपकरणों के विनिर्माण हेतु किसी औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए स्वतः आधार पर टेलीकॉम उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी. आई.) की अनुमति दी जाती है।

3. लाभांश आय और निवेश की गई पूँजी पूर्णतः प्रत्यावर्तनीय है।

4. 2 मिलियन अमरीकी डालर तक की तकनीकी जानकारी फीस कर-रहित स्वतः आधार पर अदा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त घरेलू बिक्रियों पर 5 प्रतिशत तक तथा निर्यात बिक्रियों पर 8 प्रतिशत तक की रायल्टी की अनुमति भी दी जाती है।

इसके अलावा वर्ष 2001-02 के बजट में तैयार टेलीकॉम उपकरणों पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाकर 15 प्रतिशत किया गया है और ऐसे उपकरणों के विनिर्माण हेतु अपेक्षित कुछेक निविष्टियों पर सीमा-शुल्क को भी कम किया गया है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज पर कर छूट

3074. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारियों ने सरकार से बैंकों तथा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए करों में छूट का अनुरोध किया है;

(ख) क्या उन्होंने वी.आर.एस. लाभों पर कर छूट को बढ़ाने की माँग की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) बजट पूर्व प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लाभों पर कर छूट सीमा में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है। इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है और 5 लाख रु. की वर्तमान छूट सीमा में वृद्धि न करने का निर्णय किया गया है।

[हिन्दी]

एकसमान मूल्य नीति

3075. श्री जय प्रकाश : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से थोक में गेहूँ उठाने को बढ़ावा देने के लिए देश में एकसमान मूल्य नीति लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार के पास अन्य कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत गेहूँ के निर्गम मूल्यों की भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति समीक्षा करती है और उन्हें प्रत्येक महीने के लिए नियत करती है। मार्च, 2001 के महीने के लिए गेहूँ की खुली बिक्री की दर उत्तरी क्षेत्र (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित) के लिए 650 रुपए प्रति क्विंटल तथा शेष देश हेतु 700 रुपए प्रति क्विंटल नियत की गई है।

[अनुवाद]

मक्का का निर्यात

3076. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने मक्का के निर्यात का कोटा बढ़ाने तथा किसानों की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर केंन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हाँ।

(ख) मक्का निर्यात की अधिकतम सीमा को बढ़ाया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की भागीदारी को कम किया जाना

3077. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में सरकार की भागीदारी को कम करने के मामले में विक्रयागम की राशि का निर्णय करने में शेयर बाजारों और शेयर मूल्यों की भूमिका क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न कम्पनियों के शेयर मूल्यों का निर्धारण विदेशी संस्थागत निवेशेकों द्वारा किया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार के पास समग्र रूप से और विशेषकर विनिवेश करने वाली कम्पनियों के मामले में शेयर मूल्यों की निगरानी और इनकी गतिविधियों के विश्लेषण के लिए कोई तन्त्र है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) शेयर बाजार में कम्पनियों के शेयरों का मूल्य, शेयरों की पेशकश का रास्ता अपनाने के माध्यम से विनिवेश के मामले में, शेयरों के मूल्य-निर्धारण को तय करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टॉक एक्सचेन्ज में कम्पनी के शेयर मूल्य की 'अनुकूल बिक्री' का रास्ता अपनाने के माध्यम से विनिवेश के मूल्य-निर्धारण में, विशेषकर उन मामलों में सीमित भूमिका होती है जहाँ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किए गए कम्पनियां में अनुकूल बिक्री पर विचार किया जाता है।

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशक, स्टॉक मार्केट के एक महत्त्वपूर्ण संघटक होते हैं। तथापि, अलग-अलग कम्पनियों के शेयरों का मूल्य, माँग और पूर्ति की बाजार ताकतों की परस्पर प्रतियोगिता के माध्यम से तय किया जाता है।

(ग) से (ङ) बहुत-सी कम्पनियाँ जिनमें विनिवेश की प्रक्रिया प्रगति पर है, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। जहाँ अपेक्षित होता है वहाँ बाजार में शेयरों के उतार-चढ़ाव का विश्लेषण विनिवेश से पूर्व कर लिया जाता है।

बीमा पर्यवेक्षक

3078. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 2001 के "द बिजनस स्टैण्डर्ड" में "आई.आर.डी.ए. सर्वेयर्स लाइसेंस प्रोसेस ऑन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो आई.आर.डी.ए. की ओर से गठित क्षेत्रीय समितियों द्वारा इस सम्बन्ध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख में श्रेणीवार कार्यरत अनुमोदित पर्यवेक्षकों की राज्यवार संख्या क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उन्हें कितने मामले सौंपे गए;

(घ) क्या इस प्रणाली के अन्तर्गत सर्वेक्षणकर्त्ताओं को मामला सौंपे जाने में भारी पक्षपात और भ्रष्टाचार व्याप्त है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) आई.आर.डी.ए. ने सर्वेक्षकों के वर्गीकरण की प्रक्रिया बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (अनुज्ञापन, वृत्तिक अपेक्षाएँ और आचार संहिता) विनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार प्रारम्भ कर दी है। वर्गीकरण के इस कार्य को परामर्शी समिति को सौंपा गया है। समिति द्वारा मार्च, 2001 के अन्त तक कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है और आशा है कि यह कार्य लगभग 3 माह की समयावधि में पूर्ण हो जाएगा।

(ग) आई.आर.डी.ए. द्वारा अनुमोदित सर्वेक्षकों की राज्यवार कोई सूची नहीं रखी जाती।

(घ) और (ङ) आई.आर.डी.ए. को बीमा कम्पनियों द्वारा कार्य के आवंटन में कथित पक्षपात तथा अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राधिकरण ने इस मामले को ध्यान में रख लिया है तथा केवल पात्र श्रेणी के आधार पर कार्य आवंटन करने हेतु सर्वेक्षकों के वर्गीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।

बैंक ऑफ इन्डिया के पुनर्गठन की योजना

3079. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक आफ इन्डिया ने पुनर्गठन का प्रमुख कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक का विचार अपने सहायक प्रतिष्ठानों को बन्द करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) बैंक ऑफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसने मानव संसाधन सहित उपलब्ध स्रोतों के इष्टतम उपयोग प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना परिदृश्य के बाद की स्थिति में स्वयं को पुनः समायोजित करने की प्रक्रिया के भाग के रूप में, अपने संगठनात्मक ढाँचे की पुनर्संरचना के लिए कदम उठाए हैं। इस सम्बन्ध में, बैंक का इरादा अपने विद्यमान चार स्तरीय प्रणाली में से एक स्तरीय प्रणाली को हटाने और अपने आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों की पुनर्संरचना करने का है। बैंक ने अपनी शाखा नेटवर्क को युक्तियुक्त बनाने का कार्य भी आरम्भ कर दिया है।

(ग) और (घ) पुनर्संरचना कार्य के भाग के रूप में, असम्बद्ध कार्यकलापों से अपने को हटाने के उद्देश्य से और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु, बैंक ऑफ इण्डिया अपनी दो अनुषंगियों अर्थात्, (i) बी.ओ.आई. म्यूचुअल फण्ड और बी.ओ.आई. एसेट मैनेजमैन्ट कम्पनी लि. और (ii) बी.ओ.आई. फाइनेंस लि. के समापन पर विचार कर रहा है।

कॉफी का उत्पादन/निर्यात

3080. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से मुख्यतः "रोबस्टा" किस्म की कॉफी का निर्यात होता है;

(ख) क्या विश्व भर में "रोबस्टा" किस्म की कॉफी की भरमार है;

(ग) क्या कॉफी बोर्ड ने इसके उत्पादन की समुचित योजना बनाई थी;

(घ) 2000-2001 में इस हेतु भारतीय निर्यात की अपेक्षाएँ क्या थीं;

(ङ) क्या ये अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुई हैं; और

(च) यदि हाँ, तो आगामी वर्ष में कॉफी, विशेषकर "रोबस्टा" कॉफी के निर्यात की देखरेख हेतु सरकार की क्या योजना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) भारत में उत्पादित 80% कॉफी का निर्यात किया जाता है, जिसमें से लगभग 70% रोबस्टा किस्म की है। हाल ही के महीनों में कॉफी की अधिक आपूर्ति के कारण कॉफी की कीमतों, विशेषकर रोबस्टा की कीमतों में विश्व बाजारों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।

(ग) जी हाँ।

(घ) से (च) वर्ष 2000-01 के दौरान कॉफी के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य 1.90 लाख टन है। आज की तारीख तक 1,90,367 मी. टन कॉफी की मात्रा का पहले ही निर्यात किया जा चुका है। इस प्रकार चालू वर्ष में कॉफी का निर्यात 2 लाख मी. टन को पारकर जाने की उम्मीद है।

नशीली दवाओं का माफिया

3081. श्री एस. अजय कुमार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मुम्बई स्थित नशीली दवाओं का माफिया बेरोजगार युवाओं का इस्तेमाल सऊदी अरब को नशीली दवा ले जाने वाले वाहकों के रूप में कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो दोषियों को दण्डित करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) मीडिया में इस आशय की कुछेक रिपोर्टों का उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) इन घटनाओं के बारे में एक प्रारम्भिक रिपोर्ट सऊदी अरेबिया में रियाद स्थित भारतीय राजदूतावास से प्राप्त की गई है। मुम्बई और दिल्ली स्थित स्वाधक नियंत्रण ब्यूरों की जोनल इकाइयों से ब्यौरे प्राप्त करने के लिए प्रभावित परिवारों से सम्पर्क करने और मामले की जाँच-पड़ताल करने के लिए कहा गया है। भारतीय राजदूतावास को अभी मामलों की अदालती कार्यवाहियों और पूछताछ रिपोर्टों के पूर्ण ब्यौरे एकत्र करने के लिए भी कहा गया है ताकि आगे जाँच-पड़ताल करने में सुगमता हो।

आयातकों की ओर से देय राशि

3082. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक-महालेखा की मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए 1998 की उनकी रिपोर्ट संख्या-1 के पृष्ठ 73 में किए गए उल्लेख के अनुसार आयातकों की ओर से बड़ी धनराशि देय है, हालांकि सरकार ने आयात हेतु भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो आयातकों की ओर से कुल कितनी राशि देय है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें से आयातकों से कितना धन वसूल किया जा चुका है;

(ग) अब तक पूरी धनराशि वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इनकी तरफ से और धनराशि देय हो गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के मामले में जहाँ दाता ऋण खाते में नामे डालकर विदेशी प्रदायकों को प्रत्यक्ष अदायगी करते हैं, वहीं भारतीय आयातकों को भारत सरकार के जमा खाते में रुपया निधियाँ जमा कराना अपेक्षित है। इस शीर्ष के अन्तर्गत मार्च, 1997 के अन्त तक विभिन्न आयातकों से देय राशि 2151.68 करोड़ रुपए थी वर्ष 1997-98, वर्ष 1998-99 और वर्ष 1999-2000 के अन्त तक यह स्थिति क्रमशः 1336 करोड़ रुपए, 1850.70 करोड़ रुपए और 1895.20 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ) भारतीय आयातकों द्वारा विदेशी सहायता की एवज में विदेशी प्रदायकों को सीधी अदायगी करने के कारण रुपया जमा कराया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है। वर्तमान में सरकारी विभाग/राज्य सरकारों को छोड़कर भारतीय आयातकों द्वारा विदेशी प्रदायकों को अदायगी की तारीख से प्रथम 90 दिनों के लिए देय राशि पर 12 प्रतिशत तथा इसके बाद 15 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना अपेक्षित है। गत अवधियों के लिए आयातकों से देय-राशियों से सम्बन्धित मामले को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों से शीघ्र निपटान हेतु कहा जा रहा है।

(ङ) और (च) विदेशी प्रदायकों को दाताओं द्वारा सीधी अदायगी करने के कारण आयातकों से देय राशियों की वसूली व्यवस्था की सूक्ष्मता से मॉनीटरिंग की जा रही है।

बिक्री कर में छूट

3083. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों, मध्यम दर्जे के उद्योगों और बड़े उद्योगों को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री कर में छूट के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के निर्देश पर दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा 1 अक्तूबर, 1991 और तत्पश्चात् 1997 में जारी अधिसूचनाओं से दमन और दीव में चल रहे उद्योगों को बिक्री कर में छूट में विषमता आ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस भेदभावपूर्ण बिक्री कर व्यवस्था चलाने का क्या औचित्य है; और

(ग) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में बिक्री कर में छूट के सम्बन्ध में समानता लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने बताया है कि 1 अक्तूबर, 1991 को कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। तथापि, 1997 में जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा मौजूदा कतिपय उद्योगों को बिक्री कर से छूट प्रदान की गई थी। अधिसूचनाओं में दी गई शर्तों को पूरा करने वाले सभी उद्योगों को समान रूप से अधिसूचनाओं के लाभ उपलब्ध थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टी.वी. चैनलों के माध्यम से आयकर

3084. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान टी.वी. चैनलों, अर्थात् स्टार टी.वी., सन टी.वी., सूर्या टी.वी. और सोनी टी.वी. आदि द्वारा कई टी.वी. गेम शो आयोजित किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन गेम शो का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन टी.वी. चैनलों ने बड़ी पुरस्कार राशि घोषित की है;

(घ) यदि हाँ, तो 28 फरवरी, 20001 तक व्यक्तियों को चैनल-वार और माह-वार कितनी पुरस्कार राशि दी गई: और

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक से वास्तव में चैनल वार कितनी आयकर राशि अर्जित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 के दौरान गैम शो और विजेताओं को दी गई पुरस्कार रकम की माहवार धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) उक्त अवधि के दौरान अधिनियम, 1961 की धारा 194 ख के अन्तर्गत सन एवं सूर्या टी.वी. के बारे में 21,73,040, रु. की स्रोत पर कर की कटौती की गई है। इसके अलावा, सोनी और स्टार टी.वी. चैनलों द्वारा पुरस्कार रकम पर स्रोत पर किसी कर की कटौती नहीं की गई है। इसके अलावा, विजेताओं द्वारा संदेय आयकर की वास्तविक धनराशि का पता आगामी वित्त वर्ष के दौरान उनके द्वारा संगत कर निर्धारण वर्ष, 2000-2001 की आयकर विवरणियाँ दायर करने के बाद ही लगेगा।

विवरण

क्र.सं.	टीवी चैनल	गेम शो	पुरस्कार रकम (धनराशि रु. में)					
			अप्रैल मई जून जुलाई 2000 2के 2के 2के		अगस्त 2000	सितम्बर 2000	अक्तूबर 2000	नवम्बर 2000
1.	स्टार टीवी	कौन बनेगा करोड़पति	36,75,000		61,10,000	14,880,000	19,000,000	196,20,000
2.	सोनी टीवी	जीतो छप्पर फाड़ के						
3.	सन और सूर्या टीवी	कोही स्वर्ण						

दिसम्बर 2000	जनवरी 2001	फरवरी 2001
2,47,50,000	20,70,000	50,10,000
—	12,35,000	71,75,005
—	49,39,000	—

[हिन्दी]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

3085. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान समुद्री उत्पादों का कितना निर्यात हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य क्या था;

(ग) भारत से समुद्री उत्पादों का आयात करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के बावजूद मछुआरों पर सर्वाधिक कुप्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) अप्रैल-जनवरी 2001 की अवधि के दौरान 1195 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य 5411.56 करोड़ रु. मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया।

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु 1250 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) अनेक देश भारत से समुद्री उत्पादों का आयात करते हैं। प्रमुख आयातक देश हैं—जापान, यू.एस.ए. यूरोपीय संघ, चीन, यू.ए.ई., थाइलैण्ड, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, ताइवान, कोरिया गणराज्य इत्यादि।

(घ) समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ना मछुआरों के लिए लाभकारी है क्योंकि उन्हें अपने द्वारा पकड़े गए समुद्री जीवों के लिए बेहतर कीमत मिलती है और इससे उनके रोजागार के अवसरों में भी पर्याप्त सुधार आता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार ने मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु कल्याणकारी उपायों के संवर्धन के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं—आदर्श मछुआरा गाँवों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को सहायता, मंदी की अवधि के दौरान उनके सहायतार्थ बचत-सह-राहत योजना और मछुआरों को बीमा और सुरक्षा प्रदान करना।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु विश्व बैंक ऋण

3086. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सेवारत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के वित्त पोषण हेतु 5000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऋण के इस प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या ऋण का यह प्रस्ताव विशेषतया अनुभाग अधिकारी स्तर से ऊपर के अधिकारियों की संख्या कम करने के लिए है; और

(घ) यदि हाँ, तो विश्व बैंक का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का यह प्रस्ताव जिस बात पर केन्द्रित है उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लैदर काम्पलैक्स

3087. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री तिरुनावकरसू :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'बनाओ, चलाओ और हस्तान्तरित करो' (बोल्ट) आधार पर कई लैदर काम्पलैक्स परिसरों की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को किसी चर्म उत्पाद विनिर्माता/उद्योग के विरुद्ध परियोजना कार्यान्वयन में विलम्ब और उच्च दर प्रभावित किए जाने सम्बन्धी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) देश में बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो (बी.ओ.टी.) आधार पर चमड़ा परिसर स्थापित हो रहे हैं। इस प्रकार का परिसर पहले से ही जालन्धर, पंजाब में कार्यरत है जिसे पंजाब चमड़ा विकास निगम और पंजाब राज्य औद्योगिक निर्यात निगम ने स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने भी कानपुर में रूमा नामक कस्बे में चमड़े की वस्तुओं के परिसर की स्थापना करने के लिए भी एक प्रस्ताव तैयार किया है। उन्नाव (उत्तर प्रदेश), जयपुर (राजस्थान) और भोपाल (मध्य प्रदेश) में भी चमड़ा परिसर स्थापित किए जाने के प्रस्ताव हैं। कोलकाता में और उसके आस-पास स्थित चर्मशोधनशालाओं को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना जिले में भी एक चमड़ा परिसर स्थापित किया जा रहा है। इस परिसर को कोलकाता चमड़ा परिसर के नाम से जाना जाता है।

(ग) और (घ)। पश्चिम बंगाल में चर्मशोधकों को भूमि की उच्च लागत तथा समय-सूची के अनुसार कार्य को पूरा करने में बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो (बी.ओ.टी.) दल की ओर से हो रहे विलम्ब के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो (बी.ओ.टी.) दल के साथ इस मामले का समाधान करने की ओर है।

सरकारी टकसाल, मुम्बई द्वारा बिक्री कर की वसूली न किया जाना

3088. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी टकसाल, मुम्बई ने 1994 के बाद से सरकारी विभागों और निजी माँगकर्ताओं को वाणिज्यिक मदों की आपूर्ति सम्बन्धी बिक्री कर की वसूली नहीं की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इसमें कितनी राशि शामिल है; और

(घ) इस मामले में क्या दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) मुम्बई टकसाल अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 के अधीन सिक्कों की ढलाई (परिचालन और स्मारक दोनों) के साथ-साथ तौल व माप अधिनियम, 1976 के अधीन सभी राज्य सरकारों के लिए मानक तौलों, लम्बाई के मापों आदि का भी उत्पादन करता है। ये कार्य प्रभुत्व-सम्पन्न और सांविधिक स्वरूप के हैं। इसके अतिरिक्त यह अन्य मंत्रालयों, बैंकों, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं के लिए पदक और स्मृति चिन्हों का निर्माण भी करता है। मुम्बई टकसाल का बिक्री कर अधिनियम के तहत कभी भी एक डीलर के रूप में पंजीकरण नहीं किया गया, न ही यह किसी बिक्री की अदायगी के लिए उत्तरदायी था। वास्तव में, बिक्री कर विभाग द्वारा 1995-96 में किए गए पहले कर-निर्धारण तक मुम्बई टकसाल द्वारा बिक्री कर की देनदारी कोई मुद्दा नहीं था। मुम्बई टकसाल की बिक्री कर की देनदारी राज्य सरकार के साथ विवाद का मुद्दा था और इस देनदारी को आखिरकार दिसम्बर, 1997 में सुलझा लिया गया और इसका भूतलक्षी प्रभाव से निर्धारण किया गया। चूँकि मामला विवादाधीन था और राज्य सरकार का निर्णय लम्बित था, अतः मुम्बई टकसाल अपने माँगकर्ताओं से बिक्री कर की वसूली नहीं कर सकता था। तथापि, अप्रैल, 1999 से माँगकर्ताओं से बिक्री कर वसूला जा रहा है और मासिक विवरणियाँ दाखिल की जा रही हैं।

(ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए राज्य सरकार को अदा किया गया कुल बिक्री कर 67,20,681/- रुपए है, जिसमें से हजारों सिक्का संग्रहकर्ताओं को स्मारक सिक्कों की बिक्री से 13,34,264/- रुपए अप्राप्य होते हैं और वित्त मंत्रालय ने इस राशि को बट्टे खाते डालने की कार्रवाई शुरू की है। तथापि, सरकारी विभागों को की गई आपूर्तियों से सम्बन्धित 38,54,683/- रुपए की वसूली की प्रक्रिया चल रही है और 1.74 लाख रुपए पहले ही वसूल किए जा चुके हैं।

(घ) मुम्बई टकसाल की बिक्री कर अदा करने की जिम्मेदारी से सम्बन्धित निर्णय राज्य सरकार की नीति में परिवर्तन का परिणाम है। अतः कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जैसे ही देनदारी निर्धारित की गई, निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

1. बिक्री कर की वसूली की जा रही है और मासिक विवरणियाँ दाखिल की जा रही हैं।

2. राज्य सरकारों और सरकारी विभागों से बिक्री कर वसूलने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

पाम ऑयल की खरीद

3089. श्री वाई.वी. राव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से पाम ऑयल की खरीद हेतु 125 लाख रुपए की स्वीकृति देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के कारण घाटे की हिस्सेदारी करते हुए उक्त राशि को स्वीकृत करने हेतु सहमति दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) ने 125 लाख रुपए की राशि से 65000 टन ताड़ तेल की वसूली के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य में ताड़ तेल की वसूली की बाजार हस्तक्षेप योजना कार्यान्वित की है। सरकार ने 65000 टन ताड़ तेल की वसूली में होने वाली हानि के 50% को वहन करना स्वीकार किया है।

[हिन्दी]

अफीम की खेती

3090. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में अफीम का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में कुल कितने क्षेत्र में अफीम की खेती की गई;

(ग) क्या सरकार ने अफीम के निर्यात के सम्बन्ध में कुछ देशों के साथ कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त वर्ष के दौरान इस समझौते के अनुसार कितनी अफीम का निर्यात किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) फसल वर्ष 1999-2000 के दौरान 70 डिग्री संशक्ति वाली अफीम का कुल उत्पादन 17.9.340 मीट्रक टन हुआ है।

(ख) फसल वर्ष 1999-2000 के दौरान अफीम पोस्त की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा इस प्रकार है :–

जिला	पोस्त की खेती के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर्स में)
नीमच	3741
मंदसौर	6476
रतलाम	967
जोड़	11184

(ग) से (ङ) सरकारी अफीम एवं एल्कालायड वर्क्स के मुख्य नियंत्रक कारखाना ने अफीम के निर्यात के लिए कुछेक विदेशी कम्पनियों के साथ समझौता किया है। इसके ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के सम्बन्ध में फर्म-वार समझौतों और अफीम के निर्यातों (आई.एम.ओ. लिक्विड सहित) को दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा किलोग्राम में)

क्र.सं.	फर्म/देश	समझौते की मात्रा	निर्यात की मात्रा
1.	मलिंकोट इंक, यू.एस.ए.	380.380	345.8000
2.	नोराम्फो देलावेयर इंक, यू.एस.ए.	150.000	150.000
3.	टोमिन कार्पोरेशन, जापान	142.000	142.000
4.	फ्रैंकोपिया, फ्राँस	11.000	11.000
5.	ई मर्क के ग्रा ए, जर्मनी	01.000	01.000
	जोड़	684.380	649.800

*मलिंकोट के नाम के सामने दिखाई गई निर्यात की मात्रा समझौते की मात्रा से कम है क्योंकि शेष मात्रा को अगले वित्तीय वर्ष, अर्थात् 2000-2001 की पहली तिमाही के दौरान निर्यात किया गया था।

गोदामों का निर्माण

3091. डा. बलिराम :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री विक्रम केशरी देव :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत वर्ष के दौरान गोदामों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावों को स्वीकृत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हाँ।

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

(ग) और (घ) "गोदामों के निर्माण" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रस्तावों के साथ तकनीकी अनुमान और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त भूमि उपलब्धता प्रमाण-पत्र संलग्न होने चाहिए। अनुमोदन के लिए स्थायी वित्त समिति के पास प्रस्ताव भेजने से पूर्व लागत अनुमानों की जाँच की जाती है और वर्तमान भण्डारण क्षमता की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है। नए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पिछली सहायता में से अप्रयुक्त राशि की वापसी, यदि कोई हो, एक पूर्व शर्त है।

विवरण

विगत एक वर्ष के दौरान गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	गोदामों की संख्या	कुल क्षमता (टन में)	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	स्थिति
1.	छत्तीसगढ़	7	12,600	214.20	अनुमानों की जाँच करने के लिए प्रस्ताव के.लो.नि.वि. को प्रेषित।
2.	गुजरात	9	4,500	129.78	राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। अनुमानों की जाँच करते समय यह पाया गया कि निर्माण की अनुमानित लागत बहुत अधिक है।
3.	केरल	2		6.78	राज्य सरकार से दिशा-निर्देशों के अनुसार गोदामों की दक्षता और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
4.	मणिपुर	1	2,000	145.00	राज्य सरकार से एक संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। अनुमानों की जाँच करते समय यह पाया गया कि निर्माण की अनुमानित लागत बहुत अधिक है।
5.	मध्य प्रदेश	16	21,900	335.75	राज्य सरकार से एक विशेष क्षमता के लिए अलग माँग प्रस्तुत करने और अनुमानों की जाँच के लिए देने को कहा गया है।
6.	मिजोरम	4	2504	83.476	दिनांक 29.11.2000 के पत्र सं. 15 (7)/99-पी.डी I के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।
7.	सिक्किम	1	300	28.50	राज्य सरकार से निर्माण लागत में संशोधन करने को कहा गया है जैसा कि के.लो.नि.वि. ने सलाह दी है।

[अनुमान]

चीनी की पैकेजिंग

3092. डा. चरणदास महंत : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की पैकिंग के सम्बन्ध में चीनी (पैकिंग और मार्किंग) आदेश, 1970 के प्रावधान अभी भी लागू हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और 30 वर्षों के बाद की बदली हुई आवश्यकताओं के अनुरूप इनका संशोधन किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस आदेश के अनुसार चीनी की पैकिंग के लिए जो पटसन के थेले हैं वे खाद्य पदार्थों की पैकिंग की श्रेणी के नहीं हैं और 50 किलो (या इससे कम) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानदण्डों के अनुरूप नहीं है; और

(घ) यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं और कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) चीनी (पैकिंग और चिह्नन) आदेश, 1970 के मुख्य प्रावधान संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) यह सच नहीं है कि चीनी की पैकिंग अखाद्य ग्रेड की पटसन की बोरियों में की जाती है। खाद्य ग्रेड एक वाणिज्यिक शब्द है जिसका प्रयोग विशिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से कॉफी, कोक और छिल्का रहित गरी की पैकिंग करने में "हाइड्रो कार्बन मुक्त" पटसन की बोरियों के लिए किया जाता है।

विवरण

(i) **चीनी की पैकिंग :** जब तक केन्द्र सरकार द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए उत्पादक निर्यात पात्र प्रक्रिया द्वारा उत्पादित सभी चीनी को नई "ए" ट्विल पटसन की बोरियों में पैक करेगा जो भारतीय मानक विनिर्दिष्टि आईएस : 1943-64, इसमें संशोधन संख्या 1 के साथ पठित के अनुरूप होंगी। प्रत्येक बोरी 112 सेंटीमीटर लम्बी और 67.5 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और इसका भार 1190 ग्राम होगा।

(ii) **प्रत्येक बोरी में पैक की जाने वाली चीनी की मात्रा :** जब तक केन्द्र सरकार द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए प्रत्येक चीनी की बोरी में 100 किलोग्राम निवल चीनी होगी।

(iii) **बोरियों पर चिह्नन :** (1) प्रत्येक उत्पादक जब तक चीनी की बिक्री और सुपुर्दगी नहीं कर देता तब तक उस बोरी, जिसमें चीनी भरी गई है, पर पैकिंग के समय लागू भारतीय चीनी मानक के अनुरूप चीनी की गुणवत्ता अंकित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बोरी में भरी गई चीनी की गुणवत्ता उस पर अंकित चीनी की गुणवत्ता के अनुरूप है। (2) प्रत्येक चीनी की बोरी पर एक लेबल लगा होगा जिसका आकार इस आदेश के साथ सलग्न अनुसूची में उल्लिखित है और उस पर निम्नलिखित बातें दर्ज होंगी नामतः (i) बोरी में भरी मात्रा, (ii) उसमें भरी चीनी की गुणवत्ता (iii) वह वर्ष जिसमें चीनी का उत्पादन हुआ है और भरी गई है।

इसके अलावा दिनांक 17.1.2001 के आदेश के माध्यम से सरकार ने चीनी कारखानों को अनुमति दी है कि वे किसी भी खाद्य ग्रेड की सामग्री में 5 किलोग्राम से कम के छोटे उपभोक्ता पैक में चीनी पैक कर सकते हैं। चीनी कारखानों को यह अनुमति भी दी गई है कि वे विदेशी क्रेता की पसन्द के अनुसार पैकिंग सामग्री का उपयोग करके चीनी के निर्यात के लिए 50 किलोग्राम की बोरी में चीनी पैक कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार घरेलू खपत के लिए 50 किलोग्राम की बोरी में चीनी पैक करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसका ट्रायल चल रहा है।

मुक्त पत्तन

3093. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाँधी :
श्री के. येरननायडू :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मुक्त पत्तनों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इन पत्तनों की मुख्य विशेषताओं का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये मुक्त पत्तन सिंगापुर के मुक्त पत्तनों जैसे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र और मुक्त पत्तन की स्थापना करने पर आगे विचार कर रही है; और

(च) यदि हाँ, तो इस हेतु किन-किन पत्तनों का चयन किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) मुक्त व्यापार क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र पर्यायवाची शब्द हैं। 31.3.2000 तक किए गए संशोधन शामिल करते हुए निर्यात-आयात नीति (1997-2002) में सरकार ने देश में विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) स्थापित करने के लिए एक नीति घोषित की है। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई नया ईपीजेड/एसईजेड स्थापित करने को कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि ईपीजेड/एसईजेड निजी संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। तदनुसार, सरकार ने निजी क्षेत्र में पोजिटरा (गुजरात) में और राज्य सरकारों द्वारा द्रोणगिरि (महाराष्ट्र), नांगुनेरी (तमिलनाडु), कुल्पी (पश्चिम बंगाल), पारादीप (उड़ीसा), भदोही और कानपुर (उ.प्र.), इन्दौर (मध्य प्रदेश) और काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश) में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एसईजेड स्थापित करने के लिए सिद्धान्त रूप से स्वीकृति दे दी है। कोई मुक्त पत्तन स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

भुज और अन्य क्षेत्रों में सुधार योजनाएँ

3094. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भुज और देश के अन्य भागों में आए भूकम्प की विभीषिका के साथ साथ हाल में पाँच राज्यों में पड़े सूखे के कारण दूसरी पीढ़ी के सुधारों को शुरू करने और राजसहायता को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार की योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रभाव किस सीमा तक पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता माँगी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने इन संस्थाओं से क्या अनुरोध किया है और सरकार के अनुरोध के सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। गुजरात में आए भूकम्प और कुछ राज्यों में पड़े सूखे के कारण अर्थव्यवस्था पर सम्भावित किसी भी प्रतिप्रभाव को भारतीय अर्थव्यवस्था सहन कर सकती है।

(ग) और (घ) गुजरात में आए भूकम्प को देखते हुए सरकार ने विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान कराने हेतु विचार करने का आग्रह किया है। गुजरात में आपातकालीन भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार ने 4000 मिलियन अमरीकी डालर के लिए विश्व बैंक से पहले ही बातचीत कर ली है। यह सहायता विश्व बैंक द्वारा राज्य की जरूरतों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद बढ़ाई भी जा सकती है। उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए भारत सरकार एशियाई विकास बैंक से 500 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए भी बातचीत कर रही है।

[हिन्दी]

आयकर का स्व-निर्धारण

3095. श्री हरिभाई चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर दाताओं द्वारा आय के स्वयं निर्धारण को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयकर विभाग की छवि को सुधारने के लिए कोई योजना लागू की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 ने करदाताओं द्वारा आय के स्व-कर निर्धारण के लिए हमेशा व्यवस्था की है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी

आय विवरणी दायर करनी अपेक्षित है यदि किसी वर्ष में उसकी कुल आय अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है जो कर प्रभार्य नहीं है और उसे विवरणी दायर करने से पहले कानूनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की चालू प्रक्रिया द्वारा सुकट बनाया जाता है। हाल ही में किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं :–

(i) विवरणियों के सरलीकृत फार्मों को प्रारम्भ करना जैसे गैर-निगमित करदाताओं के लिए एक पृष्ठ का फार्म (सरल के रूप में ज्ञात)।

(ii) यह सुविधा प्रदान करना कि विशिष्ट सूचना के आधार पर सत्यापन के लिए लिये गए मामलों के बहुत थोड़े प्रतिशत को छोड़कर दायर की गई विवरणी की पावती को घोषित आय की स्वीकृति के रूप में लिया जा सकता है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) बेहतर करदाता सेवा उपलब्ध कराने और आयकर विभाग की छवि को सुधारने के लिए कई स्कीमें प्रारम्भ की गई हैं। ये निम्न प्रकार हैं :–

(1) करदाताओं में उनके वैध देयों को चुकाने के लिए गौरव की भावना पैदा करने और राष्ट्र के निमित्त करदाताओं द्वारा ऐसे योगदान की सामाजिक पहचान स्थापित करने के लिए कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से 'सम्मान' स्कीम प्रारम्भ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत कारोबार, व्यवसाय और वेतन के प्रत्येक तीनों वर्गों में पात्र व्यष्टि आयकर दाताओं को आयकर विवरणियों में घोषित आय के आधार पर सम्मान प्रदान किए जाते हैं। यह एक व्यापक आधार पर तैयार की गई स्कीम है जिसका प्रतिपादन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि एक व्यष्टि शीर्ष करदाता को प्रत्येक स्थान पर सम्मान मिले जहाँ आयकर कार्यालय है। यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर प्रदान किया जाता है।

(2) सिटीजन चार्टर 27 नवम्बर, 1998 को प्रारम्भ किया गया था और इसके कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है।

(3) दिनांक 7.4.2000 को राष्ट्र को समर्पित डायरेक्ट टेक्सस इण्डिया-विजन 2005 में विभिन्न आयकर कार्यालयों में सुविधा काऊंटरों को प्रारम्भ करके जन सम्पर्क कार्यालयों के पुनर्गठन और विस्तार की परिकल्पना की गई है।

(4) दिनांक 1 अगस्त, 2000 से प्रारम्भ की गई "सहायता (हेल्पलाइन इनकम टैक्स)" स्कीम के अन्तर्गत "हेल्पलाइन इंकम टैक्स" के रूप में नामित एक विशेष कक्ष दिल्ली में बनाया गया था जिससे कि वह व्यष्टि और निगमित करदाताओं की तात्कालिक और गम्भीर समस्याओं को विभाग के ध्यान में लाने के लिए एक केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य कर सके। यह कक्ष आयकर आयुक्त के स्तर के अधिकारी की देख-रेख में कार्य कर रहा है और कालान्तर में इसका विस्तार अन्य केन्द्रों में किया जाएगा।

(5) दिनांक 1 अगस्त, 2000 से प्रारम्भ "सुविधा" स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों की मौजूदा प्राधिकृत शाखाओं के अतिरिक्त छह में से एक स्कीम द्वारा शामिल किए गए 133 शहरों और नगरों में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की 2102 कम्प्यूटरीकृत शाखाओं को दिनांक 1 अगस्त, 2000 से प्रत्यक्ष कर भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[अनुवाद]

मेलों/प्रदर्शनियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अवसर

3096. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात संवर्द्धन संगठन देश और विदेशों में बहुत से व्यापार मेले आयोजित करने हेतु प्रतिवर्ष बहुत सी एजेंसियों/पार्टियों/व्यक्तियों को नियुक्त करता है/काम पर रखता है/प्रायोजित करता है;

(ख) यदि हाँ, तो गत वर्ष पाँच वर्षों के दौरान काम पर रखे गए/नियुक्त किए गए कुल व्यक्तियों/फर्मों की संख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्मों/संगठनों या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबन्धित सदस्यों द्वारा संचालित एजेंसियों/संगठनों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि इन मेलों/प्रदर्शनियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों/संगठनों को अवसर नहीं दिया गया तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) आई.टी.पी.ओ. द्वारा भारत और विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों/समारोहों में कम्पनियों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भागीदारी आयोजित की जाती है। स्टैण्डों के निर्माण, प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं की हैण्डलिंग और उनकी निकासी प्रचार इत्यादि जैसे मेलों से जुड़े विभिन्न कार्य इस सम्बन्ध में निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन करने के पश्चात् फर्मों/संगठनों/व्यष्टियों को प्रदान किए जाते हैं। आई.टी.पी.ओ. द्वारा ऐसी फर्मों/संगठनों/व्यष्टियों के जाति सम्बन्धी ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं क्योंकि उक्त कार्य जातीय आधार पर प्रदान नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958

3097. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने उस चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है जिसे एक अध्यादेश के द्वारा वापस ले लिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958 को 15.1.1997 के एक अध्यादेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। है। इंडियन शुगर एण्ड जनरल इन्डस्ट्रीज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कारपोरेशन लि. ने माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय में इसके निरसन को चुनौती देते हुए ए याचिका संख्या 182/99 दायर की है। यह मामला न्याय निर्णया ।

धान की खरीद

3098. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में किसानों को धान और गेहूँ की खरीद पर छूट दी गयी और यह छूट किस प्रकार की थी; और

(ख) अन्य राज्यों में यह छूट न दिए जाने के क्या कारण हैं और जिन राज्यों में यह छूट दी गई थी उनमें छूट न दिए जाने वाले अन्य राज्यों की तुलना में कितनी खरीद हुई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) किसानों की कठिनाइयों को दूर करने और भारतीय खाद्य निगम और इसकी एजेंसियों द्वारा धान की वसूली किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के सम्बन्ध में वर्तमान विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान धान की विनिर्दिष्टियों में ढील दी है जिनमें 8% की अधिकतम सीमा के क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुन लगे धान की वसूली करने की अनुमति दी गई है, जबकि एक समान विनिर्दिष्टियों के अधीन 3% की सीमा का प्रावधान है। बिहार के मामले में अधिकतम 6% की सीमा तक क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुन लगे अनाज के धान की वसूली करने की अनुमति दी गयी है जबकि एक समान विनिर्दिष्टियों के अधीन 3% की सीमा विहित है। इसी प्रकार 6% की अधिकतम सीमा तक अपरिपक्व और सिकुड़े अनाज की अनुमति दी गई है जबकि एक समान विनिर्दिष्टियों के अनुसार 3% की सीमा विहित है। आन्ध्र प्रदेश में धान की स्वर्ण मसूरी किस्म की वसूली 540 रुपए प्रति क्विंटल पर करने की अनुमति दी गई है।

चावल की विनिर्दिष्टियों में कोई ढील नहीं दी गई है।

(ख) चूँकि राजस्थान और महाराष्ट्र में बेमौसमी वर्षा के कारण धान को क्षति होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं थी इसलिए उन्हें धान की विनिर्दिष्टियों में कोई ढील मंजूर नहीं की गई है। 12 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार खरीफ विपणन मौसम 2001 के दौरान धान की राज्यवार वसूली की स्थिति नीचे दी गई है।

(आँकड़े टन में)

आन्ध्र प्रदेश	99,115
बिहार	7,306
हरियाणा	13,60,385
हिमाचल प्रदेश	713
पंजाब	86,29,298
उत्तर प्रदेश	5,40,179
उत्तरांचल	62,593
महाराष्ट्र	31,889
राजस्थान	31,335

[अनुवाद]

संस्कृत के लिए विशेष चैनल

3099. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संस्कृत में कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु एक विशेष चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दर्शक आधार में विस्तार की सीमित सम्भावना के साथ संस्कृत भाषा के कार्यक्रमों के बहुत कम दर्शक हैं। इसलिए प्रसार भारती ने संस्कृत में कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए एक अलग चैनल शुरू करना व्यवहार्य नहीं समझा।

विश्व व्यापार संगठन के साथ हुए समझौतों की उपलब्धियाँ

3100. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री मोइनुल हसन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व व्यापार संगठन के साथ कृषि समझौते पर भारत के हस्ताक्षर करने के पश्चात् से देश द्वारा हासिल की गई वास्तविक उपलब्धियाँ क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि व्यापार में विकसित देशों का हिस्सा विश्व व्यापार संगठन की उरुग्वे वार्ता के पश्चात् 15 प्रतिशत तक बढ़ गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विकसित देशों ने कृषि उत्पादन और निर्यातों पर अपनी राजसहायता को वापस लेकर अपनी बाध्यताओं का पालन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसके प्रभावों के क्रियान्वयन हेतु कुछ और समय देने के लिए अंतिम दौर की वार्ता को आस्थगित करने का है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्लू.टी.ओ.) का संस्थापक सदस्य है और कृषि करार पर हस्ताक्षरकर्त्ता देश है जो 1.1.1995 को लागू हुआ था। डब्ल्यू.टी.ओ. में एक अनुमेय नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की व्यवस्था है जिससे विकसित व्यापारिक साझेदारों के द्विपक्षीय दबावों से विकासशील देशों को संरक्षण प्राप्त होता है। कृषि संबन्धी डब्ल्यू.टी.ओ. करार पर हस्ताक्षर करने से भारत अपने निर्यातों के लिए सभी अन्य सदस्य देशों से परममित्र राष्ट्र (एम.एफ.एन.) तथा राष्ट्रीय व्यवहार पाने का स्वतः

ही हकदार हो गया है। डब्ल्यू.टी.ओ. के आँकड़ों के अनुसार, कृषि वस्तुओं के विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा, जो 1991-94 की अवधि में 1.3% था, वर्ष 1998 में 1.9% हो गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ऐसा प्रतीत होता है कि विकसित देशों ने अपनी निर्यात इमदाद और सहायता की समग्र मात्रा की, जो व्यापार व्यवधानकारी घरेलू सहायता सम्बन्धी उपाय है, को कम करके कृषि करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है। यद्यपि कुछेक मामलों में कृषि करार के नियमों का लाभ उठाकर इसे प्राप्त किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, भारत ने कृषि करार के तहत चल रही तयशुदा वार्ताओं के लिए अपने प्रस्तावों में सहायता की समग्र मात्रा के परिकलन में सभी व्यापार व्यवधानकारी घरेलू सहायता सम्बन्धी उपायों को शामिल करने की माँग की है जो निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक रहने पर कमी करने सम्बन्धी बचनबद्धताओं के अधीन होंगे।

विश्व व्यापार संगठन समझौतों पर विधेयक

3101. श्री सुनील खाँ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसानों, विनिर्माताओं और व्यापारियों/निर्यातकों पर विश्व व्यापार संगठन से समझौतों के प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत सरकार किसी विधेयक को संसद के समक्ष लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विश्व बाजार में भारतीय किसानों और व्यापारियों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) सरकार विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 में सशोधन करने का विचार कर रही है ताकि सरकार आयातों पर ऐसे मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाने में समर्थ हो सके जो डब्ल्यू.टी.ओ. के रक्षोपाय करार के अनुसार है। रक्षोपाय करार के तहत सदस्य देश विकासशील देशों से ऐसे आयातों के लिए और अधिक उदार व्यवस्था के साथ आपातकालीन कार्रवाई के रूप में उस स्थिति में मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाने में समर्थ हैं। यदि ऐसी वस्तुओं के आयात ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में होते हैं जिससे समान अथवा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति पहुँचाती हो अथवा क्षति पहुँचने का खतरा हो।

(घ) सरकार को किसानों सहित घरेलू उत्पादकों के लिए उभरते हुए परिदृश्य की जानकारी है। अपनाई जा रही आर्थिक उदारीकरण की नीति का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इसके अलावा, सरकार द्वारा अनुचित आयातों के खिलाफ घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है।

चुनाव-पूर्व मत सर्वेक्षण का प्रसारण

3102. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुनाव से पहले मत पूर्व सर्वेक्षण परिणाम तक चुनाव के पश्चात् मत-पश्चात् सर्वेक्षण प्रकाशित करने के लिए मीडिया के लिए कोई मानक मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) भारत के निर्वाचन आयोग ने जनवरी, 1998 में लोक सभा के आम चुनावों तथा 1998-99 में कुछ विधान सभा चुनावों के दौरान ओपिनियन पोल/एग्जिट पोल के परिणामों के प्रकाशन तथा प्रसारण पर कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। तथापि, भारत के निर्वाचन आयोग ने ये दिशा-निर्देश सितम्बर, 1999 में वापिस ले लिए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के अन्तर्गत सुधार

3103. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के अंतर्गत कोई सुधार सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) भारत द्वारा विभिन्न डब्ल्यू.टी.ओ. करारों में की गई व्यवस्था के अनुसार तयशुदा वाताओं और तयशुदा समीक्षाओं के दौरान बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में समुचित सुधारों का प्रस्ताव किया जाता रहा है ताकि भारत के हितों की रक्षा हो सके। कृषि तथा सेवा सम्बन्धी तयशुदा वार्ताएँ वर्ष 2000 में शुरू हुई हैं। कृषि के सम्बन्ध में चल रही वार्ता के तहत भारत ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार और कृषि के विविधीकरण हेतु किए गए घरेलू नीतिगत उपायों के लिए लोचशीलता रखते हुए अपनी खाद्य और आजीविका की सुरक्षा की रक्षा करना और साथ ही साथ आयातों में होने वाली वृद्धि अथवा आयात कीमतों में आने वाली भारी गिरावट से घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक रक्षोपायों का सृजन करना भी है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य टैरिफों में पर्याप्त कमी और व्यापार व्यवधानकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी तथा विकसित देशों में निर्यात इमदाद की समाप्ति करने की माँग पर कृषि निर्यातों को सुकर बनाना भी है।

सेवा सम्बन्धी तयशुदा वार्ताओं के तहत भारत का मुख्य उद्देश्य सेवाओं के मोड 4 के अधीन प्राकृतिक व्यक्तियों खासकर व्यावसायिकों और कुशल कार्मिकों के आवागमन में आगे और पर्याप्त उदारता लाने की माँग करना है और भारत द्वारा इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पहले ही डब्ल्यू.टी.ओ. में प्रस्तुत कर दिया गया है। व्यापार से सम्बद्ध सम्पदा

अधिकार (ट्रिप्स) सम्बन्धी करार के तहत तयशुदा वार्ता और तयशुदा समीक्षाओं में भारत का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा के उच्च स्तर की माँग करना है जैसा कि शराब और स्प्रिट, अन्य उत्पादों में भौगोलिक संकेतकों के लिए पहले से ही उपलब्ध है।

इसके अलावा भारत इस बात की माँग करने में अग्रणी रहा है कि डब्ल्यू.टी.ओ. करारों के बारे में विकासशील देशों की कार्यान्वयन से जुड़ी चिंताओं का निवारण संतोषजनक ढंग से किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन सम्बन्धी चिंताएँ मोटे तौर पर निम्नलिखित से संबन्धित हैं–मौजूदा डब्ल्यू.टी.ओ. करारों में असमानताएँ एवं असंतुलन, डब्ल्यू.टी.ओ. करारों से प्रत्याशित लाभ प्राप्त न होना और विकासशील देशों के पक्ष में अधिकांश विशेष और अधिमानी प्रावधानों का अप्रचालनात्मक और अबाध्यकारी स्वरूप। भारत द्वारा अपने उन प्रस्तावों के जरिए कार्यान्वयन से जुड़ी चिन्ताओं को उजागर किया गया था जिन्हें नवम्बर, 1999 में आयोजित सिएटल मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की तैयारी प्रक्रिया में 11 अन्य समान विचारों वाले देशों के समूह द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। डब्ल्यू.टी.ओ. की महापरिषद ने मई 2000 के अपने संकल्प में विकासशील देशों की कार्यान्वयन से जुड़ी चिन्ताओं का निवारण करने के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. में एक कार्यक्रम तैयार किया है।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन के समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किसानों से परामर्श करना

3104. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व भारतीय किसानों की बुनियादी समस्याओं को रेखांकित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कृषक संगठनों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों को भी विश्वास में लिया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कृषकों और कृषि उत्पादों के निर्यातकों को प्रशिक्षण देने के बारे में कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या ऐसा कार्यक्रम तैयार करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(छ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (छ) कृषि क्षेत्र में विश्व व्यापार में उदारीकरण तथा उपयुक्त नियमों की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई थी क्योंकि विकसित देशों द्वारा व्यापार को विकृत करने वाली उच्च स्तर पर इमदाद दी जा रही थी और उच्च टैरिफ तथा गैर-टैरिफ अवरोधों का प्रयोग किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप कृषि वस्तुओं की कीमतें गम्भीर रूप से प्रभावित होती थीं और भारत जैसे विकासशील देशों को बाजार पहुँच से वंचित रखा जाता था। नियम आधारित एवं विश्वसनीय बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के समस्त लाभों का मूल्यांकन करने तथा आवश्यक विचार-विमर्श करने के बाद भारत ने 1994 में मारकेश में उरुग्वे दौर के करारों पर हस्ताक्षर किए थे और 1.1.1995 से अस्तित्व में आए विश्व व्यापार संगठन का एक संस्थापक सदस्य बन गया था। कृषि सम्बन्धी डब्ल्यूटीओ करार पर हस्ताक्षर करने से भारत डब्ल्यूटीओ के सभी अन्य सदस्य देशों से अपने निर्यातों के लिए परममित्र राष्ट्र (एमएफएन) तथा राष्ट्रीय व्यवहार पाने का स्वतः ही हकदार हो गया है।

जैसा कि कृषि सम्बन्धी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 20 के तहत निर्देशित किया गया है, एक स्वच्छ एवं बाजारोन्मुख कृषि व्यापार प्रणाली स्थापित करने के लिए और उत्तरोत्तर उदारीकरण को जारी रखने के उद्देश्य से वार्ताएँ वर्ष 2000 में शुरू हो गई हैं। सरकार ने बाजार पहुँच, घरेलू समर्थन, निर्यात प्रतिस्पर्धा तथा खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत के वार्ताकारी प्रस्ताव तैयार करने से पहले राज्य सरकारों, कृषक संगठनों, राजनीतिक दलों, विभिन्न स्वायत्त संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा प्रसिद्ध कृषि-अर्थशास्त्रियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किए हैं। इन विचार-विमर्शों के दौरान इस बात पर आम सहमति थी कि भारत को अपने वार्ताकारी प्रस्तावों में खाद्य सुरक्षा तथा आजीविका सम्बन्धी चिन्ताओं को अवश्य उजागर करना चाहिए और इसके साथ-साथ कृषि सम्बन्धी निर्यातों के लिए विशेष रूप से विकसित देशों के बाजारों में अधिक बाजार पहुँच की माँग करनी चाहिए। चार क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे ताकि राज्य सरकारों तथा कृषकों को इस बारे में जागरूक बनाया जा सके तथा कृषि क्षेत्र में निर्देशित वार्ताओं के लिए भारत के वार्ताकारी प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए उनके विचार प्राप्त किए जा सकें।

कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, काजू निर्यात संवर्धन परिषद, मसाला बोर्ड तथा निर्यात निरीक्षण परिषद आदि सैनीटरी तथा फाइटो सैनिटरी मानकों को पूरा किए जाने तथा कृषि क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं के बारे में निर्यातकों को सुग्राही बनाने के कार्य में लगे हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति में भी यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र को विश्व में प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा घरेलू उत्पादकों के बीच नियमित रूप से बातचीत के माध्यम से विज्ञान तथा प्रौद्योगिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए।

[अनुवाद]

एन.सी.सी.एफ. द्वारा खरीद

3105. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री एन.सी.सी.एफ. द्वारा खरीद के बारे में 23 फरवरी, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.सी.एफ. अब भी विनिर्माताओं की बजाय वितरकों के प्राधिकार पत्रों के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं से खरीद करता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रणाली को तुरन्त बन्द करने और एन.सी.सी.एफ. को तदनुसार निदेश देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एन.सी.सी.एफ. एक ही ब्रॉंड की मदें एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से खरीद रहा है और ये आपूर्तिकर्ता उप-डीलर हैं; और

(ङ) यदि हॉं, तो सरकारी व्यय में किफायत लाने के लिए इस अनावश्यक प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं क्योंकि उप-डीलरों द्वारा आपूर्ति की गई मदें विनिर्माताओं/अधिकृत वितरकों द्वारा आपूर्ति की गई मदों से महंगी होती हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एक स्वायत्तशासी सहकारी समिति है। अपने कारोबार तथा अन्य प्रशासनिक मामलों के प्रबन्धन के लिए इसका अपना प्रबन्धक मण्डल है। भारत सरकार इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे अपने पास पंजीकृत विभिन्न ब्रॉंडनाम वाले उत्पादों के विनिर्माताओं, वितरकों और व्यापारियों से माल खरीदकर सरकारी विभागों को सप्लाई करते हैं। व्यक्तिगत आदेश के सम्बन्ध में सप्लायरों का चयन केवल पंजीकृत सप्लायरों में से वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है जिसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि सप्लायर किस श्रेणी का है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने ऐसे नए सप्लायरों का पंजीकरण पहले ही बन्द कर दिया है जो विनिर्माता नहीं है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने यह भी संकेत दिया है कि वे प्रमुख ब्रॉंड नाम वाली मदों की खरीद के लिए धीरे-धीरे विनिर्माताओं की ओर बढ़ना चाहते हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे मॉंगी गई मदों की खरीद सप्लायरों से एक समान दरों पर करते हैं और प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर सरकारी विभागों को उन मदों की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। एक से अधिक सप्लायरों से माल की खरीद करने से राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के मूल्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

एन.सी.सी.एफ. और सुपर बाजार द्वारा महंगी दरों पर मदों की बिक्री

3106. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी.जी.एस. एण्ड डी. ने कई लेखन सामग्री मदों और आफिस आटोमेशन सम्बन्धी उपकरणों के लिए विनिर्माताओं के साथ दर संविदा किया है और इन्हीं मदों को एन.सी.सी.एफ. और सुपर बाजार में महंगी दरों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हॉं, तो क्या सरकारी कार्यालयों को डीजीएस एण्ड डी के साथ दर संविदा की दरों पर केवल विनिर्माताओं से ही खरीदने के निदेश दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) ''अन्य मदों'' की श्रेणी में आने वाली मदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हॉं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय विनिर्माता के साथ की गई दर संविदा के अनुसार माल की खरीद और फरोख्त नहीं करता। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की खरीद केंद्रीय भण्डार, सुपर बाजार, दिल्ली और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से कर सकते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्र में किसी बात के होते हुए कुछ विशेष मदों की खरीद के मामले में केंद्र सरकार के विभाग विनिर्माताओं से टेण्डर/कोटेशन भी मँगा सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा सरकारी विभागों को सप्लाई की जाने वाली मदों में लेखन सामग्री, कार्यालय उपकरण तथा कार्यालय में उपयोग में आने वाली अन्य मदें शामिल हैं। ''अन्य मदों'' की कोई विस्तृत सूची नहीं है। सरकारी विभागों का अन्तिम उद्देश्य उचित और प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीदना है। तथापि, इस नीति की समीक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है।

औद्योगिक उपसंविदा तथा साझेदारी कार्यक्रम

3107. श्री किरीट सोमैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग महासंघ तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा नई दिल्ली में हाल ही में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हॉं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर तथा दूरसंचार में औद्योगिक उपसंविदा तथा साझेदारी (एस.पी.एक्स.) कार्यक्रम के विकास में सहयोग के लिए नई परियोजना तैयार है;

(घ) यदि हॉं, तो क्या एस.पी.एक्स. कार्यक्रम के 1998 में भारत में आरम्भ किए जाने से अब तक इसकी कोई समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हॉं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) अभी तक भारतीय उद्योग द्वारा एस.पी.एक्स. से उठाए गए लाभ क्या हैं; और

(छ) कितने राज्यों में यह एस.पी.एक्स. कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कितने राज्यों में यह कार्यक्रम आरम्भ किए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) भारतीय उप संविदा साझेदारी और विनियम (एस.पी.एक्स.) नेटवर्क की विषय-निर्वाचन समिति की चौथी बैठक भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.), नई दिल्ली, के परिसर में 17 फरवरी, 2001 को आयोजित की गई थी। इसके पश्चात् 18 फरवरी, 2001 को एक एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। एक भारतीय वेब पोर्टल और ट्रस्ट के एस.पी.एक्स. नेटवर्क की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श सहित परियोजना प्रगति की समीक्षा की गई।

(ग) से (छ) सरकार को अभी तक इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर साफ्टवेयर और दूरसंचार में यूनिडो से एक एस.पी.एक्स. कार्यक्रम के लिए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। एस.पी.एक्स. परियोजना की समीक्षा इस उद्देश्य हेतु गठित की गई विषय निर्वाचन समिति द्वारा आवधिक रूप से की जाती है। यह एस.पी.एक्स. कार्यक्रम, विश्वभर में स्थापित किए गए कोई 509 एस.पी.एक्स. को सम्पर्क उपलब्ध कराकर घरेलू और विदेशी साझेदारों की

पहचान करके तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके राष्ट्रीय और विश्व बाज़ारों में भारतीय लघु और मझौले विनिर्माताओं की उनके उत्पादों और सेवाओं का विपणन करने में सहायता करता है। एस.पी.एक्स. कार्यक्रम नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलूर और पुणे में प्रचालित हो रहा है। यूनिडो को हैदराबाद और लुधियाना में दो और एस.पी.एक्स. आरम्भ करने की आशा है।

पिछड़े जिलों में निवेश

3108. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री तिरुनावकरसू :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योगों के विकास के लिए देश के पिछड़े जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा अपने हिस्से के रूप में राज्य-वार तथा वर्षवार कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए निवेश में भारी अन्तर है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा उसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान विकास केन्द्र योजना के अधीन विभिन्न राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता के राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राज्यों को केन्द्रीय सहायता की अलग-अलग राशियाँ जारी की गई हैं, क्योंकि केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के कार्य में की गई वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति के आधार पर किस्तों में जारी की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान विकास केन्द्र योजना के अधीन राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	150	300	11	461
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	48	50	98
3.	असम	50	शून्य	250	300
4.	बिहार	50	शून्य	शून्य	50
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	125	125
6.	गोवा	150	शून्य	शून्य	150
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हरियाणा	50	शून्य	शून्य	50
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	50	50	200	300
11.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	कर्नाटक	60	120	शून्य	180
13.	केरल	200	532	शून्य	732
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	महाराष्ट्र	1300	250	660	2210
16.	मणिपुर	50	शून्य	शून्य	50
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैण्ड	शून्य	500	500	1000
20.	उड़ीसा	शून्य	100	50	150
21.	पाण्डिचेरी	50	शून्य	250	300
22.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	राजस्थान	120	100	250	470
24.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	50	50
25.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	220	शून्य	100	320
27.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	2500	2000	2496	6996

राजस्व-भागीदारी प्रणाली

3109. डॉ. वी. सरोजा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व-भागीदारी प्रणाली में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) का प्रतिशतांश निजी क्षेत्र के प्रचालनकर्ताओं के अंश की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी निजी प्रचालनकर्ता को अनुचित फायदा पहुँचाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की सिफारिश स्वीकार कर ली है कि दूरसंचार सर्किलों "क" "ख" और "ग" की तीन श्रेणियों के लिए वार्षिक सकल राजस्व के क्रमशः 12 प्रतिशत 10 प्रतिशत और 8 प्रतिशत राजस्व हिस्से की दर के माध्यम से उगाहे जाने वाला लाइसेंस शुल्क ही भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) से भी लिया जाएगा ताकि प्राइवेट प्रचालकों की तुलना में प्रचालन के समान अवसर सुनिश्चित हो सकें।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। सभी प्रचालकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में किसी के साथ अनुचित फायदा पहुँचाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़-नियंत्रण के लिए योजना

3110. श्री महबूब जहेदी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2001-2002 के दौरान, सरकार का पूर्वोत्तर में असम ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अन्तर्गत पगलड़िया परियोजना तथा ब्रह्मपुत्र-घाटी स्थित बाढ़-नियंत्रण जल-परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने का अनुमान है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत सरकार द्वारा पगलड़िया बाँध परियोजना को जनवरी, 2001 में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। व्यय वित्त समिति द्वारा "ब्रह्मपुत्र-बराक बेसिन में बाढ़ नियंत्रण स्कीम" नामक बाढ़ नियंत्रण स्कीम को जून, 2000 में अनुमोदित किया गया है।

(ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पगलड़िया बाँध परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना है तथा इसके पूरा होने के लिए सात वर्षों अर्थात् वर्ष 2007 तक की अवधि निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

सी.एन.जी. से प्रदूषण

3111. श्री जय प्रकाश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन्स द्वारा होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अभी तक हाइड्रोकार्बन सम्बन्धी मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मानकों का निर्धारण कब तक किए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) सरकार ने संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) चलित वाहनों के लिए उत्सर्जन मानदण्ड अधिसूचित किए हैं जो 9 फरवरी, 2000 से प्रभावी हैं।

[अनुवाद]

बागडोगरा हवाई अड्डे से उड़ानें

3112. श्री अमर रायप्रधान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले एक वर्ष के दौरान बागडोगरा हवाई अड्डे से कुछ उड़ानें संचालित नहीं की गईं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामतः कितना घाटा हुआ; और

(ग) इस हवाई अड्डे से उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) दिनांक 1 नवम्बर, 2000 से पहले बागडोगरा हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना के नियंत्रणाधीन था, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वहाँ केवल यात्री टर्मिनल पर यात्री सुख-सुविधाओं का रख-रखाव करता था। यह दैनिक सिविल प्रचालनों के लिए उपलब्ध था। यद्यपि, रनवे के पुनर्सतहलेपन की वजह से यह हवाई अड्डा दिनांक 1 नवम्बर, 2000 से सप्ताह में तीन दिन सिविल प्रचालनों के लिए उपलब्ध था। रनवे के पुनर्सतहलेपन के पूरा होने की प्रस्तावित तारीख 21 मार्च, 2001 है और आशा की जाती है कि दैनिक आधार पर यहाँ से सिविल उड़ानों के प्रचालन की अनुमति दे दी जाएगी। तत्पश्चात् उड़ानों को पुनः अनुसूचित किया जाएगा। इस वजह से हुई क्षति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

"सी.एन.जी. चालित वाहनों के प्रदूषण के कारण बीमारियाँ"

3113. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.एन.जी. चालित वाहनों से होने वाला प्रदूषण तपेदिक और कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) ऐसे कोई निर्णायक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह संकेत मिलता हो कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) वाहनों से तपेदिक और कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं।

मजदूरों को पहचान-पत्र

3114. श्री रामदास आठवले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के लिए पहचान-पत्र जारी करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों में इन मजदूरों के नियोक्ताओं को इन्हें ऐसे पहचान-पत्र जारी करना अनिवार्य बनाया जाएगा; और

(ग) महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में इन मजदूरों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सरकार द्वारा निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के कल्याण के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 का अधिनियमन किया गया है। इस अधिनियम में राज्य सरकारों द्वारा भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के गठन की व्यवस्था है। इन बोर्डों से यह अपेक्षा है कि वे अपने यहाँ पंजीकृत निर्माण कामगारों को परिचय पत्र जारी करें। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, केरल, तमिलनाडु तथा असम राज्य सरकारों ने इन बोर्डों का गठन कर भी दिया है। कई अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उनके यहाँ कल्याण बोर्डों का गठन करने की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

नागर विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3115. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) ने घरेलू विमानन क्षेत्र में विदेशी विमान कम्पनियों को प्रवेश देने की सिफारिश की है तथा नागर विमानन क्षेत्र में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने की बात की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार का क्या निर्णय है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) दिनांक 11.1.2001 को हुई बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में मंत्रियों के समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ स्वचालित मार्ग पर नागर विमानन क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किए जाने तथा संयुक्त उद्यम में, विदेशी एयरलाइनों की भागीदारी की अनुमति की सिफारिश की थी परन्तु इन्हें नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सेक्टर सम्बन्धी मार्ग-निर्देशों का अनुपालन करना होगा। तथापि, 11.1.2001 को पहले हुई बैठक में की गई सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 9.2.2001 को आयोजित बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर मंत्रियों के समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा घरेलू विमान परिवहन क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करने की सिफारिश की जिसमें 40 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी तथा 100 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.)/ओवरसीज निगमित निकायों की इक्विटी भागीदारी की अनुमति है किन्तु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विदेशी एयरलाइन इक्विटी निषिद्ध है।

त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग

3116. श्री समर चौधरी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करके उन्हें दो लेनों वाला बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सड़क क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का परीक्षण किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) वार्षिक योजना 2000-01 के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की 260.44 कि.मी. लम्बाई को दो लेन में चौड़ा करने का प्रावधान किया गया है जिसमें त्रिपुरा में स्थित 21.10 कि.मी. की लम्बाई भी शामिल है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार कार्यों की योजना यातायात की मात्रा, सड़कों की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर बनाई जा रही है।

"राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत नदी को शामिल करना"

3117. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय नदी कार्य-योजना के अंतर्गत मुसी नदी को शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) हैदराबाद और सिकन्दराबाद में मूसी नदी के प्रदूषण उपशमन का एक प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है जिसमें मोटे तौर पर सीवेज प्रणाली का विस्तार और सुधार, सीवेज उपचार संयंत्र तथा परियोजना तैयार करने की फीस के लिए 295 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

(ग) चूँकि मूसी नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत नदियों की अनुमोदित सूची में शामिल नहीं है, इसलिए प्रस्ताव की जाँच की जा रही है।

[हिन्दी]

एयरबस घोटाला

3118. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 में हुए एयरबस घोटाले के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) जाँच में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा एयरबस ए-320 विमान की खरीद के सम्बन्ध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही जाँच प्रगति पर है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारत में जाँच पूरी कर ली है और इसी प्रकार की कार्रवाई संबन्धित विदेशी राष्ट्रों के सम्बन्ध में भी की जा रही है।

(ख) मामले में विभिन्न विदेशी राष्ट्रों में विस्तृत छानबीन की जानी है, इसमें काफी समय और लगने वाली प्रक्रिया है, जो जाँच एजेंसी के नियंत्रण से बाहर है।

[अनुवाद]

एस.टी.डी. सुविधा

3119. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा रायगढ़ जिलों के प्रत्येक दूरभाष केन्द्र में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हाँ।

(ख) जिला रत्नागिरी में, 142 एक्सचेंजों में से, 79 एक्सचेंजों में एस.टी.डी. सुविधा है और 63 एक्सचेंज बिना एसटीडी सुविधा के हैं और रायगढ़ जिले में, 143 एक्सचेंजों में से, 128 एक्सचेंजों में एसटीडी सुविधा है और 15 एक्सचेंज बिना एसटीडी सुविधा के हैं। शेष एक्सचेंजों अर्थात् रत्नागिरि जिले में 63 और रायगढ़ जिले में 15 एक्सचेंजों में, संसाधन उपलब्ध होने पर, मार्च, 2002 तक चरणबद्ध रूप से एसटीडी सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर देखते हुए, लागू नहीं होता।

खराब पड़ा दूरभाष केन्द्र

3120. श्री सुनील खाँ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल का बर्दवान स्थित बंकाटी दूरभाष केन्द्र खराब पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य निधि नियमों में छूट

3121. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात के भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए भविष्य-निधि नियमों में छूट देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) गुजरात में भूकम्प से प्रभावित क.भ.नि. अंशदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क.भ.नि. स्कीम के पैरा 68 ख और 68-ठ के अन्तर्गत देय भविष्य निधि अग्रिम की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर सदस्यों के अंशदान का 75% कर दिया है और नियोजक द्वारा दावों के सत्यापन व सक्षम अधिकारी से नष्ट हुई सम्पत्ति के प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने की शर्त का अधित्याग कर दिया है।

मैचों का प्रसारण

3122. श्री सुबोध राय : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 1999 के क्रिकेट विश्व कप के अन्तर्गत खेले गए मैचों के टेलीविजन प्रसारण के अधिकारों को बिना किन्हीं संतोषजनक कारणों के अपेक्षाकृत कम मूल्य पर बेच दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसे प्रसारण अधिकारों को कम मूल्य पर न बेचा जाए, क्या पूर्व सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग और संबन्धित सदाचारों पर अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि कुछ टूर्नामेंटों के लिए बी.सी.सी.आई. द्वारा प्राप्त गारंटी राशि के अध्ययन से एक दिलचस्प प्रवृत्ति का पता चलता है, जो इस बात की ओर संकेत करती है कि यह क्रिकेट जगत में भारत की स्थिति के अनुकूल नहीं है। विश्व कप, 1999 के लिए, शृंखला हेतु भारत में दूरदर्शन अधिकारों के लिए मेजबानों द्वारा प्राप्त 26.00 करोड़ रु. की तुलना में भारत ने 1.5 करोड़ रु. की गारंटी राशि प्राप्त की। सी.बी.आई. ने अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है कि बी.सी.सी.आई. पदाधिकारियों द्वारा संतोषजनक ढंग से कारणों को स्पष्ट न करने की वजह से भारत ने कम कीमत पर ये अधिकार बेचे। सी.बी.आई. ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि इस जाँच में दूरदर्शन अधिकारियों को प्रदान करने के मामले को नहीं देखा गया क्योंकि इस मामले को अलग से उठाया जा रहा है। इसके साथ-साथ सी.बी.आई. ने सूचित किया है कि उसने दूरदर्शन अधिकारों को प्रदान करने के सम्बन्ध में दूरदर्शन अधिकारियों तथा अन्यों के विरुद्ध 5 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से तीन का सम्बन्ध क्रिकेट से है जिसमें विश्व कप 1999 शामिल है।

बी.सी.सी.आई. ने आगे स्पष्ट किया है कि आई.सी.सी. की बैठकों में मेजबान देश, पूर्ण सदस्यों, सह-सदस्यों तथा आई.सी.सी. के बीच, वाणिज्यिक अधिकारों से होने वाली आय के हिस्सेदारी से लेकर किसी भी विश्व कप प्रतियोगिता का मामला तय किया जाता है। विश्व कप, 1999 के लिए, हिस्सेदारी के फार्मूले का ब्यौरा देते हुए आई.सी.सी. और मेजबान ई.सी.बी. के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के अनुसार प्राप्त राशि की हिस्सेदारी की गई थी।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग

3123. श्री पुष्प जैन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और उनके सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) कितने राष्ट्रीय राजमार्गों की तुरन्त मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार जी.टी. रोड के पुनर्निर्माण के लिए एक विशेष आकस्मिक योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) राजस्थान से 12 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। रख-रखाव और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों को इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध धनराशियों से यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, जी.टी. रोड पर आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत सुधार/चौड़ा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में संशोधन

3124. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने, राज्य में नील-गायों द्वारा फसलों को पहुँचाई गई क्षति के मद्देनजर, इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्तावित संशोधनों में शामिल हैं :–

(i) वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्धन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और वन्य जीव आवास प्रबन्धन प्रक्रिया में उपलब्ध होने वाले वन भोगाधिकार स्पष्ट रूप से स्थानीय समुदायों को उपलब्ध करना।

(ii) वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (साइट्स) के उपबन्धों का प्रभावी प्रवर्त्तन और इस कन्वेंशन के अन्तर्गत सम्मिलित की गई ऐसी प्रजातियों के स्वामित्व और व्यापार को नियंत्रित करना।

(iii) इस अधिनियम की दण्डात्मक धाराओं को और कड़ा तथा प्रभावशाली बनाना।

(iv) भारतीय वन्य जीव बोर्ड को एक संविधिक निकाय बनाना।

(ग) राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम में कोई भी संशोधन करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध नहीं किया है। उन्होंने केवल यह अनुरोध किया है कि ब्लू बुल को इस अधिनियम की अनुसूची III से अनुसूची V में स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि इसे पीड़क जन्तु की भाति समझा जाए।

(घ) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा II (i) (ख) के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अनुसूची II, III और IV में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे वन्य जीव का आखेट करवाने हेतु पर्याप्त शक्तियाँ देने का प्रावधान है जो मानव जीवन अथवा सम्पत्ति (किसी भूमि पर खड़ी फसलों सहित) के लिए खतरनाक बन जाता है।

[अनुवाद]

नवी मुम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

3125. श्री किरीट सोमैया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण क्षेत्र स्थित रेवास माण्डवा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की अपनी योजना को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुम्बई में राज्य औद्योगिक विकास निगम के स्वामित्व वाली 950 हेक्टेयर भूमि का चयन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से परामर्श किया है;

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या नवी मुम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उपरोक्त भूमि को अधिगृहीत कर लिया गया है; और

(ज) यदि नहीं, तो कब तक इस भूमि का अधिग्रहण करके परियोजना कार्य आरम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ज) राज्य सरकार ने रेवास माँडवा में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना स्थगित कर दी है क्योंकि इस कार्यस्थल पर आधारिक-संरचना यथा सड़क, पुल और सार्वजनिक द्रुत परिवहन प्रणाली में बहुत अधिक धन की जरूरत है और पर्यावरण विदों ने इस पर आपत्ति की है। इसको देखते हुए, राज्य सरकार ने दो घावनपथ वाले हवाई अड्डों के लिए नवी मुम्बई में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार से प्रस्तावित तकनीकी/यातायात अध्ययन पूरा कराकर एक औपचारिक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ भेजने को कहा गया है।

कनार्टक में डाकघर

3126. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2000-2001 के दौरान, कर्नाटक में डाकघर खोलने के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस लक्ष्य को कहाँ तक पूरा किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य में और अधिक डाकघर खोलने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान कर्नाटक के लिए 2 विभागीय उप डाकघर और 21 शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) 28.2.2001 की स्थिति के अनुसार, 2 विभागीय उप डाकघर और 5 शाखा डाकघर खोले गए हैं।

(ग) और (घ) नए डाकघर योजना लक्ष्यों के अनुसार खोले जाते हैं बशर्ते कि निर्धारित मानदण्ड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।

सी-डॉट सॉफ्टवेयर विकास केन्द्र

3127. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोलकाता में सी-डॉट साफ्टवेयर विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र को कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, सी-डॉट ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसकी जाँच की जा रही है।

टेलीफोन कनेक्शन

3128. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पतनमथिट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या बहुत अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो एक्सचेंज-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में प्रतीक्षा सूची को तत्काल निपटाने और टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी नहीं। पतनमथिट्टा गौण स्विचन क्षेत्र में केवल 25545 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं। एक्सचेंज-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) करीब 5000 आवेदकों को 31 मार्च, 2001 तक टेलीफोन कनेक्शन मिलने की आशा है और पतनमथिट्टा के मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करके 31 मार्च, 2002 तक शेष प्रतीक्षा सूची को पूरा करने की योजना बनाई गई है।

विवरण

पतनमथिट्टा गौण स्विचन क्षेत्र की एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	एक्सचेंजों के नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अडूर	1439
2.	अरान्मुला	91
3.	अथिकायम	428
4.	ऐइरूर	156
5.	चथान्कारी	77
6.	चित्तार	423
7.	चुगांपाड़ा	448
8.	इडामन-रानी	156
9.	इलामनूर	533
10.	इलान्थूर	96
11.	इलावान्यिता	570
12.	इटीचावाडू	128
13.	इझामकुलम	710
14.	इझामाट्टूर	122
15.	कदम्बनाडु	625
16.	कैपाटूर	662
17.	कलांजूर	699
18.	कल्लूपाड़ा	138
19.	कवियूर	8
20.	किदानगनूर	731
21.	किलीवायल	1415
22.	कोडुमन	508
23.	कोन्नी	2120
24.	कोझेंचेरी	1172
25.	कुलानाडा	316
26.	कुम्बानाडा	768
27.	कुम्बाझा	117
28.	कनामथनम्	503
29.	कुरियानूर	65
30.	कट्टूर	127
31.	मलेयालापुझा	527

1	2	3
32.	मालापल्ली	882
33.	मुरिज्राकल	269
34.	निरानाम	305
35.	ओमालुर	62
36.	पालिक्काल	507
37.	पण्डालम	717
38.	पथनमथिट्टा	556
39.	पुलाड यूनिट-I	0
40.	पुलाड यूनिट-II	557
41.	पुनावेली	58
42.	रानी	610
43.	रानी पेरीनाद	469
44.	सीथाथोडे	593
45.	थानीथोड़े	234
46.	थेक्कुथोड़े	159
47.	थियोडिकाल	741
48.	थम्पामन	63
49.	तिरूवला	612
50.	वी. कोट्टायम	191
51.	वडासेरीकारा	975
52.	वेपुर	293
53.	वालमकुलम	8
54.	वायलाथाला	185
55.	वेचूचिरा	469
56.	वेनीकुलम	149
	कुल	**25545**

सेल्युलर टेलीफोन

3129. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2001-2002 के दौरान सेल्युलर कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) प्रारम्भ में सेल्यूलर सेवा, पॉयलट परियोजना के रूप में प्रदान कर रहा है। पायलट परियोजना के अन्तर्गत शामिल किए जा रहे शहरों के ब्यौरे संलग्न विवरण के रूप में संलग्न हैं। पटना और हाजीपुर में सेल्यूलर सेवा पहले ही शुरू कर दी गई है। पॉयलेट परियोजना के भाग के रूप में अन्य शहरों में सेल्यूलर सेवा मार्च/अप्रैल, 2001 के दौरान शुरू होने की सम्भावना है। साथ ही 2001-02 के दौरान, सम्पूर्ण देश में लगभग 15 लाख सेल्यूलर टेलीफोन लाइनें उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण-I

आई एम पी सी एरा पॉयलट परियोजना के अन्तर्गत समाविष्ट शहरों की सूची

सर्किल	शहर	लाइनों की संख्या	
		चरण-I	चरण-II
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	4000	
	विजयवाड़ा	1000	
	तिरूपति	1000	
	गुंटूर	1000	
	विशाखापट्टनम	1000	
	अमलापुरम	1000	
	काकिनाड़ा	1000	
	राजामुंदरी		1000
	वारंगल	...	1000
बिहार	पटना	4000	
	बिहारशरीफ	1000	
	हाज़ीपुर	1000	
	बाघ	1000	
	आरा	1000	
	राजगीर	1000	
	सासाराम		1000
	झबुआ		1000
तमिलनाडु/चेन्नई	चेन्नई	4000	
टेलीफोन्स	मदुरै	1000	
	कोएम्बटूर	1000	
	महाबलीपुरम		1000
	एम.एम. नगर	...	1000

1	2	3	4
	मिंजूर		1000
पश्चिम बंगाल/	कलकत्ता	5000	
कलकत्ता टेलीफोन्स	हल्दिया	1000	
झारखण्ड	रांची		4000
	जमशेदपुर	...	1000
	जोड़	**31000**	**12000**

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	शहरों की संख्या	2001-2002 के दौरान प्रस्तावित लाइनों की संख्या
1.	अण्डमान और निकोबार	1	1500
2.	आन्ध्र प्रदेश	85	160000
3.	असम	23	11000
4.	बिहार	30	33000
5.	चण्डीगढ़	15	9000
6.	गुजरात	74	175000
7.	हरियाणा	40	43000
8.	हिमाचल प्रदेश	20	12000
9.	जम्मू व कश्मीर	14	12000
10.	झारखण्ड	17	23000
11.	कर्नाटक	26	115000
12.	केरल	100	125000
13.	मध्य प्रदेश	54	34500
14.	मेघालय	124	190000
15.	उत्तर पूर्व	49	3000
16.	उड़ीसा	38	37000
17.	पंजाब	62	110000
18.	राजस्थान	40	50000
19.	तमिलनाडु	68	130000
20.	उत्तरांचल	13	23000
21.	उत्तर प्रदेश	91	151000
22.	पश्चिम बंगाल	35	40500
	जोड़	**1021**	**1488500**

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा

3130. श्री राजो सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता से स्थापित की गई बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में समिति गठित की है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार, देश की बाह्य सहायता प्राप्त सभी चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा और मानीटरी करती है। ऐसी सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई.एस.आई. योजना के अन्तर्गत मेडिकल डिलीवरी सिस्टम

3131. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई.एस.आई. के अन्तर्गत वर्तमान मेडिकल डिलीवरी सिस्टम का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की सम्भावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता की जाँच-पड़ताल करने के लिए नियुक्त सत्यम समिति ने दिनांक 14.1.99 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"विश्व में तापमान में बढ़ोत्तरी"

3132. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बदलती हुई जलवायु के विशेष संदर्भ सहित 'विश्व में तापमान में बढ़ोत्तरी' के सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन परिवर्तनों के प्रतिकूल परिणामों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्सम्बन्धी निष्कर्ष और ब्यौरा क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, इत्यादि जैसे विभिन्न राज्यों में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं और विश्व में तापमान में बढ़ोत्तरी के बीच आकस्मिक सम्बन्ध किस प्रकार के हैं; और

(घ) किस विश्व संगठन द्वारा यदि कोई अध्ययन किए गए हैं तो उनके परिणाम क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पिछले सौ वर्षों में एकत्रित किए गए आँकड़ों के आधार पर भारत की भूतलवायु तापमान की बदलती प्रवृत्तियों का भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किया गया है। तापमान में उतार-चढ़ाव की कोई निश्चित प्रवृत्ति का पता नहीं चला है।

(ग) मानव जनित विश्व तापमान वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं में सामयिक सम्बन्ध भली प्रकार से स्थापित नहीं हो सके।

(घ) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित संस्था जलवायु परिवर्तन पर अन्तर सरकारी पैनल, तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट को तैयार करने में लगी है। यह रिपोर्ट तकनीकी है और विज्ञान पर प्रकाशित साहित्य का वैज्ञानिक मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन तथा जलवायु परिवर्तन उपशमन के प्रभावों से संबन्धित है। रिपोर्ट अभी प्रकाशित की जानी है।

नागर विमानन विकास कोष

3133. श्री रामनायडू दग्गुबाटि : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बुनियादी ढाँचे के विकास और आवश्यक विमान सेवाओं को राजसहायता उपलब्ध कराने के लिए नागर विमानन विकास कोष सृजित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सी-डॉट द्वारा लाइन स्विच

3134. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी-डॉट का विचार 80,000 लाइन स्विच का विकास और आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके उद्देश्य और प्रयोजन सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये स्विच सेल्यूलर प्रौद्योगिकी के विस्तार के सामने पुराने और अप्रचलित हो गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी तकनीकी की पद्धति में निवेश के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है जो पूँजी लगाने की दृष्टि से अव्ययहार्य हो गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हाँ। सी-डॉट 80,000 लाइन स्विच विकसित कर रहा है। सी-डॉट उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा स्विच की सप्लाई की जाएगी।

(ख) इस विकास का उद्देश्य एक्सचेंज की उपभोक्ता क्षमता में वृद्धि करना है। इससे मूल्य, बिजली की खपत और जगह की आवश्यकता कम हो जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) तकनीकी धारणाओं का मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है। चूँकि प्रौद्योगिकी तेज गति से बदल रही है इसलिए मौजूदा सी-डॉट दूरसंचार उत्पादों का उन्नयन करने के लिए इन धारणाओं को अपनाया जाता है ताकि उत्पादों को अधिक कुशल और किफायती बनाया जा सके। सी-डॉट के बजट में ऐसे उन्नयनों की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन

3135. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क क्षेत्र हेतु नए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ तो, विचाराधीन/अन्तिम रूप दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजमार्ग परियोजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में भण्डारण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश प्रयोक्ताओं पर शुल्क लगाने, वसूलने और अपने पास रखने तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे राजमार्गों पर यातायात के विनियमन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को समर्थ बनाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में 1995 में संशोधन किए गए थे।

(ग) बीओटी राजमार्ग परियोजनाओं के अभिन्न भाग के रूप में गोदामों और अन्य सुविधाओं के विकास पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जा सकता है।

धनराशि का संवितरण

3136. श्री सदाशिवराव दादोबा मण्डलिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निवेशकों की राष्ट्रीय बचतों की परिपक्वता राशि का संवितरण करने के लिए डाकघरों में विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस धनराशि के संवितरण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) राष्ट्रीय बचत योजनाओं की परिपक्व राशि के भुगतान में यदा-कदा विलम्ब की घटना ध्यान में आई है।

(ख) इस सेवा में गुणात्मक सुधारों के लिए कार्यपद्धति की पुनरीक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। जब कभी आवश्यक होता है, उचित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

देश में एक्सप्रेस राजमार्ग/राजमार्ग

3137. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक्सप्रेस और राजमार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) उपरोक्त में से कितने एक्सप्रेस राजमार्ग और राजमार्ग राजस्थान से गुजरेंगे;

(घ) क्या राज्य के सभी घोषित राजमार्गों की सड़कों का निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो निर्माण की जाने वाली सड़कों का कि.मी. में ब्यौरा क्या है;

(च) यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) इस कार्य पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) गुजरात में अहमदाबाद से बड़ोदरा तक एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है तथा चौड़ा करके चार लेन और दो लेन बनाना, सड़कों का सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण जैसे अनेक सुधार कार्य 9वीं योजना अवधि के दौरान शुरू किए गए हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि के राज्यवार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राजस्थान में कोई एक्सप्रेस मार्ग नहीं है। राजस्थान से 12 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं।

(घ) से (छ) राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने से पहले सड़कों का विकास और रख-रखाव राज्यीय सड़कों के विनिर्देशों के अनुसार संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा के बाद सड़कों का विकास सड़क की स्थिति, यातायात आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि का आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राज्यमार्ग वार।

विवरण-I

1997-98 के दौरान

(लाख रु.)

क्र.सं.	संघ/राज्य क्षेत्र का नाम	एनएच (ओ)	ई.ए.पी.	पी.बी.एफ.एफ.
1.	आन्ध्र प्रदेश	2949.83	2420.00	567.36
2.	असम	1821.00	0.00	39.80
3.	बिहार	1900.00	52.00	0.00
4.	चंडीगढ़	30.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	800.00	0.00	0.00
6.	गोवा	900.00	0.00	71.56
7.	गुजरात	3675.00	0.00	647.42
8.	हरियाणा	1100.00	8940.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1700.00	0.00	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	150.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	2900.00	1200.00	136.78
12.	केरल	3600.00	4160.00	282.48
13.	मध्य प्रदेश	1700.00	2300.00	657.06
14.	महाराष्ट्र	2900.00	4350.00	812.43
15.	मणिपुर	700.00	0.00	2.19
16.	मेघालय	920.00	0.00	59.50
17.	नागालैण्ड	100.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	2600.00	3650.00	225.20
19.	पाण्डिचेरी	70.00	0.00	0.00
20.	पंजाब	1300.00	3900.00	178.88
21.	राजस्थान	2550.00	1270.00	495.83
22.	तमिलनाडु	2500.00	0.00	67.92
23.	उत्तर प्रदेश	4608.00	7330.00	597.27
24.	पश्चिम बंगाल	5375.00	1960.00	0.00
25.	जोगीघोपा पुल	1244.00	0.00	0.00
26.	मंत्रालय	0.17	7298.00	0.00
27.	बीआरडीवी	7031.00	0.00	0.00
28.	एनएचएआई	0.00	20000.00	0.00
29.	अन्य संस्थान	0.00	0.00	0.00
	जोड़	**55124.00**	**68830.00**	**4861.68**

एनएच (ओ)–राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य

ईएपी– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

पीबीएफएफ–स्थाई पुल शुल्क निधि

नोट: उपर्युक्त के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 2900 लाख रु. प्रदान किए गए।

1998-99 के दौरान

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एन.एच. (ओ)	ईएपी	पीबीएफएफ
1.	आन्ध्र पदेश	4509.00	24.00	355.82
2.	असम	2600.00	0.00	61.10
3.	बिहार	3405.31	0.00	12.04
4.	चण्डीगढ़	82.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	1400.00	0.00	0.00
6.	गोवा	1100.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	5346.96	0.00	1281.58
8.	हरियाणा	2613.50	4975.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2500.00	0.00	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	100.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	3500.00	0.00	209.01
12.	केरल	6744.46	0.00	335.70
13.	मध्य प्रदेश	2200.00	5423.00	624.73
14.	महाराष्ट्र	4811.63	6000.00	571.00
15.	मणिपुर	700.00	0.00	0.30
16.	मेघालय	1000.00	0.00	60.50
17.	नागालैण्ड	200.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	4000.00	5500.00	226.42
19.	पाण्डिचेरी	100.81	0.00	0.00
20.	पंजाब	2500.65	4569.00	79.23
21.	राजस्थान	3450.00	550.00	605.81
22.	तमिलनाडु	3624.75		296.62
23.	उत्तर प्रदेश	7078.14	4850.00	721.21
24.	पश्चिम बंगाल	7150.94	3000.00	0.00
25.	मंत्रालय	3.86	880.00	0.00
26.	बीआरडीबी	8500.00		0.00
27.	एनएचएआई	0.00	16317.00	0.00
	जोड़	**79213.01**	**52088.00**	**5441.47**

एनएच (ओ)–राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य

ईएपी – विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

एसआरपी–विशेष मरम्मत कार्यक्रम

नोटः उपर्युक्त के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्गों के लिए 10100 लाख रु. प्रदान किए गए।

1999-2000 के दौरान

(लाख रु.)

क्र.सं.	संघ/राज्य क्षेत्र का नाम	एन एच(ओ)	ईएपी	पीबीएफएफ	
1.	आन्ध्र प्रदेश	5045.00	3457.00	50.00	612.87
2.	असम	4186.83	2000.00	0.00	52.49
3.	बिहार	6000.00	6100.00	0.00	117.52
4.	चण्डीगढ़	100.00	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	700.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	1700.02	600.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	7307.17	1502.00	0.00	1544.73
8.	हरियाणा	4200.00	400.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4000.00	400.00	0.00	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	100.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	4600.08	4524.00	1224.00	289.76
12.	केरल	10468.12	1250.00	2100.00	268.9.
13.	मध्य प्रदेश	3226.75	1000.00	8810.00	298.05
14.	महाराष्ट्र	10354.31	3994.00	7000.00	453.77
15.	मणिपुर	1010.75	0.00	0.00	3.40
16.	मेघालय	1730.28	400.00	0.00	55.00
17.	मिजोरम	300.00	400.00	0.00	0.00
18.	नागालैण्ड	800.00	423.00	0.00	0.00
19.	उड़ीसा	3850.00	2016.00	5200.00	178.02
20.	पाण्डिचेरी	319.46	164.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	1819.56	400.00	3300.00	180.54
22.	राजस्थान	4550.30	4500.00	200.00	463.72
23.	तमिलनाडु	6500.00	8000.00	0.00	254.08
24.	त्रिपुरा	50.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	9155.35	4074.00	2865.00	627.10
26.	पश्चिम बंगाल	5138.02	2560.00	2680.00	0.00
27.	मंत्रालय	20.00		561.00	0.00
28.	बीआरडीबी	11230.00	93.72	0.00	0.00
29.	एनएचएआई	0.00	0.00	49160.00	0.00
30.	अन्य संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	**108462.00**	**48307.72**	**89950.00**	**5400.00**

एनएच (ओ)–राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य

एसआरपी–विशेष मरम्मत कार्यक्रम

ईएपी–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

पीबीएफएफ–स्थाई पुल शुल्क निधि

नोट : उपर्युक्त के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 119200 लाख रु. प्रदान किए गए।

2000-2001 के दौरान (फरवरी, 2001 तक)

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ शासित प्रदेश	रा.रा.(ओ.)	एस.आर.पी.	ई.ए.पी.पी.बी.एफ.एफ.	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9100.00	1718.75	50.00	1088.26
2.	असम	5800.00	1894.73	0.00	53.64
3.	बिहार	6727.00	2150.00	0.00	727.56
4.	चंडीगढ़	150.00	24.04	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1727.80	150.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	1200.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	2300.00	232.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	8810.00	312.79	0.00	1329.97
9.	हरियाणा	5800.00	409.90	8135.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	4700.00	839.68	0.00	0.00
11.	जम्मू एंड कश्मीर	150.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	2073.00	115.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	7800.00	1586.16	105.00	304.90
14.	केरल	10500.00	524.00	100.00	224.03
15.	मध्य प्रदेश	8272.20	3598.27	9000.00	217.11
16.	महाराष्ट्र	11800.00	230.00	7250.00	436.20
17.	मणिपुर	1250.00	0.00	0.00	1.31
18.	मेघालय	2000.00	318.12	0.00	58.34
19.	मिजोरम	1200.00	286.21	0.00	0.00
20.	नागालैंड	1500.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	7000.00	500.00	3400.00	95.89
22.	पांडिचेरी	200.00	102.10	0.00	0.00
23.	पंजाब	4800.00	395.62	1500.00	165.76
24.	राजस्थान	11000.00	691.85	50.00	368.71
25.	तमिलनाडु	10200.00	1329.84	0.00	142.21
26.	उत्तर प्रदेश	13484.65	736.08	1259.00	486.11
27.	उत्तरांचल	199.35	0.00	—	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	8800.00	1665.00	4800.00	0.00
29.	मंत्रालय	3000.00	0.00	1751.00	0.00
30.	एन.एच.ए.आई.	0.00	0.00	28114.00	0.00
	जोड़	151544.00	19810.14	65514.00	5700.00

रा.रा. (ओ)—राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य

ई.ए.पी.—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

एस.आर.पी.—विशेष मरम्मत कार्यक्रम

पी.बी.एफ.एफ.—स्थायी पुल शुल्क निधि

नोट : उपर्युक्त के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 180000/- लाख रु. प्रदान किए गए।

[अनुवाद]

नर्मदा बाँध

3138. श्री एस. अजय कुमार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा बाँध के निर्माण के कारण कुल कितना क्षेत्र जलमग्न हुआ;

(ख) इन क्षेत्रों से कितने व्यक्ति विस्थापित हुए; और

(ग) विस्थापित लोगों में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबन्धित हैं और प्रभावित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) नर्मदा बाँध (सरदार सरोवर बाँध) के निर्माण के दौरान जलमग्न होने वाली कुल भूमि लगभग 37,533 हैक्टेयर है। यह तीन राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली हुई है।

(ख) 138.68 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर पर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तीन राज्यों में लगभग 40,833 परिवार जलमग्नता और पश्चजल प्रभाव से प्रभावित होंगे।

(ग) सरदार सरोवर बाँध के जलमग्नता और पश्चजल प्रभाव के कारण प्रभावित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 8.45 और 49.61 है।

नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने अपने अन्तिम आदेश में भूमि और संपत्ति के अधिग्रहण तथा परियोजना प्रभावित परिवारों को उनकी पुनर्स्थापना और पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान करने सम्बन्धी विस्तृत निदेश दिए हैं। पुनर्स्थापना के बाद, परियोजना से प्रभावित परिवारों की आर्थिक दशा में सुधार लाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात पक्षकार राज्यों ने नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा निर्धारित पुनर्स्थापना और पुनर्वास पैकेज को और उदार बनाया है। गुजरात का संशोधित पैकेज जो देश में अब तक सर्वोत्तम पुनर्स्थापना और पुनर्वास पैकेजों में से एक है, में

अधिग्रहीत भूमि के बराबर भूमि देने की व्यवस्था है, बशर्ते कि प्रत्येक परिवार को कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि दी जाए। सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, सरकारी भूमि के कब्जेदारों आदि को भी 2 हेक्टेयर कृषि भूमि मुहैया कराई जा रही है। प्रत्येक बालिग (मेजर) पुत्र को आर. एंड आर. के पैकेज के लिए एक अलग परिवार माना गया है। प्रत्येक परिवार को 45,000 रुपए की लागत के कोर हाउस के साथ 500 वर्ग मीटर का रिहायशी प्लाट निशुल्क दिया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को भरण पोषण भत्ते सहित पुनर्स्थापना अनुदान, कृषि के लिए अनुदान, उत्पादक सम्पत्ति की खरीद, भवन निर्माण सामग्री तथा घरेलू वस्तुओं की ढुलाई तथा अन्य बीमा के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

पुनर्स्थापना स्थलों पर पहुँच सड़क, आन्तरिक सड़कों, प्राथमिक स्कूल भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत घर, बीज केन्द्र, बाल उद्यान, गाँव के तालाब, पेयजल कुँए, सामुदायिक भवनों, स्ट्रीट लाइट विद्युतीकरण, धार्मिक स्थलों, श्मशान भूमि आदि जैसी नागरिक और अन्य सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज

3139. **श्री बाबू भाई के. कटारा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषकर दाहोद में इस समय जिला-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिला-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ग) इन पर कितना खर्च किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार 2001-2002 के दौरान राज्य में कुछ और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने और वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो जिला-वार ये कौन-कौन से स्थान हैं;

(च) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(छ) क्या सरकार को इन टेलीफोन एक्सचेंजों में कर्मचारियों के दुर्व्यवहार, कार्य में विलम्ब और व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय गुजरात में 2552 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं। इनमें से 38 टेलीफोन एक्सचेंज दाहोद जिले में कार्यरत हैं। जिला-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सूचना, सैकेण्डरी स्विचन क्षेत्र-वार रखी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 250 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं। ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सर्किल में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए किया गया व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	किया गया व्यय
1997-98	*517.41*
1998-99	512.31
1999-2000	704.23

(घ) से (च) वर्ष 2001-2002 में और अधिक एक्सचेंज स्थापित करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपरोक्त भाग (छ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.सं.	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	56
2.	गान्धीनगर	86
3.	अमरेली	137
4.	भड़ूच	103
5.	नर्मदा	16
6.	भावनगर	123
7.	कच्छ	150
8.	पंचमहल (गोधरा)	83
9.	दाहोद	38
10.	साबरकांठा	152
11.	जामनगर	142
12.	जूनागढ़	176
13.	पोरबंदर	36
14.	दीव (संघ शासित क्षेत्र)	3
15.	खेड़ा (नडियाड)	116
16.	आनंद	85
17.	महसाना	188
18.	पाटन	84
19.	बानसकांठा	157
20.	राजकोट	140
21.	सूरत	106
22.	सुरेन्द्रनगर	123

1	2	3
23.	वडोदरा	130
24.	वलसाड	49
25.	नवसारी	58
26.	डांग	5
27.	दादरा और नगर हवेली (यूटी)	8
28.	दमन	2552

विवरण-II

स्थापित एक्सचेंजों का एसएसए-वार ब्यौरा

एसएसए का नाम	स्थापित एक्सचेंजों की संख्या		
	97-98	98-99	99-2000
एएम	07	02	04
एएमआर	03	06	04
बीसीएच	02	04	04
बी वी	05	01	02
बी जे	04	04	08
जीडीआर	02	03	05
एचएमआर	01	03	07
जेएमएन	00	00	02
जेएनडी	02	03	18
एनएडी	01	01	06
एमईएच	04	13	17
पीएनपी	07	11	16
आरजे	06	10	06
एसआर02	00	01	
एसईएन	04	06	10
वीएडी	06	04	06
वीएएल	01	01	05
जोड़	57	72	121

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र में कामगारों का शोषण

3140. श्री जे.एस. बराड़ : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का वर्षों से दैनिक मजदूरी पर कार्य करने के लिए शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अकुशल और अर्द्ध-कुशल कामगारों की सेवा को नियमित करके समय वेतनमान और अन्य लाभ देने के लिए कोई सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हाँ, तो इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या तन्त्र उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में निपटान के लिए लम्बित शिकायतों की संख्या कितनी है और इनके शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मकारों सहित समस्त कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक कानून अधिनियमित किए हैं। इनमें से कुछ कानून मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 हैं। तथापि, असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए कोई समन्वित कानून नहीं है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग से अपने विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संरक्षण का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने हेतु एक संरक्षणदायी विधान का सुझाव देने की आशा है। जब कभी असंगठित कर्मकारों के सम्बन्ध में मौजूदा कानूनों के उल्लंघन के मामले सरकार को प्राप्त होते हैं, उन पर संगत कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले अकुशल अथवा अर्द्धकुशल कर्मकारों की सेवाओं को समय-समय पर क्रमशः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेशों और श्रम मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल स्थाई आदेशों के अनुसार नियमित किया जाता है। राज्य सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकार के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत ऐसे कर्मकारों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इस सम्बन्ध में निपटान के लिए लम्बित शिकायतों सम्बन्धी जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

''रामसर स्थलों के रूप में नमभूमि स्थलों को घोषित करना''

3141. श्री एम.के. सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार 'रामसर' स्थलों के रूप में नामित कितने नमभूमि स्थल हैं;

(ख) ये स्थल कुल कितने क्षेत्र में हैं और ये कहाँ-कहाँ स्थित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार प्रत्येक 'रामसर' स्थल पर कुल कितना खर्च किया गया;

(घ) क्या सरकार ने विश्व नमभूमि दिवस के अवसर पर 'रामसर' स्थलों के रूप में 10 नए नमभूमि स्थलों का चयन किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त स्थलों के चयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(छ) 'रामसर' स्थल के रूप में घोषित किए जाने के पश्चात् किसी नमभूमि स्थल को क्या लाभ होंगे?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) आज तक छः नमभूमि स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है जिनका क्षेत्रफल 1,75,373 हैक्टेयर है और पिछले तीन वर्षों में 520.885 लाख रुपए की राशि इन रामसर साइट्स के संरक्षण हेतु दी गई है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

	नाम	राज्य	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	व्यय (लाख रुपए) 1998-99	1999-2000
1.	हरिके झील	पंजाब	4,200	-	13.00 50.00
2.	चिल्का झील	उड़ीसा	116,500	-	36.00 55.00
3.	वूलर झील	जम्मू-कश्मीर	2,400	45-865	- 30.00
4.	केओलादेव राष्ट्रीय पार्क	राजस्थान	2,873	20.00	-
5.	साम्भर झील	राजस्थान	23,400	-	36.26 -
6.	लोकटक झील	मणिपुर	26,000	67.48	97.28 70.00

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा 10 नमभूमियों को रामसर साइट्स में शामिल करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

	नमभूमि का नाम	राज्य
1.	टसो मुरारी	जम्मू और कश्मीर
2.	दीपर बील	असम
3.	काबर ताल	बिहार
4.	भीतर कणिका अभयारण्य	उड़ीसा
5.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—
6.	लाली अभयारण्य	अरूणाचल प्रदेश
7.	पोंग बाँध	हिमाचल प्रदेश
8.	पूर्वी कलकत्ता नमभूमि	पश्चिम बंगाल
9.	पांइट कैलीमर अभयारण्य	तमिलनाडु
10.	पुलीकट झील	तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश

(च) और (छ) उन नमभूमियों को अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का समझा जाता है जिनमें उपयुक्त जैव-भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर दुर्लभ या अद्वितीय प्राकृतिक या प्रकृति के समकक्ष नमभूमि पाई जाती है। नमभूमियों के चयन के लिए अपनाई गई पद्धति में अन्य बातों के साथ-साथ अद्वितीयतता, सुमेद्य और संकटापन्न प्रजातियों की विद्यमानता शामिल है जिन्हें जैव विविधता संरक्षण के लिए, वनस्पति जात एवं प्राणिजात का संरक्षण अपेक्षित है।

होने वाले लाभों में, नमभूमियों के उपयुक्त उपयोग पर दिशा-निर्देश तैयार करना; नमभूमियों की सुरक्षा, संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियाँ तैयार करना; रामसर ब्यूरो के माध्यम से नमभूमियों पर विशेषज्ञता परामर्श लेना; रामसर कनवेंशन की लघु अनुदान निधियों द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बाह्य सहायता वाली परियोजनाओं तथा विश्व पर्यावरण सुविधा से वित्तीय सहायता लेना शामिल है।

जलाशय विकास योजनाएँ

3142. श्री तिरूनावकरसू :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने जलाशय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार, वर्ष-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ निर्धारित धनराशि का पूरा उपयोग किन-किन राज्यों द्वारा नहीं किया जा सका; और

(घ) सरकार द्वारा इन योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हाँ। गत दो वर्षों के दौरान विश्व बैंक सहायता प्राप्त जल संसाधन विकास परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी योजना निधियों में से किया जाता है। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में, प्रारम्भ में व्यय राज्य सरकार द्वारा अपनी योजना निधियों में से किया जाता है। बाद में इसकी अदायगी विश्व बैंक द्वारा की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा निधियाँ परियोजना-वार निर्धारित नहीं कीं जाती हैं। परियोजनाओं के विभिन्न घटकों की प्रगति के लक्ष्य राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर विश्व बैंक समीक्षा मिशनों द्वारा तैयार किए जाते हैं। बाह्य सहायता का निर्धारित परियोजना अवधि के भीतर पूर्ण उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों परं दबाव डाला जाता है। उड़ीसा के अक्तूबर, 1999 के भीषण चक्रवात के कारण उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना के तहत उपलब्धि धीमी रही। पुनर्संरचना अवस्था में सितम्बर, 1998 में इस परियोजना का तमिलनाडु घटक निकाल दिया गया था क्योंकि इसमें पर्याप्त प्रगति नहीं हुई थी।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	1999-2000 के दौरान प्राप्त (मिलियन) अमेरिकी डालर)	2000-2001 प्रतिपूर्ति (दिसम्बर, 2000 तक)
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	32.942	13.551
2.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	उड़ीसा	28.670	14.732

1	2	3	4	5
3.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु	57.500	19.548
4.	बाँध सुरक्षा आश्वासन* और पुनर्वास परियोजना	मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और तमिलनाडु	16.881	–

*बाँध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना सितम्बर, 1999 में पूरी की गई।

उसी दिन वापसी सुविधा योजना

3143. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए उसी दिन वापसी सुविधा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत जोड़े गए शहरों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई, बंगलौर और हैदराबाद में प्रस्थान नियंत्रण को समाप्त करके इंडियन एयरलाइन्स ने वापसी चैक-इन सुविधा आरंभ कर दी। इस सुविधा से यात्री अब वापसी उड़ान के लिए चैक-इन प्राप्त करने में सक्षम होंगे यदि वापसी उड़ान उसी दिन की हो और चाहे यह वापस जाने वाली आगामी कैलेण्डर तारीख हो।

- यह सुविधा केवल छह बड़े शहरों अर्थात् मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चैन्नई, बंगलौर, हैदराबाद के बीच उपलब्ध है।
- वापसी की पुष्टिकृत आरक्षण धारी यात्री ही इस सुविधा के लिए पात्र हैं।
- बिना पंजीकृत सामान वाले यात्री ही इस सुविधा के लिए पात्र हैं।

''यमुना में प्रदूषण''

3144. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में अवैध पशुवध गृह प्रतिदिन यमुना नदी में पशुओं का हजारों लीटर खून बहा देते हैं और बड़ी मात्रा में जहरीली 'फ्लाई एश' यमुना नदी के भू-जल को भी प्रदूषित कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में बुरी तरह असफल रही हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) मास्टर प्लान दिल्ली 2001 के अनुसार पशुवधशालाओं/ बूचड़खानों को ग्रुप ''एच'' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है और इन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलाने की अनुमति नहीं है। पशुओं के अवैध वध को रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने यंत्र कुरेशिस फ्रंट बनाम भारत सरकार तथा अन्य शीर्षक से सिविल याचिका संख्या 2455/2000 में दिनांक 12.7.2000 के अपने आदेश में दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाए और पशुओं का अवैध वध न हो। नगर प्राधिकारियों से वैध लाइसेंस/अनुमति लिए बिना खुले स्थानों या घरों में पशुओं का वध करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है। वर्ष 2000 में दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली पुलिस की सहायता से 152 छापे मारे जिसमें 9 परिसर सील किए गए और 572 पशु शव नष्ट किए गए। वर्ष 2001 में अब तक उनके द्वारा 23 छापे मारे गए हैं जिसमें एक पशु शव नष्ट किया गया है।

(ग) और (घ) पशुओं के अवैध वध को रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने पशुओं के अवैध वध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को भी अवैध पशु वध रोकने के लिए कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करने वाली एजेंसियाँ ठोस तत्वों के विसर्जन की लगातार जाँच करती हैं और स्वाभाविक रूप से निकास प्रणाली में विसर्जित करने से पूर्व बहिस्रावों के सांविधिक पेरामीटरों को बनाए रखती है। इन एजेंसियों द्वारा छोड़े गए बहिस्राव की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा भी निगरानी की जाती है।

[हिन्दी]

कर्मचारियों को निःशुल्क टेलीफोन कनेक्शन

3145. श्री मनसूर अली खाँ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोएडा में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाने वाले निःशुल्क टेलीफोन कनेक्शन लम्बित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी हाँ। तकनीकी अव्यवहार्यता के कारण, नोएडा में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले कुल 5 टेलीफोन कनेक्शन लम्बित हैं। जिस क्षेत्र में टेलीफोन लगाए जाने हैं, जैसे ही वह क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो जाएगा, वहाँ ये कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएँगे।

[अनुवाद]

गुजरात में डाक मण्डल

3146. श्री जी.जे. जावीया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान गुजरात में स्थापित किए गए डाक मण्डलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसे और डाक मण्डल स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो स्थान-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गुजरात में 1990-2000 और 2000-2001 के दौरान कोई डाक डिवीजन स्थापित नहीं किया गया।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में डाकघर/उपडाकघर

3147. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के सभी जिलों में इस समय श्रेणी-वार कितने डाकघर/उप-डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) राज्य में कितने डाकघर/उप-डाकघर घाटे/लाभ में चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का राज्य में घाटे में चल रहे डाकघरों को बन्द करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) तमिलनाडु के जिलों में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों/उप-डाकघरों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है :–

उप-डाकघर–2764, अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर–219, अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर–9094.

(ख) से (घ) डाकघर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार प्रदान किए/बनाए रखे जाते हैं, जिनमें घाटे की एक निर्धारित सीमा की भी अनुमति दी जाती है।

राज्य में घाटे/लाभ में चल रहे डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है :–

	उप-डाकघर	ईडी उप-डाकघर	ईडी शाखा डाकघर
घाटे में	762	102	7999
लाभ में	2002	117	1095

[हिन्दी]

जोधपुर विमानपत्तन में वित्तीय हेराफेरी

3148. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राजस्थान में जोधपुर के विमानपत्तन अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय हेराफेरी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या कुछ अधिकारियों को उनके स्थानांतरण के एक वर्ष के पश्चात् भी कार्यमुक्त नहीं किया गया है जबकि इन अधिकारियों के विरुद्ध भी वित्तीय हेराफेरी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जोधपुर हवाई अड्डे के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 4 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से तीन शिकायतकर्त्ताओं का छद्म नाम था जिस पर किसी प्रकार की कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं थी। चौथी शिकायत के बारे में जाँच करने पर कोई आधार-सामग्री नहीं मिली। इसलिए शिकायत के आधार पर किसी अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया। यद्यपि, रूटिन स्थानान्तरण के दौरान, बच्चों की शिक्षा के निमित्त जोधपुर हवाई अड्डे पर तैनात एक अधिकारी का स्थानान्तरण दिनांक 31.03.2001 तक स्थगित रखा गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मिट्टी की खानों में दुर्घटनाएँ

3149. श्री के.पी. सिंह देव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर के राधाकृष्ण नगर ग्राम में एक मिट्टी की खान में हाल ही में पाँच महिलाओं की मृत्यु हो जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सुरक्षोपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षण अधिकारी द्वारा की गई जाँच-पड़ताल से पता चला कि यह दुर्घटना ग्रामीणों द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए मिट्टी निकालने के लिए की गई खुदाई से हुई है। चूँकि यह खान दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आता, अतः सुरक्षा उपाय कराने की सम्भावना ही पैदा नहीं होती।

कोयला खानों में सुरक्षा

3150. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री सनत कुमार मण्डल :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कोयला खानों में सुरक्षा के सम्बन्ध में एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने विकसित देशों में कोयला खान विनियमों का कोई आकलन कराया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विभिन्न देशों में अपनाए जा रहे आधुनिकतम कोयला खनन तकनीक और सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भू-जल

3151. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक राज्यों में औद्योगिक इकाइयों से क्रोमियम, लोहा, कॉपर तथा जिंक के रिसाव के कारण भू-जल पीने के लायक नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त धातुओं को हटाने तथा राज्यों में सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) उन राज्यों और स्थानों के नाम जहाँ पर भूमि जल दूषित पाया गया है और उनके कारण संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) पेय जल आपूर्ति के प्रावधान करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण लोगों को सुरक्षित पेयजल के प्रावधान करने और गम्भीर भूमि जल गुणवत्ता समस्याओं जैसे—फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, नाइट्रेट और खारापन की समस्या वाले क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन, राज्यों और उप-मिशनों को सहायता और दिशा-निर्देश दे रहा है। ऐसे गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ पर भूमि जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, वहां स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति या तो वैकल्पिक स्रोतों, सतही जल को उपयोग में लाकर अथवा जल को फ्लोराइड रहित करने, लौह रहित करने और आर्सेनिक रहित करने जैसे सुधारात्मक उपायों को शुरू करके की जाती है। इसके अतिरिक्त, भूमि जल प्रदूषण की समस्या को कम करने वाले उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) केन्द्र सरकार ने भूमि जल प्रबन्धन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन किया है।

(ii) जल मितव्ययिता, कुशल उपयोग, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता के महत्त्व पर जन जागरूकता और शिक्षा-कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(iii) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने अनेक उपाय जैसे—राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उद्योगों को निर्धारित मानकों के अनुसार औद्योगिक कचरे को बहाने तथा साझा जल निस्सरण उपचार संयंत्र लगाने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने सम्बन्धी स्कीम शुरू करने तथा गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों गुणवत्ता मानीटरी स्कीम शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं।

विवरण

विभिन्न दूषित तत्त्वों के कारण जिलों के कुछ क्षेत्रों में दूषित भूमि जल का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	लवणता	लोहा	फ्लोराइड	नाइट्रेड	आर्सेनिक	भारी धातु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	गोदावरी पूर्व गोदावरी पश्चिम, कृष्णा, गुन्टूर, प्रकासम		प्रकासम, नेल्लोर, अनंतपुर, नलगोण्डा, रंगारेड्डी, आदिलाबाद	विशाखापत्तनम, गोदावरी पूर्व, कृष्णा, प्रकासम, नेल्लोर, चित्तूर, अनंतपुर, कडप्पा, कुर्नूल, महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेडक, अदिलाबाद, नलगोण्डा, खम्माम		अनंतपुर, महबूबनगर, प्रकासम, विशाखापत्तनम, कडप्पा, नलगोण्डा
2.	असम		ब्रह्मपुत्र का उत्तरी किनारा				डिगबोई

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	बेगुसराय	चम्पारन, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर, देवघर, मधुबनी, पटना, पलामू, नालन्दा, नवादा, बांका	गिरीडीह, जमुई, धनबाद	पलामू, गया, पटना, नालन्दा, नवादा, भागलपुर, साहेबगंज, बांका		धनबाद, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय
4.	गुजरात	बनासकांठा, जूनागढ़, भड़ौच, सूरत, मेहसाणा, अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, खेडा, जामनगर		कच्छ, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, अहमदाबाद, मेहसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल, खेडा			
5.	हरियाणा	सोनीपत, रोहतक, हिसार, जीन्द, सिरसा, फरीदाबाद, गुड़गाँव, भिवानी, महेन्द्रगढ़		रोहतक, जीन्द, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद	अम्बाला, सोनीपत, जींद गुड़गाँव, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, करनाला, कुरूक्षेत्र, रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़		फरीदाबाद
6.	हिमाचल प्रदेश				कुल्लू, सोलन, ऊना		परवानू, कलम्ब
7.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, रायचूर, बेल्लारी, धारवाड़		तुमकुर, कोलार, बंगलौर, गुलबर्गा, बेल्लारी, रायचूर			भद्रावती
8.	केरल	एर्नाकुलम, त्रिचूर, अलेप्पी		पालघाट			
9.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, झाबुआ, खरगाँव, धार, शिवपुरी, शाजापुर, गुना, मन्दसौर, उज्जैन		भिण्ड, मुरैना, गुना, झाबुआ, छिन्दवाड़ा, सीवनी, मण्डला, रायपुर, विदिशा	सीहोर		बस्तर, कोरबा, रतलाम, नागदा
10.	महाराष्ट्र	अमरावती, अकोला		भण्डारा, चन्द्रपुर, नान्देड़, औरंगाबाद	ठाणे, जालना, बीड, नान्देड़, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सतारा, सांग्ली, कोल्हापुर, धुले, जलगाँव, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, बुल्धाना, अमरावती, अकोला, नागपुर, वर्धा, भण्डारा, चन्द्रपुर, गडचिरोली		
11.	उड़ीसा	कटक, बालेश्वर, पुरी	उड़ीसा के तटवर्ती भाग	बोलंगीर			अंगुल, तालचेर
12.	पंजाब	भटिण्डा, संगरूर, फरीदकोट, फिरोजपुर		लुधियाना, फरीदकोट, भटिण्डा, संगरूर, जालन्धर, अमृतसर	पटियाला, फरीदकोट, फिरोजपुर, संगरूर, भटिण्डा		लुधियाना, मण्डी गोबिन्दगढ़

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	राजस्थान	भरतपुर, जयपुर, नागपुर, बालोर, सिरोही, जोधपुर	बीकानेर, अलवर, डूंगरपुर	बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जालोर, नागौर, पाली, सिरोही	जयपुर, चुरू, गंगानगर, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, बूँदी, सवाई माधोपुर		पाली, उदयपुर, खेतड़ी
14.	तमिलनाडु	कराइकल, पाण्डिचेरी, नागपट्टनम, कायदे-मिलेत, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, आर्काट उत्तर, अम्बेडकर, धरमपुरी, सलेम, त्रिची, कोयम्बटूर		धरमपुरी, सलेम, आर्काट उत्तर, अम्बेडकर, विल्लीपुरम, पदयाचिम, मुथुरमलिंगम, तिरूचिरापल्ली, पुदुकोट्टई	कोयम्बटूर, पेरियार, सलेम		मनाली, आर्काट उत्तर
15.	त्रिपुरा		धरमनगर, कौलेशहर, खोवई, अम्बासा, अमापुर और अगरतला घाटी के भाग				
16.	उत्तर प्रदेश	आगरा, मथुरा, मैनपुरी, बाँदा		बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, उन्नाव, रायबरेली	उरई, झाँसी, ललितपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया		सिंगरौली बस्ती, कानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़
17.	पश्चिम बंगाल		मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, बांकुरा	बीरभूम	उत्तर दिनाजपुर, हल्दा, बीरभूम, नदिंया, मिदनापुर, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, पुरूलिया	मालदा, दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली, मुर्शिदाबाद, बर्धमान, हावड़ा	दुर्गापुर, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, नादिया
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्र दिल्ली			शाहदरा शहर और महरौली ब्लाक		अलीपुर, कंझावला, नजफगढ़, महरौली शहर और शाहदरा ब्लाक	

[अनुवाद]

रोजगार दिलाने वाली नकली फर्में

3152. डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार रोजगार दिलाने वाली नकली फर्मों द्वारा धोखाधड़ी किये जाने के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार इनमें से कितने मामलों को न्यायालयों में अभियोजित किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार, राज्य-वार कितने मामलों में न्यायालयों में दोष सिद्ध हुए;

(घ) क्या ऐसी कई फर्में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में कार्य कर रही हैं और युवाओं का जीवन बर्बाद कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए निवारणात्मक कदमों पर विचार किया जा रहा है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 भर्ती करने के लिए अप्राधिकृत विभिन्न भर्ती एजेन्टों/व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों यथा वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान चलाए अभियोजनों की राज्य संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की संस्वीकृति के पश्चात् अपेक्षित कार्रवाई संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जानी होती है और इनके परिणामों की सूचना मंत्रालय को नहीं दी जाती है।

(ङ) ऐसे गैर-पंजीकृत एजेन्टों जो उत्प्रवासियों को धोखा देने में लगे हैं, के क्रियाकलापों को रोकने के उद्देश्य से, विभिन्न राज्य सरकारों को ऐसी एजेन्सियों के क्रियाकलापों पर सख्त नजर रखने और दोषी पाये जाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन स्तर तक अनुदेश जारी करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जब भी कभी ऐसा मामला केन्द्र सरकार की जानकारी में लाया जाता है, उसे समुचित कार्रवाई के लिए पुलिस प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाता है।

विवरण

1998-2000 के दौरान गैर-पंजीकृत एजेन्टों/व्यक्तियों के खिलाफ वर्ष-वार, राज्य-वार शिकायतों की संख्या

राज्य का नाम	1998		1999		2000	
	शिकायतों की संख्या	अभियोजन	शिकायतों की संख्या	अभियोजन	शिकायतों की संख्या	अभियोजन
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	01	—	02	—	02	—
2. असम	—	—	01	—	—	—
3. बिहार	—	—	—	—	01	—
4. दिल्ली	15	02	21	—	17	01
5. गोवा	01	01	—	—	01	01
6. हरियाणा	—	—	01	—	02	—
7. गुजरात	—	—	—	—	02	—
8. कर्नाटक	01	—	01	—	—	—
9. केरल	09	03	18	01	11	02
10. महाराष्ट्र	18	01	32	07	29	04
11. पंजाब	04	—	04	—	07	—
12. राजस्थान	03	03	07	01	03	01
13. तमिलनाडु	03	03	11	04	07	01
14. उत्तर प्रदेश	01	—	—	—	02	—
15. प. बंगाल	—	—	03	—	—	—
कुल	58	13	101	13	84	10

खाड़ी देशों के लिए भर्ती

3153. श्री ए. नरेन्द्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान आज तक खाड़ी देशों में रोजगार हेतु कितने भारतीयों की भर्ती की गई;

(ख) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि संविदा में तय की गठ कार्य की स्थितियों यथा—वेतन, भत्ते और कार्य के घंटों से नियोजकों द्वारा कर्मचारियों को वंचित रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 (28 फरवरी, 2001 तक) के दौरान खाड़ी देशों में रोजगार के लिए भर्ती किए गए भारतीय श्रमिकों की संख्या निम्न अनुसार है :

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
1999	208001
2000	202645
2001	33296

(ख) से (घ) सेवा शर्तों से संबंधित छुट-पुट शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो वेतन, भत्तों का भुगतान और कार्य के घंटे, आदि से संबंधित हैं। जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो भारतीय मिशन/स्थानीय भर्ती एजेंटों से पीड़ित श्रमिक के विवाद को संबंधित सरकार/प्रायोज की मदद से निपटाने के लिए अनुरोध किया जाता है/निदेश दिए जाते हैं। भर्ती एजेंटों द्वारा निर्देशों का पालन न किए जाने पर उनके पंजीकृत प्रमाण-पत्र को रद्द/निलम्बित करने की कार्रवाई की जाती है। नियोजन संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विदेशी प्रायोजकों को पूर्व अनुमोदन श्रेणी में डाल दिया जाता है। जब कभी कोई कर्मकार भारतीय मिशन में सहायता के लिए आते हैं तो उनको सभी संभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

[हिन्दी]

सिंधु जल संधि में राजस्थान का हिस्सा

3154. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने सतलुज और रावी नदियों के जल की हिस्सेदारी के संबंध में सिंधु जल संधि और समझौते के अनुसार अपने हिस्से की दावेदारी प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच सिन्धु जल सन्धि, 1960 के तहत भारत को दिए गये रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के जल में से राजस्थान का हिस्सा रावी-व्यास जल में 31.12.1981 के समझौते में तथा सतलुज जल में उसका हिस्सा भाखड़ा-नांगल समझौता, 1959 में निर्धारित किया गया है। राजस्थान ने रावी-ब्यास जल का 0.6 मि.ए. फुट का अपना हिस्सा लौटाने का दावा किया है जो उक्त 1981 के समझौते के अनुसार पंजाब को तब तक अस्थायी रूप से उपलब्ध कराया गया था जब तक कि राजस्थान अपना पूर्ण हिस्सा उपयोग करने की स्थिति में नहीं हो जाता। रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के उपलब्ध जल में राजस्थान के हिस्से के अनुरूप निर्मुक्तियां भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन मण्डल द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व है।

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का सुचारू रूप से कार्य नहीं करना

3155. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के सुचारू रूप से कार्य न करने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल रोगियों की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन अस्पतालों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाएं बहुत घटिया और असंतोषजनक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) देश में कुछ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में चिकित्सा एवं परा-चिकित्सा स्टाफ की कमी, दवाइयों, मरहमपट्टी संबंधी सामग्री, उपस्करों आदि की कमी के बारे में छुट-पुट शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख के प्रशासन का उत्तरदायित्व, दिल्ली और नोएडा को छोड़कर जहां इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा स्वयं ही प्रशासित किया जा रहा है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में स्टाफ व्यवस्था और उपकरणों के लिए मानदंड/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक कार्य-योजना तैयार की है और उसे कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के लिए भेज दिया है। कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अस्पतालों में आधुनिक उपकरण पद्धति का प्रावधान, औषधालयों में बुनियादी उपकरण की उपलब्धता, क्षेत्रीय अभिज्ञात केन्द्रों की स्थापना, श्रेष्ठ स्तर की विशेषज्ञता सेवाओं, ब्लड बैंकों, कैंसर इलाज केन्द्रों की स्थापना, स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली के विकास, ख्याति प्राप्त चिकित्सा संस्थानों के साथ अनुबंध व्यवस्थाओं के विकास के प्रावधान शामिल हैं।

[हिन्दी]

भविष्य निधि जमा न करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही

3156. डा. चरणदास महंत :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को समय पर उनकी भविष्य निधि, ई.एस.आई., उपदान, बोनस आदि का भुगतान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को उनके हितों की रक्षा के लिए बिना देरी के राशि जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) ऐसे मामले हैं जिनके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम अपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा आदि से संबंधित सांविधिक उत्तरदायित्वों का वहन करने में असफल रहे हैं।

(ख) और (ग) चूककर्ता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से देय राशियों की वसूली के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा क.रा.बी. अधिनियम एवं क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अधीन यथा निर्धारित आवश्यक कानूनी एवं दांडिक कार्रवाई पहले से ही की जा रही है। जहां तक उपदान और बीमा का संबंध है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों सहित वे संबंधित अधिनियमों के तहत यथा निर्धारित समुचित प्राधिकारी के समक्ष अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

तम्बाकू के विज्ञापन पर प्रतिबंध

3157. श्री धर्मराज सिंह पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध लगने के पश्चात् इस क्षेत्र में लगे कितने कर्मचारियों के बेरोजगार होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने उनके परिवार के सदस्यों को आजीविका प्रदान करने की कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन तथा खपत पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव केवल तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन और उनकी नाबालिगों तथा केवल विशिष्ट परिसरों के समीप बिक्री एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करने से संबंधित है।

सकार्मिक पट्टे सौदे के संबंध में सीबीआई जांच

3158. श्री बब्बन राजभर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकार्मिक पट्टे सौदे से संबद्ध एअर इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) जांच में दोषी पाये गए एयर इंडिया के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी नहीं। मामले को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिक्का डायल सुविधा वाले पीसीओ

3159. श्री राजनारायण पासी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने सार्वजनिक टेलीफोन उपकरण सिक्का डायल सुविधा सहित कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सुविधा को समाप्त कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का उक्त सुविधा को पुनः चालू करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

कामगारों और कर्मचारियों में कमी

3160. श्री विकास चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में चल रहे कारखानों तथा खान स्थापनाओं में वर्ष 1991-1992 तथा 1999-2000 के बीच कुल कितने कामगार तथा कर्मचारी कार्य कर रहे थे;

(ख) क्या कामगारों तथा कर्मचारियों की संख्या में कमी की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कामगारों तथा कर्मचारियों की संख्या में ऐसी गिरावट को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार कामगारों तथा कर्मचारियों की संख्या को कम करने का अनुमोदन करती है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के माध्यम से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1991 एवं 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार संगठित विनिर्माण एवं अनुरक्षण उद्यमों एवं खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के संगठित प्रतिष्ठानों में रोजगार क्रमशः 74.33 लाख एवं 77.60 लाख था।

(ख) से (च) प्रश्न हीं नहीं उठता।

भविष्य निधि कोड के आबंटन में अनियमितताएं

3161. श्री अबुल हसनत खां : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बीड़ी उद्योग में मूल नियोक्ताओं के स्थान पर ठेकेदारों को भविष्य निधि कोड नम्बर आबंटित करने के कारण होने वाली भारी अनियमितताओं/समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समस्या को हल करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वनरोपण कार्यक्रमों की निगरानी

3162. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वनरोपण के लिए वर्ष-वार कुल कितनी राशि दी गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र शामिल किया गया;

(ग) क्या वनरोपण की प्रगति की किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा निगरानी की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त एजेंसी की रिपोर्ट क्या है; और

(ङ) उक्त एजेंसी की रिपोर्ट/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वनीकरण हेतु राजस्थान को दी गई कुल वित्तीय सहायता और उनके अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र नीचे दिया गया है :

वर्ष	जारी धनराशि (लाख रुपये)	वास्तविक उपलब्धि (हैक्टेयर क्षेत्र)
1997-98	643.36	5000
1998-99	663.05	8100
1999-2000	684.84	8070

(ग) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड द्वारा देश के चुनिन्दा जिलों में विभिन्न अभिकरणों और विशेषज्ञों के माध्यम से वृक्षरोपण गतिविधियों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। इन अध्ययनों से पता चला है कि राजस्थान में हालांकि अवस्थिति-वार और प्रजाति-वार विभिन्नता है, फिर भी समग्र उत्तरजीविता दर 42.96% से 95.30% के बीच है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे पौद-पादपों की उच्चतर उत्तरजीविता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

खराब पी.सी.ओ.

3163. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सभी शाखा डाकघरों के पीसीओ खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये कब से खराब पड़े हैं; और

(ग) उन्हें कार्य करने के योग्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शाखा डाकघरों में संस्थापित किए गए 112 पीसीओ में से 78 पीसीओ खराब पड़े हैं।

(ख) फिजिकल लाइनों में खराबी और अतिरिक्त पुर्जों (स्पेयरर्स) की अनुपलब्धता के कारण ये पीसीओ खराब पड़े हुए हैं। दोष संबंधी ब्यौरे निम्नवत हैं :

	6 माह से कम	6 से 12 माह	12 माह से अधिक	कुल दोषयुक्त पीसीओ
दोषयुक्त पीसीओ की संख्या	2	5	71	78

(ग) इन पीसीओ को चालू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) एक्सचेंज क्षेत्र से 5 कि.मी. के भीतर के पीसीओ के लिए भूमिगत केबल बिछाना।

(ii) ओवर हेड लाइनों को डब्ल्यूएलएल कनेक्शन से प्रतिस्थापित करना।

[अनुवाद]

"पर्यावरण और वन क्षेत्र के लिये आबंटन"

3164. श्री सुबोध मोहिते : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य तथा केन्द्र सरकार के कुल योजना परिव्यय का लगभग एक प्रतिशत पर्यावरण और वन क्षेत्र को आबंटित किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इसका कितना उप ग हुआ; और

(ग) आवंटन बढ़ाने तथा निधि के बेहतर उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री . गार. बालू) : (क) राज्य और केन्द्र सरकार के कुल योजना परिव्यय का ल भग 4 प्रतिशत पर्यावरण और वानिकी सेक्टर के लिए आबंटित किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वनों के लिए अनुमोदित परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों को योजना परिव्यय का उपयुक्त और पूरी तरह उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है।

विवरण

(लाख रुपए)

राज्य	पर्यावरण पवं वानिकी के लिए अनुमोदित परिव्यय		
	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	6481.00	9600.00	11058.00
अरूणाचल प्रदेश	1728.00	11084.00	1663.00
असम	2068.00	3353.00	3353.00
बिहार	2015.00	2000.00	1200.00
गोवा	221.00	220.00	240.00
गुजरात	15040.00	17400.00	20000.00
हरियाणा	3526.00	5004.00	4030.00
हिमाचल प्रदेश	5550.00	8033.00	8711.00
जम्मू व कश्मीर	4027.00	5616.00	4860.00
कर्नाटक	1412.00	9475.00	13435.00
केरल	2700.00	4400.00	6900.00
मध्य प्रदेश	12974.00	12107.00	14289.00
महाराष्ट्र	10008.00	8591.00	13168.00
मणिपुर	535.00	450.00	460.00
मेघालय	750.00	800.00	800.00
मिजोरम	620.00	882.00	520.00
नागालैण्ड	522.00	364.00	54.00
उड़ीसा	2030.00	2356.00	2977.00
पंजाब	806.00	5383.00	6866.00
राजस्थान	9421.00	11868.00	16435.00
सिक्किम	425.00	485.00	550.00
तमिलनाडु	9487.00	12528.00	12118.00
त्रिपुरा	446.00	398.00	341.00
उत्तर प्रदेश	10840.00	13040.00	13201.00
पश्चिम बंगाल	3595.00	4511.00	4409.00
केन्द्र शासित राज्य			
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	800.00	972.00	1100.00
चण्डीगढ़	80.00	210.75	331.00
दादर व नगर हवेली	259.75	229.10	211.00
दमन व दीव	37.00	38.00	24.00
दिल्ली	302.00	500.00	1000.00
लक्षद्वीप	0.00	36.00	23.00
पाण्डिचेरी	108.00	108.00	108.00

[हिन्दी]

देश में वनरोपण

3165. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री राम टहल चौधरी :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री भालचन्द्र यादव :
श्री पी.डी. एलानगोवन :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के प्रत्येक राज्य में तेजी से घटते हुए वन क्षेत्र तथा समग्र वनाच्छादन को बढ़ाने के लिए काई व्यापक कार्यक्रम है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में प्रत्येक राज्य में कुल क्षेत्र के अनुपात में किस सीमा तक वनाच्छादन है;

(घ) क्या पिछले पाँच वर्षों से वनाच्छादन में कमी आ रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) प्रत्येक राज्य में कितने पेड़ लगाए गए तथा उक्त अवधि के दौरान उन पर कितना खर्च हुआ;

(छ) वन रोपण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और केन्द्र तथा राज्यों दोनों द्वारा विदेशी सहायता सहित/रहित कितना हवाई बीजारोपण लागू किया गया तथा उन पर कुल कितना खर्च किया गया और उक्त अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में राज्य-वार क्या उपलब्धि रही;

(ज) अगले वर्ष हेतु इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा उनकी राज्य-वार अनुमानित लागत कितनी है; और

(झ) देश में विद्यमान वनाच्छादन, वन रोपण तथा वन संरक्षण के लिए क्या नवीनतम उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हाँ। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश के वानिकी क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर राष्ट्रीय वन नीति, 1998 के अनुरूप ध्यान केन्द्रित करने के प्रयोजन से अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए एक व्यापक एवं दीर्घावधिक कार्य योजना अर्थात् राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की है। इस राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य देश के एक-तिहाई भौगोलिक क्षेत्र को वन/वृक्ष आवरण के अन्तर्गत लाने तथा वनों के सतत विकास के लिए वनों की कटाई को रोकना है। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा तैयार राज्य वानिकी कार्य योजनाओं का एक संकलन है।

(ख) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के पाँच घटक हैं। वे हैं :–

मौजूदा वन संसाधनों की सुरक्षा करना, वनोत्पादकता में सुधार करना, कुल माँग में कमी करना, नीतिगत और संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ बनाना तथा वन क्षेत्र का विस्तार करना।

राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगले 20 वर्षों में देश के एक-तिहाई क्षेत्र को वृक्ष/वनावरण के अन्तर्गत लाने के लिए 133903 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

(ग) प्रत्येक राज्य में उनके कुल क्षेत्र के अनुपात में वनावरण के विस्तार के बारे में ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं। हालांकि वनावरण 1995 में 638,879 वर्ग कि.मी. क्षेत्र से घटकर 1997 में 633,397 वर्ग कि.मी. रह गया है, तथापि भारतीय वन सर्वेक्षण की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 1999 में वनावरण बढ़कर 637,293 वर्ग कि.मी. हो गया है।

(ङ) 1995 से प्रत्येक राज्य के वनावरण के बारे में ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(च) से (झ) वृक्षारोपण/वनीकरण गतिविधियों की 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं. 16 के अन्तर्गत मानीटरी की जाती है। वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए राज्य-वार/वर्ष-वार वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। 1997-98 और 2000-01 के लिए वनीकरण और वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है। आठवीं योजना अवधि के दौरान वनीकरण के लिए निर्धारित निधियों और वास्तविक रूप में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण-V में दिया गया है। नौवीं योजना अवधि के लिए आँकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई हवाई बीज रोपण कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

विवरण-I

(वर्ग कि.मी.)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	वनावरण
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	275,068	44,229
अरूणाचल प्रदेश	83,743	68,847
असम	78,438	23,688
बिहार	173,877	26,474
गोवा	3,702	1,251
गुजरात	196,024	12,965
हरियाणा	44,212	964
हिमाचल प्रदेश	55,673	13,082
जम्मू व कश्मीर	222,235	20,441
कर्नाटक	191,791	32,467
केरल	38,863	10,323
मध्य प्रदेश	443,446	131,830
महाराष्ट्र	307,690	46,672
मणिपुर	22,327	17,384
मेघालय	22,429	15,633
मिजोरम	21,081	18,338
नागालैण्ड	16,579	14,164
उड़ीसा	155,707	47,033
पंजाब	50,362	1,412

1	2	3
राजस्थान	342,239	13,871
सिक्किम	7,096	3,118
तमिलनाडु	130,058	17,078
त्रिपुरा	10,486	5,745
उत्तर प्रदेश	294,411	34,016
पश्चिम बंगाल	88,752	8,362
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8,249	7,606
चण्डीगढ़	114	7
दादर और नगर हवेली	491	202
दमन एवं दीव	112	3
दिल्ली	1,483	88
लक्षद्वीप	32	0
पाण्डिचेरी	493	0
कुल	**3,287,263**	**637,293**

विवरण-II

(वर्ग कि.मी.)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1995	1997	1999
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	47,112	43,290	44,229
अरूणाचल प्रदेश	68,621	68,602	68,847
असम	24,061	23,824	23,688
बिहार	26,561	26,524	26,474
दिल्ली	26	26	88
गोवा	1,250	1,252	1,251
गुजरात	12,320	12,578	12,965
हरियाणा	603	604	964
हिमाचल प्रदेश	12,501	12,521	13,082
जम्मू व कश्मीर	20,433	20,440	20,441
कर्नाटक	32,382	32,403	32,467
केरल	10,336	10,334	10,323
मध्य प्रदेश	135,164	131,195	131,830
महाराष्ट्र	43,843	46,143	46,672
मणिपुर	17,558	17,418	17,384
मेघालय	15,714	15,657	15,633
मिजोरम	18,576	18,775	18,338
नागालैण्ड	14,291	14,221	14,164
उड़ीसा	47,107	46,941	47,033
पंजाब	1,342	1,387	1,412
राजस्थान	13,280	13,353	13,871
सिक्किम	3,127	3,129	3,118
तमिलनाडु	17,045	17,064	17,078
त्रिपुरा	5,538	5,546	5,745
उत्तर प्रदेश	33,986	33,994	34,016
पश्चिम बंगाल	8,276	8,349	8,362
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7,615	7,613	7,606
चण्डीगढ़	7	7	7
दादर और नगर हवेली	204	204	202
दमन एवं दीव	-	3	3
लक्षद्वीप	-	-	0
पाण्डिचेरी	-	-	0
कुल जोड़	**638,879**	**633,397**	**637,293**

क्र.सं.	राज्य	1995-96 लक्ष्य: पौध वितरण (निजी भूमियों पर पौधरोपण के लिए)	1995-96 लक्ष्य: क्षेत्र (वन) भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियाँ)	1995-96 उपलब्धियां: पौध वितरण (निजी भूमियों पर पौधरोपण के लिए)	1995-96 उपलब्धियां: क्षेत्र (वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियाँ)	1996-97 लक्ष्य: पौध वितरण (निजी भूमियों पर पौधरोपण के लिए)	1996-97 लक्ष्य: क्षेत्र (वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियाँ)	1996-97 उपलब्धियां: पौध वितरण (निजी भूमियों पर पौधरोपण के लिए)	1996-97 उपलब्धियां: क्षेत्र (वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियाँ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1100.00	45000.00	1436.40	75782.00	1100.00	50000.00	1425.30	114667.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.00	9078.00	7.00	9078.00	6.00	9500.00	6.00	6613.0
3.	असम	27.50	27500.00	27.09	16497.00	25.00	27500.00	48.68	18517.7
4.	बिहार	825.00	55000.00	161.20	5423.00	500.00	40000.00	78.50	9296.0
5.	गोवा	38.50	2090.00	25.72	1327.00	30.00	1800.00	23.00	1351.0
6.	गुजरात	1650.00	59400.00	1707.65	67101.73	1908.00	65597.00	2110.20	89393.0
7.	हरियाणा	250.00	29700.00	51.94	33438.00	200.00	32000.00	73.73	23235.0
8.	हिमाचल प्रदेश	22.00	26200.00	35.74	29976.00	20.00	28000.00	26.98	27503.0
9.	जम्मू व कश्मीर	60.00	22000.00	60.51	23000.00	60.00	24000.00	59.85	24927.0
10.	कर्नाटक	495.00	52800.00	310.88	65712.00	400.00	65000.00	235.75	60637.0
11.	केरल	330.00	17600.00	45.40	15302.49	180.00	19000.00	45.46	15168.0
12.	मध्य प्रदेश	495.00	148500.00	599.22	156553.45	450.00	15000.00	169.88	117623.0
13.	महाराष्ट्र	1100.00	133100.00	1017.96	120139.00	1150.00	126000.00	943.83	100327.9
14.	मणिपुर	33.00	11000.00	11.85	9105.00	25.00	12000.00	15.50	12230.0
15.	मेघालय	82.50	22000.00	87.98	3274.00	40.00	18000.00	47.80	1622.0
16.	मिजोरम	22.00	19800.00	22.49	12205.00	22.00	19800.00	67.59	9327.0
17.	नागालैण्ड	82.50	8250.00	74.70	44.00	60.00	8000.00	0.00	0.00

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. उड़ीसा	330.00	79200.00	576.02	112110.00	300.00	79000.00	811.88	93371.0
19. पंजाब	49.50	18700.00	80.16	10526.00	52.00	20000.00	88.56	8825.0
20. राजस्थान	330.00	86900.00	388.32	95280.00	380.00	76550.00	399.41	83440.0
21. सिक्किम	22.00	10120.00	25.00	10120.00	22.00	11000.00	22.00	9586.0
22. तमिलनाडु	1100.00	82500.00	1112.10	92208.00	1100.00	85000.00	1104.64	73501.0
23. त्रिपुरा	23.65	8500.00	21.72	12078.59	23.00	10000.00	41.19	9034.0
24. उत्तर प्रदेश	2000.00	101200.00	2285.43	84326.97	2200.00	110000.00	2121.24	92790.0
25. पश्चिम बंगाल	833.80	41800.00	681.19	38509.00	825.00	44000.00	556.00	21500.0
26. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.00	3300.00	5.40	3831.00	5.00	3300.00	5.05	4019.8
27. चण्डीगढ़	0.00	495.00	0.00	140.00	0.10	500.00	0.19	666.0
28. दादर और नगर हवेली	15.95	1100.00	13.85	980.00	16.00	1000.00	10.00	300.0
29. दमन एवं दीव	1.10	165.00	1.93	41.00	2.00	100.00	3.18	3.0
30. दिल्ली	15.00	500.00	26.81	1072.00	25.00	1000.00	23.42	936.0
31. लक्षद्वीप	4.51	66.00	4.62	69.00	5.00	72.00	4.22	62.0
32. पाण्डिचेरी	4.40	220.00	5.71	182.00	5.00	78.00	5.15	78.3
	11354.91	1123784.00	10911.99	1105431.23	11136.10	1137797.00	10574.18	1030549.8

विवरण-IV

क्षेत्र हेक्टेयर में
पौध लाखों में

	1997-98				1998-99				1999-2000				2000-01			
	लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां	
क्र.सं. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पौध वितरण (निजी भूमियों पर रोपण हेतु)	क्षेत्र वन भूमियों सहित निजी भूमियां	पौध वितरण (निजी भूमियों पर रोपण हेतु)	क्षेत्र वन भूमियों सहित निजी भूमियां	पौध वितरण (निजी भूमियों पर रोपण हेतु)	क्षेत्र वन भूमियों सहित निजी भूमियां	पौध वितरण (निजी भूमियों पर रोपण हेतु	क्षेत्र वन भूमियों सहित निजी भूमियां	पौध वितरण (निजी भूमियों पर रोपण हेतु)	क्षेत्र वन भूमियों सहित निजी भूमियां	पौध वितरण (निजी भूमियों पर रोपण हेतु)	क्षेत्र वन भूमियों सहित निजी भूमियां	पौध वितरण (निजी भूमियों पर रोपण हेतु)	क्षेत्र वन भूमियों सहित निजी भूमियां	पौध वितरण (निजी भूमियों पर रोपण हेतु)	क्षेत्र वन भूमियों सहित निजी भूमियां
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. आंध्र प्रदेश	1100	50000	2027.29	135185	1100	55000	2040.64	160881	2000	150000	2962.15	226165	2200	170000	3199.62	178825
2. अरूणाचल प्रदेश	7	10000	16	6317	7	10000	3.85	729	7	10000	6	1542	7	10000	0.44	0
3. असम	25	27000	25	3642	25	27000	25	5963	25	27000	24.46	8483	35	27000	8.24	3801

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4. बिहार	500	40000	110.33	14222	500	40000	148.3	10177	500	40000	160.65	16258	500	40000	28.37	796
5. गोवा	30	1800	13.74	1123.3	30	1800	11.13	777	10	600	8.32	710	10	600	6.75	304.5
6. गुजरात	1900	65000	1919.04	62866	1900	70000	1920	70414	1900	70000	1922.88	68152	1900	75000	1078.98	57750
7. हरियाणा	200	32000	33.57	17931	200	32000	35.82	17905	200	32000	36.74	12236	100	20000	2392	8550
8. हिमाचल प्रदेश	20	30000	30.38	28000	20	30000	39.05	31300	20	30000	20.66	30510	10	25000	6.33	14484
9. जम्मू और कश्मीर	60	24000	60	22125	60	24000	91.16	16323	60	24000	26.5	14310	80	24000		
10. कर्नाटक	400	65000	256.35	52423.05	400	68000	613.93	93028	500	90000	757.6	94512.25	700	100000	658.11	55949.79
11. केरल	180	19000	10.98	3350	180	19000	1.22	21187	180	19000	2.87	10214	180	20000		3223
12. मध्य प्रदेश	450	150000	457.73	139211	450	150000	475.62	188216	450	150000	853.06	316108	450	165000		
13. महाराष्ट्र	1150	126000	938.02	91910.23	1150	126000	837.99	92288.46	1150	126000	850.82	99068.25	900	126000	636.15	69125.94
14. मणिपुर	25	12000	7.06	4403	25	12000	16.45	6197	25	12000	12.06	6425	25	12000		
15. मेघालय	40	18000	71.33	3978	40	18000	39	2324	40	18000	28.85	244	60	12000	6.19	200
16. मिजोरम	22	19800	10.97	8589	22	19800	7.41	6450	22	19800	47.08	4270	22	12000	8.94	5940
17. नागालैंड	60	8000			60	8000	0	0	60	8000	0	0	60	1000		
18. उड़ीसा	300	79000	436.7	83825	300	87000	234.12	62243	300	87000	66.36	71428	300	100000	314.84	38472
19. पंजाब	52	20000	65.86	5046	52	20000	49.92	10439	52	20000	41.09	15796	65	20000	30.4	18620
20. राजस्थान	400	83000	370.64	58166	400	85000	385.17	65651	400	85000	310.72	36298	400	60000	236.31	25011
21. सिक्किम	22	11000	22.58	9966.86	22	11000	15.2	6254	22	11000	22.11	11106	25	11000		
22. तमिलनाडु	1100	85000	1146.1	94325	1100	90000	498.51	122650	1100	120000	1461.45	267074	1100	120000	25.91	22822
23. त्रिपुरा	40	10000	78.58	8650	40	10000	28.5	8903	40	10000	22.48	7241.58	40	10000	15.35	3354.65
24. उत्तर प्रदेश	2200	110000	1977.7	88052	2200	110000	1620.73	93167.91	2200	110000	2017.03	93967	2200	110000	436	60491
25. पश्चिम बंगाल	825	44000	228	18285	825	44000	203	7901	825	44000	110	8000	825	44000		
26. अं. एवं नि. द्वीप समूह	5	4500	1.38	3462	5	4700	1.7	3304.18	2	3500	0.73	3374.95	2	3500	0.93	3094
27. चंडीगढ़	0.1	500	0.56	66	0.1	500	0.47	103	0.1	100	0.5	100	0.1	100	0.04	130.4
28. दादर और नगर हवेली	16	1000	7	300	16	1000	3.2	310	5	200	5	370	5	300	5	466
29. दमन एवं दीव	2	50	0.4	138	2	50	0.03	4	0.25	30	0.4	17	0.25	30	0.01	0
30. दिल्ली	25	1000	3.64	7	25	1000	20.92	0	25	1000	25.57	80	25	1000	13	
31. लक्षदीप	5	75	1.97	22	5	75	5	90	5	75	5.03	85	5	75		
32. पांडिचेरी	5	75	6.73	58.71	5	75	4.82	96.12	5	75	4.96	69.26	5	75	1.53	40.13
कुल	11166.1	1146800	10335.63	965638.1	11166.1	1175000	9377.86	1105275.6	12130.35	1318480	11814.13	1424214.2	12236.35	1319680	9109.44	571450.4
अवधारित क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में (2000 पौध=हेक्टेयर)		1.71		1.48		1.73		1.57		1.92		2.01		1.93		1.03

● अनन्तिम

विवरण-V

क्र.सं.	राज्य	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		कुल	
		आबंटित	खर्च	आबंटित	खर्च	आबंटित	खर्च	आबंटित	खर्च	आबंटित	खर्च	आबंटित	खर्च
1.	आंध्र प्रदेश	2510.5	3671.2	1051.5	913.7	579.6	468.6	810.8	735.2	1093.9	986.3	6046.2	6774.9
2.	अरूणाचल प्रदेश	434.6	429.2	506.0	489.1	620.1	583.6	699.0	664.8	672.0	672.0	2931.7	2838.7
3.	असम	1520.0	703.1	1890.2	1591.3	1861.6	1632.8	1832.0	1587.6	1671.7	1541.8	8775.5	7056.6
4.	बिहार	2112.5	1864.7	1480.6	1310.1	1157.7	842.9	1286.8	881.7	1603.3	1142.3	7640.5	6041.6
5.	गोवा	157.0	128.2	217.0	208.0	254.0	251.0	259.0	256.6	325.3	325.9	1212.2	1169.8
6.	गुजरात	6713.9	6663.9	4865.4	4359.0	4976.5	4971.1	6888.5	6741.3	11390.1	10240.1	34834.4	32945.6
7.	हरियाणा	4576.6	3940.4	3717.0	3691.3	3650.3	3587.7	4229.6	4011.5	3885.0	3734.0	20058.4	18964.9
8.	हिमाचल प्रदेश	4746.0	4536.7	2735.4	2735.4	3055.0	3035.0	3401.4	3401.4	2429.0	2436.9	16366.8	16145.4
9.	जम्मू और कश्मीर	1796.0	931.6	1734.0	1598.2	1647.6	1618.5	2056.4	2072.7	1576.1	1506.6	8810.0	7727.6
10.	कर्नाटक	6157.9	5844.5	1734.7	1598.2	1647.6	1618.5	2056.4	2072.7	1576.1	1506.6	13172.7	12640.6
11.	केरल	1215.0	1261.2	170.0	168.2	297.0	316.3	360.0	480.5	673.0	688.7	2715.0	2914.9
12.	मध्य प्रदेश	5513.0	5884.0	5177.2	4529.0	5031.9	4474.3	4302.1	4012.3	4400.2	4304.0	24424.4	23203.6
13.	महाराष्ट्र	7624.1	6321.1	10660.6	10348.4	44482.8	10971.4	9647.5	9390.2	12393.1	12077.6	51808.2	49108.7
14.	मणिपुर	573.7	308.6	232.2	231.6	315.7	331.4	391.0	318.3	359.3	321.0	1871.8	1510.8
15.	मेघालय	1164.1	1196.9	1136.0	801.3	1062.0	574.7	851.2	607.1	721.4	387.7	4934.7	3567.8
16.	मिजोरम	870.0	980.6	1036.1	1030.3	944.2	944.1	797.0	718.5	740.4	740.4	4387.7	4413.8
17.	नागालैंड	155.4	69.5	235.0	188.1	237.0	44.0	231.0	113.8	248.7	239.1	1107.0	654.4
18.	उड़ीसा	4208.0	3842.9	2641.8	2064.1	1677.2	1464.9	1484.6	1296.9	682.0	860.5	10693.6	9529.2
19.	पंजाब	1159.5	1903.2	1101.9	1055.9	903.1	889.4	985.3	975.5	977.1	774.6	5126.8	5598.6
20.	राजस्थान	9583.0	9390.4	11727.4	10804.0	16289.3	15211.2	18842.7	17850.4	15653.9	14678.1	72096.3	67934.1
21.	सिक्किम	383.9	436.6	646.0	645.4	975.0	974.5	463.0	462.5	656.0	656.1	3123.9	3175.1
22.	तमिलनाडु	4640.7	5111.1	4768.0	5229.0	5081.0	5341.0	4920.0	4966.0	8384.0	4110.0	24793.7	24757.1
23.	त्रिपुरा	1158.0	978.2	90.6	75.4	65.6	68.2	25.6	30.9	50.0	62.9	1389.8	1215.6
24.	उत्तर प्रदेश	6790.2	9174.8	6060.6	6028.8	6259.6	6199.5	7438.7	7416.1	8762.7	8760.7	35311.7	37580.1
25.	पश्चिम बंगाल	2880.0	3618.2	2128.3	2670.2	4437.2	3160.7	4306.0	3575.6	4953.4	4933.0	18704.9	17957.8
26.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	116.3	113.0	115.7	127.6	127.5	134.7	135.8	143.7	143.0	138.5	638.2	657.5
27.	चंडीगढ़	30.0	39.0	50.0	50.0	45.5	45.5	22.0	22.0	17.0	17.0	164.5	173.5
28.	दादर और नगर हवेली	97.2	138.0	184.2	184.2	191.2	191.2	128.3	128.3	131.1	130.6	732.0	772.2
29.	दमन एवं दीव	13.0	15.0	13.3	13.3	17.0	17.0	17.0	15.6	18.3	18.3	78.5	79.2
30.	दिल्ली	281.0	193.3	184.1	161.3	187.0	186.7	215.6	216.1	264.3	263.5	1131.9	1020.9
##	लक्षद्वीप	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0
##	पांडिचेरी	91.3	106.8	72.0	72.0	99.0	99.0	104.5	95.5	11.3	120.0	478.1	493.3
	कुल	79288.0	79811.6	68362.4	64972.5	75175.7	70219.4	79188.6	75261.4	83562.3	78374.9	385577.0	368639.8

[हिन्दी]

भू-जल स्तर में गिरावट

3166. श्री बसुदेव आचार्य : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में भूमिगत जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितना भू-क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ; और

(ग) गिरते हुए जल स्तर को रोकने और भूमिगत जल के पुनर्जमाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन प्रेक्षणों से पंजाब और हरियाणा सहित देश के अनेक भागों में भूजल स्तर में गिरावट की स्थिति का पता चला है। ऐसे राज्यों/जिलों के नाम, जहां भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक (1980-99) की गिरावट वाले स्थान शामिल हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भूजल स्तर में गिरावट से प्रभावित भूमि के क्षेत्र के विषय में सूचना का रख-रखाव केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है।

(ग) जल के राज्य का विषय होने के कारण, भूजल संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपाय मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए की गई कार्रवाई में निम्न शामिल हैं :

(i) "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण सम्बन्धी अध्ययनों" पर एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन। हरियाणा के कुरूक्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ और पंजाब के संगरूर, जालंधर, मोगा और पटियाला जिलों में भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया।

(ii) भूजल प्रबन्धन और उसकी निकासी के विनियमन और नियमन के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन।

(iii) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एक माडल बिल का परिचालन करना ताकि वे भूजल की निकासी के विनियमन और नियन्त्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(iv) भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मैन्युअल का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

विवरण

भूजल स्तर में 4 मीटर (1980-99) से अधिक की गिरावट के स्थानों वाले राज्यों/जिलों के नाम

क्र.सं.	राज्य	जिला
1.	आन्ध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम, चित्तूर
2.	महाराष्ट्र	अकोला, नागपुर, जलगांव, ओस्मानाबाद, सतारा, औरंगाबाद, सांगली, बुलधाना, अमरावती
3.	पंजाब	अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, फरीदकोट, फतेहगढ़
4.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र, कैथल, महेन्द्रगढ़, जींद
5.	उत्तर प्रदेश	गोंडा, फर्रूखाबाद, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बांदा, नैनीताल
6.	बिहार	पूर्वी सिंहभूम, रांची, समस्तीपुर, छपरा, दरभंगा
7.	प. बंगाल	पुरूलिया, मिदनापुर
8.	उड़ीसा	कोरापुट, मयूरभंज
9.	राजस्थान	नागौर, बीकानेर, जयपुर
10.	मध्य प्रदेश	उज्जैन, देवास, शाजहांपुर, धार, सागर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, गुना, नरसिंहपुर
11.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, बंगलौर, मैसूर, गुलबर्गा
12.	तमिलनाडु	सलेम, दक्षिण अर्काट, कोयम्बटूर, मदुरै, तंजावुर, पट्टुकोट्टाई, कामराजार, थिरूनागनार

[हिन्दी]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथ (पी.सी.ओ.)

3167. श्री राम टहल चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखण्ड के रांची और गुजरात के भड़ौच क्षेत्र में कितने पी.सी.ओ. कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में पी.सी.ओ. की स्थापना के लिए कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ग) उनके लम्बित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन आवेदनों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) झारखण्ड के रांची क्षेत्र और गुजरात के भड़ौच क्षेत्र में क्रमशः 1987 और 1989 पी.सी.ओ कार्यरत हैं।

(ख) इन क्षेत्रों में पी.सी.ओ. की संस्थापना के लिए कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नई टेलीफोन टैरिफ नीति

3168. श्री उत्तमराव पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायत मिली है कि हाल ही में आरम्भ की गई 200 किलोमीटर तक की स्थानीय कॉल टैरिफ योजना 90-100 किलोमीटर तक के लिए भी कारगर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना में सुधार करने के क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विभिन्न एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ संचालकों ने सरकार को 200 किलोमीटर की दूरी तक की एस.टी.डी. कॉल को स्थानीय कॉल में बदलने के विरुद्ध अपनी मांगों से सम्बन्धित अभ्यावेदन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी हां। 200 कि.मी. तक की दूरी तक '0' डायल किए बिना स्थानीय कॉल आधार पर एस.टी.डी. कॉल करने के लिए एस.टी.डी. पी.सी.ओ. बूथ ऑपरेटरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(च) इस समय, एस.टी.डी. पी.सी.ओ. प्रचालकों को प्रत्येक सफल एस.टी.डी./आई.एस.डी. कॉल पर 2/- रु. तक सेवा-प्रभार वसूल करने की अनुमति है। ऐसे प्रभार, 180 सैकेण्ड पल्स दर पर प्रभारित स्थानीय कॉलों और इंटर एस.डी.सी.ए. कॉलों पर उद्ग्रहणीय (लेविएबल) नहीं हैं। यह आदेश अभी भी वैध हैं। एस.टी.डी. पी.सी.ओ. बूथ ऑपरेटरों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है।

गुजरात की खेल योजनाएं

3169. श्री हरिभाई चौधरी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में खेल गतिविधियों से सम्बन्धित कोई केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को आवंटित की जाने वाली धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) भारत सरकार खेलकूद के संवर्धन के लिए, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है :

(1) स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन;

(2) ग्रामीण खेल कार्यक्रम;

(3) खेल छात्रवृत्ति योजनाएं;

(4) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप;

(5) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान;

(6) कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान;

(7) सिंथेटिक खेल सतहों की स्थापना के लिए अनुदान;

(8) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष;

(9) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि;

(10) अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार;

(11) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार;

(12) अर्जुन पुरस्कार;

(13) द्रोणाचार्य पुरस्कार;

(14) मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी।

(ग) अनुदान राज्य-वार आबंटित नहीं किए जाते हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, अलग-अलग राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनसे प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। तथापि, विगत दो वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	13,50,000	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	15,00,000	शून्य
3.	असम	15,50,000	16,00,875
4.	बिहार	40,57,334	शून्य
5.	गोवा	शून्य	3,00,000
6.	गुजरात	10,80,000	84,54,800
7.	हरियाणा	20,80,600	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	29,74,820	18,00,000

1	2	3	4
9.	जम्मू व कश्मीर	9,00,00	97,775
10.	कर्नाटक	37,39,350	83,15,850
11.	केरल	2,04,300	15,39,518
12.	मध्य प्रदेश	37,50,000	41,47,000
13.	महाराष्ट्र	44,50,000	44,04,800
14.	मणिपुर	शून्य	23,50,000
15.	मेघालय	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	21,54,900	शून्य
17.	नागालैण्ड	76,00,000	1,10,00,000
18.	उड़ीसा	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	शून्य	2,24,72,000
20.	राजस्थान	5,21,800	5,59,150
21.	सिक्किम	शून्य	31,606
22.	तमिलनाडु	60,650	37,43,915
23.	त्रिपुरा	4,00,000	80,95,500
24.	उत्तर प्रदेश	15,00,000	43,50,000
25.	पश्चिम बंगाल	12,96,000	शून्य
26.	दिल्ली	8,11,000	16,00,000
संघ शासित प्रदेश			
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	3,00,000	शून्य
2.	चण्डीगढ़	2,00,000	शून्य
3.	दादर व नगर हवेली	शून्य	शून्य
4.	दमन व दीव	शून्य	3,00,000
5.	पाण्डिचेरी	4,00,000	शून्य
6.	लक्षद्वीप	शून्य	2,00,000

[अनुवाद]

''वनाच्छादित भूमि का उपग्रह चित्रण''

3170. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री सी.पी. राधाकृष्णन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वनाच्छादित भूमि के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण/उपग्रह चित्रण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में वनाच्छादित भू-क्षेत्र में तेजी से कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में वनाच्छादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय वन सर्वेक्षण उपग्रह आंकड़ा का प्रयोग करके 1987 से देश के वन आवरण का मूल्यांकन कर रहा है। नवीनतम स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1999 के अनुसार देश का वन आवरण 1996 से 1998 की अवधि के दौरान 6,93,397 वर्ग कि.मी. से बढ़कर 6,97,297 वर्ग कि.मी. हो गया है। इस अवधि के दौरान वन आवरण 17 राज्यों में बढ़ा है तथा 12 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में घटा है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सरकार द्वारा वनों के संरक्षण और विकास हेतु किए गए विभिन्न कार्य निम्नलिखित हैं :

(i) राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार से वित्तीय सहायता द्वारा वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ii) वनों के विकास और संरक्षण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(iii) सभी राज्य/संघ शासित सरकारों को अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार में ग्रामीण समुदायों को शामिल किए जाने सम्बन्धी दिशानिर्देश दिए गए हैं।

(iv) वन भूमियों के अपवर्तन के नियमन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(v) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(vi) हाल ही में, मंत्रालय ने वन संसाधनों के संरक्षण और विकास हेतु निवेश में सुधार के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्थायित्व तथा लोक केन्द्रित विकास के लिए वानिकी और वृक्ष संसाधनों के योगदान को बढ़ावा देने की दृष्टि से राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम तैयार किया है।

विवरण

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का 1997 और 1999 के मूल्यांकनों के अनुसार तुलनात्मक लेखा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1997 के अनुसार वन आवरण (वर्ग कि.मी. में)	स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1999 के अनुसार वन आवरण (वर्ग कि.मी. में)	परिवर्तन (वर्ग कि.मी.)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	43,290	44,229	939
अरूणाचल प्रदेश	68,602	68,847	245

1	2	3	4
असम	23,824	23,688	-136
बिहार	26,524	26,474	-50
गोवा	1,252	1,251	-1
गुजरात	12,578	12,965	387
हरियाणा	604	964	360
हिमाचल प्रदेश	12,521	13,082	561
जम्मू व कश्मीर	20,440	20,441	1
कर्नाटक	32,403	32,467	64
केरल	10,334	10,323	-11
मध्य प्रदेश	131,195	131,830	635
महाराष्ट्र	46,143	46,672	529
मणिपुर	17,418	17,384	-34
मेघालय	15,657	15,633	-24
मिजोरम	18,775	18,338	-437
नागालैंड	14,221	14,164	-57
उड़ीसा	46,941	47,033	92
पंजाब	1,387	1,142	25
राजस्थान	13,353	13,871	518
सिक्किम	3,129	3,118	-11
तमिलनाडु	17,064	17,078	14
त्रिपुरा	5,546	5,745	199
उत्तर प्रदेश	33,994	34,016	22
पश्चिम बंगाल	8,349	8,362	13
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7,613	7,606	-7
चंडीगढ़	7	7	0
दादर और नगर हवेली	204	202	-2
दमन एवं दीव	3	3	0
दिल्ली	26	88	62
लक्षदीप*	—	—	
पांडिचेरी*	—	—	
कुल	633,397	637,293	3,896

* पहचान किए जाने योग्य वन आवरण नहीं है।

"पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकीय असन्तुलन"

3171. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी घाट में बढ़ते हुए पारिस्थितिकी असन्तुलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और

(ग) पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकीय सन्तुलन की पुनर्बहाली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) पश्चिमी घाटों को उनके अद्वितीय और विशिष्ट भू-विज्ञान, स्थलाकृति, जलवायु, पारिस्थितिकी प्रजातियों की प्रचुरता और स्थानिकता द्वारा अभिलक्षित किया गया है और इसे पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील समझा गया है। पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिकी महत्त्व को मानते हुए योजना आयोग, भारत सरकार, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह एक एकीकृत विकासात्मक दृष्टिकोण वाला कार्यक्रम है जो कम्पेक्ट वाटरशेड बेसिन, पारि-विकास और लोगों की भोजन, चारे, ईंधन और सुरक्षित पेय जल की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर आधारित है। इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ वनस्पति और प्राणि प्रजातियों का सर्वेक्षण और अभिनिर्धारण वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व को शामिल करते हुए, सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से स्वस्थाने संरक्षण, शामिल है।

सेलुलर फोन टावर

3172. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 फरवरी, 2001 के 'द स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार के अनुसार निजी सेलुलर फोन कम्पनियों ने ऊंची इमारतों पर मानदण्डों का उल्लंघन करके टावरों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) समाचारपत्र की रिपोर्ट, राजधानी दिल्ली में सेलफोन टावरों के बारे में है। भारतीय सेल्यूलर प्रचालक संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी प्राइवेट सेल्यूलर प्रचालकों ने अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही टावरों की संस्थापना की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तकनीकी समिति ने प्रौद्योगिक आवश्यकताओं पर विचार करके सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए इमारतों की छतों पर अस्थायी ढांचे की संस्थापना करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तथापि, यह एक वाणित्यिक कार्यकलाप है इस नाते रिहायशी क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

विमान यात्रियों को आकर्षित करने के लिए योजना

3173. **श्रीमती शीला गौतम :**
डा. अशोक पटेल :
प्रो. रासासिंह रावत :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान हवाई यातायात में राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के हिस्से में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एअर सहारा और अन्य निजी विमान सेवा संचालकों द्वारा आरम्भ की गई योजना की तर्ज पर यात्रियों को राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की ओर आकर्षित करने के लिए फ्लाई स्माइल जैसी उपहार योजना को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना को कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1999 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध वैमानिक-विपणन आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय एयरलाइनों (अर्थात् एअर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स और एआई/आईसी संयुक्त उद्यम प्रचालन) का भारत से/तक वैमानिक विपणन यात्रियों में शेयर में उपांत (मार्जिनली) वृद्धि हुई है।

(ग) से (ङ) एअर इंडिया का इंडियन एयरलाइन्स के साथ मिलकर निरन्तर उड्डयन-कार्यक्रम होता है। इसके अतिरिक्त, बाजार के रूझान आवश्यकता और प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को देखते हुए, सावधिक रूप से उपयुक्त संवर्धक योजनाएं बनाई जाती हैं और उन्हें शुरू किया जाता है। वर्तमान समय में विमान से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए फ्लाई स्माइल जैसी उपहार योजना शुरू करने सम्बन्धी इंडियन एयरलाइंस की कोई योजना नहीं है।

भू-जल स्तर में गिरावट

3174. **डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री रामजी लाल सुमन :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री तिरूनावकरसू :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई राज्यों में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में भूमिगत जल स्तर में वर्षवार औसतन कितनी गिरावट दर्ज की गई है;

(घ) प्रत्येक राज्य में वर्षा और नदी जल की वर्तमान भण्डारण क्षमता अलग-अलग कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने कोई भूमिगत जल संरक्षण नीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो भूमिगत जल स्तर के पुनर्जमाव में यह किस सीमा तक सफल रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि देश के विभिन्न भागों में भूजल स्तर में गिरावट आई है। इन राज्यों में भूजल स्तर में 4 मीटर (1981-2000) से अधिक गिरावट वाले स्थानों वाले जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। देश के विभिन्न राज्यों में कुछ भागों में औसतन 20 से.मी. प्रति वर्ष की दर से गिरावट पाई गई है।

(घ) भारत में औसत वार्षिक वर्षापात 4000 मिलियन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) होता है जिसमें वर्षापात एवं बर्फपात् शामिल हैं जिसमें से 3,000 बिलियन क्यूबिक मीटर वर्षापात मानसून के दौरान होता है। देश की विभिन्न नदियों में औसत वार्षिक प्रवाह 1890 बी.सी.एम. आंका गया है जिसमें से, परम्परागत तरीकों से प्रयोज्य प्रवाह 690 बी.सी.एम. आंका गया है। इसके अतिरिक्त, अन्तर बेसिन जल हस्तांतरण द्वारा अधिशेष जल वाले नदी बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का हस्तांतरण करके लगभग 200 से 250 बी.सी.एम. जल का उपयोग किया जा सकता है।

वर्ष 1995 तक बड़े बांधों तथा मध्यम परियोजनाओं के निर्माण से 177 बी.सी.एम. सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित की गई है। 75 बी.सी.एम. अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के वास्ते परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 132 बी.सी.एम. की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजनाओं की योजना की जा रही है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि 24 बी.सी.एम. वर्षा जल का भण्डारण 3.5 लाख लघु सिंचाई टैंकों में किया जाता है। इसके अलावा, 432 बी.सी.एम. भूजल पुनर्भरणीय है जिसमें से 154 बी.सी.एम. जल का उपयोग किया जा रहा है।

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत जल विभाजक प्रबन्धन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण तथा छत के वर्षा जल संचयन द्वारा भी वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है। इस साधनों से संचित उक्त वर्षा जल की मात्रा का आंकलन नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) जल, राज्य का विषय होने के कारण, सम्बन्धित राज्य सरकारों का यह मुख्य दायित्व है कि जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण एवं उनका निष्पादन करें। तथापि, जल संरक्षण एवं जल संसाधनों को बढ़ाने के वास्ते केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रम नीचे दर्शाए गए हैं :

(1) भूजल प्रबन्धन एवं विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूजल बोर्ड प्राधिकरण का गठन करना।

(2) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मॉडल बिल परिचालित करना ताकि भूजल के नियंत्रण एवं विकास के वास्ते उचित कानून लागू किया जा सके।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण सम्बन्धी मैनुअल परिचालित करना ताकि भूजल स्तरों में घटती प्रवृत्ति को रोकने के वास्ते क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों को तैयार किया जा सके।

(4) देश में 25.00 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण सम्बन्धी अध्ययनों पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम लागू करना। पुनर्भरणीय कुएं और वर्षा जल संचयन इस स्कीम के अभिन्न अंग हैं। इस स्कीम के नतीजे काफी उत्साहजनक पाए गए हैं।

(5) वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)

(6) नदी-घाटी परियोजना के आवाह में मृदा संरक्षण।

(7) बाढ़ प्रवण नदियों (एफ.पी.आर.) में एकीकृत जल विभाजक प्रबन्धन।

(8) पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती क्षेत्र के नियंत्रण के वास्ते जल विभाजक विकास परियोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)

(9) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

(10) मरू भूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)

(11) एकीकृत जल विभाजक विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

(12) एकीकृत जल विभाजक विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

इन कार्यक्रमों को पूरे देश में लागू किया जाता है।

विवरण

भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट वाले स्थानों वाले राज्य/जिलों के नाम (1981-2000)

राज्य	जल स्तर में गिरावट
आन्ध्र प्रदेश	अदीलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी।
बिहार (झारखण्ड सहित)	धनबाद, पूर्वी सिंहभूम
छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रामपुर, राजनन्दगांव, सतना, सिधी।
गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, जामनगर, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, राजकोट, सूरत, सुरेन्द्रनगर।
हरियाणा	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर।
कर्नाटक	बंगलौर (ग्रामीण), बेल्लारी, बेलगाम, बेदार, बगलकोट, बीजापुर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, धारवाड़, गडक, गुलबर्गा, हवेरी, हसन, कोलार, मैसूर, चामराजनगर, रायचूर, शिमोगा, कोपाल, तुमकुर, उत्तर कन्नड़।
मध्य प्रदेश	भिवानी, बेतुल, भिन्ड, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खाण्डवा, खारगोंन, मंदसौर, मोरेना, नरसिंगपुर, नीमच, पन्ना, रायसन, रायगढ़, रतलाम, सागर, सेहोर, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा।
महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, बीद, बम्बई, धुले, गदचिरौली, कोल्हापुर, नांदेड़, नासिक, ओसमानाबाद, अमरावती, औरंगाबाद, भद्दारा, बुलदाना, चन्द्रपुर, जलगांव, जैना, लातूर, नागपुर, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदुर्ग, थानेसतारा, सोलापुर, वर्धा, यवातमल, बुल्दाना, अलगांव, सतारा।
उड़ीसा	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, बोलंगीर, धेनकनाल, गजपति, गंजम, जयपुर, कालाहांडी, क्योंझर, खुर्दा, कोरपुट, मल्कानगिरी, मयूरभंज, नवांपाड़ा, नौरंगपुर, सुन्दरगढ़, सुवर्णपुर।
पंजाब	अमृतसर, भटिन्डा, फतेहगढ़, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, नवांशहर , पटियाला, रोपड़, संगरूर।
राजस्थान	अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, दुर्गापुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, झालवाड़, झुंझनु, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, उदयपुर।
तमिलनाडु	कोयंबटूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, मद्रास, पांडिचेरी, पुदुकोट्टल, शिवगंगा, तंजावूर, थीन, तिरूनिवेल, तिरूवेल्लूर, तिरूवन्नामली, तिरूवरूर, तूतीकोरीन।
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बिजनौर, बुलंदशहर, एटा, इटावा, फरूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, राय बरेली, सहारनपुर, उन्नाव।
पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, बर्दमान, मिदनापुर, उत्तर-24 परगना, पुरूलिया।

[अनुवाद]

शमशाबाद विमानपत्तन

3175. डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में शमशाबाद स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण हेतु स्वीकृत की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) उनके बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और आन्ध्र प्रदेश सरकार एक निजी/गैर-सरकारी संयुक्त उद्यम भागीदार (जे.वी.पी.) का चयन करेंगी जिनके साथ शमशाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की परियोजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने गैर-सरकारी संयुक्त उद्यम भागीदार (जे.वी.पी.) के चयन और इनकी प्रविष्टि की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ये जे.वी.पी. (डिजाइन), निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन तथा परियोजना के रख-रखाव के लिए चुने जाएंगे। चूंकि यह परियोजना आरम्भिक चरण में है, इस अवस्था में किसी नियत निधि अपेक्षाओं की मंजूरी नहीं दी जा सकती है, न ही परियोजना पूरी करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा ही निर्धारित ही जा सकती है।

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधि सम्बन्धी समिति

3176. श्री पवन कुमार बंसल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधि को चलाने के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समिति के सदस्यों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) राष्ट्रीय पुनर्निमांण निधि के उद्देश्य क्या हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना में राष्ट्रीय संचालन समिति (एन.एस.सी.) के गठन की व्यवस्था है। गठन की एक प्रति, जैसा कि योजना के अन्तर्गत व्यवस्था है, संलग्न विवरण में दी गई है। सरकार, समिति के गठन के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना का प्रमुख उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, समुदाय के लिए व उसके साथ कार्य करने के लिए, वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने तथा हमारे समाज तथा राष्ट्र में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए उनके कौशल एवं ज्ञान का उपयोग करने के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करना है।

विवरण

राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन

1.	राज्य मंत्री (युवा कार्य और खेल) भारत सरकार, अध्यक्ष–पदेन	1
2.	प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता उपाध्यक्ष	1
3.	सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार, पदेन	1
4.	राज्य मंत्री, भारत सरकार–ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार–शहरी विकास, राज्य मंत्री, भारत सरकार–सामाजिक न्याय और अधिकारिता–पदेन	3
5.	राज्य सरकारों के प्रभारी युवा कार्य राज्य मंत्री (बारी-बारी से प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति)–पदेन	6
6.	महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, गैर-परम्परागत ऊर्जा, पर्यावरण और वन, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, कृषि और सहकारिता, जल संसाधन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्रम विभाग, भारत सरकार के सचिव	10
7.	उपाध्यक्ष, नेहरू युवा केन्द्र संगठन–पदेन	1
8.	महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन सदस्य–सचिव–पदेन	1
9.	संसद सदस्य लोक सभा-2 राज्य सभा-1	3
10.	युवा प्रतिनिधि (एक महिला सहित)	2
11.	गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	1
12.	स्थायी आमंत्रित व्यक्ति अवैतनिक सलाहकार एन.आर.सी. (राष्ट्रीय कार्यकारणी समिति का सदस्य)	1

चेलीगढ़ बांध परियोजना

3177. श्री अनादि साहू : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा की चेलीगढ़ बांध परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) चेलीगढ़ बांध परियोजना जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा वनभूमि के डायवरशन और पुनर्स्थापना और पुनर्वास योजनाओं की स्वीकृति, राज्य वित्त की सहमति तथा भूजल की मानीटरी से सम्बन्धित टिप्पणियों के अधीन 20 सितम्बर, 2000 को हुई इसकी 74वीं बैठक में स्वीकृत की गई है।

(ग) किसी परियोजना के पूरा होने की अवधि विभिन्न बातों पर निर्भर करती है जैसे–इसका आकार, भूमि की उपलब्धता, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करना, भौगोलिक स्थितियां आदि। इतना ही महत्त्व विभिन्न परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा आबंटित निधियों का भी है।

भीम नदी से सीना नदी को पानी देना

3178. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भीम नदी से सीना नदी को 8 टी.एम.सी. पानी दिए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) भीमा नदी से सीना नदी को जल मोड़ने सम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण दूरसंचार केन्द्र

3179. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में बिहार में, विशेषकर बेतिया में जिलावार कितने दूरभाष केन्द्र बन्द पड़े हुए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उन्हें चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बिहार में उन 5 एक्सचेंजों के अलावा जो स्थानीय रूप से ठीक हैं, किन्तु पारेषण माध्यम (मीडिया) खराब है, सभी 869 एक्सचेंज सही कार्य कर रहे हैं। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

क्र.सं.	जिले का नाम	उन एक्सचेंजों की संख्या जिनका माध्यम खराब है
1	नवादा	2
2	पश्चिम चम्पारन (बेतिया)	1
3	जमुई	1
4	कैमूर	1
	जोड़	5

(ख) इन स्थानों पर विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान करने का कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

असम में इलेक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्र

3180. श्री माधव राजवंशी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम के मंगलदोई, सिपाझार, टांगला, खामपीठा और उदालगुड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) मंगलदोई, सिपाझार, टांगला, खारूपेटिया (असम में खामपेटिया नामक कोई स्थान नहीं है) और उदालगुड़ी में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज पहले ही कार्यरत हैं। इसके अलावा, हातीगढ़ में 2000-2001 के दौरान और सोनवा, बहरामपुर एवं महालिपाड़ा में 2001-2002 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को स्थापित करने की योजना है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय श्रमिक

3181. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के श्रम सम्बन्धी कानून स्वीकार्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर प्रदेश से श्रमिकों को भेजने पर गैर-ड्यूटी प्रतिबन्ध लगा दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रतिबन्धों को लगाने का कारण क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का विचार ऐसे प्रतिबन्धों से निपटने के लिए श्रम सम्बन्धी कानूनों में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय श्रम कानूनों के विरुद्ध किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (च) संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले व्यक्तियों के लिए उत्प्रवास जांच की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले व्यक्तियों के लिए उत्प्रवास अधिनियम लागू नहीं होता।

नदियों की जल भण्डारण क्षमता

3182. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नदियों में भूक्षरण को रोकने तथा गिरते जल स्तर पर रोक लगाने के लिए नदियों की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से उनके तलों को गहरा करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चयनित नदियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और दिसम्बर, 2000 तक इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना में भूमि कटाव को रोकने तथा जल स्तर में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए नदी की क्षमता को बढ़ाने के वास्ते नदी तलों को गहरा करने सम्बन्धी कोई भी स्कीम तैयार नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में उद्योग सील करने के मानदण्ड

3183. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में सील किए जा रहे उद्योगों के सम्बन्ध में निर्धारित पर्यावरणीय मानदण्डों का अनुपालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वनी मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। सील किए जाने के प्रथम चरण में आवासीय क्षेत्रों में चल रही तथा मास्टर प्लान दिल्ली-2001 के अनुसार 'एफ' समूह की गतिविधियों सम्बन्धी 27 श्रेणियों में आने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। सील किए जाने सम्बन्धी द्वितीय चरण में रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677/1985-एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के सम्बन्ध में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा सिफारिश करने पर 33 श्रेणियों के विरुद्ध कार्यवाही करना शुरू किया गया।

(ग) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

सेलुलर लाइसेंस

3184. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग का विचार सेलुलर लाइसेंसों की चौथे दौर की नीलामी के लिए न्यूनतम आरक्षित कीमत निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न क्षेत्रों के लिए आरक्षित मूल्य अलग-अलग हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में समानता लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) सेलुलर टेलीफोन संचालकों के लिए यह किस सीमा तक सहायक होगी;

(छ) क्या मौजूदा आधारभूत दूरसंचार सेवा अभिकरण भी आरक्षित कीमत को लाइसेंस शुल्क से जोड़ने का आग्रह कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपरोक्त (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-200ए संबंधी प्रस्ताव

3185. श्री पी.आर. खुंटे : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-200ए का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उदेश्य हेतु कितना आवंटन किया गया?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग 200ए नामक कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर सेक्टर में वायु क्षेत्र सुरक्षा

3186. श्री नरेश पुगलिया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यावसायिक पायलट संघ ने जनवरी, 2001 से जम्मू-श्रीनगर सेक्टर पर उड़ान भरने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर सेक्टर में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान किस हद तक प्रभावित हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के वायु क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने अपने सदस्यों को 26.1.2001 से तब तक जम्मू और कश्मीर के लिए प्रचालन न करने के दिशा-निर्देश जारी किए जब तक कि उन्हें सुरक्षित प्रचालन वातावरण और जेट प्रचालनों के लिए मूल मानदण्ड पूरा करने वाला विमानक्षेत्र न मिल जाए। आईसीपीए के साथ बैठक की गई थी और अब इसने 19.2.2000 को अपने इस प्रकार के दिशा-निर्देश वापस ले लिया। इस अवधि के दौरान, जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डों को इंडियन एयनलाइंस की अनुसूचित उड़ानों का प्रचालन, एयरलाइन के एग्जीक्यूटिव विमानचालकों द्वारा किया जा रहा था।

(घ) मार्गस्थ चिमनी के हटाए जाने सहित जम्मू और श्रीनगर पर उपलब्ध दिक्चालन/अवतरण सुविधाएं, उड़ानों के सुरक्षित प्रचालनों के लिए पर्याप्त हैं।

बांधों की सुरक्षा

3187. डॉ. (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूकम्पीय क्षेत्र में पड़ने वाले प्रमुख बांधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि गुजरात जैसी तीव्रता से आने वाले भूकम्प को सह सकने में ये उक्त बांध समर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले एवं इस पर क्या कार्रवाई की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) भूकम्प की संभावित तीव्रता के आधार पर देश को 5 भूकम्पीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इन क्षेत्रों में कुल 3596 बांध स्थित हैं।

(ख) भारतीय मानक कोड ब्यूरो 1893-1984 द्वारा बांधों की भूकम्पीय डिजाइन तैयार की जाती है। कुछ पुराने बांधों की डिजाइन वर्तमान कोड के अनुसार तैयार नहीं की गई है, जिनके अभी हाल में गुजरात में आए तीव्रता वाले भूकम्प के समान भूकम्प आने पर क्षति होने की सम्भावना है।

(ग) बांधों का स्वामित्व और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और यह राज्यों का दायित्व है वे केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार मौजूदा बांधों की सुरक्षा की नियमित समीक्षा करें। विश्व बैंक सहायता प्राप्त बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना के तहत उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में कुछ बांधों को सुदृढ़ किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की विदेशों में तैनाती

3188. श्री रामजी लाल सुमन : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की विदेशों में तैनाती के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) आज की तारीख में उनके मंत्रालय तथा इससे संबद्ध संगठनों से संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इससे संबद्ध संगठनों में उक्त कार्य हेतु विभिन्न ग्रेड में कितने व्यक्ति प्रायोजित किए गए हैं, कितनों की सिफारिश की गई है/कितने व्यक्ति तैनात किए गए हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त पदों के लिए कितने व्यक्ति प्रायोजित किए गए हैं/कितनों की सिफारिशें की गई हैं/कितने व्यक्ति तैनात किए गए और उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं तथा कुल भरे गए पदों की तुलना में उनका वर्ष-वार प्रतिशत कितना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) जी, नहीं, खान मंत्रालय को इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खान मंत्रालय द्वारा खान मंत्रालय तथा उसके दोनों अधीनस्थ कार्यालयों से किसी भी अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र संघ, इससे सम्बद्ध संगठनों/अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनियुक्ति अथवा उनको प्रायोजित या उनके नाम की सिफारिश नहीं की गई है।

(घ) उपरोक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

''वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत दण्ड''

3189. श्री चिंतामन वनगा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अपराध के लिए दण्ड और जुर्माने की राशि बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में ऐसी ही कार्रवाई करने के लिए शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को इस सम्बन्ध में संशोधित करने के प्रस्ताव को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया है।

उच्च दर पर उपकरणों की खरीद

3190. श्री रामजी मांझी : क्या **संचार** मंत्री उच्च दर पर उपकरणों की खरीद के बारे में 11 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 1224 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचनाएं एकत्र कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। दिनांक 27.11.2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 1224 के तहत मांगी गई सूचना एकत्र की जा चुकी है।

(ख) और (ग) दूरसंचार विभाग में सामान्यतः उपकरणों का अर्थ होता है टेलीफोन उपकरण। अतः सी.बी.आई. से प्राप्त सूचना के अनुसार, श्री बी.के. जेना, सहायक निदेशक (एम.एम.), मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार का कार्यालय, भुवनेश्वर तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध केवल एक मामला दिनांक 04.01.1994 के आर.सी. । (ए) 94-भुवनेश्वर के तहत रजिस्टर किया गया था, जिसमें उन पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रचलित दरों से अधिक दरों पर इलैक्ट्रानिक पुश बटन टेलीफोनों की खरीद और कुछ अनुमोदित आपूर्तिदाताओं के साथ आपराधिक षड्यंत्र में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई की जांच रिपोर्ट में यह उद्घाटित हुआ कि इस खरीद के कारण विभाग को 26,91,000/- रु. का घाटा हुआ। सीबीआई की जांच-पड़ताल के निष्कर्ष के बाद, इस लेन-देन (ट्रांजैक्शन) में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने सम्बन्धी मंजूरी जारी की गई थी और इस मामले पर सीबीआई न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। उनके विरुद्ध बड़े दंड (मेजर पेनल्टी) सम्बन्ध कार्यवाहियां भी शुरू की जा चुकी हैं।

उड़ीसा में केबल की चोरी

3191. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 31 जनवरी, 2000 तक उड़ीसा में केबल और अन्य उपकरणों की चोरी के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्यों में ऐसी चोरी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में केबलों और अन्य उपस्करों की चोरी के 279 मामलों की सूचना मिली है।

(ख) इसके फलस्वरूप 43,22,355/- रुपए की हानि हुई।

(ग) राज्यों में केबलों की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई :

(i) चोरी की मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

(ii) पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय सम्बन्धी बैठकें आयोजित की गई।

(iii) चोरी सम्भावित केबल रूटों की गश्त लगाई जा रही है।

हरियाणा में चार लेन वाली सड़कों का निर्माण

3192. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में शाहबाद से साहा, अम्बाला होते हुए पंचकुला तक, अम्बाला से यमुनानगर, अम्बाला से हिसार और महेन्द्रगढ़ तक की सड़क को चार लेन वाला बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) शाहबाद से पंचकुला तक की सड़क में शाहबाद से साहा तक की राज्यीय सड़क और साहा से पंचकुला तक का रा.रा.-73 शामिल है। अम्बाला से यमुनानगर तक की सड़क में अम्बाला से साहा तक की राज्यीय सड़क और साहा से यमुनानगर तक रा.रा.-73 शामिल है। इसी प्रकार, अम्बाला से महेन्द्रगढ़ तक की सड़क में अम्बाला से हिसार तक का रा.रा.-65 और हिसार से महेन्द्रगढ़ तक की राज्यीय सड़क शामिल है। राज्यीय सड़कों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जहां तक उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्गों का सम्बन्ध है, चार लेन बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पर्यावरण आयोग की स्थापना

3193. प्रो. दुखा भगत : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण मुद्दों को शीघ्र निपटाने के लिए पर्यावरण आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वानिकी विवाद और पशुओं/पक्षियों की मौत

3194. श्री विजय गोयल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच वानिकी विवादों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा मामले को सुलझाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) उत्तरांचल राज्य बनने के बाद से प्रत्येक राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में अवैध रूप से कितने पशु या पक्षी मारे गए; और

(ग) जिम्मेवार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) न ही उत्तरांचल सरकार ने और न ही उत्तर प्रदेश ने किसी तरह की वानिकी/वन्य जीव सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय समस्या भारत सरकार के पास भेजी है।

(ख) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में अवैध शिकार और जब्ती सम्बन्धी मामलों के बारे में राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पीलीभीत में बाघ के शिकार में एक अधिकारी के सम्मिलित होने का कथित मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में अवैध शिकार और जब्ती के मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थान	राज्य	दिनांक	अवैध शिकार किए गए जानवरों/ जब्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल	उत्तरांचल	27.12.2000	1 हाथी
2.	कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल	उत्तरांचल	29.12.2000	1 हाथी
3.	कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल	उत्तरांचल	5.2.2001	1 हाथी
4.	कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल	उत्तरांचल	8.2.2001	1 हाथी
5.	कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल	उत्तरांचल	10.2.2001	1 हाथी
6.	हरिद्वार	उत्तरांचल	16.11.2000	2 बाघ की खालें और हड्डियां (जब्त)
7.	दुधवा बाघ रिजर्व	उत्तर प्रदेश	25.12.2000	2 बाघ (सरकारी रिपोर्ट से केवल 1 बाघ का पता चलता है।
8.	गोण्डा	उत्तर प्रदेश	2.1.2001	1 बाघिन
9.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	15.1.2001	1 बाघ की खाल (जब्त)
10.	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	3.2.2001	1 बाघ
11.	कतरनियां घाट वन्य जीव अभयारण्य	उत्तर प्रदेश	21.2.2001	1 बाघ (हड्डियां जब्त)
12.	दुधवा बाघ रिजर्व	उत्तर प्रदेश	25.2.2001	1 बाघ की खाल, 41 कि.ग्रा. हड्डियां, 6 खोपड़ियां (जब्त)
13.	कतरनियां घाट वन्य जीव अभयारण्य	उत्तर प्रदेश	25.2.2001	1 बाघ

स्रोत : राज्य सरकार और भारतीय वन्य जीव सुरक्षा सोसायटी

केरल में बेरोजगारी समस्या

3195. श्री रमेश चेन्नितला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में बेरोजगारी समस्या के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को नए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए केरल में खाड़ी देशों से आने वाली भारी धनराशि का उपयोग करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के आधार पर रोजगार, बेराजगारी एवं श्रम बल सम्बन्धी मूल्यांकन किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण 1999-2000 के दौरान किया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, सामान्य प्रमुख स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार केरल के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर श्रम बल का क्रमशः 4.1% तथा 4.8% थी।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समग्र रूप से रोजगार सृजन की ओर ध्यान दिया जाता है। खाड़ी देशों से केरल में आने वाली धनराशि का उपयोग रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने में उपयोग करने की श्रम मंत्रालय की कोई योजना नहीं है।

तम्बाकू सम्बन्धी विधान

3196. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विधान के द्वारा तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने तम्बाकू के उत्पादन और इसके उत्पादों के व्यापार में लगे 112 मिलियन कार्य बल के भविष्य हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) तम्बाकू निषेध विधेयक के पारित हो जाने के बाद अनुमानतः कितने कामगारों के रोजगार से वंचित हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा बीड़ी उद्योग और तम्बाकू उत्पाद में लगे कामगारों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) सरकार का सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार व वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) विधेयक के माध्यम से तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन को प्रतिषिद्ध करने एवं नाबालिगों को व विशिष्ट परिसरों के समीप इनकी बिक्री तथा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन और उपयोग पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित परियोजनाएं

3197. श्री रघुनाथ झा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित कितनी परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है;

(ख) क्या उन सभी परियोजनाओं का कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही कोई भी परियोजना ऐसी नहीं है जो विशेष तौर पर प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से श्रमजीवी वर्ग से सम्बन्धित हो। तथापि, 1989 में 'व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना' नामक परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए और 31.12.1998 को उसे बन्द कर दिया गया था। विश्व बैंक ने एस.डी.आर. 189.2 मिलियन (लगभग 350 अमेरिकी डालर) की सहायता उपलब्ध करवाई थी जिसे बाद में घटाकर एस.डी.आर. 101.3 मिलियन कर दिया गया था। इस परियोजना ने श्रम मंत्रालय के दीर्घावधि कार्यक्रम यथा—राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति के आधुनिकीकरण और उसकी पुनर्संरचना तथा इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में कुशल एवं अकुशल कर्मकारों की उत्पादकता में सुधार लाने में सहायता प्रदान की है।

''ठोस अपशिष्ट का निपटान''

3198. श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में अस्पतालों, उद्योगों, मछलियों के थोक बाजार, स्क्रैप बाजार, बूचड़खानों और ताप विद्युत संयंत्रों से प्रतिदिन निकलने वाले 5,500 टन से भी अधिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की समस्या हो रही है जिसके कारण पर्यावरणीय प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दिल्ली राज्य को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस समस्या से किस तरह से निपटने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) राजधानी में कुल नगरीय ठोस अपशिष्ट लगभग 6000 टन प्रतिदिन पैदा होता है जिसमें से लगभग 35 टन अपशिष्ट अस्पतालों और 98 टन अपशिष्ट बूचड़खानों, थोक मछली और स्क्रैप बाजारों का है। इसके अतिरिक्त ताप वैद्युत संयंत्रों से लगभग 5600 टन अपशिष्ट प्रतिदिन निकलता है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने ठोस अपशिष्टों की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाए उठाए हैं :

(i) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। नियमों में ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, उपचार और निपटान तथा पुनः प्रयोज्य का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मौजूदा भूमिभरण स्थलों के सुधार सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की गई है। इसके लिए एक कार्यान्वयन समय-सूची तैयार कर ली गई है। स्थानीय प्राधिकरण नामतः दिल्ली नगरपालिका और नई दिल्ली नगर परिषद को इन नियमों का पालन करना अपेक्षित है।

(ii) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 1998 को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है और इसमें जैसे चिकित्सा अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, शोधन और निपटान का प्रावधान है। दिल्ली के मुख्य अस्पतालों ने इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय उठाए हैं।

(iii) फ्लाई एश की उपयोगिता पर एक अधिसूचना 04 सितम्बर, 1999 को जारी की गई थी। दिल्ली में, वैद्युत संयंत्रों से पैदा होने वाली फ्लाई एश को अन्य कार्यों के साथ-साथ फ्लाई एश ईंटों के निर्माण में भी उपयोग किया गया है।

(iv) दिल्ली में अन्य एजेंसियों सहित उद्योग विभाग ने औद्योगिक क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया है जिससे दिल्ली में पैदा हो रहे औद्योगिक अपशिष्ट का उपयुक्त प्रबन्धन सुनिश्चित कराया जा सके।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

3199. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के सन्दर्भ में उड़ीसा में चल रही सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राप्त किए गए नए स्वीकृत एवं लम्बित प्रस्तावों का प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) लम्बित प्रस्तावों को निपटाने हेतु क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और राज्य के आदिवासी क्षेत्रों को क्या लाभ मिलने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) उड़ीसा में अपर इन्द्रावती, रेंगाली, सुबनरेखा, आनन्दपुर बैराज, अपर कोलाब, तितलागढ़ चरण-II, लोअर इन्दिरा, लोअर सुकतेल, पोट्टेरू और डब्ल्यू.आर.सी.पी. (उड़ीसा) नामक 10 सिंचाई परियोजनाओं की मानीटरी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही है। परियोजना घटकों की गम्भीर समीक्षा की जाती है, बाधाओं और कमियों का पता लगाया जाता है और सुधारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के 35 मानीटरिंग दौरे किए गए हैं।

(ग) और (घ) 11 वृहद और 10 मध्यम परियोजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों में से 4 वृहद और 2 मध्यम परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। उन पर राज्य सरकार से पत्राचार हो रहा है। शेष परियोजनाओं को जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकार कर लिया गया है। लम्बित परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों का टिप्पणियों के त्वरित अनुपालन पर निर्भर करता है।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन सिंचाई परियोजनाओं और लाभान्वित होने वाले जनजातीय क्षेत्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले
	वृहद परियोजनाएं	
1.	पोट्टेरू	मालकानगिरि
2.	(क) रेंगाली बांध	धनकनाल, कटक
	(ख) रेंगाली सिंचाई	क्योंझर और बालासौर
3.	(क) अपर कोलाब बांध	कोरापुट
	(ख) अपार कोलाब सिचाई	कोरापुट
4.	(क) अपर इन्द्रावती बांध	कालाहांडी
	(ख) अपर इन्द्रावती सिंचाई	कालाहांडी, नौरंगपुर
5.	(क) सुबनरेखा	बालासौर, मयूरभंज
6.	कानपुर	क्योंझर और सुन्दरगढ़
	मध्यम परियोजनाएं	
1.	हरभंगी	गंजाम, गजपति
2.	अपर जांक	कालाहांडी, नोआपाड़ा
3.	बाधुआ चरण-II	गंजाम
4.	बड़ानाला	कोरापुट, रायगाडा
5.	देव	मयूरभंज
6.	बाधालती	गंजाम
7.	तितलागढ़	बोलंगीर
	नौवीं योजना में शुरू की गई नई परियोजनाएं	
	वृहद परियोजनाएं	
1.	लोअर सुकतेल	बोलंगीर
2.	लोअर इन्द्रा	कालाहांडी
	मध्यम परियोजना	
1.	बाघ बैराज	फुलबानी
2.	तेलनगिरि	कोरापुट
3.	राकुरा	सुन्दरगढ़

अवक्रमित वन भूमि को पुनः हरा-भरा बनाना

3200. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **पर्यावरण और** वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अवक्रमित भूमि को पुनः हरा-भरा बनाने हेतु ग्राम समुदायों और स्वैच्छिक एजेंसियों को उक्त कार्य में शामिल करने के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान परती भूमि के विकास, वृक्षारोपण, वन रोपण, मृदा अपदरन रोकने आदि कार्य के लिए सहायता लेने हेतु कोई कदम उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की पर्यावरण संरक्षण के ऐसे पहलुओं पर बल देने हेतु भावी योजना क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मुख्य वनीकरण स्कीमों नामशः एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम (आई.ए.ई.पी.एस.), क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी एवं चारा परियोजना स्कीम (ए.ओ.एफ.एफ.पी.), औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी, वनोत्पाद का संरक्षण एवं विकास (एन.टी.एफ.पी.) तथा अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों का शामिल करना (ए.एस.टी.आर.पी.), संयुक्त वन प्रबन्धन (जे.एफ.एम.) को स्कीम का अभिन्न अंग बनाया गया है। हाल ही में, सहभागिता प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से देश में प्रायोगिक आधार पर वन विकास एजेंसियों की शुरूआत की गई है।

[हिन्दी]

बेरोजगार श्रमिक

3201. **डॉ. बलिराम :**
श्री रामदास आठवले :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्योगों के बन्द होने एवं श्रमिकों की छंटनी के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान कितने श्रमिकों के बेरोजगार होने की सम्भावना है; और

(घ) सरकार द्वारा आज की तिथि तक उन्हें पुनर्वासित करने हेतु क्या प्रयास किए गए या किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) उत्तर विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान जिन कर्मकारों की नौकरियां समाप्त होने की सम्भावना है, उनकी संख्या सम्बन्धी जानकारी श्रम मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

(घ) समुचित सरकार उन इकाइयों के पुनर्वास के लिए कदम उठाती रही है जिन्हें पुनर्वासित करना सम्भव रहा है।

विवरण-I

वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान स्थायी बंदियों और उनके द्वारा प्रभावित हुए कर्मकारों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/के.शा.प्र.	वर्ष 1998 इकाइयों की संख्या	वर्ष 1998 प्रभावित कर्मकारों की संख्या	वर्ष 1999 इकाइयों की संख्या	वर्ष 1999 प्रभावित कर्मकारों की संख्या	वर्ष 2000 इकाइयों की संख्या	वर्ष 2000 प्रभावित कर्मकारों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	–	–	2	114	1	60
असम	–	–	–	–	–	–
बिहार	4	219	3	90	–	–
दिल्ली	2	607	–	–	–	–
गोवा	2	36	4	163	4	156
गुजरात	34	1067	14	272	19	659
हरियाणा	2	83	2	187	4	262
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	4	91
कर्नाटक	3	182	3	2237	8	569
केरल	–	–	9	293	8	337
मध्य प्रदेश	4	274	9	1552	–	–
महाराष्ट्र	1	70	–	–	–	–
उड़ीसा	13	2537	5	350	8	498
पंजाब	1	1425	51	8202	–	–
राजस्थान	1	350	5	269	3	83
तमिलनाडु	7	94	2	630	2	631
त्रिपुरा	42	742	18	139	6	100
उत्तर प्रदेश	38	5190	13	559	–	–
पश्चिम बंगाल	–	–	10	463	5	426
चंडीगढ़	–	–	3	75	–	–
पांडिचेरी	21	510	5	91	17	256
कुल	**175**	**13386**	**158**	**15686**	**89**	**4128**

नोट : शेष राज्यों/के.शा. प्रदेशों के बारे में सूचना या तो 'शून्य' है, या 'उपलब्ध नहीं' है।

– का अर्थ शून्य है। स्रोत : लेबर ब्यूरो, शिमला।

विवरण-II

वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान छटनी करने वाली इकाइयों और उससे छटनी किए गए कर्मकारों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/के.शा.प्र.	वर्ष 1998 इकाइयों की संख्या	वर्ष 1998 प्रभावित कर्मकारों की संख्या	वर्ष 1999 इकाइयों की संख्या	वर्ष 1999 प्रभावित कर्मकारों की संख्या	वर्ष 2000 इकाइयों की संख्या	वर्ष 2000 प्रभावित कर्मकारों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	–	–	1	24	–	–
असम	–	–	–	–	–	–
बिहार	–	–	–	–	1	154
दिल्ली	2	21	–	–	–	–
गोवा	–	–	1	22	1	10
गुजरात	106	1273	109	801	56	407
हरियाणा	3	134	2	57	1	6
हिमाचल प्रदेश	–	–	2	20	3	62
कर्नाटक	–	–	–	–	1	11
केरल	–	–	2	38	5	41
मध्य प्रदेश	–	–	2	28	–	–
महाराष्ट्र	1	104	–	–	–	–
उड़ीसा	6	146	23	451	7	239
पंजाब	–	–	2	25	2	959
राजस्थान	1	30	7	33	–	–
तमिलनाडु	1	156	4	21	–	–
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	5	107	4	123	–	–
पश्चिम बंगाल	6	36	–	–	–	–
अं. व. नि. द्वीप समूह	–	–	–	–	1	167
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
कुल	**131**	**2007**	**159**	**1643**	**78**	**2056**

नोट : शेष राज्यों/के.शा. प्रदेशों के बारे में सूचना या तो 'शून्य' है, या 'उपलब्ध' नहीं है।

– का अर्थ शून्य है। स्रोतः लेबर ब्यूरो, शिमला।

[अनुवाद]

ब्रिटिश एयरवेज की क्षमता

3202. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरवेज ने भारत में अपने मालवाहक विमानों की परिचालन क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश एयरवेज ने भारतीय निर्यात के लिए भी उड़ान भरने का फैसला किया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे माल ले जाने में भारत को किस हद तक सहायता मिलने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं। ब्रिटिश एयरवेज ने 2001 के ग्रीष्मकाल से एक अतिरिक्त मालवाही सेवा प्रचालित किए जाने का प्रस्ताव किया है।

(ख) से (घ) जहां तक कारगो उड़ानों का सम्बन्ध है, भारत सरकार एक मुक्त गगन नीति का अनुपालन करती है जिसमें विदेशी एयरलाइनों को कितनी भी संख्या में मालवाही सेवाओं के प्रचालन की अनुमति दी जाती है। यह नीति निर्यात कारगो के तेजी से क्लीयरेंस के लिए बनाई गई है।

[हिन्दी]

''वन्य भूमि को पट्टे पर देना''

3203. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य भूमि को पट्टे पर देने सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने 1998 से जनवरी, 2001 तक विभिन्न वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के 156 प्रस्ताव भेजे हैं। इनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

1. अनुमोदित	83
2. गुण-दोष के आधार पर रद्द	26
3. राज्य सरकार से मांगे गए ब्यौरे प्राप्त न होने के कारण बन्द	17
4. वापस लिए गए प्रस्ताव	5
5. वे प्रस्ताव जिन पर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है	10
6. अधूरे प्रस्ताव तथा राज्य द्वारा अभी मांगी गई सूचना भेजी जानी है	15

लगभग 6 प्रतिशत प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है। मंत्रालय हर दृष्टि से पूर्ण प्रस्तावों को 90 दिनों के अन्दर मंजूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। लगभग 10 प्रतिशत प्रस्ताव अधूरे हैं और इन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि मांगे गए ब्यौरे अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं। इसलिए परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन

3204. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें ठीक करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ख) 3.9.2001 की स्थिति के अनुसार 438 दोषपूर्ण वीपीटी की सूचना मिली है, जिनके कारण निम्नलिखित हैं :

(i) बैटरी समस्या

(ii) आरएसयू और बीएसयू में दोष

(iii) भूज में भारी भूकम्प

(ग) वीपीटी को चालू रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) बेस स्टेशन का रोजाना हैल्थ चैक

(ii) सैम्पल डायलिंग

(iii) दिन प्रति-दिन अनुरक्षण के लिए अनुक्षण टीमों का गठन करना

(iv) दोषपूर्ण कार्डों की मरम्मत करने के लिए मरम्मत केन्द्र खोलना

(v) दोषपूर्ण बैटरियों को बदलना।

[हिन्दी]

सेलुलर टेलीफोन

3205. श्री अब्दुल रशीद शाहीनः
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री चन्द्र विजय सिंह :
डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सेलुलर टेलीफोन आपरेटरों द्वारा प्रति कॉल अन्तर्राष्ट्रीय दरों की तुलना में अधिक दर वसूली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में सेलुलर टेलीफोन सेवाओं की दरें अलग-अलग हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन्हें इसी शर्त पर लाइसेंस दिया था कि यह कॉलों की एक नियत राशि से अधिक राशि कॉल दर से रूप में नहीं वसूलेंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त टेलीफोनों का मासिक किराया कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीसी) के लिए टैरिफ का निर्धारित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा किया जाता है। सीएमटीएस के लिए टैरिफ में दो तत्व अर्थात् एयर टाइम और किराया, शामिल होते हैं। दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए मानक टैरिफ पैकेज विनिर्दिष्ट किया गया है। उपभोक्ताओं को इस मानक टैरिफ पैकेज की पेशकश हमेशा की जानी चाहिए। इस समय, मानक टैरिफ पैकेज में मेट्रो शहरों के लिए 475/- रु. (मासिक किराया) और 4/- रु. (एयर टाइम) प्रति मिनट तथा दूरसंचार सर्किलों में 500/- रु. मासिक किराया तथा 4.50/- रु. प्रति मिनट एयर टाइम विनिर्दिष्ट है। तथापि, सेल्यूलर सेवा प्रदाता आमतौर पर अनिवार्य मानक टैरिफ के अलावा वैकल्पिक टैरिफ पैकेज की पेशकश करते हैं, बशर्ते भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को आवश्यक रूप से इसकी जानकारी दी जाए। प्रस्तावित टैरिफ पैकेज बाजार की स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। उपभोक्ता को स्वतंत्रता है कि वह मानक टैरिफ पैकेज सहित सभी टैरिफ पैकेजों में से चयन करें। अतः विभिन्न देशों में ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तावित पैकेजों की तुलना करना कठिन है। इसके अतिरिक्त, डॉलर की तुलना में विभिन्न देशों की मुद्राओं की विनिमय दरें भी इस तुलना को मुश्किल बनाती हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। निजी सेल्यूलर ऑपरेटरों को मूलभूत रूप से स्वीकृत लाइसेंस करार में 156/- रु. मासिक किराया, छः कॉल प्रति मिनट का एयर टाइम प्रभार तथा इसके अतिरिक्त फिक्स्ड नेटवर्क के प्रयोग हेतु लागू प्रभारों का अधिकतम टैरिफ दिया गया था। कॉल करने वाले और कॉल प्राप्त करने वाले, दोनों व्यक्तियों को एयर टाइम प्रभार देने होते थे। पीक तथा ऑफ-पीक एयर टाइम प्रभार तत्समय प्रचलित 1.40 रु. की यूनिट कॉल दर पर क्रमशः 16.80 रु. और 8.40 रु. प्रति मिनट होती थी।

तत्पश्चात् टीआरएआई ने सेल्यूलर सेवाओं के लिए उपर्युक्त भाग (क) से (घ) में दिए गए विवरणानुसार टैरिफ निर्धारित किया।

[अनुवाद]

भारत में प्रति व्यक्ति टेलीफोनों की संख्या

3206. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विश्व में प्रति व्यक्ति टेलीफोनों की संख्या सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करके देश में प्रति व्यक्ति टेलीफोनों की उपलब्धता बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नई दूरसंचार नीति, 1999 में टेलीघनत्व के वर्ष 2005 तक 7 और वर्ष 2010 तक 15 तक पहुंच जाने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेलीघनत्व को बढ़ाकर 4 तक करने की परिकल्पना भी की गई है। सरकार का प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए मांग के आधार पर वार्षिक योजना लक्ष्यों में वृद्धि करने का है। नई दूरसंचार नीति, 1999 में सचल (मोबाइल) में निजी क्षेत्र से योगदान की भी परिकल्पना की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रम

3207. श्री अधीर चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु आवश्यक मूलभूत और ढांचागत सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार को देश में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु विदेशों से सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस विदेशी सहायता को किस प्रकार खर्च किया गया; और

(घ) देश में बाल श्रम का किस हद तक उन्मूलन किया जा सका है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) देश से बाल श्रम की समस्या के उन्मूलन हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की थी। इस नीति में केन्द्र तथा राज्य स्तरीय तंत्र के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन करने, बाल श्रमिकों के माता-पिता की आर्थिक स्थित बेहतर बनाने के लिए सेवाओं का समेकन करने तथा जिला स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से बाल श्रम बहुल क्षेत्रों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू करने पर बल दिया गया है।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाल श्रम उल्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में 1992 से ही भाग लेता रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय संचालन समिति से कार्योन्मुखी कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंजियों को निधि उपलब्ध कराई जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सूचनानुसार इसने सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, श्रमिक संघों तथा नियोक्ता संगठनों के माध्यम से 161 बाल श्रम परियोजनाएं

कार्यान्वित की हैं। इन परियोजनाओं के लिए 1992 से अब तक लगभग: 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का वितरण किया जा चुका है।

बाल श्रम एक जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या है, जिससे निपटने के लिए लम्बे समय तक प्रयास किया जाना जरूरी है। समस्या की प्रकृति तथा व्यापकता के मद्देनजर, बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने तथा उनके पुनर्वास हेतु, क्रमिक व चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन सुविधा

3208. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) हर्दा जिले के 463 गांवों में से, बीएसएनएल द्वारा 340 गांवों में वीपीटी (ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन) प्रदान किए गए हैं। शेष 123 गांवों में मैसर्स भारती टेलीनेट लि. (बी.टी.एन.एल.) नामक एक निजी आपरेटर द्वारा वी.पी.टी. प्रदान किए जाएंगे।

हर्दा जिले के 68 गांवों में लगभग 680 टेलीफोन कनेक्शनों की ग्रामीण टेलीफोन मांग है। ये सभी वीपीटी तथा ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन मार्च, 2002 तक प्रदान किए जाएंगे।

(ग) हर्दा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :

हर्दा के लिए 'प्वाइंट टू मल्टी प्वाइंट (टी.डी.एम.ए.) प्रणाली' की योजना बनाई गई है तथा उपस्कर की खरीद के आदेश दे दिए गए हैं। मार्च, 2001 तक उक्त उपस्कर प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

2001-02 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लूप में बेतार (डब्ल्यू.एल.एल.) प्रणाली से सुविधा प्रदान करने के लिए उक्त प्रणाली की योजना भी बनाई जा रही है।

[अनुवाद]

बकाया राशि

3209. श्री एम. चिन्नासामी :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में बहुत से टेलीफोन उपभोक्ताओं ने महानगर टेलीफोन निगम लि. और भारत संचार निगम लि. का करोड़ों रुपया चुकाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया राशि वसूलने हेतु क्या कदम उठाए गए?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सूचना मंगाई गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भू-जल स्तर में गिरावट

3210. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के बहुत से भागों में भू-जल की गुणवत्ता की जांच कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में शोध करने हेतु कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जल राज्य का विषय होने के कारण, स्वच्छ पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। देश में भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए संघ सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, भूजल विकास के नियंत्रण और विनियमन के लिए समय-समय पर क्षेत्रों को अधिसूचित करना। इस बोर्ड ने अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नजफगढ़ और महरौली ब्लाकों, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र और गाजियाबाद, लुधियाना शहर, राजस्थान के जयपुर जिले के दियु और झोटवाड़ा ब्लाक को अधिसूचित किया है।

(ii) ऐसे प्रदूषित क्षेत्रों में स्थापित हैंड पम्पों एवं अन्य संरचनाओं की पहचान करना जहां उथले भूजल मानवीय उपयोग के उपयुक्त नहीं है और चेतावनी स्वरूप उनमें लाल पेंट लगाना।

(iii) केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने भूजल के प्रदूषण और अतिदोहन के सम्बन्ध में जनता, उद्योगपतियों और औद्योगिक कर्मचारियों के बीच जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है।

(iv) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में भूजल गुणवत्ता की आवधिक मानीटरिंग कर रहा है।

(v) राजीव गांधी पेय जल मिशन ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेय जल मुहैया करा रहा है तथा जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में राज्यों को संदूषण निरोधक संयंत्रों को भी उपलब्ध करा है।

(vi) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने अनेक उपाय जैसे—राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उद्योगों को निर्धारित मानकों के अनुसार औद्योगिक कचरे को बहाने तथा साझा जल निस्तरण उपचार संयंत्र लगाने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने सम्बन्धी स्कीम शुरू करने तथा गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों गुणवत्ता मानीटरी स्कीम शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार, ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेय जल आपूर्ति के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.)

के तहत निधियां उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों का 20% तक का उपयोग ग्रामीण पेय जल सम्बन्धी गुणवत्ता समस्याओं के निराकरण और इसकी निरंतरता को बनाए रखने सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमों के लिए कर सकते हैं। राज्य सरकारों के दिनांक 1.4.1998 से प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमों की आयोजना, स्वीकृति एवं उनके कार्यान्वयन का अधिकार प्रदत्त किया गया है। प्रस्तुतीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाले खर्च को केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाता है।

हाल ही में शुरू की गई प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण पेज जल भी एक घटक शामिल है, जिसके अन्तर्गत प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याओं के निवारण के लिए परियोजनाओं/स्कीमों को भी प्रारम्भ किया जा सकता है।

यात्री सुविधाएं

3211. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित यात्री सुविधाओं का उचित रख-रखाव नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों पर खराब रख-रखाव के कारण हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कमियों के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) विभिन्न हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं के अनुक्षरण और निरीक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली बनाई गई है, जो सामान्यतया कुशलपूर्वक और सन्तोषजनक ढंग से कार्य करती है। फिर भी दिनांक 13 दिसम्बर, 1999 को दुर्भाग्यवश इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वचालित सीढ़ियों में फंसने से एक बच्ची कुचली गई थी। स्वचालित सीढ़ी के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध एक विभागीय जांच की गई।

[हिन्दी]

रेलवे प्लेटफार्मों पर एस.टी.डी. बूथ

3212. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विचार धुले रेलवे प्लेटफार्म पर एस.टी.डी. बूथ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) फिलहाल धुले रेलवे प्लेटफार्म पर एस.टी.डी. बूथ के आवंटन के लिए कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि धुले रेलवे प्लेटफार्म पर एस.टी.डी./पी.सी.ओ. के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, अतः हम रेलवे प्लेटफार्म पर एस.टी.डी./आई.एस.डी./सी.सी.बी. पी.सी.ओ. बूथ संस्थापित करने की अनुमति के लिए रेलवे प्राधिकारियों से सम्पर्क कर रहे हैं।

[अनुवाद]

"पर्यावरण संरक्षण संबंधी परियोजनाएं"

3213. श्री सी.पी. राधाकृष्णन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं/योजनाओं के लिए राज्यवार और योजनावार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं/योजनाओं के लिए राज्यवार और स्कीमवार आवंटित/जारी धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपये लाख में)

योजना का नाम	राज्य	आवंटित/रिलीज निधियां			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
दावानल नियंत्रण की आधुनिक पद्धतियां	आन्ध्र प्रदेश	14.16	16.00	20.00	
	अरूणाचल प्रदेश				22.35
	असम				15.50
	बिहार		28.35	10.41	
	छत्तीसगढ़				44.00
	गोवा				15.00
	गुजरात	23.73	39.06	18.00	26.28
	हरियाणा				11.67
	हिमाचल प्रदेश	19.75	17.37	31.38	31.97
	जम्मू एवं कश्मीर				32.70
	झारखण्ड				42.15
	कर्नाटक	23.41	39.00	34.04	33.55
	केरल	21.22	22.49	25.52	15.30
	मध्य प्रदेश	11.58	22.81	20.97	41.75
	महाराष्ट्र		8.79	10.00	191.29
	मणिपुर				34.00

1	2	3	4	5	6
	मेघालय				23.69
	मिजोरम				24.60
	उड़ीसा		23.42	20.40	9.10
	राजस्थान				22.68
	सिक्किम				25.00
	तमिलनाडु		15.60	25.80	8.85
	त्रिपुरा				32.40
	उत्तर प्रदेश	37.11	36.82	20.00	6.40
	उत्तरांचल				56.40
	पश्चिम बंगाल				34.85
भोगाधिकार में हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जन-जातियों तथा निर्धन ग्रामीणों को शामिल करना।	आन्ध्र प्रदेश		6.55	19.66	21.76
	अरूणाचल प्रदेश			8.18	22.81
	बिहार	34.09	32.86		19.52
	गुजरात		14.04	15.00	32.76
	जम्मू एवं कश्मीर		12.17	16.00	47.08
	कर्नाटक	5.70	18.72	38.72	25.00
	मध्य प्रदेश	47.40	48.01	50.00	70.00
	महाराष्ट्र		5.00	37.94	20.10
	मणिपुर		9.36	26.33	25.00
	मिजोरम		6.55	18.02	19.98
	नागालैण्ड		6.00		9.80
	राजस्थान		15.91	32.06	25.00
	त्रिपुरा		4.55	8.00	9.25
	पश्चिम बंगाल			7.06	7.61
नम भूमियों का संरक्षण और प्रबन्ध	आन्ध्र प्रदेश		8.89	25.80	
	असम				14.80
	गुजरात				7.00
	हिमाचल प्रदेश	34.80	12.76	46.50	
	जम्मू एवं कश्मीर		45.87		45.50
	केरल				33.33
	मणिपुर	97.65	67.48	97.28	70.00
	उड़ीसा			36.00	55.00
	पंजाब			20.30	70.55
	राजस्थान			36.76	
	त्रिपुरा		5.00	15.00	15.00
हाथी परियोजना	आन्ध्र प्रदेश		30.21	11.86	46.90
	अरूणाचल प्रदेश		10.08	19.30	89.81
	असम		29.60	25.15	45.00
	बिहार		40.00	26.00	
	झारखण्ड				20.00
	कर्नाटक		40.00	85.00	51.00
	केरल		143.40	63.55	66.05
	मेघालय			20.68	35.75
	नागालैण्ड		11.00	40.00	35.17
	उड़ीसा			25.00	29.75
	तमिलनाडु		69.28	48.21	50.00
	उत्तर प्रदेश		95.00	155.81	80.00
	उत्तरांचल				5.00
	पश्चिम बंगाल		78.44	76.01	79.04
बाघ परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	10.70	18.01	29.04	45.00
	अरूणाचल प्रदेश	20.00	47.68	30.59	32.61
	असम	45.08	35.00	87.29	156.10
	बिहार	36.75	153.99	165.95	87.08
	कर्नाटक	25.00	69.34	167.08	193.36
	केरल	34.95	39.19	43.66	50.00
	मध्य प्रदेश	133.78	225.12	332.16	428.35
	महाराष्ट्र	60.53	110.74	134.76	141.44
	मेघालय				1.50

1	2	3	4	5	6
	मिजोरम	12.45	9.65	21.43	27.54
	उड़ीसा	49.30	67.65	84.45	82.46
	राजस्थान	149.88	472.26	222.59	291.70
	तमिलनाडु	45.60	32.50	58.78	40.00
	उत्तर प्रदेश	125.01	199.75	234.23	181.65
	पश्चिम बंगाल	58.95	179.98	137.14	98.18
पारिस्थितिकीय विकास परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	25.40	40.02	44.53	33.55
	अरूणाचल प्रदेश	5.00	15.23	13.82	31.83
	असम	10.25	42.34	32.00	45.51
	बिहार	50.00	104.98	238.39	153.99
	गुजरात	360.00	161.00	698.84	684.95
	हिमाचल प्रदेश	58.40		86.84	66.00
	जम्मू एवं कश्मीर	22.49		13.70	
	कर्नाटक	84.65	452.35	1068.95	634.87
	केरल	449.50	449.50	439.02	715.25
	मध्य प्रदेश	101.33	431.76	481.00	326.53
	महाराष्ट्र	7.43	41.88	96.15	27.00
	मणिपुर	4.75	10.40	10.11	21.44
	मेघालय				21.52
	मिजोरम	10.50	2.00	64.55	118.05
	नागालैण्ड		10.00	8.00	23.25
	उड़ीसा	45.77	22.60	12.00	56.16
	पंजाब	9.14	10.20		
	राजस्थान	50.00	158.00	150.00	531.28
	सिक्किम		5.85	32.63	29.60
	तमिलनाडु	4.12	18.10	31.96	6.30
	त्रिपुरा		44.40		20.00
	उत्तर प्रदेश	41.45	101.86	66.51	113.74
	पश्चिम बंगाल	443.52	502.09	561.69	530.39
आदिवासी विकास के लिए लाभोन्मुखी स्कीम	कर्नाटक	25.00		68.50	64.65
	मध्य प्रदेश	45.00	350.00	201.08	200.00
	महाराष्ट्र				46.00
	उड़ीसा	40.00			
एकीकृत वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास परियोजना	आन्ध्र प्रदेश		143.51	149.65	246.55
	अरूणाचल प्रदेश	65.21	14.94	57.87	51.99
	असम	55.35	50.00	67.15	52.25
	बिहार	69.35	13.20	60.69	47.56
	गुजरात	36.63	13.00	58.94	221.45
	हरियाणा	62.00	109.93	81.29	77.60
	हिमाचल प्रदेश	0.00	52.28	37.92	78.91
	जम्मू एवं कश्मीर	169.66	288.37	364.09	326.85
	कर्नाटक	143.72	37.42	160.36	167.43
	केरल	135.15	199.35	346.14	486.09
	मध्य प्रदेश	279.02	231.27	352.83	327.66
	महाराष्ट्र	71.46	84.28	17.18	225.68
	मणिपुर	98.30	283.72	468.73	328.11
	मेघालय	0.00		10.21	14.70
	मिजोरम	77.11	96.26	147.56	149.42
	नागालैण्ड	0.00		38.60	73.64
	उड़ीसा	0.00	176.60	239.66	729.00
	पंजाब	57.54	37.83	28.62	0.00
	राजस्थान	242.25	253.39	376.57	432.67
	सिक्किम	91.00	214.59	109.82	183.01
	तमिलनाडु	0.00	18.02		84.55
	त्रिपुरा	65.00	58.57	37.77	91.51
	उत्तर प्रदेश	229.95	385.00	367.71	396.40
	पश्चिम बंगाल	15.64	125.60	170.64	121.60
	पांडिचेरी	0.00			20.12
क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी एवं चारा परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	144.88	89.79	69.92	146.38
	अरूणाचल प्रदेश	6.00		7.00	9.28

1	2	3	4	5	6
	असम	70.00	83.95	89.69	42.83
	बिहार	17.40	37.18	190.94	30.00
	गोवा	5.00	3.00	5.69	2.89
	गुजरात	135.98	157.10	212.45	206.27
	हरियाणा	194.38	261.00	265.59	323.20
	हिमाचल प्रदेश	142.08	58.20	181.78	132.96
	जम्मू एवं कश्मीर	120.33	42.31		
	कर्नाटक	195.31	74.45	153.70	70.00
	केरल	87.17	106.96	75.61	65.03
	मध्य प्रदेश	210.18	500.50	388.13	300.00
	महाराष्ट्र	75.00	27.91	120.91	18.53
	मणिपुर	100.00	128.75	127.54	47.90
	मिजोरम	244.12	211.91	173.22	147.81
	नागालैण्ड	0.00	4.23	10.87	9.00
	उड़ीसा	91.14	69.21	116.53	96.12
	पंजाब	169.14	20.98		0.00
	राजस्थान	304.61	263.35	160.00	7.18
	सिक्किम	69.99	67.18	69.52	55.54
	तमिलनाडु	133.45	84.24	93.03	100.59
	त्रिपुरा	94.30	33.19		60.00
	उत्तर प्रदेश	212.44	205.62	329.02	153.43
	पश्चिम बंगाल	134.68	168.99	197.10	178.61
गैर टिम्बर वनोत्पाद	आन्ध्र प्रदेश	46.39	36.86	119.13	168.0
	अरूणाचल प्रदेश	0.00	5.00	30.00	0.00
	असम	13.50	14.00	25.00	74.00
	बिहार	14.00	14.00	0.00	60.00
	गोवा	8.22	10.87	12.13	32.06
	गुजरात	57.68	58.66	116.65	191.62
	हरियाणा	36.30	38.25	29.44	44.35
	हिमाचल प्रदेश	28.63	4.00	32.19	34.99
	जम्मू एवं कश्मीर	97.05	151.35	187.85	110.00
	कर्नाटक	43.00	53.87	51.34	81.63
	केरल	10.35	4.00	13.10	45.50
	मध्य प्रदेश	71.00	69.80	77.50	187.50
	महाराष्ट्र	38.51	48.66	0.00	127.00
	मणिपुर	18.00	47.24	53.94	118.37
	मेघालय	0.00	12.00	0.00	38.00
	मिजोरम	17.90	25.00	53.45	88.82
	नागालैण्ड	0.00	5.00	0.00	64.00
	उड़ीसा	48.00	102.88	86.08	162.20
	पंजाब	29.50	4.00	0.00	25.00
	राजस्थान	58.61	130.40	116.21	125.40
	सिक्किम	32.50	61.31	102.00	198.44
	तमिलनाडु	0.00	33.00	0.00	47.38
	त्रिपुरा	6.35	10.15	17.25	17.15
	उत्तर प्रदेश	53.00	0.00	5.00	78.00
	पश्चिम बंगाल	21.47	59.70	71.74	79.00
ताल सुरक्षा मिशन	उत्तर प्रदेश	0.00	3200.00	1250.00	2103.25
राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास	आन्ध्र प्रदेश	43.39	50.72	87.54	186.07
	अरूणाचल प्रदेश	27.95	57.91	50.98	121.12
	असम	54.62	58.05	53.44	317.20
	बिहार	6.00		27.85	21.02
	गोवा		11.07	21.30	10.50
	गुजरात	17.00	13.80	22.10	65.27
	हरियाणा	14.57	37.20	21.55	28.35
	हिमाचल प्रदेश	61.50	49.80	47.46	165.30
	जम्मू एवं कश्मीर	124.70	7.00	5.55	0.00
	कर्नाटक	78.17	84.12	100.32	307.18
	केरल	49.29	49.35	59.97	102.62
	मध्य प्रदेश	195.66	35.93	152.20	182.19
	महाराष्ट्र	48.84	27.78	123.43	90.96
	मणिपुर	13.50	19.64	13.28	41.78
	मेघालय	0.00	0.000	0.00	66.36

1	2	3	4	5	6
	मिजोरम	13.48	8.45	12.30	102.31
	नागालैण्ड	15.29	9.00	9.70	31.85
	उड़ीसा	34.22	68.73	94.74	3.50
	पंजाब	14.03	8.65	11.57	26.39
	राजस्थान	82.34	89.52	66.54	116.00
	सिक्किम	12.51	11.00	12.00	97.45
	तमिलनाडु	61.28	74.63	61.18	89.83
	त्रिपुरा	29.81	0.00	19.97	21.90
	उत्तर प्रदेश	112.11	89.57	117.81	144.60
	पश्चिम बंगाल	69.69	72.96	55.20	90.22
	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	20.56	0.00	22.00	50.00
	चण्डीगढ़	12.00	0.00	28.00	0.00
गंगा कार्य योजना चरण-I	उत्तर प्रदेश	247.00	250.00	0.00	0.00
	पश्चिम बंगाल	55.60	0.00	0.00	0.00
गंगा कार्य योजना चरण-II	बिहार	0.00	0.00	0.00	6.50
	दिल्ली	82.59	200.00	125.00	67.50
	हरियाणा	2585.00	2650.00	1482.00	600.00
	उत्तर प्रदेश	5413.50	5350.00	6846.51	3085.60
	पश्चिम बंगाल	0.00	400.00	400.00	150.00
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	आन्ध्र प्रदेश	200.00	0.00	677.89	0.00
	बिहार	0.00	0.00	0.00	100.00
	गुजरात	650.00	220.00	1713.62	0.00
	कर्नाटक	0.00	90.00	435.65	309.00
	मध्य प्रदेश	124.00	500.00	1150.27	698.43
	महाराष्ट्र	100.00	0.00	233.00	700.00
	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	77.00
	पंजाब	0.00	500.00	1295.00	651.80
	राजस्थान	0.00	0.00	50.00	0.00
	तमिलनाडु	0.00	90.00	649.57	1355.00
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	आन्ध्र प्रदेश	43.75	27.25	25.40	69.75
	अरूणाचल प्रदेश	8.12	12.27	9.68	19.36
	असम	19.56	0.42	0.00	89.82
	बिहार	0.00	31.70	15.45	0.00
	गुजरात	21.00	45.43	62.07	95.67
	झारखण्ड	0.00	0.00	10.00	0.00
	कर्नाटक	6.00	10.90	208.50	43.00
	केरल	30.00	0.00	0.00	46.40
	मध्य प्रदेश	29.69	50.50	21.00	35.85
	महाराष्ट्र	20.51	0.00	12.61	12.61
	मणिपुर	0.00	4.57	0.00	49.15
	मिजोरम	0.14	0.00	0.00	62.50
	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	30.00
	उड़ीसा	7.35	3.00	65.50	44.00
	पंजाब	41.75	0.00	0.00	0.00
	राजस्थान	0.50	0.85	102.40	7.02
	सिक्किम	8.88	0.00	19.38	48.64
	तमिलनाडु	16.43	48.75	154.00	46.50
	त्रिपुरा	0.00	0.00	17.34	18.84
	उत्तर प्रदेश	38.50	23.65	56.86	10.00
	पश्चिम बंगाल	29.31	78.85	34.37	72.34
	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	53.00	28.74	15.65

नदियों का मार्ग बदलना

3214. श्री त्रिलोचन कानूनगो :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के पास नदियों का मार्ग बदलने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने हैं;

(घ) क्या उड़ीसा में वंसाधारा और सुवर्णरिखा नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात् अपना मार्ग बदल लेती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) राज्यों से नदियों के डायवरशन के कोई प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच के लिए प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उड़ीसा में गुनपुर शहर के निकट ऐसे स्थान हैं जहां वम्सधारा नदी तेजी से घूमती है। अन्यथा इसका रास्ता उड़ीसा में अधिकांशतः पर्वतीय है और इसके रास्ते में कोई गम्भीर परिवर्तन होने की सूचना नहीं मिली है। उड़ीसा में सुवर्णरिखा नदी का रास्ता भी घुमावदार है।

(ङ) उपर्युक्त दोनों नदियों सम्बन्धी कोई स्कीम केन्द्रीय जल आयोग में जांच के लिए लम्बित नहीं है।

[हिन्दी]

श्रमिकों को विदेशों में भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों को सजा

3215. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों को विदेशों में भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों का केवल पंजीकरण प्रमाणपत्र ही रद्द किया जाता है और उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाए किए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच सम्बन्धित विदेशी मिशनों के साथ परामर्श करके की जाती है और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 14 के अनुसार मामले के गुण-दोष के आधार पर उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र के निलम्बन और रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं आवश्यक हो मामले, जांच और दाण्डिक कार्रवाई किए जाने के लिए पुलिस/के. अन्वेषण ब्यूरो को भी भेजे जाते हैं।

ड्राफ्ट/चैक का गुम हो जाना

3216. राजकुमारी रत्नासिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकृत डाक के भेजे गए ड्राफ्ट/चैक गुम हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) कुछ पंजीकृत पत्रों के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं, जिनमें बैंक ड्राफ्ट/चैक न मिलने की शिकायतें भी शामिल हैं।

(ख) 1998-99 तथा 1999-2000 में 557 मामलों की रिपोर्ट मिली थी।

(ग) जब पंजीकृत पत्र को गुम हो जाना प्रमाणित हो जाता है, तब पंजीकृत पत्र भेजने वाले को विभाग 100/- रुपए अनुग्रहपूर्वक क्षतिपूर्ति का भुगतान करता है। निवारक सतर्कता के उपाय के रूप में तथा डाक प्रणाली के जरिए ट्रांजिट में ऐसी मदों की समुचित संचालन सुरक्षा के उपाय के रूप में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) चोरी/गुमशुदगी का पता लगाने के लिए, जिन कार्यालयों की पहचान की गई है, उनमें विशेष रूप से गठित दस्तों द्वारा अचानक जांच।

(ii) अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई।

(iii) डाक के पारेषण मार्ग को मॉनीटर करने के लिए जांच-पत्र भेजना तथा कठिनाइयां, यदि कोई हों, तो उन्हें दूर करना।

[हिन्दी]

डाक डिलीवरी व्यवस्था

3217. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुनाथ झा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कराए गए 'नेशनल टैस्ट लैटर रन' के निष्कर्षों के अनुसार डाक डिलीवरी की व्यवस्था बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में डाक डिलीवरी व्यवस्था को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में डाक वितरण प्रणाली में सुधार करना एक अनवरत प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में जो कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं उनमें चेन्नई और मुम्बई में आटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्रों की संस्थापना, पंजीकरण छंटाई कार्य का कम्प्यूटरीकरण शीघ्र छंटाई और त्वरित वितरण के लिए डाक का विभिन्न चैनलों में विभाजन, प्रबंधकीय संवर्गों द्वारा डाक रूटिंग और वितरण की निरंतर मॉनीटरिंग तथा जहां डाक के शीघ्र वितरण की सुविधा सम्भव है वहां डाकियों को मोपेड प्रदान करना शामिल हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि से उपलब्ध निधियों से अन्तरराज्यीय सड़कों का निर्माण

3218. श्री एच.जी. रामुलू : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाली अन्तरराज्यीय सड़कों के विकास हेतु

केन्द्रीय सड़क निधि खाते से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में अभी तक 2000-2001 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाकर सड़क विकास के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ग) उक्त धनराशि में से अन्तरराज्यीय सड़क विकास हेतु कितनी राशि आवंटित किए जाने का विचार है; और

(घ) कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश सरकारों के उक्त प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2000-2001 के दौरान 990 करोड़ रु. उपलब्ध कराए जिसमें से आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए क्रमशः 81.61 करोड़ रु. और 57.50 करोड़ रु. नियत किए गए हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान अन्तर्राज्यीय सड़क विकास के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक बोर्ड को अधिकार सम्पन्न बनाना

3219. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे बोर्ड की तरह डाक बोर्ड को अधिकार सम्पन्न बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में निकिल संयंत्र

3220. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नई निकिल खानों के अन्वेषण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राज्य में और अधिक निकिल संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्थापित कर दिए जाने की सम्भावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (घ) वर्तमान में उड़ीसा में नई निकिल खानों के पूर्वेक्षण और निकिल संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) ने क्रोमाइट अयस्क के निष्कर्षण के बाद अपशिष्ट के रूप में एकत्र किए गए क्रोमाइट ढेर (ओवरबर्डन) से निकिल धातु प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। भुवनेश्वर स्थित सी.एस.आई.आर. की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता 10 टन प्रतिदिन तक क्रोमाइट ढेर (ओवरबर्डन) का संसाधन करने की है। संयंत्र को क्रोमाइट ढेर (ओवरबर्डन) से निकिल निष्कर्षण की प्राद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आंकड़ा सृजित करने हेतु परिचालित किया जा रहा है।

आरक्षित टिकटों की पुष्टि में वरीयता

3221. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने पूर्ण भुगतान वाली आरक्षित टिकटों को टिकटों के आरक्षण की पुष्टि में वरीयता देने हेतु कोई नियम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरक्षित टिकटों की पुष्टि में विद्यालयों के छात्रों के रियायती टिकटों पर भी वरीयता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के आरक्षण प्रणाली में बहु श्रेणी संकल्पना, उच्च उपलब्धि श्रेणी (एचवाई) और न्यून उपलब्धि श्रेणी (एलवाई) का प्रावधान किया जाता है। पूरे किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों को एचवाई श्रेणी में तथा रियायत के आधार पर बुकिंग पाने वाले यात्रियों को एलवाई श्रेणी में बुक किया जाता है। यदि प्रस्थान समय के आसपास एचवाई श्रेणी में सीटें बची रह जाती हैं, तब एलवाई श्रेणी के यात्रियों को इन सीटों के लिए ऑफर दी जाती है। यह योजना इस प्रणाली में सभी उड़ानों पर लागू होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) रियायती टिकटों पर बुकिंग कराने वाले विद्यार्थियों की बुकिंग एलवाई श्रेणी में की जाती है और एक सामान्य नियम के अनुसार, उन्हें अग्रिम पुष्टि किए जाने में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

विमानशाला हेतु भूमि आबंटन

3222. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानशाला (हेंगरों) के निर्माण हेतु कौन-कौन सी कम्पनियों को पट्टे पर भूमि दी गई है और भारतीय विमानपत्तन ने कौन-कौन सी कम्पनियों को विमानशालाएं पट्टे पर दी हैं;

(ख) विभिन्न कम्पनियों द्वारा प्रभावित पट्टा कर के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इन कम्पनियों पर कितनी राशि बकाया है और बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इस बारे में सूचना सुनिश्चित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सबमैरीन केबल सर्किटों का विस्तार

3223. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
डॉ. एन. वेंकटस्वामी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के शहरों में इंटरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) नीति के तहत सबमैरीन केबल सर्किटों के विस्तार के लिए तर्कसंगत शुल्क लगाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) को इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के विषय पर विभिन्न पहुलओं तथा दृष्टिकोणों से विचार करने के बाद, सरकार ने आई.एस.पी. को, सुरक्षा सम्बन्धी क्लियरेंस प्राप्त करने के उपरांत, इंटरनेट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे के वास्ते सबमैरिन केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दे दी है। इंटरनेट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे हेतु सबमैरिन केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु आवेदन पर कार्रवाई करने सम्बन्धी फीस 50,000/- रु. है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को समुद्र-तट से 100 कि.मी. की दूरी के भीतर सबमैरिन लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी जाती है जो आई.एस.पी. इंटरनेट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे हेतु सबमैरिन केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, उन्हें अन्य आई.एस.पी. को बैंडविड्थ बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। आई.एस.पी. किसी भी ऐसे टेलीकॉम सेवा प्रदाता से बैंडविड्थ लेकर सबमैरिन केबल लैंडिंग से कनेक्ट हो सकता है, जो बैंडविड्थ बेचने के लिए प्राधिकृत हो।

अन्तरराष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे

3224. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केवल क (ए) दर्जे के शहरों में ही अन्तरराष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे सुविधा की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो देश में फिलहाल कौन-कौन से शहरों को उक्त दर्जा दिया गया है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद को 'क' श्रेणी का दर्जा देने, अपना गेटवे प्रदान करने और शहर को 50 एम.बी.पी. इंटरनेट बैकबोन नोड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद-स्थित मौजूदा बी.एस.एन.एल. इंटरनेट नोड को अपग्रेड करके ग्रेड 'ए' की स्थिति प्रदान करने, एक अन्तर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे प्रदान करने, हैदराबाद के लिए अपग्रेड किए गए ए-1 इंटरनेट-बैकबोन नोड हेतु प्रति सेकण्ड 50 मेगा बाइट्स उपलब्ध कराने और हैदराबाद के लिए तत्काल एसटीएम-1 (155 मेगा बाइट्स प्रति सेकंड) अन्तर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी आबंटित करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ङ) हैदराबाद इन्टरनेट नोड के लिए एसटीएम-1(155 मेगा बाइट्स प्रति सेकंड) के साथ अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे कनेक्टिविटी को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित किया जा चुका है और आवश्यक उपकरण/बैंडविड्थ के प्रापण की प्रक्रिया जारी है।

[हिन्दी]

राजस्थान में ईएसआई अस्पताल

3225. डॉ. जसवंत सिंह यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राजस्थान में ई.एस.आई. के कितने अस्पताल चल रहे हैं;

(ख) क्या वे अस्पताल अपना उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अधिक संख्या में ई.एस.आई. कार्डधारी रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए इन अस्पतालों की दशा सुधारने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) पांच।

(ख) से (घ) राजस्थान में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा देख-रेख के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की स्टाफ व्यवस्था और उन्हें सुसज्जित करने के सम्बन्ध में मानदण्ड/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। निगम, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा देख-रेख पर हुए व्यय के 7/8 को भी पूरा करता है। कुछ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में चिकित्सा एवं परा-चिकित्सा स्टाफ की कमी, दवाओं, मरहम पट्टी संबंधी सामग्री, उपकरणों आदि की कमी के बारे में छुट-पुट शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं उन्हें समुचित उपचारात्मक उपायों के लिए राज्य सरकारों के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक कार्य योजना तैयार की है और उसे कार्यान्वयन हेतु राजस्थान सरकार सहित सभी राज्य सरकारों के लिए अग्रेषित कर दिया गया है। कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अस्पतालों में आधुनिक उपकरण व्यवस्था का प्रावधान, औषधालयों में बुनियादी उपकरणों की उपलब्धता, क्षेत्रीय अभिज्ञात केन्द्रों की स्थापना, श्रेष्ठ स्तर की विशेषज्ञता सेवाओं, ब्लड बैंकों, कैंसर इलाज केन्द्रों की स्थापना, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का विकास, ख्यातिप्राप्त चिकित्सा संस्थानों के साथ अनुबन्ध व्यवस्थाओं का प्रावधान आदि शामिल है। कार्य योजना के अन्तर्गत, राजस्थान सरकार को 110.65 लाख रुपए मूल्य के चिकित्सा उपकरणों की मंजूरी प्रदान की गई है।

दिहाड़ी कामगार

3226. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार में दूरसंचार विभाग में कितने दिहाड़ी कामगार हैं;

(ख) इन कामगारों की सेवाएं नियमित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दिहाड़ी मजदूरों की सेवाएं कब तक नियमित किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :

(क) उत्तर प्रदेश : 1016
बिहार : 489

(ख) और (ग) नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी है; इसे जारी शर्तों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। रिक्तियां उपलब्ध होने पर अगले वित्त वर्ष तक प्रक्रिया पूरी करने की योजना है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वायरलैस टेलीफोनी

3227. श्री जय प्रकाश : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरांचल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वायरलैस टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) (i) **वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग :** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रयुक्त की जा सकने वाली समेकित सेवा अंकीय नेटवर्क (आईएमडीएन)-सुविधा देहरादून, कोटद्वार, श्रीनगर, नई टिहरी, उधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और रुड़की में उपलब्ध है और इसे मांग और तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन उत्तरांचल के अन्य स्थानों के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव है।

(ii) **वायरलैस टेलीफोनी :** वर्ष 2001-2002 के दौरान उत्तरांचल के सभी गौण स्विचन क्षेत्रों (एसएसए) में डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप)-प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वायरलेस टेलीफोनी प्रदान करने की योजना है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में वनस्पति उद्यान को क्षति

3228. श्री प्रभात सामंतराय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में 1999 के महाचक्रवात में भारी क्षतिग्रस्त हुए नन्दन कानन के वनस्पति उद्यान के रख-रखाव और विकास के सम्बन्ध में कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिए कितनी निधियां प्रदान की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) नन्दन कानन चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान बारंगा के निकट झील के सामने स्थित है। राज्य कृषि उद्यान विभाग जो इस वनस्पति उद्यान की प्रबन्ध व्यवस्था करता है, ने सूचित किया है कि राज्य वनस्पति उद्यान, बारंगा के विकास और रख-रखाव के लिए उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

"प्राणी उद्यान"

3329. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कितने प्राणी उद्यान चल रहे हैं और इनमें राज्य-वार कितनी प्रजातियां रखी गई हैं;

(ख) क्या प्राणी उद्यानों के लिए निधियों का अभाव है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) देश में इस समय 182 मान्यताप्राप्त प्राणी उद्यान हैं। मुख्य चिड़ियाघरों (बड़े, मध्यम और लघु) में रखी गई प्रजातियों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) वित्तीय कठिनाई होने की वजह से राज्य सरकारें चिड़ियाघरों के रखरखाव के लिए पर्याप्त फण्ड प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण देश के विभिन्न चिड़ियाघर अवसंरचना विकास, पशुओं के बेहतर रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है।

विवरण

प्रमुख चिड़ियाघरों में प्रजातियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य के नाम	चिड़ियाघर के नाम	अवस्थिति	प्रजातियों की कुल संख्या	जानवरों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान	विशाखापट्टनम	95	927
2.	आन्ध्र प्रदेश	नेहरू प्राणी उद्यान	हैदराबाद	170	1586
3.	आन्ध्र प्रदेश	श्री वेंकटेश्वर चिड़ियाघर	तिरूपति	57	676
4.	अरूणाचल प्रदेश	प्राणी उद्यान	इटानगर	35	95

1	2	3	4	5	6
5.	असम	असम राज्य चिड़ियाघर तथा वनस्पति उद्यान	गुहाटी	100	654
6.	बिहार	संजय गांधी जैव उद्यान	पटना	76	924
7.	छत्तीसगढ़	मैत्रिबाग चिड़ियाघर	भिलाई स्टील प्लांट	56	354
8.	दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	नई दिल्ली	139	1254
9.	गोवा	बॉडला चिड़ियाघर	उसगांव	25	129
10.	गुजरात	कमला नेहरू प्राणी उद्यान	अहमदाबाद	145	1789
11.	गुजरात	सक्करबाग चिड़ियाघर	जूनागढ़	64	759
12.	गुजरात	सायाजीबाग चिड़ियाघर	वडोदरा	109	798
13.	गुजरात	इन्दरोडा प्रकृति उद्यान	गांधीनगर	62	304
14.	गुजरात	राजकोट नगरपालिका चिड़ियाघर	राजकोट	15	66
15.	हरियाणा	रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक	21	86
16.	गुजरात	प्रकृति उद्यान	सूरत	32	121
17.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयी प्रकृति उद्यान	कुफरी	17	115
18.	झारखण्ड	जवाहर लाल नहेरू जैव उद्यान	बोकारो स्टील सिटी, बोकारो	37	571
19.	झारखंड	भगवान बिरसा जैव उद्यान	रांची	25	93
20.	झारखंड	टाटा स्टील प्राणी उद्यान	जमशेदपुर	42	220
21.	कर्नाटक	श्रीचामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान	मैसूर	119	951
22.	कर्नाटक	राष्ट्रीय उद्यान बनीरघाटा	बंगलौर	64	2028
23.	कर्नाटक	बाल उद्यान चिड़ियाघर	बेल्लारी	21	117
24.	कर्नाटक	शेर और बाघ सफारी थईयारकुप्पा	शिमोगा	16	136
25.	केरल	त्रिवेन्द्रम चिड़ियाघर	त्रिवेन्द्रम	77	451
26.	केरल	राज्य संग्रहालय और चिड़ियाघर	त्रिशूर	36	230
27	मध्य प्रदेश	गांधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर	55	386
28.	मध्य प्रदेश	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	भोपाल	18	1945
29.	मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय	इंदौर	33	226
30.	महाराष्ट्र	वीर माता जीजाबाई भोंसले उद्यान और चिड़ियाघर	मुम्बई	76	580
31.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद नगरपालिका चिड़ियाघर	औरंगाबाद	25	259
32.	महाराष्ट्र	महाराजबाग चिड़ियाघर	नागपुर	14	79
33.	महाराष्ट्र	राजीव गांधी प्राणी उद्यान	पुणे	59	433
34.	महाराष्ट्र	संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान	बोरीवली, मुम्बई	33	61
35.	मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान	इम्फाल	70	452
36.	मेघालय	लेडी हाइडारी उद्यान	सिलोंग	39	130
37.	मिजोरम	आइज़वाल चिड़ियाघर	बेथलीहिम, आइजवाल	18	98
38.	उड़ीसा	नंनदकानन जैव उद्यान	भुवनेश्वर	110	789
39.	पंजाब	एम.सी.प्राणी उद्यान	छतबीर, जिला पटियाला (चंडीगढ़ से 20 कि.मी. आगे)	74	563
40.	राजस्थान	जयपुर चिड़ियाघर, रामबाग	जयपुर	87	527
41.	राजस्थान	उमेद बाग, चिड़ियाघर	जोधपुर	64	944
42.	राजस्थान	उदयपुर चिड़ियाघर	उदयपुर	34	144
43.	राजस्थान	बीकानेर चिड़ियाघर	बीकानेर	22	193
44.	सिक्किम	हिमालयी प्राणी उद्यान	बुलबुले, गंगटोक	9	32
45.	तमिलनाडु	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान	बंडलूर, चेन्नई	130	1482
46.	तमिलनाडु	चेन्नई सर्प उद्यान	गोंडे, चेन्नई	46	408
47.	तमिलनाडु	चिल्डर्न कार्नर चिड़ियाघर	गोंडे, चेन्नई	53	321
48.	तमिलनाडु	मद्रास क्रोकोडाइल बैंक	मामलापुरम	19	3047
49.	तमिलनाडु	वी.ओ.सी. पार्क चिड़ियाघर	कोयम्बटूर	46	236

1	2	3	4	5	6
50.	त्रिपुरा	सिपाहीजला चिड़ियाघर	अगरतला	45	397
51.	उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणी उद्यान	कानपुर	74	380
52.	उत्तर प्रदेश	प्रिंस आफ वेल्स प्राणी उद्यान	लखनऊ	81	506
53.	उत्तरांचल	पंडित गोबिन्द वल्लभ पंत हाई एल्टीच्यूड जू	नैनीताल	24	79
54.	पश्चिम बंगाल	प्राणी उद्यान, अलीपुर	कोलकाता	137	1474
55.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता सर्प उद्यान	बादु 24 परगना (नार्थ)	35	212
56.	पश्चिम बंगाल	पदमजा नायडू हिमालयी चिड़ियाघर	दार्जिलिंग	23	101

[अनुवाद]

गुजरात में भूकम्प के कारण हानि

3230. श्री अमर राय प्रधान : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हाल के भूकम्प के कारण उनके मंत्रालय को कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(ख) उनके मंत्रालय ने अपने प्रभावित विभागों और भूकम्प पीड़ितों के लिए कितनी राहत/सहायता पहुंचाई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्यतः राजमार्गों के विकास एवं रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति की वजह से होने वाले नुकसान का अनुमान राज्य सरकार द्वारा लगभग 50 करोड़ रु. लगाया गया है। तात्कालिक मरम्मत कार्यों के लिए 2.64 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है।

हवाई टिकटों का रद्द किया जाना

3231. श्री किरीट सोमैया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई टिकटों को रद्द करने के लिए या टिकटों में परिवर्तन किए जाने के लिए एयरलाइनों द्वारा अपनाए जाने वाले मापदंड और इस पर लगाए जाने वाले जुर्माने का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ट्रेवल एजेंट अधिक बुकिंग करा लेते हैं और जिससे उड़ानों में यात्रियों की संख्या कम रहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एयरलाइनों के प्रतिनिधियों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) किसी खास दिन में और किसी खास उड़ान में यात्रियों के टिकट-बुकिंग कराने पर भी वे उस उड़ान से यात्रा नहीं करते हैं और इस बुकिंग का निरस्तीकरण भी नहीं कराते। इस समस्या का सामना दुनिया भर की सभी एयरलाइनों को करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप उड़ानों की सीटें खाली रह जाती हैं जिससे एयरलाइनों के राजस्व को घाटा होता है। साथ ही, सही में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सीटें नहीं मिल पाती हैं। इस समस्या का निदान करने के लिए एअर इंडिया निरस्तीकरण या फिर से बुकिंग कराने पर अर्थदण्ड वसूलती है। जहां तक इंडियन एयरलाइन्स की बात है, यह उड़ान के प्रस्थान समय से एक घंटा पहले तक टिकट निरस्त किए जाने पर कोई निरस्तीकरण प्रभार नहीं वसूलती है। प्रस्थान-समय से एक घंटे के भीतर पुष्टिकृत टिकट के निरस्तीकरण पर शत प्रतिशत निरस्तीकरण प्रभार वसूला जाता है।

(ख) और (ग) चूंकि अधिकांश ट्रैवल एजेंट सीआरएस प्रणाली के माध्यम से बुकिंग कराते हैं, उनके लिए थोक में (मल्टीपल) बुकिंग कराना सम्भव है। यद्यपि, एअर इंडिया के सभी कार्यालय एजेंटों को इस बात का ध्यान दिलाने के लिए बार-बार प्रयास करते हैं कि वे थोक में बुकिंग नहीं कराएं। शून्य/न्यूनतम नोशों सुनिश्चित करने के लिए एअर इंडिया के कार्यालयों द्वारा उड़ान-पूर्व कड़ी जांच की जाती है। एअर इंडिया की आरक्षण प्रणाली में स्वतः नकली जांच सुविधा है जिससे किसी डुप्लीकेट बुकिंग के बारे में यात्रा आरम्भ करने के स्टेशनों को अवगत कराया जाता है। इस तरह की बुकिंग का सख्त प्रबोधन किया जाता है तथा नकली टिकटों को निरस्त कर दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उड़ानों का प्रचालन अपेक्षित भार से ही हो।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस पर सर्वसम्मति हुई कि जुलाई, 2000 से अन्तिम क्षणों में सीटों के निरस्तीकरण को कम करने के लिए ट्रेवल एजेंटों पर मात्र 200 रुपए का सांकेतिक निरस्तीकरण प्रभार लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपलब्ध क्षमता का पुनःचक्रण होता है और वास्तविक मांग को पूरा किया जाता है। यह निर्णय दोनों एयरलाइनों के प्रतिनिधियों तथा उनके ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन और ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् लिया गया। इसी प्रकार, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भारत से बाहर भ्रमण किराए में यात्रा करने वाले किफायती दर्जे के अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों का टिकट निरस्त होने पर 200 रुपए निरस्तीकरण प्रभार वसूला जाता है।

दूरसंचार उपकरण क्षेत्र में निवेश

3232. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार उपकरण क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो दूरसंचार उपकरण क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी इक्विटी के निवेश की अनुमति दी है;

(ग) क्या इस प्रकार के निवेश की अनुमति केवल दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण में ही दी गई है या अन्य गतिविधियों में भी अनुमति दी गई है; और

(घ) ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कौन-कौन सी हैं जिन्हें दूरसंचार उपकरण क्षेत्र में निवेश की अनुमति दी गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार उपकरण-विनिर्माण क्षेत्र में, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के निवेश की अनुमति दी जाती है और ऐसा निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए आटोमैटिक रूट के अन्तर्गत अनुमत्य है।

(ग) दूरसंचार सेवाओं में 49 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, इनमें कुछ वे सेवाएं शामिल नहीं हैं जिनमें शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है। दूरसंचार-क्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए कुछ शर्तों के अध्यधीन 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है :

1. गेटवे उपलब्ध नहीं कराने वाले आई.एस.पी. (सेटेलाइट और सबमैरीन केबल दोनों के लिए);
2. डार्क फाइबर उपलब्ध कराने वाले अवसंरचना प्रदाता (आईपी श्रेणी-I);
3. इलैक्ट्रॉनिक मेल; और
4. वॉइस मेल

(घ) भारत में जिन प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दूरसंचार विनिर्माण से सम्बन्धित क्रियाकलापों की अनुमति दी गई है, वे हैं :

नोकिया दूरसंचार ओ. वाई.	कैसियो टेलीकॉम लिमिटेड
सेलस्टार सिंगापुर पी.टी.ई. लिमिटेड	अल्काटेल
क्रोन ए जी	सीमेंस
एण्ड्रय कार्पोरेशन	आई.टी.ओ.सी.एच.यू. कार्पोरेशन
मोटरोला सिंगापुर पी.टी.ई. लिमिटेड	सिमोको इंटरनेशनल लिमिटेड
एन.ई.सी. कार्पोरेशन	एन.ई.आर.ए.ए.एस.
फूलीकुरा लिमिटेड	लूसेंट टेक्नोलॉजीज़ इंटरनेशनल
सैमसंग इलैक्ट्रॉनिक्स कम्पनी लिमिटेड	फिलिप्स टेलीकॉम लिमिटेड

केरल में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

3233. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कुछ नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा सम्बन्धी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास एवं रख-रखाव के लिए निधियों का आबंटन संसाधनों की समग्र उपलब्धता के आधार पर राज्य-वार किया जाता है, न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार।

एमटीएनएल की मोबाइल टेलीफोन सेवा

3234. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अन्य महानगरों में अपनी मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सेवा के कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) एम.टी.एन.एल. ने अन्य सेवा-क्षेत्रों में लाइसेंस हेतु अनुरोध किया है। एम.टी.एन.एल. द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर लिए जाने के बाद ही सेवा शुरू किए जाने का समय तय किया जा सकता है।

चार्टर उड़ानें

3235. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी ट्रैवल कम्पनियों ने सरकार से अन्तरराष्ट्रीय चार्टर उड़ानें शुरू करने की अनुमति मांगी;

(ख) क्या ये उड़ानें इंडियन एयरलाइन्स/एअर इंडिया द्वारा चलाई जा रही नियमित उड़ानों से अलग हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रस्तावों पर विचार किया है और इन्हें अन्तिम रूप दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन उड़ानों को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर चलाए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ज) अन्य कौन से देश ऐसी उड़ानों की अनुमति दे रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) काफी कम्पनियों द्वारा समय-समय पर आऊट बाऊंड चार्टर उड़ानें प्रचालित करने के लिए अनुमति ली जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत द्वारा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विभिन्न देशों के लिए प्रचालित की जाने वाली अनुसूचित सेवाएं विमाना सेवा करार के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रचालित की जाती हैं। चार्टर उड़ानें गैर-अनुसूचित उड़ानें हैं और प्रत्येक उड़ान के लिए अनुमति (क्लीयरेंस) की आवश्यकता होती है।

(घ) से (छ) देश में और देश से बाहर गैर-अनुसूचित चार्टर उड़ानों के प्रचालन की अनुमति दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रदान की जाती है।

(ज) कई अन्य दूसरे देश इस तरह की उड़ानों की अनुमति देते हैं।

जल संग्रहण के पारम्परिक तरीके

3236. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जल संग्रहण के पारम्परिक तरीकों को पुनरुज्जीवित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) परम्परागत प्रणालियों द्वारा जल एकत्र करने सम्बन्धी उपायों में लघु, मध्यम और बड़े भण्डारण जलाशय का निर्माण और माइक्रो जल विभाजक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जल संचयन करना शामिल है। भारत में हिमपात सहित लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) औसतन वार्षिक वर्षा होती है। इसमें से 3,000 बिलियन क्यूबिक मीटर वर्षा मानसून के दौरान होती है जिसके कारण देश की विभिन्न नदियों में लगभग 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिक सतही बहाव हो जाता है। परम्परागत प्रणालियों द्वारा उपयोग योग्य बहाव 690 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) आंका गया है। वर्ष 1995 तक मध्यम और लघु बांधों द्वारा सृजित लगभग 3 बीसीएम क्षमता सहित बड़े बांधों का निर्माण करके 176.73 बीसीएम सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित की गई है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि 3.5 लाख लघु सिंचाई टैंकों में लगभग 24 बीसीएम वर्षा जल एकत्र किया जाता है। लगभग 75.42 बीसीएम अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है और 132.32 बीसीएम अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाओं के निर्माण पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेय जल के एक भाग के रूप में भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और ग्रामीण सरोवरों, कण्टूर ट्रेंचेज आदि जैसे वर्षा जल संरक्षण सम्बन्धी अन्य परम्परागत प्रणालियों को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्रालय, जल विभाजक प्रबन्धन कार्यक्रम के माध्यम से जल विभाजक में वर्षा जल एकत्र करने की क्षमता बढ़ाने सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित कर रही है। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भी कृत्रिम भूजल पुनर्भरण सम्बन्धी प्रायोगिक अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है।

स्वैच्छिक संगठनों के लिए निधियां

3237. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सड़क सुरक्षा सम्बन्धी फील्ड कार्यक्रम की अनुसंधान गतिविधियों में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों, स्वायत्तशासी निकायों और शैक्षणिक संस्थाओं को निधियां प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कौन-कौन से संगठन को निधियां प्रदान की गईं;

(घ) क्या इस कार्य के लिए प्रदान की गई निधियों का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को कुछ संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो दोषी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार निम्नलिखित सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को कुछ निधियां उपलब्ध कराती है :

(i) सड़क प्रयोक्ताओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना।

(ii) सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रचार अभियान चलाना।

(iii) वाहन-चालकों को प्रशिक्षण सुविधाएं और सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को चिकित्सीय सहायता कराना।

(iv) विशेष ग्रुप जैसे कि भारी वाहनों/माल ले जाने वाले वाहनों के चालकों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(v) यातायात नियंत्रण पद्धतियों, वाहनों और सड़कों की डिजाइन इत्यादि का अनुसंधान और विकास करना।

(vi) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी लोकप्रिय साहित्य के प्रकाशन को प्रयोजित/वित्त-पोषित करना।

(ग) उन संगठनों जिन्हें वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान निधियां उपलब्ध कराई गई हैं, के राज्यवार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं और 1998-99 के दौरान कोई सहायता-अनुदान जारी नहीं किया गया।

(घ) स्वैच्छिक संगठनों को 18 माह के भीतर निधियों का उपयोग करना होता है और अब तक ऐसे सभी अनुदानग्राही संगठनों ने उपलब्ध कराई गई निधियों का निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपयोग कर लिया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदान दिए गए हैं

क्र.सं. गैर-सरकारी संगठन का नाम

आन्ध्र प्रदेश

1. गर्थापुरी कज्यूमर काउंसिल, गुंटूर

असम

2. कल्याणी चाईल्ड वेल्फेयर सेन्टर, जोरहाट

बिहार

3. ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इण्डिया, पटना

गुजरात

4. वालेन्टीयर्स ऑफ चैरिटी, गांधीनगर

दिल्ली

5. जनजागृति एजुकेशनल सोसायटी, दिल्ली

गोवा

6. वेस्टर्न इण्डिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, गोवा ब्रांच

हरियाणा

7. राष्ट्रीय युवा संस्थान, करनाल

हिमाचल प्रदेश

8. हिमाचल मानव सेवा, शिमला

जम्मू एवं कश्मीर

9. सोसायटी फोर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एण्ड एनवायरनमेंट, जम्मू

कर्नाटक

10. ग्राम परिवर्तन केन्द्र, बेलगांव

11. बंगलौर सिटी पुलिस ट्रैफिक वार्डन, बंगलौर

12. सोशल एजूकेशनल एण्ड वोकेशनल एसोसिएशन, रामचूर

13. रामलिंगेश्वर ग्रामाभिवृद्धि संघ, बेलगांव

14. शबाना वेल्फेयर एसोसिएशन, वेमागल

महाराष्ट्र

15. लोकमान्य मैडिकल फाउंडेशन, पुणे

16. कुमारी राजश्री परमार मेमोरियल फाऊंडेशन, पुणे

मणिपुर

17. यूथ वोलंटरी ओर्गनाइजेशन, इम्फाल

नागालैण्ड

18. वीको क्रोथो वूमेन वेल्फेयर सोसायटी, कोहिमा

19. मेझू मल्टीपरपज वूमेन वेल्फेयर सोसायटी, कोहिमा

20. नागा ट्रांसपोर्टस वेल्फेयर ओर्गनाइजेशन, कोहिमा

21. एवीआई सोसायटी, कोहिमा

22. निसालेम इक्नोमिक वूमेन सोसायटी, कोहिमा

23. पुलेवेजी क्लब, कोहिमा

उड़ीसा

24. मानव सेवा परिषद, केन्द्रपाड़ा

25. इंदिरा कल्याण समिति, कटक

26. उत्कलमणी स्वयंसेवा सागहा, चन्दोल

27. वूमेन एण्ड चाइल्ड वेल्फेयर सोसायटी, कटक

28. सुप्रतीव, कटक

राजस्थान

29. श्री एम.एन. टण्डन चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर

30. कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर

तमिलनाडु

31. ट्रस्ट इन द एरिया ऑफ सोशल एक्टीविटीज, आर्कोण्णम्, वेल्लोर डिस्ट्रिस्ट

उत्तर प्रदेश

32. अवैध ग्रामीण विकास संस्थान, सुल्तानपुर

33. मास्टर ग्राम विकास सेवा संस्था, हमीरपुर

पश्चिम बंगाल

34. भारत स्काउटस एण्ड गाइड्स, कलकत्ता

35. प्रबुद्ध भारती शिशुतीर्थ, मिदनापुर

36. इण्डियन पपेट थियेटर, कलकत्ता

37. माल्दा सहयोगिता समिति, माल्डा

38. विलेज वेल्फेयर सोसायटी, कलकत्ता

गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2000-01 में अनुदान दिया गया

आन्ध्र प्रदेश

1. गर्थापुरी कंज्यूमर काउंसिल, गुंटूर

2. जागृति, खम्मन

3. गुड इंडिया, ओंगोल
4. इंस्टीच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, आन्ध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम
5. सेंट एनीज एजुकेशनल सोसाइटी, कुरनूल
6. क्रियेटिव आरगेनाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, नरसीपट्टनम
7. चेतन्य एजुकेशन सोसाइटी, कुरनूल
8. सोसाइटी फार ह्यूमनिटी, कुरनूल
9. सोशल एक्शन इन डेवलपमेंट, कुरनूल
10. साईं करूप्पा एजुकेशनल सोसाइटी, कुरनूल

अरूणाचल प्रदेश

11. ऑल अरूणाचल प्रदेश अबो-टैक्सी, इटानगर

असम

12. वी वेंकट. राव इंस्टीच्यूट ऑफ माइक्रो स्टडीज एंड रिसर्च, गुवाहाटी

बिहार

13. सावित्री कटाई बुनाई एवं महिला विकास संस्थान, सारण
14. सरस्वती पुस्तकालय एवं जल कल्याण विकास संस्थान, खेरा
15. नारी कल्याण सेवा संघ, फतुहा
16. रूरल डेवलपमेंट एनवायरमेंट फोरेस्टेशन एंड रिसर्च आरगेनाइजेशन, पटना
17. अखिल भारतीय सर्वांगीण विकास संस्थान
18. श्री राम कृपाल शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंदिर, मधुबनी

दिल्ली

19. जनजागृति एजुकेशनल सोसाइटी, दिल्ली
20. नारी उत्थान समिति, दिल्ली
21. सोसायटी फार एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, शक्करपुर, दिल्ली
22. आटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, नई दिल्ली
23. लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लि., करोल बाग, नई दिल्ली
24. नम्रता एजुकेशन ट्रस्ट, जे.एन.यू. के नजदीक, नई दिल्ली
25. स्वतंत्र भारत शिक्षा समिति, नई दिल्ली
26. ग्रास रूट एक्शन फार सोशल प्रोग्रेस, दिल्ली
27. इंस्टीच्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन, नई दिल्ली

गोवा

28. वेस्टर्न इंडिया आटोमोबाइल एसोसिएशन, गोवा शाखा

गुजरात

29. वोल्यूटियर्स ऑफ चैरिटी, गांधीनगर

हरियाणा

30. राष्ट्रीय युवा संस्थान, करनाल

जम्मू एवं कश्मीर

31. सोसाइटी फार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंट, जम्मू

कर्नाटक

32. ग्राम परिवर्तन केन्द्र, बेलगांव
33. बंगलूर सिटी पुलिस ट्रैफिक वार्डन, बंगलूर
34. सोशल एजुकेशनल एंड वोकेशनल एसोसिएशन, रायचूर
35. दिव्यज्योति विद्या केन्द्र, बंगलूर

मध्य प्रदेश

36. ग्वालियर यातायात मंच, ग्वालियर

महाराष्ट्र

37. लोक मान्य मेडिकल फाउंडेशन, चिंचवाड, पुणे
38. स्वामी विवेकानन्द मिशन, नांदेड़
39. कुमारी राजश्री परमार मेमोरियल फाउंडेशन, पुणे
40. सर्वोदय एजुकेशनल वाल्यूंटरी एसोसिएशन, नांदेड़
41. के.आई.बी.बी.टी.यू.एस., पुणे
42. रविन्द्र जोशी मेडिकल फाउंडेशन, मुम्बई
43. लेट शंकर कामले मेमोरियल, एजुकेशनल सोसाइटी, नागपुर

मणिपुर

44. द रूरल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एसोसिएशन, थौबल
45. आनंदपूर्ण डेवलपमेंट इंस्टीच्यूट, थौबल
46. काउंसिल ऑफ यूथ्स फार डेवलपमेंट एंड को-आपरेटिव, इम्फाल
47. इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल आरगानाइजर, इम्फाल
48. साईंटिफिक रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन, इम्फाल
49. मणिपुर रूरल इंस्टीच्यूट सोसाइटी, इम्फाल
50. नीदाखोंग यूथ्स स्पोर्टिंग एंड कल्चरल आरगानाइजेशन, विष्णुपुर

मेघालय

51. यंग वीमन क्रिश्चन एसोसिएशन, शिलांग

मिजोरम

52. मिजोरम एजुकेटेड अनएम्प्लाइड एसोसिएशन, आइजोल

नागालैण्ड

53. क्लाक क्रो सोसाइटी, कोहिमा
54. निसाऊ फ्रेंडशिप सोसाइटी, कोहिमा
55. प्लेनेट्स क्लब, वोखा
56. रंगमा यूथ वेलफेयर आरगानाइजेशन, कोहिमा

उड़ीसा

57. सहारा, केन्द्रपाड़ा
58. सुप्रतीव, कटक
59. इंदिरा कल्याण समिति, कटक
60. उत्कलमणि स्वयं सेवा संघ, चंदोल, कटक
61. मै. वीमन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, कटक
62. मै. पीपल्स एसोसिएशन फार रूरल रिक्रिस्ट्रक्शन, केन्द्रपाड़ा

राजस्थान

63. जन कला साहित्य मंच संस्था, जयपुर
64. इंस्टीच्यूट आफ ससटेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल एंड साइंटिफिक रिसर्च, चुरू
65. ग्रामोत्थान संस्थान, भरतपुर
66. ग्रामीण जन विकास एवं पर्यावरण संस्थान, चंपा
67. एम.एन. टंडन चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
68. सोसाइटी फार एजुकेशन रिसर्च एंड वालयूंटरी एर्फटस, जयपुर
69. ग्राम सेवा मंडल, डुड

तमिलनाडु

70. ट्रस्ट इन द एरिया ऑफ सोशल एक्टीविटीज, चेन्नई
71. भगवती वेलफेयर ट्रस्ट, इरोड
72. विक्ट्री यूथ एसोसिएशन, अराकोनम
73. गांधी रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, विलुपुरम

उत्तर प्रदेश

74. अवध ग्रामीण विकास संस्थान, सुल्तानपुर
75. सर्वजन कल्याण समिति, इलाहाबाद
76. मास्टर ग्राम विकास सेवा संस्था, हमीरपुर
77. रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, महाराजगंज
78. देहाती ग्रामोत्थान विकास समिति, हमीरपुर
79. शिव ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, कानपुर
80. जन सेवा समिति, सरदई, प्रतापगढ़
81. महिला बाल एवं युवा कल्याण समिति, महोबा
82. अवध सेवा संस्थान, प्रतापगढ़
83. अम्बेडकर शिक्षा प्रसार समिति, जलाऊं
84. अजीत ग्रामोद्योग संस्थान, जनपथ, हाथरस
85. बुंदेलखंड ग्रामोद्योग सेवा समिति, हमीरपुर
86. अटल ग्रामोद्योग समिति, अमेठी
87. भारतीय जन कल्याण केन्द्र, अमेठी

पश्चिम बंगाल

88. भारत स्काऊस एंड गाइड्स, कलकत्ता
89. प्रबुद्ध भारती शिशुतीर्थ, मिदनापुर

उत्तर प्रदेश में ई.एस.आई. अस्पतालों का निजीकरण

3238. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई.एस.आई. ने उत्तर प्रदेश में अपने तीन अस्पतालों के निजीकरण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वे ई.एस.आई. अस्पताल कौन-कौन से हैं और इस प्रकार का निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन अस्पतालों में रोगियों को दाखिल किए जाने की औसत दर क्या है; और

(घ) राज्य के कुछ क्षेत्रों में ई.एस.आई. के अस्पतालों में मरीजों के कम संख्या में दाखिल होने और इनमें मरीजों द्वारा इनकी सेवाओं का कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश (नोएडा को छोड़कर) में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा सुविधा के प्रचालन का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है। उत्तर प्रदेश के कर्मचागी राज्य बीमा अस्पतालों में औसत बिस्तर अधिभोग लगभग 42 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में बिस्तरों का अल्प अधिभोग तथा अपर्याप्त उपयोग मूलतः कुछ उद्योगों की बन्दी/स्थानांतरण, अस्पतालों में कर्मचारियों व सन्तोषजनक सेवाओं के अभाव तथा कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि के कारण उनका कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में शामिल होने हेतु निर्धारित सीमा से बाहर हो जाने के कारण है। हाल ही में आजाद नगर, सर्वोदय नगर तथा किदवई नगर, कानपुर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के कामकाज की कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समीक्षा की गई है और इन अस्पतालों के अधिकतम उपयोग की सम्भावनाएं तलाशने का निर्णय लिया गया है।

बैराजों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था

3239. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई बैराज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इनकी दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) यमुना, कृष्णा, गोदावरी तथा महानदी नदियों पर जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले बैराजों/वीयरों सहित कई पुराने बैराजों/वीयरों को प्रतिस्थापित/सुदृढ़ किया गया है। अभी भी देश में कई पुराने बैराज हैं जिसके नवीरकण/प्रतिस्थापन की जरूरत है। राज्य का विषय होने के कारण, ऐसी संरचनाओं का निर्माण, रख-रखाव एवं प्रतिस्थापन साधारणतया राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की खुली बैठक

3240. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की खुली बैठक में स्थायी टेलीफोन क्षेत्र को असीमित प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने के मुद्दे पर मतभेद थे;

(ख) यदि हां, तो सेल्युलर टेलीफोन आपरेटरों और बुनियादी टेलीफोन आपरेटरों के बीच मतभेद का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) निजी दूरसंचार कम्पनियों ने प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए किस सीमा तक आपस में गठजोड़ किया; और

(ङ) दूरसंचार के क्षेत्र में गुटबंदी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) यद्यपि खुली बैठक में भाग लेने वाले लोग चर्चा के दौरान अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं परन्तु उसमें स्थिर टेलीफोन क्षेत्र को असीमित प्रतिस्पर्धा के लिए खोने जाने के मुद्दे पर काफी मतभेद नहीं था।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विभिन्न मुद्दों की जांच करने के पश्चात् स्थिर टेलीफोन क्षेत्र को असीमित प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिए जाने की सिफारिश की जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

(घ) अभी तक जारी किए गए लाइसेंसों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आपसी गठजोड़ (कार्टेल) की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) एक ही आवेदक कम्पनी में प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाए बिना किसी एक सेवा-क्षेत्र में केवल लाइसेंस जारी करने के लिए प्रवर्तक/भागीदार के निवल-मूल्य (नेटवर्थ) और अनुभव पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

टेलीफोन परामर्शदात्री समिति

3241. श्री मंसूर अली खां : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन परामर्शदात्री समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) टेलीफोन परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को टेलीफोन परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के नामनिर्देशन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस शिकायत का निपटान कब तक किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

क्रिकेट मैच

3242. श्री बाबूभाई के. कटारा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 और 2002 में भारत और विदेशों में क्रिकेट के कितने टैस्ट मैच आयोजित किए जाएंगे और इन मैचों को किन-किन देशों में खेले जाने की सम्भावना है;

(ख) खिलाड़ियों और उनके साथ जाने वाले अन्य व्यक्तियों के दौरों पर कितनी राशि खर्च किए जाने का अनुमान है;

(ग) खिलाड़ियों के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या मैचों के बेहतर परिणामों के लिए खिलाड़ियों की योग्यता पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ई.एस.आई. लाभ

3243. श्री तिरूनावकरसू :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दक्षिण के राज्यों में नारियल जटा और काजू श्रमिकों को अभी तक ई.एस.आई. सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये सुविधा इन श्रमिकों को कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) क.रा.बी. योजना के तहत व्याप्ति योग्य तथा दक्षिण के राज्यों सहित अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में लगे नारियल जटा तथा काजू श्रमिक पहले से ही क.रा.बी. योजना के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु की लंबित सड़क परियोजनाएं

3244. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति सम्बन्धी तमिलनाडु सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) से (घ) जी हां। तमिलनाडु सरकार के 9.99 करोड़ रु. की लागत के तेरह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास हैं। उनके सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाएं

3245. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास महाराष्ट्र की कई सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो जिलेवार इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी अनुमानित निर्माण लागत कितनी है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन के लिए केंन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई 44 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 16 परियोजनाओं को जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के साथ स्वीकार कर लिया गया है। शेष परियोजनाएं मूल्यांकन/राज्य सरकार से पत्राचार के अधीन हैं।

ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना, जहां कहीं अन्तर्राज्यीय मुद्दे शामिल हों, वहां उनके समाधान तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केंन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों के अनुपालन पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित होने वाले जिले	वृहद/ मध्यम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	दूध गंगा सिंचाई	कोल्हापुर, बेलगांव	वृहद	204.58	ख
2.	वारना सिंचाई	सांगली, कोल्हापुर	वृहद	337.81	ख
3.	कोयना-कृष्णा लिफ्ट सिंचाई	सांगली	वृहद	259.10	ख
4.	अरूणावती परियोजना	यावतमल	वृहद	66.48	ख
5.	पुनाद सिंचाई	नासिक	वृहद	29.22	ख
6.	लोअर वुन्ना परियोजना	नागपुर, वर्धा	वृहद	87.55	ख
7.	हुमान नदी परियोजना	चन्द्रपुर	वृहद	494.60	क
8.	लोअर वर्धा	वर्धा	वृहद	61.99	क
9.	गुंजावानी	पुणे	वृहद	86.77	क
10.	संगोला शाखा नहर	सोलापुर	वृहद	44.00	ख
11.	तालम्बा सिंचाई परियोजना	सिन्धुदुर्ग	वृहद	289.09	ख
12.	लेंडी सिंचाई परियोजना	नांदेड़, निजामाबाद (एपी)	वृहद	177.615	क
13.	साकोल	लातूर	मध्यम	10.88	ख
14.	राजगयन	ओस्मानाबाद	मध्यम	9.51	ख
15.	जाम सिंचाई	नागपुर	मध्यम	42.63	ख
16.	मसालगा	लातूर	मध्यम	10.51	ख
17.	कार	वर्धा, नागपुर	मध्यम	44.71	ख
18.	तलनापुर लिफ्ट सिंचाई	अहमदनगर	मध्यम	23.47	क
19.	चन्द्रभागा	अमरावती	मध्यम	35.30	ख
20.	पेंटाकली	बुलधाना	मध्यम	31.41	ख
21.	पूर्णा	अमरावती	मध्यम	51.97	क
22.	उतवाली	बुलधाना	मध्यम	35.77	ख
23.	सुलवादे बांध	धुले	मध्यम	88.25	क
24.	लाल नाला	वर्धा	मध्यम	19.05	क
25.	नावरगांव	यावतमल	मध्य	5.26	ख
26.	रेनापुर	लातूर	मध्यम	7.36	ख
27.	अपर मांजरा	बीड़, ओस्मानाबाद	मध्यम	40.49	क
28.	जगम हाटी लिफ्ट सिंचाई	कोल्हापुर	मध्यम	4.29	ख
29.	पोथरा नाला	वर्धा	मध्यम	42.50	क
30.	चिकोतरा	कोल्हापुर	मध्यम	114.38	क
31.	प्रकाश बैराज	धुले	मध्यम	93.60	क
32.	जाम्ब्रे	कोल्हापुर	मध्यम	55.72	क
33.	चित्री	कोल्हापुर	मध्यम	79.94	क
34.	आन्ध्र खोरे	पुणे	मध्यम	44.37	क
35.	किरिमिरी दारूर	चन्द्रपुर	मध्यम	27.89	क
36.	यकोद	औरंगाबाद	मध्यम	28.32	क
37.	गौतमी गोदावरी	नासिक	मध्यम	65.57	क
38.	कश्यपी	नासिक	मध्यम	49.33	क
39.	सपन	अमरावती	मध्यम	36.30	क
40.	सोनापुर (टोमटा)	चन्द्रपुर	मध्यम	14.43	क

1	2	3	4	5	6
41.	सांगखेड़ा	नान्दुरबार	मध्यम	132.51	क
42.	हरनघाट एल.आई.एस.	चन्द्रपुर	मध्यम	44.11	क
43.	गुल नदी	जलगांव	मध्यम	55.94	क
44.	घाट प्रभा	कोल्हापुर	मध्यम	34.92	क

(क) पत्राचार चल रहा है।

(ख) सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत तथा टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत।

''पोखरण परमाणु परीक्षणों का आस-पास के वातावरण पर प्रभाव''

3246. श्री सईदुज्जमा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृदा, वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं, पशुओं, मानव स्वास्थ्य और वन्यजीवों पर पोखरण परमाणु परीक्षण के दीर्घकालिक प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन एक्सचेंज खोला जाना

3247. श्री सुनील खां : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में सिलापुर में टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस एक्सचेंज को कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, नहीं। सिलापुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अभी तक पर्याप्त पंजीकृत मांग उपलब्ध नहीं है। ज्योंही अपेक्षित न्यूनतम मांग उपलब्ध हो जाएगी, इस स्थान के लिए टेलीफोन एक्सचेंज की योजना बना ली जाएगी।

[हिन्दी]

एम.ए.आर. टेलीफोन

3248. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एम.ए.आर.आर.) टेलीफोनों का सुचारू कार्य संचालन सुनिश्चित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) 1. वीपीटी की प्रतिदिन संबंधित एक्सचेंज से जांच की जाती है। जब किसी वीपीटी में लगातार दो दिन कॉल नहीं लगती है उसे दोषयुक्त माना जाता है।

2. एमएआरआर लिंको की जांच प्रतिदिन बेस स्टेशन से की जाती है।

3. मीटर रीडिंग की प्रत्येक पन्द्रह दिन में जांच की जाती है और यदि मीटर रीडिंग बहुत कम हो तो इसे वीपीटी का ठीक से काम न करना समझा जाता है और फिर उसकी विशेष जांच की जाती है।

4. वीपीटी धारकों को दोष संबंधी अपनी शिकायतें टेलीफोन एक्सचेंज में/प्रभारी जेटीओ को दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

5. प्रत्येक सर्किल में मरम्मत केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

6. वीपीटी के कई आपूर्तिकताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) की गई है।

7. एसएसए अध्यक्ष, ग्रामवासियों की शिकायतों के समाधान के लिए उनसे मुलाकात करते हैं।

8. सर्किल/दूरसंचार मुख्यालय स्तर पर उड़न दस्ते गठित किए गए हैं।

9. नेटवर्क में निम्नलिखित नई प्रौद्योगिकियां शामिल करने के लिए उनका परीक्षण किया जा रहा है :

- डब्ल्यूएलएल (स्थानीय लूप में बेतार)
- सी-डॉट-टीडीएमएपीएमपी प्रणाली (सी-डॉट ने टाइम डिवीजन मल्टी एक्सचेंज प्वाइंट-टू मल्टी प्वाइंट प्रणाली विकसित की)
- दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए उपग्रह बेस टर्मिनल

10. ऐसी एमएआरआर प्रणाली को बदले जाने का प्रस्ताव है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राशि आबंटन

3249. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) इस कार्य के लिए अब तक प्रत्येक राज्य को राज्यवार कितनी राशि जारी की गई है और कितनी राशि का वास्तव में उपयोग किया गया है और शेष राशि को कब तक उपयोग में लाए जाने की सम्भावना है;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए राज्यों को किए गए निधियों के आबंटन और जनवरी, 2001 तक किए गए व्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राज्यों को जारी की गई राशि वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए है। चूंकि वर्ष 2001-2002 की अनुदान मांगों को संसद द्वारा अभी अनुमोदित नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल निधियों का राज्यवार आबंटन बता पाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

फरवरी, 2001 तक जारी की गई राशि और जनवरी, 2001 तक राज्यों द्वारा किया गया व्यय

(लाख रु. में)

		एन एच (ओ)		एम एंड आर		एस आर पी	
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	9100.00	6650.00	3230.00	2685.46	1718.75	1501.68
2.	असम	5800.00	2784.00	2784.19	1754.00	1894.73	874.00
3.	बिहार	6727.00	6558.00	3848.55	2979.00	2150.00	1924.00
4.	चंडीगढ़	150.00	129.94	41.00	20.34	24.04	6.00
5.	छत्तीसगढ़	1727.80	0.00	980.00	0.00	150.00	0.00
6.	दिल्ली	1200.00	572.00	82.00	137.00	0.00	31.26
7.	गोवा	2300.00	1249.00	328.53	249.68	232.00	179.84
8.	गुजरात	8810.00	6653.00	1950.00	1255.00	312.79	144.00
9.	हरियाणा	5800.00	4350.00	1496.23	1229.00	409.90	450.00
10.	हिमाचल प्रदेश	4700.00	2641.00	1891.35	2702.00	839.68	761.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	150.00	114.00	274.42	32.40	0.00	0.00
12.	झारखंड	2073.00	0.00	352.15	0.00	115.00	0.00
13.	कर्नाटक	7800.00	5159.00	2897.67	1096.18	1586.16	1242.03
14.	केरल	10500.0	2395.00	1419.03	2688.00	524.00	565.00
15.	मध्य प्रदेश	8272.20	3858.00	4885.92	4487.00	3598.27	2373.00
16.	महाराष्ट्र	11800.00	6900.00	3915.00	2539.10	230.00	842.34
17.	मणिपुर	1250.00	633.00	824.49	716.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	2000.00	850.00	798.59	230.00	318.12	11.00
19.	मिजोरम	1200.00	429.00	670.22	452.00	286.21	106.00
20.	नागालैंड	1500.00	1182.00	361.25	295.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	7000.00	4561.00	3626.99	2560.00	500.00	430.00
22.	पांडिचेरी	200.00	50.17	70.00	19.11	102.10	87.67
23.	पंजाब	4800.00	2086.00	1690.00	1000.00	395.62	258.00
24.	राजस्थान	11000.00	6955.00	4307.25	1824.00	691.85	495.00
25.	तमिलनाडु	10200.00	5709.00	3404.66	2720.00	1329.84	1368.00
26.	उत्तर प्रदेश	13484.65	8645.00	5226.24	3458.00	736.08	1686.00
27.	उत्तरांचल	199.35	0.00	123.58	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	8800.00	5860.00	3209.80	2798.00	1665.00	1270.00

एन एच (ओ) - राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य एम एंड आर - अनुरक्षण एवं मरम्मत एस आर पी - विशेष मरम्मत कार्यक्रम

[अनुवाद]

आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

3250. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का गठन किए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार देश में कारगो परिसरों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दिए जाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि एयर लाइनों को कारगो के आवागमन के संबंध में एकतरफा ट्रैफिक की समस्या का सामना न करना पड़े?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) नागर विमानन प्रारूप नीति के समग्र ढांचों के अन्तर्गत सीमित आर्थिक विनियमन के लिए विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण नामक एक सांविधिक विमानपत्तन विनियामक प्राधिकरण बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) निर्यात और आयात कार्गो के प्रसंस्करण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एकीकृत हवाई कार्गो टर्मिनल तथा नागपुर, गुवाहाटी और लखनऊ हवाई अड्डे पर उन्नत कार्गो सुविधा की व्यवस्था की है। अहमदाबाद, बेंगलूर, जयपुर, त्रिवेन्द्रम और वाराणसी स्थित अंतर्देशीय हवाई अड्डों पर, कार्गो परिसरों का स्वामित्व और देख-रेख संबंधित राज्य सरकार के उपक्रमों का दायित्व है। अमृतसर और श्रीनगर हवाई अड्डे पर, कार्गो परिसर का काम-काज क्रमशः केन्द्रीय भंडारगृह निगम और इंडियन एयरलाइंस लि. द्वारा किया जाता है। हवाई कार्गो परिसर कालीकट, हैदराबाद, इन्दौर, कानपुर, पटना, विशाखापत्तनम, कोयम्बटूर, गोवा और जम्मू में विमानपत्तन अवस्थिति से बाहर भी कार्य कर रहा है जो भा.वि.प्रा. के स्वामित्व और नियंत्रण से बाहर है।

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा संस्तुत पद्धति के अनुसार, हवाई कार्गो परिसर पर वायुमार्ग तथा सड़क मार्ग दोनों तरफ से पहुंच की सुविधा होनी चाहिए। भा.वि.प्रा. के स्वामित्व वाला कार्गो टर्मिनल इस प्रतिमान को पूरा करता है।

हवाई अड्डे की अवस्थिति से दूर स्थित कार्गो परिसर में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है किन्तु उन्हें सीमा-शुल्क अनुमोदन प्राप्त करना होगा। सरकारी नीति के अनुसार हवाई अड्डे पर हवाई कार्गो हैंडलिंग में प्रतिस्पर्धा/गैर-सरकारी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भा.वि.प्रा. ने हाल ही में दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद हवाई अड्डों पर विशेष टर्मिनल सुविधाएं यथा–विनाशवान निर्यात कार्गो केन्द्र बाह्य स्रोतों से प्राप्त करने की योजना बनाई है। गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी से दिल्ली में संयुक्त उद्यम वाला समानान्तर कार्गो टर्मिनल स्थापित करने का कार्य इस समय भा.वि.प्रा./सरकार के विचाराधीन है।

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार/भा.वि.प्रा. रणनीतिक/महत्त्वपूर्ण भारतीय हवाई अड्डों पर कार्गो केन्द्र विकसित करने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है।

[हिन्दी]

टेलीफोन सुविधा

3251. श्री मानसिंह पटेल :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र में अलग-अलग राज्यवार ऐसे गांवों की संख्या कितनी है, जहां टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और ऐसे गांवों की संख्या कितनी है, जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ख) इन राज्यों के शेष गांवों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) महाराष्ट्र में इस समय कितने टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन टेलीफोनों को कब तक ठीक किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार, गुजरात के लिए अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I में तथा महाराष्ट्र के लिए विवरण-II में दी गई है।

(ख) गुजरात में मै. रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड तथा महाराष्ट्र में मै. ह्यूजेस टेलीकॉम (इण्डिया) लिमिटेड को इन राज्यों के शेष गांवों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

(ग) 10.3.2001 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में 1,246 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन खराब हैं।

(घ) कारणों में आरएसयू (रिमोट स्विचिंग यूनिट)-एंटीना की स्थिति में भ्रान्ति, बैटरियों का डिस्चार्ज होना, सोलर पैनल का क्षतिग्रस्त होना, चूहों द्वारा फीडर केबल को नुकसान तथा बीएसयू (बैस स्टेशन यूनिट)/आरएसयू-कार्डों में खराबी होना शामिल है। खराब लाइनों के अन्य कारणों में, पेड़ों के गिरने से संपर्क टूटना, इंस्यूलेटर के टूटने से अर्थिंग, उपकरण में खराबी तथा केबलों को नुकसान शामिल है।

(ङ) लगभग 500 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन मरम्मत के अयोग्य हैं तथा निधियां उपलब्ध हो जाने पर 2002 तक 'स्थानीय लूप-प्रणालियों में वायरलेस' द्वारा बदले जाने अपेक्षित हैं। सामान्य टेलीफोन त्रुटियां दो दिनों में ठीक कर दी जाती हैं।

विवरण-I

गुजरात के गाँवों में टेलीफोन-सुविधा-संबंधी जिला-वार सूचना

क्रम सं.	जिले का नाम	गाँवों की कुल संख्या	टेलीफोन-सुविधा-युक्त गाँवों की संख्या	टेलीफोन सुविधा-रहित गाँवों की संख्या
1.	अहमदाबाद	719	666	53
2.	अमरेली	613	575	38
3.	भावनगर	784	678	106
4.	भडूच	1116	812	304
5.	भुज	884	588	296
6.	गोधरा	1888	1086	802
7.	हिम्मतनगर	1363	985	378
8.	जामनगर	694	594	100
9.	जूनागढ़	1103	943	160
10.	मेहसाना	1091	987	104
11.	नडियाड	965	944	21
12.	पालनपुर	1368	993	375
13.	राजकोट	841	816	25
14.	सूरत	1185	864	321
15.	सुरेन्द्रनगर	648	645	03
16.	बड़ौदा	1639	951	688
17.	वलसाड	1224	796	428
	योग	**18125**	**13923**	**4202**

विवरण-II

क्रम सं.	जिले का नाम	गांवों की कुल संख्या	टेलीफोन-सुविधा-युक्त गांवों की संख्या	टेलीफोन सुविधा-रहित गांवों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	1570	1458	112
2.	अकोला	897	712	185
3.	अमरावती	2045	1287	758
4.	औरंगाबाद	1338	942	396
5.	बीड़	1280	945	335
6.	भंडारा	734	578	156
7.	बुल्ढाणा	1331	1061	270
8.	चंद्रपुर	1860	1075	785
9.	धुले	571	571	0
10.	गढ़चिरोली	1694	484	1210
11.	गोंदिया	932	629	303
12.	हिंगोली	709	373	336
13.	जलगांव	1510	1413	97
14.	जालना	966	865	101
15.	कल्याण	1861	1078	783
16.	कोल्हापुर	1217	1152	65
17.	लातूर	955	908	47
18.	नागपुर	1584	1323	261
19.	नांदेड़	1580	1073	507
20.	नासिक	1843	1458	385
21.	नंदुरबार	1078	656	422
22.	उस्मानाबाद	745	671	74
23.	परभनी	833	833	0
24.	पुणे	1937	1102	835
25.	रायगढ़	1956	1601	355
26.	रत्नागिरी	1388	676	712
27.	सांगली	708	708	0
28.	सतारा	1573	1415	158
29.	सिंधुदुर्ग	772	536	236
30.	सोलापुर	1163	1138	25
31.	वर्धा	1015	860	155
32.	वासिम	642	537	105
33.	यवतमाल	1751	1052	699
	योग	**42038**	**31170**	**10868**

"मध्य प्रदेश के पत्थर खनन संबंधी प्रस्ताव"

3252. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 से अक्तूबर, 2000 तक वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के पत्थरों के खनन के लिए मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से मंजूर/रद्द किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावों को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय लंबित प्रस्तावों के नाम क्या हैं और इन्हें कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) 1995 से अक्तूबर, 2000 तक की अवधि में वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के पत्थरों के खनन के लिए जिनमें लघु खनिजों का खनन भी शमिल है, मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्र सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा तथा उनकी मौजूदा स्थिति संलग्न विवरण में दे दी गई है।

लगभग 10 प्रस्तावों पर मंत्रालय निर्णय के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है और मंत्रालय ऐसे सभी प्रस्तावों को, जो सभी पहलुओं से पूरे हों, 90 दिनों के अन्दर निपटाने के लिए वचनबद्ध हैं।

विवरण

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम	जिला	क्षेत्र (हैक्टे.)	प्राप्ति की तारीख	स्थिति	अस्वीकृति/वापिस लौटाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	जी.एस. भाटिया द्वारा पट्टे का नवीकरण	खारगोन	0.425	01.11.95	वापिस ले लिया गया	राज्य द्वारा प्रस्ताव वापिस लिया गया।
2.	आर. शर्मा का फारसी पत्थर पट्टे का नवीकरण	पन्ना	1.00	16.3.95	अनुमोदित	
3.	डी. कटारे का फारसी पत्थर पट्टे का नवीकरण	सागर	1.00	05.10.95	अनुमोदित	
4.	एस. शुक्ला का फारसी पत्थर पट्टे का नवीकरण	सागर	1.00	05.10.95	अनुमोदित	
5.	एस. कटारे द्वारा फारसी पत्थर पट्टे का नवीकरण	सागर	1.00	05.10.95	अनुमोदित	
6.	एस.एस. रजा द्वारा डोलोमाइट पट्टे का नवीकरण	मण्डला	1.174	07.10.95	अस्वीकृत	वन के बाहर भी खनिज उपलब्ध है।
7.	देविक मिनरल द्वारा फारसी पत्थर पट्टे का नवीकरण	छत्तरपुर	19.00	14.8.95	अनुमोदित	
8.	एल. पाण्डेय द्वारा फारसी पत्थर पट्टे का नवीकरण	पन्ना	0.999	09.4.95	विचाराधीन	
9.	एम.एम. शर्मा द्वारा फारसी पत्थर पट्टे का नवीकरण	पन्ना	0.999	09.4.95	विचाराधीन	
10.	एस.एन. चौरासिया द्वारा पट्टे का नवीकरण	पन्ना	1.00	09.4.95	विचाराधीन	
11.	एस.के. गुप्ता द्वारा डोलोमाइट का नवीकरण	जबलपुर	1.00	09.4.95	अनुमोदित	
12.	आर.एन. तिवारी द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	1.00	09.11.95	अनुमोदित	
13.	ओम स्टोन कम्पनी द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	शिवपुरी	1.00	18.10.95	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
14.	नितिश कुमार द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	रायसेन	0.885	11.02.95	अनुमोदित	

1	2	3	4	5	6	7
15.	वी.एस. यादव द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	1.00	11.02.95	अनुमोदित	
16.	एस.पी. तिवारी द्वारा फिरोफायलाइट और देसपोर का नवीकरण	टीकमगढ़	4.00	11.02.95	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
17.	ए. चौस्की द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	रायसेन	0.915	11.02.95	अनुमोदित	
18.	ए.एस. यादव द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	रायसेन	0.855	11.10.95	अनुमोदित	
19.	एम.पी. खनन विभाग द्वारा फेरिया फुलाइट पट्टे का नवीकरण	टीकमगढ़	5.00	11.10.95	अनुमोदित	
20.	जे.एल. पटेल द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	4.50	14.11.95	अनुमोदित	
21.	क्वालिटी सीमेन्ट वर्क	नरसिंहपुर	4.50	25.11.95	अनुमोदित	
22.	यागरा \टाइल्स और ब्रिक्स के लघु खनिज	होशंगाबाद	1.00	01.01.96	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
23.	सुश्री एस. सुल्तान द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सेहोर	1.00	06.7.96	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
24.	आर.सी. बंसल द्वारा डोलामाइट	सतना	9.611	09.3.96	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
25.	डॉ. पी.आर. मिश्रा द्वारा लघु खनिज	बालाघाट	5.00	17.6.96	अस्वीकृत	वाटर बोडी के नजदीक स्थल
26.	राजेश यादव द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	विदिशा	1.00	21.02.97	अनुमोदित	
27.	ए.के. डोंगसारे द्वारा डोलोमाइट पट्टा	मण्डला	1.40	04.10.97	अनुमोदित	
28.	कु.एस. सिपटेन द्वारा डोलोमाइट पट्टा	मण्डला	3.40	23.5.97	अनुमोदित	
29.	ए.के. सरसावर द्वारा डोलोमाइट पट्टा	बालाघाट	8.94	23.5.97	अस्वीकृत	सूचना प्राप्त न होने के कारण बंद
30.	विजय कुमार सरस्वर द्वारा पट्टा	बालाघाट	16.187	23.5.97	अस्वीकृत	सूचना प्राप्त न होने के कारण बंद
31.	सिंचाई विभाग द्वारा पत्थर पट्टा	बालाघाट	4.73	23.5.97	अस्वीकृत	10 कि.मी. से अधिक की दूरी पर वनेत्तर भूमि अथवा अवक्रमित वन भूमि पर स्थल चुना जा सकता है
32.	शरद कुमार बंसल द्वारा आंचरे पट्टा	सतना	16.86	23.5.97	सिद्धान्त रूप में अनुमोदित	
33.	आर.के. सक्सेना द्वारा डेस्पोर पट्टा	छत्तरपुर	3.80	14.7.97	अस्वीकृत	सूचना प्राप्त न होने के कारण बंद
34.	श्री धान सिंह द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	गुना	4.00	09.3.97	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
35.	आर.सी. सिंह द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	गुना	4.00	09.3.97	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
36.	मणिपाल सिंह द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	गुना	4.00	09.3.97	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
37.	श्रीमती के. तियारा द्वारा सोप स्टोन पट्टा	नरसिंहपुर	4.447	11.6.97	अस्वीकृत	अधिनियम का जान-बूझकर उल्लंघन करने का मामला

1	2	3	4	5	6	7
38.	ए. तिवारी द्वारा मार्बल राइल्स पट्टे का नवीकरण	बेतुल	1.00	17.12.97	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
39.	एस.एस. चौहान द्वारा पट्टे का नवीकरण	खारगोन	0.402	28.01.98	अनुमोदित	
40.	एस.एस. चौहान द्वारा पट्टे का नवीकरण	खारगोन	9.10	23.02.98	सिद्धान्त रूप में अनुमोदित	
41.	डी.एस. परिहार द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	1.00	23.02.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
42.	हर्ष सक्सेना द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	0.999	23.02.98	अस्वीकृत	उत्खनन के लिए वैकल्पिक वनेत्तर वन क्षेत्र उपलब्ध है
43.	आर. कामरान द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	0.999	23.02.98	अस्वीकृत	उत्खनन के लिए वैकल्पिक वनेत्तर वन क्षेत्र उपलब्ध है
44.	कैलाश कोठरी द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	0.999	23.02.98	अस्वीकृत	लघु क्षेत्र में वैज्ञानिक खनन संभव नहीं है और इससे संलग्न वन भूमि में अनधिकृत खनन की संभावना बढ़ सकती है
45.	मैसर्स ताप्ती मार्बल द्वारा खनन पट्टा	बेतुल	0.352	03.9.98	अस्वीकृत	सूचना प्राप्त न होने के कारण बंद
46.	रघुराज सिंह द्वारा पट्टे का नवीकरण	छत्तरपुर	1.00	03.9.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
47.	रघुराज सिंह द्वारा पट्टे का नवीकरण	छत्तरपुर	5.00	03.9.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
48.	प्रदीप रेजा द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	0.999	03.9.98	अस्वीकृत	लघु क्षेत्र में वैज्ञानिक खनन संभव नहीं है और इससे संलग्न वन भूमि में अनधिकृत खनन की संभावना बढ़ सकती है
49.	पेसिफिक मिनरल्स द्वारा पट्टे का नवीकरण	बालाघाट	10.00	04.02.98	सिद्धान्त रूप में अनुमोदित	
50.	एम.एस. राजपूत द्वारा पट्टे का नवीकरण	सागर	3.00	20.4.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
51.	श्रीमती के. वर्मा द्वारा पट्टे का नवीकरण	रीवा	2.00	29.5.98	अनुमोदित	
52.	श्रीमती एस. तिवारी द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	2.00	14.7.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
53.	सुशील तिवारी द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	2.00	14.7.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
54.	अलोक गौतम द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	1.00	14.7.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
55.	ए.के. जैन द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	बालघाट	1.00	22.7.98	अस्वीकृत	खनन के लिए वैकल्पिक गैर-वन भूमि उपलब्ध है
56.	जिनदत्त मिनरल्स द्वारा पट्टे का नवीकरण	छत्तरपुर	12.80	22.7.98	सिद्धान्त रूप से अनुमोदित	
57.	एच.आर. प्रसाद द्वारा पट्टे का नवीकरण	सतना	17.73	8.4.98	राज्य के पास लम्बित	

1	2	3	4	5	6	7
58.	एन.ए. सिद्दकी द्वारा पट्टे का नवीकरण	छत्तरपुर	14.97	8.4.98	अस्वीकृत	सूचना न मिलने के कारण बंद
59.	संदीप जैन द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	0.999	9.7.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
60.	ए.के. जैन द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	0.999	9.11.98	अस्वीकृत	सूचना न मिलने के कारण बंद
61.	श्रीमती एम. जैन द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	4.70	9.11.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
62.	एम.आर. पुरोहित द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	2.00	9.11.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
63.	श्रीमती एस. पुरोहित द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	2.00	9.11.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
64.	पैसीफिक मिनरल्स द्वारा पट्टे का नवीकरण	बालाघाट	20.00	21.9.98	अनुमोदित	
65.	पी.के. चिमोले द्वारा पत्थर जिट्टी पट्टा	नरसिंहपुर	2.00	22.10.98	अस्वीकृत	खनन के लिए वैकल्पिक गैर-वन भूमि उपलब्ध है
66.	क्रियेटिव मिनरल्स द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	छत्तरपुर	4.00	22.10.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
67.	रमेश तिवारी द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	2.00	11.2.98	कार्रवाई की जा रही है	
68.	के.वी.एस. गोपाल द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	2.00	11.2.98	कार्रवाई की जा रही है	
69.	विजय राणा द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	2.00	11.3.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
70.	अलोकी अजमानी द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	2.00	11.3.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
71.	के. जेघेड़का द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	2.00	11.3.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
72.	श्रीमती आर. अजमानी द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	सागर	2.00	11.3.98	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
73.	सालिगराम यादव द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	रायसेन	0.998	27.7.99	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
74.	दिनेश कुरूप द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	रायसेन	0.99	27.7.99	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
75.	कु.एस. भार्गव द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	रायसेन	0.997	27.7.99	अस्वीकृत	वन क्षेत्र के अत्यधिक अन्दर वाला क्षेत्र
76.	मनीष दीक्षित द्वारा रेत पट्टा	खंडवा	0.95	19.11.99	वापिस ले लिया गया है	राज्य द्वारा प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है
77.	अरविन्द मंडलोई द्वारा रेत पट्टा	खंडवा	0.95	19.11.99	वापिस ले लिया गया है	राज्य द्वारा प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है
78.	एस.एन. शर्मा द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	पन्ना	0.999	24.12.99	कार्रवाई की जा रही है	
79.	ए.वी. शर्मा द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	पन्ना	0.999	24.12.99	कार्रवाई की जा रही है	
80.	मनीष दीक्षित के पक्ष में रेत पट्टा	खारगोन	0.945	9.2.00	कार्रवाई की जा रही है	

1	2	3	4	5	6	7
81.	इन्तीयाज खान द्वारा पायरो फिलिट और डायस्पोर मिनरल्स का नवीकरण	छिंदवाड़ा	0.99	3.6.00	कार्रवाई की जा रही है	
82.	मै. एम.के. मिनरल्स द्वारा डोलोमाइट पट्टा	बालाघाट	8.094	13.6.00	राज्य के पास लम्बित	
83.	बाबू खां द्वारा काली रेत पट्टे का नवीकरण	खारगोन	0.85	7.5.00	कार्रवाई की जा रही है	
84.	सुधाकर दीक्षित द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	पन्ना	0.999	8.2.00	राज्य को वापिस लौटाया	प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है
85.	श्रीकान्त दीक्षित द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	पन्ना	0.999	8.2.00	राज्य को वापिस लौटाया	प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है।
86.	शशिकान्त दीक्षित द्वारा फारसी पत्थर पट्टा	पन्ना	0.999	8.2.00	राज्य को वापिस लौटाया	प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है
87.	ग्रेनाइट खनन, काटागढ़ परियोजना	छत्तरपुर	29.036	6.2.97	अनुमोदित	
88.	ग्रेनाइट खनन	छत्तरपुर	44.645	6.2.97	अनुमोदित	
89.	ग्रेनाइट खनन	छत्तरपुर	50.00	6.2.97	अनुमोदित	

[अनुवाद]

आसूचना एजेंसियों को 'मेन स्विचिंग सेंटर' से जोड़ा जाना

3253. श्री रामशकल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सेल्यूलर टेलीफोन के संबंध में बोलियों की शर्तों के अनुसार आसूचना एजेंसियों को देश के प्रत्येक शहर या सर्किल के मेन स्विचिंग सेंटर से जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी सेल्यूलर कंपनियां इन शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके लिए सहमत न होने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(च) सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) विभिन्न सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के साथ लाइसेंस करार किए गए हैं। लाइसेंस करार के अनुसार सभी लाइसेंसधारी भारतीय तार अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार देश की सम्प्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए अपने नेटवर्क से होकर गुजरने वाले संदेश के अंतःक्षेपण (इन्टरसेप्सन) के संबंध में समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा सूचित किए गए अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने पर सहमत हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर टेलीकॉम द्वारा इंटरनेट और सेल्यूलर सेवाएं उपलब्ध कराया जाना

3254. श्री कोलूर बसवनागौड :
श्री आर.एल. जालप्पा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर टेलीकॉम द्वारा राज्य इंटरनेट और सेल्युलर सेवाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सेवाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) स्थान-वार किन-किन स्थानों में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं/कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) बी.एस.एन.एल. का कर्नाटक दूरसंचार सर्किल (बेंगलूर दूरसंचार जिला सहित) पहले से ही इन्टरनेट सेवा प्रदाता है। 28.02.2001 की स्थिति के अनुसार बी.एस.एन.एल. के इन्टरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या 9151 है।

जहां तक सेल्यूलर सेवाओं का संबंध है, कर्नाटक (बेंगलूर सहित) देश में सेल्यूलर मोबाइल सेवा शुरू करने के लिए जनवरी, 2001 में निविदा आमंत्रित की गई है।

(ग) इन्टरनेट सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। बी.एस.एन.एल. की सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के दिसम्बर, 2001 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने की आशा है।

(घ) बी.एस.एन.एल. की इन्टरनेट सेवाएं पूरे राज्य में इन्टरनेट उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता हो। सभी जिला मुख्यालयों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं शुरू किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

मोरों की मौत

3255. **श्री ताराचन्द भगोरा :**
डॉ. जसवंतसिंह यादव :
डॉ. रमेश चंद तोमर :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के निकट एक गांव में कई मोर मृत पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मोरों की मृत्यु के सही कारणों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार फरवरी, 2001 के दौरान नई दिल्ली के निकट पोचनपुर गांव में 7 मोरों की मृत्यु हुई।

(ग) और (घ) अब तक उनकी मृत्यु का सही कारण सुनिश्चित नहीं किया गया है।

(ङ) मोरों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

(i) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन मोरों सहित वन्य प्राणियों को आखेट और वाणिज्यिक विदोहन के विरुद्ध उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) मोर को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है जिससे उसे अधिकतम सुरक्षा प्रदान की गई है।

(iii) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(iv) देश के विभिन्न भागों में वन्य जीवों के आवासों में सुधार लाने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को धनराशि दी जाती है।

(v) वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत मोरों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबन्ध है।

(vi) कीटनाशकों की विषाक्तता को रोकने के लिए जैव कीटनाशकों और अविषालु रसायनों के उपयोग हेतु किसानों में जागरूकता उत्पन्न करना।

(vii) वन क्षेत्र कर्मचारियों को संवदेनशील क्षेत्रों में चौकसी रखने के अनुदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

उपग्रह टेलीफोन

3256. **श्री जी.एस. बसवराज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन स्थित कोई मोबाइल उपग्रह टेलीफोन कंपनी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 400 उपग्रह टेलीफोन नेटवर्क स्थापित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त टेलीफोनों को स्थापित किए जाने के लिए किन क्षेत्रों का चुनाव किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने 400 उपग्रह टर्मिनलों का आदेश दिया है, जो लंदन आधारित मैसर्ज इनमारसैट नामक संगठन द्वारा प्रचालित इनमारसैट (इन्टरनेशनल मैरीटाइम सेटेलाइट) के माध्यम से काम करेंगे। 280 टर्मिनल प्राप्त हो गए हैं तथा शेष 120 टर्मिनलों को प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है। इन टर्मिनलों को देश के ऐसे दूरस्थ तथा अलग-थलग क्षेत्रों में सप्लाई किया जा रहा है जहां कोई अन्य स्थलीय माध्यम प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है। इनमें से कुछेक टर्मिनलों को गुजरात तथा उड़ीसा में भूकम्प, चक्रवात आदि जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आरक्षित रखा गया है। इन टर्मिनलों का उपयोग, उड़ीसा तथा गुजरात में चक्रवात, हिमाचल प्रदेश, मानसरोवर तथा अमरनाथ यात्रा में बाढ़ तथा गुजरात में हाल में आए भूकम्प के लिए किया गया है।

फरक्का बराज परियोजना

3257. **श्री अबुल हसनत खां :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान गंगा नदी में क्षरण-रोधी कार्यों के लिए फरक्का बराज परियोजना को कोई राशि मंजूर की गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) गंगा नदी पर फरक्का बैराज परियोजना के लिए कटाव-रोधी कार्य शुरू करने के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान 2.28 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्रमिकों का शोषण

3258. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार अपने अधीन कार्य कर रहे श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ठेकेदारों के अधीन कार्य कर रहे श्रमिकों को निर्धारित वेतनमान नहीं दिए जा रहे और क्या उन्हें 24 घंटे की ड्यूटी पर रखा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) चूंकि, के.लो. निर्माण विभाग के संबंध में समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है अतः इसने के.लो.नि. विभाग के ठेका श्रमिकों से प्राप्त शिकायतों और दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों के आधार पर मामले को केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को संदर्भित कर दिया है कि वे इस बारे में अपनी सिफारिशें दें कि के.लो.नि. विभाग में कतिपय जॉबों में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए अथवा नहीं। इसके बदले में बोर्ड ने 30.3.2000 को एक समिति का गठन कर दिया है। बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने पर ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाना

3259. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर.एस. पाटिल :
कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. धनी राम शांडिल्य :
श्री जय प्रकाश :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य सरकार की ओर से राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने संबंधी कई ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और राष्ट्रीय राजमार्गवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और 2001-2002 तक कितने और किन-किन राज्यों के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित किया गया है;

(घ) इन सड़कों के उन्नयन के लिए राज्यवार और राष्ट्रीय राजमार्गवार कितना धन निर्धारित किया था;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ वास्तविक रूप से वर्षवार और राष्ट्रीय राजमार्गवार कितनी धनराशि का आंवटन किया गया; और

(च) इन राजमार्गों को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशियों का आबंटन राष्ट्रीय राजमार्गवार नहीं बल्कि राज्यवार किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आवंटित धनराशियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण-II संलग्न है।

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर यातायात की आवश्यकताओं, परस्पर प्राथमिकता और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कुछ समयान्तरालों के बाद विचार किया जाता है। इसलिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	63, 202, 205, 214, 219 और 9 का विस्तार
2.	अरूणाचल प्रदेश	52ए और 153 का विस्तार
3.	असम	61, 62, 151, 152, 153, 154, 52ए, 52बी और 54 का विस्तार
4.	बिहार	30ए, 57, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, और 107
5.	चंडीगढ़	शून्य
6.	छत्तीसगढ़	12ए, 78, 200, 202, 216 और 217
7.	दिल्ली	शून्य
8.	गोवा	17बी
9.	गुजरात	6-विस्तार, 8ए, 8डी, 8ई और 59

क्रम सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.
10.	हरियाणा	21ए, 65, 71, 71ए, 72, 73 और 64 का विस्तार
11.	हिमाचल प्रदेश	21ए, 70, 72 और 88
12.	जम्मू एवं कश्मीर	1 सी और 1बी का विस्तार
13.	झारखंड	75, 78, 80, 98, 99 और 100
14.	कर्नाटक	रा.रा.-13 का विस्तार, 63, 206, 207, 209, 212 और 218
15.	केरल	208, 212, 213, 220
16.	मध्य प्रदेश	59, 59ए, 69, 75, 75 का विस्तार, 76, 79, 86, 86 का विस्तार और 92
17.	महाराष्ट्र	रा.रा.-6 का विस्तार, 69, 204 और 211
18.	मणिपुर	150
19.	मेघालय	62, 62 का विस्तार, 40 का विस्तार
20.	मिजोरम	44ए, 150 और 154
21.	नागालैंड	61 और 150
22.	उड़ीसा	60, 200, 201, 203, 215 और 217
23.	पांडिचेरी	64 और 45ए का विस्तार
24.	पंजाब	64, 64 का विस्तार, 70, 71, 95 और 72
25.	राजस्थान	65 का विस्तार, 76, 79, 89, 90 और 65
26.	सिक्किम	शून्य
27.	तमिलनाडु	45ए का विस्तार, 45बी, 66, 67, 67 का विस्तार, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220
28.	त्रिपुरा	44, 44ए और 44 का विस्तार
29.	उत्तर प्रदेश	24ए, 25, 25ए, 56ए, 56बी, 58, 72, 73, 74, 75, 75 का विस्तार, 76, 86, 87, 91, 92, 93, 96, 97 और 2ए
30.	उत्तरांचल	58, 72, 73, 74, 87 और 94
31.	पश्चिम बंगाल	60, 60 का विस्तार, 80, 81

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि (लाख रु.) के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4500.00	5045.00	9100.00
2.	असम	2600.00	4186.83	5800.00
3.	बिहार	3405.31	6000.00	6727.00
4.	चंडीगढ़	82.00	100.00	150.00
5.	छत्तीसगढ़	—	—	1727.80
6.	दिल्ली	1400.00	700.00	1200.00
7.	गोवा	1100.00	1700.02	2300.00
8.	गुजरात	5346.96	7307.17	8810.00
9.	हरियाणा	2613.50	4200.00	5800.00
10.	हिमाचल प्रदेश	2500.00	4000.00	4700.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	100.00	100.00	150.00
12.	झारखंड	—	—	2073.00
13.	कर्नाटक	3500.00	4600.08	7800.00
14.	केरल	6744.46	10468.12	10500.00
15.	मध्य प्रदेश	2200.00	3226.75	8272.20
16.	महाराष्ट्र	4811.63	10354.31	11800.00
17.	मणिपुर	700.00	1010.75	1250.00
18.	मेघालय	1000.00	1730.28	2000.00
19.	मिजोरम	0.00	300.00	1200.00
20.	नागालैंड	200.00	800.00	1500.00
21.	उड़ीसा	4000.00	3850.00	7000.00
22.	पांडिचेरी	100.81	319.46	200.00
23.	पंजाब	2500.65	1819.56	4800.00
24.	राजस्थान	3450.00	4550.30	11000.00
25.	तमिलनाडु	3624.75	6500.00	10200.0
26.	त्रिपुरा	0.00	50.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	7078.14	9155.35	13484.65

1	2	3	4	5
28.	उत्तरांचल	—	—	199.35
29.	पश्चिम बंगाल	7150.94	5138.02	8800.00
30.	जोगीघोपा पुल	0.00	0.00	0.00
31.	मंत्रालय	3.86	20.00	300.00
32.	सी.स.वि.वो.	8500.00	11230.00	13592.00
	जोड़	**79213.01**	**108462.00**	**165136.00**

सड़कों का रबरीकरण

3260. श्री रामदास आठवले : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षण के तौर पर रबरीकृत सड़कें बिछाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अभी तक महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में विशेषकर वहां के जनजातीय व दलित बहुल क्षेत्रों में रबरीकृत सड़कें बिछाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के चुनिंदा 10 कि. मी. में रबड़/पॉलीमर आधारित डामर का प्रयोग करके परीक्षण किए हैं और 5 वर्षों के लिए परिणाम पर नजर रखी जाएगी।

(ग) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वीकृत कार्यों जिन पर आशोधित डामर का उपयोग शामिल है, की कुल राशि 31.12 करोड़ रु. है जिसमें से 6.00 करोड़ रु. महाराष्ट्र राज्य के लिए हैं। अब तक कुल 25 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है तथा यातायात की सघनता और सड़क स्थिति के आधार पर आदिवासी और दलित बहुल क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संतुलित रुख अपनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्र से गुजरने वाले रा.रा. सं. 3 पर 10 कि.मी. के खंड पर आशोधित डामर का उपयोग करने के लिए 1.76 करोड़ रु. के कार्य अनुमोदित किए गए हैं। यह व्यय 31.3.2001 तक किए जाने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

"पारे की वजह से पानी का विषाक्त होना"

3261. श्री बसुदेव आचार्य :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जनवरी, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'मरकरी-प्वॉयजनिंग ऑफ वाटर पौजिंग द सीरियस थ्रेट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालु) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, देश में जल-पिण्डों की पारा-विषाक्तता के संबंध में कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ग) पारायुक्त अपशिष्टों के कुप्रबंधन (मिसमेनेजमैंट) को रोकने हेतु उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

- पारायुक्त अपशिष्टों के आयात पर प्रतिबंध लगाने हेतु 26 दिसम्बर, 1996 को एक अधिसूचना जारी की गई थी।
- देश में संकटापन्न अपशिष्टों के संग्रह, उपचार, भंडारण और निपटान हेतु परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन), नियम, 1989 शीर्षक से एक नियमावली अधिसूचित की गई थी जिसे वर्ष 2000 में संशोधित किया गया।
- कास्टिक सोडा इकाइयों से कहा गया है कि वे निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करने के लिए पारायुक्त अपशिष्ट सहित बहिःस्राव का शोधन करें।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा

3262. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत राज्यों को चिकित्सा उपचार की प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा की बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली चिकित्सा देख-रेख की लागत संबंधी प्रतिपूर्ति राशि की सीमा में पिछली वृद्धि 1-4-1999 में प्रति बीमाकृत व्यक्ति, 500 रु. से बढ़ाकर 600 रु. प्रति वर्ष की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में स्थापित वित्तीय सीमा उपयुक्त समझी गई है।

कोलार स्वर्ण खान का बंद किया जाना

3263. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कोलार स्वर्ण खान को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्वर्ण खान का पुनरुद्धार करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने आठ वर्षों तक मामले पर विचार-विमर्श करने के बाद दिनांक 12.6.2000 को अंतिम आदेश पारित करते हुए यह निर्णय दिया कि यदि भारत गोल्ड माइंस लि. को सिका, 1985 की धारा 20(1) के तहत बंद किया जाता है तो यह उचित और न्यायसंगत है। बोर्ड ने अपनी राय जून, 2000 को कर्नाटक उच्च न्यायालय को भेज दी है। इसके अलावा, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 29.1.2001 के अपने आदेश के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत 1.3.2001 से बी.जी.एम.एल. को बंद करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय में लंबित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

3264. श्री के.पी. सिंह देव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में विशेषकर उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनको विकसित करने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान इन पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं को किसी बाह्य एजेंसियों की सहायता से क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) जी नहीं।

(ख) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वार्षिक योजना 2001-2002 में 3028.76 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिसमें उड़ीसा राज्य के लिए 160.40 करोड़ रु. का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त रा.रा.-60 पर उड़ीसा-पश्चिम बंगाल सीमा से बालासोर तक और रा.रा.-5 पर बालासोर से इच्छापुरम (उड़ीसा-आन्ध्र प्रदेश सीमा) तक चार लेन का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज घटक के एक भाग के रूप किया जा रहा है। वार्षिक योजना 2001-2002 का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि संसद द्वारा अभी 2001-2002 की अनुदान मांग अनुमोदित की जानी है इसलिए खर्च के लिए प्रस्तावित धनराशि बताना संभव नहीं है।

(घ) से (ङ) उड़ीसा में दो परियोजनाओं अर्थात् रा.रा.-5 पर 0.0 कि.मी. से 27.8 कि.मी. तक (भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर खंड) और रा.रा.-5 पर 27.8 कि.मी. से 61.0 कि.मी. तक (जगतपुर-चंडीखोल खंड) चार लेन बनाने का कार्य क्रमशः विश्व बैंक और जे.बी.आई.सी. की ऋण सहायता से किया जा रहा है।

विवरण

वार्षिक योजना 2001-2002

क्रम सं.	राज्य	धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	139.94
2.	असम	543.15
3.	बिहार	83.50
4.	चंडीगढ़	8.38
5.	छत्तीसगढ़	86.00
6.	दिल्ली	21.91
7.	गोवा	31.00
8.	गुजरात	145.04
9.	हरियाणा	75.00
10.	हिमाचल प्रदेश	80.75
11.	जम्मू एवं कश्मीर	9.00
12.	झारखंड	71.05
13.	कर्नाटक	123.65
14.	केरल	177.45
15.	मध्य प्रदेश	115.80
16.	महाराष्ट्र	77.28
17.	मणिपुर	47.50
18.	मेघालय	127.10
19.	मिजोरम	30.40
20.	नागालैंड	38.00
21.	उड़ीसा	160.40
22.	पांडिचेरी	16.50
23.	पंजाब	90.39

क्रम सं.	राज्य	धनराशि
24.	राजस्थान	142.95
25.	तमिलनाडु	171.40
26.	उत्तर प्रदेश	200.70
27.	उत्तरांचल	96.98
28.	पश्चिम बंगाल	117.55
	जोड़	**3028.76**

[हिन्दी]

तार सेवा का आधुनिकीकरण

3265. श्रीमती शीला गौतम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के दौरान उत्तर प्रदेश में तार सेवा का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) 'माइक्रो-प्रोसेसर'-आधारित इलैक्ट्रॉनिक मैसेज-स्विचों का उपयोग करके, उत्तर प्रदेश में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। एक-128 लाइन और पांच-32 लाइन 'स्टोर तथा फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम' (एसएफएमएसएस), 21 'इलैक्ट्रॉनिक की-बोर्ड कंसेन्ट्रेटर्स' (ईकेबीसी) और 6 'फॉर्मेटेड टर्मिनल कंसेन्ट्रेटर' (एफटीसी) पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं।

आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो आवश्यकता पर आधारित है। तथापि, 2001-2002 के दौरान ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए कोई विशिष्ट निधि आबंटित नहीं की गई है।

टेलीफोन सेवाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार

3266. श्री राजो सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवाओं के आधुनिकीकरण व उनके विस्तार के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां, वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में डिजीटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों तथा मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार के जरिए 72.30 लाख नए टेलीफोन कनैक्शन देने की योजना है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 2001-2002 की निधियों का आबंटन अभी तय किया जाना है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्यवार योजनाबद्ध नए टेलीफोन-कनैक्शनों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु सीधी एक्सचेंज लाइनों की योजना
1.	अंडमान और निकोबार	10000
2.	आंध्र प्रदेश	600000
3.	असम	100000
4.	बिहार	230000
5.	गुजरात	650000
6.	हरियाणा	225000
7.	हिमाचल प्रदेश	90000
8.	जम्मू और कश्मीर	80000
9.	कर्नाटक	500000
10.	केरल	800000
11.	मध्य प्रदेश	190000
12.	महाराष्ट्र	800000
13.	उत्तर-पूर्व	80000
14.	उड़ीसा	90000
15.	पंजाब	375000
16.	राजस्थान	250000
17.	तमिलनाडु	730000
18.	उत्तर प्रदेश	750000
19.	पश्चिम बंगाल	480000
20.	दिल्ली	200000
	योग	7230000

टिप्पणी: गुजरात राज्य में दादर, दीव, दमन और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) शामिल हैं।

केरल राज्य में लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र) शामिल है।

महाराष्ट्र में गोवा और मुंबई शामिल हैं।

पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल में अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।

पंजाब राज्य में चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) शामिल हैं।

तमिलनाडु राज्य में चेन्नै और पांडिचेरी (संघ राज्य) क्षेत्र शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता और सिक्किम, अंडमान निकोबार राज्य शामिल हैं।

बिहार राज्य में झारखंड राज्य शामिल है।

मध्य प्रदेश राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है।

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तरांचल राज्य शामिल है।

बाढ़ से होने वाली क्षति

3267. डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की अतिरिक्त वर्षा जल वाली विनाशकारी नदियों की पहचान कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसी नदियां कौन-कौन सी हैं और बाढ़ से प्रभावित भूमि क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप औसतन कितना वार्षिक नुकसान होता है;

(घ) इनमें से प्रत्येक नदी में कितनी मात्रा में वर्षा का अतिरिक्त जल भर जाता है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में इन नदियों के पानी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा बाढ़ प्रवण नदियों को अभिज्ञात किया गया है। ये नदियां हैं : ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियां, बराक, तीस्ता, पूर्वोत्तर में तोरसा एवं जलढाका, गंगा एवं उसकी सहायक नदियां, शारदा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला नदियों का अधवारा समूह, कोसी, भागीरथी, उत्तर एवं पूर्व में अजय एवं दामोदर, उत्तर में रावी एवं सतलुज एवं ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, तापी, नर्मदा के तटीय क्षेत्र एवं महानदी एवं गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र। इसके अतिरिक्त, अन्य मध्यम तथा छोटी नदियों के आवाहों में अप्रत्याशित एवं सघन वर्षा होने के कारण, उनके मैदानों में भी बाढ़ आती है। गत 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर बाढ़ के कारण प्रभावित औसत वार्षिक क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग देश में 1991-2000 की अवधि के दौरान बाढ़ द्वारा औसत वार्षिक क्षति 2881.89 करोड़ रुपए की है।

(घ) से (च) भारत में औसत वार्षिक वर्षापात 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) होता है, जिसमें वर्षापात एवं बर्फपात शामिल है जिसमें से 3,000 बिलियन क्यूबिक मीटर वर्षापात मानसून के दौरान होता है। देश की विभिन्न नदियों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 बी.सी.एम. आंका गया है। जिसमें से, परम्परागत तरीकों से प्रयोज्य प्रवाह 690 बी. सी. एम. आंका गया है इसके अतिरिक्त, अंतर बेसिन जल हस्तांतरण द्वारा अधिशेष जल वाले नदी बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का हस्तांतरण करके लगभग 200 से 250 बी.सी.एम. जल का उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 1995 तक बड़े बांधों तथा मध्यम परियोजनाओं के निर्माण से 177 बी.सी.एम. सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित की गई है। 75 बी.सी.एम. अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के वास्ते परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं ताकि 132 बी.सी.एम. की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजनाओं की आयोजना की जा रही है। तटबंधों जैसे अन्य सुरक्षात्मक उपायों सहित अन्य बातों के साथ-साथ ये भण्डारण देश में 14 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को उपयुक्त स्तर तक सुरक्षा मुहैया कराते हैं।

विवरण

गत 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर बाढ़ के कारण प्रभावित औसत वार्षिक क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण (1991-2000)

(मिलियन हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य	बाढ़ के कारण प्रभावित औसत क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0.354
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.021
3.	असम	0.728
4.	बिहार	0.972
5.	गोवा	0.000
6.	गुजरात	0.310
7.	हरियाणा	0.073
8.	हिमाचल प्रदेश	0.234
9.	जम्मू और कश्मीर	0.040
10.	कर्नाटक	0.080
11.	केरल	0.266
12.	मध्य प्रदेश	0.042
13.	महाराष्ट्र	0.018
14.	मणिपुर	0.000
15.	मेघालय	0.002
16.	मिजोरम	0.541

1	2	3
17.	नागालैंड	0.001
18.	उड़ीसा	0.304
19.	पंजाब	0.126
20.	राजस्थान	0.213
21.	सिक्किम	0.000
22.	तमिलनाडु	0.025
23.	त्रिपुरा	0.005
24.	उत्तर प्रदेश	1.018
25.	पश्चिम बंगाल	0.737
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.000
27.	चंडीगढ़	0.000
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.000
29.	दमन एवं दीव	0.000
30.	दिल्ली	0.006
31.	लक्षद्वीप	0.000
32.	पांडिचेरी	0.002

[अनुवाद]

तमिलनाडु में राजमार्गों/राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए और अधिक धनराशि

3268. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए और अधिक धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रसार व विस्तार कार्यों हेतु उनके चयन के लिए कोई मानक नियम और मानदंड तय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन पर किए गए खर्च का राजमार्गवार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के मुकाबले में वार्षिक योजना के अंतर्गत चालू वर्ष 2000-01 के दौरान अधिक धनराशि आंबटित की है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	आबंटन (लाख रु.)
1997-98	2567.92
1998-99	3921.37
1999-2000	6754.08
2000-01	10342.21

अन्य राजमार्ग राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान राज्यीय सड़कों के लिए 67.03 करोड़ रु. नियत किए गए हैं। इनका एक-तिहाई ही जारी कर दिया गया है।

(ग) और (घ) सड़कों की स्थिति, यातायात की मात्रा, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास और विस्तार कार्य किए जाते हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वार्षिक योजना कार्यों पर किया गया खर्च इस प्रकार है :

वर्ष	खर्च (लाख रु.)
1997-98	1926.77
1998-99	3652.38
1999-2000	5348.20

विशिष्ट विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध कराने वाले अस्पताल

3269. श्री ए. नरेन्द्र :
श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने देश में हृदय रोग सर्जरी और कैंसर के इलाज के लिए अति विशिष्ट विशेषज्ञ सुविधा वाले दो नए अस्पताल खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल कहां-कहां खोले जाएंगे;

(ग) ऐसे प्रत्येक अस्पताल स्थापित करने की कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के इन दो अस्पतालों के संबंध में सरकार द्वारा कोई लागत/लाभ संबंधी अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) इस तरह के निवेश से मुनाफे के रूप में कितनी धनराशि मिलने का अनुमान है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) नहीं, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा में चूक

3270. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 18 फरवरी, 2001 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी खबर के मुताबिक देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा से संबंधित पहलुओं में चौकाने वाली चूक की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न हवाई अड्डों पर तैनात सुरक्षाकर्मी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विभिन्न हवाई अड्डों की सुरक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) प्रकाशित समाचार में मौजूदा सुरक्षा प्रबंधों में देखी गई कुछ चिन्ताजनक स्थिति का उल्लेख है।

(ग) और (घ) हस्तगत धातु खोजी (एच.एच.एम.डी.), द्वारा ढांचा धातु खोजी (डी.एफ.एम.डी.) और एक्स-रे मशीन से आपत्तिजनक सामग्रियों के निरीक्षण के लिए पूर्ण जांच करने में मदद लने की जरूरत है, जिसे नागर विमानन सुरक्षा में विधि-विरुद्ध हस्तक्षेप उत्पन्न हो सकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक उपस्कर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

(ङ) और (च) विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसमें चरणबद्ध ढंग से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाया जाना, हवाई अड्डों पर सीढ़ी पर चढ़ते समय छानबीन, चुने हुए मार्गों पर आकस्मिक आधार पर स्काई मार्शलों की तैनाती और सुरक्षाकर्मी तथा कॉकपिट/केबिन कर्मीदल को गहन प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था करना शामिल है।

भूमिगत जल के स्तर में गिरावट

3271. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और अब तक देश में विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा स्थानवार कितने कुएं खोदे गए;

(ख) इस पर कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या इन में अधिकांश कुएं भू-जल स्तर में गिरावट के कारण सूख गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों के भू-जल के जल स्तर को ऊंचा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड वैज्ञानिक आंकड़ों के संकलन के प्रयोजन के वास्ते देश में केवल अन्वेषणात्मक नलकूपों की ड्रिलिंग करता है। तथापि, सफल अन्वेषणात्मक कुओं को छोड़ने के स्थान पर पेय, सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों के वास्ते उनके उपयोग के लिए उनको नाममात्र लागत पर राज्यों को सौंपा जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने नवम्बर, 2000 तक देश में 8484 अन्वेषणात्मक कुएं खोदे हैं। इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस बोर्ड ने 1998-99 से 2000-01 (दिसम्बर, 2000) तक महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में क्रमशः 88 और 53 अन्वेषणात्मक कुएं खोदे हैं। इन कुओं की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है। व्यय को एक संयुक्त स्कीम के तहत निर्धारित (बुक्ड) किया जाता है तथा राज्य-वार प्रावधान केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में खोदे गए 88 अन्वेषणात्मक कुओं में से 5 कुओं का कार्य तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रोक दिया गया जबकि 3 कुओं से जल नहीं प्राप्त हुआ। कर्नाटक राज्य में एक कुएं के कार्य को रोक दिया गया जबकि दो कुओं से काफी कम जल प्राप्त हुआ।

(घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन' पर एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपए की निधियां निर्धारित की हैं। वर्षा जल संचयन इस स्कीम का एक अभिन्न भाग है। इस स्कीम के परिणाम उत्साहवर्धक तथा सकारात्मक रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने हैं तथा इस स्कीम में इस समय आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य शामिल हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	नवम्बर, 2000 तक खोदे गए कुओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	837
2.	अरूणाचल प्रदेश	22
3.	असम	214
4.	बिहार और झारखण्ड	354
5.	गोवा	58
6.	गुजरात	579
7.	हरियाणा	352

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	84
9.	जम्मू व कश्मीर	201
10.	कर्नाटक	857
11.	केरल	210
12.	मध्य प्रदेश	549
13.	छत्तीसगढ़	303
14.	महाराष्ट्र	693
15.	मणिपुर	25
16.	मेघालय	52
17.	मिजोरम	3
18.	नागालैंड	11
19.	उड़ीसा	626
20.	पंजाब	117
21.	राजस्थान	761
22.	सिक्किम	31
23.	तमिलनाडु	579
24.	त्रिपुरा	48
25.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	526
26.	पश्चिम बंगाल	212
	कुल (क)	**8304**
संघ शासित क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकाबार	46
2.	चण्डीगढ़	7
3.	दादरा और नगर हवेली	12
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	85
5.	पांडिचेरी	30
	कुल (ख)	**180**
	कुल जोड़ (क+ख)	**8484**

विवरण-II

वर्ष 1998-99–2000-01 (दिसम्बर 2000 तक) के दौरान केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा महाराष्ट्र और कर्नाटक में खोदे गए कुओं का स्थिति-वार ब्यौरा

महाराष्ट्र

क्र.सं.	जिला	कुओं की वर्ष वार स्थिति		
		1998-99	1999-2000	2000-2001 (दिसम्बर, 2000)
1	2	3	4	5
1.	पुणे	भवादी, देहाने, खारपुडी, खादुस, येलवाड़ी, नयागांव, सिंगापुर, सासवाड़, शेरावाड़ी, सोनावाड़ी, रूई	वडगांव शिन्दे, पुणे विश्वविद्यालय परिसर, सी.डब्ल्यू. पी.आर.एस., वी.एस.एन.एल. दिघी, लोहागांव एयर पोर्ट, माजरीफार्म, लवाले, कलवाई, बेलवाड़े	भारती विद्यापीठ, चिखाली, मस्केवस्ती, वलेवाड़ी, डिंगराजवाड़ी, नाहविसनदस
2.	अकोला	शेंडाना, विथोल, शेलूबाजार, नसलापेन, बेलखेड़ा, महागांव, मेदासी, मुथ्या, देवथाना	पिम्पलगांव, कालम्बा महाली, मुसलवाड़ी, पातुर, वाशिम्बा, निम्कार्डा, शेलाड, उराल, बेसुरा, अंबासी, साईवानी, मिरजापुर, अनखेड़ा, लंगापुर	खेर्डा, सुकीनन्दापुर
3.	नांदेड़	मुक्रमाबाद, काओथा, मंसापुरी, तेलेगांव, मदखेड़, देगलूर	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
4.	लातूर	चांदेगांव, वाधोना, जालकोट, देवआनी	लोहारा, लातूर रोड, चपोली, शिरूर ताजबंद, संगावी, धासवाड़ी, भातखेड़ा, केन्द्रेवाड़ी, कजली हिप्पार्गा, किनगांव, गाडसुली, रेनापुर	चिचोली, गडवाड़ी (पी.एस.सी.) जे. नवोदय विद्यालय, आई.टी.आई. लातूर, जवाली, बेलकुण्ड, भादा. अउसा, नालंगा, गोर
5.	बुलधाना दिवथाना	शून्य	शून्य	जावला, सिरसगांव, लोखंडा, अमसारी,
			कर्नाटक	
1.	धारवाड़	अदूर, अगाड़ी होस्राती, बेलविगी, केनगोड़ा, माल्लुर, ब्याग्दी, हिरेहल्ली, आसुन्दी	मनकौर, इटगी, मदलेरी, कुप्पेलू, आल्दगेरी कोडा हिरेनकौर, सन्नागुब्बी, बनहाती II	शून्य
2.	हासन	वादुर, कारागाड़े	शून्य	शून्य
3.	चिकमंगलूर	नरसीपुर, यागल्ली, अंथरगट्टा, थांगली	वोकालागेरे, देवान्नुर, हेरेनागलुर, कालासीपुरा, अरेनूर, मालादूर, चिकमंगलूर, नंदी, अज्जमपुरा, तौकेरे II, लिंगाडाहल्ली, थानीजेबायले	त्यागीदेकाट्टी
4.	शिमोगा	शून्य	शून्य	शून्य
5.	बेल्लारी	शून्य	शून्य	कुदलीगी, बानाविकाल्लू, महादेवापुरा, चोरमर, सांडुर
6.	कूर्ग	शून्य	शून्य	नलकेरे, नादीकेरे, गोनीकोप्पाल, कादंगा

''अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों का अवैध शिकार''

3272. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार का बाल्मिकी नगर राष्ट्र उद्यान नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को राष्ट्रीय उद्यान की सीमा पार करा कर नेपाल में जाने वाले बाघों के बड़े पैमाने पर अवैध शिकार की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत ने नेपाल के साथ बाघों सहित वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विवरण के रूप में समझौता ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

प्रथम ट्रान्सबाउंड्री संकल्प

भारत और नेपाल के बीच जैव विविधता संरक्षण संबंधी परामर्शदात्री समिति की 3-5 जनवरी, 1997 को काठमांडु में आयोजित बैठक

नवम्बर, 1994 में फोर्ट लॉडरडेल, संयुक्त राज्य अमरीका में साइटस के पक्षकार देशों के नौवें सम्मेलन में भारत और नेपाल के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए संयुक्त वक्तव्य के अनुसरण में पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार (वन एवं वन्यजीव विभाग में) के प्रतिनिधियों तथा महामहिम नेपाल सरकार, वन और मृदा संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव संरक्षण विभाग की जैव विविधता संरक्षण पर प्रथम ट्रान्सबाउन्ड्री परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए काठमांडु में 3 से 5 जनवरी, 1997 को मिले थे और निम्नलिखित संकल्प किया था :

टिम्बर, वन वनस्पतिजात तथा प्राणिजात और उनके अंगों तथा उत्पादों के अवैध व्यापार होने से अवगत है,

व्यापक पारिस्थितिकीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए ट्रान्सबाउन्ड्री सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के महत्त्व को मानते हुए,

अपने संबंधित देशों में सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के विस्तार तथा वनस्पतिजात और प्राणिजात के अवैध व्यापार के संबंध में भारत और नेपाल, दोनों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को ध्यान में रखते हुए,

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात तथा उनके उत्पादो के ट्रान्सबार्डर अवैध व्यापार के हल के लिए पद्धतियों और प्रणालियों में अभी भी कुछ कमिया हैं,

टिम्बर, वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक ट्रान्सबार्डर सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क तथा उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करने की आवश्यकता का समादर करते हुए,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (वन और वन्यजीव विभाग में) तथा महामहिम नेपाल सरकार, वन एवं मृदा संरक्षण मंत्रालय (राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव सरंक्षण विभाग) की निम्नलिखित के संबंध में सहमति हुई :

क. मानव के दीर्घकालीन कल्याण के लिए सभी देशों से प्रजातियों और पारि-प्रणाली के संरक्षण हेतु एक विश्वव्यापी अभियान तैयार करने के लिए अनुरोध करना।

ख. अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों से अवैध रूप से प्राप्त टिम्बर, वन्य वनस्पतिजात तथा प्राणिजात और उनके उत्पादों का उपयोग न करने का आग्रह करना।

ग. पारि-प्रणाली संरक्षण तथा टिम्बर, वन्य वनस्पतिजात, प्राणिजात और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार के नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए अन्य देशों की सरकारों, उनके सरकारी निकायों. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/समुदायों के समर्थन का अनुरोध करना।

बैठक में आगे ट्रान्सबाउन्ड्री सुरक्षित क्षेत्र प्रणाली तथा टिम्बर, वनस्पतिजात तथा प्राणिजात और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार के नियंत्रण संबंधी मामले पर भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित संकल्प किए गए :

1. साइटस की अपेक्षाओं के हल के लिए अपने-अपने संबंधित राष्ट्रीय कानूनों में संशोधन करना।
2. जहां संभव हो, एक दूसरे के पूरक ट्रान्सबाउन्ड्री सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करने को बढ़ावा देना।
3. उपयुक्त आंकड़ा आधार प्रणाली तैयार करना तथा जैव विविधता संरक्षरण से संबंधित सूचना में हिस्सेदारी करना।
4. वन और वन्य वनस्पतिजात तथा प्राणिजात के संबंधित अपराधों को रोकने और अवैध व्यापार तथा वन भूमि पर अवैध कब्जे रोकने के लिए अनुपूरक चोरी-छिपे शिकार रोधी क्रियाविधि और यूनिटें स्थापित करना।
5. व्यापार के मौसम सहित व्यापार मार्गों और व्यापार की प्रजातियों का अध्ययन एवं निगरानी।
6. वन्य पशुओं की ट्रान्सबाउन्ड्री आवाजाही की निगरानी करना और सूचना के शीघ्र आदान-प्रदान की एक स्थानीय प्रणाली तैयार करना।
7. अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा दौरा कार्यक्रमों के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना।
8. लोगों को प्रचार माध्यमों तथा स्थानीय सम्पर्क के माध्यम से संरक्षण कार्य में लोगों को शामिल करने हेतु राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरों में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
9. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के अवैध व्यापार के नियंत्रण से जुड़े और इस कार्य के इच्छुक सभी संबंधित विभागों तथा एजेंसियों को शामिल करने के लिए देश में ही क्रियाविधि स्थापित करना।

और इनके अनुसरण में

10. की गई प्रगति की पुनरीक्षा करने तथा प्राप्त अनुभव के आधार पर भावी कार्रवाई में सुधार लाने हेतु इस परामर्शदात्री समिति की नियमित बेठकें आयोजित करना।

ह./-

शिष्टमंडल के अध्यक्ष, नेपाल

ह./-

शिष्टमंडल के अध्यक्ष, भारत

निजी एयरलाइनों को लाइसेंस

3273. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नई एयरलाइनों को शुरू करने के लिए कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करने के नियम ओर शर्त को कड़ा बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शर्तों से बिना सरकार की सहमति से निजी एयरलाइनों को बंद करने की स्थिति पर अंकुश लगाने में किस हद तक मदद मिलने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) अनुसूचित घरेलू विमान परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के लिए नई एयरलाइनें शुरू करने की अनुमति देने के लिए नियमों एवं शर्तों का उपबंध नागर विमानन विनियम धारा-3, विमान परिवहन शृंखला 'ग' भाग 2 में अनुसूचित यात्री विमान परिवहन सेवा प्रचालन की अनुमति देने के लिए न्यूनतम अपेक्षा के बारे में नागर विमानन महानिदेशक द्वारा जारी किए गए।

(ग) मौजूदा नीति के अंतर्गत, घरेलू विमान परिवहन सेवा क्षेत्र से प्रवेश और निकासी की बाधाओं को हटा लिया गया है और सिर्फ वित्तीय सुदृढ़ता, प्रचालन की सुरक्षा, संरक्षा संबंधी पहलु और आवेदन करने वाले एयरलाइनों द्वारा प्रस्तावित मानव संसाधन विकास के सत्यापन के लिए आवेदकों की प्रविष्टि की पूर्व संवीक्षा की जाती है। आगे असजग उद्यमियों को हटाने तथा किफायत अपनाने के लिए अनुसूचित प्रचालक के लिए विमान बेड़े का न्यूनतम आकार 5 विमान नियत किया गया है और

शेयर-धारकों की निधि की न्यूनतम रकम 40,000 कि.ग्रा. भार से कम और 40,000 कि.ग्रा. से अधिक समग्र भार वाले विमानों के प्रचालकों के लिए क्रमशः 10 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रु. नियत की गई है।

[हिन्दी]

''औद्योगिक प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण''

3274. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री चिंतामन वनगा :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ नदियों का पानी प्रदूषित होने के कारण मानव उपयोग के लिए असुरक्षित हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कुछ नगरों में विशेषकर दिल्ली के निकटवर्ती इलाकों में भूजल/पेयजल औद्योगिक प्रदूषण के कारण दूषित हो गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक प्रदूषण के कारण उपयोग के योग्य न रह गए जल का आकलन किया है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) देश की नदियों की जलगुणत्ता की निगरानी केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाती है जिसके परिणाम यह दर्शाते हैं कि नदियों के चयनित क्षेत्रों में जहाँ घरेलू अपशिष्ट बहाए जाते हैं वहाँ नदियों में अत्यधिक जीवाणु प्रदूषण है और इन नदियों का जल मानव उपयोग के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित नदियों के जिन भागों को प्रदूषित अभिनिर्धारित किया गया है वे हैं : यमुना (दिल्ली और आगरा), चम्बल (मध्य प्रदेश), काली (उत्तर प्रदेश), हिन्डन (उत्तर प्रदेश), खान और क्षिप्रा (मध्य प्रदेश), दामोदर (बिहार और पश्चिम बंगाल), गोमती (उत्तर प्रदेश), कावेरी (कर्नाटक), कोलोंग (असम), भोगदोई (असम), बारक (असम), इम्फाल (मणिपुर), हावड़ा (त्रिपुरा), साबरमती (गुजरात), सतलुज (पंजाब), गोदावरी और कृष्णा (महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश), भद्रा (कर्नाटक), ब्रह्मणी (उड़ीसा), नर्मदा तापी और बतवा (मध्य प्रदेश), ब्यास (हिमाचल प्रदेश) और अडयार और कूम कावेरी, वैगायी, तमारवर्णी (तमिलनाडु)।

(ग) और (घ) तीव्र औद्योगिकीकरण और कृषि गतिविधियों के कारण भू-जल संसाधन प्रदूषित हो रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्यों से औद्योगिक क्षेत्रों में भारी धातुओं के कारण भू-जल प्रदूषित हुआ है। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों नामतः अलीपुर, कंजावाला, नजफगढ़, महरौली और शाहदरा ब्लॉकों, हरियाणा में फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश से सहारनपुर और अलीगढ़ से भी भू-जल में भारी धातुओं के उच्च सांद्रता की सूचना प्राप्त हुई है।

(ङ) से (छ) विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट जल लगभग 83,140 मिलियन लीटर प्रतिदिन है जिसमें से 73,975 मिलियन लीटर प्रतिदिन ताप बिजली संयंत्रों का ही है। औद्योगिक बहिस्राव को जब निर्धारित मानकों तक शोधित किया जाता है तो वह पूरी तरह से या आंशिक उपयोग या पुनः प्रयोज्य किया जा सकता है।

(ज) सरकार द्वारा नदियों/झीलों और भू-जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो उपाए उठाए गए हैं वे हैं :

1. मुख्य नदियों में, घरेलू सीवेज से प्रदूषण उपशमन के लिए सरकार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कार्यान्वित कर रही है।
2. अपशिष्ट जल निस्तारण करने वाली दोषी औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
3. देश में, भू-जल के नियंत्रण, विनियमन और प्रबंधन के लिए केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण ने देश में अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों को अधिसूचित कर दिया है।
4. निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भूमि पर अपशिष्ट जल विसर्जित करने वाले उद्योगों, जिससे भू-जल प्रदूषित होता है की निगरानी की जाती है।

वाहन प्रदूषण संबंधी मानदंड

3275. डॉ. चरणदास महंत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत और नेपाल में ये मानदंड अलग-अलग हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय वाहनों के वाहन प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानदंडों के अनुरूप न होने के कारण नेपाल सरकार ने भारत से वाहनों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानदंडों की समीक्षा करके कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार किए जाने और उसे लागू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश की लंबित परियोजनाएं

3276. श्री विजय गोयल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की कई सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा पर्यावरण और वन पहलुओं सहित कुछ टिप्पणियों को पूरा करने की शर्तों के अधीन आंध्र प्रदेश की 17 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है जबकि दो वृहद परियोजनाओं की जाँच की जा रही है और विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर की गई टिप्पणियाँ, अनुपालन के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

(ग) वृहद/मध्यम परियोजनाओं की स्वीकृति अन्तर्राज्यीय मुद्दों, जहाँ कहीं शामिल हों, के समाधान तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के टिप्पणियों की अनुपालन पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

अफ्रीकी बबूल लगाने पर प्रतिबंध

3277. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर 'प्रोपीस जूली फ्लोरा' (अफ्रीकी बबूल) का रोपण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त पौधा मार्च से जून तक के महीनों के दौरान ऐसे पराग कण छोड़ता है जिनसे ऐलर्जी होती है और मनुष्य दमे का शिकार हो जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो अब तक ऐसे कितने पौधे लगाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ऐसे पौधों के रोपण पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, देश के कुछ हिस्सों में स्थानीय मृदा संबंधी कारकों के आधार पर प्रोसोपिस जूली फ्लोरा को चारा और ईंधन लकड़ी के लिए बोया जाता है। इस पौधे के मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बाल श्रमिकों को शिक्षा

3278. श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाल श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालय खोलने को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों के लिए देश भर में विद्यालय खोलने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस योजना की क्या विशेषताएँ हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) भारत सरकार काम से निकाले गए बच्चों के पुनर्वास के लिए दो स्कीमें चला रही है जिनके नाम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम हैं।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अन्तर्गत संबंधित जिलों से प्रस्ताव राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। स्कीम का कार्यान्वयन जिला कलैक्टरों/मैजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में गठित जिला बाल श्रम परियोजना सोसाइटियों के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत प्रमुख कार्यकलाप, कार्य से निकाले गए बच्चों का अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख, वृत्तिका आदि के माध्यम से पुनर्वास करने के लिए विशेष स्कूल/केन्द्र चलाना है। अभी तक लगभग 2.00 लाख बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 13 बाल श्रम बहुल राज्यों के लिए 96 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएँ मंजूर की गई हैं।

सहायता अनुदान स्कीम के अन्तर्गत काम से निकाले गए बच्चों के लाभ के लिए कार्योन्मुखी परियोजनाएँ चलाने के लिए संबंधित राज्य राज्य सरकार की सिफारिश पर स्वैच्छिक संगठनों को निधियाँ रिलीज की जाती हैं।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स की क्षमता

3279. श्री के. येरननायडू :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री वी.एम. सुधीरन :
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
डॉ. जसवन्तसिंह यादव :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस पट्टे के पाँच बोइंग 737-200 एस विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस को कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या सरकार जम्बोजेट और एयरबसों के स्थान पर 800 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाले नए बड़े विमानों को लाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा चालू वर्ष की माँग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सितम्बर, 2000 में पाँच बोइंग-737-200 विमानों को पट्टे पर देने के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने आशय पत्र (एलओआई) जारी किया। आशय पत्र के अनुसार बोइंग 737-200 विमानों की डिलिवरी, माह नवम्बर, 2000 के तीसरे सप्ताह से आरंभ की जानी थी। इन बोइंग 737-200 विमानों को पट्टे पर देने के लिए अंतिम संविदा 15 दिसम्बर 2000 को की गई। संविदा के मुताबिक, विमानों को माह दिसम्बर, 2000 के अंतिम सप्ताह से जनवरी, 2001 के अंतिम सप्ताह तक डिलिवरी किया जाना था। यद्यपि पट्टाकर्ता की कुछ समस्याओं के कारण बोइंग 737-200 विमानों की डिलिवरी में विलंब हुआ, पट्टाकर्ताओं ने अब इंडियन एयरलाइन्स को जानकारी दी है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो चुका है और निकट भविष्य में पहले विमान की डिलिवरी होने की आशा है।

(ग) पट्टाकर्ता ने डिलिवरी-अनुसूची में संशोधन किया है। तदनुसार पट्टा करार के उपबंधों के अंतर्गत पट्टाकर्ता को अर्थदण्ड देना पड़ सकता है। आशा है कि संशोधित डिलिवरी-अनुसूची के अनुसार विमानों को शामिल किया जाएगा और इस प्रकार कंपनी को किसी प्रकार का घाटा होने की संभावना नहीं है।

(घ) और (ङ) इस समय 800 यात्रियों की सीट क्षमता वाले नए बड़े विमानों को शामिल किए जाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(च) पांच बोइंग 737-200 विमानों के अतिरिक्त इंडियन एयरलाइन्स भी दो ए-320 विमानों को ड्राईलीज आधार पर शामिल करने की प्रक्रिया में है। इससे कंपनी की तत्काल क्षमता-अपेक्षा पूरी हो जाएगी।

खराब टेलीफोन

3280. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र के नंदुरबार और धुले जिलों में प्रत्येक दूरभाष केन्द्र में कितने टेलीफोन काम कर रहे हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान और इस समय दोनों जिलों में दूरभाष केन्द्रवार कितने टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन्हें ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उन दिनों के लिए टेलीफोन किराए में छूट देने का है जब वे खराब पड़े थे; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) महाराष्ट्र के धुले तथा नन्दुरबार जिलों के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में कार्यरत टेलीफोनों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान इन दोनों जिलों में नियमित रूप से कोई भी टेलीफोन खराब नहीं पड़ा था।

(ग) प्रतिदिन आधार पर दोषों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) यदि 7 दिन से अधिक समय तक टेलीफोन खराब रहता है तो आनुपातिक रूप से किराए में छूट दे दी जाती है।

विवरण-I

नन्दुरबार ज़िलों में कार्यरत टेलीफोनों की संख्या का एक्सचेंज-वार विवरण

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	कार्यरत कनेक्शनों की संख्या
1	2	3
1.	धौडगाँव	206
2.	अष्टे	53
3.	झालेर	87
4.	चौपाले	66
5.	धानौरा	81
6.	खोन्डामाली	140
7.	कोलडा	137
8.	कोपारली	54
9.	कोठाली	81
10.	लोखंडा	100
11.	नन्दुरबार	4821
12.	पाँचोराबारी	96
13.	पानइया	140
14.	शनिमंडल	90
15.	चिंचपाडा	197
16.	करंजी बीके	14
17.	खंडबारा	324
18.	खीकडा	24
19.	नवगाँव	71
20.	नवपुर	1584
21.	वडकलंबी	8

1	2	3
22.	विशरवाडी	362
23.	ब्राह्मणपुरी	189
24.	डामरखेड़ा	141
25.	गोगापुर	119
26.	काहातुल	152
27.	खेहर्डा डीग	144
28.	खिलोदिगर	71
29.	कुडावाड	130
30.	मंडल	180
31.	मेहसाबाद	200
32.	पवालवी	111
33.	प्रकाश	311
34.	सारंगखेड़ा	301
35.	शाहदा	2407
36.	शेल्टी	131
37.	तरहाड़ी	142
38.	तोरखेड़ा	103
38.	वाडली	266
40.	अक्कलकुआ	461
41.	शेराड़	89
42.	खापर	286
43.	मोड	65
44.	मूलगी	36
45.	तलोडा	1105

विवरण-II

धुले ज़िले में कार्यरत टेलीफोनों की संख्या का एक्सचेंज-वार विवरण

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	कार्यरत कनैक्शनों की संख्या
1	2	3
1.	धुले-एमआरएलयू-I	7531
2.	धुले-एमआरएलयू-II	4923
3.	धुले टीआरएलयू	1639
4.	धुले एमआइडीसी	842
5.	सीएमएम	2292
6.	आजांग	103
7.	आर्वी	153
8.	बोरकुंड	125
9.	बोरविहिर	158
10.	गरताड	105
11.	कायडने	194
12.	मोघन	109
13.	मोहादी	92
14.	मुक्ति	276
15.	नाबल नगर	170
16.	निमगुई	46
17.	नैहालोड	143
18.	शिरड	150
19.	सोनगिर	312
20.	तरवाडे	63
21.	बोरिस	145
22.	खाण्डलौ	64
23.	कुसुम्बा	325
24.	लमकांनी	166
25.	लोंखेडी	52
26.	मेहरगाँव	55
27.	नांदने	58
28.	नेर	188
29.	यार	151
30.	बीहड	64
31.	ब्राह्मणवेल	91
32.	छाडवेलकोर	76
33.	दातार्ती	99
34.	डिगहावी	87
35.	दुसाने	92

1	2	3
36.	इनडावफ	40
37.	काशरफ	357
38.	महासडी	179
39.	निज़ामपुर	297
40.	साकरी	1413
41.	थिवागे	55
42.	दहीवेल	176
43.	धानेर	85
44.	धोदडे	75
45.	कुडासी	55
46.	पिपलनेर	1288
47.	शेनपुर	66
48.	अर्थे	334
49.	भटपुरा	105
50.	थोरखेड़ा	26
51.	बोरडी	139
52.	दहीवाड़	150
53.	गिधाडे	97
54.	हिलाले	97
55.	होलोथे	190
56.	जैतपुर	86
57.	जोराडा	75
58.	मांजरोड	181
59.	पालसनेर	101
60.	संधवी	54
61.	शिरपुर	3650
62.	सुरफ	40
63.	टेकवडे	70
64.	थालनेर	218
65.	वाहल	153
66.	वाडी	90
67.	अरावे	30
68.	बाम्हणे	83
69.	बेतवाड	236
70.	भडाने	61
71.	चिम्ढाणा	141
72.	डांगुने	50
73.	डोंडाइच	1978
74.	जूनेकोल्डे	73
75.	मालपुर	119
76.	महालसर	115
77.	नर्डाना	312
78.	निमगुल (एसएनके)	130
79.	थिंदखेडा	953
80.	वारपोडे	75
81.	वार्शी	60
82.	वयपुर	99
83.	वीखरन	91
84.	विर्डेल	57
85.	वालखेड़ा	76

धन का दुरुपयोग

3281. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) सरकार उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है जिन्होंने उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं और धन का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (घ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट (1992 से 1998 तक) में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंध न रखने वाले क्रियाकलापों के वास्ते निधियों के हस्तांतरण करने, अग्रिमों को अंतिम व्यय के रूप में मानने, स्थापना संबंधी निर्धारित मानकों से अधिक व्यय करने, केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का उपयोग करने के लिए

बैंकों में फिक्सड डिपोजिट के रूप में निधियाँ जमा करने जैसी कुछ अनियमितताओं का उल्लेख किया है। संबंधित राज्यों से राज्य महालेखा परीक्षक के साथ मिलकर इन अनियमितताओं का समाधान करने और अनुपालना रिपोर्ट भेजने के लिए पहले से ही कह दिया गया है। कुछ मामलों में अप्रयुक्त राशियों को वसूल करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है। ऐसी राज्य सरकारों को धनराशि जारी नहीं की जाती जिन्होंने उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के तहत जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जारी की गई धनराशि		त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई राशि
1	2	3		4
1.	आन्ध्र प्रदेश	38.40		313.705
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.10		15.0000
3.	असम	1.24		60.917
4.	बिहार	0.00		266.73
5.	छत्तीसगढ़	0.00	**	34.450
6.	गोवा	0.20		55.4000
7.	गुजरात	10.71		1212.52
8.	हरियाणा	32.53		12.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1.42		40.5620
10.	जम्मू व कश्मीर	6.73		14.83
11.	झारखण्ड	0.00	**	43.925
12.	कर्नाटक	19.91		513.14
13.	केरल	17.94		37.40
14.	मध्य प्रदेश	4.19		437.903
15.	महाराष्ट्र	26.78		225.10
16.	मणिपुर	3.47		58.59
17.	मेघालय	0.18		8.288
18.	मिजोरम	0.00	***	2.8060
19.	नागालैंड	0.21		5.2300
20.	उड़ीसा	13.71		296.42
21.	पंजाब	38.52		168.81
22.	राजस्थान	0.00		360.782
23.	सिक्किम	0.00	***	1.36
24.	तमिलनाडु	53.96		—
25.	त्रिपुरा	0.00		57.613
26.	उत्तर प्रदेश	98.22		750.40
27.	उत्तरांचल	0.00	**	—
28.	पश्चिम बंगाल	0.72		71.825
	कुल	**462.76**		**5065.607**

* इस स्कीम के अन्तर्गत निधियाँ प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाती हैं, इसलिए जारी किए गए और उपयोग किए आंकड़े समान हैं। बिहार ने 1995-96 तक जारी की गई कुल राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए उसे वर्ष 1996-97 से कोई निधियाँ जारी नहीं की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश और गोवा राज्यों ने वर्ष 1997-98 में जारी की गई राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए तब से इन राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

** नए सृजित राज्य, अब तक केन्द्रीय सहायता जारी के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*** चालू वित्तीय वर्ष में शामिल की गई परियोजनाएँ/निधियों को जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

\# केन्द्रीय ऋण सहायता की दूसरी/बाद की किस्तें केवल उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाती हैं।

[हिन्दी]

"वनों का संरक्षण"

3282. श्री पी.आर. खुंटे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वनों से संरक्षण के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित कोई समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य द्वारा कितना कार्य किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की प्रमुख वनीकरण योजनाओं के अंतर्गत वनों के संरक्षण के लिए जारी वित्तीय सहायता राशि और इन स्कीमों के तहत वास्तविक प्रगति का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है। इन स्कीमों/परियोजनाओं की आवधिक आधार पर संवीक्षा की जाती है और इसके बाद जारी की जाने वाली निधियाँ पूर्व में उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता के सन्तोषजनक ढंग से उपयोग में लाने के अधीन हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को दी गई धनराशि तथा वनीकरण के लिए शामिल क्षेत्र

जारी धनराशि लाख रुपये में/वास्तविक उपलब्धि हैक्टेयर क्षेत्र में

वर्ष	1997-83		1998-99		1999-2000	
राज्य	जारी धनराशि	वास्तविक उपलब्धि	जारी धनराशि	वास्तविक उपलब्धि	जारी धनराशि	वास्तविक उपलब्धि
आंध्र प्रदेश	232.02	2421	320.73	1320	378.36	7310
अरूणाचल प्रदेश	74.86	446	19.94	501	103.05	693
असम	166.54	1900	150.95	3159	181.84	3179
बिहार	202.35	1151	125.59	0	262.04	3057
गोवा	21.78	320	22.82	225	26.77	181
गुजरात	272.05	3405	281.86	3160	421.04	3485
हरियाणा	299.44	4325	409.18	3280	376.42	2610
हिमाचल प्रदेश	207.46	3303	131.85	2700	283.27	3759
जम्मू व कश्मीर	393.49	2444	494.19	5653	567.94	6265
कर्नाटक	438.22	5593	227.46	1557	444.41	7140
केरल	257.77	1159	334.8	5776	463.37	5336
मध्य प्रदेश	690.71	13125	876.06	10701	896.93	21354
महाराष्ट्र	225.38	1914	174.64	366	195.91	1712
मणिपुर	218.48	2208	469.07	4245	676.54	6585
मेघालय	5.48	0	12	0	10.21	0
मिजोरम	339.83	6500	339.72	3250	392.25	4100
नागालैंड	1.22	0	15.23	0	49.47	293
उड़ीसा	192.13	2565	378.11	5750	521.73	15150
पंजाब	268.61	3977	62.81	700	28.62	0
राजस्थान	643.36	5000	663.05	8100	684.84	7800
सिक्किम	194.04	1415	343.08	4095	281.34	3380
तमिलनाडु	160.39	3655	170.86	2445	135.03	3350
त्रिपुरा	166.51	2013	106.46	2716	55.02	2199
उत्तर प्रदेश	648.6	5505	633.44	5233	736.23	7596
पश्चिम बंगाल	288.52	3442	433.39	4650	506.99	3980
कुल	6609.24	77786	7197.29	79582	8679.62	120514

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के बंधपत्र

3283. श्री नरेश पुगलिया :
श्री भीम दाहाल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री तिरूनावकरसू :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) के एक भाग, 'स्वर्ण चतुर्भुज' के निर्माण के लिए कर मुक्त बंधपत्र जारी करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितनी धनराशि के लिए बंधपत्र जारी किए जाने की संभावना है और इस पर कितनी वार्षिक ब्याज दर देय होगी;

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत पहले कितना कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ङ) आरंभ किए जाने वाले निर्माण कार्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) परियोजना के अंतर्गत होने वाले सम्पूर्ण कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सितम्बर-अक्तूबर, 2000 में आयकर अधिनियम की धारा 54 ङ ग के तहत अपने प्रथम बांड इश्यू के माध्यम से 500 करोड़ रु. पहले ही जुटा लिए हैं जो दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर कर छूट प्रदान करती है। 500 करोड़ रु. का दूसरा बांड इश्यू 16.2.2001 को खुला और 24.3.2001 तक उपलब्ध रहेगा। कूपन दर 9.25 प्रतिशत है।

(ग) सरकार ने भा.रा.रा.प्रा. के लिए मार्च, 2002 तक 3600 करोड़ रु. का ऋण कार्यक्रम अनुमोदित कर लिया है। बाद के बांड इश्यू में ब्याज की दर के बारे में निर्णय बाजार परिस्थितियों के आधार पर इश्यू के समय लिया जाएगा।

(घ) अब तक स्वर्णिम चतुर्भुज पर 643 कि.मी. की लम्बाई और उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारे पर 648 कि.मी. की लम्बाई पूरी कर ली गई है।

(ङ) स्वर्णिम चतुर्भुज पर 1,394 कि.मी. और उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर 272 कि.मी. लम्बाई कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लम्बाई, जो एन.एच.डी.पी. का हिस्सा है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) स्वर्णिम चतुर्भुज घटक दिसम्बर, 2003 तक और उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम महामार्ग दिसम्बर, 2007 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लम्बाई जो एन.एच.डी.पी. का हिस्सा है

क्र.स.	राज्य का नाम	स्वर्णिम चतुर्भुज	महामार्ग उत्तर-दक्षिण	महामार्ग पूर्व-पश्चिम	महामार्ग जोड़	कुल जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	1011	753	—	753	1764
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	758	758	758
4.	बिहार	396	—	517	517	913
5.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—
6.	दिल्ली	25	34	—	34	59
7.	गोवा	—	—	—	—	—
8.	गुजरात	510	—	654	654	1164
9.	हरियाणा	175	180	—	180	355
10.	हिमाचल प्रदेश	—	14	—	14	14
11.	जम्मू एवं कश्मीर	—	405	—	405	405
12.	कर्नाटक	690	125	—	125	815
13.	केरल	—	160	—	160	160
14.	मध्य प्रदेश	—	524	142	666	666
15.	महाराष्ट्र	506	232	—	232	738
16.	मणिपुर	—	—	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—	—	—
18.	नागालैंड	—	—	—	—	—
19.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—
20.	उड़ीसा	442	—	—	—	442
21.	पंजाब	—	296	—	296	296
22.	राजस्थान	688	32	480	512	1200
23.	तमिलनाडु	263	851	—	851	1114
24.	उत्तर प्रदेश	777	268	548	816	1593
25.	पश्चिम बंगाल	469	—	366	366	835
	जोड़	**5952**	**3874**	**3465**	**7339**	***13291**

*पुन: मरंखण आदि के कारण मामूली समायोजन के बाद 13,252

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को पूरा करना

3284. डॉ. (श्रीमती) सुधा यादव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से बावल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-8 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के दिल्ली से गुड़गाँव खंड में पहले से ही चार लेन हैं और गुड़गाँव से बावल खंड को तीसरी एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता के तहत हाल में ही चार लेन में चौड़ा किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में डाकघर/उप-डाकघर

3285. श्री भर्तृहरि महताब : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में नए डाकघर और उप-डाकघर खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में कितने नए डाकघर खोले जाने हैं तथा जिलावार कितने मौजूदा डाकघरों का उन्नयन किया जाना है; और

(घ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राज्य में नए डाक भवनों के निर्माण और डाकघरों के रख-रखाव के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हाँ।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान शाखा डाकघर खोलने के लिए 129 अभ्यावेदन तथा नए उप-डाकघर खोलने/शाखा डाकघरों का उप-डाकघरों में दर्जा बढ़ाने के लिए 8 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जाँच करने के बाद 8 शाखा डाकघर और 2 उप-डाकघर मंजूर किए गए हैं।

(ग) राज्य के लिए 2000-2001 के दौरान 10 शाखा डाकघर और 2 उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक मंजूर किए गए शाखा डाकघरों और उप-डाकघरों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है :

जिले का नाम	मंजूर किए गए शाखा डाकघरों की संख्या	मंजूर किए गए उप-डाकघरों की संख्या
1	2	3
बोलनगीर	1	—

1	2	3
कटक	2	—
कालाहांडी	1	—
केन्द्रपाड़ा	1	—
खुर्दा	—	2
नयागढ़	1	—
नौपदा	1	—
सुन्दरगढ़	1	—

(घ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राज्य में नए भवनों के निर्माण तथा डाकघरों के रख-रखाव के लिए आबंटित राशि निम्नानुसार है :

वर्ष	डाकघर भवनों के नवीन निर्माण के लिए आबंटित निधि	भवनों के रख-रखाव के लिए आबंटित निधि
1999-2000	79.16 लाख रुपए	290 लाख रुपए
2000-2001	56.71 लाख रुपए	87.5 लाख रुपए

[हिन्दी]

खानों में मजदूरों की सुरक्षा

3286. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों में कार्यरत मजदूरों के जान-माल की सुरक्षा के लिए श्रम कानूनों में कोई संशोधन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1998-99 और 2000 के दौरान प्रत्येक राज्य में खान दुर्घटनाओं में कितने मजदूर मारे गए?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) खान अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम व विनियमों में खानों में कार्य कर रहे कर्मकारों की सुरक्षा की व्यवस्था है। इन विधानों की समीक्षा की सतत प्रक्रिया है और खानों में कार्य कर रहे कर्मकारों की सुरक्षा व बदलती प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा के परिणामों के आधार पर समय-समय पर इन कानूनों में संशोधन किए जाते हैं।

(घ) वर्ष 1998-99 और 2000 में खान दुर्घटनाओं में मारे गए कर्मकारों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है :

राज्य	खान दुर्घटनाओं में मारे गए कर्मचारी की संख्या		
	1998	1999	2000
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	41	31	42
2. असम	7	2	1
3. बिहार	46	46	47
4. गोवा	4	—	2
5. गुजरात	4	—	1
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—
7. हरियाणा	2	8	—
8. जम्मू व कश्मीर	—	1	—
9. कर्नाटक	6	9	4
10. केरल	—	—	—
11. मेघालय	—	—	—
12. मध्य प्रदेश	24	39	35
13. महाराष्ट्र	14	9	19
14. उड़ीसा	21	14	9
15. राजस्थान	15	20	17
16. तमिलनाडु	4	5	5
17. त्रिपुरा	—	1	1
18. उत्तर प्रदेश	1	1	5
19. पश्चिम बंगाल	22	24	18
अखिल भारतीय	211	210	206

* अनंतिम

हरियाणा में विमान रख-रखाव कारखाने की स्थापना

3287. श्री रतन लाल कटारिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरियाणा के भिवानी जिले में विमान रख-रखाव कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"वनों में आग"

3288. प्रो. दुखा भगत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में वनों में लगी आग के कारण वनों और वन संपदा की क्षति हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आग की इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) देश का लगभग 3 मिलियन हैक्टेयर वन क्षेत्र हर वर्ष देश में दावानल द्वारा प्रभावित होता है। अधिकांश दावानल के मामले मानव-कृत होते हैं और ये वनों और जैविक दबावों का परिणाम हैं। राज्य सरकारों द्वारा फायर-लाइंस की सफाई और आग से बचाव करने वाले कर्मचारियों (फायर वाचरों) को मेहनताने पर रखने तथा अन्य निवारक और नियंत्रण उपायों पर पर्याप्त धनराशि खर्च न किए जाने के कारण यह समस्या और भी बढ़ जाती है। हर वर्ष दावानल से होने वाली क्षति का औसत अनुमान 440 करोड़ रुपए है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना से राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ एक प्लान स्कीम 'दावानल नियंत्रण और प्रबंधन' कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1999 में स्थिति की समीक्षा की गई और अग्नि प्रवण क्षेत्रों के अभिनिर्धारण के आधार पर राज्य सरकारों को सहायता देने पर विचार करते हुए एक मास्टर-प्लान तैयार किया गया। इस प्लान में अग्नि निवारण और नियंत्रण, दावानल की निगरानी में नवीनतम उपग्रह सुदूर संवदेन प्रौद्योगिकी की सहायता लेने और क्षति का मूल्यांकन करने, फायर डेंजर रेटिंग प्रणालियाँ तैयार करने ताकि अन्य पारम्परिक प्रविधियों का उपयोग करने हेतु संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को सहायता देना शामिल है।

[अनुवाद]

वर्षा जल का संचयन

3289. श्री विजय गोयल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्षा जल संचित करके उसका उपयोग सिंचाई और अन्य उद्देश्यों हेतु करने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड 'भूजल के कृत्रिम संबंधी अध्ययनों' पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपए की निधियाँ निर्धारित की हैं। इस बोर्ड ने दिल्ली में अब तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर तथा श्रमशक्ति भवन के परिसर में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन पूरे किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा और जल संचयन के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण सम्बन्धी केन्द्रीय स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विचाराधीन स्कीमें।

1. कुशक नाला, नई दिल्ली में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण।
2. लोधी गार्डन, नई दिल्ली में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लाक, नई दिल्ली में भूजल कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम।
4. वायुसेनाबाद, एयर फोर्स स्टेशन, तुगलकाबाद नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम।
5. डी.टी.सी. केन्दीर्य वर्कशाप II, ओखला, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम।
6. नेहरू होम्योपेथिक मेडिकल कालेज, डिफेंस कोलोनी, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुरर्भरण की स्कीम।
7. तुगलक लेन और आस-पास के क्षेत्रों, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम।
8. मीराबाई पोलिटेकनीक परिसर, महारानी बाग, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम।
9. सेक्टर-सी, पाकेट 1 से 3, वसन्त कुंज, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम।

विदेश संचार निगम लिमिटेड

3290. श्री अनन्त नायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'विदेश संचार निगम लिमिटेड' ने देश में 'सी केबल लैंडिंग' परियोजनाएँ आरंभ कर दी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.) ने कौन-कौन के राज्यों में से परियोजनाएँ आरंभ की हैं; और

(ग) इन पर कितना धन व्यय किया जाना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) 'विदेश संचार निगम लि.' की 'सी केबल प्रणाली' पहले से ही प्रचालन में है। इस प्रणाली के लैंडिंग केन्द्र मुंबई, चेन्नै तथा कोची में हैं। इसके अलावा, 'वी.एस.एन.एल.' ने सुदूर पूर्व दक्षिण अफ्रीका (एस.ए.एफ.ई.) के साथ एक नई परियोजना शुरू की है, जिसका लैंडिंग स्टेशन कोची (केरल) में है।

(ग) एस.ए.एफ.ई. परियोजना में वी.एस.एन.एल. का निवेश 231 करोड़ रु. (दो सौ इकतीस करोड़ रु.) होने की संभावना है।

पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या

3291. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत जनसंख्या को शामिल कर लिया गया है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रही जनसंख्या के अन्य वर्गों को भी इस योजना में शामिल करने पर विचार कर रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार 219.22 लाख कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को शामिल किया गया है।

(ख) कर्मचारी पेंशन/भविष्य निधि योजना के दायरे का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है तथा इसे कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यथा आवश्यकता इसका विस्तार किया जाता है।

दूरसंचार सेवा विभाग का निगमीकरण

3292. श्री समर चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण योजना का विरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मंत्रालय ने अपनी आपत्तियों के समर्थन में क्या मुददे उठाए हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निजी और विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश

3293. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण, संचालन और स्थानांतरण (बी.ओ. 27) पर आधारित राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित परियोजनाओं का कार्य निजी वित्तीय संस्थाओं और विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश के अभाव के कारण शुरू नहीं किया गया है और इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निधारित किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) जी नहीं। इस संबंध में उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बी.ओ.टी. स्कीम के तहत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत और मलेशिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के तहत बी.ओ.टी. आधार पर निष्पादित की जाने वाली रा.रा.-5 के टाडा-नैल्लोर खंड और रा.रा.-9 के इब्राहिमपटनम-नंदीग्राम खंड में चार लेन बनाने संबंधी परियोजना को दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कुल परियोजना लागत 760 करोड़ रु. है और पूँजी अनुदान 167.50 करोड़ रु. है।

विवरण

सौंपी गई बी.ओ.टी. परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. सं.	राज्य	लम्बाई कि.मी. में	लागत करोड़ रु.	हस्ताक्षर की तारीख	पूर्ति की संभावित/ वास्तविक तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	*थाने-भिवंडी बाइपास	3 एवं 4	महाराष्ट्र	24	103	12.9.95	31.12.2001	कार्य चल रहा है।
2.	चलथन रोड ओवरब्रिज	8	गुजरात	4 लेन आर ओ बी	10	19.9.96	15.7.1998	कार्य पूरा हो चुका है।
3.	उदयपुर बाइपास	8	राजस्थान	11	24	जुलाई, 96	22.4.1998	कार्य पूरा हो चुका है।
4.	6 पुलों का निर्माण	5	आंध्र प्रदेश	6 पुल	50	9.4.97	30.4.2002	कार्य चल रहा है। तीन पुल पूरे किए जा चुके हैं।
5.	कोयम्बटूर बाइपास	47	तमिलनाडु	33	90	3.10.97	3.12.1999	कार्य पूरा हो चुका है।
6.	तुर्ग बाइपास	6	मध्य प्रदेश	18.4	68	5.11.97	हाल ही में पूरा हो चुका है।	कार्य पूरा हो चुका है।
7.	नर्मदा पुल	8	गुजरात	6	113	21.11.97	10.11.2000	कार्य पूरा हो चुका है।
8.	नरथाना आर ओ बी	3	महाराष्ट्र	13	34.21	25.11.97	22.7.1999	कार्य पूरा हो चुका है।
9.	पातालगंगा पुल और आरओबी	17	महाराष्ट्र	1	33.3	29.11.97	20.7.1999	कार्य पूरा हो चुका है।
10.	हुबली-धारवाड़ बाइपास	4	कर्नाटक	30.35	68	5.2.98	5.11.2000	कार्य पूरा हो चुका है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	नैल्लोर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	18	80	17.2.98	17.2.2001	कार्य चल रहा है।
12.	कोरतलैयार पुल	5	तमिलनाडु	–	30	28.10.98	अप्रैल, 2001	कार्य चल रहा है।
13.	खम्बाटकी घाट सुरंग और सड़क	4	महाराष्ट्र	8	37.8	16.11.98	1.9.2000	कार्य पूरा हो चुका है।
14.	नसीराबाद आर ओ बी	6	महाराष्ट्र	30 मी.	10.45	16.11.98	15.7.2000	कार्य पूरा हो चुका है।
15.	वेनगंगा पुल	6	महाराष्ट्र	530 मी.	32.6	16.11.98	मई, 2001	कार्य चल रहा है।
16.	माही पुल	8	गुजरात	–	42	16.11.98	अप्रैल, 2000	कार्य पूरा हो चुका है।
17.	किशनगढ़ बादपास पर आरओबी	8	राजस्थान	कि.मी.	16.66	27.11.98	25.4.2000	कार्य पूरा हो चुका है।
18.	बत्रक नदी पर पुल	8	गुजरात	–	48.2	1.3.99	31.3.2001	कार्य चल रहा है।
19.	मुरादाबाद बाइपास	24	उत्तर प्रदेश	18	100	23.4.99	23.10.2001	कार्य चल रहा है।
20.	डेराबस्सी पर आरओबी	22	पंजाब	–	35.76	8.9.99	7.9.2001	कार्य चल रहा है।
	जोड़				1026.98			

*कार्य पूरे हो चुके हैं और यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। चार लेन में चौड़ा करने का कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

जिप्सम के भंडार

3294. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिप्सम के भंडार मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम ने जिप्सम को 18 अलग-अलग स्थानों पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लाने-ले-जाने के लिए माल भाड़े में छूट की माँग की थी;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) राजस्थान के गंगानगर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर तथा पाली जिलों में जिप्सम के बड़े भंडारों का विदोहन किया जाता है। खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार राजस्थान में 01.04.1995 को जिप्सम के प्रमाणित भंडार 20,167 मिलियन टन हैं।

(ग) से (ङ) जी, हाँ। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड ने जिप्सम पाउडर की आपूर्ति के लिए 4 गन्तव्यों तथा जिप्सम आर.ओ. एम. की आपूर्ति के लिए 18 गन्तव्यों हेतु एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक माल भाड़े में रियायत देने के लिए उत्तरी रेलवे से अनुरोध किया है। उत्तरी रेलवे ने 22 गन्तव्यों हेतु एस.टी.एस. दरों के तहत, 6.10% की दर से रियायतें दी हैं।

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

3295. श्री शिवाजी माने : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय जल विवाद को तेजी से हल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारिया पैनल रिपोर्ट को लागू करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सरकारिया पैनल की सिफारिशों को लागू करने हेतु आगे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदियों और नदी-घाटियों के जल से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए व्यवस्था करने के वास्ते अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 बनाया गया था। केन्द्र-राज्य संबंधी आयोग (सरकारिया आयोग) ने अपनी रिपोर्ट में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन करने की सिफारिश की है। ये सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकरणों द्वारा विवादों का समयबद्ध ढंग से अधिनिर्णय करने, उनके निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन की व्यवस्था करने और प्रत्येक नदी बेसिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आंकड़ा बैंक और सूचना प्रणाली स्थापित करने से संबंधित हैं। इस आशय से 'अंतर्राज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2001' नामक एक विधेयक दिनांक 7.3.2001 को लोक सभा में पेश किया गया है।

कर्नाटक के सिंचाई प्रस्ताव

3296. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और आज तक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास आज की तारीख तक मंजूरी के लिए लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा उक्त अवधि के दौरान कौन सी सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर की गईं;

(घ) सिंचाई परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ङ) राज्य में लागू की जा रही परियोजनाओं के नाम क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक सरकार से मार्केण्डय जलाशय परियोजना और सिंगातालुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना नामक दो वृहद परियोजनाएँ प्राप्त हुई हैं।

(ख) उपर्युक्त के अलावा, दो परियोजनाएँ—एक वृहद परियोजना अर्थात् अपर तुंगा और एक मध्यम परियोजना अर्थात् बासापुर में लिफ्ट स्कीम जाँच के विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा, हिप्पारगी सिंचाई परियोजना नामक एक वृहद परियोजना कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की गई है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति के बाद सिंचाई परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा पर्यावरणीय और निवेश स्वीकृति, जहाँ आवश्यक हो तथा सलाहकार समिति की अन्य टिप्पणियाँ, यदि कोई हो की अनुपालना करने के बाद योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दी जाती है।

(घ) कर्नाटक सरकार को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में अब तक 574.39 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।

(ङ) चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम
	वृहद परियोजनाएँ
1.	भाद्रा टी.एस.पी. (डी.पी.)
2.	तुंगभद्रा बांध और एल.बी.सी. (डी.पी.)
3.	तुंगभद्रा एच.एल.सी. (आई.एस.) (डी.पी.)
4.	कबीनी (एन.पी.) (डी.पी.) (टी.एस.पी.)
5.	मलप्रभा (डी.पी.)
6.	हरांगी (एन.पी.) (डी.पी.) (टी.एस.पी.)
7.	हेमवथी (एन.पी.) (डी.पी.)
8.	अपर कृष्णा चरण-1 (डी.पी.)
9.	करंजा
10.	बेनीथोर (डी.पी.)
11.	हिप्पारगी बैराज (डी.पी.)
12.	दूधगंगा (आई.एस.) (डी.पी.)
13.	वाराही (टी.एस.पी.)
14.	अपर तुंगा (डी.पी.)
15.	यागची (एन.पी.) (डी.पी.)
16.	भीमा लिफ्ट (डी.पी.)
17.	भीमा फलो (डी.पी.)
18.	मार्केण्डय (डी.पी.)
19.	सिंगतलुर (डी.पी.)
20.	रामथाल लिफ्ट
	मध्यम परियोजनाएँ
1.	मानचनाबेटे (डी.पी.)
2.	इगालूर (एन.पी.) (डी.पी.)
3.	वोटेहोल (डी.पी.)
4.	अमरजा (डी.पी.)
5.	लोअर मुल्लामारी (डी.पी.)
6.	मस्कीनाला (एन.पी.)
7.	रानीकेरे तक फीडर चैनल (डी.पी.)
8.	चलकीनाला
9.	आरकावथी (एन.पी.) (डी.पी.)
10.	चिक्लीहोल (एन.पी.) (टी.एस.पी.)
11.	उदुथोरेहाला (एन.पी.) (डी.पी.) (टी.एस.पी.)
12.	हेरेहाला (डी.पी.)
13.	गंदोरीनाला (डी.पी.)
14.	हटचनकोपलू (एन.पी.) (डी.पी.)
15.	कमसमुद्रा (एन.पी.) (डी.पी.)

क्र.सं.	परियोजना का नाम
16.	बासापुर लिफ्ट (डी.पी.)
17.	होदीरायनहल्ला (डी.पी.)
18.	इटागी सासलवाद लिफ्ट (डी.पी.)
19.	हरिनाला
20.	नन्जापुरा एल.आइ.एस.
21.	कगना
22.	मंजीरा लिफ्ट
23.	कंचनाली

टिप्पण : एन.पी. कावेरी बेसिन में गैर-योजना परियोजनाएँ

डी.पी. सूखा प्रवण जिलों को लाभ पहुँचाने वाली परियोजना

टी.एस.पी. आदिवासी क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने वाली परियोजना

आई.एस. अन्तर्राज्यीय परियोजना

दूरसंचार निर्यात संवर्धन परिषद

3297. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार उपस्कर विनिर्माता संघ के घरेलू निर्माताओं ने माँग की है कि स्थानीय उत्पादन और इस क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से दिए जा रहे प्रोत्साहनों में वृद्धि की जाए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या घरेलू निर्माताओं ने दूरसंचार निर्यात संवर्धन परिषद बनाए जाने और दूरसंचार में अनुसंधान तथा विकास निवेशों के लिए और प्रोत्साहन तथा शुल्कों में छूट दिए जाने के लिए कहा है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन माँगों पर विचार किया है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम फैसला कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) भारत के दूरसंचार उपस्कर विनिर्माता संघ (टी.ई.एम.ए.) जो भारत में दूरसंचार उपस्कर विनिर्माता का प्रतिनिधित्व करता है, ने स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देने तथा दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जिन प्रमुख प्रोत्साहनों की माँग की है, वे निम्नलिखित हैं :

(i) दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कल-पुर्जों पर कोई शुल्क नहीं लगाना चाहिए।

(ii) दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण के लिए कल-पुर्जों के मूल शुल्क पर कोई विशिष्ट अधिभार न लगाया जाए।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज दर पर विदेशी दूरसंचार उद्योगों को धन उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार वित्त निगम की स्थापना।

(iv) भारत को टी.ई.सी. द्वारा पहले से ही टाइप अनुमोदित दूरसंचार उत्पादों के निर्यात के लिए उन होस्ट देशों के साथ द्विपक्षीय करार करना चाहिए जो इन उत्पादों को अपने नेटवर्कों में परीक्षण हेतु, स्वीकार करते हों।

(v) विद्युत तथा खनन क्षेत्र में जिस प्रकार की अनुमति दी गई है, वैसे ही 'सी' फार्म सुविधा जिसमें 4% की दर से बिक्रीकर में रियायत दी गई है, का लाभ प्राप्त करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र को भी अनुमति दी जाए।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग बिक्रीकर के संबंध में इन्फोटेक (सूचना प्रौद्योगिकी) क्षेत्र को तथा प्रदत्त रियायत दूरसंचार क्षेत्र को भी दिए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों तथा विद्युत और खनन क्षेत्र को यथा अनुमत्य 'सी' फार्म जारी करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र को रियायत देने का मुद्दा राजस्व मंत्रालय के अधीन उठाया है। जहां तक दूरसंचार उपस्कर पर सीमा-शुल्क का और उत्पाद-शुल्क का संबंध है, वर्ष 2001-2002 के बजट में इसे युक्तिसंगत बना दिया गया है, कल-पुर्जों तथा तैयार दोनों प्रकार के उत्पादों के लिए मूल सीमा-शुल्क पर लगने वाला अधिभार समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दूरसंचार विभाग ने आदानों (इनपुट्स) के साथ-साथ तैयार दूरसंचार उपस्कर पर लगने वाले सीमा-शुल्क के ढाँचे को युक्तिसंगत बनाने हेतु यह मामला राजस्व विभाग को भेजा है। दूरसंचार अभियंत्रण केन्द्र (टी.ई.सी.) विदेश मंत्रालय के सहयोग से गुणवत्ता विश्लेषण तथा प्रमाण के संबंध में परस्पर स्वीकरण व्यवस्थाओं का मामला 'सार्क' देशों के साथ उठाया जा रहा है।

दूरसंचार उपस्कर विनिर्माताओं को पहले से ही प्रोत्साहन दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं :

(i) दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माताओं के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।

(ii) दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

(iii) दूरसंचार विनिर्माण में लाभांश के रूप में आय और निवेशित पूँजी पूर्ण रूप से स्वदेश में प्रत्यावर्तन योग्य है।

(iv) 2 मिलियन अमरीकी डालर तक की तकनीकी जानकारी की स्वतः आधार पर निवल-कर अदा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वदेशी बिक्री पर 5 प्रतिशत तथा निर्यात बिक्री पर 8 प्रतिशत तक रायल्टी की भी अनुमति है।

[हिन्दी]

बर्गी बांध

3298. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्गी बाँध संबंधी रिपोर्ट जाँच कार्य पूरा होने के बाद प्रकाशित कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त रिपोर्ट को सभा में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या जलग्रहण क्षेत्र में कृषि किए जाने के कारण बाँध की समयावधि कम हो जाएगी; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) बारगी बाँध वर्ष 1987 में पूरा किया गया था। दिनांक 22.5.97 को भूकम्प आने के बाद राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 24.5.97 को इस बाँध का निरीक्षण किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जलाशयों में गाद जमना एक प्राकृतिक घटना है और आवाह क्षेत्र में कृषि सहित किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप से इसमें वृद्धि होती रहती है।

(घ) पर्यावरण एव वन मंत्रालय ने परियोजना संबंधी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के एक भाग के रूप में आवाह क्षेत्र सुधार का सुझाव दिया है।

भारतीय टेलीफोन उद्योग

3299. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर स्थित भारतीय टेलीफोन-उद्योग बंद पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण हैं;

(ग) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तुलन-पत्र के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान आई.टी.आई., श्रीनगर यूनिट द्वारा उठाए गए घाटे का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	घाटा
1997-1998	4.03
1998-1999	5.02
1999-2000	4.20

(घ) घाटे में कमी लाने के लिए आई.टी.आई. लि. निम्नलिखित कार्रवाइ कर रहा है :

(i) नए उत्पादों की शुरूआत।

(ii) मौजूदा जन-शक्ति का बेहतर उपयोग।

(iii) कच्चे माल की कीमत तथा शीर्षोपरि व्यय में कमी करना।

(iv) जम्मू में काई रिपेयर केन्द्र खोलना।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन उपकरण

3300. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खराब सेवा और घटिया गुणवत्ता के टेलीफोन उपकरणों के कारण बड़ी संख्या में टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता के टेलीफोन उपकरण उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी क्वालिटी के टेलीफोन उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाए किए जाने हैं :

(i) एस.टी.डी./ग्रुप डायलिंग के कार्यकरण में सुधार हेतु सभी एक्सचेंजों में चरणबद्ध तरीके से विश्वसीनय पारेषण माध्यम की व्यवस्था।

(ii) अधिकाधिक एक्सचेंजों की दोष-सुधार सेवा (एफ.आर.एस.) का कम्प्यूटरीकरण।

(iii) लम्बे समय तक पावर ब्रेक डाउन से निपटने के लिए चरणबद्ध तरीके से मेनटेनैंस-फ्री बैटरियों और इंजन आल्टर्नेटरों की व्यवस्था।

बेरोजगारी समस्या

3301. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश से बेरोजगारी की समस्या के पूर्ण उन्मूलन हेतु कोई समयबद्ध कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुल कितने अतिरिक्त अवसर सृजित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा बनाए गए नौवीं योजना दस्तावेज में प्रक्षेपणों के अनुसार नौवीं योजनावधि में श्रम बल में चरम सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है। योजना आयोग के अनुसार वर्ष 2007 तक लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्ति ऐसा लक्ष्य नहीं है कि जिसे प्राप्त न किया जा सके बशर्ते कि ऐसी परिस्थितियाँ सृजित की जाएँ कि वृद्धि दर में और अधिक वृद्धि हो तथा वृद्धि में क्षेत्रवार एवं क्षेत्रीय ढाँचे दोनों संदर्भों में श्रम की खपत की तीव्रता में महत्त्वपूर्ण गिरावट न आए।

यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 2007 तक पूर्ण रोजगार, नौवीं योजना एवं इसके बाद की अवधि में रोजगार एवं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

3302. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हदा और बैतुल जिलों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा-सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा-सूची के कब तक निपट जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 4.3.2001 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची निम्नानुसार है :

हरदा	810
बैतुल	991

(ख) 31.3.2002 तक प्रतीक्षा-सूची निपटा दिए जाने की संभावना है।

सिंचाई क्षमता

3303. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के लिए 800 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई क्षमता पैदा की गई;

(ग) यदि नहीं, तो किस सीमा तक सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाता है और लक्ष्य के अनुसार सिंचाई क्षमता के सृजन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) गुजरात में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन संबंधी निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों तथा प्राप्त लक्ष्यों में अंतर का विवरण इस प्रकार है :

आठवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षमता का सृजन (000 हेक्टे. में)

परियोजनाओं का प्रकार	लक्ष्य	उपलब्धि	अंतर
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	448.00	104.00	344.00
लघु सिंचाई	180.00	35.00	145.00
कुल	**628.00**	**139.00**	**489.00**

यह गिरावट मुख्य रूप से आठवीं योजना के दौरान सरदार सरोवर परियोजना द्वारा कोई क्षमता सृजन न किए जा सकने के कारण हुई है क्योंकि इस परियोजना का कार्य लंबित न्यायिक मामलों और अन्य परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण रुका पड़ा था।

सिंचाई राज्य का विषय है और सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की योजना, आयोजना और उनका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके निजी प्राथमिकताओं तथा वित्तीय संसाधनों के अनुसार किया जाता है। तथापि, किए गए निवेशों से शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए समयबद्ध रूप से सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की दृष्टि से भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) जिसे वर्ष 1996-97 में प्रारंभ किया गया था, के तहत चुनिन्दा चल रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) मुहैया कर रही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत गुजरात की 14 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए फरवरी, 2001 के अंत तक 1287.293 करोड़ रु. केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में जारी किए गए हैं तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त इन परियोजनाओं से वर्ष 1999-2000 के अंत तक लगभग 102.4 हजार हेक्टे. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

[अनुवाद]

सोने की मांग और उत्पादन

3304. श्री एच.जी. रामुलू : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोने की अनुमानित वार्षिक माँग कितनी है;

(ख) देश में सोने का कुल उत्पादन कितना है;

(ग) वर्तमान में कुल वार्षिक उत्पादन में से कर्नाटक का कितना उत्पादन होता है; और

(घ) सरकार द्वारा कर्नाटक के 'ग्रीन स्टोन बेल्ट' से सोना निकालने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) देश में स्वर्ण की माँग के कोई कोई पक्के अनुमान नहीं हैं। मोटे अनुमान सुझाते हैं कि भारत में स्वर्ण की मांग लगभग 600 टन प्रतिवर्ष है।

(ख) जैसा भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बी.जी.एम.एल.), हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड (एच.जी.एम.एल.) तथा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

(एच.सी.एल.) (जोकि उपोत्पाद के रूप में स्वर्ण का उत्पादन करता है) द्वारा सूचित किया गया है, देश में, पिछले तीन वर्ष के दौरान, कुल स्वर्ण उत्पादन निम्नवत रहा :

	(किलोग्राम में)
1997-98	2865
1998-99	2901
1999-2000	3108 (अनन्तिम)

(ग) कर्नाटक में स्वर्ण उत्पादन का मौजूदा वार्षिक अंशदान लगभग 78% है।

(घ) खान मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जोकि देश में खनिजों के क्षेत्रीय मानचित्रण एवं गवेषण के लिए जिम्मेदार है, कर्नाटक में स्वर्ण का गवेषण कर रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जारी कार्यों के अलावा, फील्ड सत्र 2000-2001 के दौरान शिमोगा जिले के हट्टी उत्तर खंड में, रायचूर जिले की हट्टी माक्सी शिष्ट पट्टी में स्वर्ण हेतु अन्वेषण; चित्रदुर्गा जिले में रंगायानादुर्गा तथा हारपानहल्ली के बीच वोल्केनिकस पछोड़न संपर्क क्षेत्र में स्वर्ण हेतु पूर्वेक्षण करेगा। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा, हाल ही में, हीरे, स्वर्ण तथा संबद्ध खनिजों हेतु कर्नाटक में 16 टोही परमिट दिए गए हैं।

टेलीफोन शुल्क

3305. श्री जे.एस. बराड़ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का टेलीफोन के मासिक किराए और कॉल शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक अंतिम फैसला लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण रेखा चांडील परियोजना

3306. श्री रघुनाथ झा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण रेखा चांडील परियोजना पिछले कुछ वर्षों से लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना को पूरा करने में बहुत अधिक धन खर्च किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा प्रस्ताव को शीघ्र निपटाने और परियोजना को शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) स्वर्ण रेखा चांडील बाँध के निर्माण कार्य की वास्तविक प्रगति 98% है (फाटकों के संस्थापन के अतिरिक्त) 1 मार्च, 2000 तक स्वर्ण रेखा चांडील परियोजना (बाँध और बायाँ तट नहर) पर 609.50 करोड़ रु. व्यय किया गया है।

(घ) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, कार्यान्वयन एवं उनका वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

खाली पड़े पद

3307. डॉ. बलिराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम.टी.एन.एल., मुंबई और दिल्ली में दूरसंचार पारेषण सहायक (टी.टी.ए.) के खाली पड़े पदों का ब्यौरा क्या है और 28 फरवरी, 2001 की तिथि के अनुसार, ये कब से लंबित पड़े हैं;

(ख) टी.टी.ए. के खाली पदों को भरने के लिए वर्तमान नियम क्या हैं; और

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गत 2 वर्षों से एम.टी.एन.एल., दिल्ली में 846 पद रिक्त पड़े हैं। एम.टी.एन. एल., मुंबई में रिक्त पद 219 हैं (190 पद 17.11.99 से तथा 29 पद पहले से रिक्त हैं)।

(ख) एम.टी.एन.एल., दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार किए गए भर्ती-नियमों का अनुकरण कर रहा है। मौजूदा भर्ती-नियमों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) विभागीय प्रत्याशियों से 50 प्रतिशत रिक्तियां भरने के लिए भर्ती-प्रक्रिया शुरू की गई है तथा उसके बाद, चयनित प्रत्याशियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। अगले एक वर्ष तक इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने की आशा है। भर्ती-नियमों की समीक्षा के बाद, बाहर के प्रत्याशियों से भरी जाने वाली 50 प्रतिशत रिक्तियों को भरा जाएगा।

विवरण

भारत का राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 6 नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 6, 1999/माघ 17, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

भारत सरकार के मंत्रालय (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1999

सा.का.नि. 42 : राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1991 को अधिक्रांत करते हुए, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से, विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. बंधपत्र और प्रशिक्षण :

(i) सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों पर अनंतिम रूप से भर्ती किए गए सभी अभ्यर्थी दूरसचार तकनीकी सहायक के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए उस प्रोफार्मा में, जो विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, एक बंधपत्र निष्पादित करेंगे।

(ii) रिक्तियों के सीधी भर्ती वाले कोटे और रिक्तियों के विभागीय प्रोन्नति वाले कोटे दोनों के अधीन चुने गए अभ्यर्थियों को दूरसंचार तकनीकी सहायक के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व विभाग द्वारा अधिकथित प्रशिक्षण योजना के अनुसार विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

(iii) सीधे भर्ती किए गए दूरसंचार तकनीकी सहायक प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उतनी वृत्तिका (प्रशिक्षण भत्ता) के, जितनी विभाग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए, हकदार होंगे।

6. प्रादेशिक सेना/सिग्नल यूनिट के अधीन सेवा : सभी अभ्यर्थियों का (सीधे भर्ती किए गए और विभागीय दोनों) यह दायित्व होगा कि, यदि ऐसा अपेक्षित किया जाए तो, वे प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा उपबंधित प्रादेशिक सेना सिग्नल यूनिटों में सेवा करें।

7. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
दूरसंचार तकनीकी सहायक	13249* लगभग 31-3-98 की तिथि के अनुसार कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय अराजपत्रित अननुसचिवीय	4500-125-7000 रु.	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच -	लागू नहीं होता (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की बाबत शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति/

1	2	3	4	5	6	7
						अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों की बाबत शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है। ऊपरी आयु सीमा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की बाबत भी तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त संस्था से दूर संचार इंजीनियरी/इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी/विद्युत इंजीनियरी/रेडियो इंजीनियरी/कम्प्यूटर इंजीनियरी/उपकरण प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय इंजीनियरी डिप्लोमा या उसके समतुल्य।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
11	12
आमेलन/प्रोन्नति द्वारा, जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदधारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों में से आमेलन/प्रोन्नति द्वारा : प्रवर्ग I वांक-इन माध्यम से (1) फोन निरीक्षक/पारेषण सहायक/बेतार प्रचालक/आटो एक्सचेंज सहायक (2) विभाग के दूरसंचार इंजीनियरी खंड के नियमित स्थापन में के ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी, जिनके पास दसवीं कक्षा के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी तकनीकी संस्थान से दूरसंचार इंजीनियरी/इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी/रेडियो इंजीनियरी/कम्प्यूटर इंजीनियरी/उपकरण प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय इंजीनियरी डिप्लोमा या उसके समतुल्य न्यूनतम अर्हता हों। (3) ऐसे तकनीशियन, जिनके पास 10+2 अर्हता या समतुल्य अर्हता है। (4) ऐसे तकनीशियन, जो मैट्रिकुलेशन के पश्चात् दो वर्षीय आई.टी.आई. डिप्लोमा प्रमाण-पत्र धारण किए हुए हैं।

11	12
	प्रवर्ग–II अर्हक स्क्रीनिंग परीक्षण के माध्यम से
	(1) प्रवर्ग 1 के उप प्रवर्ग (2), (3) और (4) के भीतर आने वाले तकनीशियनों से भिन्न तकनीशियन।
	(2) ऐसे दूरसंचार मैकेनिक, जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।
	प्रवर्ग–III प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से
	(1) ज्येष्ठ दूरसंचार प्रचालन सहायक
	(2) दूरसंचार प्रचालन सहायक
	(3) दूरसंचार मैकेनिक
	टिप्पण 1
	रिक्तियाँ प्रथमतः प्रवर्ग I के अभ्यर्थियों द्वारा वांक-इन के माध्यम से भरी जाएंगी। प्रवर्ग I के अभ्यर्थियों के लिए उपबंध करने के पश्चात् भरी न गई रिक्तियाँ प्रवर्ग II के अभ्यर्थियों द्वारा अर्हक स्क्रीमिंग परीक्षण के माध्यम से भरी जाएंगी। अर्हक स्क्रीनिंग परीक्षण प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपबंध करने के पश्चात् शेष भरी न गई रिक्तियाँ प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी और यदि रिक्तियाँ तब भी शेष रह जाती हैं तो वे सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ चयन सूची टिप्पण 2 के अनुसार तैयार की जाएगी।
	टिप्पण 2
	आमेलन/प्रोन्नति से पहले प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ चयन सूची निम्नलिखित क्रम में तैयार की जाएगी :
	(1) ज्येष्ठ काडर से संबंधित कर्मचारियों को संबंधित काडरों में विद्यमान ज्येष्ठता को अव्यवस्थित किए बिना, सामूहिक रूप से उन कर्मचारियों से ऊपर रखा जाएगा जिन्हें कनिष्ठ काडर में रखा गया है।
	(2) समतुल्य वेतनमान वाले काडरों की ज्येष्ठता का अवधारण संबंधित काडर में विद्यमान परस्पर-ज्येष्टता को अव्यवस्थित किए बिना संबंधित श्रेणी में सेवा की अवधि के आधार पर किया जाएगा।
	टिप्पण 3
	दूरसंचार तकनीकी सहायक (डी.टी.ए.) सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र काडर होगा, भर्ती का यूनिट संबंधित सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र (एस.एस.ए.) होगा और ऐसे सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र (एस.एस.ए.) में की गई नियमित सेवा को हिसाब में लिया जाएगा।
	टिप्पण 4
	दूरसंचार तकनीकी सहायक के काडर में अभ्यार्थियों की नियुक्ति पर ज्येष्ठता का अवधारण प्रशिक्षण के पश्चात् प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे : 1. एक अधिकारी जो मंडलीय इंजीनियरी की पंक्ति से नीचे का न हो — अध्यक्ष 2. दो अधिकारी, जो उप-मंडलीय इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 7-51/97-एन.सी.जी.]

जे.बी. जैन, सहायक निदेशक साधारण (एस.टी.सी.)

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 520 नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 1999/कार्तिक 4, 1921

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1999

सा.का.नि. 718 (अ) : राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार तकनीकी सहायक (संशोधन) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार तकनीकी सहायक भर्ती नियम 1998 की अनुसूची में :

(क) स्तम्भ 11 में की प्रतिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात् :

"50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,

10 प्रतिशत आमेलन द्वारा

40 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।"

(ख) स्तम्भ 12 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात् :

(अ) आमेलन

निम्नलिखित समूह 'ग' कर्मचारियों में से अर्थात् :

(i) फोन निरीक्षक/पारेषण सहायक/बेतार प्रचालक/आटो एक्सचेंज सहायक।

(ii) विभाग के दूरसंचार इंजीनियरी खंड के नियमित स्थापन में के ऐसे कर्मचारी, जिनके पास दसवीं कक्षा के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी तकनीकी संस्थान से दूरसंचार इंजीनियरी/इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी/रेडियो इंजीनियरी/कम्प्यूटर इंजीनियरी/उपकरण प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय इंजीनियरी डिप्लोमा या उसके समतुल्य न्यूनतम अर्हता है।

(iii) ऐसे तकनीशियन जिनके पास 10+12 अर्हता या समतुल्य अर्हता है।

(iv) ऐसे तकनीशियन जिनके पास मैट्रिकुलेशन के पश्चात् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दो वर्षीय डिप्लोमा प्रमाणपत्र है।

(आ) प्रोन्नति

दूरसंचार विभाग के दूरसंचार इंजीनियरी खंड के निम्नलिखित समूह 'ग' कर्मचारियों में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अर्थात् :

(क) (i) ऐसे दूरसंचार प्रचालन सहायक, जिन्होंने पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, या

(ii) ऐसे ज्येष्ठ दूरसंचार प्रचालन सहायक, जिन्होंने पाँच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत दूरसंचार प्रचालन सहायक के रूप में की गई सेवा भी है।

और जिनके पास 10+2 स्तर प्रमाणपत्र या समतुल्य है।

(ख) (i) ऐसे दूरसंचार मैकेनिक जिनके पास 10+2 स्तर प्रमाणपत्र या समतुल्य है और

(ii) ऊपर आमेलन से संबंधित मद 'अ' में निर्दिष्ट तकनीशियनों से भिन्न तकनीशियन जिन्होंने अपने-अपने काडर में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 :

प्रोन्नति के लिए पदधारियों को प्रशिक्षित करने के लिए चयन, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पण 2 :

आमेलन से पूर्व प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए चयन सूची निम्नलिखित क्रम में तैयार की जाएगी, अर्थात् :

(i) उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे पदधारियों को सामूहिक रूप से निम्नतर श्रेणी में कार्य कर रहे पदाधिकारियों से ऊपर रखा जाएगा।

(ii) एक ही वेतनमान में कार्य कर रहे ऐसे पदधारियों को जिनकी सेवा की अवधि दीर्घतर है उनसे ऊपर रखा जाएगा जिनकी सेवा की अवधि अल्पतर है।

टिप्पण 3 :

दूरसंचार तकनीकी सहायक, सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र काडर होगा और भर्ती का यूनिट संबंधित सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र होगा।

टिप्पण 4 :

दूरसंचार तकनीकी सहायक के काडर में अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ज्येष्ठता का अवधारण उनके अपने-अपने कोटे में प्रशिक्षण के पश्चात् प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पण 5 :

आमेलन के कोटे में नहीं भरा गया पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

[फा. 7-35/99-एन.सी.जी.]

जे.बी. जैन, सहायक महानिदेशक (एस.टी.सी.)

टिप्पण : मूल भर्ती नियम सा.का.नि. 42, तारीख 6 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[अनुवाद]

नदी जल का उपयोग

3308. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदियों के जल के उपयोग पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने समझौता किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से दोनों राज्यों के मध्य हुई सहमति के अनुसार जल के उपयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु पोलावरम परियोजना की मंजूरी हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो परियोजना को अब तक मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच बंगलौर में दिनांक 4 अगस्त, 1978 को हुई बैठक के विचार-विमर्शों के संक्षिप्त अभिलेखों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि 75 प्रतिशत विश्वसनीयता पर पोलावरम परियोजना से गोदावरी-जल के 80 टी.एम.सी. जल को नागार्जुन सागर परियोजना से कृष्णा डेल्टा के लिए निस्सरण को छोड़ते हुए विजयवाड़ा अनिकट के अपर कृष्णा नदी में मोड़ा जा सकता है ताकि उक्त 80 टी.एम.सी. जल का उपयोग नागार्जुन सागर की प्रतिप्रवाह परियोजनाओं के लिए किया जा सके। इसके अतिरिक्त यह सहमति व्यक्त की गई थी कि इस 80 टी.एम.सी. जल को आंध्र प्रदेश के 45 टी.एम.सी. कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों को 35 टी.एम.सी. के अनुपात में बाँटा जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों ने 35 टी.एम.सी. जल का अर्थात् 21 टी.एम.सी. कर्नाटक और 14 टी.एम.सी. महाराष्ट्र को देने के लिए स्वयं सहमत हो गए हैं।

(ग) और (घ) पोलावरम परियोजना की स्वीकृति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सरकारों के साथ पोलावरम परियोजना के कारण जल मग्नता से संबंधित अन्तर्राज्यीय मुद्दों के समाधान करने, परियोजना द्वारा विस्थापित होने वाले परिवारों को पुनर्स्थापना और पुनर्वास संबंधी योजनाओं को तैयार करने और मूल्यांकन अभिकरणों की लंबित टिप्पणियों की अनुपालना संबंधी अद्यतन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर निर्भर करती है।

चल फ्रैंचाइज़ डाकघर

3309. श्री चिन्तामन वनगा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और महाराष्ट्र में वर्तमान में कितने विभागीय और चल फ्रैंचाइज़ डाकघर चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त राज्यों में ऐसे और डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) दिल्ली और महाराष्ट्र में इस समय कार्य कर रहे विभागीय तथा चल डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है :

राज्य	विभागीय डाकघरों की संख्या	चल डाकघरों की संख्या
दिल्ली	429	1
महाराष्ट्र	2146	शून्य

(ख) और (ग) सरकार योजना लक्ष्यों के अनुसार विभागीय उप-डाकघर खोलती है बशर्ते कि निर्धारित मानदंड पूरे होते हों और ससाधन उपलब्ध रहें। कोई चल डाकघर खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मान्यता

3310. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कुछ सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा में मणिभद्र सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मणिभद्र परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) सरकार का उड़ीसा में किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू करने का प्रस्ताय नहीं है। मणिभद्र सिंचाई परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अभी उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

महाराष्ट्र में डाकघर/उप-डाकघर

3311. श्री उत्तमराव पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के दौरान महाराष्ट्र में और डाकघर/उप-डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलावार, स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके राज्य में कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) नए डाकघर योजना लक्ष्यों के अनुसार खोले जाते हैं बशर्ते कि निर्धारित मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।

ई.एस.आई. अस्पताल खोला जाना

3312. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ई.एस.आई. निगम को निर्देश दिया है कि वह ई.एस.आई. अस्पताल शुरू किए जाने हेतु तिरूपति और निज़ामाबाद स्थित भवनों को सौंप दे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) तिरूपति और निजामाबाद स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के भवनों का हस्तांतरण आन्ध्र प्रदेश सरकार को पहले ही कर दिया गया है और दोनों ही अस्पतालों में सेवाएँ शुरू हो चुकी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फरीदाबाद में टेलीफोन डायरेक्टरी

3313. श्री अधीर चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, फरीदाबाद के आदेशों के अन्तर्गत फरीदाबाद टेलीफोन डायरेक्टरी, 1997 का पहला और अंतिम संस्करण, 1998 में मुद्रित किया गया और उसे उपभोक्ताओं को वितरित किया गया था;

(ख) क्या फरीदाबाद के टेलीफोन उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के अनुसार टेलीफोन विभाग द्वारा बड़ी संख्या में टेलीफोन कनेक्शनों को या तो सूचीबद्ध नहीं किया गया या गलत नंबर छापे गए;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्तमान टेलीफोन डायरेक्टरी में छपे अधिकांश नंबर प्रशासनिक कारणों से बदल दिये गये और वर्तमान डायरेक्टरी अनुपयोगी हो गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं के लाभार्थ नई अद्यतन डायरेक्टरी छापने हेतु फरीदाबाद टेलीफोन विभाग द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में समय से कार्रवाई करने में हुई देरी के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं। डायरेक्टरी का मुद्रण और वितरण विभाग के नीति संबंधी मार्ग-निर्देशन के अनुसार किया गया था। तथापि, टेलीफोन डायरेक्टरी की आपूर्ति में विलम्ब के बारे में जिला उपभोक्ता विवाद समाधान अब फरीदाबाद और गुड़गाँव में एक मामला दायर किया गया था। जिला उपभोक्ता विवाद समाधान मंच, फरीदाबाद को यह सूचित किया था कि डायरेक्टरी का मुद्रण किया जा रहा है। उक्त टेलीफोन डायरेक्टरी बाद में, मई/जून, 1998 में जारी की गई थी।

(ख) और (ग) उपरोक्त डायरेक्टरी 31.3.1997 तक संशोधित की गई थी। टेलीफोन नम्बर शामिल न करने, गलत प्रविष्टियाँ करने आदि के बारे में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जाँच करने पर यह देखा गया था कि शिकायतें 31.3.1997 के बाद लगे टेलीफोन नम्बरों को शामिल न करने से संबंधित/अनुपूरक डायरेक्टरी, जिसमें सभी शिकायतों का ध्यान रखा जाना था, संविधात्मक समस्याओं के कारण नहीं छप सकी और परिणामस्वरूप ठेकेदार की जमा राशि जब्त कर ली गई।

(घ) जी, हाँ। यह नेटवर्क के व्यापक विस्तार और 6 से 7 अंकों में नम्बरिंग स्कीम बदलने के कारण है।

(ङ) टेलीफोन डायरेक्टरी का अगला अंक 31.12.2000 तक संशोधित है और आशा है कि यह अंक 2001-2002 की प्रथम तिमाही में रिलीज़ हो जाएगा। नई डायरेक्टरी प्रकाशित करने की प्रक्रिया पहले शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि मामला न्यायाधीन था।

"सूरजकुंड में अवैध खनन"

3314. श्री रामजी मांझी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 2001 को 'दि टॉइम्स ऑफ इंडिया' में 'इल्लीगल माइनिंग गोइंग ऑन नियर सूरजकुंड' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या चूककर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश को कड़ाई से लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हाँ। हरियाणा सरकार का खान और भू-विज्ञान विभाग जो सूरजकुंड के आस-पास के क्षेत्र में खनन पट्टा मंजूर करने के लिए समक्ष प्राधिकरण है, ने पाया कि तीन पार्टियाँ नामतः मैसर्स बी.पी. जैन एण्ड सन्स, मैसर्स अजय इन्टरप्राइजेज और मैसर्स सूरजकुंड प्रोपर्टीज लिमिटेड पूर्व अनुमति लिए बिना पत्थर खनन में लगी हुई थीं।

(ग) और (घ) दोषियों के विरुद्ध सहायक खनन इंजीनियर द्वारा 28.2.2001 को फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई है। राज्य सरकार ने भी अवैध रूप से खनित पत्थरों के मूल्य और रायल्टी वसूल करने के लिए इन पार्टियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है।

(ङ) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि सूरजकुंड और बड़कल झीलों (पर्यटन परिसरों) के 2 कि.मी. के अंदर आंशिक तौर पर और पूर्णतया आने वाले सभी खनन पट्टों को रिट याचिका (सिविल) 1985 की संख्या 4677 में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में समय से पूर्व समाप्त कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अवैध खनन न होने पाए, निषिद्ध क्षेत्र की बाहरी परिधि के आस-पास एक स्थायी चैक पोस्ट स्थापित की गई है जहाँ खान, बिक्री कर तथा पुलिस विभागों के अधिकारियों को तैनात किया गया है।

जल संसाधनों का विकास

3315. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाँधी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आहर, तालाबों और झीलों जैसे जल संसाधन को पुनर्जीवित और विकसित करने हेतु कुछ योजनाओं को शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को क्या-क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र में ऐसी योजनाओं को शुरू करने हेतु कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ जिले-वार किन-किन स्थानों को चिह्नित किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) जल संसाधन विकास स्कीमें स्वयं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं तथा उनका कार्यान्वयन तथा वित्त पोषण उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) तथा प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी. वाई.)—ग्रामीण पेयजल, के एक भाग के रूप में वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले भूजल पुनर्भरण, वर्षाजल संचयन तथा पेयजल स्रोतों को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए वर्षा जल को संरक्षित करने वाली अन्य पारंपरिक विधियों को शामिल किया है। इस स्कीम के तहत जल की निरन्तरता बनाए रखने संबंधी स्कीमों/परियोजनाओं को शुरू करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत उप-मिशन परियोजनाओं के वास्ते 20% निधियों का 25% भाग तथा प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना का 25% भाग निर्धारित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेयजल के तहत जल को दीर्घकाल बनाए रखने संबंधी स्कीमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ इस स्कीम के तहत नाला बन्ध, परिस्रवण टैंकों, भण्डारण टैंकों, ग्राम-तालाबों आदि शुरू करने की व्यवस्था है। कृषि मंत्रालय, वाटर शेड प्रबन्धन कार्यक्रम के माध्यम से वर्षा की जल-विभाजक क्षमता बढ़ाने संबंधी उपायों का कार्यान्वयन कर रहा है। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी शुरू किए हैं।

नेशनल इंटरनेट बैकबोन सर्विस

3316. डॉ. जसवंतसिंह यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने राजस्थान में नेशनल इंटरनेट बैकबोन सर्विस की शुरूआत की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सेवा से उपभोक्ताओं को कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) जयपुर और जोधपुर में इंटरनेट चालू कर दिए गए हैं। इन नोडों से, पूरे राजस्थान में इंटरनेट तक पहुंच मुहैया कराई जा रही है। शेष जिला मुख्यालयों में इंटरनेट नोडों को चालू करने का काम चल रहा है। इंटरनेट उपभोक्ताओं को 'फास्टर एक्सेस' और 'स्पीडियर डाऊनलोडों' से लाभ मिलने की आशा है।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज

3317. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थानवार कितने टेलीफोन एकसचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान बिहार और और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 140 और 484 टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है। स्थिति-वार ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के लिए सर्किल-वार निधि-आवंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि, इस प्रयोजनार्थ निधियाँ आबंटित की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर उप-मार्ग/उपरि पुल

3318. श्री जय प्रकाश : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माणाधीन उप-मार्गों और उपरि पुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में ग्रैंड ट्रंक रोड के पुनर्निर्माण हेतु कोई आपातकालीन योजना लागू की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) चालू वित्त वर्ष 2000-2001

के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर निमार्णाधीन बाइपासों और पुलोंपरि सड़कों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	रा.रा.सं.	बाइपास का नाम	लम्बाई कि.मी.	उन पुलोपरि सड़कों की संख्या जिन पर कार्य चल रहा है	लागत (करोड़ रु.)	पूरा करने के लक्ष्य की तारीख
1.	24	हापुड़	11.60	एक	35.60	अप्रैल, 2002
2.	24	मुरादाबाद	18.40	दो	100.00	अक्तूबर, 2001
3.	26	ललितपुर	05.76	–	7.60	मार्च, 2002
4.	28	बस्ती	05.10	एक	10.47	मार्च, 2002

(ख) और (ग) जी नहीं। जहाँ तक इस मंत्रालय का संबंध है, उत्तर प्रदेश राज्य में जी.टी. रोड के निर्माण के लिए कोई आपातकालीन स्कीम नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के जी.टी. रोड पर आने वाले खंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत सुधारा और चौड़ा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पवनहंस हेलीकॉप्टर

3319. श्री किरीट सोमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान पवनहंस द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ख) क्या पवनहंस ने चार हेलीकॉप्टरों की खरीद हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस खरीद में कुल कितनी लागत राशि अंतर्ग्रस्त है तथा किन-किन देशों से इन हेलीकॉप्टरों की खरीद की जाएगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड (पी.एच.एच.एल.) का (कर घटाने के पश्चात्) लाभ 53.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ने मैसर्स यूरोकाप्टर, फ्रांस से 49.18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो मध्यम क्षमता वाले डॉफिन एस.ए. 365 एन 3 हेलीकॉप्टरों की खरीद का एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है। पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की दो हल्के हेलीकॉप्टरों को भी लेने की योजना है। इन हेलीकॉप्टरों के लिए विश्वस्तरीय बोलियों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खनन नीति

3320. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमंडलीकरण और उदारीकरण के मद्देनजर खनन क्षेत्र से संबंधित परिचालनों और नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी निवेश हेतु खनन क्षेत्र को खोलने को सुगम बनाने हेतु क्या प्रमुख नीतिगत निणय किए गए हैं;

(ग) तत्संबंधी तैयार की गई नई राष्ट्रीय खनन नीति और उसकी प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा और अगले पाँच वर्षों के लिए खनिजों के लिए नए निवेश का क्या आकलन किया गया है और कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) खनन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित सरकार की क्या नीति है और महाराष्ट्र के लिए खनन क्षेत्र में सरकारी/निजी क्षेत्र के निवेश से संबंधित क्या पहल की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (घ) आर्थिक उदारीकरण नीति के अनुरूप घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 द्वारा खनिज क्षेत्र को, घरेलू तथा विदेशी दोनों, निजी क्षेत्र की पहल के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है तथा इसमें उच्च मूल्य तथा दुर्लभ खनिजों हेतु गवेषण तथा खनन में विदेशी प्रौद्योगिकी तथा विदेशी भागीदारी को लाने का प्रावधान है। भारतीय कम्पनियों द्वारा खनन से जुड़े संयुक्त उद्यमों में संवर्धित विदेशी इक्विटी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया गया है।

1993 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति (एन.एम.पी.) के प्रचालनों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसमें राज्य सरकारों, विदेशी निवेशकों सहित निजी निवेशकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के साथ विचार-विमर्श शामिल है।

सरकार राष्ट्रीय खनिज नीति के प्रचालनों की समीक्षा कर रही है तथा उसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित, खनन तथा खनिज क्षेत्र में निजी क्षेत्र के द्वारा किए जाने वाले निवेश हेतु नीति तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एम.एम.डी.आर.) अधिनियम, 1957 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन की मार्फत सुगम बना रही है। तदनुसार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम को 1994 तथा 1999 में संशोधित किया गया। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को भी संशोधित किया गया। हाल ही में, सरकार ने सभी खनिजों (हीरा तथा मूल्यवान पत्थरों को छोड़कर) हेतु स्वतः मार्ग से 100% तक विदेशी इक्विटी होल्डिंग की नीति को अनुमोदित किया है। इसमें गवेषण, खनन, खनिज संसाधन तथा खनिकर्म शामिल है। हीरा तथा मूल्यवान पत्थरों के मामले में, गवेषण तथा खनन प्रचालनों, दोनों हेतु स्वचालित माध्यम से 74% तक विदेशी इक्विटी की मंजूरी दी जाएगी। हीरा तथा मूल्यवान पत्थरों हेतु 74% से अधिक विदेशी इक्विटी वाले प्रस्तावों के मामलों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) द्वारा, मामला दर मामला आधार पर, निर्णय लिया जाता है।

खनिज क्षेत्र में इस प्रकार के कोई निवेश प्रक्षेपण नहीं गए हैं। खनिजों हेतु कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किए जाते। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित कोई कम्पनी या कोई भारतीय नागरिक टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद

खनिज निक्षेपों के गवेषण तथा विदोहन के लिए मुक्त है। अधिनियम तथा नियमों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यूज़.) द्वारा खनिज संभाव्य क्षेत्रों के विदोहन हेतु आरक्षण का प्रावधान है। केन्द्र खनन क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश पर सूचना नहीं रखता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों में रोगियों के भर्ती होने की दर में कमी

3321. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल हैं;

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सभी अस्पतालों में अस्पताल-वार रोगियों के भर्ती होने की औसत दर कितनी है;

(ग) क्या इन अस्पतालों में रोगियों के भर्ती होने की दर में कमी आ रही है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या रोगियों को आकर्षित करने हेतु इन अस्पतालों की सेवाओं में सुधार करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों में रोगियों के भर्ती होने की दर को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) 138।

(ख) क.रा.बी. अस्पतालों की औसत अधिभोक्ता दर 52 प्रतिशत है। चूँकि क.रा.बी. अस्पताल बड़ी संख्या में हैं, अतः उनकी अलग-अलग अधिभोक्ता दर बताना कुछ मुश्किल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) क.रा.बी. स्कीम के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख के प्रशासन का उत्तरदायित्व, केवल दिल्ली और नोएडा को छोड़कर जहाँ कि यह सीधे क.रा.बी. निगम के हाथ में है, शेष सभी जगह राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों का है। क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों के लिए स्टाफ और उपकरणों की व्यवस्था हेतु मानक/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से हाल ही में क.रा.बी. निगम ने एक कार्रवाई योजना बनाई है और इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को अग्रेषित किया है। कार्रवाई योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, अस्पताल में आधुनिक उपकरण प्रणाली का प्रावधान, औषधालयों में मूलभूत उपकरणों की उपलब्धता, क्षेत्रीय ट्राउमा केन्द्रों की स्थापना, उच्च विशेषज्ञता युक्त सेवाओं की स्थापना, ब्लड बैंकों, कैंसर निदान केन्द्रों की स्थापना, देशी औषधि प्रणाली का विकास, प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों के साथ टाई-अप व्यवस्था भी शामिल है। कार्रवाई योजना के अन्तर्गत क.रा.बी. निगम ने विभिन्न राज्य सरकारों को 42.00 करोड़ रुपए मूल्य के चिकित्सा उपकरणों की मंजूरी प्रदान की है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए निधि

3322. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक सिंचाई परियोजनाओं हेतु दिल्ली को आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गइ धनराशि और अप्रयुक्त धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धनराशि का उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) यह विवरण निम्न है :

(करोड़ रुपए में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
राज्य योजना परिव्यय	1.00	1.17	1.25
व्यय	0.84	0.66	1.10 (प्रत्याशित)

(ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण इन निधियों का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता से किया जाता है।

एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. सुविधा

3323. श्री तिरूनावकरसू :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि देश में ऐसे जिला मुख्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है जहाँ वर्ष 2001-2002 के दौरान एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : सभी पात्र आवेदकों को माँग पर फ्रैंचाइजी आधार पर एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. आवंटित किए जाते हैं। जिला मुख्यालयों सहित फ्रैंचाइजी उस स्थान को तय कर सकते हैं, जहाँ वे पी.सी.ओ. चलाना चाहते हैं।

"तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना"

3324. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री मोहन रावले :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न राज्य सरकारों से तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन) के संशोधन से संबंधित कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन अनुरोधों पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हाँ। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अनुरोधों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में अन्य बातों के साथ-साथ सितम्बर, 2001 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) में रेत के खनन की अनुमति की अधिसूचना 29 सितम्बर, 2000 को और तटतीय विनियमन जोन में तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण तथा इसके भंडारण और तरल प्राकृतिक गैस के रिगैसीफिकेशन की अनुमति की एक दूसरी अधिसूचना 04 अगस्त, 2000 को जारी की गई है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 1991 को संशोधित करने के संबंध में किए गए अनुरोधों का विवरण

राज्य/संघ राज्य	किया गया अनुरोध
केरल	(i) विकासात्मक गतिविधियाँ शुरू करने के लिए नहरों, नदियों और बैक वाटर जैसी ज्वार प्रभावित अंतर्देशीय जल निकायों के साथ-साथ तटीय विनियमन जोन को 100 मीटर तक कम करना।
	(ii) पर्यटन विकास के लिए अभिनिर्धारित तटीय क्षेत्रों के साथ तटीय विनियमन जोन को 500 मीटर तक कम करना।
महाराष्ट्र	(i) परियोजना अनुमोदन की तारीख से स्थानीय नगर और ग्राम आयोजना विनियमनों में विद्यमान फ्लोर स्पेस इंडेक्स/फ्लोर एरिया रेशों को स्वीकार करना न कि तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के जारी होने की तारीख अर्थात् 19 फरवरी, 1991 को जो विद्यमान थी।
	(ii) महाराष्ट्र आवास क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा तटीय विनियमन जोन-II क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों/प्राधिकृत ढाँचों के समुद्र की ओर के प्लाटों के लिए निर्माण की अनुमति देना जिसकी इस समय अनुमति नहीं है।
	(iii) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में मीसिंग लिंक मार्गों के निर्माण की अनुमति।
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	(i) नदियों, संकरी खाड़ी और बैक वाटरों जैसी ज्वार प्रभावित अंतर्देशीय निकायों के साथ तटीय विनियमन जोन को कम करना।
	(ii) समुद्र तट से सटे तटीय विनियमन जोन-III में नो डैवलपमेंट जोन के क्षेत्र को कम करना।
	(iii) तटीय विनियमन जोन-I में औषधालयों, पाठशालाओं, सार्वजनिक रेन-शैल्टरों, शौचालयों, पुलों, सड़कों, जेट्टी, जल आपूर्ति जल निकासी और सीवरेज के निर्माण की अनुमति।
	(iv) तटीय विनियमन जोन के क्षेत्रों में रेत के खनन की अनुमति।
गुजरात	तटीय विनियमन जोन-I के क्षेत्रों में नमक क्यारी गतिविधियों की अनुमति।
लक्षद्वीप समूह	समुद्री तट के साथ लगे तटीय विनियमन जोन को कम करना।
गोवा	चट्टानी समुद्री तट के साथ के तटीय विनियमन जोन को कम करना।
आंध्र प्रदेश	तटीय विनियमन जोन में पेट्रोलियम उत्पादों के हथालन और भंडारण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सहायता प्राप्त पर्यावरण प्रबंधन परियोजना

3325. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण प्रबंधन संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इस परियोजना के वित्त पोषण हेतु सहमत हो गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त धनराशि को किस प्रकार खर्च किए जाने की संभावना है; और

(च) इसके लक्ष्यों और समय-सीमा के संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए कन्ट्री कोआपरेशन फ्रेमवर्क-I के तहत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ 5 सितंबर, 1997 को एक प्रोग्राम स्पोर्ट डाक्यूमैंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय विषयों के रूप में, समानता गरीबी उन्मूलन और मानव विकास को ध्यान में रखते हुए प्रगति करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। कार्यक्रम का कुल अनुमानित परिव्यय 8.1 मिलियन अमेरिकी डालर है और इसकी अवधि 1997 से 2001 तक है। केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे 21 उप कार्यक्रम वित्तपोषण के लिए अनुमोदित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और उनके विकास, निर्णय करने और सूचना के लिए क्षमता निर्माण और एडवोकेसी और सहभागिता की दृष्टि से तैयार किया गया है।

''दामोदर नदी में प्रदूषण''

3326. श्री सुनील खां : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के चार शहरों के लिए दामोदर (गंगा बेसिन) नदी के प्रदूषण में कमी करने हेतु कोई पृथक् योजना है और इसके लिए वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) सरकार ने अक्तूबर, 1996 में 12.19 करोड़ रु. की लागत से अन्दल, आसनसोल, दुर्गापुर और रानीगंज नामक चार शहरों में दामोदर नदी की प्रदूषण उमशमन की एक स्कीम स्वीकृत की थी। इस स्कीम में सीवेज का अवरोधन और दिशा परिवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्र, अल्प लागत के शौचालय और शवदाहगृह जैसे निर्माण कार्य शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को कम प्राथमिकता दिए जाने के कारण इस स्कीम के कार्य अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं।

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज

3327. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना हेतु और राज्य में विशेषकर पुणे जिले में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हाँ। महाराष्ट्र सरकार के माननीय मुख्य मंत्री की ओर से निम्नलिखित अनुरोध प्राप्त हुए हैं :

(i) लातूर ज़िले के गाँव में टेलीफोन एक्सचेंजों की व्यवस्था।

(ii) एक लाख तक टेलीफोन-कनेक्शनों में वृद्धि।

(ख) (i) वर्ष 2000-2001 के दौरान, जहाँ-कहीं भी माँग है, 30 नए एक्सचेंज खोलने के लक्ष्य की तुलना में 28 एक्सचेंज लातूर में खोले गए हैं। शेष दो टेलीफोन एक्सचेंज भी 31.3.2001 तक खोल दिए जाएंगे।

(ii) वर्ष 2000-2001 के लिए सीधी एक्सचेंज लाइनों (डी.ई.एल.) का लक्ष्य बढ़ाकर 5 लाख से 6 लाख तक कर दिया है।

[हिन्दी]

विमान सेवाओं का विस्तार

3328. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विशेषकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई बड़े शहर अभी तक विमान सेवाओं से नहीं जुड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन शहरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को स्थानीय लोगों से इन स्थानों को विमान सेवाओं से जोड़ने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इस समय अनुसूचित विमान सेवाओं से जुड़े हुए शहरों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) किसी विशेष स्थान को विमान सेवा से जोड़ने के लिए स्थानीय जनता, जनता के प्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों/फोरा से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं और इसे एयरलाइन ऑपरेटरों को भेज दिया जाता है। मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर जिनमें कुछ विशिष्ट श्रेणी के मार्गों पर न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था की गई है, एयरलाइन ऑपरेटर अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर कुछ विशिष्ट स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

अनुसूचित विमान सेवाओं से जुड़े हुए स्टेशनों की सूची

राज्य	अनुसूचित विमान प्रचालकों द्वारा जोड़े गए स्टेशन
1	2
अण्डमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, तिरूपति, विजाग, पुट्टापार्थी
असम	गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर
बिहार	पटना
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
छत्तीसगढ़	रायपुर
दिल्ली	दिल्ली
दियू	दियू
गोवा	गोवा
गुजरात	अहमदाबाद, वडोदरा, भुज, राजकोट, भावनगर, पोरबन्दर, जामनगर

1	2
हिमाचल प्रदेश	शिमला, कुल्लू, धर्मशाला
जम्मू और कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर, लेह
झारखंड	राँची
कर्नाटक	बंगलौर, मंगलौर
केरल	कालीकट, कोचीन, त्रिवेन्द्रम
लक्षद्वीप	अगाती
मध्य प्रदेश	इन्दौर, खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर
महाराष्ट्र	मुम्बई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर
मणिपुर	इम्फाल
मिजोरम	एजवाल
नागालैंड	दीमापुर
उड़ीसा	भुवनेश्वर
राजस्थान	जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर
पंजाब	अमृतसर
तमिलनाडु	कोयम्बटूर, चैन्नई, मदुरै, त्रिची
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, वाराणसी, आगरा
उत्तरांचल	देहरादून
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता, बागडोगरा

[अनुवाद]

विमानों की हैंडलिंग क्षमता

3329. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और मुंबई में विमानों की हैंडलिंग क्षमता को 10-12 प्रति घंटे से 35-40 प्रति घंटे तक बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानों के सुरक्षित उतरने और उड़ान भरने हेतु नवीनतम रडार और नौवहन प्रणाली की स्थापना हेतु भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मौजूदा स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुंबई-दिल्ली परियोजना में 423 करोड़ रुपए की लागत से विमान यातायात सेवा आधुनिकीकरण के तहत इन दोनों हवाई अड्डों पर रडार तथा दिक्चालनात्मक सुविधा और अवतरण सुविधा तथा अन्य सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक उपस्करों की व्यवस्था की है। सन् 1998 में इस सिस्टम को दिल्ली में चालू किया गया है जबकि मुंबई में यह सिस्टम वर्ष 1999 में चालू हुआ।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

3330. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इंदिरा गाँधी नहर परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत कितने क्षेत्रफल को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त नहर में पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के वित्त पोषण, निष्पादन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है, क्योंकि संविधान के तहत सिंचाई राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य को समय-समय पर अग्रिम योजना सहायता, सूखा राहत सहायता तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सहायता, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है।

(ख) इस परियोजना के तहत कुल 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन मण्डल जिसमें राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व है, जल की उपलब्धता और रावी-ब्यास नदी के जल में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हिस्सों को ध्यान में रखते हुए इस मण्डल की मासिक तकनीकी बैठकों में जल की निर्मुक्तियाँ निर्धारित करता है।

हवाई अड्डों का बंद किया जाना

3331. श्री मानसिंह पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ हवाई अड्डों को विमान यातायात के अभाव में बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी हवाई अड्डा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की विमानन कंपनियाँ इन हवाई अड्डों पर विमान सेवा प्रदान करने का इरादा रखती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 26 हवाई अड्डों को विमानों के प्रचालन के अभाव में बंद कर दिया गया है। इन हवाई अड्डों के नाम निम्नानुसार हैं—आंध्र प्रदेश में कुदापा, राजामुंद्री और विजयवाड़ा, जीरो,

दापारिजो, एलंग और तेजू स्थित सिविल एनक्लेव और अरूणाचल प्रदेश में पासीघाट हवाई अड्डा, बिहार में मुजफ्फरपुर, गुजरात में केशोड़ और कांडला, कर्नाटक में मैसूर, हुबली और बेलारी, मेघालय में शिलांग, पंजाब में लुधियाना, राजस्थान में कोटा और बीकानेर का सिविल एनक्लेव, तमिलनाडु में सेलम, त्रिपुरा में कैलाशाहार, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, कानपुर और इलाहाबाद में सिविल एन्क्लेव, उत्तरांचल में पन्तनगर और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में कूच बेहार।

(ग) और (घ) इन हवाई अड्डों से प्रचालन करने के बारे में किसी भी एयरलाइन प्रचालक से कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है। यद्यपि, एयरलाइन प्रचालक अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर किसी भी स्थान से तक उड़ानें प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं किन्तु उन्हें उन मार्ग संवितरण सबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा जिसमें मार्गों की विनिर्दिष्ट श्रेणी में कतिपय न्यूनतम प्रचालन का निर्धारण किया गया है।

नर्मदा घाटी परियोजना

3332. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों की निर्माणाधीन नर्मदा घाटी परियोजना की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह समीक्षा इस तथ्य के मद्देनजर हो रही है कि गुजरात और मध्य प्रदेश भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र हैं और नर्मदा नदी की भौगोलिक स्थिति भी एक बड़ा कारण है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा परियोजना की सुरक्षा हेतु क्या निवारात्मक कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) जी, नहीं। गुजरात में हाल में आए भूकंप को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश एवं गुजरात के नर्मदा घाटी परियोजना के निर्माण की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उनकी डिजाइन उस क्षेत्र में संभावित अधिकतम विश्वसनीय भूकंप (एम.सी.ई.) को ध्यान में रख कर तैयार की गई है।

''गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान''

3333. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जो इस समय उनके मंत्रालय के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) उनके चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत गठित संबंधित समितियों की सिफारिशों के अनुसार चुने गए गैर-सरकारी संगठनों तथा वित्तीय नियमों और उनके पिछले ट्रेक के अनुसार उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन करने के पश्चात् जिन अनुदान राशियों की सिफारिश की जानी है वे उन्हें दे दी जाती हैं।

विवरण

क्र.सं.	नाम
1.	मद्रास साइन्स फाउंडेशन, गिल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलेज, चैन्नई।
2.	द स्कूल ऑफ डेसर्ट साइन्स, नेहरू पार्क, जोधपुर।
3.	कार्टमेन, संख्या 870, 17-ई मेन कोरामंगला, VI ब्लाक, बंगलौर।
4.	एस.डी. मेराइन बायोलोजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट सागर द्वीप समूह, सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल।
5.	दक्कन डेवलपमेंट सोसायटी बशीर बाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
6.	सी.पी. रामास्वामी, अयूयर फाउंडेशन, I ए, एलडम्स रोड, चैन्नई।
7.	विक्रम साराभाई सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इन्टरएक्शन, नेहरू फाउंडेशन फार डेवलपमेंट भालतेज टेकरा, अहमदाबाद।
8.	एन्वायरनमेंट सोसायटी आफ इण्डिया, करूणा सदन सेक्टर 11-बी, चण्डीगढ़।
9.	सेवा मन्दिर, ओल्ड फतेहपुर, उदयपुर।
10.	इण्डिया एन्वायरनमेंटल सोयायटी, यू 112 शकरपुर, विकास मार्ग, दिल्ली।
11.	शोहरतगढ़ एनवायरनमेंटल सोयायटी 9 आदर्श कालोनी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश।
12.	उत्तराखण्ड सेवा निधि, पर्यावरण शिक्षा संस्थान, माल रोड, अल्मोड़ा, उत्तरांचल।
13.	स्कूल ऑफ फन्डामेंटल रिसर्च, 29 प्रतापदित्य रोड, कोलकाता।
14.	ग्राम विकास केन्द्र, के-3/57, हंस स्टोहर रोड, टेलको टाऊन, जमशेदपुर।
15.	रूरल यूथ कोर्डीनेशन केन्द्र, उजाला कैम्पस, बाहुरिया कोठी के पास, छपरा (सारन), बिहार।
16.	भारतीय एग्रो-इन्डस्ट्रीज़ फाउंडेशन, बैफ भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 वारगे, पुणे।
17.	असम साइन्स सोसायटी लेम्ब रोड, गुवाहाटी।
18.	वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इण्डिया, जम्मू कश्मीर राज्य कार्यालय, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू (तवई)।
19.	कनांटक राज्य विजनन परिषत, 11 एस.सी., कैम्पस, बंगलौर।
20.	डेवलपमेंट आल्टरनेटिवस, बी 32, इन्स्टीयूशनल क्षेत्र, तारा क्रीसेंट, नई महरौली रोड, नई दिल्ली।

क्र.सं.	नाम
21.	टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, दरबारी सेठ ब्लाक, हेबिटेट प्लेस, लोदी रोड, नई दिल्ली।
22.	वल्ड वाइड फन्ड फार नेचर-इण्डिया, 172-बी लोदी एस्टेट, नई दिल्ली।
23.	बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी हार्नबिल हाऊस, डॉ. सलीम अली चौक, शहीद भगत सिंह रोड, मुम्बई।
24.	सेन्टर फार मिडिया स्टडीज, 9/1 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
25.	सेन्टर फार एन्वायरनमेंट एजुकेशन थालतेज टेकरा, अहमदाबाद।
26.	कान्फेडरेशन ऑफ इण्डिया इन्डस्ट्रीज़ (सी II), हैबिटेट प्लेस, लोदी रोड, नई दिल्ली।
27.	धौराला शुगर वर्क्स, धौराला, मेरठ।
28.	बासवा ताराकम एजुकेशनल सोसायटी, चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश।
29.	सेन्टर फार रूरल इन्टीग्रेटिड डेवलपमेंट सोसायटी, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
30.	चित्थरावथी रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
31.	गज लक्ष्मी रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
32.	गोरनताला सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
33.	ग्रामाभायदया सेवक संघ, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
34.	इन्टीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश।
35.	इन्टीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
36.	न्यू मित्रा सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
37.	पटेल यूथ क्लब, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
38.	रूपा एजुकेशनल सोसायटी, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
39.	रूरल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसायटी, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश।
40.	संगमेशवारा एजुकेशनल सोसायटी, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
41.	सरस्वती महिला मण्डली, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
42.	स्त्री चैतन्या वूमन वेलफेयर एसोसिएशन, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश।
43.	वाइट फील्ड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
44.	वूमन रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश।
45.	भट्ट एम.पी.सी.एस. लिमिटेड, पापामपारे, अरूणाचल प्रदेश।
46.	किसान एम.पी.सी.एस. लिमिटेड, पापामपारे, अरूणाचल प्रदेश।
47.	आदर्श सेवा संस्थान, पटना, बिहार।
48.	एग्रो-टेक कन्सलटेन्टस विश्व शिखा, पटना, बिहार।
49.	अमलागोरा सेवा फाउंडेशन, ईस्ट सिंहभूम, बिहार।

क्र.सं.	नाम
50.	सेन्ट्रल रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट काउंसिल, पलामू, बिहार।
51.	सेन्टर फार इन्टरप्रेनूरशिप डेवलपमेंट, राँची, बिहार।
52.	ग्रामीण विकास परिषद, देओघर, बिहार।
53.	ग्रामीण विकास समिति, पलामू, बिहार।
54.	जन जागरण केन्द्र, हजारीबाग, बिहार।
55.	माँ दुर्गा विकास समिति, पलामू, बिहार।
56.	राजेन्द्र इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, सीतामढ़ी, बिहार।
57.	विकास भारती, गुमला, बिहार।
58.	विनोबा भावे सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट आफ इण्डिया, मधुबनी, बिहार।
59.	हिम एजुकेशन सोसायटी, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
60.	मैना मेमोरियल सोसायटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
61.	कश्मीर आर्टस एम्ब्रायडरी वरर्क्स इन्डस्ट्रीयल कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर।
62.	अरूणोदय रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, तुमकुर, कर्नाटक।
63.	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कोलार, कर्नाटक।
64.	सोसायटी फार ट्राइबल एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट, तुमकुर, कर्नाटक।
65.	साउथ इण्डिया रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कोलार, कर्नाटक।
66.	त्रिवेणी एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, तुमकुर, कर्नाटक।
67.	प्रसाद सांस्कृतिक शैक्षणिक आवाम ग्राम विकास समिति, बिलासपुर, मध्य प्रदेश।
68.	कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसायटी, इम्फाल, मणिपुर।
69.	इको-डेवलपमेंट सोसायटी, उखरूल, मणिपुर।
70.	ऑरगेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इकोनामिक कान्शियसनेस, इम्फाल ईस्ट, मणिपुर।
71.	सोशल एन्वायरनमेंट एंड रूरल विलेजिस एजुकेशन सर्विस, इम्फाल, मणिपुर।
72.	द एन्वायरनमेंटल सोशल रिफोरमेशन एंड संघी प्रोटेक्शन फोरम, बिष्णुपुर, मणिपुर।
73.	द एन हेकान यूथ क्लब, सेनापति, मणिपुर।
74.	द रूरल एरियास डेवलपमेंट सेन्टर, इम्फाल, मणिपुर।
75.	अनारम्स सोसायटी, दीमापुर, नागालैंड।
76.	वैफ्रूड क्रनोसिस डेवलपमेंट सोसायटी लिमिटेड, नागालैंड।

क्र.सं. नाम

77. ग्रेस माउंट वुमेन सोसायटी, मोन, नागालैंड।

78. इमलीमोक एम.पी.सी.एस., दीमापुर, नागालैंड।

79. जेमतोसू एम.पी.सी.एस., लिमिटेड, दीमापुर, नागालैंड।

80. कोटालिओ फोरेस्ट्री एंड प्लान्टेशन कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, दीमापुर, नागालैंड।

81. मैशेन्दी एम.पी.सी.एम. लिमिटेड, कोहिमा, नागालैंड।

82. रूरल वूमेन डेवलपमेंट ट्रस्ट, कोहिमा, नागालैंड।

83. सुमंगलेनडेन एम.पी.सी.एस. लिमिटेड, मोकोचुंग, नागालैंड।

84. विमेई एम.पी.सी.एस. एल.टी.एस., कोहिमा, नागालैंड।

85. यंग नागा वूमेन सोसायटी, दीमापुर, नागालैंड।

86. गांधीयन इंस्टीट्यूट आफ टेक्निकल एडवांसमेंट, भुवनेश्वर, उड़ीसा।

87. ग्राम उन्नयन समिति, पुरी, उड़ीसा।

88. कोमटी एक्शन फार फूड एंड रूरल डेवलपमेंट (सी.ए.एफ.ए.आर.डी.) चैन्नई, तमिलनाडु।

89. कम्युनिटी डेवलपमेंट सेन्टर, मदुराई, तमिलनाडु।

90 सेंट जोसेफ एजुकेशनल ट्रस्ट, चैन्नई, तमिलनाडु।

91. यूथ सेन्टर फार रिहब्लीटेशन एंड डेवलपमेंट, दिन्दीगुल, तमिलनाडु।

92. ग्रामीण विकास समिति, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।

93. जन-चेतना महिला संस्थान, पोढ़ी गढ़वाल, उत्तरांचल।

94. किसान वृक्षारोपण समिति, आगरा, उत्तर प्रदेश।

95. कुमाऊँ एडवांचर एंड एन्वायरनमेंट फेलोशिप सोसायटी, अल्मोड़ा, उत्तरांचल।

96. महिला ग्रामोद्योग जन चेतना संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तरांचल।

97. समाज कल्याण सेवा समिति, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।

98. सुन्दर सिंह बाघेल लोक कल्याण समिति, आगरा, उत्तर प्रदेश।

99. गण उन्नयन परिषद, प्रताप बागान, बांकुरा, पश्चिम बंगाल।

100. इन्टीग्रेटिड रूरल वेलफेयर इन्स्टीट्यूट, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल।

101. लिबरल एसोसिएशन ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपुल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

102. सोनामुखी आदिवासी उन्नयन समिति, बांकुरा, पश्चिम बंगाल।

[अनुवाद]

भारत संचार निगम लिमिटेड

3334. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
डॉ. बलिराम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्यकरण की इसके स्थापना के बाद से कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा मार्च, 2001 तक कौन-सी योजनाएँ तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पूँजीगत ढाँचे को अंतिम रूप दे दिया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड की सरकार को पूर्व अनुमति के बिना निवेश योजना संबंधी निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ज) भारत संचार निगम लिमिटेड में कर्मचारियों को समाहित करने की क्या नीति है;

(झ) क्या अधिकारियों और कर्मचारियों को समाहित करने में कोई अनिच्छा है;

(ञ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ट) सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड के सभी सेवाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्यक रूप से समाहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) बी.एस.एन.एल. ने वर्ष 2000-2001 के लिए वार्षिक योजना अनुमोदित करा ली है। बी.एस.एन.एल. के निष्पादन की पुनरीक्षा मासिक आधार पर की जाती है। जनवरी, 2001 तक की पुनरीक्षा पूरी हो चुकी है। जनवरी, 2001 तक विकासात्मक कार्यकलापों संबंधी पुनरीक्षा रिपोर्ट की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) बी.एस.एन.एल. की प्राधिकृत शेयर पूँजी 10,000 करोड़ रु. और प्रदत्त पूँजी 50,000 करोड़ रु. है।

(च) और (छ) बी.एस.एन.एल. बोर्ड को निम्नलिखित के संदर्भ में निवेश संबंधी निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है : (क) प्रत्येक मामले में 50 करोड़ रु. तक की मौद्रिक सीमा वाली नई परियाजनाएँ तथा (ख) उच्चतर मौद्रिक सीमा के बिना, एक ही प्रकृति की परियोजनाएँ।

(ज) से (ट) औद्योगिक रोजगार अधिनियम, 1946 के स्थायी आदेशों के अनुसार भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों द्वारा-गठित मान्यताप्राप्त यूनियनों के साथ विचार-विमर्श

करने के बाद बी.एस.एन.एल. में सेवा संबंधी नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बी.एस.एन.एल. में आमेलन के लिए समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों से विकल्प माँगा जा चुका है। इसके लिए अंतिम तारीख 31.3.2001 निर्धारित की गई है।

समूह 'ख' अधिकारियों के संदर्भ में इस समय अंतिम तारीख जून, 2001 निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। फिर भी, इस तारीख को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। बी.एस.एन.एल. में समूह 'क' अधिकारियों के आमेलन हेतु, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार, समूह 'क' अधिकारियों को 5 वर्ष की अवधि तक के लिए प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। समूह 'क' अधिकारियों के संवर्ग प्रबंधन मुद्दों की जाँच करने के लिए एक समिति गठित की गई है। इन मुद्दों का समाधान होते ही समूह 'क' अधिकारियों को विकल्प की पेशकश कर दी जाएगी।

विकल्प देने वाले कर्मचारियों को बी.एस.एन.एल. में आमेलित करने की प्रक्रिया एक बड़ा कार्य है, क्योंकि इसमें 3.6 लाख कर्मचारी शामिल हैं। प्रक्रिया का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के विभिन्न समूहों की अलग-अलग सत्यापन करने का निर्णय लिया गया है। यह इसलिए भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि समूह 'क' और 'ख' कर्मचारी कार्यपालक श्रेणी में यूनियनें/संघ बना सकते हैं, जबकि समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारी गैर-कार्यपालक श्रेणी में यूनियन बना सकते हैं।

विवरण

जनवरी 2001 तक बी.एस.एन.एल. की उपलब्धियाँ अनुबंध

क्र.सं.	मद	2000-01 के लिए चालू करने का लक्ष्य	जनवरी 2001 तक उपलब्धि
1.	स्थानीय एक्सचेंज		
	(क) सज्जित क्षमता (निवल)	6700000	3643989
	(ख) सीधी एक्सचेंज लाइनें	5350000	3320830
2.	ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज क्षमता	400000	278000
3.	सार्वजनिक टेलीफोन स्थानीय एस.टी.डी. तथा राजमार्ग	120000	168519
4.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	100000	19117
5.	एम.डब्ल्यू.-आर.के.एम.	10000	12255
6.	ऑप्टिकल फाइबर	100000	32857
7.	उपग्रह एम.सी.पी.सी.वी.एस.ए.टी.-एस.	164	47
8.	आइ.डी.आर. रूट	23	15
9.	केयू-बैंड केंद्र	2	0

[हिन्दी]

डाटापोस्ट 2001 परियोजना

3335. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में डाक विभाग के अंतर्गत डाटापोस्ट 2001 परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में डाटापोस्ट-2001 सुविधा उपलब्ध है और यह सुविधा सभी राज्यों में कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी;

(घ) क्या सरकार ने इस सुविधा राजस्व सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य के बेंगलूर शहर में तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद शहर में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू करने के लिए, एक प्रीमियम उत्पाद के बतौर डाटापोस्ट-2001 की घोषणा 14.11.2000 को की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू तथा व्यावसायिक डाटाबेस संकलित करने के लिए डाक विभाग की यह एक नई पहल है। इससे कारपोरेट्स को इन शहरों में बाजार स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह सुविधा चरणबद्ध ढंग से सभी राज्यों में उपलब्ध होगी।

(घ) और (ङ) राजस्व जुटाने की दृष्टि से इस उत्पाद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह अभी प्रायोगिक अवस्था में है।

''वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना''

3336. श्री रामदास आठवले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिहलाल कितने वन ग्राम हैं और इनमें से राज्य-वार कितनों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ख) क्या कुछ और गाँवों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने संबंधी कुछ अनुरोध सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वन ग्रामों की सूची और इनमें से राज्य सरकार द्वारा राजस्व ग्रामों में परिवर्तित ग्रामों की संख्या का ब्यौरा मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ) 1992 से वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के प्रस्तावों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। उड़ीसा के छह प्रस्तावों में से पाँच प्रस्ताव, राज्य सरकार द्वारा सूचना न भेजने के कारण अस्वीकृत कर दिए गए हैं। एक प्रस्ताव पर उड़ीसा सरकार से 23.5.2000 को यह अनुरोध किया गया है कि वह वन क्षेत्र से बाहर गाँव को पुनःस्थापित करने की संभावना का पता लगाए क्योंकि यह वन के बहुत अंदर है। राज्य सरकार ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के उपर्युक्त प्रस्तावों को निर्णय के लिए इसके साथ जोड़ दिया गया है। अन्तरिम उपाय के रूप में 1346 वन ग्रामों में 30,617 पट्टों का अंतिम निर्णय लिए जाने तक 20.1.1997 को 15 वर्षों की अवधि के लिए नवीकरण कर दिया गया।

विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	राज्य	स्थिति
1.	सम्बलपुर जिले में जगतपति वन ग्राम का राजस्व ग्राम में परिवर्तन	54.385	उडीसा	राज्य सरकार द्वारा सूचना न भेजने के कारण 9.5.2000 को प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।
2.	सम्बलपुर जिले में लाम्बीपाली वन ग्राम का राजस्व ग्राम में परिवर्तन	49.82	उड़ीसा	राज्य सरकार द्वारा सूचना न भेजने के कारण 13.2.2001 को प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।
3.	सम्बलपुर जिले में डिबरीगढ़ वन ग्राम का राजस्व ग्राम में परिवर्तन	34.93	उड़ीसा	राज्य सरकार द्वारा सूचना न भेजने के कारण 9.5.2000 को प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।
4.	सम्बलपुर जिले में जगदबहेरा वन ग्राम का राजस्व ग्राम में परिवर्तन	94.09	उड़ीसा	राज्य सरकार द्वारा सूचना न भेजने के काण 9.5.2000 को प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।
5.	सम्बलपुर जिले में खारपरखोल ग्राम का राजस्व ग्राम में परिवर्तन	47.12	उड़ीसा	उड़ीसा सरकार को 23.5.2000 को गाँव को वन क्षेत्र से बाहर पुनःस्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए अनुरोध किया गया था चूँकि यह वन के बहुत अंदर स्थित है।
6.	सम्बलपुर जिले में देचुओन वन ग्राम का राजस्व ग्राम में परिवर्तन	120.587	उड़ीसा	राज्य सरकार द्वारा सूचना न भेजने के कारण 9.5.2000 को प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।
7.	मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में वन ग्रामों में पट्टों का नवीकरण	1,20,976.179 (1346 गाँवों में)	म. प्र.	1,20,976.179 हेक्टेयर वन भूमि में फैले 1346 ग्रामों के 30617 पट्टों का अंतिम निर्णय लिए जाने तक 15 वर्षों की अवधि के लिए नवीकरण कर दिया गया।

असंगठित क्षेत्र में कार्य रहे श्रमिकों के लिए प्रतिकर अधिनियम

3337. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के लाभ-मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत मिलने वाले हितलाभ पहले से ही सड़कों, पुलों, शहरों के निर्माण कार्य, ताड़ी उतारने इलायची सिंकोना, रबड़ उगाने संबंधी कार्य, समुद्र में मछलियाँ पकड़ने, बागवानी वानिकी, मधु मक्खी पालन, फसल कटाई तथा खलिहान संचालन, गोताखोरी, ड्राइवर आदि के क्षेत्र में नियोजित असंगठित कर्मकारों पर लागू हैं।

खारे क्षेत्र के लिए कृतिक बल

3338. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खारे क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल व्यवस्था संबंधी कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कृतिक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

...(व्यवधान)

मध्याह्न 12.00 बजे

(इस समय श्री बूटा सिंह, कुंवर अखिलेश सिंह, श्री अनिल बसु और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) गृह मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों (खंड-एक) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3381/2001]

(2) गृह मंत्रालय (बिना विधानमंडल के संघ-राज्यक्षेत्र) की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों (खंड-दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3382/2001]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) का.आ. 1119 (अ), जो 13 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 जनवरी, 1994 की अधिसूचना संख्या का.आ. 60(अ) में कतिपय संशोधन किया गया है।

(2) का.आ. 6 (अ), जो 3 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 जनवरी, 1994 की अधिसूचना संख्या का.आ. 60 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जिसमें यह निदेश दिया गया है कि लघु औद्योगिक इकाइयों, राजमार्गों को चौड़ा करने तथा सुदृढ़ बनाने, पच्चीस हेक्टेयर तक के पट्टा क्षेत्र वाली खनन परियोजनाओं तथा विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के संबंध में लोक सुनवाई अनिवार्य नहीं है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3383/2001]

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) सेंट्रल बोर्ड पर फॉर वर्कर्स एज्यूकेशन, नागपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एज्यूकशेन, नागपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3384/2001]

(3) श्रम मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3385/2001]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3386/2001]

[हिन्दी]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : महोदय, मैं जनजातीय मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3387/2001]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) डाक विभाग की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3388/2001]

(2) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3389/2001]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं श्री सुन्दर लाल पटवा की ओर से खान मंत्रालय को वर्ष 2001-2002 को अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3390/2001]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3391/2001]

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): महोदय, मैं श्री शरद यादव की ओर से, नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3392/2001]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. सी.पी. ठाकुर) : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3393/2001]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतगंत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) यू.पी. प्रोजेक्ट्स एंड ट्यूबवैल्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वष 1997-1998 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यू.पी. प्रोजेक्ट्स एंड ट्यूबवैल्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1997-1998 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3394/2001]

(ख) (एक) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 1996-1997 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम का वर्ष 1996-1997 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3395/2001]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3396/2001]

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3397/2001]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कंपनी (केंद्रीय सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2001, जो 15 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 24 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केंद्रीय सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 2001, जो 25 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 35 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (केंद्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 2001, जो 1 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 51 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (अनुपालन प्रमाण पत्र) नियम, 2001, जो 1 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 52 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) कंपनी (केंद्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (चौथा संशोधन) नियम, 2001. जो 14 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 96 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3398/2001]

(2) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3399/2001]

[हिन्दी]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : महोदय, मैं युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3400/2001]

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : महोदय, मैं सड़क परिवहन तथार राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3401/2001]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : महोदय, मैं इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3402/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3403/2001]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : महोदय, मैं कोयला मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3404/2001]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : महोदय, मैं भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् निर्धारित 9 महीने की अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3405/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3406/2001]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दो तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3407/2001]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3408/2001]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3409/2001]

(3) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3410/2001]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3411/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): महोदय, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3412/2001]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2001 जो 29 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 40 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3413/2001]

(2) (एक) कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3414/2001]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री (टिकट का रद्दकरण और किराए की वापसी) तीसरा संशोधन नियम, 2000, जो 27 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 937 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3415/2001]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3416/2001]

(4) (एक) सेंटर फार रेलवे इनफारमेशन सिस्टम, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार रेलवे इनफारमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3417/2001]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : महोदय, मैं श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : –

(एक) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 26 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1160(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारभूत अर्जन तथा अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 30 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1178(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजीगत निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, जो 30 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1179(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 23 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 69(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 13 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 128(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 3418/2001]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 116(अ), सा.का.नि. 117(अ), सा.का.नि. 120(अ) और सा.का.नि. 122(अ) से 127(अ) जो 1 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2001 को लोक सभा में घोषित अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा शुल्क में परिवर्तन और छूट के बारे में हैं, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3419/2001]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ संख्या सा.का.नि. 128 (अ) से 143(अ), जो 1 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2001 को लोक सभा में घोषित अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा-शुल्क में परिवर्तन और छूट के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3420/2001]

(4) सीमा-शुल्क टैरिफ, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचनाएँ संख्या सा.का.नि. 118(अ) और सा.का.नि. 121(अ), जो 1 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2001 को लोक सभा में घोषित अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा शुल्क टैरिफ में परिवर्तन और छूट के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3421/2001]

(5) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा विविध उपबंध) संशोधन योजना, 2001, जो 2 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 197(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा विविध उपबंध) संशोधन योजना, 2001, जो 2 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 198(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3422/2001]

(6) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3423/2001]

(7) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत जून, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत में आवास की

प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3424/2001]

(8) 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकार क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण संबंधी समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3425/2001]

(10) (एक) आचार्यकुल, पवनार, वर्धा के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आचार्यकुल, पवनार, वर्धा के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3426/2001]

(12) (एक) इंस्टिट्यूट फार सोशल एण्ड इकनामिक चेन्ज, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार सोशल एण्ड इकनामिक चेन्ज, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3427/2001]

(14) (एक) नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3428/2001]

(16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, मुम्बई का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3429/2001]

(18) संसद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3430/2001]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) आल इंडिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3431/2001]

(3) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3432/2001]

(5) (एक) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3433/2001]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3434/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 92(अ), जो 12 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें वर्ष 2000-2001 के 'शुगर सीजन' के लिए कतिपय चीनी मिलों द्वारा संदेय गन्ने का न्यूनतम मूल्य अधिसूचित करने वाला आदेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3435/2001]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : महोदय, मैं वित्त मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3436/2001]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पोत परिवहन मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3437/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 12 मार्च, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित दिल्ली उच्च न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी वेतन, भत्ता, छुट्टी तथा पेंशन विधेयक 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 12 मार्च, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित उच्चतम न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी वेतन, भत्ता, छुट्टी तथा पेंशन विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 12 मार्च, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित टीकाकरण (निरसन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 12 मार्च, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 12 मार्च, 2001 को यथापारित दिल्ली उच्च न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी वेतन, भत्ता.

छुट्टी तथा पेंशन विधेयक, 2001, उच्चतम न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी वेतन, भत्ता, छुट्टी तथा पेंशन विधेयक, 2001, टीकाकरण (निरसन) विधेयक, 2001, और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2001 सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं एयर इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.03½ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

बारहवां से सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :

(1) कृषि संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के कपास की खेती संबंधी बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित अनुदानों की माँगों (2000-2001) संबंधी छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

(3) कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा) से संबंधित अनुदानों की माँगों (2000-2001) संबंधी सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(4) कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के कृषि मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग) से संबंधित अनुदानों की माँगों (2000-2001) संबंधी आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(5) कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के कृषि मंत्रालय (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की माँगों (2000-2001) संबंधी नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(6) कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2000-2001) संबंधी दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03¾ बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की माँगें (रेल), 2000-2001

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की माँगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3438/2001]

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य), 2000-2001

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की माँगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3439/2001]

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध पद सं. 42—नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे गए माने जाएं।

अपराह्न 12.04½ बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) मध्य प्रदेश में शाजापुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला मुख्यालय, जो मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्य केन्द्र है, में केन्द्रीय विद्यालय की अति आवश्यकता है। मैं व क्षेत्र की जनता शाजापुर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की लम्बे समय से माँग करते आ रहे हैं। जिला कलैक्टर शाजापुर ने केन्दीय विद्यालय के लिए भूमि तथा किले में सात-आठ कमरे भी सुरक्षित करके रखे हैं। शाजापुर में तथा शाजापुर के आसपास 25-25 किलोमीटर के क्षेत्र में रेलवे, डाक-तार विभाग, केन्द्रीय सड़क परिवहन विभाग, दूरसंचार, सूचना एवं प्रसारण विभाग आदि के हजारों केन्द्रीय कर्मचारी और अधिकारी तथा नागरिक केन्द्रीय विद्यालय के अभाव में परेशान हैं। मैं केन्द्रीय विद्यालय के लिए दस कमरों के निर्माण हेतु सांसद निधि से 20-25 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ। शाजापुर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा मानव संसाधन विभाग द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है।

मैं सरकार से माँग करता हूँ कि वर्ष 2001-2002 सत्र से शाजापुर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाए। मैं व जिला प्रशासन सहयोग के लिए तत्पर हैं।

(दो) रायपुर–बिलासपुर–रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : बिलासपुर संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल संभाग है, जहां की सड़क व्यवस्था अत्यंत जर्जर है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग का घनत्व 0.6 कि.मी. प्रति 900 वर्ग कि.मी. है। गत वर्ष रायपुर-बिलासपुर-रायगढ़ उड़ीसा सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा अवश्य हुई है, परंतु क्षेत्र के विकास की संभावनाओं तथा प्रचुर खनिज संसाधनों के मद्देनजर इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए यहां पर और राष्ट्रीय राजमार्गों की नितान्त आवश्यकता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त मार्गों के बनाने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(तीन) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कनहर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामशकल (राबर्टसगंज) : मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्टसगंज उ.प्र. जनपद सोनभद्र में भारत सरकार ने सिंचाई की दृष्टि से कनहर परियोजना वर्ष 1980 से प्रारंभ हुई, जिसमें पच्चासों करोड़ रुपया भारत सरकार का खर्च हो चुका है। किंतु धनाभाव के चलते विगत 10 वर्ष से काम रुका पड़ा है। मशीनों में जंग लग रहा है। उक्त कनहर परियोजना से उ.प्र. का जनपद सोनभद्र तथा बिहार प्रांत का अधिकांश हिस्सा सिंचित होगा, लाखों एकड़ जमीन सिंचित होगी।

वर्तमान समय में कनहर परियोजना की लागत तीन सौ करोड़ रुपया है। धनाभाव के चलते यह कनहर परियोजना का काम रुका पड़ा है।

मेरी भारत सरकार से माँग है कि किसानों के हित में कनहर परियोजना पर कम-से-कम एक किस्त में सौ करोड़ रुपया उपलब्ध कराए, जिससे निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके।

(चार) मध्य प्रदेश के जबलपुर डिवीजन में मैहर में रेल उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : रेलवे मण्डल जबलपुर के अन्तर्गत मैहर रेलवे का एक उपरिपुल (ओवर ब्रिज) नेशनल हाइवे नं. 7 पर बनना है। यह पुल भारत सरकार के रेल मंत्रालय की वार्षिक योजनाओं में गत 6-7 वर्षों से निर्माण हेतु दर्शाया जाता रहा है किंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि न देने से अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो सका।

मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने उक्त रेलवे पुल का निर्माण बी.ओ.टी. पद्धति से कराने का सुझाव दिया है। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि मैहर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण जनहित में यथाशीघ्र पूरा कराने हेतु भूतल परिवहन मंत्रालय से सम्पर्क व सहयोग लेकर यथाशीघ्र निर्माण कराने की पहल करें क्योंकि यह रेलवे ओवर ब्रिज नेशनल हाइवे नं.-7 पर पड़ता है तथा इस पुल के न होने से रेलवे फाटक बार-बार बन्द होने से परिवहन व यातायात में भारी बाधा पड़ती है।

(पाँच) झारखंड में लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त शीतागार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

प्रो. दुखा भगत (लोहरदगा) : लोहरदगा में आदिवासी अपने क्षेत्रों में सब्जी का उत्पादन करते हैं और यहाँ की सब्जियाँ कलकत्ता आदि शहरों में बेची जाती हैं। उनके द्वारा उत्पादित सब्जियाँ ठीक प्रकार से स्टोरेज न होने से सड़ जाती हैं या बेकार हो जाती हैं, जिसके कारण इन आदिवासियों को मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल पाता है क्योंकि इन आदिवासियों को न तो सब्जियों के स्टोरेज करने का प्रबंध है और न ही उनकी मार्किटिंग की व्यवस्था है। आज से ढाई साल के लगभग पहले राँची के बेडो प्रखंड में कई करोड़ का आलू सरकारी कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से खराब होने से सड़ गया था, जिसका मुआवजा अभी तक आदिवासी किसानों को नहीं मिला है।

सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि आदिवासियों को सब्जी ठीकठाक रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज अधिक संख्या में बनाए जाएं और उनकी मेहनत का प्रतिफल दिलाने हेतु उचित बाजार की व्यवस्था करवाई जाए और जिन लोगों का आलू खराब हुआ था उनको जल्द मुआवजा दिलाया जाए।

*सभा पटल पर रख माने गए

(छह) गुजरात में मांडवी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में परमाणु विद्युत संयंत्र के आस-पास रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी) : मेरे संसदीय क्षेत्र मांडवी में अणु विद्युत प्लांट है। जब यह प्लांट बना तो यह निर्णय लिया गया कि इस प्लांट के दस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं जैसे बुनियादी शिक्षा, रोड एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, परंतु इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में इस प्लांट ने नियमों के अनुरूप कार्य नहीं किया है, जिसके कारण यहाँ के लोगों में काफी रोष है।

सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि नियमों के अनुरूप अणु विद्युत प्लांट के दस किलोमीटर के दायरे में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।

(सात) पाम उत्पादकों, विशेष रूप से कर्नाटक के पाम उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बसवराज (तुमकुर) : देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। कर्नाटक के अनेक किसानों ने इस आशा में कि स्वदेशी तिलहनों की तुलना में उनके उत्पादों को राज्य में बेहतर बाजार मिलेगा, ऑयल पाम की खेती करना शुरू किया था। परंतु माँग में कमी के कारण ऑयल पाम उत्पादकों को अपना उत्पाद (ऑयल पाम के ताजा फल के गुच्छे) बाजार में बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा निम्न शुल्क दरों पर खाद्य तेल (मलेशिया से ऑयल पाम सहित) का अत्यधिक मात्रा में आयात करने के कारण है। कर्नाटक में ऑयल पाम के उत्पादकों की रक्षा के लिए सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप करके न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत केवल 1160 मीट्रिक टन ऑयल के ताजा फल के गुच्छे खरीदने की अनुमति दी है। इस संबंध में राज्य सरकार एक वर्ष पहले ही केन्द्र सरकार से अनुरोध कर चुकी है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि 31.3.2001 तक ऑयल पाम के ताजा फलों के गुच्छों की खरीद की अधिकतम सीमा 5000 मीट्रिक टन तक बढ़ाई जाए।

(आठ) केरल के कोल्लम जिले में बार-बार आ रहे भूकंपों के कारणों के बारे में अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ भेजे जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : मैं माननीय सभा को यह बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी से केरल में, विशेष तौर पर कोलम जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश भागों में भूकंप आ रहे हैं।

2000 से भी अधिक घरों में दरारें आ गई हैं और 26 जनवरी के बाद लगातार भूकंप आने से लोग बुरी तरह डरे हुए हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि संबद्ध विभागों से विशेषज्ञ नियुक्त करके आम लोगों के मन से भय को दूर करने के लिए तत्काल प्रभावी उपाय करे तथा किसी राष्ट्रीय आपदा का, जो किसी भी समय आ सकती है, इंतजार किए बिना प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान करके निवारणात्मक उपाय करे।

इसी दौरान, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भूकंप पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए और उनके घरों की मरम्मत करने और भविष्य में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने हेतु वित्तीय सहायता के माध्यम से पर्याप्त राहत प्रदान की जाए।

राज्य सरकार को भी इन पीड़ितों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।

(नौ) कर्नाटक में उदुपी क्षेत्र को एक आदर्श 'बीच रिसॉर्ट' के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : दक्षिण कन्नड़ में उदुपी को इसकी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है। इसके अनेक तीर्थस्थल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अरब सागर के किनारे पर स्थित माल्पे और मारवाण्ठे के प्राकृतिक समुद्री तट उदुपी को गौरवान्वित करते हैं। यहाँ संपूर्ण आधारभूत ढाँचा है जैसे कि केरल पश्चजल और पुलिन पदाधार (बीच हैड)। जल क्रीड़ा सुविधाएं विकसित करने की यहाँ काफी गुंजाइश है।

कोंकण रेल नेटवर्क के शुरू होने के साथ ही, उदुपी का संबंध देश के सभी महानगरों अथवा शहरों से हो गया है। यदि उदुपी जिले में आवश्यक पर्यटन आधार संरचना का विकास किए जाए तो यहाँ आय-अर्जन की भारी संभावना है। माल्पे और मारवाण्ठे समुद्री-तटों को विकसित किया जाना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक, मंगलौर में बाज्पे हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इस परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता है और इसके लिए भूमि-अधिग्रहण का काम पूरा किया जा चुका है और विस्थापित लोगों के पुनर्वास का काम भी निर्धारित समयानुसार हो रहा है। अन्य कार्य जैसे आने-जाने के लाँज़ लम्बे राडार और वी.ओ.आर. का प्रतिस्थापन इत्यादि प्रगति पर हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन क्षमता का और विकास करने के लिए बाज्पे हवाई अड्डे का उन्नयन उत्प्रेरक का काम करेगा।

अतः, मैं पर्यटन मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि उदुपी क्षेत्र को एक आदर्श समुद्री-तट स्थल और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक योजना बनाए।

(दस) कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एक हवाई अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एक हवाई अड्डा बनाने के लिए काफी समय पहले केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। गुलबर्गा बंगलौर, मदुरै और मुम्बई के बीच में स्थित है। गुलबर्गा एक डिवीजनल हैडक्वार्टर भी है, जहाँ अनेक सीमेंट की फैक्टरियाँ, विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान हैं और

देश के सभी भागों के विद्यार्थी वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गुलबर्गा जिले में अनेक मेडीकल और टेक्नीकल कॉलेज चल रहे हैं।

कर्नाटक सरकार ने इस कार्य के लिए जमीन देने का भी प्रस्ताव किया है। परन्तु हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

इस जिले के महत्त्व को देखते हुए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस संबंध में तत्काल निर्णय लिया जाए और गुलबर्गा जिले में हवाई अड्डा स्थापित किया जाए, जो व्यवसायियों, विद्यार्थियों और जिले के अन्य लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

(ग्यारह) पोन्नानी और थलाई में नए मत्स्य बंदरगाह बनाए जाने की केरल सरकार की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागवा) : पोन्नानी (मालापुरम) और थलाई (कन्नूर) में नए मत्स्य पत्तनों के लिए परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार के पास क्रमशः 13.10.99 और 15.11.99 को भेजे गए थे। इन पत्तनों की परियोजना लागत क्रमशः 2670 और 1370 लाख रुपए है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार, पोन्नानी मत्स्य पत्तन के मॉडल अध्ययन सेंट्रल वाटर एण्ड पावर रिसर्च स्टेशन, पूना और ओशन इंजीनियरिंग सेंटर, चेन्नई में किए गए। थलाई मत्स्य पत्तन की मॉडल अध्ययन रिपोर्ट पर्यावरण और विकास केन्द्र, तिरूवनंतपुरम को सौंप दी गई है। मॉडल अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर परियोजना-रिपोर्टों में संशोधन किया गया है। परन्तु सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी, बंगलौर में अभी तक परियोजना रिपोर्टों की जाँच नहीं की है, जो केंद्र सरकार द्वारा, मत्स्यन उद्योग की इन परियोजनाओं के, जो पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जन का साधन है, महत्त्व को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दिए जाने की पूर्व शर्त है, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(बारह) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों को भरने के लिए पद आधारित रोस्टर के स्थान पर रिक्ति आधारित रोस्टर बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट) : मैं सरकार का अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों के हितों और इन समुदायों के सांविधानिक सुरक्षापायों के विरुद्ध सरकार के आदेशों की पुनरीक्षा शुरू करने के लिए आभारी हूँ।

सरकारी आदेश का.ज्ञा. सं. 36012/12/96/एस्ट./(रेस) दिनांक 2.7.1997 के विवादित और अस्तिकारी प्रावधानों (पद आधारित रोस्टर) के मद्देनजर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि पद-आधारित रोस्टर के स्थान पर पूर्व रिक्ति-आधारित-रोस्टर प्रणाली लाई जानी चाहिए। जब कभी भर्ती और पदोन्नति में रिक्तियों की घोषणा की जाती है, तो पद-आधारित-रोस्टर-प्रणाली से अनु. जा./अनु. ज.जा. के लोगों का नुकसान होता है और उनका आनुपातिक अंश कम हो जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पदों की नियुक्तियों और शिक्षा संस्थाओं में सीटों का आरक्षण) विधेयक, 1996" नाम से एक मसौदा विधेयक तैयार किया है। हालाँकि इस विधेयक को लाया जाना अभी शेष है। इसे कानून बनाए जाने और सरकारी सेवाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र और केंद्र सरकार की अन्य शिक्षा संस्थाओं में सख्ती से आरक्षण लागू किए जाने की भी आवश्यकता है।

अतः, मैं सरकार से पद-आधारित-रोस्टर-निर्देशों में संशोधन करने और रिक्ति-आधारित-रोस्टर-प्रणाली पुनः शुरू करने का अनुरोध करता हूँ।

(तेरह) देश में ऐतिहासिक स्मारकों में विदेशियों के लिए प्रवेश शुल्क में वृद्धि करने के आदेश को वापस किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरी) : हाल ही में, भारत सरकार ने ताजमहल (आगरा) और महाबलीपुरम (तमिलनाडु) सहित ऐतिहासिक स्मारकों में सभी विदेशियों के लिए प्रवेश-शुल्क बढ़ा दिया है। अनेक विदेशी पर्यटकों ने भारत सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। इसके परिणामस्वरूप दिन-प्रतिदिन विदेशी मुद्रा कम प्राप्त हो रही है।

हमें अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों को संरक्षित रखने की आवश्यकता है परंतु साथ ही हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों का भी संवर्धन करना होगा। परंतु अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समारकों को संरक्षित करने के लिए धनार्जन करने का यह कोई उचित तरीका नहीं है। इन स्मारकों को संरक्षित रखने का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना नहीं है। इससे भावी पीढ़ियों को हमारे विगत इतिहास और संस्कृति की भी शिक्षा मिलती है।

भारत अपने धन से अफगान सरकार द्वारा नष्ट की गई महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं को तो संरक्षित करने के लिए तैयार है परंतु हम अपने ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित रखने के लिए सभी विदेशियों के लिए, जो ऐसे ऐतिहासिक स्थानों, स्मारकों इत्यादि को देखने आते हैं, प्रवेश-शुल्क बढ़ा रहे हैं। केवल विदेशियों के लिए ही ताज महल और महाबलीपुरम इत्यादि के लिए प्रवेश-शुल्क बढ़ाना उचित नहीं है। इससे हमारे देश की बदनामी हो रही है। पुनश्च, इससे हमारे देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी कमी आ सकती है।

अतः, महोदय, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से तत्काल यह आदेश वापिस लेने का अनुरोध करता हूँ।

(चौदह) बिहार के भोजपुर जिले में आरा में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : झारखंड राज्य बन जाने के बाद बिहार राज्य से झुमरीतेलैया सैनिक स्कूल और नेतरहाट स्कूल (पलामू) जो भारत सरकार द्वारा संचालित हो रहा था, शेष बिहार राज्य से अलग हो गया है। अब बिहार राज्य में ऐसे उन्नत किस्म का कोई शिक्षण संस्थान भारत सरकार द्वारा संचालित नहीं हो रहा है। बिहार राज्य ऐसे उन्नत

किस्म के शिक्षण संस्थान से पूर्ण रूप से वंचित हो गया है। बिहार राज्य का भोजपुर जिला का मुख्यालय आरा सभी दृष्टिकोण से इसके लिए उपयुक्त है। यहाँ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के साथ-साथ कई एक महाविद्यालय बिहार सरकार द्वारा संचालित हो रहे हैं।

अतः मान्यवर आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि यथाशीघ्र भोजपुर जिला के मुख्यालय आरा में एक सैनिक स्कूल खोलने का कष्ट किया जाए।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगॉव) : विनम्र शब्दों में कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने सन् 2000 ई. के विधान सभा विधेयक क्रमांक 13 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विमुक्त जाति बटका जमाति अन्य मागांसवर्ग और विशेष मागासंप्रवर्ग व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र देना और दिए गए प्रमाण पत्र की जाँच करने के संबंध में विनियमन करने के लिए और तरदूद करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दिनांक 15 सितम्बर, 2000 को महामहिम राष्ट्रपति, मा. पंतप्रधान, मा. गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को विधेयक मंजूर करने के लिए विनती की है। अतः इसकी मंजूरी के संबंध में मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 मार्च, 2001/29 फाल्गुन, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008 द्वारा मुद्रित।